FOR REFERNCE ONLY.

NOT TO BE ISSUED

त्रयोदश माला, खंड 5, अंक 14

सोमवार, 13 मार्च, 2000
23 फाल्गुन, 1921(शक)

# लोक सभा वाद-विवाद

## (हिन्दी संस्करण)

तीसरा सत्र

(तेरहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

PARLIAMENT LIBRARY
No. 62
Date 8/12/2K

(खण्ड 5 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

## सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा० अशोक कुमार पांडेय
अपर सचिव

हरनाम सिंह
संयुक्त सचिव

प्रकाश चन्द्र भट्ट
प्रधान मुख्य सम्पादक

केवल कृष्ण
वरिष्ठ सम्पादक

जे०एस० वत्स
सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सहायक सम्पादक

उर्वशी वर्मा
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।)

# विषय-सूची

*[त्रयोदश माला, खंड 5, तीसरा सत्र, 2000/1921 (शक)]*

**अंक 14, सोमवार, 13 मार्च, 2000/23 फाल्गुन, 1921 (शक)**


| विषय | कॉलम |
|---|---|
| निधन सम्बन्धी उल्लेख | 1-3 |
| प्रश्नों के मौखिक उत्तर | |
| *तारांकित प्रश्न संख्या 241, 243 244 और 246 | 7-30 |
| प्रश्नों के लिखित उत्तर | |
| *तारांकित प्रश्न संख्या 242, 245 और 247 से 260 | 30-63 |
| अतारांकित प्रश्न संख्या 2600 से 2829 | 63-321 |
| सभा पटल पर रखे गए पत्र | 321-328 |
| सभा की बैठकों से सदस्यों को अनुपस्थिति की अनुमति | 328 |
| मंत्री द्वारा वक्तव्य | |
| इंडियन एयरलाइन्स के विमान आई सी 814 का उपहरण | |
| श्री अजित कुमार पांजा | 329-337 |
| कार्य मंत्रणा समिति के पांचवे प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव | 337 |
| अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य) | 337 |
| नियम 377 के अधीन मामले | |
| (एक) बिहार में छपरा और मुजफ्फरपुर के बीच सम्पर्क सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग में बदले जाने की आवश्यकता | |
| श्री राजीव प्रताप रूडी | 369 |
| (दो) देश के प्रत्येक गांव में पांच नलकूपों की खुदाई और बिजली के पांच खम्बे लगाने के लिए राज्य सरकारों को केन्द्रीय अनुदान प्रदान किए जाने की आवश्यकता | |
| श्री पुन्नू लाल मोहले | 369 |
| (तीन) देश भर में कुबेर ग्रुप आफ इन्डस्ट्रीज के निवेशकों के हितों की रक्षा करने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता | |
| श्री पद्म सेन चौधरी | 369 |
| (चार) उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर जिले को बार-बार आने वाली बाढ़ से बचाने के लिए मास्टर योजना बनाए जाने की आवश्यकता | |
| श्री रामपाल सिंह | 370 |
| (पांच) कर्नाटक में हुबली से हरिहर में मिनी टूल रूम्स प्रोजेक्ट्स की स्थापना करने के लिए कर्नाटक सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने की आवश्यकता | |
| श्री जी०एस० बसवराज | 370 |


*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय कॉलम

(छह) भीषण चक्रवात से प्रभावित उड़ीसा को विशेष श्रेणी के राज्य का दर्जा दिए जाने की आवश्यकता

श्री के०पी० सिंहदेव . . . . . 370-371

(सात) निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं, विशेष रूप से कर्नाटक में, के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में छूट दिए जाने की आवश्यकता

श्री एस०डी०एन०आर० वाडियार . . . . . 371

(आठ) आन्ध्र प्रदेश में नक्सलवादी समस्या से निपटने में राज्य सरकार द्वारा खर्च किए गए 3491 करोड़ रुपए के बकाया ऋणों को माफ किए जाने की आवश्यकता

श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति . . . . . 372

(नौ) बिहार में वैशाली को रेल मार्ग से जोड़े जाने की आवश्यकता

डा० रघुवंश प्रसाद सिंह . . . . . 372

(दस) मुरादाबाद में बेहतर नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को विशेष अनुदान दिए जाने की आवश्यकता

श्री चन्द्र विजय सिंह . . . . . 372

(ग्यारह) उत्तर प्रदेश में विशेषरूप से खीरी जिले में प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए राज्य सरकार को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री रवि प्रकाश वर्मा . . . . . 373

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (संशोधन) अध्यादेश का निरनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प

और

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री बसुदेव आचार्य . . . . . 374

श्री राम विलास पासवान . . . . . 382

श्री मणि शंकर अय्यर . . . . . 386

श्री राजीव प्रताप रूडी . . . . . 395

श्री रूपचन्द पाल . . . . . 396

डा० रघुवंश प्रसाद सिंह . . . . . 403

श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति . . . . . 405

श्री चन्द्र नाथ सिंह . . . . . 407

प्रो० रासा सिंह रावत . . . . . 410

श्री अजय चक्रवर्ती . . . . . 412

| विषय | कॉलम |
|---|---|
| श्री पवन कुमार बंसल | 413 |
| श्री रामदास आठवले | 417 |
| खण्ड 2 से 15 और 1 | 429-436 |
| पारित करने के लिए प्रस्ताव | 429-436 |
| बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली (संशोधन) अध्यादेश का निरनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प | |
| और | |
| बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली (संशोधन) विधेयक | |
| विचार करने के लिए प्रस्ताव | |
| श्री वरकला राधाकृष्णन | 436 |
| श्री यशवन्त सिन्हा | 438 |
| श्री प्रियरंजन दासमुंशी | 439 |
| डा० बी०बी० रमैया | 445 |
| श्री मोहनुल हसन | 447 |
| श्री किरीट सोमैया | 449 |
| श्री पी०एच० पांडियन | 452 |
| श्री प्रकाश परांजपे | 472 |
| डा० रघुवंश प्रसाद सिंह | 474 |
| खण्ड 2 से 18 और 1 | 481-482 |
| पारित करने के लिए प्रस्ताव | 481-482 |

## लोक सभा

सोमवार, 13 मार्च, 2000/23 फाल्गुन, 1921 (शक)

*लोक सभा पूर्वाह्न 11 बजे समवेत हुई।*

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

## निधन सम्बन्धी उल्लेख

**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्यों, मुझे सभा को अपने पांच पूर्व साथियों, सर्वश्री तुलसीदास जाधव, नरेश चन्द्र चतुर्वेदी, शिव नारायण टंडन, मोहेन्द्र नांगोम और बापूलाल मालवीय के दु:खद निधन की सूचना देनी है।

श्री तुलसीदास जाधव तीसरी और चौथी लोक सभा के सदस्य थे और उन्होंने वर्ष 1962 से 1970 तक महाराष्ट्र के नांदेड़ और बारामती संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व किया।

पहले श्री जाधव 1937 से 1940 और 1946 से 1957 के दौरान तत्कालीन बम्बई विधान सभा के सदस्य थे। उन्होंने अपने गृह राज्य में विभिन्न विकास निकायों के सदस्य के रूप में भी सेवा की।

श्री जाधव एक सुयोग्य सांसद थे और तृतीय पंचवर्षीय योजना के प्रारूप संबंधी समिति के सदस्य भी थे।

श्री जाधव पेशे से कृषक थे और उन्हें आजादी से पूर्व राष्ट्रीय आन्दोलन में सक्रिय रूप से भाग लेने के कारण जेल की सजा भी काटनी पड़ी थी।

श्री जाधव एक सक्रिय सामाजिक और राजनैतिक कार्यकर्ता थे और उन्होंने अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के उत्थान के लिए अथक रूप से कार्य किया।

श्री तुलसीदास जाधव का 94 वर्ष की आयु में 11 सितम्बर, 1999 को मुम्बई में निधन हो गया।

श्री नरेश चन्द्र चतुर्वेदी वर्ष 1984 से 1989 के दौरान आठवीं लोक सभा के सदस्य थे और उन्होंने उत्तर प्रदेश के कानपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

श्री चतुर्वेदी एक विद्वान व्यक्ति थे और उन्होंने कानपुर विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद और खादी आयोग सेवा बोर्ड के सदस्य के रूप में सेवा की। वे उत्तर प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा परिषद की मान्यता समिति के अध्यक्ष भी रहे।

श्री चतुर्वेदी एक सक्रिय सामाजिक और राजनैतिक कार्यकर्ता थे और वे अनेक सामाजिक, साहित्यिक और शैक्षिक संस्थाओं से सम्बद्ध रहे। वे एक साहित्यकार थे और उन्होंने अनेक पुस्तकों का सम्पादन और प्रकाशन किया। उन्होंने हेलसिंकी (फिनलैंड) में हुए विश्व शान्ति सम्मेलन में भी भाग लिया।

श्री नरेश चन्द्र चतुर्वेदी का 72 वर्ष की आयु में उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में 29 नवम्बर, 1999 को निधन हो गया।

श्री शिव नारायण टंडन 8 मई से 27 अगस्त, 1954 तक उत्तर प्रदेश के कानपुर संसदीय चुनाव क्षेत्र से प्रथम लोक सभा के सदस्य रहे।

श्री टंडन एक वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे और अनेकों बार जेल गए।

श्री टंडन एक सक्रिय राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता थे और उन्होंने कानपुर नगरपालिका के उपमहापौर का पद भी सुशोभित किया। उन्होंने श्री विनोबा भावे और डा० राजेन्द्र प्रसाद जैसे लोक प्रसिद्ध व्यक्तियों के साथ कार्य किया। उन्होंने श्री विनोबा भावे के भूदान आन्दोलन में भी सक्रिय रूप से भाग लिया।

श्री टंडन कानपुर शहर के लोगों के प्रिय थे और अपने मृदुभाषी स्वभाव के लिए जाने जाते थे। वे लोगों का बहुत ध्यान रखते थे।

श्री शिव नारायण टंडन का 96 वर्ष की आयु में उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में 26 दिसम्बर, 1999 को निधन हो गया।

श्री मोहेन्द्र नांगोम सातवीं लोक सभा के सदस्य थे और उन्होंने 1980 से 1984 के दौरान मणिपुर के आन्तरिक मणिपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

पेशे से अधिवक्ता, श्री नांगोम इम्फाल के एल.एम.एस. लॉ कालेज में 1969 में लेक्चरर थे।

एक सक्रिय राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता श्री नांगोम को 1951 के मणिपुर कम्युनिस्ट षड्यन्त्र के मामले में 21 वर्षों तक कठोर कारावास झेलना पड़ा। उन्होंने 1976 में हंगरी में आयोजित विश्व विकास सम्मेलन में भाग लिया।

श्री मोहेन्द्र नांगोम का 75 वर्ष की आयु में नागमपाल में 20 फरवरी, 2000 को निधन हो गया।

श्री बापूलाल मालवीय आठवीं लोक सभा के सदस्य थे और उन्होंने 1984 से 1989 के दौरान मध्य प्रदेश के शाजापुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

इससे पूर्व श्री मालवीय 1952 से 1966, 1970 से 1976 और 1980 से 1984 के दौरान मध्य प्रदेश विधान सभा के सदस्य भी रहे। उन्होंने 1983-84 के दौरान राज्य में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा वन विभाग के राज्य मंत्री के रूप में भी कार्य किया। वे मध्य प्रदेश विधान सभा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति के अध्यक्ष और अस्पृश्यता निवारण सम्बन्धी समिति और लोक लेखा समिति के सदस्य भी रहे।

पेशे से कृषक, श्री मालवीय एक सक्रिय सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता थे। उन्होंने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उत्थान के लिए अथक कार्य किया।

श्री बापूलाल मालवीय का 71 वर्ष की आयु में 29 फरवरी, 2000 को निधन हो गया। हम अपने इन साथियों के निधन पर गहन शोक व्यक्त करते हैं और मुझे विश्वास है कि यह सभा शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करने में मेरे साथ है।

अब सदस्यगण दिवंगत आत्माओं के सम्मान में कुछ क्षणों के लिए मौन खड़े होंगे।

**पूर्वाह्न 11.04 बजे**

*तत्पश्चात् सदस्यगण कुछ क्षण मौन खड़े रहे*

----------

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न सं. 241, श्री राधाकृष्णन।

*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**अध्यक्ष महोदय** : रघुवंश जी, क्वैश्चन आवर में नहीं।

*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : जो कुछ भी राधाकृष्णन कहते हैं उसके अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए।

*(व्यवधान)*•

**अध्यक्ष महोदय** : मुलायम सिंह जी, हम आपको क्वैश्चन आवर के बाद सुनेंगे, क्वैश्चन आवर में नहीं।

**श्री मुलायम सिंह यादव** (संभल) : हम समय चाहते हैं, आप बता दें।

**अध्यक्ष महोदय** : आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं, क्वैश्चन आवर में नहीं, जीरो आवर में। यह एक अच्छी परम्परा नहीं है।

*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : क्वैश्चन आवर में सब कुछ बताना अच्छा नहीं है।

*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : हम आपको जरूर सुनेंगे, लेकिन क्वैश्चन आवर के बाद, जीरो आवर में जरूर सुनेंगे।

*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : मुलायम सिंह जी, हम आपसे अपील कर रहे हैं, क्वैश्चन आवर में नहीं, जीरो आवर में सुनेंगे।

*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : हम आपसे अपील कर रहे हैं। आप कितने दिनों तक हाउस को डिस्टर्ब करेंगे, यह बता दें।

**श्री मुलायम सिंह यादव** : जब तक न्याय नहीं मिलेगा।

**अध्यक्ष महोदय** : आपको मौका मिलेगा, क्वैश्चन आवर में नहीं, जीरो आवर में। आप क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं।

*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : श्री रघुवंश प्रसाद सिंह जी, अब बहुत हो गया।

*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**अध्यक्ष महोदय** : इस तरह क्वैश्चन आवर में बोलना ठीक नहीं है।

*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : श्री मुलायम सिंह जी, आप एक अनुभवी व्यक्ति हैं और वरिष्ठ नेता भी हैं। मैं आपसे अपील कर रहा हूं। यह अच्छी बात नहीं है।

*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। जब पीठासीन अधिकारी कुछ कहना चाह रहे हैं तो, आप उन्हें बोलने नहीं दे रहे हैं। यह अच्छा उदाहरण नहीं है।

*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री मुलायम सिंह यादव** : हमें चेयर से अनुमति दी गई, लेकिन उसके बाद रोक दिया गया।

**अध्यक्ष महोदय** : हम आपको अनुमति देंगे, लेकिन क्वैश्चन आवर में नहीं, जीरो आवर में देंगे।

**श्री मुलायम सिंह यादव** : हमें अनुमति दी गई, लेकिन उसके बाद बोलने नहीं दिया गया।

**अध्यक्ष महोदय** : हम आपसे अपील कर रहे हैं, हम आपको जीरो आवर में बोलने का मौका देंगे।

*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : मैं आपसे फिर अपील कर रहा हूं। कृपया समझने का प्रयास करें। यह सभा को संचालित करने का तरीका नहीं है।

*[हिन्दी]*

**श्री मुलायम सिंह यादव** : हमें बोलने के लिए कहा गया और चेयर से कहा गया कि आप बोलिए, लेकिन *(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : इस सभा में 544 सदस्य हैं। वे भी महसूस कर रहे हैं।

*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : हम आपको कह रहे हैं कि मौका देंगे, लेकिन क्वैश्चन आवर में नहीं, जीरो आवर में देंगे।

*(व्यवधान)*

---

•कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

**अध्यक्ष महोदय :** श्री मुलायम सिंह जी, कृपया पीठ के साथ सहयोग करें। आप एक वरिष्ठ नेता हैं।

*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**अध्यक्ष महोदय :** आप जीरो आवर में बोल सकते हैं। प्लीज अंडरस्टैंड। आपको जरूर मौका देंगे, लेकिन अभी नहीं।

*(व्यवधान)*

**श्री मुलायम सिंह यादव :** महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आप समय और तारीख निश्चित कर दीजिए, हमें कोई एतराज नहीं है। ···*(व्यवधान)* हमें चेयर ने बोलने की अनुमति दी, लेकिन सत्ता पक्ष के लोगों ने हमें बोलने नहीं दिया। ···*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय :** आप कृपया बैठ जाएं।

**श्री मुलायम सिंह यादव :** आप कई बार कह चुके हैं कि हमें बोलने का मौका देंगे। ···*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय :** रघुवंश जी, आप पहले बैठ जाइए।

*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय :** आप कृपया बैठ जाएं।

*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**डा॰ रघुवंश प्रसाद सिंह** (वैशाली) : गवर्नर को नहीं हटा रहे हैं। ···*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय :** श्री रघुवंश प्रसाद सिंह जी, अब बहुत हो गया। पिछले दो सप्ताह से आप सभा की कार्यवाही में विघ्न डाल रहे हैं। श्री राधाकृष्णन को छोड़कर अन्य कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए।

*(व्यवधान)*•

*[हिन्दी]*

**श्री मुलायम सिंह यादव :** गवर्नर को बर्खास्त कीजिए। ··· *(व्यवधान)* पहले वहां गवर्नर को बर्खास्त कराइए। ···*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय :** श्री मुलायम सिंह यादव, मैं फिर आपसे अपील कर रहा हूं। कृपया समझने का प्रयास करें। प्रश्नकाल के बाद, मैं आपको अनुमति दूंगा। आप उस समय जो कुछ कहना चाहे कह सकते हैं।

*(व्यवधान)*

•कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

*[हिन्दी]*

**अध्यक्ष महोदय :** रघुवंश जी, आप पहले बैठ जाइए।

*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय :** कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए।

*(व्यवधान)*•

*[हिन्दी]*

**अध्यक्ष महोदय :** मुलायम सिंह जी, आप बैठ जाइए।

*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्यगण, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। यह तरीका नहीं है।

**श्री सोमनाथ चटर्जी** (बोलपुर) : महोदय, हम भी चाहते हैं कि सभा की कार्यवाही सामान्य ढंग से चले··· *(व्यवधान)*। श्री आडवाणी जी, आपके सदस्यगण चाहते हैं कि हम इस तरह से करें। ··· *(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री मदन लाल खुराना** (दिल्ली सदर) : महोदय, ये अपनी बात कह लेंगे और फिर हल्ला करेंगे। ··· *(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय :** वे पीठ की सहायता कर रहे हैं। वे बोल नहीं रहे हैं।

**श्री मदन लाल खुराना :** महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

*[हिन्दी]*

**श्री मुलायम सिंह यादव :** महोदय, सोमनाथ जी अपनी पार्टी के नेता हैं और ये इनको बोलने नहीं देते, यह कोई तरीका है। ··· *(व्यवधान)* हम केवल समय और तारीख चाहते हैं, आप इतना बता दीजिए। ··· *(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय :** हमने सोमनाथ बाबू को बुलाया है, आप बैठ जाइए।

*[अनुवाद]*

**श्री प्रकाश परांजपे** (ठाणे) : महोदय, उन्होंने पहले ही इस माननीय सभा के 20 दिन बर्बाद कर दिए हैं। वे समझते हैं कि हम सभा के कार्य संचालन प्रक्रिया से अवगत नहीं हैं क्योंकि हम कनिष्ठ हैं। ··· *(व्यवधान)*

•कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

*[हिन्दी]*

**श्री विनय कटियार** (फैजाबाद) : क्या उन्होंने कोई नोटिस दिया है, अगर नोटिस दिया है तो उन्हें आप जरूर मौका दीजिए।... *(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**श्री सोमनाथ चटर्जी :** महोदय, कुछ तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, परिस्थिति में परिवर्तन आया है। मैं अनुरोध कर रहा था कि प्रश्नकाल को जारी रहने दिया जाए, लेकिन मैं यह भी अनुरोध कर रहा हूं कि आप हमें बताएं कि इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर कब चर्चा कराएंगे। कृपया आप यह बताएं ताकि सभा की सामान्य प्रकिया चल सके... *(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री विनय कटियार :** लेकिन उसमें बिहार और बंगाल पर भी चर्चा हो जाए।

**श्री सोमनाथ चटर्जी** (बोलपुर) **:** इसमें क्या गलत है। सरकार को परिस्थिति में परिवर्तन को देखते हुए यह महसूस करना चाहिए। बिहार में क्या हुआ है। इतना सब होने के बावजूद वे अपना चेहरा दिखा रहे हैं... *(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय :** श्री चटर्जी, इस सम्बन्ध में प्रेषित की गई सूचनाएं मेरे संज्ञान में हैं और मैं अपना निर्णय दूंगा। कृपया मुझे प्रश्नकाल चलाने दें।

*(व्यवधान)*

---

## प्रश्नों के मौखिक उत्तर

*[अनुवाद]*

### विद्युत क्षेत्र के संबंध में विश्व बैंक रिपोर्ट

*241. **श्री वरकला राधाकृष्णन :** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने भारत के विद्युत क्षेत्र के बारे में हाल ही में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में यह कहा है कि भारत की विद्युत क्षेत्र की नीतियां पर्यावरण की दृष्टि से हानिकारक और वित्तीय रूप से अक्षम हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिकिया है?

**विद्युत मंत्री तथा खान और खनिज मंत्री (श्री पी॰आर॰ कुमारमंगलम) :** (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

**विवरण**

(क) और (ख) विश्व बैंक ने अक्तूबर, 1999 में ''मीटिंग इण्डियाज फ्यूचर पावर नीड्स'' नामक एक प्रलेख प्रकाशित किया है जिसमें कहा गया है कि वर्ष 2015 तक विद्युत नीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं किए जाने की स्थिति में,

(i) भारत एसओ-2नाक्स पार्टिकुलेट इमिशन एवं राख का उत्पादन वर्तमान से तीन गुना बढ़ जाएगा।

(ii) विद्युत संयंत्रों के निकट राख निपटान सुविधा के लिए प्रति व्यक्ति एक वर्गमीटर भूमि की आवश्यकता पड़ेगी।

(iii) प्रति वर्ष 775 मिलियन मीट्रिक टन कार्बन डाइआक्साइड गैस का उत्सर्जन होगा, जबकि संपूर्ण यूरोपीय संघ के विद्युत उत्पादन संगठनों द्वारा वर्तमान में उत्सर्जित कार्बन डाइआक्साइड 1000 मि॰ मी॰ टन प्रति वर्ष है।

प्रलेख में आगे बताया गया है कि बिजली की कीमत अनियंत्रित है और समाज के कुछ वर्गों को विद्युत के उत्पादन लागत से बहुत कम कीमत पर बिजली आपूर्ति की जा रही है। इस कारण विद्युत का काफी नुकसान हो रहा है जिससे राज्य विद्युत बोर्डों की वित्तीय हालत पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। राज्य विद्युत बोर्डों की बिगड़ती वित्तीय स्थिति के कारण नये संयंत्रों में निवेश करना एवं विद्यमान संयंत्रों का उचित रूप से अनुरक्षण करना, खासकर पर्यावरणीय नियंत्रण उपस्कर जो संयंत्र प्रचालन के लिए आवश्यक नहीं हैं, कठिन हो जाता है।

(ग) सरकार प्रलेख में पर्यावरणीय मामलों के बारे में बताए गए निष्कर्षों से सहमत नहीं है। केवल बिहार तथा आंध्र प्रदेश राज्यों में किए गए अध्ययनों के आधार पर सम्पूर्ण देश के लिए एक्स्ट्रापोलेशन अनुमान लगाना अनुपयुक्त एवं अविश्वसनीय है। भारत में कार्बन डाइआक्साइड का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन विकसित देशों में प्रति व्यक्ति कार्बन डाइआक्साइड उत्सर्जन की तुलना में 1/10 से 1/20 के बीच में है। सरकार पर्यावरणीय संरक्षण के लिए पूरी तरह से जागरूक है और पर्यावरणीय प्रदूषण असंतुलन को नियंत्रित करने के लिए उसने पर्याप्त उपाय भी किए हैं। विकसित देशों में पर्यावरणीय संतुलन पहले ही बिगड़ गया है और उनकी प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत विकासशील देशों के प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत से 10 से 20 गुना ज्यादा है। आय एवं जीवन की बुनियादी गुणवत्ता के सुधार के लिए हमारे ऊर्जा उत्पादन एवं खपत में अभिवृद्धि की जरूरत है। भारत में कोयले का विशाल भण्डार है जिसका देश की बिजली संबंधी जरूरत को पूरा करने के लिए उचित रूप से उपयोग किया जाना है। सभी विद्युत संयंत्रों को पूर्ण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के बाद ही स्थापित किया गया है। एनटीपीसी ने अपने रामागुण्डम एवं दादरी केन्द्रों के लिए पर्यावरणीय प्रबंधन प्रणाली के तहत् आईएसओ-14001 प्रमाणीकरण प्राप्त किया है और अन्य केन्द्रों के लिए भी प्रमाणीकरण प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है। सरकार क्षमता संवर्धन तथा कार्य कुशल विद्युत उत्पादन संयंत्रों और उत्सर्जन स्तर को कम करने के निमित्त प्रदूषण नियंत्रण प्रौद्योगिकियों के उपयोग के लिए भी प्रतिबद्ध है। मांग पक्ष समेत ऊर्जा संरक्षण के प्रयास से भी मांग में कमी आएगी। फ्लाई ऐश मिशन ईष्टतम उड़न राख समुपयोजन पर व्यापक कार्य कर रहा है।

सरकार राज्य विद्युत बोर्डों की वित्तीय व्यवहार्यता की समस्या से घिरी हुई है। इसके कारण सरकार ने पिछले दो वर्षों से सुधार संबंधी मामलों पर बल दिया है। इसके लिए विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम,

1998 पारित किया गया है ताकि एक केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग और एक राज्य विद्युत विनियामक आयोग की स्थापना की जा सके, विद्युत टैरिफ का युक्तिकरण किया जा सके तथा आर्थिक सहायता एवं पर्यावरणीय रूप से अनुकूल नीतियों के संवर्धन के लिए पारदर्शी नीतियां तैयार की जा सकें। केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग 1998 में स्थापित किया गया और राज्य विनियामक आयोग भी 14 राज्यों में स्थापित किए गए हैं। 26 फरवरी, 2000 को विद्युत मंत्रियों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया था और प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटित इस सम्मेलन के संकल्प का मूल पाठ अनुबन्ध के रूप में संलग्न है।

**अनुबंध**

*26.2.2000 को आयोजित मुख्य मंत्रियों/विद्युत मंत्रियों के सम्मेलन में लिए गए संकल्प*

विद्युत मंत्रियों के सम्मेलन में सम्पूर्ण क्षेत्र की वाणिज्यिक व्यवहार्यता में निरंतर गिरावट की वजह से देश के विद्युत आपूर्ति उद्योग के सामने आने वाली कठिन स्थिति का जायजा लिया गया है। इसने इस तथ्य को नोट किया कि :

1. सीपीएसयू की बकाया राशियां बढ़ती जा रही हैं और अब यह 23,000 करोड़ रुपये हो गई हैं। यदि ऐसा ही चलता रहा तो इससे उनके वर्तमान प्रचालनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के अलावा उनकी भावी विस्तार परियोजनाएं भी रुक जाएंगी।

2. निजी विद्युत परियोजनाओं हेतु वित्तीय समापन और ज्यादा कठिन होता जा रहा है।

3. राज्य अपनी परियोजनाओं को स्वयं वित्तपोषित किए जाने में समर्थ नहीं हैं।

4. वित्तीय घाटों की वजह से इस क्षेत्र के लिए राज्य सरकारों के साथ-साथ केन्द्र सरकार से बजटीय सहायता में वृद्धि करना व्यवहार्य नहीं है।

II. इस अस्थिर वित्तीय स्थिति के लिए उत्तरदायी मुख्य घटक निम्नवत् हैं :

(i) बड़े स्तर पर चोरी और दुरुपयोग लगभग 20,000 करोड़ रुपये प्रति वर्ष होने का अनुमान है।

(ii) देश के पारेषण एवं वितरण में तकनीकी हानियां भी बहुत ज्यादा हैं।

(iii) राज्य क्षेत्र में काफी बड़ी संख्या में ताप-विद्युत केन्द्र 40 प्रतिशत से कम की प्रचालनात्मक दक्षता पर चलते हैं।

(iv) देश के राज्य विद्युत क्षेत्र की औसत प्रचालनात्मक हानियां 12,000 करोड़ रुपये से अधिक होने का अनुमान है।

III. यह भी देखा गया कि क्रास सब्सिडी को बनाया नहीं रखा जा सकता यदि औद्योगिक टैरिफ परिमाणात्मक और अन्य प्रतिबंधों को हटाकर बढ़ते हुए विश्व-व्यापीकरण के नए वातावरण में उद्योग को गैर-प्रतिस्पर्धात्मक बनाता है। यहां यह सुनिश्चित करना आवश्यक हो जाता है कि भारतीय उद्योग असंतोषजनक विद्युत आपूर्ति अथवा टैरिफ, जो इसे गैर-प्रतिस्पर्द्धात्मक बनाता है, के कारण अपंग न हो जाएं। साथ ही उपभोक्ता जिसमें कृषक शामिल हैं, का यह कानूनी हक है कि वह निर्वाह्य अच्छी गुणवत्ता की विद्युत आपूर्ति प्राप्त करे। उचित लागत का भुगतान करने की उसकी इच्छा को कम करके आंका जा रहा है।

**संकल्प**

1. विद्युत मंत्रियों ने विद्युत क्षेत्र में व्याप्त सभी समस्याओं पर विचार करने के पश्चात् यह प्रस्ताव पारित किया है कि वाणिज्यिक व्यवहार्यता प्राप्त करने और सभी को युक्तिसंगत दर पर विद्युत प्रदान करने के आशय से सुधार कार्य दृढ़ संकल्प, उत्साह और अनिवार्यता के भाव से किए जाने चाहिए। सुधार कार्य में विलम्ब होने से सुधार कार्य की वित्तीय लागत बढ़ती है और देयताओं का भार बढ़ जाता है। अगले 2-3 वर्षों के भीतर परिणाम प्रदर्शित करने के लिए सुधार कार्य आरंभ होने चाहिए। सुधार नीति के मुख्य तत्व निम्न हैं :

क. सभी स्तरों पर ऊर्जा लेखा परीक्षा।

ख. दिसम्बर, 2001 तक सभी उपभोक्ताओं का 100 प्रतिशत मीटरिंग का समयबद्ध कार्यक्रम।

ग. विशिष्ट समय-सीमा के भीतर विद्युत चोरियों को घटाना एवं कटौती करना।

घ. प्राथमिकता के आधार पर उप केन्द्रों को एक यूनिट के रूप में लेते हुए उप-पारेषण एवं वितरण प्रणाली को सुदृढ़/उन्नत करना।

2. यदि उपरोक्त कार्यों को वर्तमान व्यवस्था में किया जाना असाध्य है तो वितरण का निगमीकरण/सहकारीकरण/निजीकरण, करना होगा।

3. चूंकि राज्य क्षेत्र में बड़ी संख्या में ताप केन्द्रों का पीएलएफ 40 प्रतिशत से कम है, अत: तत्काल आधार पर नवीकरण एवं आधुनिकीकरण सहित जीवन स्तर पर कार्रवाई की जानी अपेक्षित है। इसी प्रकार पुराने जल विद्युत संयंत्रों के लिए प्राथमिकता के आधार पर आर एंड एम/एलई करना अपेक्षित होगा।

4. राज्य विद्युत नियामक आयोगों के प्रभावी कार्य संचालन, उपभोक्ताओं के लाभों में संतुलन बनाए रखने तथा ऐसे परिवेश में जहां उद्योग में निजी क्षेत्र की प्रतिभागिता धीरे-धीरे बढ़ रही हो उनके शुल्क को पुनर्गठन किया जाना आवश्यक है।

5. पृथक वितरण लाभ केन्द्र/निगमों/कम्पनियों के जरिए राज्य बिजली बोर्डों/बैच मार्किंग का निगमीकरण और विकेन्द्रीकरण निम्न दरों के मूलभूत आधार होने के कारण विद्युत आपूर्ति उद्योग प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन देने में विनियामक आयोगों को सुविधाजनक बनाएगा।

6. यह देखा गया है कि देश में विद्युत प्रणाली नेटवर्क उपभोक्ताओं की पहुंच से मेल नहीं खाती है तथा आगामी वर्षों में आप्टिक फाइबर केबलों की स्थापना सहित वर्तमान विद्युत लाइनों के सही उपयोग के द्वारा केबल टी. वी., आई. टी. सर्विस, टेलीकॉम सर्विस आदि का इस्तेमाल करते हुए बहुउद्देशीय संचार सुविधाओं को उपलब्ध करवाने में सक्षम होगा। इस अभीसरण से अधिक मात्रा में राजस्व की इस शक्यता वाले रूप का सृजनात्मक रूप से दोहन करने का प्रयास किया जाना अपेक्षित है।

7. सुधारों को प्रोन्नत करने के लिए एक नया केन्द्रीय विधायी मसौदा जो कि राज्यों के लिए पृथक अधिनियमन के लिए आवश्यक निराकरण करता है, पर विचार किया जा रहा है। एनसीएईआर द्वारा प्रस्तुत मसौदा बिल एक राष्ट्रीय बहस एवं नये बिल पर आम सहमति का आधार बनाएगा। इस मसौदा बिल पर राज्यों द्वारा उनकी विस्तृत टिप्पणियां विद्युत मंत्रालय को शीघ्रातिशीघ्र भेजी जाएंगी।

**अध्यक्ष महोदय :** कृपया बैठ जाएं। अब श्री राधाकृष्णन बोलेंगे।

*(व्यवधान)*

**श्री वरकला राधाकृष्णन :** महोदय, केन्द्रीय नियामक बोर्ड और राज्य बोर्ड के गठन के बाद भी रिपोर्ट से ज्ञात होता है कि हम प्रति वर्ष बिजली की चोरी के कारण 20,000 करोड़ रुपये का नुकसान उठा रहे हैं। हमें 12,000 करोड़ रुपये की प्रचालनात्मक हानियां हो रही हैं। सरकारी उपक्रमों पर 23,000 करोड़ रुपये की धनराशि बकाया है। यह वित्तीय स्थिति है। यह भी बताया गया है कि केन्द्रीय और राज्य सरकारें बजटीय सहायता नहीं दे रही हैं। इसलिए ऐसी स्थिति में, वित्तीय संकट अति गंभीर है और सभी विद्युत बोर्ड और राज्य बोर्ड नुकसान में चल रहे हैं। केन्द्रीय बोर्ड भी वित्तीय संकट का सामना कर रहा है। मेरा कहना है कि विश्वकोष का मूल्यांकन सही है बावजूद इसके कि हमने इस क्षेत्र में निजीकरण की शुरूआत करने के लिए 1998 में एक कानून बना दिया था। स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है और इसी नीति के कारण हम लोग पर्यावरण को भी बनाए नहीं रख सके। इसके नुकसानों का अब अनुभव हो रहा है। अन्य विकसित राष्ट्रों की तुलना में, हम लोग पर्यावरण के क्षेत्र में कुछ नहीं कर रहे हैं।

**अध्यक्ष महोदय :** श्री राधाकृष्णन, मंत्री महोदय सभी प्रश्नों के उत्तर देंगे। कृपया अपना प्रश्न पूछें।

**श्री वरकला राधाकृष्णन :** अब आपको इस स्थिति के बारे में आगे क्या कहना है। क्या यह स्थिति विश्व बैंक की बात को सही साबित नहीं करती है? आपको क्या कहना है?

**श्री पी० आर० कुमारमंगलम :** महोदय, प्रश्न विश्व बैंक की हाल की रिपोर्ट के संबंध में है। सामान्यतः यह भारत के पर्यावरण से जुड़े मुद्दों को लेकर है। महोदय, भारत की विद्युत क्षेत्र की नीति के संबंध में, एक बयान दिया गया है जो संक्षेप में है। इसमें कहा गया है कि भारत की विद्युत नीति पर्यावरण को क्षति पहुंचाने वाली है और वित्तीय रूप से टिकाऊ नहीं है। महोदय, मैं इस विवरण से सहमत नहीं हूं और हम समझते हैं कि यह गलत है। महोदय, हमने एक विस्तृत लिखित उत्तर दिया है और माननीय सदस्य इस तथ्य को मानेंगे कि हमारा प्रदर्शन इस मामले में अन्य विकासशील राष्ट्रों की तुलना में कहीं बेहतर है। आंकड़ों का एक सरल उदाहरण लें, तो आज भारत का कार्बन डाइआक्साइड (सीओ2) का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन 0.8 टन है जबकि अमरीका में यह 19.5 है। यह औसत बहुत बड़ा है। असल में यदि इस तथ्य को देखें तो विकसित देशों में कार्बन डाइआक्साइड (सीओ2) और पीपीएल का प्रदूषण हमारे मुकाबले 10 से 20 गुणा अधिक है। लेकिन, इसका अर्थ यह नहीं है कि हमें पर्यावरण के मुद्दे को छोड़ देना चाहिए। यह एक बड़ा मुद्दा है। असल में हमने पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी की गई नीति के अनुसार यह सुनिश्चित किया है कि जो संयंत्र खान के मुहानों से 1000 किलोमीटर दूर हैं, उनमें धुले हुए कोयले का प्रयोग किया जाएगा। हम लोग सभी संयंत्रों में धुले हुए कोयले का उपयोग करने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि यह वाणिज्यिक रूप से अधिक अर्थक्षम है। हम लोग पीपीएल के स्तर में कमी लाने के लिए इलेक्ट्रोस्टेट प्रेसीपिटेटर का प्रयोग कर रहे हैं। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि सन् 2000 तक राख की मात्रा को परिष्करण के द्वारा 34 प्रतिशत तक लाया जा सके।

हम लोग फ्लाई एश मशीन के द्वारा यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं कि हम केवल फ्लाई एश का उपयोग करें। इस समय केवल 5 से 7 प्रतिशत फ्लाई एश का सदुपयोग कर पाते हैं। लेकिन हमें अगले कुछ सालों में 10 से 15 प्रतिशत के लक्ष्य को हासिल करना है क्योंकि हम उसे सीमेन्ट संयंत्रों और एग्रीग्रेटिड कंक्रीट आदि में प्रयोग करने का प्रयास कर रहे हैं। ये अनेक योजनाएं हैं। सदस्यों द्वारा यह कहना उचित नहीं है कि ये रिपोर्ट सही हैं। यह ठीक है कि विकसित देशों में प्रदूषण का स्तर इतना अधिक है कि यदि हमें इस दुनिया में रहना है तो प्रदूषण को हमें ही नियंत्रित करना पड़ेगा। एक बात मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि कोयला हमारे पास उपलब्ध सर्वाधिक सस्ता ईंधन है। हमारे कोयले में सल्फर की अधिक मात्रा नहीं है। इसमें सल्फर की मात्रा काफी कम है। हमारे कोयले में राख की मात्रा अधिक है लेकिन इसका सदुपयोग हो सकता है और हम इसका सदुपयोग करेंगे।

**श्री वरकला राधाकृष्णन :** इस संबंध में दिए गए उत्तर से यह स्पष्ट है कि हमारे ताप विद्युत संयंत्र अपनी संचालन क्षमता का मात्र 40 प्रतिशत हासिल कर पा रहे हैं। यह आपके साथ राज्य मंत्रियों के सम्मेलन में भी रेखांकित हुआ है। अन्तिम उपाय के रूप में सरकार ने सुझाव दिया है कि वे एक प्रारूप केन्द्रीय विधान तैयार करेंगे और वह विधान संसद के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले, इस मामले पर सम्बन्धित राज्य सरकारों के साथ चर्चा की जाएगी। मैं जानना चाहूंगा कि इस पर कहां तक चर्चा की गई है; क्या राज्य सरकारों से उचित रूप से परामर्श किया गया है; क्या उनके विचार जाने गए हैं; और आपकी तथाकथित सुधार प्रक्रिया को तेज करने के लिए केन्द्रीय विधान लाने के निर्णय की वर्तमान स्थिति क्या है।

**श्री पी० आर० कुमारमंगलम :** वास्तव में, हमारे अनुरोध पर राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त अर्थशास्त्र अनुसंधान परिषद द्वारा प्रारूप विधेयक तैयार किया गया था। इस प्रारूप विधेयक की एक प्रति विद्युत मंत्रियों के सम्मेलन में दी गई थी, जो इस वर्ष 26 फरवरी को हुआ था। उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया बताने के लिए समय देने का अनुरोध किया है। आरम्भ में 11 तारीख निर्धारित की गई थी। अब 16 तारीख निर्धारित की गई है, जब राज्य विद्युत बोर्डों और राज्य सरकारों के प्रतिनिधि आयेंगे। हम मामले को टाल नहीं रहे हैं। हम उनकी सहमति का इन्तजार कर रहे हैं क्योंकि हमारा मानना है कि इस मामले पर सहमति की आवश्यकता है। इसमें कोई राजनीति शामिल नहीं है। यह मामला हमारी अर्थव्यवस्था के बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र से संबंधित है और इसमें सहमति विकसित करने की जरूरत है।

*[हिन्दी]*

**प्रो॰ रासा सिंह रावत** (अजमेर) : मान्यवर अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहूंगा कि 26 फरवरी, 2000 को प्रधान मंत्री जी की अध्यक्षता में राज्यों के मुख्यमंत्रियों तथा विद्युत मंत्रियों की एक बैठक हुई थी। उसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय राज्य विद्युत मंडलों के बारे में, विद्युत की सप्लाई के बारे में और खास तौर से बिजली की चोरी, लीकेज को रोकने के बारे में लिए गए थे। उन निर्णयों के अनुपालन के लिए सरकार भविष्य में क्या कार्रवाई करने जा रही है? इसके अलावा राज्य विद्युत मंडलों के अलग-अलग नियमन प्राधिकरण के माध्यम से तीन टुकड़े करने थे। इससे कई राज्यों में हड़ताल की स्थिति पैदा हो गई थी। इसके सम्बन्ध में सरकार का क्या दृष्टिकोण है? मंत्री जी इसे स्पष्ट करने का कष्ट करें।

*[अनुवाद]*

**श्री पी॰ आर॰ कुमारमंगलम** : हमने उत्तर के साथ विद्युत मंत्रियों के सम्मेलन की बैठक में पारित संकल्पों की एक प्रति संलग्न की है, किन्तु फिर भी मैं इस प्रश्न पर सम्बोधित करना चाहूंगा।

**अध्यक्ष महोदय** : यह विद्युत क्षेत्र पर विश्व बैंक की रिपोर्ट से सम्बन्धित प्रश्न है।

*[हिन्दी]*

**प्रो॰ रासा सिंह रावत** : अध्यक्ष महोदय, वर्ल्ड बैंक ने वित्तीय अक्षमता के बारे में कहा है। राज्य विद्युत मंडलों की वित्तीय स्थिति खराब है। वित्तीय अक्षमता को दूर करने के लिए, बिजली की चोरी रोकने के लिए, बिजली की आपूर्ति में सुधार लाने के लिए, कम लागत के लिए और पूरा पैसा वसूल करने के लिए सरकार क्या करने जा रही है?

*[अनुवाद]*

**श्री पी॰ आर॰ कुमारमंगलम** : विश्व बैंक की रिपोर्ट पर्यावरणीय मुद्दों और विद्युत क्षेत्र की वित्तीय स्थिति दोनों से सम्बन्धित है। इसलिए हमने उत्तर के साथ विद्युत मंत्रियों के सम्मेलन में पारित संकल्पों को संलग्न किया है। किन्तु मैं इसमें और विस्तार करना चाहूंगा और कहना चाहूंगा कि विद्युत मंत्रियों के द्वारा ही यह निर्णय किया गया था कि दिसम्बर, 2001 तक सभी उपभोक्ताओं की शत-प्रतिशत मीटरिंग हो जाएगी। यह भी निर्णय किया गया था कि हम इसमें कमी लाएंगे और अन्ततः एक विशिष्ट समयावधि के भीतर बिजली की चोरी को रोक देंगे। प्रत्येक राज्य स्वयं समय-सीमा निर्धारित कर रहे हैं और हमें सूचित कर रहे हैं। क्योंकि बिजली की चोरी के मुद्दे पर कुछ राज्यों की बहुत ही बुरी स्थिति है और कुछ राज्यों की उतनी गम्भीर स्थिति नहीं है। हम उन विद्युत संयंत्रों, जिनके पी.एल.एफ. की बुरी स्थिति है, के नवीकरण और आधुनिकीकरण के लिए विशेष राजसहायता वित्त और अनुदान प्रदान कर रहे हैं और हमें ऐसा करने की आवश्यकता यह सुनिश्चित करने के लिए है कि पी.एल.एफ. में सुधार हो। विद्युत मंत्रियों के सम्मेलन में कुल मिलाकर स्थिति पर एक संयुक्त निर्णय और सहमति बनाने के लिए कि हमें राजस्व मुद्दों पर अत्यधिक ध्यान देने, तकनीकी हानि में अत्यधिक कमी करने, हमारे पी.एल.एफ. और कुशलता में सुधार करने तथा पर्यावरणीय मुद्दों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं सभा को आश्वस्त कर सकता हूं कि विद्युत मंत्री काफी सचेत हैं और यह बात मायने नहीं रखती कि राज्य में कौन-सी पार्टी सत्ता में है और हम सभी एक साथ इन मुद्दों पर ध्यान दे रहे हैं। हमें समस्याओं की जानकारी है और हम इसके प्रति सचेत हैं।

**श्री प्रियरंजन दासमुंशी** : श्रीमान अध्यक्ष महोदय, क्या मैं माननीय मंत्री जी से जान सकता हूं कि इन मुद्दों, विशेषकर पर्यावरण के सम्बन्ध में, पर विश्व बैंक की रिपोर्ट आई, क्या मंत्री जी ने पर्यावरण और वन मंत्रालय के इस सम्बन्ध में विचार जानने के लिए, उसके साथ यह मुद्दा उठाया था? यदि हां, तो उनकी टिप्पणी क्या थी? यह कोयले में अत्यधिक राख की मात्रा के कारण है कि जहां कहीं भी विद्युत परियोजनाएं स्थित हैं, अब तक वे राज्यों अथवा एन.टी.पी.सी. के नियंत्रण में हैं। यह तथ्य है कि इस सम्बन्ध में जनता द्वारा अनेक ज्ञापन भेजे गए थे और मैं कम-से-कम एक विद्युत संयंत्र, कोलाघाट थर्मल पावर संयंत्र को उद्धृत कर सकता हूं, जहां मैं कई बार गया हूं। इसके पास स्थित सभी तालाबों में गाद भरी हुई है और स्थानीय निवासी इस बारे में शिकायत पर शिकायत कर रहे हैं। यहां तक कि बच्चे भी अंधेरा होने के बाद घुटन अनुभव करते हैं। अतः क्या मंत्री जी सभा को सूचित करेंगे कि क्या केन्द्र स्तर पर पर्यावरण और वन मंत्रालय इस रिपोर्ट में निर्धारित मानदंडों पर आपने जो कुछ कहा है उससे सहमत है, जो केन्द्र स्तर पर पर्यावरण और वन मंत्रालय की नीतियों के अनुसार विद्युत संयंत्रों में पर्यावरण स्तर को बनाए रखने के लिए विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित की गई थी? यही एक मुद्दा है जिस बारे में मैं जानना चाहता हूं क्योंकि मैंने जो जानकारी एकत्र की है कि पर्यावरण और वन मंत्रालय इस बारे में बहुत कठोर है, जबकि ऊर्जा मंत्रालय क्या कर *(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : अब मंत्री जी जानकारी देंगे।

**श्री पी॰ आर॰ कुमारमंगलम** : यदि मैं ऐसा कहूं, पहले मुद्दा यह है कि यह रिपोर्ट अक्टूबर, 1999 में विश्व बैंक द्वारा बनाई गई थी। दूसरा मुद्दा यह नहीं है कि हम उसे कायम रख रहे हैं अथवा नहीं किन्तु मुद्दा यह है कि भारतीय विद्युत क्षेत्र की नीतियां पर्यावरणीय स्तर पर हानिकारक और वित्तीय दृष्टि से अर्थक्षम नहीं हैं। अतः नीति को लक्षित किया गया, न कि कार्यान्वियन। हम नीति पर असहमत हैं। इसके कार्यान्वियन के सम्बन्ध में मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि यहां कई ताप-विद्युत संयंत्र हैं—यह वांछनीय है—जिन्हें पर्यावरण और वन मंत्रालय तथा प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा केन्द्र स्तर और राज्य स्तरों पर बनाए गए नियम और विनियमों को अपनाना चाहिए। मैंने इस ओर विद्युत मंत्रियों का ध्यान दिलाया है। वे इस बारे में काफी सचेत हैं और आर. एण्ड एम. कार्यक्रम के अन्तर्गत हम अनुदान यह सुनिश्चित करने के लिए दे रहे हैं कि आधुनिक उपकरणों का उपयोग पर्यावरण की दृष्टि से, यदि मैं उन शब्दों का प्रयोग करूं—पीपीएम घटाने, राख की व्यवस्था करने, राख को निपटाने और कार्बन डाइआक्साइड को घटाने सहित बेहतर कार्यों के लिए करेंगे, इस सम्बन्ध में अनुदान और कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध है। आज राज्य सरकारें और राज्य बिजली बोर्ड (एसईबी) सक्रिय रूप से इस समस्या की जानकारी रखते हैं। मेरा मानना है कि वे इस मुद्दे पर कार्य करना आरम्भ करेंगे।

**श्री प्रियरंजन दासमुंशी** : महोदय, मुझे आपका संरक्षण चाहिए। मैंने पूछा है कि क्या पर्यावरण और वन मंत्रालय विश्व बैंक की रिपोर्ट से सहमत हैं अथवा नहीं। मेरा यह प्रश्न था किन्तु उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया है।

**श्री पी॰ आर॰ कुमारमंगलम** : महोदय, मेरे विचार से इसके लिए नोटिस (सूचना) की आवश्यकता होगी। यह एक विशिष्ट प्रश्न है, जिसके लिए माननीय सदस्य को नोटिस देना होगा।

**अध्यक्ष महोदय** : श्री सुदीप बंद्योपाध्याय।

**श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी** : महोदय, मेरे नाम से भी इसी प्रकार का एक प्रश्न है। यदि आप मुझे अनुमति दें, तो क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूं।

**अध्यक्ष महोदय** : आपकी प्रश्न संख्या क्या है?

**श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी** : यह प्रश्न संख्या 250 है जो इसी प्रकार का है। यदि आप अनुमति दें तो मैं एक-दो प्रश्न पूछना चाहता हूं।

**श्री सुदीप बंद्योपाध्याय** : महोदय, हालांकि प्रश्न काफी स्पष्ट रूप से पूछा गया है, किन्तु मंत्री जी का उत्तर काफी व्यापक है। मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से बताया है कि सरकार पर्यावरण के मुद्दे के सम्बन्ध में इस प्रलेख में परिलक्षित किए गए निष्कर्षों से सहमत नहीं है। एक बार जब सरकार स्पष्ट रूप से यह कहती है कि सरकार इससे सहमत नहीं है, मुद्दा समाप्त हो जाता है। यह पहले पृष्ठ पर ही दिया गया है। श्री दासमुंशी ने पूछा है कि क्या सरकार इससे सहमत है अथवा नहीं और मंत्री जी ने कहा था कि सरकार इससे सहमत नहीं है। यह व्यापक उत्तर है। उन्होंने वृहद् रूप में राज्य विद्युत बोर्डों के कार्यकरण के बारे में उल्लेख किया है। मेरा प्रश्न अन्य पहलुओं से काफी स्पष्ट है। माननीय मंत्री जी ने अलग से, जबकि यह बताना जरूरी नहीं था, यह स्पष्ट किया है कि ऐसे कौन से राज्य विद्युत बोर्ड हैं, जो अर्थक्षम हैं और कौन से ऐसे राज्य विद्युत बोर्ड हैं, जो घाटे में चल रहे हैं, इस प्रश्न का उत्तर पहले ही दे दिया है। मैं माननीय मंत्री जी से एक बात जानना चाहता हूं। निस्सन्देह, कुछ राज्य विद्युत बोर्ड अच्छा लाभ कमा रहे हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश और कुछ अन्य राज्य विद्युत बोर्ड अच्छा लाभ कमा रहे हैं। किन्तु जहां तक राज्य विद्युत बोर्डों के कार्यकरण का प्रश्न है, पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत बोर्ड को 1000 करोड़ रुपये से अधिक का घाटा हुआ है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्र सरकार किसी राज्य विद्युत बोर्ड को अपने नियंत्रण में लेने जा रही है। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्र सरकार द्वारा घाटे में चल रहे राज्य विद्युत बोर्डों को कोई सहायता दी जा रही है। मेरा स्पष्ट रूप से यह प्रश्न है।

**श्री पी॰ आर॰ कुमारमंगलम** : प्रश्न लगभग साफ-साफ पूछा गया है। वर्ष 1998-99 के दौरान पश्चिम बंगाल का घाटा 553.1 करोड़ रुपये था ... *(व्यवधान)*

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : हालांकि यह मुख्य प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है, किन्तु उनके पास एक तैयार उत्तर है। अन्य राज्यों के सम्बन्ध में भी भविष्य में ऐसे उत्तर दिए जाने चाहिएं ... *(व्यवधान)*

**श्री पी॰ आर॰ कुमारमंगलम** : मैं केवल यह पुस्तक उन्हें दूंगा *(व्यवधान)* वास्तव में वरिष्ठ सदस्य मुझ पर आरोप लगा रहे हैं। किन्तु इसका श्रेय उन अधिकारियों को जाता है, जो इस प्रश्न का उत्तर देने में मेरी मदद कर रहे हैं। अतः उन्होंने तुरन्त ही मुझे यह पुस्तक दी है। अन्यथा मैं उनसे सूचना (नोटिस) के लिए कहने ही वाला था। मैं माननीय सदस्य को एक बात सुनिश्चित करना चाहता हूं ... *(व्यवधान)*

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : वह तुरन्त काम करने वाले मंत्री हैं। ... *(व्यवधान)*

**श्री प्रकाश परांजपे** : महोदय, यह दर्शाता है कि 'कम्युनिस्ट' सरकार द्वारा चलाया जा रहा राज्य कैसे कार्य कर रहा है *(व्यवधान)*

**श्री पी॰ आर॰ कुमारमंगलम** : महोदय, वरिष्ठ सदस्यों को टिप्पणी करने की अनुमति है। तब मुझे भी उत्तर देने की अनुमति दें।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पश्चिमी बंगाल राज्य विद्युत बोर्ड की उतनी बुरी स्थिति भी नहीं है, जैसा कि लोग सोच रहे हैं। वास्तव में, आन्ध्र प्रदेश राज्य विद्युत, जिसे बहुत अच्छा बोर्ड माना जा रहा था, वास्तव में 1011.04 करोड़ रुपये का घाटा उठा रहा है। केवल महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड ने ही वर्ष 1998-99 में 196.5 करोड़ रुपये का लाभ कमाया है ... *(व्यवधान)*

**श्री प्रकाश परांजपे** : बहुत बढ़िया।

**श्री पी॰ आर॰ कुमारमंगलम** : लेकिन इस वर्ष मुझे यह कहते हुए खेद हो रहा है कि जब तक महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड प्रेषण और वितरण की समस्या से होने वाले घाटे में सुधार नहीं करता, वह एक बहुत अच्छी बेलेंस शीट (तुलन-पत्र) प्रस्तुत नहीं कर सकता। हमने एक कार्यक्रम बनाया है ... *(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य श्री परांजपे जी, कृपया इस बात को समझिए कि अपनी सीट पर बैठे हुए बोलना ठीक नहीं होता है। यह तो हद हो गई।

**श्री प्रकाश परांजपे** : मुझे अपने राज्य पर गर्व है। ऐसा कहने में गलत क्या है? वे ठीक ढंग से पैसा खर्च कर रहे हैं। दूसरे राज्य ऐसा नहीं कर रहे हैं। हम ऐसा कर रहे हैं ... *(व्यवधान)*

**श्री पी॰ आर॰ कुमारमंगलम** : मेरे विचार से सदन अभी भी सामान्य कार्यवाही जारी रखने के लिए तैयार नहीं हो पाया है ... *(व्यवधान)*

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : प्रश्न काल को खराब करने का एक यह भी तरीका है ... *(व्यवधान)*

**श्री प्रकाश परांजपे** : हमने अपने वरिष्ठ और उत्कृष्ट सांसदों से यह सीखा है कि हमें सदन में कैसा व्यवहार करना चाहिए ... *(व्यवधान)*

**श्री सुदीप बंद्योपाध्याय** : हम मंत्री जी की, बिल्कुल सही उत्तर देने के लिए प्रशंसा करते हैं ... *(व्यवधान)*

**श्री पी॰ आर॰ कुमारमंगलम** : महोदय, मैं इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपकी अनुमति चाहता हूं ... *(व्यवधान)*

**श्री प्रकाश परांजपे :** माननीय सदस्य बीच में व्यवधान क्यों डाल रहे हैं जबकि माननीय मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं? हम माननीय मंत्री जी का भाषण सुन रहे हैं... *(व्यवधान)*

**श्री पी० आर० कुमारमंगलम :** मैं इसका जवाब उन्हें नहीं दे सकता। मैं इसका जवाब आपको दे सकता हूं। यह भी गलत बात है। अब, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप शान्त रहें... *(व्यवधान)*

**श्री प्रकाश परांजपे :** हम माननीय मंत्री जी का बचाव कर रहे हैं।

**श्री सोमनाथ चटर्जी :** वह अपनी देखभाल स्वयं कर सकते हैं।

**श्री पी० आर० कुमारमंगलम :** मैं आपको बताना चाहता हूं कि आन्ध्र प्रदेश उन राज्यों में से एक है जिन्होंने सुधारों के कार्यक्रम को गम्भीरता से लिया है *(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय :** आपस में बोलने की अनुमति नहीं है। यह सब क्या है? यह तो हद हो गई।

**श्री पी० आर० कुमारमंगलम :** यदि वे मुझसे जवाब चाहते हैं तो मैं अवश्य दूंगा। यदि वे ऐसा नहीं चाहते, मुझे जवाब नहीं देना है।

**अध्यक्ष महोदय :** मंत्री महोदय, मैं आपसे कह रहा हूं कि आप अध्यक्ष को सम्बोधित करें। कृपया सदस्यों को सम्बोधित न करें।

**श्री पी० आर० कुमारमंगलम :** मैं दीवारों से बात नहीं कर रहा हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि आंध्र प्रदेश उन राज्यों में से एक राज्य है जिन्होंने सुधार कार्यक्रमों को गंभीरतापूर्वक लिया है। वास्तव में, हिसाब-किताब इतना बुरा लगने का यह भी कारण है कि जब आप सुधार करते हैं तो सच्चाई सामने आ जाती है।

हमने यह उड़ीसा में देखा। हमने यह उत्तर प्रदेश में देखा। यही हमने हरियाणा में देखा कि जब सुधार होते हैं तो लेखों को ध्यान से देखने पर घाटों की सच्चाई सामने आती है तथा प्राय: वो सभी लेखे जो दब जाते हैं वे सामने आते हैं। वास्तव में आप जिन्हें हम संप्रेषण और वितरण घाटे का नाम देते हैं, देश में यह 23 प्रतिशत के लगभग ही होता है। लेकिन जब हम सुचारू रूप से सुधार करते हैं तथा अपना हिसाब-किताब सही ढंग से देखते हैं तो हम 35-40 प्रतिशत तक पहुंच जाते हैं। यह हमने सभी सुधार करने वाले राज्यों में देखा है। यह एक गम्भीर मामला है क्योंकि जैसे चल रहा है वह ठीक नहीं लगता। लेकिन जब हम सुचारू रूप से हिसाब-किताब करते हैं तो और भी खराब स्थिति सामने आती है और यह एक गम्भीर स्थिति है। हम कह चुके हैं कि जो राज्य सुधार प्रक्रिया में लग जाता है, जरूरी नहीं है कि वह उस तरीके के सुधार करे जो हम उन्हें बता रहे हैं अपितु समस्याओं का निवारण अपने तरीके से, जो उसे उपयुक्त लगे, करता है, ऐसे राज्य का साथ देने, उनका समर्थन करने, हमारे पास उपलब्ध धन में से उन्हें धन देने के लिए तथा उन्हें घाटे की वित्तीय स्थिति से बाहर निकालने के लिए सभी संभव स्रोतों से धन उपलब्ध कराने के लिए हम तैयार हैं।

**श्रीमती श्यामा सिंह :** अध्यक्ष महोदय, यह विशेष मामला बिहार राज्य का है। आज हम उन सभी प्रकार की समस्याओं के बारे में बात करते हैं जो बिहार को घेरे हुए है। मैं माननीय अध्यक्ष जी का ध्यान इस मुख्य समस्या की ओर दिलाना चाहती हूं कि 1989 में कांग्रेस सरकार ने बिहार की उन्नति और विकास के लिए एक 'पैकेज' के रूप में हमें एक सुपर ताप विद्युत स्टेशन देने का फैसला किया था। इसी दौरान, हमने औरंगाबाद के नबीन नगर में एक बहुत महत्वपूर्ण सुपर ताप विद्युत स्टेशन लगाए जाने का अवसर खो दिया। माननीय मंत्री जी इस बात से भलीभांति अवगत हैं। मैं आपके माध्यम से उनसे प्रार्थना करना चाहती हूं कि चूंकि इस क्षेत्र में भारी मात्रा में बेरोजगारी तथा नक्सलीवादी समस्या है, इस सुपर ताप विद्युत स्टेशन को मेरे संसदीय क्षेत्र के नबीन नगर इलाके से अचानक हटा लिया गया और बाढ़ क्षेत्र में ले जाया गया तथा जहां तक मुझे पता है बाढ़ में कोयला और पानी दोनों ही कम हैं। यदि यही सुपर ताप विद्युत स्टेशन औरंगाबाद के नबीन नगर में होता, वहां बहुत पानी उपलब्ध था।

**अध्यक्ष महोदय :** महोदय, कृपया इस बात को समझ लें कि यह मामला विद्युत क्षेत्र पर विश्व बैंक की रिपोर्ट से सम्बन्धित है।

*(व्यवधान)*

**श्रीमती श्यामा सिंह :** हां, महोदय, मैं वही बताने वाली हूं। इसका सम्बन्ध विश्व बैंक से है क्योंकि विश्व बैंक औरंगाबाद के नबीन नगर में इस विशेष परियोजना के लगाए जाने के लिए सहायक सिद्ध हो सकता है। मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगी कि वे कृपा करके इस पर ध्यान दें।

**श्री पी० आर० कुमारमंगलम :** नबीन नगर की यह परियोजना एक 'आईबीवी' बननी थी। मूल रूप से यह इसकी बोली की जानी थी लेकिन स्पष्टत: बिहार की स्थिति के कारण कोई भी बोली नहीं लगी। मुझे यह विस्तार में कहने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए वर्तमान सांसद तथा इनके पहले के सांसद मुझसे मिले तथा उन्होंने प्रार्थना की कि राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम को इस परियोजना को अपने हाथों में ले लेना चाहिए। हमने गंभीरता से कहा था कि हम इसकी व्यवहार्यता संबंधी अध्ययन प्रकिया में लगे हैं और हम इसे देखेंगे। महोदय, मैं आपके माध्यम से इन्हें विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम इस परियोजना को बिलकुल भी अनदेखा नहीं करेंगे और मैं यह बिलकुल साफ कर देना चाहता हूं कि नबीन नगर की तुलना में बाढ़ में अधिक पानी उपलब्ध है। इसमें कोई संदेह नहीं की वहां कम कोयला उपलब्ध है... *(व्यवधान)* फिर, गंगा बाढ़ के समीप से होकर बहती है। उत्तरी करनपुरा में हमारी दूसरी परियोजना तैयार हो रही है। लेकिन, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए इस क्षेत्र में काफी कोयला है कि नबीन नगर में दूसरा ताप विद्युत संयंत्र लगाया जा सके। लेकिन, हमें राज्य सरकार के सहयोग की आवश्यकता है। मैं माननीय सांसद का आभारी रहूंगा यदि वह यहां हमारी मदद करें।... *(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न 241 और प्रश्न 250 पूर्ण रूप से भिन्न-भिन्न हैं। इसीलिए दोनों पर एक साथ चर्चा नहीं की जा सकती।

**विवाह का अनिवार्य पंजीकरण**

*243. **श्री के० येरननायडू :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे

(क) क्या विवाह के पंजीकरण को अनिवार्य बनाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री राम जेठमलानी) :** (क) से (ग) भारतीय क्रिश्चियन विवाह अधिनियम, 1872, पारसी विवाह और विवाह-विच्छेद अभिनियम, 1936 और विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के अधीन अनुष्ठापित या किए गए विवाहों का रजिस्ट्रीकरण अनिवार्य है। हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 8 यह उपबंध करती है कि यदि राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह यह उपबंध कर सकेगी कि हिन्दू विवाह रजिस्टर में हिन्दू विवाहों की विशिष्टियों का प्रविष्ट किया जाना उस राज्य में या उसके किसी भाग विशेष में, चाहे सभी दशाओं में, या चाहे ऐसी दशाओं में, जो विनिर्दिष्ट की जाएं, अनिवार्य होगा। कुछ राज्य सरकारों, अर्थात् महाराष्ट्र, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक राज्यों के अपने अपने अधिनियम हैं जिसमें उन राज्यों में विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण उपबंधित है। विशेष विवाह अधिनियम, 1954 से अन्यथा अनुष्ठापित विवाहों का रजिस्ट्रीकरण उक्त अधिनियम की धारा 16 के अधीन तब अनुज्ञेय है जब ऐसे विवाह उस अधिनियम के अध्याय 3 के अधीन यथा अधिकथित कतिपय शर्तों को पूरा करते हों। इसलिए, हिन्दू विवाहों के रजिस्ट्रीकरण को अनिवार्य करने के प्रश्न पर, उन राज्यों में विद्यमान स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार राज्य सरकारों द्वारा विचार किया जा सकता है।

**श्री के॰ येरननायडू :** अध्यक्ष महोदय, हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 8 के अन्तर्गत हिन्दू विवाहों का पंजीकरण अनिवार्य नहीं है। लेकिन राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग तथा राष्ट्रीय महिला आयोग ने विवाह के अनिवार्य पंजीकरण की सिफारिश की है तथा यह कहा है कि विवाह होने के 30 दिन के भीतर विवाह का पंजीकरण किया जाना चाहिए। केन्द्र सरकार ने इस सिफारिश पर क्या कार्यवाही की है? अभी केवल चार राज्य इस सिफारिश को कार्यान्वित कर रहे हैं। बाकी राज्य इसे कार्यान्वित नहीं कर रहे हैं। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग तथा राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा की गई इस सिफारिश पर क्या कार्यवाही कर रही है?

**श्री राम जेठमलानी :** अध्यक्ष महोदय, सिद्धान्त रूप में सरकार इस बात को मानती है कि विवाह का पंजीकरण एक बहुत वांछनीय कदम है। यह वांछनीय है क्योंकि इससे एक विवाह के अस्तित्व का पूर्ण साक्ष्य प्राप्त होता है। यह अफसोस की बात है कि कुछ मुकदमेबाजी में विवाह का ही इनकार कर दिया जाता है। इसलिए हम सभी इसके पक्ष में हैं लेकिन कुछ व्यवहारिक समस्याएं भी हैं। एक व्यवहारिक समस्या यह है कि गांवों में जहां विवाह होते हैं तथा जहां असाक्षरता ज्यादा और है, वहां पर ऐसे उपाय को लागू करना असम्भव है। इसे अनिवार्य बनाने के लिए तथा विवाह के पंजीकरण न होने की स्थिति में, दण्ड के रूप में कुछ राशि देने या जेल में बंद करने की सजा दी जा सकती है या विवाह को ही अवैध घोषित किया जा सकता है। यह एक दूर की सोच है जो हम अभी लागू नहीं कर सकते। वर्तमान में व्यवहारिक तौर पर सभी विवाह का पंजीकरण कराना अनिवार्य है। लेकिन, जहां तक हिन्दू और मुस्लिम विवाहों का संबंध है, जो विशेष विवाह अधिनियम के अन्तर्गत नहीं आते हैं, इनके बारे में हम इन विवाहों के पंजीकरण को अनिवार्य बनाने हेतु कदम उठाने से पहले जनमत तैयार होने देंगे।

महोदय, माननीय सदस्यों को यह एहसास होगा कि यह मुद्दा व्यक्तिगत कानून में दखलंदाजी करने से जुड़ा है। कुछ लोग हैं जो यह तर्क देते हैं कि यदि विवाह के अनिवार्य पंजीकरण की अतिरिक्त आवश्यकता को थोपा जाता है तो यह व्यक्तिगत कानून में दखलंदाजी करना है। इसलिए यह एक बहुत ही संवदेनशील मुद्दा है जिस पर हम तब तक जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाना चाहते जब तक इस पर कोई जनमत न तैयार हो जाए। यदि यह सदन हमसे यह सिफारिश करता है कि विवाह के अनिवार्य पंजीकरण को कार्यान्वित किया जाए तो सरकार को इस कानून को लागू करने में अध्याधिक खुशी होगी।

**श्री के॰ येरननायडू :** महोदय, देश के विभिन्न भागों में महिलाओं और बच्चों का शोषण हो रहा है। अभी हिन्दू विवाह अधिनियम समवर्ती सूची में है। मैं केन्द्र सरकार से जानना चाहूंगा कि वह राज्यों को राज्य विधान सभाओं में कानून में संशोधन करने के लिए परामर्श क्यों नहीं दे रही।

**श्री राम जेठमलानी :** महोदय, मैं माननीय सांसद को विश्वास दिला सकता हूं कि उनके विचारों पर आदरपूर्वक विचार किया जाएगा और यदि हम किसी कदम को उठाने का निर्णय लेंगे भी, तो हम माननीय सांसद तथा सदन को इसकी सूचना अवश्य देंगे।

**डा॰ (श्रीमती) बीट्रिक्स डिसूजा :** अध्यक्ष महोदय, बाहर जाने से पहले लोगों को अपने विवाह का पंजीकरण कराना आवश्यक होता है क्योंकि उन्हें विदेशी कानूनों का पालन करना पड़ता है तथा प्राय: दूसरे विवाह, तथाकथित दूसरे विवाह का पंजीकरण कराया जाता है और पहली पत्नी और बच्चों को छोड़ दिया जाता है। यदि विवाह के पंजीकरण को अनिवार्य बना दिया जाए तो क्या केन्द्र सरकार इस बात को सुनिश्चित करेगी कि पहली कानूनी पत्नी के होते हुए दूसरी और अन्य पत्नियों का पंजीकरण न हो।

**श्री राम जेठमलानी :** महोदय, कानून को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि अवैध विवाहों का पंजीकरण न हो।

**डा॰ (श्रीमती) बीट्रिक्स डिसूजा :** महोदय, यह कोई उत्तर नहीं हुआ। लोग इसके शिकार हैं। विशेषकर महिलाएं इसकी शिकार हैं।

**श्री एन॰ जनार्दन रेड्डी :** अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी की इस बात से बिलकुल सहमत हूं कि इस कानून को लागू करने में व्यवहारिक मुश्किलें हैं। शायद अव्यवस्था और मुश्किलें पैदा होंगी। मेरे विचार से समस्या का इस प्रकार समाधान किया जा सकता है। यदि जनगणना पुस्तक तथा जन्म पंजीकरण पुस्तक रखने वाले ग्राम अधिकारी को विवाह रजिस्ट्रार के रूप में मान्यता दे दी जाए तो इस समस्या का कुछ हद तक हल किया जा सकता है।

मुझे उम्मीद है कि मंत्री महोदय इस पहलू पर विचार करेंगे।

**अध्यक्ष महोदय :** यह मंत्री को एक सुझाव है।

**श्री एन॰ जनार्दन रेड्डी** (नरसारावपेट) : मैं यह जानना चाहता हूं कि मानव अधिकार आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए क्या वह इस सुझाव पर विचार करके इसे कार्यान्वित करेंगे या नहीं इस समस्या को सुलझाएंगे?

**श्री राम जेठमलानी** : यह सुझाव है। मैं इस सलाह के लिए आभारी हूं। इस पर बड़े सम्मानपूर्वक विचार किया जाएगा।

**श्री वैको** : अध्यक्ष महोदय, तमिलनाडु में स्वसम्मान विवाहों का चलन है। सामाजिक न्याय के महान प्रणेता और परिवर्तनवादी, थन्थाई पेरियार और उनके पक्के अनुयायी, स्वर्गीय अरिगनार अन्ना यहां उपस्थित थे। जब अरिगनार अन्ना 1967 में मुख्यमंत्री बने तो स्वसम्मान विवाहों को इस सरकार ने वैधता प्रदान की। स्वसम्मान विवाह का तात्पर्य है, एक-दूसरे का माल्यार्पण और नेताओं द्वारा भाषण देना। पहले इसे वैधता प्रदान नहीं की गई थी।

हमारे माननीय मंत्री भी प्रगतिशील विचारों वाले हैं।

**अध्यक्ष महोदय** : श्री वैको, यह एक छोटा-सा प्रश्न है।

**श्री वैको** : क्या सरकार सभी राज्यों को यह सूचना भेजेगी कि वे तमिलनाडु का अनुसरण करें और ऐसे विवाहों को वैधता प्रदान करें?

मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि क्या केन्द्रीय सरकार का विचार सभी महिलाओं और पुरुषों के लिए ऐसे विवाह अनिवार्य करने का है?

**श्री राम जेठमलानी** : महोदय, मैं जानता हूं कि मेरे मित्र एक अच्छे सुधारवादी राज्य से संबंध रखते हैं। इस आधार पर कि तमिलनाडु राज्य में उनका पालन हो रहा है, अन्य राज्यों को भी इन सुधारों को स्वीकार करने के लिए कहना उचित नहीं है। मैं इस बात का समर्थन नहीं करता कि यह आत्मघाती रास्ता अपनाया जाए।

### केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्राप्त शिकायतें

*244. **श्री चन्द्रभूषण सिंह** : क्या पर्यावरण एवं वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1999 के दौरान "केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी)" को औद्योगिक प्रदूषण संबंधी कुल कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) इन पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने क्या कार्रवाई की है;

(ग) क्या वायु/जल/ध्वनि प्रदूषण के संबंध में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित मानदंडों का कड़ाई से पालन करने के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को कोई दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए उठाए गए कदमों के क्या परिणाम निकले हैं?

**पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी॰ आर॰ बालू)** : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

#### विवरण

(क) वर्ष 1999 के दौरान केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) को औद्योगिक प्रदूषण से संबंधित 123 शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ख) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा की गई कार्रवाई इस प्रकार है :

(i) शिकायतें संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (सीपीसीबी)/प्रदूषण नियंत्रण समितियों को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी गई है।

(ii) जिन मामलों में तत्काल कार्रवाई करनी आवश्यक होती है उनमें केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीमें शिकायत के बारे में बात करने के लिए स्थलों, संबंधित उद्योगों और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/प्रदूषण नियंत्रण समितियों का दौरा करती हैं।

(iii) स्थलों के दौरों के आधार पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/प्रदूषण नियंत्रण समितियों को दोषी उद्योगों के विरुद्ध कार्रवाई करने को कहा गया है। कुछ मामलों में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों ने उद्योगों को निर्देश दिए हैं और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/प्रदूषण नियंत्रण समितियों को अनुवर्ती कार्रवाई करने को कहा गया है।

(iv) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने औद्योगिक यूनिटों को प्रदूषण नियंत्रण उपायों के लिए तकनीकी सलाह मुहैया की है; और

(v) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने भी दोषी औद्योगिक यूनिटों के विरुद्ध यथाप्रस्तावित कार्रवाई की है।

(ग) जी, हां।

(घ) किए गए उपायों से दोषी औद्योगिक यूनिटों की संख्या में कमी आई है।

*[हिन्दी]*

**श्री चन्द्र भूषण सिंह** : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने प्रश्न के उत्तर "ख" भाग के नम्बर वन पर बताया है कि राज्य प्रदूषण बोर्ड ने प्रदूषण नियंत्रण समितियों को कार्यवाही के लिए निर्देशित किया है। मेरा मंत्री जी से पूछना है कि क्या इसके लिए उन्होंने कोई समय निश्चित किया है? वे इसकी समय सीमा निश्चित करके बताएं कि उन्होंने उस पर क्या कार्यवाही की है।

मेरा दूसरा सवाल यह है कि राज्य प्रदूषण बोर्ड और प्रदूषण नियंत्रण समितियों की जगह आयोग बनाने की कोई योजना सरकार के दिमाग में है क्योंकि आयोग बनने से निर्णय होने में आसानी रहेगी। उसके साथ-साथ मेरा तीसरा सवाल यह है कि आपने लिखा है कि किए गए उपायों को *(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : आप यह दूसरे अनुपूरक प्रश्न में पूछिए।

**श्री चन्द्र भूषण सिंह** : ठीक है, महोदय।

**श्री टी॰ आर॰ बालू** : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमें 123 शिकायतें मिली हैं। उनमें से केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 20 उद्योगों को दोषी पाया है। उन्होंने सीधे कार्यवाही की है। अन्य 103 शिकायतों को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास भेज दिया गया है। वे उचित कार्यवाही कर रहे हैं।

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को समयबद्ध कार्यवाही करने और शिकायत की प्रकृति का अनुमान लगाने की सलाह दी गई है। तत्पश्चात्, वे दोषी उद्योगों को मशविरा देंगे। वे तकनीकी सलाह देंगे। अग्रेतर, यदि वे समुचित मानदंडों का पालन नहीं कर रहे हैं, तो वे 15 दिन का नोटिस जारी करेंगे *(व्यवधान)* तिस पर भी यदि वे सुधारात्मक कदम नहीं उठाएंगे, तो दोषी उद्योगों के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी।

**अध्यक्ष महोदय** : केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अलावा क्या सरकार कोई आयोग गठित करेगी।

**श्री टी॰ आर॰ बालू** : इस प्रकार आयोग गठित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। हमारे यहां राज्यों में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हैं और संघ राज्य क्षेत्रों में समितियां हैं।

*[हिन्दी]*

**श्री चन्द्र भूषण सिंह** : अध्यक्ष महोदय, मैंने समय-सीमा डिस्पोजल के बारे में बात जाननी चाही थी कि केसेज का डिस्पोजल टाईमली करने में आपने क्या कार्यवाही का प्रावधान किया है?

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : क्या कोई समय-सीमा निर्धारित है?

**श्री टी॰ आर॰ बालू** : महोदय, सबसे पहले हमें शिकायतों की प्रकृति देखनी होगी। यदि उद्योग समुचित उपकरण इत्यादि लगाने हेतु आगे आते हैं तो हम उन्हें इसी अवस्था में छोड़ सकते हैं परन्तु यदि वे दोषी उद्योग हैं तो हमें समझना होगा कि शिकायत कैसी है और फिर स्थिति अनुसार कार्यवाही होगी *(व्यवधान)*

**श्री चन्द्र भूषण सिंह** : मैं समय-सीमा के बारे में पूछ रहा हूं।

**श्री टी॰ आर॰ बालू** : सबसे पहले, हमें शिकायत के बारे में जानना होगा। समय-सीमा एक से छह महीने तक है।

*[हिन्दी]*

**श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी** : अध्यक्ष महोदय, मैंने नियम 377 के अंतर्गत मूला सहकारी शुगर कारखाने की वजह से निकले हुए प्रदूषण के बारे में सवाल उठाया था। लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। वह तीर्थ क्षेत्र है जहां आज भी लोगों को गंदा पानी पीना पड़ता है। राज्य सरकार द्वारा जो अधिकारी नियुक्त किए हुए हैं, उनका तालमेल न होने की वजह से आज दो महीने बाद भी उन पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उस पर क्या कार्रवाई हुई है?

*[अनुवाद]*

**श्री टी॰ आर॰ बालू** : महोदय, मुझे उसके संबंध में नोटिस देना है।

*[हिन्दी]*

**श्री भेरूलाल मीणा** : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न बोर्ड से है लेकिन इससे संबंधित है। मुझे पूरा बोलने दें। प्रदूषण रोकने के लिए बोर्ड बनाए जा रहे हैं, दुनिया भर का खर्च हो रहा है। शहरों में जो गाड़ियां चलती हैं, उनके ऊपर एक लेबल लगाते हैं कि प्रदूषण न करें। केवल पांच रुपये लेकर उसके ऊपर लेबल लगा देते हैं। लेकिन गाड़ियों से इतना धुआं निकलता है कि पीछे वाली गाड़ी को नजर नहीं आता। क्या केवल पांच रुपये के लिए लेबल लगाया जाता है या प्रदूषण रोकने के लिए लगाया जाता है?

वन विभाग प्रदूषण रोकने के लिए वृक्षारोपण पर करोड़ों रुपये खर्च करता है लेकिन वृक्षारोपण करना तो दूर जो पेड़ हैं, वे भी कटकर खत्म हो गए। मैं जानना चाहता हूं कि यदि ऐसे काम चलेगा तो कैसे होगा?

*[अनुवाद]*

**श्री टी॰ आर॰ बालू** : हम लोगों के साथ-साथ सदस्यों द्वारा की गई शिकायतों के बारे में भी जानते हैं।

जहां तक वाहन से निकलने वाले धुएं से संबंधित मानदंडों का संबंध है, हम वर्ष 1991, 1996 और 2000 में पहले ही कार्यवाही कर चुके हैं और यूरो-II मानदंडों को 1.4.2000 से अनिवार्य कर दिया गया है, जो बाद में मुम्बई और कलकत्ता में भी लागू किए जाएंगे। माननीय सदस्य ने जो अभी शिकायतें की हैं, उनकी हमें जानकारी है। अतः हम, निश्चित रूप से यूरो-II मानदंडों का ध्यान रखेंगे।

*[हिन्दी]*

**श्री भेरूलाल मीणा** : कुछ ठोस कार्य होना चाहिए।

**अध्यक्ष महोदय** : यह सैंट्रल पौल्यूशन बोर्ड का प्रश्न है और आपने स्टेट गवर्नमेंट पौल्यूशन के बारे में प्रश्न पूछा है।

**डा॰ गिरिजा व्यास** : अध्यक्ष महोदय, पौल्यूशन कंट्रोल एक्ट, 1986 की अनुपालना कुछ सालों तक कड़ाई के साथ राज्यों और केन्द्र द्वारा हुई थी। लेकिन विगत कुछ सालों में उस एक्ट में ढिलाई बरती जा रही है। मैं जानना चाहती हूं कि क्या मंत्री जी के पास उन राज्यों का ब्यौरा है जो इस एक्ट की अनुपालना नहीं कर रहे हैं? केन्द्र में भी उसकी कड़ाई से अनुपालना नहीं हो रही है, उसके क्या कारण हैं?

*[अनुवाद]*

**श्री टी॰ आर॰ बालू** : मुझे इस बात का खेद है कि माननीय सदस्य से मेरे मतभेद हैं। वास्तव में, हम और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दोनों ही समुचित कार्यवाही कर रहे हैं। वास्तव में, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 163 मामलों में स्वतः कार्यवाही की है। साथ ही, 434 मामलों में न्यायालय के निर्देशानुसार कार्यवाही की गई है।

चूंकि, के० प्र० नि० बो० और रा० प्र० नि० बो० दोनों ही विवेकपूर्ण और समुचित कार्यवाही कर रहे हैं, अत: मेरा माननीय सदस्य से मत-वैभिन्नय है।

*[हिन्दी]*

### वन रोपण का लक्ष्य

246. **श्री बृजलाल खाबरी :**

**श्री पी० आर० खूंटे :**

क्या पर्यावरण एवं वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नौवीं पंचवर्षीय योजना में देश के विभिन्न राज्यों के लिए वनरोपण के संबंध में राज्यवार क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना में इस संबंध में निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए राज्यवार कितनी धनराशि आबंटित की गई थी;

(ग) क्या उक्त योजना अवधि के दौरान लक्ष्य की प्राप्ति हुई थी; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

*[अनुवाद]*

**पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी० आर० बालू)** : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

*[अनुवाद]*

### विवरण

(क) प्रत्येक राज्य और संघशासित प्रदेश के लिए वनीकरण तथा वृक्षारोपण संबंधी लक्ष्य प्रति वर्ष निर्धारित किए जाते हैं। वर्ष 1997-98, 1998-99 और 1999-2000 संबंधी लक्ष्य अनुबंध-I में दिए गए हैं।

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना में वनीकरण हेतु राज्यवार आबंटन अनुवबंध-II में दिया गया है।

(ग) और (घ) कुल लक्ष्य की तुलना में आठवीं योजना की उपलब्धि लगभग 92 प्रतिशत थी। उपलब्धि में कमी का मुख्य कारण धनराशि अपर्याप्त होना था।

### अनुबंध-I

*नौवीं योजना के पहले तीन वर्षों के दौरान (1997-98 से 1999-2000) वनीकरण और वृक्षारोपण हेतु राज्यवार लक्ष्य*

| क्रम सं० | राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम | 1997-98 लक्ष्य | | 1998-99 लक्ष्य | | 1999-2000 लक्ष्य | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | पौद वितरण (निजी भूमियों पर रोपण हेतु) | क्षेत्र (वन भूमियों सहित सार्वजनिक भूमियां) | पौद वितरण (निजी भूमियों पर रोपण हेतु) | क्षेत्र (वन भूमियों सहित सार्वजनिक भूमियां) | पौद वितरण (निजी भूमियों पर रोपण हेतु) | क्षेत्र (वन भूमियों सहित सार्वजनिक भूमियां) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 1100.00 | 50000 | 1100.00 | 55000 | 2000.00 | 150000 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 7.00 | 10000 | 7.00 | 10000 | 7.00 | 10000 |
| 3. | असम | 25.00 | 27000 | 25.00 | 27000 | 25.00 | 27000 |
| 4. | बिहार | 500.00 | 40000 | 500.00 | 40000 | 500.00 | 40000 |
| 5. | गोवा | 30.00 | 1800 | 30.00 | 1800 | 10.00 | 600 |
| 6. | गुजरात | 1900.00 | 65000 | 1900.00 | 70000 | 1900.00 | 70000 |
| 7. | हरियाणा | 200.00 | 32000 | 200.00 | 32000 | 200.00 | 32000 |
| 8. | हिमाचल प्रदेश | 20.00 | 30000 | 20.00 | 30000 | 20.00 | 30000 |
| 9. | जम्मू एवं कश्मीर | 60.00 | 24000 | 60.00 | 24000 | 60.00 | 24000 |
| 10. | कर्नाटक | 400.00 | 65000 | 400.00 | 68000 | 500.00 | 90000 |
| 11. | केरल | 180.00 | 19000 | 180.00 | 19000 | 180.00 | 19000 |
| 12. | मध्य प्रदेश | 450.00 | 150000 | 450.00 | 150000 | 450.00 | 150000 |
| 13. | महाराष्ट्र | 1150.00 | 126000 | 1150.00 | 126000 | 1150.00 | 126000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14. | मणिपुर | 25.00 | 12000 | 25.00 | 12000 | 25.00 | 12000 |
| 15. | मेघालय | 40.00 | 18000 | 40.00 | 18000 | 40.00 | 18000 |
| 16. | मिजोरम | 22.00 | 19800 | 22.00 | 19800 | 22.00 | 19800 |
| 17. | नागालैण्ड | 60.00 | 8000 | 60.00 | 8000 | 60.00 | 8000 |
| 18. | उड़ीसा | 300.00 | 79000 | 300.00 | 87000 | 300.00 | 87000 |
| 19. | पंजाब | 52.00 | 20000 | 52.00 | 20000 | 52.00 | 20000 |
| 20. | राजस्थान | 400.00 | 83000 | 400.00 | 85000 | 400.00 | 85000 |
| 21. | सिक्किम | 22.00 | 11000 | 22.00 | 11000 | 22.00 | 11000 |
| 22. | तमिलनाडु | 1100.00 | 85000 | 1100.00 | 90000 | 1100.00 | 120000 |
| 23. | त्रिपुरा | 40.00 | 10000 | 40.00 | 10000 | 40.00 | 10000 |
| 24. | उत्तर प्रदेश | 2200.00 | 110000 | 2200.00 | 110000 | 2200.00 | 110000 |
| 25. | पश्चिम बंगाल | 825.00 | 44000 | 825.00 | 44000 | 825.00 | 44000 |
| 26. | अंडमान व निकोबार द्वीप | 5.00 | 4500 | 5.00 | 4700 | 2.00 | 3500 |
| 27. | चंडीगढ़ | 0.10 | 500 | 0.10 | 500 | 0.10 | 100 |
| 28. | दादर व नगर हवेली | 16.00 | 1000 | 16.00 | 1000 | 5.00 | 300 |
| 29. | दमन व दीव | 2.00 | 50 | 2.00 | 50 | 0.25 | 30 |
| 30. | दिल्ली | 25.00 | 1000 | 25.00 | 1000 | 25.00 | 1000 |
| 31. | लक्षद्वीप | 5.00 | 75 | 5.00 | 75 | 5.00 | 75 |
| 32. | पांडिचेरी | 5.00 | 75 | 5.00 | 75 | 5.00 | 75 |
| | कुल | 11166.10 | 1146800 | 11166.10 | 1175000 | 12130.35 | 1318480 |
| | राष्ट्रीय क्षेत्र मि० है० में (2000 पौद=1 है०) | | 1.71 | | 1.73 | | 1.92 |

## अनुबंध-II

*आठवीं योजना के दौरान वनीकरण हेतु आबंटित धनराशियों का राज्यवार ब्यौरा*

लाख रुपये में

| क्र०सं० | राज्य/संघ क्षेत्र | आबंटन |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 6046.15 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 2931.73 |
| 3. | असम | 8775.49 |
| 4. | बिहार | 7640.48 |
| 5. | गोवा | 1212.20 |
| 6. | गुजरात | 34834.35 |
| 7. | हरियाणा | 20058.44 |
| 8. | हिमाचल प्रदेश | 16366.78 |
| 9. | जम्मू एवं कश्मीर | 8810.04 |
| 10. | कर्नाटक | 13172.68 |
| 11. | केरल | 2715.00 |
| 12. | मध्य प्रदेश | 24424.35 |
| 13. | महाराष्ट्र | 51808.19 |
| 14. | मणिपुर | 1871.84 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 15. | मेघालय | 4934.73 |
| 16. | मिजोरम | 4387.69 |
| 17. | नागालैण्ड | 1107.03 |
| 18. | उड़ीसा | 10693.55 |
| 19. | पंजाब | 5126.82 |
| 20. | राजस्थान | 72096.29 |
| 21. | सिक्किम | 3123.87 |
| 22. | तमिलनाडु | 24793.70 |
| 23. | त्रिपुरा | 1389.84 |
| 24. | उत्तर प्रदेश | 35311.68 |
| 25. | पश्चिम बंगाल | 18704.86 |
| 26. | अंडमान व निकाबोर द्वीप | 638.22 |
| 27. | चंडीगढ़ | 164.45 |
| 28. | दादर व नगर हवेली | 731.96 |
| 29. | दमन व दीव | 78.52 |
| 30. | दिल्ली | 1131.94 |
| 31. | लक्षद्वीप | 16.00 |
| 32. | पांडिचेरी | 478.14 |
| | कुल | 385577.01 |

*[हिन्दी]*

**श्री बृजलाल खाबरी (जालौन) :** माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय वन और पर्यावरण मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि नवीं पंचवर्षीय योजना में देश के विभिन्न राज्यों में वृक्षारोपण के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, उसके बारे में अभी तक जो भी सूचना आपके पास आई हो, वह सदन को बताने का कष्ट करें। प्रश्न के भाग ख में आठवीं पंचवर्षीय योजना के सम्बन्ध में निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए राज्यवार कितनी धनराशि आबंटित की गई है, उसके बारे में भी मैं जानकारी चाहूंगा?

**श्री टी॰ आर॰ बालू :** सातवीं पंचवर्षीय योजना में, वृक्षारोपण कार्यक्रम 2426 योजनाओं के अन्तर्गत दिया गया। आठवीं योजना में यह आंकड़ा 3686 था। नौवीं योजना में यह 6300 था। 100 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। जहां तक लक्ष्य का संबंध है, आठवीं पंचवर्षीय योजना में 86,51,457 हैक्टेयर क्षेत्र का लक्ष्य है। उपलब्धि यह है कि 79,50,061 हैक्टेयर क्षेत्र विकसित किया गया है। यह प्रतिशत 91.89 है।

*[हिन्दी]*

**श्री बृजलाल खाबरी :** माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से प्रश्न के भाग घ में पूछना चाहूंगा कि क्या योजनावधि के दौरान लक्ष्य की प्राप्ति हुई है। यदि नहीं हुई है तो इसके क्या कारण हैं?

*[अनुवाद]*

**श्री टी॰ आर॰ बालू :** आठवीं योजना में हमने 91.89 प्रतिशत की प्राप्ति हुई है। सभा की जानकारी के लिए, मुझे यह घोषणा करते हुए गर्व होता है कि आठवीं योजना में आन्ध्र प्रदेश ने 94.89 प्रतिशत प्राप्त किया है, जबकि नौवीं योजना में 153.12 प्रतिशत की प्राप्ति हुई। कर्नाटक में 97.57 प्रतिशत की प्राप्ति हुई है। नौवीं योजना में यह 111.04 प्रतिशत है। योजनावधि अभी पूरी नहीं हुई है। आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटक को 100 प्रतिशत से भी अधिक लक्ष्य-प्राप्ति हुई है। गुजरात, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, पांडिचेरी, दमन और दीव, उड़ीसा, त्रिपुरा, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, सिक्किम, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र को 70 और 100 प्रतिशत के बीच लक्ष्य-प्राप्ति हुई है। अन्य राज्यों में यह प्रतिशत 70 से भी कम है।

*[हिन्दी]*

**श्री पी॰ आर॰ खूंटे :** माननीय अध्यक्ष जी, इसी से संबंधित मेरा भी प्रश्न है। माननीय मंत्री जी के पास जो आंकड़े आए हुए हैं कि भारत सरकार के द्वारा विभिन्न राज्यों में 3,85,577.01 लाख रुपये की धनराशि खर्च की गई है, इसी सन्दर्भ में मध्य प्रदेश में 24,424.35 लाख रुपये वृक्षारोपण कार्यक्रम पर खर्च किए गए हैं। क्या इतनी धनराशि खर्च करने के बाद कार्यक्रम के जो लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, उन्हें पूरा किया गया है? यदि नहीं किया गया है तो उसके क्या कारण हैं? इसमें कितने वृक्षारोपण के कार्यक्रम सफल हुए हैं और कितने असफल हुए हैं, क्या इस सन्दर्भ में राज्यवार ब्यौरा माननीय मंत्री जी के पास है? इसमें भ्रष्टाचार के जो केसेज मध्य प्रदेश से आ रहे हैं, क्या उसमें कार्यवाही करने की कोई कार्ययोजना बनी है?

*[अनुवाद]*

**मध्याह्न 12.00 बजे**

**श्री टी॰ आर॰ बालू :** महोदय, 1992 में मध्य प्रदेश को आठवीं योजना में 24,424.35 लाख रुपये दिए थे जबकि केवल 23,203.59 रुपये ही व्यय हुए थे। यह पूरी धनराशि खर्च नहीं की गई। उसी समय, नौवीं योजना में, मध्य प्रदेश को 2,07,500 लाख रुपये का परिव्यय दिया गया है। किसी राज्य, विशेष को वनों के संबंध में कुल परिव्यय 44,709 लाख रुपये ... *(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय :** कभी-कभार, मंत्री महोदय को उत्तर देते समय ध्यान से देखना चाहिए। आप शेष उत्तर माननीय सदस्य को भेज सकते हैं।

---

## प्रश्नों के लिखित उत्तर

### चुनाव खर्च

*242. **श्री अवतार सिंह भडाना :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चुनावों पर बढ़ते हुए खर्च को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

*(ख) लोक सभा और विधान सभा की प्रत्येक सीट के लिए चुनाव करवाने पर वर्तमान में अनुमानत: कितनी राशि खर्च की जा रही है?*

**विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री राम जेठमलानी) :** (क) संविधान ने, संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के सभी निर्वाचनों के अधीक्षण, निदेशन, नियंत्रण और संचालन की जिम्मेदारी भारत के निर्वाचन आयोग को सौंपी है। निर्वाचन आयोग ने, अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन संबंधी व्यय पर रोक लगाने के लिए कई उपाय किए हैं। इन उपायों में एक उपाय आयोग द्वारा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में व्यय-प्रेक्षकों की नियुक्ति है जो अभ्यर्थियों के दैनिक खर्च पर निगरानी रखते हैं। आयोग ऐसे अभ्यर्थियों को निरर्हित करने संबंधी कार्रवाई करता है जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अधीन अपनी व्यय संबंधी विवरणी फाइल नहीं करते हैं।

इसके अतिरिक्त, अभ्यर्थियों के निर्वाचन प्रचार पर व्यय को कम करने के लिए आयोग द्वारा प्रसार भारती से परामर्श करके उन्हें इलैक्ट्रानिक प्रचार माध्यम से प्रचार करने के लिए नि:शुल्क समय दिया जाता है। प्रचार अवधि घटाकर 14 दिन करने और आदर्श आचार संहिता प्रवृत्त करने की बाबत आयोग के अनुदेशों से भी निर्वाचन संबंधी व्यय पर रोक लगाने में सहायता मिली है।

(ख) राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचनों के संचालन संबंधी सम्पूर्ण व्यय की पूर्ति सम्बद्ध राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (विधान-मंडलों वाले) की सरकार द्वारा अपनी-अपनी समेकित निधियों से की जाती है। लोक सभा के निर्वाचनों के संचालन के लिए सम्पूर्ण व्यय की पूर्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है। ऐसे निर्वाचनों के संचालन की बाबत व्यय की भारत सरकार और राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों (विधान-मंडलों वाले) के बीच तब बराबरी की हिस्सेदारी होती है, जब लोक सभा और राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों की विधान सभाओं के निर्वाचन साथ-साथ कराए जाते हैं। तथापि, लोक सभा और विधान सभाओं के प्रत्येक निर्वाचन के संचालन की बाबत व्यय की अनुमानित राशि के आंकड़े न तो रखे जाते हैं और न ही व्यावहारिक रूप से उन्हें रखा जाना संभव है, जैसा कि माननीय सदस्य चाहते हैं।

## भारतीय नौवहन निगम में सरकार की शेयरधारिता

***245. श्री अजय चक्रवर्ती :** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का भारतीय नौवहन निगम में अपनी शेयर-धारिता को पचास प्रतिशत से कम करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री राजनाथ सिंह) :** (क) और (ख) विनिवेश आयोग ने अपनी चौथी रिपोर्ट में भारतीय नौवहन निगम (एससीआई) में शेयरों के विनिवेश के लिए सिफारिश की थी। आयोग ने अन्य बातों के साथ-साथ भा.नौ.नि. के 40 प्रतिशत शेयरों को तेल सेक्टर की कम्पनियों में विनिवेश करने की सिफारिश की जोकि पहले ही विनिवेश किए जा चुके 20 प्रतिशत शेयरों के अतिरिक्त थे। तेल सेक्टर की कम्पनियों ने संकेत दिया है कि वे भा.नौ.नि. की इक्विटी खरीदने के लिए उत्सुक नहीं हैं। यह मामला विचाराधीन है।

## ग्रामीण विद्युतीकरण

***247. श्री रामटहल चौधरी :**
**श्री चन्द्रकान्त खैरे :**

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य-वार कितने गांवों का विद्युतीकरण अभी भी किया जाना है;

(ख) क्या ग्रामों का विद्युतीकरण केवल एल.टी. लाइनों का उपयोग करके ही किया जा रहा है;

(ग) यदि नहीं, तो कितने गांवों का विद्युतीकरण अन्य प्रकार से किया जा रहा है;

(घ) क्या अनेक राज्यों में यह कार्य वित्तीय कठिनाइयों के कारण पूरा नहीं हो पा रहा है;

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की जा रही है;

(च) क्या इस प्रयोजनार्थ कोई समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया गया है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ज) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**विद्युत मंत्री तथा खान और खनिज मंत्री (श्री पी० आर० कुमारमंगलम) :** (क) 1991 की जनगणना के अनुसार 1.2.2000 तक देश में विद्युतीकृत गांवों सहित विद्युतीकृत किए जाने वाले गांवों की कुल संख्या का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) और (ग) सामान्यत: दूरस्थ अथवा दुर्गम क्षेत्रों में अवस्थित गांवों को छोड़कर जहां ग्रिड का विस्तार खर्चीला एवं अमितव्ययी होगा और जहां आबादी के कारण भार का विस्तार असंभव है, शेष गांवों को एलटी लाइनों द्वारा विद्युतीकृत किया जाना है। दूरस्थ अवस्थित गांवों को गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोतों के जरिए विद्युतीकृत करने का प्रस्ताव है।

(घ) अधिकांश गैर-विद्युतीकृत गांव सामान्य रूप से सुदूर क्षेत्रों में हैं तथा जन-जातीय हैं। धीमे विकास के मुख्य कारण हैं : राज्य विद्युत बोर्डों के समक्ष वित्तीय समस्याएं, अपर्याप्त संवितरण प्रणाली सुविधाएं, कुछ राज्यों में व्याप्त अशान्ति, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को बकाया राशि का भुगतान न होना, जिससे नकद प्रवाह ठप्प है, उपभोक्ताओं से उनके पिछड़ेपन एवं आर्थिक स्थिति के कारण मांग नहीं होना इत्यादि हैं।

(ङ) से (ज) वर्ष 1999-2000 के दौरान ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने राज्य विद्युत बोर्डों/राज्य सरकारों के बिजली विभागों द्वारा प्रायोजित विभिन्न ग्रामीण विद्युतीकरण स्कीमों के लिए 2586.12 करोड़ रुपये का ऋण स्वीकृत किया है। स्कीमों एवं स्वीकृत ऋण राशि का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

नौवीं योजनावधि के प्रथम तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण विकास निगम ने 7000 गांवों का विद्युतीकरण एवं 7,40,000 पम्पसेटों का ऊर्जीकरण

करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। निर्धारित लक्ष्य में से ग्रामीण विद्युतीकरण निगम दिसम्बर, 1999 तक 6281 गांवों का विद्युतीकरण एवं 6,49,000 पम्पसेटों का ऊर्जीकरण कर चुका है।

नौवीं योजना के दौरान अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय द्वारा 3 लाख सोलर लालटेन, 2 लाख होम लाइटिंग प्रणाली, 4000 पम्पों एवं ग्रामीण विद्युत संयंत्रों के 2.1 मेगावाट तथा स्ट्रीट लाइटों के अलावा अन्य प्रणालियों की स्थापना संबंधी परियोजनाओं में सहायता देने का प्रस्ताव है। यह फोटोवोल्टेक विकल्प के जरिए किया जाएगा।

विवरण-I

| क्रम स० | राज्य | कुल बसे हुए गांव (1991 की जनगणना) | 31.1.2000 की स्थितिनुसार विद्युतीकृत गांव | 1.2.2000 की स्थितिनुसार विद्युतीकृत किए जाने वाले गांव | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 26586 | 26565 | शून्य | विद्युतीकरण के लिए घोषित एवं अव्यवहारिक गांव |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 3649 | 2147 | 1502 | |
| 3. | असम | 24685 | 19019 | 5666 | |
| 4. | बिहार | 67513 | 47862 | 19651 | |
| 5. | गोवा | 360 | 360 | शून्य | |
| 6. | गुजरात | 18018 | 17940 | शून्य | विद्युतीकरण के लिए घोषित एवं अव्यवहारिक गांव |
| 7. | हरियाणा | 6759 | 6759 | शून्य | |
| 8. | हिमाचल प्रदेश | 16997 | 16823 | 174 | |
| 9. | जम्मू एवं कश्मीर | 6477 | 6315 | 162 | |
| 10. | कर्नाटक | 17066 | 16680 | 99 | शेष 287 गांवों को विद्युतीकरण के लिए अव्यवहारिक |
| 11. | केरल | 1384 | 1384 | शून्य | घोषित कर दिया है। |
| 12. | मध्य प्रदेश | 71526 | 68304 | 3222 | |
| 13. | महाराष्ट्र | 40412 | 40412 | शून्य | |
| 14. | मणिपुर | 2182 | 2001 | 181 | |
| 15. | मेघालय | 5484 | 2510 | 2974 | |
| 16. | मिजोरम | 698 | 691 | 7 | |
| 17. | नागालैण्ड | 1216 | 1163 | 53 | |
| 18. | उड़ीसा | 46989 | 35125 | 11864 | |
| 19. | पंजाब | 12428 | 12428 | शून्य | |
| 20. | राजस्थान | 37889 | 35133 | 2756 | शेष 42 गांवों को विद्युतीकरण के लिए अव्यवहारिक |
| 21. | सिक्किम | 447 | 405 | शून्य | घोषित कर दिया है। |
| 22. | तमिलनाडु | 15822 | 15822 | शून्य | |
| 23. | त्रिपुरा | 855 | 810 | 45 | |
| 24. | उत्तर प्रदेश | 112803 | 89003 | 23800 | |
| 25. | पश्चिम बंगाल | 37910 | 29558 | 8352 | |
| | जोड़ (राज्य) | 586165 | 505219 | 80509 | विद्युतीकरण के लिए घोषित अव्यवहारिक गांव |
| | जोड़ (यूटीएस) | 1093 | 1090 | शून्य | विद्युतीकरण के लिए घोषित अव्यवहारिक गांव |
| | जोड़ (अखिल भारत) | 587258 | 506309 | 80508 | |

### विवरण-II

*वर्ष 1999-2000 के दौरान ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा मंजूर स्कीमों का राज्यवार ब्यौरा*

(लाख रुपये में)

| क्र.सं. | राज्य | मंजूर स्कीम | |
|---|---|---|---|
| | | संख्या | ऋण राशि |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 74 | 22559 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 32 | 2947 |
| 3. | गोवा | 4 | 229 |
| 4. | गुजरात | 49 | 8995 |
| 5. | हरियाणा | 67 | 20656 |
| 6. | हिमाचल प्रदेश | 11 | 4713 |
| 7. | जम्मू एवं कश्मीर | 7 | 6230 |
| 8. | कर्नाटक | 148 | 41212 |
| 9. | केरल | 139 | 31325 |
| 10. | मध्य प्रदेश | 76 | 6096 |
| 11. | महाराष्ट्र | 157 | 24915 |
| 12. | मणिपुर | 12 | 3464 |
| 13. | पंजाब | 25 | 6012 |
| 14. | राजस्थान | 118 | 26365 |
| 15. | तमिलनाडु | 106 | 23318 |
| 16. | त्रिपुरा | 11 | 1853 |
| 17. | उत्तर प्रदेश | 86 | 27723 |
| | कुल | 1122 | 258612 |

### एल० पी० जी० का उत्पादन

*248. डा० संजय पासवान : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस **मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल समन्वय समिति ने एल० पी० जी० की घरेलू मांग को पूरा करने के लिए तेलशोधक कम्पनियों को अनिवार्य रूप से एल० पी० जी० का उत्पादन करने का निदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सभी तेलशोधक कारखानों ने हाल ही में अपने उत्पादन में अत्यधिक कमी की है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या भारत और पड़ोसी-देशों के पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में भारी अंतर है; और

(च) यदि हां, तो देश-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक) :** (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) अप्रैल, 1999 से फरवरी, 2000 की अवधि के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र की रिफाइनरियों में क्रूड का संसाधन मूल अनुमानों से अधिक रहा है। तथापि, मंगलौर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (एमआरपीएल), मंगलौर और रिलायन्स पेट्रोलियम लिमिटेड (आरपीएल), जामनगर में क्रूड संसाधन मूल अनुमानों से कम है।

(घ) एमआरपीएल, मंगलौर में क्रूड का संसाधन, उपस्कर की खराबी तथा रिफाइनरी द्वारा कुछ सुधार करने के लिए इसे बन्द कर देने के कारण मूल अनुमानों से कम है। आरपीएल, जामनगर में क्रूड संसाधन उनकी इकाइयों को विलम्ब से चालू करने और स्थिरीकरण के कारण मूल अनुमानों से कम रहा है।

(ङ) और (च) भारत तथा पड़ोसी देशों के बीच पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में अन्तर हर उत्पाद के अनुसार अलग-अलग होता है। 1.3.2000 की स्थिति के अनुसार मुख्य पेट्रोलियम उत्पादों, जिनके मूल्य भारत में प्रशासित हैं, के मूल्य तथा तेल समन्वय समिति द्वारा संबंधित बाजार स्रोतों से एकत्रित पड़ोसी देशों में मुख्य पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य निम्नानुसार हैं :

| देश | मिट्टी तेल | | डीजल | | एलपीजी | | पेट्रोल | | एटीएफ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (रु. ली.) | प्रतिशत | (रु. ली.) | प्रतिशत | (रु. ली.) | प्रतिशत | (रु. ली.) | प्रतिशत | (रु. ली.) | प्रतिशत |
| भारत (दिल्ली) | 2.67 | 100.0 | 14.04 | 100.0 | 10.68 | 100.0 | 25.94 | 100.0 | 14.54 | 100.0 |
| बंगलादेश | 11.04 | 413.5 | 11.04 | 78.6 | 17:19 | 161.0 | 17.91 | 69.0 | 13.77 | 94.7 |
| श्रीलंका | 9.15 | 342.7 | 11.41 | 81.3 | 16.68 | 156.2 | 29.70 | 114.5 | 12.21 | 84.0 |
| पाकिस्तान | 9.46 | 354.3 | 9.67 | 68.9 | 15.95 | 149.3 | 24.37 | 93.9 | 9.40 | 64.7 |

·आधार के रूप में भारतीय मूल्य के साथ प्रतिशत इंगित है।

**मंजूरी के लिए लम्बित पड़ी विकास परियोजनाएं**

***249. श्री ए० वेंकटेश नायक :**

**श्री अशोक ना० मोहोल :**

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पर्यावरण और वानिकी की दृष्टि से मंजूरी हेतु सरकार के पास लम्बित विभिन्न राज्यों की विद्युत, सिंचाई, औद्योगिक और अन्य विकास परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इनकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इन परियोजनाओं को मंजूरी देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) इन परियोजनाओं को कब तक मंजूरी दे दी जाएगी?

**पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी० आर० बालू) :** (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) मांगी गई सूचना/स्पष्टीकरण शीघ्र भिजवाने के लिए परियोजना प्रस्तावक/राज्य सरकार के साथ लगातार संपर्क बनाए रखा जाता है। पर्यावरणीय एवं वानिकी मंजूरी के प्रस्तावों पर निर्णय पूर्ण सूचना प्राप्त होने की तारीख से सामन्यतया 90 दिनों के अन्दर ले लिया जाता है।

**विवरण**

**क. पर्यावरणीय मंजूरी**

| क्रम स० | परियोजनाओं के नाम | स्थिति |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| **विद्युत परियोजनाएं** | | |
| | **आन्ध्र प्रदेश** | |
| 1. | मेसर्स इंडेन पावर इन्टरनेशनल लिमिटेड का घानापुरम गांव, घटकेश्वर मंडल, जिला रंगारेड्डी में 34.56 मे.वा. डी.जी. पावर प्लांट | 12.2.2000 को अतिरिक्त सूचना मांगी गई थी। |
| 2. | मेसर्स कृष्णा गोदावरी पावर युटिलिटीज लि. का वाडापल्ली, जिला नलगोंडा में 2×30 मे.वा. कोयला आधारित पावर प्लांट | 9.2.2000 को अतिरिक्त सूचना मांगी गई थी। |
| | **दिल्ली** | |
| 3. | मेसर्स अपोलो एनर्जी कम्पनी लिमिटेड द्वारा नरेला में 330 मे.वा. कोयला आधारित टी.पी.पी. | परियोजना प्रस्तावक ने परियोजना के कार्य क्षेत्र में परिवर्तन कर दिया है। |
| 4. | दिल्ली विद्युत बोर्ड द्वारा इन्द्रप्रस्थ एस्टेट में 330 मे.वा. गैस आधारित प्रगति कंबाइंड साइकल पावर परियोजना | 10.2.2000 को अतिरिक्त सूचना मांगी गई थी। |
| | **कर्नाटक** | |
| 5. | मेसर्स गोदावरी सुगर लि. द्वारा कर्नाटक के समीरवती में 1×24 मे.वा. का जेनरेशन पावर प्लांट | 10.2.2000 को अतिरिक्त सूचना मांगी गई थी। |
| 6. | मेसर्स कर्नाटक पावर कार्पोरेशन लि. द्वारा ग्राम कुदितिनी, जिला बेलारी में 1×500 मे.वा. विजयनगर थर्मल पावर प्रोजेक्ट | 10.2.2000 को अतिरिक्त सूचना मांगी गई थी। |
| | **मध्य प्रदेश** | |
| 7. | मेसर्स मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड द्वारा गांव मनगाथर, जिला उमरिया (मध्य प्रदेश) में 1×500 मे.वा. संजय गांधी थर्मल पावर स्टेज-2 | कार्रवाई की जा रही है। |
| 8. | मेसर्स सोम पावर लिमिटेड द्वारा रायसेन जिले के मांडीदीप औद्योगिक क्षेत्र में 28.25 मे.वा. लिक्विड फ्यूल आधारित पावर प्लांट | 10.2.2000 को अतिरिक्त सूचना मांगी गई थी। |
| | **मेघालय** | |
| 9. | मिंतुडू (ली-शका) पन बिजली परियोजना, चरण-1 (2×42 मे.वा.) | 31.1.2000 को अतिरिक्त सूचना मांगी गई थी। उत्तर हाल ही में प्राप्त हो गया है। |

**विवरण-II**

*वर्ष 1999-2000 के दौरान ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा मंजूर स्कीमों का राज्यवार ब्यौरा*

(लाख रुपये में)

| क्र.सं. | राज्य | मंजूर स्कीम | |
|---|---|---|---|
| | | संख्या | ऋण राशि |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 74 | 22559 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 32 | 2947 |
| 3. | गोवा | 4 | 229 |
| 4. | गुजरात | 49 | 8995 |
| 5. | हरियाणा | 67 | 20656 |
| 6. | हिमाचल प्रदेश | 11 | 4713 |
| 7. | जम्मू एवं कश्मीर | 7 | 6230 |
| 8. | कर्नाटक | 148 | 41212 |
| 9. | केरल | 139 | 31325 |
| 10. | मध्य प्रदेश | 76 | 6096 |
| 11. | महाराष्ट्र | 157 | 24915 |
| 12. | मणिपुर | 12 | 3464 |
| 13. | पंजाब | 25 | 6012 |
| 14. | राजस्थान | 118 | 26365 |
| 15. | तमिलनाडु | 106 | 23318 |
| 16. | त्रिपुरा | 11 | 1853 |
| 17. | उत्तर प्रदेश | 86 | 27723 |
| | कुल | 1122 | 258612 |

**एल॰ पी॰ जी॰ का उत्पादन**

*248. **डा॰ संजय पासवान** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल समन्वय समिति ने एल॰ पी॰ जी॰ की घरेलू मांग को पूरा करने के लिए तेलशोधक कम्पनियों को अनिवार्य रूप से एल॰ पी॰ जी॰ का उत्पादन करने का निदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सभी तेलशोधक कारखानों ने हाल ही में अपने उत्पादन में अत्यधिक कमी की है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या भारत और पड़ोसी-देशों के पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में भारी अंतर है; और

(च) यदि हां, तो देश-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) अप्रैल, 1999 से फरवरी, 2000 की अवधि के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र की रिफाइनरियों में क्रूड का संसाधन मूल अनुमानों से अधिक रहा है। तथापि, मंगलौर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (एमआरपीएल), मंगलौर और रिलायन्स पेट्रोलियम लिमिटेड (आरपीएल), जामनगर में क्रूड संसाधन मूल अनुमानों से कम है।

(घ) एमआरपीएल, मंगलौर में क्रूड का संसाधन, उपस्कर की खराबी तथा रिफाइनरी द्वारा कुछ सुधार करने के लिए इसे बन्द कर देने के कारण मूल अनुमानों से कम है। आरपीएल, जामनगर में क्रूड संसाधन उनकी इकाइयों को विलम्ब से चालू करने और स्थिरीकरण के कारण मूल अनुमानों से कम रहा है।

(ङ) और (च) भारत तथा पड़ोसी देशों के बीच पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में अन्तर हर उत्पाद के अनुसार अलग-अलग होता है। 1.3.2000 को स्थिति के अनुसार मुख्य पेट्रोलियम उत्पादों, जिनके मूल्य भारत में प्रशासित हैं, के मूल्य तथा तेल समन्वय समिति द्वारा संबंधित बाजार स्रोतों से एकत्रित पड़ोसी देशों में मुख्य पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य निम्नानुसार हैं :

| देश | मिट्टी तेल | | डीज़ल | | एलपीजी | | पेट्रोल | | एटीएफ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (रु. ली.) | प्रतिशत | (रु. ली.) | प्रतिशत | (रु. ली.) | प्रतिशत | (रु. ली.) | प्रतिशत | (रु. ली.) | प्रतिशत |
| भारत (दिल्ली) | 2.67 | 100.0 | 14.04 | 100.0 | 10.68 | 100.0 | 25.94 | 100.0 | 14.54 | 100.0 |
| बंगलादेश | 11.04 | 413.5 | 11.04 | 78.6 | 17.19 | 161.0 | 17.91 | 69.0 | 13.77 | 94.7 |
| श्रीलंका | 9.15 | 342.7 | 11.41 | 81.3 | 16.68 | 156.2 | 29.70 | 114.5 | 12.21 | 84.0 |
| पाकिस्तान | 9.46 | 354.3 | 9.67 | 68.9 | 15.95 | 149.3 | 24.37 | 93.9 | 9.40 | 64.7 |

·आधार के रूप में भारतीय मूल्य के साथ प्रतिशत इंगित है।

**मंजूरी के लिए लम्बित पड़ी विकास परियोजनाएं**

***249. श्री ए० वेंकटेश नायक :**

**श्री अशोक ना० मोहोल :**

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पर्यावरण और वानिकी की दृष्टि से मंजूरी हेतु सरकार के पास लम्बित विभिन्न राज्यों की विद्युत, सिंचाई, औद्योगिक और अन्य विकास परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इनकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इन परियोजनाओं को मंजूरी देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) इन परियोजनाओं को कब तक मंजूरी दे दी जाएगी?

**पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी० आर० बालू) :** (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) मांगी गई सूचना/स्पष्टीकरण शीघ्र भिजवाने के लिए परियोजना प्रस्तावक/राज्य सरकार के साथ लगातार संपर्क बनाए रखा जाता है। पर्यावरणीय एवं वानिकी मंजूरी के प्रस्तावों पर निर्णय पूर्ण सूचना प्राप्त होने की तारीख से सामन्यतया 90 दिनों के अन्दर ले लिया जाता है।

**विवरण**

**क. पर्यावरणीय मंजूरी**

| क्रम सं० | परियोजनाओं के नाम | स्थिति |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | **विद्युत परियोजनाएं** | |
| | **आन्ध्र प्रदेश** | |
| 1. | मेसर्स इंडेन पावर इन्टरनेशनल लिमिटेड का घानापुरम गांव, घटकेश्वर मंडल, जिला रंगारेड्डी में 34.56 मे.वा. डी.जी. पावर प्लांट | 12.2.2000 को अतिरिक्त सूचना मांगी गई थी। |
| 2. | मेसर्स कृष्णा गोदावरी पावर युटिलिटीज लि. का वाडापल्ली, जिला नलगोंडा में 2×30 मे.वा. कोयला आधारित पावर प्लांट | 9.2.2000 को अतिरिक्त सूचना मांगी गई थी। |
| | **दिल्ली** | |
| 3. | मेसर्स अपोलो एनर्जी कम्पनी लिमिटेड द्वारा नरेला में 330 मे.वा. कोयला आधारित टी.पी.पी. | परियोजना प्रस्तावक ने परियोजना के कार्य क्षेत्र में परिवर्तन कर दिया है। |
| 4. | दिल्ली विद्युत बोर्ड द्वारा इन्द्रप्रस्थ एस्टेट में 330 मे.वा. गैस आधारित प्रगति कंबाइंड साइकल पावर परियोजना | 10.2.2000 को अतिरिक्त सूचना मांगी गई थी। |
| | **कर्नाटक** | |
| 5. | मेसर्स गोदावरी सुगर लि. द्वारा कर्नाटक के समीरवती में 1×24 मे.वा. का जेनरेशन पावर प्लांट | 10.2.2000 को अतिरिक्त सूचना मांगी गई थी। |
| 6. | मेसर्स कर्नाटक पावर कार्पोरेशन लि. द्वारा ग्राम कुदितिनी, जिला बेलारी में 1×500 मे.वा. विजयनगर थर्मल पावर प्रोजेक्ट | 10.2.2000 को अतिरिक्त सूचना मांगी गई थी। |
| | **मध्य प्रदेश** | |
| 7. | मेसर्स मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड द्वारा गांव मनगाथर, जिला उमरिया (मध्य प्रदेश) में 1×500 मे.वा. संजय गांधी थर्मल पावर स्टेज-2 | कार्रवाई की जा रही है। |
| 8. | मेसर्स सोम पावर लिमिटेड द्वारा रायसेन जिले के मांडीदीप औद्योगिक क्षेत्र में 28.25 मे.वा. लिक्विड फ्यूल आधारित पावर प्लांट | 10.2.2000 को अतिरिक्त सूचना मांगी गई थी। |
| | **मेघालय** | |
| 9. | मिंतुडू (ली-शका) पन बिजली परियोजना, चरण-1 (2×42 मे.वा.) | 31.1.2000 को अतिरिक्त सूचना मांगी गई थी। उत्तर हाल ही में प्राप्त हो गया है। |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| | **मिजोरम** | |
| 10. | तुइवाई हाइड्रोइलेक्ट्रिकल परियोजना (100 मे.वा.) | वानिकी मंजूरी से लिंक कर दिया । |
| | **तमिलनाडु** | |
| 11. | मेसर्स अबान पावर कंपनी लि. द्वारा गांव वालूर, इन्नौर, उत्तर चेन्नई, तमिलनाडु में 109 मे.वा. नेपथा आधारित कंबाइंड साइकल गैस टरबाइन पावर प्लांट | कार्रवाई की जा रही है। |
| 12. | कोलियलई हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट (1×20 मे.वा.) तमिलनाडु बिजली बोर्ड | स्थल निरीक्षण किया जा रहा है। |
| **सिंचाई—कोई सिंचाई परियोजना पर्यावरणीय मंजूरी के लिए लंबित नहीं है।** | | |
| | **औद्योगिक** | |
| | **आन्ध्र प्रदेश** | |
| 13. | मेसर्स सिमर्जीज डूरे आटोमोटिव लि. द्वारा वी.ई.पी.-जेड, विशाखापतनम में छोटे वाहनों के लिए एल्यूमिनियम एलाय व्हील का निर्माण | कार्रवाई की जा रही है। |
| | **असम** | |
| 14. | मेसर्स आइ.ओ.सी.एल. की गुवाहाटी रिफाइनरी में प्रस्तावित आई.ओ.एस.आई.वी. तथा आई.एन.एस.एम.ए.एक्स. के लिए पर्यावरणीय मंजूरी | 10.1.2000 को अतिरिक्त सूचना मांगी गई थी जोकि 22.2.2000 को प्राप्त हुई, इसकी जांच की जा रही है। |
| 15. | मेसर्स एच.पी.सी.एल. द्वारा विजयवाड़ा-सिकन्दराबाद पाइपलाइन विस्तार परियोजना | कार्रवाई की जा रही है। |
| | **गुजरात** | |
| 16. | मेसर्स टाटा कैमिकल्स लि. द्वारा मीथापुर, गुजरात में क्लिंकेराइजेशन संयंत्र का विस्तार | हाल ही में प्राप्त हुआ। |
| 17. | मेसर्स फिकॉम द्वारा जी.आई.डी.सी. औद्योगिक क्षेत्र अंकलेश्वर, भड़ौच में विद्यमान पोस्टेमाइड संयंत्र में प्रस्तावित उत्पाद विकल्प | हाल ही में प्राप्त हुआ है। |
| 18. | मेसर्स पोस्टेसाइड्स इंडिया लि. का जी.आई.डी.सी. पनोली, जिला भड़ौच, गुजरात में पोस्टिसाइड निर्माण इकाई का विस्तार | 28.2.2000 को अतिरिक्त सूचना मांगी गई थी। |
| | **महाराष्ट्र** | |
| 19. | मेसर्स एलकास्ट फाउंडरी प्रा.लि. द्वारा पुणे जिले के ताल-खेडा में फाउंडरी परियोजना | कार्रवाई की जा रही है। |
| 20. | मेसर्स रूफिट इण्डस्ट्रीज लि. का महाराष्ट्र के ठाणे जिले के वाडा में 36000 एमपीटीए क्षमता की दर से एसीशीट्स एवं एक्सेसिरी अतिरिक्त निर्माण हेतु फैक्ट्री के विस्तार के लिए पर्यावरणीय मंजूरी | विशेषज्ञ समिति में 23.2.2000 को विचार किया गया। |
| | **पंजाब** | |
| 21. | मेसर्स रैलिस इंडिया लि. द्वारा डेरा बासी, पटियाला, पंजाब में पेस्टिसाइड्स मैनुफैक्चरिंग इकाई | 4.1.2000 को अतिरिक्त सूचना मांगी गई थी। |
| 22. | मेसर्स रैलिस इंडिया लि. द्वारा डेरा बासी, पटियाला में पेस्टिसाइड्स मैनु-फैक्चरिंग इकाई का विस्तार | अतिरिक्त सूचना 29.2.2000 को मांगी गई थी। |
| | **राजस्थान** | |
| 23. | मेसर्स रूफिट इण्डस्ट्रीज लि. द्वारा धामी खुर्द संगमनेर, जयपुर में एस्बेस्टास सीमेंट उत्पादों के लिए 45000 टीपीए क्षमता इकाई | 29.2.2000 को अतिरिक्त सूचना मांगी गई थी। |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| | **तमिलनाडु** | |
| 24. | मेसर्स नागार्जुन ऑयल कार्पोरेशन लि. (एनओसीएल) की कुड्डालौर में 6.5 एमएमटीपीए रिफाइनरी | कार्रवाई की जा रही है। |
| 25. | मेसर्स ए.आर. मेटालर्जिकल प्रा.लि. द्वारा होसुर तालुक, जिला धर्मापुरी में फाउंड्री इकाई | 9.2.2000 को अतिरिक्त सूचना मांगी गई थी। |
| 26. | मेसर्स शार्प फाउण्डरी लि. द्वारा गांव अरासुर, जिला कोयम्बतूर में फाउंडरी यूनिट | कार्रवाई की जा रही है। |
| 27. | मेसर्स एल्गी इक्विपमैंट लि. द्वारा सिंगनालूर जिला कोयम्बतूर में इंजीनियरिंग यूनिट का विस्तार | जांच की जा रही है। |
| 28. | मेसर्स अविनय इंजीनियरिंग इंडस्ट्री द्वारा कीरांथंन गांव, जिला कोयम्बतूर में कास्ट आयरन कास्टिंग के लिए 17.5 टीपीएम क्षमता निर्माण | कार्रवाई की जा रही है। |
| 29. | मेसर्स स्पेक्ट्रो-डक्टाइल आइरन प्रा.लि. द्वारा बैरमंगलम, जिला धर्मापुरी में 50 टीपीएम क्षमता की फाउण्डरी यूनिट | 11.2.2000 को अतिरिक्त सूचना मांगी गई थी। |
| 30. | मेसर्स स्नोसम इंडिया लि. द्वारा सिपकाट औद्योगिक एस्टेट गुम्भिडिपुंडी, जिला थिरूवेलूर में पाउडर पेंट यूनिट का विनिर्माण | कार्रवाई की जा रही है। |
| 31. | मेसर्स जयहिन्द वायर राड मिल्स लि. द्वारा परानाटामंगलम, सालेम तालुक, जिला सालेम, तमिलनाडु में 33 एमटी/प्रतिदिन तथा 60 एमटी/प्रतिदिन फरनेस की स्थापना के लिए पर्यावरणीय मंजूरी | 17.12.99 को अतिरिक्त सूचना मांगी गई थी। |
| 32. | मेसर्स केजीएफ एलाय स्टीरल प्रा.लि. द्वारा उत्तरी कोयम्बतूर में फाउण्डरी यूनिट (50 टीपीएम) | 22.12.99 को अतिरिक्त सूचना मांगी गई थी। |
| 33. | मनाली में मद्रास रिफाइनरीज लि. का 3.0 एमएमटीपीए विस्तार | दिनांक 4.3.2000 को स्थल का निरीक्षण किया गया था। |
| 34. | मेसर्स राजा स्टील्स प्रा.लि. द्वारा कोयम्बतूर तमिलनाडु में 14400 टीपीए स्टील इनगाट प्रोजेक्ट | दिनांक 11.2.2000 को अतिरिक्त सूचना प्राप्त हो गई है। |
| | **पश्चिम बंगाल** | |
| 35. | मेसर्स एमएस डाल्मिया एंड कम्पनी लि. द्वारा करईडांगा, 24 परगना (दक्षिण) में कलकत्ता लेदर काम्प्लैक्स संबंधी प्रस्ताव | कार्रवाई की जा रही है। |
| 36. | मेसर्स साउथ एशियन पेट्रो रसायन लि. द्वारा हल्दिया, पश्चिम बंगाल में 400 टीपीटी पीईटी रेजिन प्रोजेक्ट | दिनांक 23.2.2000 को अतिरिक्त सूचना मांगी गई थी। |
| | **अन्य** | |
| 37. | मेसर्स इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लि. द्वारा 4.2 एमएमटीपीए से 7.5 एमएमटीपीए क्षमता की हल्दिया-बरौनी क्रूड आयल पाइपलाइन का विस्तार | कार्रवाई की जा रही है। |
| | **अन्य विकासात्मक परियोजनाएं** | |
| | **आन्ध्र प्रदेश** | |
| 38. | नैल्लोर जिले में बीबीआई पावर कृष्णापटनम "बी" (2×260 मे.वा.) के लिए डेडिकेटेड जेटी का निर्माण | कार्रवाई की जा रही है। |
| 39. | यूनाइटेड इन्फ्रास्ट्रक्चर रिसोर्सेस प्रा.लि. द्वारा नेल्लोर बाईपास परियोजना | 21.1.2000 को अतिरिक्त सूचना मांगी गई थी। |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| | **अरुणाचल प्रदेश** | |
| 40. | बार्डर रोड आरगेनाइजेशन द्वारा 0.00 कि.मी.-47.00 (सीएसजी रोड) से इटेलिनेन मालिनेन मार्ग का निर्माण | 23.12.1999 को अतिरिक्त सूचना मांगी गई थी। |
| 41. | ग्आर्डर रोड आरगेनाइजेशन द्वारा 0.00 कि.मी.-47.00 कि.मी. (सीएसजी रोड) मे हेनालियांग चंगलागांव मार्ग का निर्माण | दिनांक 23.12.1999 को अतिरिक्त सूचना मांगी गई थी। |
| 42. | एनएच-2 की मौजूदा 2 लेन सेक्शन को 180 कि.मी. (मदनपुर, औरंगाबाद) से 398.75 कि.मी. (बारावाडा) तक चार लैनिंग में करना और उसका मुद्रृढ़ीकरण—एनएचएआई द्वारा | अतिरिक्त सूचना 21.2.2000 को मांगी गई थी। |
| | **गोवा** | |
| 43. | मेसर्स नोवा रिसोर्ट प्रा.लि. द्वारा मोरमार्गो तालुका के एरोसमि गांव के सर्वे संख्या 117/1 में एक होटल परियोजना का निर्माण | गोवा सरकार से 5.5.1999 को स्पष्टीकरण मांगे गए थे। |
| 44. | सर्वे संख्या 109/1, केवेलोसिम गांव में श्री गर्थ डिसूजा द्वार एक बीच रिसोर्ट का निर्माण | गोआ सरकार से 5.5.1999 को स्पष्टीकरण मांगे गए थे। |
| 45. | मेसर्स एल्गोआ प्रा.लि. द्वारा बेतलवेटिम गांव, सेलसेट लालुका की सर्वे संख्या 109/1 (भाग) में एक होटल का निर्माण | दिनांक 13.1.2000 को अतिरिक्त सूचना/स्पष्टीकरण मांगी गई है। |
| 46. | मेसर्स पिंकी शिपयार्ड प्रा.लि. द्वारा सनकोले गांव, सलसेटा तालुक के सर्वे नं. 209/2 में ड्राई डाक तथा रोड का प्रस्तावित निर्माण | 14.1.2000 को अतिरिक्त सूचना/स्पष्टीकरण मांगे गए। |
| 47. | श्री अल्फ्रेड अन्द्राडे एवं अन्य द्वारा उटोरडा गांव सेलसेट तालुक की सर्वे संख्या-33/3, 33/7-11, 47/1, 49/1, 50/1-26 और 51/1-31 में एक होटल का निर्माण | 20.1.2000 को अतिरिक्त सूचना/स्पष्टीकरण मांगे गए। |
| | **गुजरात** | |
| 48. | मेसर्स गुजरात पिपावाव पोर्ट लि. द्वारा गुजरात में पापावाव पोर्ट में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार | दिनांक 13.2.2000 को अतिरिक्त सूचना/स्पष्टीकरण मांगे गए थे। |
| 49. | मेसर्स हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि. द्वारा पंजाब रिफाइनरी परियोजना के लिए सिंगल प्वाइंट मूरिंग, क्रूड ऑयल टर्मिनल तथा मुन्द्रा पोर्ट में एसपीएम से सीओटी से जोड़ने वाली पाइप लाइन | कार्रवाई की जा रही है। |
| | **हिमाचल प्रदेश** | |
| 50. | स्वान नदी बाढ़ नियंत्रण प्रबंधन तथा समन्वित परियोजना, जिला ऊना, सिंचाई तथा जन स्वास्थ्य विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार | कार्रवाई की जा रही है। |
| | **कर्नाटक** | |
| 51. | मेसर्स स्मिथ को-जनरेशन (इंडिया) प्रा.लि. द्वारा मंगलौर दक्षिण कन्नड़ जिले में 170 मे.वा. बार्ज मांडटेड पावर परियोजना | दिनांक 18.1.2000 को अतिरिक्त सूचना/स्पष्टीकरण मांगे गए थे। |
| | **केरल** | |
| 52. | मेसर्स कोचीन रिफाइनरीज लि. का शोर क्रूड आयल टैंक फार्म एर्नाकुलम में क्रूड आयल प्राप्ति सुविधाएं | दिनांक 28.2.2000 का अतिरिक्त सूचना/स्पष्टीकरण मांगे गए थे। |
| 53. | मेसर्स जायस दि बीच रिसार्ट द्वारा कोटुकल गांव, नेमातिनकारा तालुक, तिरूवनंथपुरम जिले के चावरा में बीच रिसार्ट की स्थापना | हाल ही में प्राप्त हुआ। |
| | **लक्षद्वीप** | |
| 54 | पर्यटन एवं जल स्पोर्ट्स प्रबंधन के लिए तिन्नकारा द्वीप प्याका सोसायटी में टिन्ना बीच की स्थापना (मैसर्स यू.बी. रिसार्ट) | दिनांक 28.1.2000 को अतिरिक्त सूचना/स्पष्टीकरण मांगी गई थी। |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| | **मध्य प्रदेश** | |
| 55. | नरसिंहपुर जिले में मेसर्स बीएलए उद्योगों की धर्मास्थल ओसी/यूजी कोयला खान | दिनांक 29.12.1999 को अतिरिक्त सूचना मांगी गई थी। |
| | **महाराष्ट्र** | |
| 56. | चन्द्रपुर जिले में मेसर्स सेंट्रल कालरीज कं.लि. का बेलोरा-टकली ओसी/यूजी कोयला खान | दिनांक 29.12.99 को अतिरिक्त सूचना मांगी गई थी। |
| 57. | नागपुर जिले में मेसर्स बेस्टर्न कोल फील्डस की अदासा यूजी कोयला खान | मांगी गई अतिरिक्त सूचना दिनांक 18.1.2000 प्राप्त हुई। कार्रवाई की जा रही है। |
| 58. | नागपुर जिले में मेसर्स बेस्टर्न कोलफील्डस लि. की कंपटी यूजी से ओसी कोयला खान | दिनांक 18.1.2000 को अतिरिक्त सूचना मांगी गई थी। |
| 59. | ठाणे जिले में सूरत मनोर मार्ग एनएच-8 सेक्शन-3 का सुधार एवं उन्नयन | वानिकी मंजूरी से जुड़ी हुई। |
| 60. | लोक निर्माण विभाग द्वारा मुम्बई तालासारी एक्सप्रेसवे का निर्माण | दिनांक 23.2.2000 को अतिरिक्त सूचना मांगी गई थी। |
| 61. | मेसर्स कर्टसी होटल्स प्रा.लि. द्वारा गांव गणपतिपुले में सर्वे ने 56-2बी/1 तथा 56-2सी में अभिषेक बीच रिसार्ट का विस्तार | दिनांक 1.2.2000 को अतिरिक्त सूचना मांगी गई थी। |
| | **उड़ीसा** | |
| 62. | मेसर्स आदित्य अल्यूमिनियम कंपनी की जिला कोरापुट में कोदिनगमली बाक्साइट खानें | स्थल का दौरा किया जाना है। |
| 63. | मेसर्स महानदी कोलफील्डस लिमिटेड की जिला सुन्दरगढ़ उड़ीसा में वसुन्धरा (वेस्ट) ओपनकास्ट खानें | 18.1.2000 को अतिरिक्त सूचना मांगी गई थी। |
| | **राजस्थान** | |
| 64. | मेसर्स किशोर कुमार गांधी की जिला सिरोही में फ्लोस्पर और क्वार्टज खानें | 28.2.2000 को अतिरिक्त सूचना प्राप्त हुई। |
| 65. | एनएचएआई द्वारा जयपुर और अजमेर जिले में एनएच-8 (273.4 कि.मी. से 366.2 कि.मी. तक) के जयपुर किशनगढ़ अनुभाग का उन्नयन | स्थल का दौरा किया जाना है। |
| | **तमिलनाडु** | |
| 66. | मेसर्स जेम ग्रेफाइट प्राइवेट लिमिटेड की अरासनूर शिवागंगाई जिले के पास तमिलनाडु में ओपनकास्ट ग्रेफाइट खान | 25.2.2000 को अतिरिक्त सूचना प्राप्त हुई। |
| 67. | मेसर्स सुपर माइन्स और मिनरल्स की जिला सलेम में ओपनकास्ट लाइम-स्टोन माइन | 25.2.2000 को अतिरिक्त सूचना मांगी गई थी। |
| 68. | मेसर्स पीन्नार रिफाइनरीज लिमिटेड द्वारा गांव तिरूवापुरूम जिला कुड्डालोर के निकट रिफाइनरी स्थल के समीप एसबीएम, जेट्टी और अन्य मेरीन सुविधाओं की स्थापना | मंजूरी दे दी गई है। |
| 69. | तमिलनाडु हाइवे और ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा कुड्डालोर से टूटीकोरिन तक तमिलनाडु सेक्टर परियोजना चरण-1 (पूर्वी कोरीडोर) | 23.2.2000 को अतिरिक्त सूचना प्राप्त हुई। |
| 70. | तमिलनाडु हाइवे और ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा तमिलनाडु रोड सेक्टर परियोजना चरण-आईए (उत्तरी कोरीडोर) | 31.12.99 को अतिरिक्त सूचना/स्पष्टीकरण मांगे गए थे। |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| | उत्तर प्रदेश | |
| 71. | एनएचएआई द्वारा उत्तर प्रदेश में एनएच-2 की मौजूदा 2 लेनों को 393 कि.मी. (सिकन्दरा) से 115 (खागा) तक बिछाने और मजबूत करने की नेशनल हाइवे परियोजना | 21.2.2000 को सूचना/स्पष्टीकरण मांगे गए थे। |
| | अन्तः राज्य | |
| 72. | एनएचएआई द्वारा उत्तर प्रदेश में 317 कि.मी. (वाराणसी) से बिहार (पैकेज) में 180 कि.मी. तक एनएच-2 की मौजूदा दो लेनों को चार में बदलना और मजबृत करना। | हाल ही में प्राप्त हुआ। |

*वानिकी मंजूरी के लिए लंबित परियोजनाएं जिनमें 20 हेक्टेयर के अधिक वन क्षेत्र शामिल हैं*

**पन-विद्युत**

| क्र.सं. | नाम | क्षेत्र हैक्टे. | राज्य | स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | ऑलेन दुहानगन एच.ई.पी. कुल्लू | 58.162 | हिमाचल प्रदेश | क्षेत्रीद कार्यालय से स्थल निरीक्षण रिपोर्ट की प्रतीक्षा है। |
| 2. | तुईवाई हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट | 1600 | मिजोरम | अतिरिक्त सूचना और स्थल निरीक्षण रिपोर्ट की प्रतीक्षा है। |
| **सिंचाई** | | | | |
| 3. | कोकराझाल में चम्पामती सिंचाई परियोजना | 48.592 | असम | 29.2.2000 को वन सलाहकार समिति में विचार-विमर्श किया गया। कार्रवाई की जा रही है। |
| 4. | भंडारा में झांसीनगर लिफ्ट सिंचाई स्कीम का निर्माण | 31.350 | महाराष्ट्र | फरवरी 2000 में राज्य सरकार से अतिरिक्त सूचना प्राप्त हुई। कार्रवाई की जा रही है। |
| 5. | थाने में मालसेज घाट पम्पड स्टौरेज स्कीम | 73.949 | महाराष्ट्र | प्राप्त स्थल निरीक्षण रिपोर्ट पर अगली वन सलाहकार समिति में विचार-विमर्श किया जाना है। |
| 6. | शिकारघटा लघु सिंचाई स्कीम, जयपुर | 35.70 | राजस्थान | निर्णय के लिए विचाराधीन। |
| **खनन** | | | | |
| 7. | पीसीजैन आदि द्वारा दौसा में सिलिका सेंड | 37.454 | राजस्थान | निर्णय के लिए कार्रवाई की जा रही है। |
| 8. | उड़ीसा औद्योगिक विकास निगम द्वारा जयपुर में क्रोमाइट खनन | 96.42 | उड़ीसा | 29.2.2000 को वन सलाहकार समिति में विचार-विमर्श किया गया। विचाराधीन। |
| 9. | लेट ओईकथ द्वारा जयपुर में क्रोमाइट खनन | 30.25 | उड़ीसा | 29.2.2000 को वन सलाहकार समिति में विचार-विमर्श किया गया। विचाराधीन। |
| 10 | भंडारा में मैंगनीज धातु का निष्कर्षण | 70.67 | महाराष्ट्र | वन सलाहकार समिति में विचार-विमर्श किया गया। कार्रवाई चल रही है। |
| 11. | एसईसीएल, शहडोल के धानपुरी ओसीपी का नवीकरण | 870.75 | मध्य प्रदेश | स्थल निरीक्षण रिपोर्ट की प्रतीक्षा है। |
| 12. | कृष्णा जिले में मद्रास सीमेंट लिमिटेड के पक्ष में लाइमस्टोन के लिए खनन पट्टा | 60.72 | आन्ध्र प्रदेश | 29.2.2000 को समिति में विचार-विमर्श किया गया। समिति के सदस्यों द्वारा स्थल निरीक्षण किया जाना है। |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 13. | एससीसीएल की ओसी चरण-1 कोयला खनन | 236.00 | आन्ध्र प्रदेश | स्थल निरीक्षण रिपोर्ट की प्रतीक्षा है। |
| 14. | होथर ट्रेडर्स के पक्ष में खनन के लिए वन भूमि | 38.38 | कर्नाटक | 11.1.2000 को क्षेत्रीय कार्यालय बंगलौर से स्पष्टीकरण मांगा गया था। |
| 15. | एमएल से रंगता कंपनी प्राइवेट लि. का पूर्व सिंगभूम में नवीकरण | 131.08 | बिहार | वन सलाहकार समिति के सदस्यों द्वारा स्थल का दौरा किया गया है। |
| 16. | मेसर्स गुजरात अम्बूजा सीमेंट लिमिटेड के पक्ष में सोलन में लाइमस्टोन खनन | 21.4 | हिमाचल प्रदेश | स्थल निरीक्षण रिपोर्ट की प्रतीक्षा है। |
| **थर्मल/ट्रांसमिशन लाइन** | | | | |
| 17. | किन्नौर जिले में 66 के.वी. ट्रांसमिशन लाइन बिछाना | 73.02 | हिमाचल प्रदेश | 27.9.99 से स्थल निरीक्षण रिपोर्ट की प्रतीक्षा है। |

### कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों से मल-निस्राव

***250. श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों से निकलने वाले मल-निस्रावों का स्तर कम करने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस आशय के कोई निदेश जारी करने का है;

(घ) यदि हां, तो ये निदेश कब तक जारी कर दिए जाएंगे; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**विद्युत मंत्री तथा खान और खनिज मंत्री (श्री पी॰ आर॰ कुमारमंगलम) :** (क) और (ख) कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों के संबंध में निस्सरण मानकों को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 की धारा-6 और 25 के अन्तर्गत बनाए गए नियमों में अधिसूचित किया गया है।

तरल निस्सरणों और गैस निस्सरणों के अधिसूचित मानक संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) से (ङ) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों में पर्यावरणीय मानकों को लागू करने के लिए कदम उठाए हैं। 77 ताप विद्युत संयंत्रों में से 35 संयंत्र निस्सरण मानकों को पूरा करते हैं। 3 ताप विद्युत संयंत्र वर्तमान में प्रचालन कार्य नहीं कर रहे हैं। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पर्यावरण (सुरक्षा) अधिसूचना 1986 की धारा-5 के अन्तर्गत उन ताप विद्युत स्टेशनों को जारी करने के निर्देश दिए हैं। जिन्होंने निस्सरणों पर नियंत्रण करने के उपाय नहीं किए हैं ताकि वे अपनी-अपनी प्रदूषण नियंत्रण प्रणालियों का उन्नयन कर सकें।

### विवरण

*पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, 1986 की धारा-6 और 25 के अन्तर्गत पर्यावरण वन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित एवं समय-समय पर यथा संशोधित पर्यावरणीय सुरक्षा नियम, 1986 के नियम-3 में संदर्भित अनुसूची-1 और 6 में उल्लिखित ताप विद्युत संयंत्रों के लिए तरल निस्सरणों और गैसीय निस्सरणों के मानक*

**तरल निस्सरणों के मानक**

| स्रोत | पैरामीटर | निस्सरण मानक अधिकतम लिमिटिंग कंसट्रेशन मिलिग्राम प्रति लिटर (विद्युत गृह और तापमान के अलावा) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| कंडेंसर कूलिंग वाटर (एक बार कूलिंग सिस्टम के जरिए) | पीएच निःशुल्क | 6.5—8.5 |
| | उपलब्ध क्लोरिन | 0.5 |
| बॉयलर ब्लोडाउन | सस्पेंडेड ठोस कॉपर | 100 |
| | और ग्रीस कॉपर | 20 |
| | (कुल) | 1.0 |
| | आयरन (कुल) | 1.0 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| कूलिंग वाटर ब्लोडाउन | निःशुल्क उपलब्ध क्लोरीन | 0.5 |
| | जिंक | 1.0 |
| | कोमियम (कुल) | 0.2 |
| | फास्फेट | 5.0 |
| | अन्य कोटोसन इनहेबिटिंग मैटिरियल | संघ शासित क्षेत्रों के मामले में सीमा का निर्धारण केन्द्रीय बोर्ड द्वारा तथा राज्यों के मामले में राज्य बोर्ड द्वारा मामला आधार पर किया जाएगा। |
| राख कुंड निस्सरण | पीएच | 6.5—8.5 |
| | ससपेंडेड ठोस | 100 |
| | तेल एवं गैस | 20 |
| ताप विद्युत संयंत्रों के लिए कंडेंसर कूलिंग जल के स्राव के लिए ताप सीमा | (i) 1.6.99 के बाद नये ताप विद्युत संयंत्र चालू | (i) नए ताप विद्युत संयंत्र नदियों/झीलों/जलाशयों के जल से कूलिंग टावर स्थापित करेंगे, चाहे स्थान व क्षमता कुछ भी हो। |
| | (ii) तटवर्ती क्षेत्रों में समुद्री जल का प्रयोग करने वाली नई परियोजनाएं | (ii) समुद्री जल का प्रयोग कर रहे ताप विद्युत संयंत्रों को जल-ताप सीमा कम करने हेतु अंतिम स्राव बिन्दु के लिए उचित प्रणाली अपनानी चाहिए ताकि रिसिविंग जल के परिणामी तापक्रम में इसके अनुकूल तापक्रम के अलावा 7 डिग्री सैल्सियस से अधिक नहीं हो। |
| | (iii) विद्यमान ताप विद्युत संयंत्र | (iii) कंडेंसर कूलिंग वाटर के कंडेंसर के इनलेट से आउटलेट तक तापक्रम में 10 डिग्री सैल्सियस से अधिक वृद्धि नहीं होगी। |

**प्रदूषणकारी तत्व**

| पोलियूटेंट | निस्सरण सीमा |
|---|---|
| पार्टिक्यूलेट मैटर | 150 मि.ग्रा./एनएम$^3$ |

(1.1.1982 के पूर्व चालू किए गए ताप विद्युत संयंत्रों/एवं जिनकी क्षमता 62.5 मे.वा. से कम है, का पीएम. निस्सरण 350 मि.ग्रा./एनएम$^3$ के भीतर होगा।)

**सल्फर डाइआक्साइड (एसओ-2)**

सल्फर डाइआक्साइड निस्सरण का नियंत्रण विक्षेपण के माध्यम से किया जाता है। तदनुसार न्यूनतम स्टेक ऊंचाई की सीमा निम्नानुसार निर्धारित की जाती है :

| | |
|---|---|
| **विद्युत उत्पादन क्षमता :** | 275 मीटर |
| 500 मे.वा. और अधिक | 275 मीटर |
| 200 मे.वा./210 मे.वा. और इससे ऊपर तथा 500 मे.वा. से कम | 220 मीटर |
| 200 मे.वा./210 मे.वा. से कम | एच-14 (क्यू)$^{0.3}$ जहां क्यू किलोग्राम/घंटे में एसओ2 की निस्सरण दर है और एच मीटर में स्टेक ऊंचाई है। |

स्रोत : अधिसूचना सं. जीएसआर 422(ई) दिनांक 19.5.1993 और जीएसआर-7, दिनांक 22.12.1998।

### नौवहन क्षेत्र के लिए नई परियोजनाएं

•251. श्री कोडीकुनील सुरेश : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में नौवहन क्षेत्र के विकास हेतु नई योजनाओं पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा केरल के पत्तनों से माल उठाने की व्यवस्था में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान राज्यों से कुल कितनी मात्रा में उत्पादों का नौवहन किया गया और किन-किन देशों के लिए उक्त पोतलदान किया गया था?

**जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री राजनाथ सिंह) :** (क) और (ख) देश में नौवहन क्षेत्र की बढ़ोत्तरी और विकास को लगातार बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों में पोत अधिग्रहण हेतु स्वत: अनुमोदन लागू करना, बड़े जलयानों के आयात को ओ जी एल के तहत लाना, पुराने जलयानों की खरीद हेतु आयु संबंधी मानकों में छूट और भारतीय जहाजों को अन्तर-राष्ट्रीय परस्पर व्यापार में लगाने के लिए विदेशी कम्पनियों को टाइम चार्टर आऊट छूट शामिल है। सरकार ने राष्ट्रीय नौवहन नीति बनाने के लिए भी पहल की है।

(ग) और (घ) केरल में कोचीन पत्तन न्यास नामक केवल एक महापत्तन है। इस राज्य से निर्यात व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कोचीन पत्तन के पश्चप्रदेश के विभिन्न भागों में अक्सर व्यापार संबंधी बैठकें होती रहती हैं। मै. पी एंड ओ पोर्ट्स इंडिया लि. के सहयोग से वल्लारपदम में एक यानान्तरण कंटेनर टर्मिनल बनाने का प्रस्ताव है। कोचीन पत्तन से सामान्य कार्गो कंटेनरों के जरिए निर्यात किया जाता है जो मुख्यतया कोलम्बो, सिंगापुर और दुबई पत्तनों पर यानान्तरित किए जाते हैं। निर्यात कार्गो संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और अन्य अमेरिकी देशों जापान, सिंगापुर, श्रीलंका, खाड़ी देशों, यू.के., जर्मनी, अन्य यूरोपीय देशों, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अफ्रीकी देशों को भेजा जाता है। गत तीन वर्षों के दौरान हैंडल किए गए आयात/निर्यात कार्गो की मात्रा नीचे दर्शाई गई है :

(लाख टन)

| | 1996-97 | 1997-98 | 1998-99 |
|---|---|---|---|
| आयात | 94.87 | 97.82 | 102.51 |
| निर्यात | 22.55 | 25.42 | 24.30 |
| कुल | 117.42 | 123.24 | 126.81 |

**विद्युत चोरी की रोकथाम**

252. **श्री रामपाल सिंह :**

**श्री शिवाजी विट्ठलराव काम्बले :**

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देशभर में बिजली की चोरी की बढ़ती घटनाओं के संबंध में स्थिति की हाल ही में समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप विभिन्न राज्यों को हो रहे घाटे का ब्यौरा क्या है;

(ग) इसको रोकने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं/किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या सरकार का विचार बिजली की चोरी को रोकने के लिए आधुनिकतम मीटर प्रणाली शुरू करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) ऐसी प्रणाली को कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

**विद्युत मंत्री तथा खान और खनिज मंत्री (श्री पी० आर० कुमारमंगलम) :** (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1997-98 के दौरान रा.वि.बो./विद्युत यूटिलिटियों/विद्युत विभागों द्वारा दर्ज की गई प्रतिशत हानियां संलग्न विवरण में दी गई हैं। तथापि, जिन राज्यों ने पुनर्गठन किया है उन्होंने 40 से 51 प्रतिशत के मध्य की पारेषण एवं वितरण हानियां दर्ज की हैं। इस हानि को दो मुख्य श्रेणियों में रखा जा सकता है, नामश: तकनीकी हानि और वाणिज्य हानि। तकनीकी हानियां प्रणाली में अन्तर्निहित होती हैं तथा इन्हें लाइनों के बेहतर डिजाइन, वितरण ट्रांसफार्मरों को पुन: स्थापित करने और कैपिसिटरों की अधिष्ठापना के द्वारा कम किया जा सकता है। वाणिज्यिक हानियां ऊर्जा की चोरी, खराब मीटरों के प्रयोग, और गैर-मीटरिंग आपूर्ति के कारण होती हैं। ऊर्जा की चोरी और दुरुपयोग के कारण होने वाली हानियों को इस समय पारेषण एवं वितरण हानियों में शामिल किया गया है।

(ग) पारेषण एवं वितरण हानियों में कमी करने के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने रा.वि.बो. और विद्युत विभागों को जुलाई, 1991 में व्यापक मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए थे। उप-स्टेशन स्तर पर ऊर्जा लेखा परीक्षा, उपभोक्ता के लिए पूर्व प्रदत्त कार्ड मीटरिंग और इलेक्ट्रानिक एंड रिमोट कंट्रोल मीटरिंग के जरिए ऊर्जा की चोरी समेत वाणिज्यिक हानियों से प्रभावी तरीके से बचा जा सकता है।

(घ) और (ङ) त्वरित विद्युत विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत यह प्रस्तावित किया गया है कि नवीनतम विकसित इलेक्ट्रोनिक मीटरिंग प्रणाली की अधिष्ठापना समेत उप-पारेषण और वितरण प्रणाली में सुधार हेतु विशेष परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकारों को निधियां उपलब्ध कराई जाएंगी।

(च) 26 फरवरी, 2000 को आयोजित की गई विद्युत मंत्रियों के सम्मेलन में राज्य/संघ शासित सरकारों ने दिसम्बर, 2001 तक सभी उपभोक्ताओं के लिए मीटर लगाने और सभी स्तरों पर ऊर्जा लेखा परीक्षा करने का संकल्प लिया है। इन उपायों को अपनाने से विद्युत की चोरी के कारण पैदा होने वाली हानियों को पर्याप्त रूप में कम करना संभव हो जाएगा।

**विवरण**

*वर्ष 1997-98* के दौरान रा.वि.बो./विद्युत विभागों में प्रतिशत रूपांतरण, पारेषण एवं वितरण हानियां (वाणिज्यिक हानियों, जैसे चोरी आदि सहित)*

| क्षेत्र | रा.वि.बो./विद्युत विभाग | 1997-98 |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| उत्तरी क्षेत्र | 1. हरियाणा | 33.04# |
| | 2. हिमाचल प्रदेश | 19.20 |
| | 3. जम्मू और कश्मीर | 47.48$ |
| | 4. पंजाब | 17.90 |
| | 5. राजस्थान | 26.46 |
| | 6. उत्तर प्रदेश | 25.00 |
| | 7. चण्डीगढ़ | 14.95 |
| | 8. डीवीबी (दिल्ली) | 46.86# |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| पश्चिमी क्षेत्र | 1. गुजरात | 19.66 |
| | 2. मध्य प्रदेश | 19.08 |
| | 3. महाराष्ट्र | 17.73 |
| | 4. दादरा तथा नगर हवेली | एन.ए. |
| | 5. गोवा | 23.39 |
| | 6. दमन एवं दीव | 11.27 |
| दक्षिणी क्षेत्र | 1. आन्ध्र प्रदेश | 31.76 |
| | 2. कर्नाटक | 18.56 |
| | 3. केरल | 17.87 |
| | 4. तमिलनाडु | 17.00 |
| | 5. लक्षद्वीप | 15.83 |
| | 6. पाण्डिचेरी | 13.79 |
| पूर्वी क्षेत्र | 1. बिहार | 25.41 |
| | 2. उड़ीसा (ग्रिडको) | एन.ए. |
| | 3. सिक्किम | 20.13 |
| | 4. पश्चिम बंगाल | 20.34 |
| | 5. अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह | 20.51 |
| उत्तर-पूर्वी क्षेत्र | 1. असम | 30.05 |
| | 2. मणिपुर | 21.50$ |
| | 3. मेघालय | 17.93 |
| | 4. नागालैण्ड | 29.50$ |
| | 5. त्रिपुरा | 29.75 |
| | 6. अरुणाचल प्रदेश | 30.99$ |
| | 7. मिजोरम | 47.00$ |
| (अखिल भारत यूटिलिटीज) | | 24.44 |

*राज्य विद्युत बोर्डों/विद्युत विभागों की सूचना के अनुसार उपर्युक्त आंकड़े अनंतिम हैं।

मंगणित आंकड़े।

वार्षिक योजना रिपोर्ट के अनुसार स्रोत संबंधी कागजात योजना आयोग के समक्ष प्रस्तुत।

एन.ए.—रा.वि.बो./विद्युत विभागों द्वारा सूचना अभी तक नहीं भेजी गई है।

**निर्णयों को दिए जाने में देरी होना**

*253. **श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी :**

**श्री समीक लाहिड़ी :**

क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न उच्च न्यायालयों में अनेक मामलों में निर्णय सुरक्षित रखे जाने के बाद काफी समय तक नहीं सुनाए जाते हैं;

(ख) क्या इस देरी के परिणामस्वरूप लोग न्याय से वंचित हो जाते हैं; और

(ग) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिए कि निर्णयों को निर्धारित समयावधि में ही सुना दिया जाए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का प्रस्ताव है?

**विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री राम जेठमलानी) :** (क) जी, हां। विलंबित निर्णयों के कुछ मामले निस्संदेह लोगों की जानकारी में आए हैं किन्तु निर्णय का दिया जाना न्यायिक प्रकिया का भाग है। सरकार ऐसे मामलों, जिनमें निर्णय नहीं दिए गए हैं, की संख्या के बारे में न तो जानकारी ही रखती है और न ही वह इस दुखद स्थिति का निवारण करने के लिए प्रभावी रूप से या प्रत्यक्षत: हस्तक्षेप कर सकती है।

(ख) और (ग) न्यायमूर्ति मलिमथ समिति (1990) ने, कानूनी सीमा के भीतर आरक्षित निर्णयों को सुनाने के लिए विभिन्न सिफारिशें की थीं। उक्त समिति की सिफारिशें, दिसम्बर, 1990 में आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई के लिए सभी राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों और उच्च न्यायालयों को भेज दी गई थीं। यही सिफारिशें, दिसम्बर, 1993 में आयोजित मुख्य मंत्रियों और मुख्य न्यायमूर्तियों की बैठक में भी दुहराई गई थीं।

उपलब्ध जानकारी के अनुसार, आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा के उच्च न्यायालयों और नागालैंड की राज्य सरकार ने, आरक्षित निर्णयों को देने से संबंधित मलिमथ समिति की सिफारिशें कार्यान्वित कर दी हैं।

**भारतीय सड़क निर्माण निगम**

*254. **श्री हन्नान मोल्लाह :**

**श्री सुकदेव पासवान :**

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय सड़क निर्माण निगम को बंद करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) निगम के मुख्य कार्य क्या हैं;

(घ) मार्च, 1999 के अन्त तक निगम को कुल कितना घाटा हुआ;

(ङ) गत पांच वर्षों के दौरान सरकार द्वारा उक्त निगम में विभिन्न स्रोतों से कितनी धनराशि का निवेश किया गया;

(च) क्या सरकार को इस निगम को बंद करने संबंधी प्रस्ताव के खिलाफ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ज) उक्त निगम के कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(झ) क्या सरकार निगम के पुनरुद्धार या विलय योजना पर विचार करेगी; और

(ञ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री राजनाथ सिंह)** : (क) जी, हां।

(ख) निगम को भारी घाटा हो रहा था।

(ग) इंडियन रोड कंस्ट्रक्शन कार्पोरेशन लि. की स्थापना 1976 में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के रूप में भारत और विदेश में सड़कों, पुलों, एयर फील्ड पेवमेंटों और अन्य संबंधित सिविल इंजीजियरी कार्यों के निर्माण के क्षेत्र में एक विशिष्ट वाणिज्यिक उद्यम के रूप में कार्य करने के लिए की गई थी।

(घ) अनंतिम लाभ और हानि लेखे के अनुसार मार्च, 1999 को संचयी हानि 523 करोड़ रु. (लगभग) है।

(ङ) शून्य।

(च) जी, हां।

(छ) इन अभ्यावेदनों में (i) निगम को बंद न करने और (ii) निगम के मौजूदा कर्मचारियों के लिए वैकल्पिक रोजगार पर विचार करने संबंधी अनुरोध किए गए हैं।

(ज) निगम के कर्मचारी स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति का विकल्प दे सकते हैं अन्यथा वे औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अनुसार निगम के बंद होने पर देय क्षतिपूर्ति के हकदार होंगे।

(झ) जी, नहीं।

(ञ) प्रश्न नहीं उठता।

**राष्ट्रीय "लॉंगडिस्टेंस" टेलीफोन सेवा**

*255. **श्री विलास मुत्तेमवार :**
**श्री पी० डी० एलानगोवन :**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 5 फरवरी, 2000 को "दि हिन्दुस्तान टाइम्स" में "डी.ओ.टी. विल फेस रियल कम्पटीशन वन्स नेशनल लॉंगडिस्टेंस फोन सर्विसेज आर ओपन्ड अप" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित तथ्य क्या हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिकिया है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में उपचारात्मक उपाय किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या दूरसंचार दल के अन्तर्गत गठित सूचना प्रौद्योगिकी एकीकरण संबंधी विशेष दल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(च) यदि हां, तो क्या इसने इस संबंध में कुछ उपाय सुझाए हैं; और

(छ) यदि हां, तो रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है और इस दल द्वारा क्या उपाय सुझाए गए हैं?

**संचार मंत्री (श्री राम विलास पासवान)** : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) उक्त समाचार "नेशनल लॉंग डिस्टेंस टेलीफोनों" को निजी प्रतिस्पर्धा के लिए खोलने, टेलीकॉम एवं सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी दल का गठन करने तथा टी.आर.ए.आई. एक्ट में परिवर्तनों की आवश्यकता के बारे में है।

वस्तुस्थिति यह है कि नई दूरसंचार नीति 1999 के अनुसरण में, देश में विश्वस्तरीय दूरसंचार इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास की गति को तेज करने के लिए सरकार ने "नेशनल लॉंग डिस्टेंस टेलीफोनों" को निजी प्रतिस्पर्धा के लिए खोलने का निर्णय लिया है। टी.आर.ए.आई. की सिफारिशें सरकार के सक्रिय विचाराधीन हैं। इससे दूरसंचार विभाग तथा निजी आपरेटरों के मध्य किसी प्रकार के संघर्ष का कोई प्रश्न नहीं है, बल्कि सरकार इस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा को लाने के लिए स्वयं उत्सुक है ताकि सेवाओं को बढ़ावा दिया जा सके तथा उसकी गुणवत्ता में सुधार हो।

(ङ) से (छ) सरकार इस बात के लिए भी कटिबद्ध है कि विनियामक ढांचे को उसके अपने कर्त्तव्यों के प्रभावशाली निर्वहन के लिए व्यापक एवं स्पष्ट अधिकार दिए जाएं। यहां वर्चस्व की कोई लड़ाई नहीं हो रही है, जैसा कि समाचार में लिखा गया है। टेलीकॉम क्षेत्र में चली आ रही समस्याओं के शीघ्र निदान की आवश्यकता और नई दूरसंचार नीति, 1999 की शीघ्र अनुपालना हेतु, दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी के बढ़ते एकीकरण को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने 13 दिसम्बर, 1999 को वित्त मंत्री जी की अध्यक्षता में एक टेलीकॉम एवं सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी दल का गठन किया। इस दल के विचारार्थ विषयों में से एक ... समुचित कानूनी संशोधन करके टी.आर.ए.आई. को सशक्त बनाने के लिए अपनी सिफारिशें देने का मुद्दा भी है। प्रमुख दल ने इन मुद्दों पर विचार करने और उसे अपनी सिफारिशें देने के लिए सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री श्री अरूण जेटली की अध्यक्षता में एक उप-दल का गठन किया था जिसकी रिपोर्ट पर टेलीकॉम एवं सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी दल द्वारा विचार किया गया जिसके आधार पर सरकार ने भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण एक्ट, 1997 में तत्काल संशोधन करने का निर्णय लिया। तदनुसार भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण एक्ट, 1997 में कतिपय ढांचागत परिवर्तन करते हुए 24.1.2000 को भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (संशोधन) अध्यादेश, 2000 जारी किया गया जिससे कि विनियामक प्राधिकरण को सशक्त बनाने, उसे व्यापक अधिकार प्रदान करने तथा सिफारिशें देने व न्यायिक कार्यों के सम्मिश्रण के कारण वैचारिक विषमता को दूर करने के उद्देश्य पूरे हो सकें। इस अध्यादेश में अन्य बातों के साथ-साथ "दूरसंचार विवाद समाधान एवं अपील अधीकरण" नामक एक पृथक विवाद निपटान निकाय की स्थापना करने की भी व्यवस्था है जिसे, तत्कालीन भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण को प्राप्त न्यायिक शक्तियों की अपेक्षा अधिक व्यापक शक्तियां प्राप्त होंगी। इस अध्यादेश के माध्यम से भारतीय दूरसंचार विनियामक एक्ट में संशोधनों का सीआईआई, फिक्की तथा सीओएआई जैसे औद्योगिक निकायों तथा एसोसिएशनों ने स्वागत किया है।

बहुराष्ट्रीय कम्पनी द्वारा पेड़ों का काटा जाना

•256. श्री नरेश पुगलिया : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 27 जनवरी, 2000 के 'पायनियर' में 'एम.एन. सीज कटिंग ट्रीज फार पार्किंग स्लोट्स' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या अनेक बहुराष्ट्रीय कम्पनियां और अन्य बड़ी कम्पनियां राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे उगे वृक्षों को काटकर पार्किंग स्थलों का निर्माण कर रही हैं;

(ग) क्या केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इस संबंध में कोई जांच कराई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे उगे वृक्षों का बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा इस प्रकार अनधिकृत रूप से काटे जाने को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी॰ आर॰ बालू) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) इस विषय पर कार्रवाई करना मुख्यतया राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है और इन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1972 और अन्य संगत अधिनियमों और नियमों के उपबंधों के अन्तर्गत संज्ञान लेना अपेक्षित है। तदनुसार भारत सरकार ने हरियाणा सरकार से यह अनुरोध किया था कि वह समाचार मद में उल्लिखित उल्लंघन की जांच करने और इस मामले में उपयुक्त एवं आवश्यक कानूनी कार्रवाई करे। अब वन विभाग, हरियाणा सरकार द्वारा सूचित किया गया है कि उक्त पार्किंग स्थान एक निजी कम्पनी, गुड़गांवा के सामने है और यह भूमि हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम की है। इस क्षेत्र में कुछ पार्क बना दिए गए हैं और खाली पड़ी जमीन पर वाहन खड़े किए जाते हैं। यहां वृक्ष काटे जाने के संबंध में कोई मामला हरियाणा सरकार के वन विभाग के ध्यान में नहीं आया है और किसी बहुराष्ट्रीय कम्पनी ने वाहन खड़े करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग के निकट कोई वृक्ष नहीं काटा है। चूंकि यह मामला राज्य सरकार से संबंधित है इसलिए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा कोई जांच नहीं की गई है।

पेट्रोलियम उत्पादों का "रिफाइनरी गेट" मूल्य

•257. प्रो॰ उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांच नियंत्रित उत्पादों के रिफाइनरी गेट मूल्य अब आयात समतुल्यता से जुड़े हैं;

(ख) यह नीति किस हद तक कुछ पेट्रोलियम उत्पादों को प्रशासनिक मूल्य तंत्र (ए.पी.एम.) से दूर रखेगी;

(ग) क्या सरकारी क्षेत्र के तेल-शोधक कारखाने अन्तर्राष्ट्रीय बाजारी की अनिश्चितताओं का मुकाबला करने की स्थिति में हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इस बारे में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी, हां।

(ख) प्रशासित मूल्य निर्धारण पद्धति (ए.पी.एम.) को चरणों में समाप्त करने के नवम्बर, 1997 के सरकारी निर्णय के अनुसरण में प्रतिधारण मूल्य निर्धारण पद्धति सभी (वर्तमान और नई) रिफाइनरियों के लिए समाप्त कर दी गई है। उक्त निर्णय के अनुसार मोटर स्पिरिट, हाई स्पीड डीजल, उड्डयन इंजिन ईंधन, मिट्टी तेल (सार्वजनिक वितरण प्रणाली) और तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (घरेलू) के अतिरिक्त सभी पेट्रोलियम उत्पादों के उपभोक्ता मूल्य नियंत्रणमुक्त कर दिए गए हैं। हाई स्पीड डीजल के मूल्य भण्डारण स्थल स्तर तक आयात समता आधार पर निर्धारित किए जाते हैं और अन्य नियंत्रित उत्पादों का मूल्य निर्धारण भी आयात समता की ओर ले जाया जाएगा।

(ग) और (घ) चूंकि सार्वजनिक क्षेत्र रिफाइनरियों को आयात समता आधारित मूल्यों पर प्रतिपूर्ति की जा रही है, इसलिए वे अन्तर्राष्ट्रीय तेल बाजार के उतार-चढ़ावों का सामना करने की स्थिति में होती हैं।

विदेशी कम्पनियों द्वारा स्थापित की जाने वाली विद्युत परियोजनाएं

•258. श्री चिन्मयानन्द स्वामी :
श्री पी॰ कुमारासामी :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पिछले पांच वर्षों के दौरान विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने हेतु गैर-सरकारी तथा विदेशी कम्पनियों के साथ राज्य-वार कितने सौदे किए गए;

(ख) क्या इस संबंध में किन्हीं समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(घ) इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए कितनी समयावधि निर्धारित की गई है; और

(ङ) इनसे कितना विद्युत उत्पादन होने की संभावना है?

विद्युत मंत्री तथा खान और खनिज मंत्री (श्री पी॰ आर॰ कुमारमंगलम) : (क) से (ङ) भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि 18.2.95 के पश्चात् निजी क्षेत्र में विद्युत परियोजनाओं का कियान्वयन केवल प्रतिस्पर्धात्मक बोली के द्वारा ही होगा। उपलब्ध सूचना के अनुसार पिछले पांच वर्षों के दौरान 6 निजी विद्युत परियोजनाओं, जिन्हें समय-समय पर भारत सरकार की दिनांक 19 अक्तूबर, 1994 की यथा संशोधित अधिसूचना के अनुसार केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति की आवश्यकता है, को राज्य सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बोली प्रकिया के आधार पर चुन लिया गया है। इनमें से 2 परियोजनाओं के लिए विद्युत क्रय करारों (पीपीए) पर हस्ताक्षर कर लिए गए हैं। इन परियोजनाओं का ब्यौरा निम्नवत है :

| क्रम सं. | परियोजना/प्रवर्तक/राज्य का नाम | क्षमता (मे.वा.) | प्रदान करने की तिथि | पीपीए हस्ताक्षरित होने की तिथि | चालू करने का कार्यक्रम |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | कोंडापल्ली सीसीजीटी, मै. कोंडापल्ली पावर कार्पो. लि., आंध्र प्रदेश | 350 | 24.7.96 | 31.3.97 | जून, 2000 |
| 2. | वेमागिरि सीसीजीटी, मै. इस्पात पावर लि., आंध्र प्रदेश | 492 | 24.7.96 | 31.3.97 | यूनिट 1-20, यूनिट 2-22 और यूनिट 3 वित्तीय समापन से 26 माह दूर हैं। |
| 3. | बरसिंहसर टीपीपी, मै. हिन्दुस्तान विद्युत कार्पोरेशन लि., राजस्थान | 500 | 23.8.96 | पीपीए पर 16.12.96 को हस्ताक्षर हुए। | यूनिट-1 38 तथा यूनिट-2 वित्तीय समापन से 42 माह दूर है। |
| 4. | जायमकोंडम टीपीपी, मै. जायमकोंडम लिग्नाइट पावर कार्पोरेशन लि., तमिलनाडु | 500 | 15.6.98 | हस्ताक्षर अभी होने हैं। | प्रवर्तकों द्वारा तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति हेतु केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को अभी अपनी पूरी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी है। |
| 5. | एन्नौर टीपीपी, दक्षिण भारत एनर्जी कंसोर्टियम, तमिलनाडु | 1884.64 | 28.12.98 | हस्ताक्षर अभी होने हैं। | प्रवर्तकों द्वारा तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति हेतु केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को अभी अपनी पूरी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी है। |
| 6. | गोइंदवल साहिब टीपीपी, मैसर्स जीवीके पावर (गोइंदवल) लि., पंजाब | 500 | 20.5.98 | हस्ताक्षर अभी होने हैं। | प्रवर्तकों द्वारा तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति हेतु केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को अभी अपनी पूरी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी है। |

## गंगा कार्ययोजना

***259. श्री रामजीलाल सुमन : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह** बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गंगा कार्ययोजना के कार्यान्वयन के बारे में स्थगन आदेश दिए हैं और समूची परियोजना की एक विशेषज्ञ दल द्वारा समीक्षा किए जाने का भी आदेश दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) :** (क) और (ख) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 16.9.98 के आदेश के तहत गंगा कार्ययोजना चरण-II के कार्यान्वयन पर रोक लगा दी थी और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को परियोजना की जांच, छानबीन और इसके अनुमोदन के लिए एक तकनीकी समिति के गठन का निर्देश दिया था और इस समिति द्वारा मंजूरी के बाद ही परियोजनाओं/स्कीमों पर काम शुरू किया जा सकेगा। इस आदेश के खिलाफ पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रतिवाद के रूप में मामला उच्चतम न्यायालय में ले जाया गया। उच्चतम न्यायालय ने अपने दिनांक 29.10.98 और 9.11.98 के आदेशों के तहत इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उक्त निर्देशों पर अगले आदेश होने तक रोक लगा दी है।

## राष्ट्रीय वानिकी अनुसंधान योजना के बारे में राष्ट्रीय कार्यशाला

***260. डा० वी० सरोजा : क्या पर्यावरण एवं वन मंत्री यह** बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में ही नई दिल्ली में राष्ट्रीय वानिकी अनुसंधान योजना के बारे में एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो इसमें की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा रक्षित वन क्षेत्रों को उपयोग में लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

**पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) :** (क) जी, हां।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय वानकी अनुसंधान योजना को अंतिम रूप देने के लिए एक कार्यशाला दिनांक 16 फरवरी, 2000 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। इस कार्यशाला में राज्य वन विभागों के वन अधिकारियों, विभिन्न संस्थानों/संगठनों के अध्यक्षों और संबंधित विश्वविद्यालयों, गैर-सरकारी संगठनों, उद्योगों के प्रतिनिधियों, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधिकारियों तथा आई०सी०एफ०आर०ई० के वैज्ञानिकों/अधिकारियों ने भाग लिया था। उक्त कार्यशाला के दौरान राष्ट्रीय स्तर पर निम्नलिखित प्रमुख प्राथमिकता वाली अनुसंधान समस्याओं का पता लगाया गया :

1. अवक्रमित वनों का पारि-पुनर्स्थापन
2. कृषि वानकी/सामाजिक वानिकी मॉडलों का विकास
3. महत्वपूर्ण प्रजातियों का वृक्षारोपण करके उनके स्टॉक का सुधार (टीक, यूकेलिप्टस प्रजाति, शीशम, गाम्हर, बांस, कैसोरिना आदि)
4. जैव विविधता संरक्षण और उपयोग

5. मृदा और जल संरक्षण (एकीकृत जल विभाजक प्रबंधन सहित)

6. भागीदारी आधार पर वन प्रबंधन

7. वन विभाग को मानव संसाधन प्रबंधन समस्याएं

8. वन प्रबंधन/संयुक्त वन प्रबंधन को बनाए रखना

9. प्राकृतिक वनों का प्रबंधन

10. दबाव वाले स्थलों (यूजर लैंड, रेविन आदि) का वनीकरण

11. महत्वपूर्ण प्रजातियों (टीक, गाम्हर, शीशम, बांस, साल आदि) की पौधशाला तकनीकें

12. महत्वपूर्ण प्रजातियों (साल, टीक, एबिज पिन्ड्रो, रोजनड, गाम्हर आदि) का प्राकृतिक पुनरुद्धार

13. जैव-विविधता मूल्यांकन और मॉनीटरी

14. संकटापन्न प्रजातियों (बाध, टेक्सस बेकटा, ऑरकिड्स, राऊवोलफिया प्रजाति) की सुरक्षा

15. बीज एकत्रीकरण, संग्रहण और उपचार (टीक, शीशम, गाम्हर, बांस आदि)

16. एन०टी०एफ०पी० (एम०एफ०पी० अथवा एन०डब्ल्यू० एफ०पी०) (क्लारोफाइटम ट्यूबरोसम, रोवोलफिया सरपेंटिना, टेक्सेस बेकटा, टर्मिनेलिया बेबुला आदि) की पौधशाला तकनीकें।

तकनीकें

17. वन्यजीव सुरक्षा

18. वृक्षारोपण प्रबंधन

19. वन्य अग्नि प्रबंधन

20. चराई व्यवस्था (ग्रासलैंड व्यवस्था सहित)

सभी अनुसंधान परियोजनाओं का उद्देश्य वनों की उत्पादकता में वृद्धि तथा वन संसाधनों का सतत उपयोग सुनिश्चित करना है।

**ताजमहल के आस-पास प्रदूषण**

**2600. श्री रामचन्द्र वीरप्पा : क्या पर्यावरण एवं वन मंत्री यह** बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ताजमहल को प्रदूषण से बचाने में एक अमेरिकी संस्थान ने रुचि दिखाई है;

(ख) क्या इस संबंध में कोई विशेष नीति तैयार की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस नीति को कब तक क्रियान्वित कर दिया जाएगा?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) :** (क) से (घ) नेशनल पार्क सर्विसेज, संयुक्त राज्य अमरीका और भारत सरकार के पर्यटन विभाग ने मिलकर एक परियोजना रिपोर्ट तैयार की है जिसे 'आगरा हेरिटेज प्रोजेक्ट रिपोर्ट' कहा गया है। इस रिपोर्ट के दो खंड थे अर्थात् प्लानिंग सिनॉप्सिज, 1994 और आगरा एन्वायरनमेंटल असेसमेंट, 1994। आगरा एन्वायरनमेंटल असेसमेंट, 1994 में की गई प्रमुख सिफारिशें निम्नलिखित हैं :

1. निर्बाध बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करना।

2. औद्योगिक प्रचालनों में सुधार लाना।

3. आगरा बाई-पास रोड और रिंग रोड का निर्माण करना।

4. सेंट्रल आगरा में गैस/एलपीजी का उपयोग सुनिश्चित करना।

5. जल आपूर्ति की स्थिति में सुधार लाने के लिए आगरा बांध का निर्माण।

6. प्रभावी मलजल शोधन और प्रभावी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सुनिश्चित करना।

आगरा पर्यावरणीय असेसमेंट, 1994 में की गई सिफारिशों को भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली विभिन्न स्कीमों में सम्मिलित किया गया है।

पर्यावरण और वन मंत्रालय तथा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दो योजनाएं अर्थात् ताज सुरक्षा मिशन और यमुना कार्य योजना, कार्यान्वित की जा रही है, जिनमें निर्बाध बिजली की आपूर्ति, गोकुल बांध का निर्माण, बाई-पास मार्गों का निर्माण, शहर की सड़कों का सुधार, जल निकासी और सफाई में सुधार, मलजल शोधन और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित परियोजनाएं सम्मिलित की गई हैं।

**विद्युत पर राजसहायता को सीमित करने हेतु कानून**

**2601. श्री महबूब जाहेदी :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राज्य सरकारों द्वारा दी जाने वाली राजसहायता को सीमित करने के लिए एक विद्युत विधेयक लाने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या किसानों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**विद्युत मंत्री तथा खान और खनिज मंत्री (श्री पी०आर० कुमारमंगलम) :** (क) से (ग) विद्युत मंत्रालय ने नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाईड इकोनोमिक रिसर्च (एनसीएईआर) से कहा कि वे परामर्शदाता के रूप में ऐसे आवश्यक विधायी परिवर्तन सुझाएं जिनसे कि विद्युत क्षेत्र के सुधार प्रक्रिया में तेजी लाई जा सके।

एनसीएईआर ने विद्यमान तीन विद्युत कानूनों (भारतीय बिजली अधिनियम, 1910, बिजली (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 एवं विद्युत नियामक आयोग अधिनियम, 1998) को प्रतिस्थापित करने के लिए एक प्रारूप विद्युत विधेयक विचार हेतु प्रस्तुत किया है।

तत्संबंधी विधेयक की प्रतियां सभी संबंधितों को उनकी टिप्पणी, सुझाव एवं परामर्श के लिए भेजी जा चुकी हैं ताकि सरकार को प्रस्तावित विधेयक पर निर्णय लेने में मदद मिले।

*[हिन्दी]*

**विद्युत उत्पादन क्षमता में वृद्धि**

**2602. श्री हरिभाई चौधरी :** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों के प्रत्येक बिजलीघर की अधिष्ठापित विद्युत उत्पादन क्षमता में कितनी वृद्धि हुई;

(ख) क्या सरकार का विचार राज्यों में मौजूदा बिजलीघरों की अधिष्ठापित क्षमता में वृद्धि करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

**विद्युत मंत्री तथा खान और खनिज मंत्री (श्री पी०आर० कुमारमंगलम) :** (क) गत तीन वर्षों अर्थात् 1996-97, 1997-98 तथा 1998-99 के दौरान विभिन्न राज्यों में विद्युत उत्पादन की अधिष्ठापित क्षमता में नई अभिवृद्धि दर्शाने वाला विवरण-I संलग्न है।

(ख) और (ग) जी, हां। सरकार राज्यों में विद्यमान विद्युत स्टेशनों की अधिष्ठापित क्षमता में वृद्धि करने का प्रस्ताव रखती है। राज्य क्षेत्र और केन्द्रीय क्षेत्र के विद्युत स्टेशनों में प्रस्तावित अभिवृद्धि का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II दिया गया है।

**विवरण-I**

*वर्ष 1996-97, 1997-98 और 1998-99 के लिए अधिष्ठापित विद्युत क्षमता में नई अभिवृद्धि को राज्य-वार दर्शाने वाला विवरण*

| राज्य | विद्युत केन्द्र | क्षमता (मे०वा०) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| **1996-97** | | |
| हिमाचल प्रदेश | गज | 10.50 |
| जम्मू व कश्मीर | उरी, एनएचपीसी | 480.00 |
| महाराष्ट्र | डिम्भे | 5.00 |
| आंध्र प्रदेश | कोठागुडम | 250.00 |
| | गोदावरी | 94.00 |
| | जेगरुपाडु | 158.40 |
| केरल | लोअर पेरियार | 60.00 |
| बिहार | पूर्वी गंडक नहर | 5.00 |
| | तेनुघाट | 210.00 |
| पश्चिम बंगाल | मेजिया | 210.00 |
| असम | कोपिली विस्तार, नीपको | 100.00 |
| | कैथालगुडी, नीपको | 33.50 |
| त्रिपुरा | रोखिया | 8.00 |
| **1997-98** | | |
| पंजाब | जीएचटीपी, भटिंडा | 210.00 |
| उत्तर प्रदेश | टांडा | 110.00 |
| गुजरात | कच्छ लिग्नाइट | 75.00 |
| | गांधीनगर, टीपीएस | 210.00 |
| | हजीरा, एसटी | 185.00 |
| | पगुथन | 405.00 |
| | बड़ौदा | 167.00 |
| महाराष्ट्र | वारना | 8.00 |
| | चन्द्रपुर, टीपीएस | 500.00 |
| आंध्र प्रदेश | कोठागुडम | 250.00 |
| | जेगरुपाडु एसटी | 77.00 |
| | गोदावरी | 114.00 |
| कर्नाटक | कदरा | 50.00 |
| | भद्रा, आरबीसी | 6.00 |
| केरल | लोअर पेरियार | 120.00 |
| | ब्रह्मपुरम | 80.00 |
| तमिलनाडु | लोअर भवानी बांध | 8.00 |
| बिहार | पूर्वी गंडक नहर | 5.00 |
| पश्चिम बंगाल | तीस्ता नहर प्रपात (i) | 22.50 |
| | (ii) | 7.50 |
| | बज बज | 250.00 |
| | मेजिया | 210.00 |
| असम | आदम टिल्ला | 9.50 |
| | बास खांडी | 10.50 |
| | कैथालगुडी, नीपको | 60.00 |
| त्रिपुरा | रोखिया | 8.00 |
| | अगरतला, नीपको | 63.00 |
| अरुणाचल प्रदेश | नूरांग | 6.00 |
| **1998-99** | | |
| पंजाब | जीएचटीपी, भटिंडा | 210.00 |
| राजस्थान | सूरतगढ़, टीपीएस | 250.00 |
| उत्तर प्रदेश | सोबला | 6.00 |
| | ऊंचाहार, एनटीपीसी | 210.00 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| गुजरात | कदाना | 60.00 |
| | वनाकबोरी, टीपीएस | 210.00 |
| | पगुथन | 250.00 |
| मध्य प्रदेश | बीरसिंहपुर | 210.00 |
| | विन्ध्याचल एसटीपीएस, एनटीपीसी | 500.00 |
| महाराष्ट्र | वारना | 8.00 |
| | कोयना | 250.00 |
| | डाभोल | 740.00 |
| कर्नाटक | कदरा | 100.00 |
| | कोडासल्ली | 80.00 |
| | रायचूर | 210.00 |
| | तोरांगल्लू | 130.00 |
| केरल | पोरिंगलकुथू | 16.00 |
| | ब्रह्मपुरम | 20.00 |
| | कायमकुलम, एनटीपीसी | 230.60 |
| तमिलनाडु | हथुंदरम | 7.50 |
| | बेसिन ब्रिज | 200.00 |
| पांडिचेरी | कराईकल | 22.90 |
| पश्चिम बंगाल | तीस्ता नहर प्रपात | 15.00 |
| | बज बज, टीपीएस | 250.00 |
| असम | बसखांडी | 5.00 |
| | कैथालगुडी, नीपको | 30.00 |
| त्रिपुरा | अगरतला, नीपको | 21.00 |

**विवरण-II**

*राज्य क्षेत्र और केन्द्रीय क्षेत्र के विद्युत स्टेशनों में प्रस्तावित अभिवृद्धि का राज्य-वार ब्यौरा (के०वि०प्रा० द्वारा स्वीकृत विस्तार परियोजनाएं)*

| परियोजना का नाम | क्षमता (मे०वा०) | तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति की तिथि |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| **राज्य क्षेत्र** | | |
| सूरतगढ़, टीपीएस चरण-2 आरएसईबी, राजस्थान | 2×250 | 9.7.1999 |
| परली टीपीएस विस्तार, चरण-1 एमएसईबी, महाराष्ट्र | 1×250 | 9.7.1999 |
| बालीमेला एचईपी, विस्तार, उड़ीसा | 2×75 | 25.10.1999 |
| **केन्द्रीय क्षेत्र** | | |
| अन्ता सीसीपीपी चरण-2, एनटीपीसी राजस्थान | 650 | 19.8.1998 |
| औरैया सीसीपीपी चरण-2, एनटीपीसी उ०प्र० | 650 | 30.11.1998 |
| रिहन्द एसटीपीएस चरण-2, एनटीपीसी उ०प्र० | 2×500 | 1.10.1999 |
| कवास सीसीजीटी चरण-2, एनटीपीसी गुजरात | 650 | 19.8.1998 |
| झनोर-गांधार सीसीजीटी चरण-2 | 650 | 12.11.1998 |
| रामागुण्डम एसटीपीएस चरण-3 एनटीपीसी, आंध्र प्रदेश | 1×500 | 29.4.1999 |
| तालचेर चरण-2 एसटीपीएस, एनटीपीसी उड़ीसा | 4×500 | 23.10.1997 |

## निजी कंपनियों के लिए लघु परियोजनाएं

2603. **श्री राजो सिंह : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों में विशेषतः बिहार में निजी कंपनियों को सौंपी गई विभिन्न लघु परियोजनाओं यथा-बाइपास, सड़क और उपरिपुल की संख्या क्या है;

(ख) इस हेतु अपनाया गया मानदंड क्या है; और

(ग) इस प्रकार की परियोजनाओं में कुल कितनी राशि व्यय होगी तथा वर्तमान में इस प्रकार के कितने प्रस्ताव लंबित हैं?

**जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देबेन्द्र प्रधान) :** (क) ब्यौरे दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। बिहार में कोई बी ओ टी परियोजना नहीं सौंपी गई है।

(ख) बी ओ टी परियोजनाएं प्रयोक्ता को न्यूनतम लागत के सिद्धांत के आधार पर सौंपी जाती हैं।

(ग) पहले ही सौंपी जा चुकी 20 परियोजनाओं में लगभग 1000 करोड़ रु० की कुल राशि शामिल है। केन्द्र सरकार के पास कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है।

**विवरण**

*सौंपी गई बी ओ टी परियोजनाओं की सूची*

| क्रम सं० | परियोजना का नाम | रा०रा० संख्या | राज्य | लंबाई (कि० मी०) | लागत (करोड़ रु०) | हस्ताक्षर की तारीख | पूरा करने की वास्तविक/संभावित तारीख | एजेंसी | वर्तमान स्थिति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | *थाने-भिवंडी बाइपास | 3 और 4 | महाराष्ट्र | 24 | 103 | 12.9.95 | 31.12.2001 | ज०भू०प०मं० | प्रगति पर |
| 2. | **वाल्टन रोड ओवर ब्रिज | 8 | गुजरात | 14 लेन आर ओ बी | 10 | 19.9.96 | 15.7.1998 | ज०भू०प०मं० | पूरा हो चुका |
| 3. | **उदयपुर बाइपास | 8 | राजस्थान | 11 | 24 | जुलाई, 96 | 22.4.1998 | ज०भू०प०मं० | पूरा हो चुका |
| 4. | 6 पुलों का निर्माण | 5 | आंध्र प्रदेश | 6 पुल | 50 | 9.4.97 | 8.6.2001 | ज०भू०प०मं० | प्रगति पर |
| 5. | कोयम्बटुर बाइपास | 47 | तमिलनाडु | 33 | 90 | 3.10.97 | 3.12.99 | ज०भू०प०मं० | प्रगति पर |
| 6. | दुर्ग बाइपास | 6 | मध्य प्रदेश | 18.4 | 68 | 5.11.97 | 5.5.2000 | एन०एच०ए०आई० | प्रगति पर |
| 7. | नर्मदा ब्रिज | 8 | गुजरात | 6 | 113 | 21.11.97 | 21.12.2000 | ज०भू०प०मं० | प्रगति पर |
| 8. | **नरधाना आर ओ बी | 3 | महाराष्ट्र | 13 | 34.21 | 25.11.97 | 22.7.1999 | ज०भू०प०मं० | पूरा हो चुका |
| 9. | **पटेलगंगा ब्रिज और आर ओ बी | 17 | महाराष्ट्र | 1 | 33.3 | 29.11.97 | 20.7.1999 | ज०भू०प०मं० | पूरा हो चुका |
| 10. | हुबली-धारवार बाइपास | 4 | कर्नाटक | 30.35 | 68 | 5.2.98 | 5.11.2001 | प०भू०प०मं० | प्रगति पर |
| 11. | नैल्लोर बाइपास | 5 | आंध्र प्रदेश | 18 | 73 | 17.2.98 | अक्तू० 2000 | एन०एच०ए०आई० | रियायत करार हस्ताक्षरित/निर्माण कार्य शुरू होना है। |
| 12. | कोरातलैयार ब्रिज | 5 | तमिलनाडु | | 30 | 28.10.98 | नव०, 2000 | ज०भू०प०मं० | प्रगति पर |
| 13. | कम्बाटकी घाट टनेल एवं रोड | 4 | महाराष्ट्र | 8 | 37.8 | 16.11.98 | नव०, 1999 | ज०भू०प०मं० | प्रगति पर |
| 14. | नसीराबाद आर ओ बी | 6 | महाराष्ट्र | 30 मी० | 10.45 | 16.11.98 | मई, 2001 | ज०भू०प०मं० | प्रगति पर |
| 15. | वेनगंगा ब्रिज | 6 | महाराष्ट्र | 530 मी० | 32.6 | 16.11.98 | जुलाई, 2000 | ज०भू०प०मं० | प्रगति पर |
| 16. | माही ब्रिज | 8 | गुजरात | | 42 | 16.11.98 | 25.4.2000 | ज०भू०प०मं० | प्रगति पर |
| 17. | किशनगढ़ बाइपास में आर ओ बी | 8 | राजस्थान | कि०मी० | 16.66 | 27.11.98 | 31.12.2009 | एनएचएआई | रियायत करार हस्ताक्षरित/निर्माण कार्य शुरू होना है। |
| 18. | वराक नदी पर पुल | 8 | गुजरात | | 48.2 | 1.3.99 | | ज०भू०प०मं० | प्रगति पर |
| 19. | मुरादाबाद बाइपास | 24 | उत्तर प्रदेश | 18 | 100 | | | एन०एच०ए०आई० | एस पी वी के जरिए कार्य चालू |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. | डेगवम्मी पर आर ओ बी | 22 | पंजाब | आर ओ बी | 36.11 | 8.9.99 | | ज०भू०प०मं० | रियायत करार हस्ताक्षरित/ निर्माण कार्य शुरू होना है। |

*मूल कार्य पूरा करने के बाद सड़क यातायात के लिए खोल दी गई है। चार लेन कार्य प्रगति पर है।

**कार्य पूरा होने के बाद यातायात के लिए खोल दिया गया।

*[अनुवाद]*

### आंध्र प्रदेश में विद्युत परियोजनाओं हेतु 'आई एफ सी' के साथ समझौता

**2604. श्री वाई०एस० विवेकानन्द रेड्डी :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में विद्युत परियोजनाओं में 9 मिलियन पाउंड तक निवेश करने हेतु 'इंटरनेशनल फाइनेंस्ट कॉर्पोरेशन' के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस परियोजना के पूरा होने के बाद कितनी मात्रा में विद्युत उत्पादन की संभावना है?

**विद्युत मंत्री तथा खान और खनिज मंत्री (श्री पी०आर० कुमारमंगलम) :** (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

### अपर तुंग परियोजना

**2605. श्री जी०एस० बसवराज :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जल आयोग द्वारा मंजूर की गई कर्नाटक की अपर तुंग परियोजना सरकार के पास मंजूरी के लिए लंबित पड़ी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या मंजूरी देने में हुए विलंब के कारण परियोजना बहुत अधिक प्रभावित हुई है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं?

**पर्यावरण और वन राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) :** (क) से (घ) केन्द्रीय जल आयोग ने अपर तुंग परियोजना का अनुमोदन नहीं किया है। केन्द्रीय जल आयोग ने प्राप्त प्रस्तावों पर टिप्पणियां/प्रेक्षण जून, 1992 से अगस्त 1999 के दौरान भेज दिए थे जिनका अनुपालन राज्य सरकार ने अभी तक नहीं किया है। पर्यावरण एवं वन मंजूरी के लिए प्राप्त प्रस्ताव भी अधूरी सूचना के साथ भेजे गए हैं। प्रस्तावों के संबंध में 1997 में मांगी गई अतिरिक्त सूचना अभी तक पूरी तरह से प्राप्त नहीं हुई है।

### न्यायाधीशों का स्थानांतरण

**2606. श्री पी०एच० पांडियन :** क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चेन्नई उच्च न्यायालय के एक तिहाई न्यायाधीशों के स्थानांतरण के संबंध में नियमों का अनुसरण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री राम जेठमलानी) :** (क) से (ग) 1983 में भारत सरकार ने यह विनिश्चय किया था कि नीति की दृष्टि से एक ऐसी परिपाटी होनी चाहिए जिसके अनुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक-तिहाई न्यायाधीश अन्य राज्यों से होने चाहिए।

उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों और मुख्य न्यायमूर्तियों की नियुक्ति/स्थानांतरण भारत के मुख्य न्यायमूर्ति की सिफारिशों पर किया जाता है।

मद्रास उच्च न्यायालय में आसीन 35 न्यायाधीशों में से, सात न्यायाधीश अन्य राज्यों से हैं जबकि मद्रास उच्च न्यायालय के छह न्यायाधीश इस समय स्थानांतरणोपरांत अन्य उच्च न्यायालयों में कार्यरत हैं।

### नुमालीगढ़ रिफाइनरी

**2607. श्री भीम दाहाल :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम में नुमालीगढ़ रिफाइनरी को चालू करने संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) इस परियोजना पर अब तक कुल कितना व्यय किया गया है; और

(ग) इसे कब तक चालू किए जाने की संभावना है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) :** (क) नुमालीगढ़ रिफाइनरी एक चरणबद्ध तरीके से चालू की जा रही है। प्राथमिक आसवन इकाइयां तथा विलंबित कोकर इकाई क्रमशः अप्रैल, 1999 तथा सितंबर, 1999 में चालू की गई थी। हाइड्रोकार्बन इकाई फरवरी, 2000 के अंतिम सप्ताह में चालू की गई थी। शेष प्रमुख सहायक इकाई (हाइड्रोकेकर यूनिट) वर्तमान में चालू होने की अवस्था में हैं।

(ख) नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड, 2724 करोड़ रुपये की कुल अनुमोदित लागत पर निकटवर्ती विपणन टर्मिनल के साथ-साथ नुमालीगढ़ रिफाइनरी परियोजना का क्रियान्वयन कर रही है। कुल परियोजना के

लिए 29 फरवरी, 2000 को प्रावधान के साथ-साथ कुल व्यय 2568 करोड़ रुपये है।

(ग) रिफाइनरी के अप्रैल, 2000 में वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ करने की आशा है।

**केरल को विद्युत का आबंटन**

**2608. श्री जी०एम० बनातवाला :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल को विद्युत के अनाबंटित शेयर का आबंटन रोक दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और ऐसा किस तारीख को किया गया था;

(ग) क्या केरल सरकार ने केन्द्र सरकार से राज्य के अनाबंटित विद्युत के आबंटन को पुन: बहाल करने का अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का विचार है?

**विद्युत मंत्री तथा खान और खनिज मंत्री (श्री पी०आर० कुमारमंगलम) :** (क) से (ङ) क्षेत्र के घटक राज्यों में सापेक्ष विद्युत कमी को ध्यान में रखते हुए और क्षेत्र में राज्यों की तात्कालिक/मौसमी आवश्यकताओं को भी पूरा करने के लिए केन्द्रीय उत्पादन केन्द्रों के अनाबंटित कोटे से विद्युत आबंटन की समय-समय पर समीक्षा की जाती है। दक्षिणी क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति स्थिति की केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा दिसंबर, 1999 में समीक्षा की गई। सीईए की समीक्षा के आधार पर दक्षिणी क्षेत्र के अन्य राज्यों में अपेक्षाकृत अधिक बिजली कमी की तुलना में केरल में फरवरी, 2000 से जून, 2000 के दौरान विद्युत आपूर्ति की स्थिति आरामदायक होने का अनुमान है। तदनुसार 17.12.99 से केरल का आबंटन 5% (22 मेगावाट) से घटाकर शून्य कर दिया गया है। केरल सरकार ने इस निर्णय की समीक्षा का अनुरोध किया है। दक्षिणी क्षेत्र के राज्यों में विद्युत की सापेक्ष कमी को देखते हुए अप्रैल/मई, 2000 में सीईए द्वारा अनाबंटित विद्युत आबंटन की समीक्षा की संभावना है।

**इंटरनेट और निकनेट संबंधी विधान**

**2609. श्री सुरेश रामराव जाधव :** क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार समग्र केन्द्रीय विधान इंटरनेट और निकनेट पर लाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह कार्य कब तक किए जाने की संभावना है?

**विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री राम जेठमलानी) :** (क) केन्द्रीय सरकार ने, भारत संहिता की जिल्दों में यथाअंतर्विष्ट संपूर्ण भारत में लागू होने वाले सभी अनिरसित केन्द्रीय अधिनियमों को इंटरनेट और निकनेट पर लाने के उपाय किए हैं।

(ख) और (ग) भारत संहिता में अंतर्विष्ट केन्द्रीय अधिनियम इंटरनेट के वेबसाइट पते http://caselaw.delhi.nic.in/incodis पर देखे जा सकते हैं। विधायी विभाग ने, ऐसी असंगतियों को, जो उनके द्वारा वेबसाइट पर उपलब्ध सामग्री में पाई जाएं, इस विभाग की जानकारी में लाने के लिए अन्य केन्द्रीय प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध किया है।

*[हिन्दी]*

**राष्ट्रीय पर्यावरण अधिकरण**

**2610. श्री सुरेश चंदेल :** क्या पर्यावरण एवं वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या पर्यावरण और वन मंत्री राष्ट्रीय पर्यावरणीय अधिकरणों के बारे में 20 दिसंबर, 1999 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3112 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा राष्ट्रीय पर्यावरण अधिकरण अधिनियम, 1999 के अंतर्गत राष्ट्रीय पर्यावरणीय अधिकरणों का गठन करने के लिए अब तक क्या कार्रवाई की गई है?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) :** सरकार ने राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण अधिनियम, 1995 के अंतर्गत राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण की स्थापना हेतु कार्रवाई प्रारंभ कर दी है।

*[अनुवाद]*

**पेट्रोल की गुणवत्ता में सुधार**

**2611. श्री रवि प्रकाश वर्मा :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तेल निगम ने यूरो V मानकों के अनुपालन हेतु पेट्रोल की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में योजना के कार्यान्वयन हेतु क्या कोई समय सीमा निर्धारित की गई है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) :** (क) से (ग) फिलहाल इंडियन आयल कारपोरेशन द्वारा उत्पादित पेट्रोल भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित विनिर्देशों के अनुरूप हैं। पेट्रोल के लिए यूरो V मानकों को अभी यूरोप में समादेश नहीं मिला है।

**असम में कच्चे तेल और गैस का भंडार**

**2612. श्री पवन सिंह घाटोवार :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान असम में कच्चे तेल और गैस के उत्पादन में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना तथा वर्ष 1997 से इसके योजना अनुमान की तुलना में असम में कच्चे तेल और गैस की वर्ष-वार वास्तविक उपलब्धता क्या रही है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) :** (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

**मणिपुर में राष्ट्रीय राजमार्गों का सुधार**

**2613. श्री होलखोमांग हौकिप :** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों विशेषकर मणिपुर राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों के सुधार की कोई योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो विकसित किए जाने वाले राजमार्गों का ब्यौरा क्या है और इन पर कितनी धनराशि खर्च की जाएगी?

**जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देबेन्द्र प्रधान) :** (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। 1999-2000 के दौरान मणिपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग-39 और 150 के विकास के लिए मंत्रालय ने राज्य सरकार को 10.00 करोड़ रु० आबंटित किए हैं। इसके अतिरिक्त सीमा सड़क संगठन ने माओ से मरम तक रा०रा०-39 के विकास के लिए 0.45 करोड़ रु० और रा०रा०-53 के विकास के लिए 07.13 करोड़ रु० आबंटित किए हैं।

*[हिन्दी]*

**न्यायाधीशों द्वारा अनिवार्य रूप से संपत्ति की घोषणा**

**2614. श्री जवाहर लाल जायसवाल :**
**श्री चन्द्रेश पटेल :**

क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों ने न्यायपालिका को और अधिक उत्तरदायी बनाने के लिए यह संकल्प स्वीकार कर लिया है कि प्रत्येक न्यायाधीश अपने द्वारा अर्जित सभी संपत्ति की घोषणा अनिवार्य रूप से करेंगे;

(ख) यदि हां, तो न्यायपालिका द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) न्यायाधीशों ने किस सीमा तक अपनी संपत्ति की घोषणा की है?

**विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री राम जेठमलानी) :** (क) से (ग) 3 और 4 दिसंबर, 1999 को आयोजित उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन में, सर्वसम्मति से यह संकल्प किया गया था कि प्रत्येक न्यायाधीश पद धारण करने के बाद युक्तियुक्त समय के भीतर और आसीन न्यायाधीशों की दशा में, संकल्प के अंगीकार के बाद युक्तियुक्त समय के भीतर अपनी पूर्ण स्वामिक संपदा या विनिधानों (जो उसके स्वयं के नाम में उसके द्वारा या उसके/उसकी पति या पत्नी के नाम में या उस पर आश्रित किसी व्यक्ति के नाम से धारित हो) के रूप में अपनी सभी आस्तियों की घोषणा करेगा/करेगी। तत्पश्चात्, संकल्प यह और उपबंध करता है कि जब कभी सारवान् प्रकृति का कोई अर्जन किया जाता है तो उसे युक्तियुक्त समय के भीतर प्रकट किया जाएगा। घोषणा न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति को प्रस्तुत की जाएगी। मुख्य न्यायमूर्ति भी अभिलेख के प्रयोजन के लिए वैसी ही घोषणा करेगा। न्यायाधीशों या मुख्य न्यायमूर्तियों द्वारा की गई घोषणा, यथास्थिति, गोपनीय रखी जाएगी।

**मानक लाइसेंस शुल्क का निर्धारण**

**2615. श्री राजैया मल्याला :** क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** दिनांक 20 दिसंबर, 1999 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2944 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मानक लाइसेंस शुल्क अब तक निर्धारित न किए जाने के क्या कारण हैं;

(ख) इसके कारण राजकोष को प्रतिवर्ष कुल कितने राजस्व की हानि हो रही है; और

(ग) आबंटितियों से उपरोक्त हुए नुकसान की वसूली के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का विचार हैं?

**विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री राम जेठमलानी) :** (क) भारत सरकार ने, उच्चतम न्यायालय के वकीलों के लिए विद्यमान तथा प्रस्तावित नए चैम्बरों की अनुज्ञप्ति फीस नियत करने के लिए एक समिति गठित की थी। समिति की सिफारिशें विचाराधीन हैं। इसलिए, चैम्बरों के लिए मानक फीस अभी तक नियत नहीं की गई है।

(ख) जब तक अनुज्ञप्ति फीस निश्चित नहीं की जाती है तब तक राजकोष को हो रही राजस्व की हानि की संगणना संभव नहीं है।

(ग) इस प्रक्रम पर प्रश्न ही नहीं उठता।

*[हिन्दी]*

**निजी कंपनियों को पाइप लाइन बिछाने का कार्य**

**2616. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों को नजर-अंदाज करके पाइप लाइन बिछाने का ठेका निजी कंपनियों को दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को अनुमानतः कितने राजस्व की हानि होने की संभावना है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) :** (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

### दोहद, गुजरात में रसोई गैस एजेंसियां/ पेट्रोल पम्प

2617. **श्री बाबूभाई के० कटारा : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात के दोहद जिले में आज की स्थिति के अनुसार कितने पेट्रोल पम्प और रसोई गैस एजेंसियां कार्य कर रही हैं;

(ख) वर्ष 1998 और 1999 के दौरान कितने नई रसोई गैस एजेंसियां और पेट्रोल पम्प खोले गए;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान जिले में रसोई गैस एजेंसियों और पेट्रोल पम्पों के आबंटन हेतु सरकार को कितने अभ्यावेदन प्राप्त हुए;

(घ) उक्त रसोई गैस एजेंसियां और पेट्रोल पम्प कब तक आबंटित किए जाने की संभावना है; और

(ङ) उक्त जिले में वर्ष 2000 और 2001 के दौरान कितनी नई रसोई गैस एजेंसियां और पेट्रोल पम्प खोले जाने की संभावना है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) :** (क) गुजरात के दहोद जिले में 15 खुदरा बिक्री केन्द्र और 4 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें प्रचालनरत हैं।

(ख) 1998 तथा 1999 में गुजरात में दहोद जिले में कोई खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिप या एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिप नहीं खोली गई है।

(ग) से (ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान तेल कंपनियों ने गुजरात के दहोद जिले में 4 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के संबंध में विज्ञापन दिया है। इस अवधि के दौरान किसी खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिप के संबंध में विज्ञापन नहीं दिया गया है। डीलर चयन बोर्ड हाल में भंग कर दिए गए हैं। साक्षात्कार की तारीख से डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप के चालू होने में प्रायः लगभग 6-12 माह लग जाते हैं।

*[अनुवाद]*

### ध्वनि प्रदूषण पर उच्चतम न्यायालय के आदेश

2618. **श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या पर्यावरण एवं वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने लाउडस्पीकर और ऊंची आवाज वाले यंत्रों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाते हुए केन्द्र सरकार को यह निर्देश दिया है कि वह इसके अनुपालन संबंधी आदेश की प्रति न्यायालय में दायर करें;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उच्चतम न्यायालय के निर्देशों पर कार्रवाई की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) दिल्ली और अन्य महानगरों में ध्वनि प्रदूषण के अन्य स्रोतों पर रोक लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) :** (क) से (ग) जी, नहीं। तथापि, ध्वनि और ध्वनि पैदा करने वाले स्रोतों के नियंत्रण और विनियमन के लिए 14 फरवरी, 2000 को एक अधिसूचना जारी की गई।

(घ) दिल्ली और अन्य महानगरों में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं :

1. ध्वनि प्रदूषण को संशोधित वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1987 में शामिल किया गया है। पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के तहत विभिन्न श्रेणी के क्षेत्रों (आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक तथा शांत क्षेत्रों) के लिए ध्वनि के संबंध में परिवेशी मानक अधिसूचित किए गए हैं।
2. आटोमोबाइल्स, घरेलू उपकरणों तथा निर्माण उपकरण के लिए निर्माण अवस्था के दौरान ही ध्वनि की सीमाएं निर्धारित की गई हैं।
3. स्थायी डीजल जेनरेटर सेटों से होने वाले ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए मानक और दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं और जनवरी, 1999 में अधिसूचित किए गए।
4. अक्तूबर, 1999 में अधिसूचना जारी की गई है जिसमें बम-पटाखों के मानक विनिर्दिष्ट किए गए हैं।
5. ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा एक व्यवहारसंहिता तैयार की गई है और इसे ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण हेतु दिशा-निर्देशों के रूप में प्रयोग किया जा रहा है।

### बेल्लारी में डाकघर खोला जाना

2619. **श्री कोलुरु बासवन गौडा : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बेल्लारी क्षेत्र में इस समय उप डाकघर सहित कितने डाकघर कार्य कर रहे हैं;

(ख) उक्त क्षेत्र में 1999, 2000 के दौरान कितने नए डाकघर खोले गए; और

(ग) इस क्षेत्र में 2000-2001 में कितने नए डाकघर खोले जाने का प्रस्ताव है?

**संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) :** (क) बेल्लारी परिक्षेत्र में सइ समय 456 डाकघर कार्य कर रहे हैं, जिनमें उप डाकघर भी शामिल हैं।

(ख) उक्त परिक्षेत्र में वर्ष 1999-2000 के दौरान कोई नया डाकघर नहीं खोला गया है।

(ग) इस परिक्षेत्र में वर्ष 2000-2001 के दौरान नए डाकघर खोलने के लक्ष्यों को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

### नवीनगर सुपर थर्मल पावर स्टेशन

2620. **श्रीमती श्यामा सिंह : क्या विद्युत मंत्री** 29 नवंबर, 1999 के अतारांकित प्रश्न संख्या 44 संदर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

*(क) क्या सरकार का विचार बिहार में नवीनगर सुपर थर्मल पावर स्टेशन का निर्माण आरंभ कराने का है;*

(ख) यदि हां, तो क्या इसकी संभाव्यता हेतु सर्वेक्षण हो चुका है; और

(ग) यदि हां, तो इसके कार्यान्वयन हेतु क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

**विद्युत मंत्री तथा खान और खनिज मंत्री (श्री पी०आर० कुमारमंगलम)** : (क) से (ग) 10वीं और 11वीं योजना के दौरान केन्द्रीय क्षेत्र में क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम में बढ़ोत्तरी की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए बिहार स्थित नबी नगर ताप विद्युत परियोजना को नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन (एनटीपीसी) द्वारा विकास हेतु एक शक्यता वाली परियोजना समझा गया है। एनटीपीसी को परियोजना से उत्पादित की जाने वाली विद्युत की विक्रेयता और इसकी व्यवहार्यता का मूल्यांकन करने के पश्चात् परियोजना के प्रारंभिक कार्य आरंभ करने की सलाह प्रदान की गई है।

**तलासेरी-माहे बाइपास सड़क**

2621. **श्री ए०पी० अब्दुल्लाकुट्टी** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कन्नूर-तलासेरी-माहे बाइपास सड़क के लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य पूरा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कन्नूर-तलासेरी मार्ग के दो पुलों, अर्थात् माइडु और दरमादम पुलों की स्थिति खतरनाक है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं; और

(च) यह परियोजना कब तक पूरी हो जाएगी?

**जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देबेन्द्र प्रधान)** : (क) और (ख) तलासेरी-माहे बाइपास के चरण-I के लिए भूमि अधिग्रहण पूरा कर लिया गया है। बाइपास के चरण-II के लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य प्रारंभ हो चुका है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) से (च) प्रश्न नहीं उठते।

**आई०आर०सी०सी० को बंद किया जाना**

2622. **श्री सालखन मुर्मू** :
**सरदार बूटा सिंह** :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आई०आर०सी०सी० को बंद करने का निर्णय लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके कर्मचारियों को दिए जाने वाले संभावित लाभ का ब्यौरा क्या है;

*(ग) मंत्रालय द्वारा कर्मचारियों के लिए सेवा संबंधी कौन-सी वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है; और*

(घ) मंत्रालय के अंतर्गत एन०एच०ए०आई०, अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण तथा अन्य निगमों में आरक्षित रिक्तियों/उपलब्ध पदों की संख्या कितनी है?

**जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देबेन्द्र प्रधान)** : (क) जी, हां।

(ख) निगम के कर्मचारी स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति का विकल्प दे सकते हैं अन्यथा वे औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अनुसार किसी इकाई के बंद हो जाने पर देय क्षतिपूर्ति के हकदार होंगे।

(ग) कुछ नहीं।

(घ) भा०रा०रा०प्रा० में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित पद इस प्रकार हैं :

| | अ०जा० | अ०ज०जा० |
|---|---|---|
| (क) निजी सहायक | 2 | 1 |
| (ख) आशुलिपिक ग्रेड 'घ' | 5 | 5 |
| (ग) लेखाकार | 4 | 2 |

भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के क्षेत्रीय कार्यालय पटना में श्रेणी 'ग' और 'घ' पदों की आरक्षित रिक्तियां इस प्रकार हैं :

| अ०जा० | अ०ज०जा० |
|---|---|
| 2 (पदोन्नति कोटा) | 2 (पदोन्नति कोटा) |
| 7 (सीधी भर्ती) | 5 (सीधी भर्ती) |

**एनटीपीसी विद्युत परियोजनाओं पर कम बोलियां लगना**

2623. **श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुराष्ट्रीय विद्युत कंपनियों ने राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की दो प्रमुख विद्युत परियोजनाओं पर बहुत कम बोलियां लगाई हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या तथ्य हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इसमें आ रही बाधाओं से किस प्रकार निपटने का प्रस्ताव है?

**विद्युत मंत्री तथा खान और खनिज मंत्री (श्री पी० आर० कुमारमंगलम)** : (क) से (ग) नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन (एनटीपीसी) को कवास-II तथा गंधार-II संयुक्त साईकल परियोजनाओं के लिए दो बोलियां, एक मैसर्स भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) से तथा दूसरी मैसर्स एशिया ब्राउन बावेरी (एबीबी) से प्राप्त हुई हैं। अन्ता-II तथा औरैया-II संयुक्त साईकल पावर परियोजनाओं के लिए एनटीपीसी को केवल एक बोली प्राप्त हुई है।

इन परियोजनाओं के राष्ट्रीय महत्व को ध्यान में रखते हुए तथा समय के और अधिक नुकसान से बचने की दृष्टि से एनटीपीसी को मंत्रालय द्वारा जनहित में अतिरिक्त महाधिवक्ता से कानूनी राय के आधार पर बोलीकर्ताओं के साथ बातचीत के जरिए बोलियों को अंतिम रूप देने की सलाह दी गई। बहरहाल एनटीपीसी ने विभिन्न विनिर्देशों तथा जरूरतों संबंधी कतिपय भिन्नताओं को देखते हुए दोनों बोलियों को अनुत्तरदायी माना और बोली शर्तों की समीक्षा करने एवं बेहतर कम्पलीशन तथा रिस्पॉन्सि के लिए बोलीकर्ताओं को पर्याप्त समय उपलब्ध कराने के पश्चात् पुनः बोली का निर्णय लिया।

## विश्रामस्थलों का विकास

**2624. श्री ए० ब्रह्मनैया :**

**श्री गंता श्रीनिवास राव :**

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा देश में कहीं विश्रामस्थलों के विकास के लिए भी कोई भूमि अधिगृहीत की गई है;

(ख) यदि हां, तो भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण का किन राज्यों में विश्रामस्थल विकसित करने का प्रस्ताव है;

(ग) आधुनिक सड़क-समीप विश्रामस्थलों को विकसित करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के पास कितने प्रस्ताव लंबित हैं; और

(घ) भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग खंडों पर मुक्त और सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने के लिए ऐसे प्रस्तावों को कब तक लागू किया जाएगा?

**जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देवेन्द्र प्रधान) :** (क) से (घ) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने देश में विश्राम क्षेत्रों के विकास के लिए अभी किसी भूमि का अधिग्रहण नहीं किया है। विश्राम क्षेत्रों और अन्य प्रयोक्ता सुविधाओं का विकास भा०रा०रा०प्रा० को सौंपी गई राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना का एक अभिन्न अंग होगा। इस परियोजना में दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई और कलकत्ता को जोड़ने वाला स्वर्णिम चतुर्भुज और उत्तर-दक्षिण, पूर्व-पश्चिम गलियारे शामिल हैं। इन राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए शुरू की गई विस्तृत इंजीनियरी और परियोजना तैयारी से विश्राम क्षेत्रों और प्रयोक्ता सुविधाओं के संभावित स्थलों का पता लगेगा। इन स्थानों पर भूमि का अधिग्रहण विकास प्रक्रिया के एक भाग के तौर पर करने का विचार है और तदुपरांत, आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के अनुसार उनके विकास और प्रचालन के लिए इच्छुक गैर-सरकारी उद्यमियों से प्रस्ताव (प्रतियोगी निविदा प्रणाली के आधार पर) आमंत्रित किए जाएंगे। यातायात को इन रा०रा० खंडों का उन्नयन कार्य पूरा करने के साथ कार्यान्वित करने का विचार है।

## विशाखापत्तनम में पेट्रोल और डीजल बिक्री केन्द्रों का विस्तार

**2625. श्री गंता श्रीनिवास राव :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों का आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम जिले में पेट्रोल और डीजल बिक्री केन्द्रों के विस्तार संबंधी प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या बढ़ती हुई मांग की तुलना में अन्नापल्ले और विशाखापत्तनम के बीच बिक्री केन्द्रों की संख्या नहीं बढ़ पाई है; और

(ग) यदि हां, तो वर्ष 2000-20001 में इस मांग को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) :** (क) से (ग) बर्द्धित ईंधन जरूरत को पूरा करने के लिए विभिन्न विपणन योजनाओं में आंध्र प्रदेश में विसाखापट्टनम जिले के लिए 8 और खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपें सम्मिलित की गई हैं। विद्यमान नीति के अनुसार आर्थिक रूप से व्यवहार्य पाए गए स्थान विपणन योजना में शामिल किए जाते हैं तथा एक सामान्य चयन प्रक्रिया, जिसमें स्थानों के लिए विज्ञापन तथा डीलर चयन बोर्डों के माध्यम से चयन शामिल हैं, के तहत डीलरों/डिस्ट्रीब्यूटरों के चयन के लिए तेल कंपनियों के द्वारा समय-समय पर विज्ञापन दिए जाते हैं। डीलरशिपें/डिस्ट्रीब्यूटरशिपें चालू करने में सामान्यतया साक्षात्कार की तारीख से 6-12 माह लगते हैं।

वर्तमान में अनाकापल्ले और विसाखापट्टनम के बीच 11 खुदरा बिक्री केन्द्र हैं, जो इस क्षेत्र की ईंधन की जरूरत को पूरा कर रहे हैं।

## राज्यों को अतिरिक्त विद्युत की आपूर्ति

**2626. श्री अधीर चौधरी :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के कुछ क्षेत्रों में अपनी आवश्यकता से अधिक विद्युत उत्पादन की क्षमता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने अतिरिक्त विद्युत को कम विद्युत उत्पादन वाले राज्यों को देने की कोई व्यवस्था है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

**विद्युत मंत्री तथा खान और खनिज मंत्री (श्री पी०आर० कुमारमंगलम) :** (क) और (ख) देश के पूर्वी क्षेत्र में इसकी आवश्यकता से अधिक विद्युत उत्पादन क्षमता विद्यमान है। क्षेत्र में व्यस्ततमकालीन घंटों के दौरान लगभग 1500 मे०वा० और गैर-व्यस्ततमकालीन घंटों के दौरान लगभग 3000 मे०वा० विद्युत का अधिशेष अनुमानित किया गया है। क्षेत्र की मांग में वृद्धि प्रत्याशा से कम रही है। इसके अतिरिक्त क्षेत्र में पर्याप्त पारेषण और वितरण प्रणाली की अनुपलब्धता के परिणामस्वरूप मांग कम हो गई है। देश के दूसरे क्षेत्रों में अधिशेष विद्युत उत्पादन क्षमता उपलब्ध नहीं है। तथापि, पश्चिमी क्षेत्र में भी गैर-व्यस्ततमकालीन घंटों के दौरान विद्युत का मौसमी अधिशेष उपलब्ध है।

(ग) और (घ) पूर्वी क्षेत्र की अधिशेष विद्युत का पूर्वी और अन्य क्षेत्रों के बीच विद्यमान अंतःसंबंधकों के माध्यम से कमी वाले पड़ोसी क्षेत्रों में निर्यात किया जा रहा है। वर्तमान में पूर्वी क्षेत्र से

लगभग 1000 मे०वा० अधिशेष विद्युत का पड़ोसी राज्यों में निर्यात किया जा रहा है जैसा कि नीचे उल्लेख किया गया है :

| | |
|---|---|
| उत्तर प्रदेश | 60-70 मे०वा० |
| मध्य प्रदेश | 315 मे०वा० |
| गुजरात | 55 मे०वा० |
| आंध्र प्रदेश | 340 मे०वा० (ग्रिडको के साथ द्विपक्षीय समझौते के अंतर्गत 170 मे०वा० सहित) |
| कर्नाटक | 105 मे०वा० |
| तमिलनाडु | 125 मे०वा० |
| असम | 100 मे०वा० |

इसके अतिरिक्त पश्चिमी क्षेत्र की अधिशेष विद्युत की भी समय-समय पर कमी वाले पड़ोसी राज्यों जैसे आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और राजस्थान को निकासी की जाती है।

पूर्वी और उत्तरी क्षेत्रों में अंत:संबंध करने वाले सासाराम स्थित 500 मे०वा० एचवीडीसी बैक-टू-बैक स्टेशन का निर्माण कार्य आरंभ किया जा रहा है।

**ऑप्टिकल फाइबर केबल्स का लगाया जाना**

**2627. श्री रघुवीर सिंह कौशल :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अगले तीन वर्षों के दौरान राजस्थान के कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बंका जिलों के किन शहरों और कस्बों को ऑप्टिकल फाइबर केबल्स से जोड़ने का प्रस्ताव है;

(ख) इस पर अनुमानत: कितनी राशि खर्च होगी;

(ग) क्या इस संबंध में पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्धारित लक्ष्य पूरे नहीं किए जा सके हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) अगले दो वर्षों के दौरान कोटा शहर के टेलीफोन एक्सचेंजों की क्षमता किस सीमा तक बढ़ा दी जाएगी और टेलीफोन कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूची कब तक निपटा दिए जाने की संभावना है?

**संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) :** (क) जिलावार ब्यौरे संलग्न विवरण-I और II में दिए गए हैं। बारां जिले की सूचना प्रस्तुत है क्योंकि, राजस्थान में बंका नाम का कोई जिला नहीं है। प्रस्तावित कनेक्टिविटी संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

(ख) लगभग 38 करोड़ रु०।

(ग) और (घ) समय पर उपस्कर उपलब्ध न होने के कारण लक्ष्य पूरी तरह प्राप्त नहीं किया जा सका।

(ङ) कोटा शहर एक्सचेंज की क्षमता का निम्नानुसार विस्तार करने का प्रस्ताव है :

| | | |
|---|---|---|
| वर्ष 2000-01 | = | 5000 लाइन |
| वर्ष 2001-02 | = | 5000 लाइन |

29.2.2000 को स्थिति के अनुसार प्रतीक्षा सूची मार्च, 2000 तक निपटाए जाने की संभावना है।

**विवरण-I**

*अगले तीन वर्षों के दौरान ओ०एफ०सी० माध्यम से जोड़े जाने वाले मौजूदा एक्सचेंजों की जिलावार सूची*

**मौजूदा एक्सचेंजों के नाम**

**जिला : बारां**

| | |
|---|---|
| बडवा | गुडानाथवाट |
| भानवरगढ़ | जैथल |
| चिप्पाबरोड | जाजवार |
| डेवरी | झलिजी का बारां |
| केलवाड़ा | कारवार |
| कोयाला (टीटीएपीपीडी) | केशो राय पाटन |
| नहेरगढ़ | कपरेन |
| समरांनिया | कटकर |
| सारथल | लबाना |
| शाहबाद | मनटुंडा |
| सिसवाली | नाईनवा |
| गोथरा | नमान |

**जिला : बूंदी**

| | |
|---|---|
| अल्फानगर | दहीखेड़ा |
| अलोड | देहिट |
| अरनेथा | डेई |
| बड़ा खेड़ा | नामनरौड |
| बड़ानयागांव | पेचकीबावड़ी |
| बंसी | रानीपुर |
| बरोडिया | समुरगंज मंडी (इन्द्रगढ़) |
| बड़ा खेड़ा | सुवास |
| वरूंडन | तलवास |
| डाबी | थाना |
| डबलाना | |

**जिला : कोटा**

| | |
|---|---|
| अलनिया | जगपुरा |
| अनवा | कनवास (टीटीएपीपीडी) |
| बापावाड़ | खटोली |
| भांडेहरा | कुंदनपुर |
| भेसरोडगढ़ | मंडाना |

| | |
|---|---|
| बोरखांडी | निमोडा |
| चेचाट | पिपलझ |
| देवलीभाजी | रंगपुर |
| धुलेट | संगोड |
| डिग्रोड | सिमलिया |
| गेंटा | थाथेर |
| केथुन | तडवा |

जिला : झालावाड़

| | |
|---|---|
| अकलेरा | झलार पाटन |
| बाकनी | जोलपा |
| भलटा | खुरी |
| भवानी मंडी | खानपुर |
| बिंडा | मंडवार |
| चौमहला (गंगधर) | मनोहर थाना |
| डाग | मिसरोली |
| दही खेंड़ा | पगरिया |
| गंगधर | पिपलिया |
| घटोली | रतलाई |
| गुराडिया जोगा | रिछवा |
| हरिगढ़ | सरोला कलां |
| हरनरवाड़ा शाहजी | सैलगढ़ |
| हेमरा | सुनेल |
| जवार | टिटरी |

विवरण-II

गांवों के नाम

जिला : बांरा

| | |
|---|---|
| बडोरा | लक्ष्मीपुरा |
| बैगना | भमोनी |
| बलडारा | मोथपुर |
| बमबोरी | पचेलकलां |
| बटवाड़ा | परानिया |
| बोहाट | राजपुरा |
| फंबसरा | रमोलिया माताजी |
| गरडा | रेलवां |
| जलवाड़ | सकटपुर |
| कुंजेड | विजयपुर |
| लखेड़ी | |

जिला : बूंदी

| | |
|---|---|
| जरखोडा | मयाज |
| जवाहरसागर | |

जिला : झालावाड़

| | |
|---|---|
| डुबलिया | सिरपोई |
| समराई | तराज |
| सरदा | |

जिला : कोटा

| | |
|---|---|
| बमबोरी | खेरारूध |
| धुलेट | |

शहरी हरित-पट्टी कार्यक्रम

2628. श्री जितेन्द्र प्रसाद : क्या पर्यावरण एवं वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पर्यावरण संबंधी समस्याओं को कम करने के लिए एक 'शहरी हरित-पट्टी कार्यक्रम' तैयार किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस कार्यक्रम की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं और सरकार का इसका किस तरह से कार्यान्वयन करने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने चुनिंदा शहरों/नगरों में एक शहरी हरित पट्टी कार्यक्रम आरंभ किया है। इस कार्यक्रम की प्रमुख विशेषता पर्यावरणीय प्रदूषण कम करना और उसका सुधार करना है। यह कार्यक्रम वन विभागों, स्थानीय निकायों, जन स्वास्थ्य विभागों, जल और सीवरेज बोर्डों के सहयोग से राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन की विधि के अंतर्गत लोगों में जागरूकता पैदा की जाती है और उन्हें वृक्ष लगाने व उनकी सुरक्षा करने में सहभागी बनाया जाता है ताकि अपेक्षित लक्ष्य प्राप्त किया जा सके।

कर्नाटक में 1000 मेगावाट मंगलौर विद्युत परियोजना

2629. श्री एस०डी०एन०आर० वाडियार :
श्री जी० पुट्टास्वामी गौड़ा :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चाइना-लाइट-पावर कंपनी (सी.एल.पी.) ने किसी भारतीय कंपनी के साथ संयुक्त उद्यम के रूप में मंगलौर के निकट 1000 मेगावाट ताप-विद्युत परियोजना स्थापित करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस परियोजना पर कार्य मार्च, 2000 में आरम्भ होगा; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री तथा खान और खनिज मंत्री (श्री पी०आर० कुमारमंगलम) : (क) मैसर्स चाइना लाईट एंड पावर इंटरनेशनल ने दिनांक 2.2.2000 को कर्नाटक सरकार को एक पत्र लिखा था कि भारतीय सहयोगी, जिसकी मंगलौर पावर कंपनी में कम से कम 30% की इक्विटी हो, का चयन कर वे परियोजना कार्यान्वित करने के लिए

प्रतिबद्ध है, परंतु किसी भी दशा में मैसर्स चाइना लाइट एंड पावर इंटरनेशनल के न्यूनतम 50% शेयर रहेंगे।

(ख) परियोजना मार्च, 2000 तक वित्तीय समापन प्राप्त करने की स्थिति में नहीं होगी, अत: परियोजना संबंधी निर्माण कार्य इस अवधि के दौरान आरंभ होने की संभावना नहीं है।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

*[हिन्दी]*

## राजधानी में विद्युत उत्पादन और उपभोग

**2630. श्री विजय गोयल :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय का दिल्ली में विद्युत उत्पादन और उपभोग के अंतर को कम करने की दिशा में कुछ अंशदान देने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**विद्युत मंत्री तथा खान और खनिज मंत्री (श्री पी०आर० कुमारमंगलम) :** (क) से (ग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विद्युत मांग की पूर्ति इसके स्वयं के ताप विद्युत उत्पादन केन्द्रों, बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र और केन्द्रीय क्षेत्र के उत्पादन केन्द्रों में इसके हिंस्से से की जाती है। अप्रैल, 1999 से फरवरी, 2000 के दौरान दिल्ली में वास्तविक विद्युत आपूर्ति की स्थिति नीचे दी गई है :

| | अप्रैल, 1999 ऊर्जा (मि०यू०) | फरवरी, 2000 व्यस्ततमकालीन (मि०यू०) |
|---|---|---|
| आवश्यकता | 16360 | 2850 |
| उपलब्धता | 15873 | 2498 |
| कमी (%) | 487 (3.0%) | 352 (12.4%) |

दिल्ली में विद्युत की आवश्यकता और उपलब्धता के मध्य अंतर को कम करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाया जाना प्रस्तावित है :

(i) गर्मी के माह के दौरान विद्युत उपलब्धता को बढ़ाने के लिए उत्तरी क्षेत्र में केन्द्रीय क्षेत्र के स्टेशनों के अनाबंटित कोटे से अतिरिक्त आबंटन।

(ii) गर्मी शुरू होने से पहले केन्द्रीय क्षेत्र विद्युत केन्द्रों नामश: बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र और दादरी एनसीटीपीएस जिनमें डीवीबी का एक बड़ा हिस्सा है, का रख-रखाव एवं अनुरक्षण करना ताकि इन केन्द्रों में कार्य निष्पादन के उच्च स्तर को बनाए रखा जा सके।

(iii) औरैया जीपीएस को नाफ्था और दादरी जीपीएस को एचएसडी की आपूर्ति की व्यवस्था करना ताकि इन गैस केन्द्रों की पूरी क्षमता का सम्पुपयोजन किया जा सके और साथ ही कार्य निष्पादन के उच्च स्तर को सुनिश्चित करने हेतु बीटीपीएस को धुले हुए कोयले की आपूर्ति की व्यवस्था करना।

(iv) वोल्टता परिदृश्य में सुधार करने के लिए दिल्ली की प्रणाली में शंट कैपेसिटरों को शीघ्र लगाए जाने हेतु गहन मानीटरिंग करना।

(v) उत्तरी क्षेत्र में नई उत्पादन क्षमता की अभिवृद्धि करना जिसमें डीवीबी को अपना हिस्सा होगा।

(vi) गर्मी के महीनों के दौरान द्विपक्षीय करार के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश से अधिशेष विद्युत की खरीद करना।

*[अनुवाद]*

## पीसीओ/एसटीडी/आईएसडी फ्रेंचाइज

**2631. श्री मणि शंकर अय्यर :**
**श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल :**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में पीसीओ/एसटीडी/आईएसडी सहित सार्वजनिक टेलीफोन बूथों की फ्रेंचाइजियों को आबंटन करने की प्रक्रिया को और आसान बनाया है;

(ख) यदि हां, तो दो बूथों के बीच की न्यूनतम दूरी संबंधी और उन ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों जहां सार्वजनिक टेलीफोन बूथों की सुविधा उपलब्ध नहीं है या अपर्याप्त है वहां तक टेलीफोन सुविधा के विस्तार संबंधी नीति क्या है;

(ग) सरकार टेलीफोन संबंधी सलाहकार समिति और सार्वजनिक टेलीफोन फ्रेंचाइजियों के चयन में विधायी संस्थाओं के निर्वाचित सदस्यों को संबद्ध करने के लिए क्या कदम उठा रही है;

(घ) क्या सरकार का विचार उक्त बूथ मालिकों, विशेषत: विकलांग व्यक्तियों का कमीशन 20% से बढ़ाकर 50% करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो कमीशन के सही प्रतिशत सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) :** (क) जी, हां।

(ख) इस समय विभाग की नीति शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों को एसटीडी, पीसीओ आबंटित करने की है। हाल ही में उन शिक्षित बेरोजगारों को उदारतापूर्वक एसटीडी, पीसीओ आबंटन करने हेतु इस नीति पर पुनर्विचार किया गया है जो स्वेच्छा से इसे लेना चाहे। पीसीओ ऐसे किसी भी स्थान पर स्थापित किए जा सकते हैं जहां जनता आसानी से पहुंच सकें। निम्नलिखित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए दो पीसीओ के बीच न्यूनतम दूरी संबंधी प्रतिबंध निर्धारित नहीं किए गए हैं :

— जनसामान्य को व्यापक रूप से लाभान्वित करने के लिए ज्यादा संख्या में पी सी ओ उपलब्ध कराने के लिए।

— विकल्प उपलब्ध कराने के लिए।

– दूरसंचार सुविधाओं तक आसानी से पहुंचना।

– एसटीडी बूथ पर प्रतीक्षा-समय को कम करना।

– भावी एसटीडी फ्रेंचाइजिज की लंबी प्रतीक्षा सूची को कम करना।

– अधिकाधिक बेरोजगार लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करना।

(ग) प्रत्येक टेलीफोन सलाहकार समिति में राज्य विधानमंडल की श्रेणी के तहत विधायक/विधान परिषद के सदस्यों के नामांकन हेतु पहले से ही प्रावधान रखा गया है। जहां तक पीसीओ के आबंटन का संबंध है पंजीकरण के अनुसार पहले आओ, पहले पाओ आधार पर पीसीओ युद्ध में शहीद हुए व्यक्तियों/विधवाओं, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, विकलांग व्यक्तियों तथा भूतपूर्व सैनिकों जैसे आवेदकों की कुछ श्रेणियों को एसटीडी, पीसीओ के आबंटन के मामले में वरीयता दी जाती है। पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर पीसीओ के आबंटन के मामले में, पीसीओ के आबंटन हेतु निर्णय लेने के लिए किसी समिति की आवश्यकता नहीं है।

(घ) हाल ही में, शहरी क्षेत्रों में एसटीडी पीसीओ फ्रेंचाइजिज कमीशन की दर में वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है। नई दरों के अनुसार प्रत्येक यूनिट कॉल के लिए कमीशन 0.20 पैसे की दरों से दी जाएगी। उन सर्किलों में जहां निजी प्रचालकों से प्रतिस्पर्धा शुरू की गई, मुख्य महाप्रबंधकों को 0.30 पैसे यूनिट काल की दर से कमीशन देने की शक्तियां प्राप्त हैं। इस समय कमीशन की दरों पर पुनर्विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

(ङ) भाग (घ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

## महाराष्ट्र में सड़क परियोजनाओं को मंजूरी

**2632. श्री मोहन रावले :**
**श्री अनंत गंगाराम गीते :**

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न सड़क परियोजनाओं हेतु पर्यावरण संबंधी मंजूरी के संबंध में महाराष्ट्र सरकार से कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) उनमें से कितने प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है; और

(ग) शेष प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति मिल जाने की संभावना है?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) :** (क) से (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र सरकार से कई विभिन्न सड़क परियोजनाओं के छः प्रस्ताव पर्यावरणीय मंजूरी के लिए प्राप्त हुए थे। इनमें से एक परियोजना को पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान कर दी गई थी। शेष परियोजनाओं से संबंधित फाईलों को अधूरी सूचना के कारण बंद कर दिया गया था। आगे और सूचना/स्पष्टीकरण प्राप्त होने के बाद इन परियोजनाओं में से एक परियोजना की फाइल को आगे की कार्यवाही के लिए जनवरी, 2000 में पुनः खोल दिया गया है। प्रस्तावों पर निर्णय सूचना प्राप्त होने की तारीख से 90 दिनों के अंदर ले लिया जाता है।

## दूरसंचार प्रव्रजन पैकेज

**2633. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 5 फरवरी, 2000 के 'दि टाइम्स ऑफ इंडिया में टेलीकॉम माइग्रेशन पैकेज कम्स अंडर ऑडिट फायर' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) :** (क) 'मौजूदा सेल्युलर और बुनियादी सेवा प्रचालकों को रियासत देने संबंधी पैकेज' शीर्षक से एक ड्राफ्ट लेखा परीक्षा पैरा, लेखा परीक्षा महानिदेशक (डाक-दूरसंचार) से प्राप्त हुआ था। इस विषय पर 'टेलीकॉम माइग्रेशन पैकेज कम्स अंडर ऑडिट फायर' शीर्षक से एक समाचार 5.2.2000 के 'टाइम्स ऑफ इंडिया' में प्रकाशित हुआ था।

(ख) से (ग) सरकार ने ड्राफ्ट लेखा परीक्षा पैरा में की गई टिप्पणियों को स्वीकार नहीं किया है और यह उल्लेख किया है कि नई दूरसंचार नीति-1999 (एनटीपी-99) में मौजूदा लाइसेंसधारकों के, राजस्व हिस्सेदारी की व्यवस्था में माइग्रेशन से संबंधित नीति, दूरसंचार उद्योग के संबंध में मूल वास्तविकताओं के कारण व्यवहारिक समायोजन एवं व्यापक जनहित में किए गए विवेकपूर्ण और संस्थागत निर्णय के परिणामस्वरूप बनाई गई थी।

## उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में एल०पी०जी० एजेंसियां तथा पेट्रोल पम्प

**2634. श्री ए० नरेन्द्र :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में गढ़वाल मंडल विकास निगम द्वारा संचालित एल०पी०जी० एजेंसियों तथा पेट्रोल पम्प के अलावा और एल०पी०जी० एजेंसियां तथा पेट्रोल पम्प स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया है; और

(ग) यदि हां, तो किन-किन स्थानों पर सर्वेक्षण किया गया है तथा इन स्थानों में कब तक एजेंसियां तथा पेट्रोल पम्प कार्य करना आरम्भ कर देंगी?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) :** (क) से (ग) तेल कम्पनियां तेल उद्योग के आर्थिक व्यवहार्यता मानकों के अनुसार खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपों तथा एल०पी०जी० डिस्ट्रीब्यूटरशिपों की स्थापना के लिए उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों सहित देश के विभिन्न भागों में आवधिक सर्वेक्षण करती हैं। व्यवहार्य पाए जाने वाले स्थान विपणन योजनाओं में सम्मिलित किए जाते हैं। विपणन योजना में सम्मिलित

स्थानों के लिए डीलरों/डिस्ट्रीब्यूटरों का चयन स्थानों के विज्ञापन तथा डीलर चयन बोर्डों द्वारा चयन की निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है। तदनुसार 23 खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपें तथा 49 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें व्यवहार्य पाई गई हैं तथा उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों के लिए विपणन योजना में सम्मिलित कर ली गई हैं। साक्षात्कार की तारीख से डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप के चालू होने में प्रायः 6-12 महीने लगते हैं। डीलर चयन बोर्ड हाल ही में भंग कर दिए गए हैं।

*[हिन्दी]*

**बिहार में विद्युत परियोजनाएं**

2635. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माननीय प्रधानमंत्री जी ने बिहार में दो प्रमुख विद्युत परियोजनाओं की आधारशिला रखी है;

(ख) यदि हां, तो इन परियोजनाओं को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है और इन परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) उनसे कितनी विद्युत का उत्पादन होने की संभावना है?

**विद्युत मंत्री तथा खान और खनिज मंत्री (श्री पी०आर० कुमारमंगलम) :** (क) जी, हां। प्रधानमंत्री द्वारा मार्च, 1999 में बिहार में दो ताप विद्युत परियोजनाओं, पटना जिले में बाढ़ तथा चतरा जिले में उत्तरी करनपुरा की आधारशिला रखी गई थी।

(ख) और (ग) 2000 मे०वा० प्रत्येक की क्षमता वाली परियोजनाओं को वृहत् विद्युत परियोजनाओं के रूप में अभिज्ञात किया गया है जिन्हें राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा। एनटीपीसी ने प्रत्येक कार्य स्थल पर व्यवहार्यता रिपोर्ट को तैयार करने के लिए 21 परियोजनाओं हेतु विभिन्न कार्य-स्थल संबंधी अध्ययन आरंभ करवाए हैं। इन परियोजनाओं को विभिन्न संयोजकों/स्वीकृतियों के समय पर उपलब्ध होने तथा वित्तीय सुनिश्चितताओं के तहत् दसवीं और ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान चालू किए जाने की परिकल्पना की गई है।

*[अनुवाद]*

**गंगा कार्य प्रकोष्ठ**

2636. **डॉ० रमेश चंद तोमर :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गंगा नदी को प्रदूषण से बचाने के लिए तथा यमुना के समान प्रदूषित होने से बचाने के लिए 'गंगा कार्य प्रकोष्ठ' को गठित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित गंगा कार्य प्रकोष्ठ की सदस्य-संरचना किस प्रकार की होगी;

(ग) क्या सरकार ने गंगा के सूख जाने की आशंका को ध्यान में रखकर कुछ नदियों को गंगा से जोड़ने के विषय में कोई निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) :** (क) और (ख) जी नहीं, पर्यावरण और वन मंत्रालय में राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय (जो पहले गंगा परियोजना निदेशालय के नाम से जाना जाता था) कार्य कर रहा है। यह निदेशालय 2013.39 करोड़ रुपये के अनुमोदित परिव्यय के साथ राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (जिसमें गंगा कार्य योजना शामिल है) के कार्यान्वयन की निगरानी करता है। कलकत्ता और इलाहाबाद दो स्थानों पर निदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालय हैं।

(ग) और (घ) देश के जल संसाधनों के इष्टतम विकास के लिए 'राष्ट्रीय संदर्श योजना' के अंतर्गत 'हिमालयन नदी विकास योजना' है। हिमालयन नदी विकास योजना मुख्य ब्रह्मपुत्र तथा इसकी सहायक नदियों को गंगा में मिलाने तथा गंगा को महानदी से जोड़ने के अलावा, गंगा की पूर्व में बहने वाली सहायक नदियों के अतिरिक्त बहाव को पश्चिम की ओर मोड़ने के लिए इंटरलिंकिंग नहर प्रणालियों सहित भारत एवं नेपाल में गंगा तथा ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदियों पर भंडारण जलाशयों के निर्माण की परिकल्पना की गई है। हिमालयन नदी विकास योजना सरकार द्वारा मंजूर नहीं की गई है।

**विद्युत क्षेत्र में आत्मनिर्भरता**

2637. **श्रीमती रानी नरह :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिकों ने सुझाव दिया है कि भारत को विद्युत क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए हरित क्रांति की तर्ज पर ऊर्जा क्रांति की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस संबंध में किन्हीं ठोस उपायों पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) विद्युत क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

**विद्युत मंत्री तथा खान और खनिज मंत्री (श्री पी०आर० कुमारमंगलम) :** (क) से (घ) सरकार विशेषज्ञ द्वारा सुझाए गए ऐसे किसी ऊर्जा क्रांति से अवगत नहीं है। हालांकि केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा किए गए संदर्शी योजना अध्ययन के अनुसार ग्यारहवीं योजना के अंत तक 1,76,647 मेगावाट की मांग को पूरा करने के लिए 2,40,000 मेगावाट की अधिष्ठापित क्षमता की जरूरत होगी जैसा कि 15वें इलेक्ट्रिकल पावर सर्वेक्षण रिपोर्ट में बताया गया है।

अधिष्ठापित क्षमता में अभिवृद्धि के लिए सरकार ने विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम 1948 का वर्ष 1991 में संशोधन कर विद्युत क्षेत्र में निजी क्षेत्र को भी भागीदारी दे दी। इसके बाद से विद्युत क्षेत्र में निजी पूंजी प्रवाह को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक उपाय किए गए हैं, इनमें शामिल हैं :

(i) प्रक्रियाओं को कारगर बनाना।

(ii) विदेशी इक्विटी की सीमाओं को शत-प्रतिशत बढ़ाना बशर्ते कि यह 1500 करोड़ रु० से कम हो।

(iii) पारेषण को एक पृथक् कार्य मानते हुए एवं उसमें निजी क्षेत्र निवेश के लिए द्वार खोलने हेतु विद्युत कानून (संशोधन) अधिनियम, 1998 को लागू करना।

(iv) आठ प्रारंभिक फास्ट ट्रैक परियोजनाओं में से सात को काउंटर गारंटी प्रदान करना।

(v) परियोजनाओं की निर्माणाधीन अवधि को कम करने के लिए राज्यों को शक्ति प्रदान करना।

सरकार ने अगस्त 1998 में एक हाईडल नीति एवं नवंबर, 1998 में एक संशोधित मेगा नीति लागू की है।

वर्तमान में सरकार का ध्यान सुधार एवं पुनर्गठन पर है, जहां 1998 में केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग की स्थापना की गई वहीं 14 राज्यों में राज्य विद्युत नियामक आयोग भी स्थापित किए गए। आयोगों का प्रमुख कार्य उत्पादन एवं पारेषण के टैरिफ का निर्धारण करना होगा जिससे राज्य विद्युत बोर्डों की वित्तीय हालत के सुधार हो सकें। सरकार की नजर में अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र नवीकरण एवं आधुनिकीकरण तथा पारेषण एवं वितरण प्रणालियों का सुदृढ़ीकरण है। इन दोनों ही उपायों से देश में विद्युत उपलब्धता की स्थिति में सुधार होगा।

*[हिन्दी]*

## राष्ट्रीय उद्यानों/अभयारण्यों का विकास

**2638. डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय उद्यानों/अभयारण्यों के विकास हेतु केन्द्रीय सहायता के लिए कोई प्रस्ताव अनुमोदन के लिए भेजा गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केन्द्र सरकार द्वारा उस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) :** (क) और (ख) मध्य प्रदेश सरकार से 'बाघ परियोजना और राष्ट्रीय पार्क एवं अभयारण्यों के विकास' की स्कीमों के अंतर्गत क्रमशः 904.86 लाख रुपये और 1400.21 लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। वर्ष 1999-2000 के लिए इन स्कीमों के लिए क्रमशः कुल 17 करोड़ रुपये और 12.98 करोड़ रुपये के आबंटन में से केन्द्र सरकार ने क्रमशः बाघ परियोजना स्कीम के अंतर्गत 278.785 लाख रुपये और 'राष्ट्रीय पार्क एवं अभयारण्यों के विकास' स्कीम के अंतर्गत 151.75 लाख रुपये की राशि जारी की है।

*[हिन्दी]*

## प्लास्टिक के बर्तनों पर प्रतिबंध

**2639. कुंवर सर्वराज सिंह :** क्या पर्यावरण वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के अनेक वैज्ञानिक प्लास्टिक के बर्तनों पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार वैज्ञानिकों की सलाह को ध्यान में रखते हुए कोई निर्णय लेने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) :** (क) से (ग) सरकार को इस बारे में जानकारी नहीं है कि वैज्ञानिकों ने प्लास्टिक के बर्तनों पर प्रतिबंध जैसी कोई मांग की है। फिर भी पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने 2.9.1999 को 'रिसाईकल्ड प्लास्टिक विनिर्माण और प्रायोगिक नियम 1999' अधिसूचित किया है। ये नियम विक्रेताओं द्वारा प्लास्टिक के बने थैलों और कंटेनरों का प्रयोग खाद्य वस्तुओं के भंडारण, लाने ले जाने, डिसपेंसिंग या पेकिजिंग के लिए निषेध करते हैं। साथ ही इन नियमों के अंतर्गत यह एक अनिवार्यता है कि कच्चे प्लास्टिक से बनी थैलियां और कंटेनर अपने प्राकृतिक रंग या सफेद रंग के ही होने चाहिए।

*[अनुवाद]*

## उड़ीसा में पीसीओज/एसटीडी/आईएसडी बूथ

**2640. श्री भर्तृहरि महताब :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा में जिलावार स्थापित किए गए पीसीओज/एसटीडी/आईएसडी बूथों की संख्या कितनी थी;

(ख) राज्य में जिलावार ऐसे बूथों को स्वीकृत करने के लिए कितने आवेदन-पत्र लंबित पड़े हैं; और

(ग) इन आवदेन पत्रों का कब तक निपटान किए जाने की संभावना है?

**संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) :** (क) और (ख) गत तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा में संस्थापित पीसीओ की संख्या तथा पीसीओ बूथों के आबंटन हेतु लंबित आवेदनों की संख्या की जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) सभी लंबित आवेदनों को मार्च, 2000 तक निपटाया जाना है बशर्ते कि तकनीकी व्यवहार्यता हो तथा आवेदकों ने अन्य शर्तें पूरी की हो।

**विवरण**

| दूरसंचार जिले का नाम | संस्थापित पीसीओ की संख्या 1996-97 | 1997-98 | 1998-99 | लंबित आवेदनों की संख्या (31.12.1999 की स्थिति के अनुसार |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| बालासोर | 133 | 44 | 82 | 18 |
| बारीपाडा | 46 | 7 | 59 | 30 |
| बरहामपुर | 116 | 88 | 99 | 49 |
| भुवनेश्वर | 118 | 79 | 60 | 1589 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| बोलंगीर | 101 | 37 | 37 | 127 |
| भवानीपटना | 0 | 0 | 36 | 66 |
| कटक | 220 | 109 | 84 | 11 |
| धेनकनाल | 63 | 5 | 2 | 219 |
| कोरापुट | 16 | 42 | 1 | 29 |
| राउरकेला | 140 | 85 | 66 | 85 |
| सम्बलपुर | 135 | 76 | 71 | 207 |

### उपकरण आपूर्तिकर्ताओं के लिए एन०टी०पी०सी० द्वारा बोलियां

2641. श्री जी०जे० जावीया :
श्री शिवाजी माने :
श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति :
श्री राममोहन गाड्डे :
श्री रामशेठ ठाकुर :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 17 फरवरी, 2000 के 'दि हिन्दुस्तान टाइम्स' में 'एन०टी०पी०सी० मिनिस्ट्री रिफ्ट वाइडन्स ओवर कावास, गंधार बिड्स' शीर्षक से प्रकाशिता समाचार की और दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित मामले के तथ्य और ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ए०बी०बी० एलस्टम पॉवर और बी०एच०ई०एल० सीमेन्स ए०जी०, जर्मनी दोनों की बोलियां उपयुक्त नहीं हैं और मुख्य मुद्दे से हटकर हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) उपकरणों के आपूर्तिकर्ताओं का चयन करने के लिए नई आकस्मिक बोलियां लगाने की बजाय ए०बी०बी० एलस्टम पॉवर के साथ बातचीत के लिए राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम पर जोर डालने के क्या कारण हैं?

**विद्युत मंत्री तथा खान और खनिज मंत्री (श्री पी०आर० कुमारमंगलम)** : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लि० ने नौवीं योजना अवधि के दौरान कुल 2600 मेगावाट प्रत्येक 650 मेगावाट क्षमता की चार गैस आधारित परियोजनाओं अर्थात् कावस सीसीपीपी-II, झानौर-गंधार सीसीपीपी II, अन्ता सीसीपीपी-II तथा औरय्या सीसीपीपी-II के विस्तार की योजना बनाई है। इन परियोजनाओं के लिए बोली प्रक्रिया वर्ष 1998 में एनटीपीसी द्वारा आरंभ की गई थी, लेकिन विभिन्न तकनीकी कारणों से अब तक बोलियों को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है। चूंकि परियोजनाएं अनिवार्यतः राष्ट्रीय महत्व की हैं। अतएव सरकार चाहती है कि विभिन्न प्रचालनात्मक कारणों से इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन में और अधिक समय न लगे।

तदनुसार मंत्रालय ने जनहित में एनटीपीसी को सुझाव दिया कि वह अतिरिक्त सालिसिटर जनरल से प्राप्त कानूनी सलाह के आधार पर बोलीकर्ताओं के साथ वार्ता करके बोलियों को अंतिम रूप दें। हालांकि एनटीपीसी ने विभिन्न विनिर्दिष्टीकरणों एवं जरूरतों में कतिपय बृहत परिवर्तनों के मद्देनजर दोनों ही बोलियों पर कोई कार्रवाई नहीं की एवं पुनः बोली का निर्णय लिया। एनटीपीसी ने बोली संबंधी शर्तों की समीक्षा शुरू कर दी है और बोलीकर्ताओं, पुनर्बोली के लिए पर्याप्त समय दिया जा रहा है ताकि बेहतर प्रतिस्पर्धा व परिणाम प्राप्त हो सकें। इस मामले पर सरकार एवं एनटीपीसी के बीच में कोई मतभेद नहीं है।

### बंद पड़ी एल०पी०जी० एजेंसियां

2642. **डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : क्या पेट्रोलियम और गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) इस समय विभिन्न तेल कंपनियों की कितनी एल०पी०जी० एजेंसियां कंपनीवार और राज्यवार बंद पड़ी हैं;

(ख) राज्यवार इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इन एजेंसियों को फिर से शुरू करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार)** : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

*[हिन्दी]*

### गुजरात में टेलीफोन कनेक्शन

2643. श्री राम सिंह राठवा :
श्री रतिलाल कालीदास वर्मा :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में जिलेवार गुजरात में विशेषकर बड़ौदा, भावनगर और अहमदाबाद जिलों में टेलीफोन कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूची में कितने व्यक्ति हैं;

(ख) जिलेवार गत तीन वर्षों के दौरान तथा आज तक राज्य में कितने टेलीफोन कनेक्शन दिए जा चुके हैं;

(ग) सरकार द्वारा प्रतीक्षा सूची को निपटाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या गुजरात में विशेषकर बड़ौदा जिले में टेलीफोन एक्सचेंज सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) सरकार द्वारा इन्हें सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(छ) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य में टेलीफोन एक्सचेंजों की स्थापना में कितना धन व्यय किया गया है?

**संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क)** सूचना इस प्रकार हैं :

| क्रम सं० | क्षेत्र | 29.2.2000 की स्थिति के अनुसार प्रतीक्षा सूची |
|---|---|---|
| 1. | गुजरात राज्य | 259471 |
| 2. | बड़ोदरा जिला | 18989 |
| 3. | भावनगर जिला | 14620 |
| 4. | अहमदाबाद जिला | 41353 |

(ख) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) नौवीं योजना के उद्देश्यों तथा नई दूरसंचार नीति, 1999 में सरकार के प्रयासों के साथ निजी क्षेत्र के सहयोग से नौवीं योजना के अंत तक मांग पर टेलीफोन उपलब्ध कराने की परिकल्पना की गई थी। चूंकि विभिन्न कारणों से निजी क्षेत्र द्वारा टेलीफोनों के प्रावधान में विलंब हुआ, अत: सरकार द्वारा टेलीफोन उपलब्ध कराने के लक्ष्य में प्रत्येक वर्ष वृद्धि की जा रही है ताकि देश में टेलीफोनों की मांग पूरी की जा सके तथा हम नौवीं योजना के अंत तक देश भर में मांग पर टेलीफोन उपलब्ध कराने का लक्ष्य पूरा करने की स्थिति में हों।

(घ) से (च) बड़ौदा जिले सहित गुजरात दूरसंचार सर्किल में सभी एक्सचेंज इलेक्ट्रॉनिक हैं तथा संतोषजनक ढंग से काम कर रहे हैं। तथापि, ओपनवायर मीडिया वाले एक्सचेंजों में एसटीडी संपर्कता के बारे में समस्या देखी जा रही है। ओवरहैड मीडिया पर काम कर रहे सभी एक्सचेंजों को चरणबद्ध तरीके से विश्वसनीय पारेषण माध्यम उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है।

(छ) गुजरात दूरसंचार सर्किल में टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने के लिए खर्च की गई राशि निम्नानुसार है :

| वर्ष | टेलीफोन एक्सचेंजों के लिए खर्च की गई राशि (करोड़ रुपये में) |
|---|---|
| 1996-97 | 416.88 |
| 1997-98 | 515.32 |
| 1998-99 | 512.37 |

**विवरण**

*पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा 29.2.2000 तक प्रदान किए गए टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या*

| क्रम सं० | दूरसंचार जिले का नाम | शामिल किए गए राजस्व जिले | इन वर्षों के दौरान प्रदान किए गए नये टेलीफोन कनेक्शन 1996-97 | 1997-98 | 1998-99 | 1999-2000 (29.2.2000 तक) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | अहमदाबाद | अहमदाबाद, गांधीनगर | 32216 | 39200 | 36627 | 62326 |
| 2. | अमरेली | अमरेली | 2791 | 5167 | 7289 | 8108 |
| 3. | भरूच | भरूच तथा नर्मदा | 9320 | 9439 | 10006 | 9062 |
| 4. | भावनगर | भावनगर | 3674 | 14512 | 11059 | 7252 |
| 5. | भुज | कच्छ | 7679 | 11755 | 12630 | 3275 |
| 6. | गोधरा | पंचमहल दहोद | 4725 | 4650 | 4502 | 4077 |
| 7. | जामनगर | जामनगर | 4507 | 3664 | 9807 | 7775 |
| 8. | जूनागढ़ | जूनागढ़ पोरबंदर | 8444 | 9557 | 15632 | 18331 |
| 9. | मेहसाना | मेहसाना पाटन | 10534 | 12270 | 15852 | 14962 |
| 10. | नडियाड | खेड़ा आन्नद | 8215 | 11095 | 14011 | 11247 |
| 11. | पालनपुर | बानसकांठा | 3863 | 6640 | 9160 | 8361 |
| 12. | राजकोट | राजकोट | 15006 | 18337 | 26860 | 20509 |
| 13. | सूरत | सूरत | 21467 | 23111 | 26463 | 26598 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14. | सुरेन्द्रनगर | सुरेन्द्रनगर | 4116 | 4728 | 5809 | 5154 |
| 15. | हिम्मतनगर | साबरकांठा | 3406 | 4966 | 6301 | 11177 |
| 16. | वडोदड़ा | वडोदड़ा | 15087 | 16874 | 24853 | 20616 |
| 17. | वलसाड | वलसाड नवसारी, डांग | 6837 | 11869 | 15664 | 13185 |

*[अनुवाद]*

## विद्युत क्षेत्र के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का निजीकरण

**2644. श्रीमती कैलाशो देवी : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की** कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राष्ट्रीय जल विद्युत निगम और राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम सहित विद्युत क्षेत्र के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के निजीकरण में अड़चनें आई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई आकलन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) विद्युत क्षेत्र के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के निजीकरण के लिए सरकार द्वारा क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

**विद्युत मंत्री तथा खान और खनिज मंत्री (श्री पी०आर० कुमारमंगलम)** : (क) से (ग) सरकार त्वरित विद्युत विकास कार्यक्रम का क्रियान्वयन करने में सक्षम बनने के लिए विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले विभिन्न केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की शक्तियों को बढ़ाने तथा निधियां, जिनका प्रावधान करने हेतु संसाधन जुटाने के लिए विभिन्न विकल्पों पर विचार कर रही है। केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की वित्तीय शक्ति बढ़ाने की रूपात्मकता के संबंध में निर्णय जिसमें विनिवेश, निजीकरण जैसे विभिन्न पहलू शामिल हैं, योजना आयोग और संबंधित मंत्रालयों से परामर्श करके लिया जाएगा।

(घ) उपरोक्त को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

## राष्ट्रीय राजमार्ग-47 पर कोल्लम बाइपास हेतु निधियां

**2645. श्री पी० राजेन्द्रन : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह** बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग-47 पर कोल्लम बाइपास के तीसरे और चौथे चरण के निर्माण-कार्य हेतु केन्द्रीय बजट में धनराशि का प्रावधान कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उपरोक्त बाइपास के निर्माण कार्य के दूसरे चरण का काम शीघ्र कराने हेतु क्या कार्यवाही की गई है?

**जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देबेन्द्र प्रधान)** : (क) जी, नहीं। शेष कार्य को बी०ओ०टी० परियोजना के रूप में शुरू करने का प्रस्ताव है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) कोल्लम बाइपास के चरण-II का निर्माण प्रगति की उन्नत अवस्था में है और इसको जून, 2000 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

## मृत्युदंड को समाप्त करना

**2646. श्री दानवे रावसाहेब पाटील : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मृत्युदंड समाप्त करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

**विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री राम जेठमलानी)** : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

## रेटिंग प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना

**2647. श्री के० मुरलीधरन : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी घाट पर रेटिंग प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इस संबंध में विशेषज्ञ दल का प्रतिवेदन स्वीकार करेगी और काकोडी में संस्थान की स्थापना हेतु कदम उठाएगी; और

(घ) यदि हां, तो इसकी स्थापना में विलंब होने के क्या कारण हैं?

**जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देबेन्द्र प्रधान)** : (क) जी, नहीं। तथापि, केरल में नाविक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना करने का एक प्रस्ताव 1990 में इस सहमति से प्रारंभ किया गया था कि केरल सरकार द्वारा भूमि बिना लागत के उपलब्ध कराई जाएगी। चूंकि केरल सरकार बिना लागत के भूमि उपलब्ध नहीं करा सकी, इसलिए प्रस्ताव कार्यान्वित नहीं किया जा सका।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) सरकार ने विशेषज्ञ दल की सिफारिशें स्वीकार कर ली थीं और काकोडी में प्रस्तावित संस्थान स्थापित करने के प्रयास

किए गए थे। तथापि, केरल सरकार संस्थान की स्थापना के लिए अपेक्षित भूमि उपलब्ध कराने के लिए सहमत नहीं हुई इसलिए प्रस्ताव को कार्यान्वित नहीं किया जा सका।

1997 में प्रतिज्ञापित सरकारी नीति में परिवर्तन के बाद निजी क्षेत्र में गठित किए जाने वाले प्रशिक्षण संस्थानों के अनुमोदन की प्रक्रिया निर्धारित कर दी गई है। सरकार निर्धारित मानकों का पालन सुनिश्चित करती है।

इस समय पश्चिमी तट पर पांच नाविक प्रशिक्षण संस्थान अर्थात् टी०एस० रहमान, मुम्बई, बी०पी०टी०-फोसमा प्रशिक्षण केन्द्र मुम्बई, एन०यू०एस०आई० अकादमी, गोवा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेरीटाइम टेक्नालॉजी, कोचीन और यूरे टेक, कोचीन हैं।

### कलकत्ता पत्तन

**2648. डा० नीतिश सेनगुप्ता :** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान समाचार पत्र में प्रकाशित इस रिपोर्ट की ओर दिलाया गया है कि सरकार का विचार कलकत्ता पत्तन के बढ़ते घाटे को कम करने के उद्देश्य से इसे बंद करने का है;

(ख) क्या इसे सभी सुविधाओं सहित कलकत्ता से हल्दिया हस्तांतरित करने का भी विचार है;

(ग) क्या कलकत्ता पत्तन न्यास के स्वामित्व वाली विशाल अचल संपत्तियों का वाणिज्यिक उपयोग करने का भी कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देबेन्द्र प्रधान) :** (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सरकार ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

### पारेषण लिंकेज हेतु संयुक्त उद्यम कंपनी

**2649. श्री सुबोध मोहित :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया ने पारेषण लिंकेज हेतु एक संयुक्त उद्यम कंपनी का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संयुक्त उद्यम कंपनी द्वारा कौन-कौन सी परियोजनाएं आरंभ करने का प्रस्ताव है?

**विद्युत मंत्री तथा खान और खनिज मंत्री (श्री पी०आर० कुमारमंगलम) :** (क) से (ग) जी, नहीं। तथापि, पावरग्रिड कार्पोरेशन ने संयुक्त उद्यम व्यवस्थाओं के माध्यम से भूटान (1020 मे०वा०) ताला जल विद्युत परियोजना से विद्युत की निकासी के लिए पारेषण प्रणाली का क्रियान्वयन प्रस्तावित किया है।

*[हिन्दी]*

### आगरा-मुम्बई राष्ट्रीय राजमार्ग पर बाइपास का निर्माण

**2650. श्री जयभान सिंह पवैया :** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का आगरा-मुम्बई राष्ट्रीय राजमार्ग पर ग्वालियर में बाइपास बनाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक पूरा कर लिया जाएगा?

**जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देबेन्द्र प्रधान) :** (क) से (ग) मंत्रालय ने ग्वालियर बाइपास के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु फरवरी, 99 में 389.90 लाख रु० के प्राक्कलन के लिए स्वीकृति प्रदान की थी। भूमि-अधिग्रहण प्रक्रिया जारी है और इसके मार्च, 2001 तक पूरा होने की संभावना है। भूमि अधिग्रहण के बाद बाइपास के निर्माण हेतु विचार किया जाएगा। अभी से यह बता पाना कठिन है कि बाइपास कब तक पूरा हो जाएगा।

*[अनुवाद]*

### महाराष्ट्र के लिए तटीय-क्षेत्र प्रबंधन योजना

**2651. श्री सुशील कुमार शिंदे :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास महाराष्ट्र राज्य के लिए एक तटीय-क्षेत्र प्रबंधन योजना मार्च, 1995 से विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस परियोजना की अनुमानित लागत और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है तथा इसको स्वीकृति दिए जाने के कार्य में क्या प्रगति हुई है?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) :** (क) और (ख) महाराष्ट्र सरकार ने 22 नवंबर, 1995 को महाराष्ट्र की तटीय जोन प्रबंधन योजना प्रस्तुत की थी जिसे 27 सितंबर, 1996 को इस मंत्रालय द्वारा कुछ सामान्य और विशेष शर्तों के साथ अनुमोदित कर दिया था। महाराष्ट्र सरकार को दो माह के भीतर संशोधित तटीय जोन प्रबंधन योजना प्रस्तुत करने का अनुरोध किया था। ग्रेटर मुम्बई और नवी मुम्बई महाराष्ट्र के लिए संशोधित तटीय जोन प्रबंधन योजनाएं नवंबर, 1998 को प्राप्त हुई थी।

(ग) तटीय जोन प्रबंधन योजना में वित्तीय ब्यौरा शामिल नहीं है। इस मंत्रालय ने 20 जनवरी, 2000 को कुछ शर्तों के साथ ग्रेटर मुम्बई की संशोधित तटीय जोन प्रबंधन योजना को अनुमोदित कर दिया है। नवी मुम्बई के बारे में कुछ और सूचना महाराष्ट्र सरकार से मांगी गई है जिसकी अभी प्रतीक्षा है।

*[हिन्दी]*

### मध्य प्रदेश और बिहार में रसोई गैस एजेंसियां

**2652. श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव :**
**श्री पुन्नुलाल मोहले :**
**श्री राजो सिंह :**

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का मध्य प्रदेश के बिलासपुर जिले और बिहार के पकड़ शेखपुरा और लखीसराय जिलों में रसोई गैस एजेंसियां आबंटित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बिहार के दानापुर और पटना जिलों में रसोई गैस एजेंसियों की संख्या मांग और जनसंख्या के अनुपात में नहीं हैं;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं;

(ङ) क्या अतिरिक्त रसोई गैस एजेंसियां खोलने के लिए पहले विज्ञापन प्रकाशित किया गया था और बाद में इसे वापस ले लिया गया था;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(छ) सरकार द्वारा वहां अतिरिक्त एल०पी०जी० एजेंसियां खोलने हेतु कौन से उपाय प्रस्तावित हैं; और

(ज) इस संबंध में अंतिम रूप से निर्णय कब तक ले लिया जाएगा?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) :** (क) और (ख) फिलहाल मध्य प्रदेश के बिलासपुर जिले में 16 और बिहार के पाकुर, शेखपुरा और लखीसराय जिलों में प्रत्येक में एक-एक एल०पी०जी० डिस्ट्रीब्यूटरशिप खोलने के प्रस्ताव हैं।

(ग) से (ज) एल०पी०जी० की वर्तमान मांग पूरी करने के लिए बिहार के पटना जिले में 40 एल०पी०जी० डिस्ट्रीब्यूटरशिप हैं जिनमें से एक दानापुर में है जो कि पटना जिले का ही एक भाग है। आगे एल०पी०जी० की बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए तेल कंपनियों ने पटना जिले में 14 और एल०पी०जी० डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के लिए विज्ञापन दिए हैं। पहले विज्ञापित स्थानों को बाद में दोबारा विज्ञापित किया गया था ताकि उन पात्र व्यक्तियों को एक और अवसर दिया जा सके जो पहले अवसर का लाभ नहीं उठा पाए थे। डीलर चयन बोर्डों को हाल ही में भंग कर दिया गया है। डीलरशीपों/डिस्ट्रीब्यूटरशिपों को चालू करने में साक्षात्कार की तारीख से सामान्यत: 6-12 महीने लग जाते हैं।

*[अनुवाद]*

### एनटीपीसी एककों में कार्यरत कर्मचारी

**2653. डा० (श्रीमती) सी० सुगुणा कुमारी :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न एनटीपीसी एककों में राज्य-वार तथा वर्ष-वार कितने कर्मचारी कार्यरत हैं;

(ख) एकक-वार और वर्ष-वार इनमें से कितने व्यक्ति अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के हैं तथा इनमें से कितनी महिलाएं हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान एकक-वार और वर्ष-वार प्रत्येक एनटीपीसी एकक में कितनी अस्थायी अथवा स्थायी नियुक्तियां की गईं; और

(घ) एकक-वार और वर्ष-वार इनमें से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की संख्या कितनी-कितनी है?

**विद्युत मंत्री तथा खान और खनिज मंत्री (श्री पी०आर० कुमारमंगलम) :** (क) और (ख) विगत तीन वर्षों अर्थात् 1998, 1997 तथा 1996 के दौरान विभिन्न नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन (एनटीपीसी) यूनिटों में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या तथा उसमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा महिलाओं की यूनिट-वार तथा वर्ष-वार संख्या संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ग) और (घ) गत तीन वर्षों अर्थात् 1998, 1997 तथा 1996 के दौरान प्रत्येक एनटीपीसी यूनिट में नियुक्तियों की संख्या और उसमें से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों की संख्या यूनिट-वार एवं वर्ष-वार संलग्न विवरण-II में दी गई है।

**विवरण-I**

*वर्ष वार एवं राज्य-वार विभिन्न एककों में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या : वर्ष 1998 हेतु*

| क्रम सं० | राज्य | परियोजना/यूनिट | कर्मचारियों की संख्या | अनुसूचित जाति की संख्या | अनुसूचित जनजाति की संख्या | महिलाएं |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | दिल्ली | सोसी | 2014 | 157 | 15 | 283 |
| 2. | दिल्ली | बीटीपीएस | 2374 | 385 | 21 | 57 |
| 3. | उत्तर प्रदेश | एनसीआरएचक्यू | 88 | 7 | 0 | 13 |
| 4. | उत्तर प्रदेश | एनसीपीएस | 1324 | 186 | 6 | 37 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | उत्तर प्रदेश | एयूजीपीपी | 273 | 48 | 1 | 2 |
| 6. | उत्तर प्रदेश | एफजीयूपीपी | 1237 | 125 | 2 | 38 |
| 7. | उत्तर प्रदेश | एसएसटीपीएस | 2099 | 382 | 27 | 78 |
| 8. | उत्तर प्रदेश | आरएचएसटीपीपी | 990 | 218 | 20 | 25 |
| 9. | उत्तर प्रदेश | एनआरएचक्यू | 61 | 2 | 0 | 3 |
| 10. | हरियाणा | एफबीजीपीपी | 65 | 4 | 0 | 3 |
| 11. | राजस्थान | अन्ता | 332 | 42 | 20 | 8 |
| 12. | बिहार | ईआरएचक्यू | 139 | 7 | 3 | 10 |
| 13. | बिहार | केएचएसटीपीपी | 1222 | 150 | 71 | 0 |
| 14. | उड़ीसा | टीएसटीपीपी | 757 | 86 | 58 | 47 |
| 15. | उड़ीसा | टीटीपीएस | 1673 | 143 | 28 | 3 |
| 16. | गुजरात | केडब्ल्यूजीपीपी | 280 | 36 | 30 | 16 |
| 17. | गुजरात | जीएनजीपीपी | 189 | 25 | 11 | 10 |
| 18. | महाराष्ट्र | डब्ल्यूआरएचक्यू | 9 | 12 | 0 | 6 |
| 19. | मध्य प्रदेश | वीएसटीपीपी | 1891 | 261 | 148 | 48 |
| 20. | मध्य प्रदेश | केएसटीपीपी | 2140 | 264 | 475 | 82 |
| 21. | मध्य प्रदेश | बीसीपीपी | 459 | 62 | 96 | 0 |
| 22. | मध्य प्रदेश | एसआईपीएटी | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | अरुणाचल प्रदेश | एसआरएचक्यू | 168 | 8 | 1 | 17 |
| 24. | अरुणाचल प्रदेश | आरएसटीपीएस | 1891 | 260 | 35 | 68 |
| 25. | अरुणाचल प्रदेश | एसएमएसटीपीपी | 99 | 3 | 0 | 0 |
| 26. | पश्चिम बंगाल | एफएसटीपीपी | 1851 | 318 | 98 | 74 |
| 27. | केरल | केवाईएसटीपीपी | 143 | 4 | 0 | 9 |
| | | कुल | 23768 | 3195 | 1166 | 937 |

*वर्ष-वार, राज्य-वार विभिन्न एककों में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या : वर्ष 1997 हेतु*

| क्रम सं० | राज्य | परियोजना/यूनिट | कर्मचारियों की संख्या | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति की कुल संख्या |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | दिल्ली | सीसी | 1960 | 162 | 14 |
| 2. | दिल्ली | बीटीपीएस | 2415 | 479 | 23 |
| 3. | उत्तर प्रदेश | एनसीआरएचक्यू | 74 | 7 | 0 |
| 4. | उत्तर प्रदेश | एनसीपीएस | 1340 | 180 | 7 |
| 5. | उत्तर प्रदेश | एयूजीपीपी | 274 | 48 | 3 |
| 6. | उत्तर प्रदेश | एफजीयूपीपी | 1234 | 123 | 2 |
| 7. | उत्तर प्रदेश | एसएसटीपीएस | 2180 | 393 | 29 |
| 8. | उत्तर प्रदेश | आरएचएसटीपीपी | 994 | 216 | 22 |
| 9. | उत्तर प्रदेश | एनआरएचक्यू | 83 | 2 | 0 |
| 10. | हरियाणा | एफबीजीपीपी | 36 | 3 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11. | राजस्थान | अन्ता | 235 | 43 | 20 |
| 12. | बिहार | ईआर-एचक्यू | 59 | 2 | 1 |
| 13. | बिहार | केएचएसटीपीपी | 1253 | 150 | 71 |
| 14. | उड़ीसा | टीएसटीपीपी | 749 | 85 | 58 |
| 15. | उड़ीसा | टीटीपीएस | 1685 | 135 | 23 |
| 16. | गुजरात | केडब्ल्यूजीपीपी | 282 | 36 | 30 |
| 17. | गुजरात | जीएनजीपीपी | 195 | 20 | 8 |
| 18. | महाराष्ट्र | डब्ल्यूआर-एचक्यू | 101 | 13 | 0 |
| 19. | मध्य प्रदेश | वीएसटीपीपी | 1845 | 243 | 144 |
| 20. | मध्य प्रदेश | केएसटीपीपी | 2197 | 263 | 479 |
| 21. | मध्य प्रदेश | बीसीपीपी | 482 | 64 | 94 |
| 22. | मध्य प्रदेश | एसआईपीएटी | 0 | 0 | 0 |
| 23. | अरुणाचल प्रदेश | एसआर-एचक्यू | 133 | 8 | 1 |
| 24. | अरुणाचल प्रदेश | आरएसटीपीएस | 1887 | 260 | 35 |
| 25. | अरुणाचल प्रदेश | एसएमएसटीपीपी | 25 | 1 | 0 |
| 26. | पश्चिम बंगाल | एफएसटीपीपी | 1874 | 326 | 97 |
| 27. | केरल | केवाईएसटीपीपी | 81 | 1 | 0 |
| | | कुल | 23613 | 3263 | 1159 |

*वर्ष-वार एवं राज्य-वार विभिन्न एककों में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या : वर्ष 1996 हेतु*

| क्रम सं० | राज्य | परियोजना/यूनिट | कर्मचारियों की कुल संख्या | अनुसूचित जातति की कुल संख्या | अनुसूचित जनजाति की कुल संख्या |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | दिल्ली | सीसी | 1991 | 151 | 14 |
| 2. | दिल्ली | बीटीपीएस | 2476 | 461 | 20 |
| 3. | यू०पी० | एनसीआर-एचक्यू | 78 | 7 | 0 |
| 4. | यू०पी० | एनसीपीएस | 1352 | 179 | 7 |
| 5. | यू०पी० | एयूजीपीपी | 285 | 31 | 3 |
| 6. | यू०पी० | एफजीयूपीपी | 1241 | 127 | 2 |
| 7. | यू०पी० | एसएसटीपीएस | 2184 | 400 | 29 |
| 8. | यू०पी० | आरएचएसटीपीपी | 1013 | 215 | 23 |
| 9. | यू०पी० | एनआर-एचक्यू | 59 | 0 | 0 |
| 10. | हरियाणा | एफबीजीपीपी | 0 | 0 | 0 |
| 11. | राजस्थान | अन्ता | 245 | 42 | 19 |
| 12. | बिहार | ईआर-एचक्यू | 60 | 2 | 0 |
| 13. | बिहार | केएचएसटीपीपी | 1257 | 147 | 71 |
| 14. | उड़ीसा | टीएसटीपीपी | 764 | 84 | 59 |
| 15. | उड़ीसा | टीटीपीएस | 1939 | 305 | 15 |
| 16. | गुजरात | केडब्ल्यूजीपीपी | 294 | 40 | 28 |
| 17. | गुजरात | जीएनजीपीपी | 185 | 21 | 6 |
| 18. | महाराष्ट्र | डब्ल्यूआर-एचक्यू | 103 | 13 | 1 |
| 19. | मध्य प्रदेश | वीएसटीपीपी | 1839 | 246 | 144 |
| 20. | मध्य प्रदेश | केएसटीपीपी | 2211 | 263 | 480 |
| 21. | मध्य प्रदेश | बीसीपीपी | 488 | 64 | 95 |
| 22. | मध्य प्रदेश | एसआइपीएटी | 0 | 0 | 0 |
| 23. | अरुणाचल प्रदेश | एसआर-एचक्यू | 144 | 8 | 1 |
| 24. | अरुणाचल प्रदेश | आरएसटीपीएस | 1957 | 265 | 36 |
| 25. | अरुणाचल प्रदेश | एसएमएसटीपीपी | 0 | 0 | 0 |
| 26. | पश्चिम बंगाल | एफएसटीपीपी | 1892 | 331 | 93 |
| 27. | केरल | केवाईएसटीपीपी | 68 | 1 | 0 |
| | | कुल | 24123 | 3403 | 1146 |

**विवरण-II**

*वर्ष 1998, 1997 एवं 1996 में यूनिट-वार नियुक्तियों की संख्या*

| क्रम सं० | परियोजना/यूनिट | नियुक्तियों की संख्या | | | प्रत्याशियों की संख्या (अनुसूचित जाति) | | | नियुक्त (अनुसूचित जन-जाति) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1998 | 1997 | 1996 | 1998 | 1997 | 1996 | 1998 | 1997 | 1996 |
| 1. | कोरपोरेट सेंटर | 110 | 75 | 145 | 8 | 10 | 25 | 0 | 0 | 2 |
| 2. | एनसीपीएस | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | एयूजीपीपी | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | एफजीयूपीपी | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | सिंगरोली एसटीपीएस | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | रिहन्द एसटीपीपी | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | एफबीजीपीपी | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | कहलगांव एसटीपीपी | 0 | 1 | 51 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| 9. | तालचेर एसटीपीपी | 20 | 3 | 28 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 10. | कवास जीपीपी | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | गन्धार जीपीपी | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 12. | वीएसटीपीपी | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 13. | कोरबा एसटीपीपी | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | रामागुंडम एसटीपीएस | 5 | 7 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | फरक्का एसटीपीपी | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | कायमकुलम एसटीपीपी | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | कुल | 151 | 98 | 240 | 12 | 16 | 35 | 1 | 0 | 7 |

टिप्पणी—बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, मुख्यालय, उत्तरी क्षेत्र मुख्यालय, अन्ता, पूर्वी क्षेत्र मुख्यालय, तालचेर ताप विद्युत केन्द्र, पश्चिमी क्षेत्र मुख्यालय, बालको कैप्टिव पावर प्रोजेक्ट, सिपत, दक्षिणी क्षेत्र मुख्यालय और सिम्हाद्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट के बारे में सूचना शून्य मानी जाए।

**संकेताक्षर—**

एनसीपीएस : नेशनल कैपिटल पावर स्टेशन
एयूजीपीपी : औरैया गैस पावर प्रोजेक्ट
एफजीयूपीपी : फिरोजगांधी ऊंचाहार पावर प्रोजेक्ट
एसटीपीएस : सुपर थर्मल पावर स्टेशन
एसटीपीपी : सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट
एफबीजीपीपी : फरीदाबाद गैस पावर प्रोजेक्ट
जीपीपी : गैस पावर प्रोजेक्ट
वीएसटीपीपी : विन्ध्याचल सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट।

**मंगलौर में गैस आधारित विद्युत परियोजना की स्थापना**

**2654. श्री आर०एल० जालप्पा :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने कोजेन्ट्रिक्स के साथ विद्युत खरीद करार में संशोधन करने के लिए कर्नाटक सरकार से कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कर्नाटक सरकार ने दक्षिणी राज्यों को विद्युत आपूर्ति करने के लिए मंगलौर में गैस आधारित 2000 मेगावाट विद्युत परियोजना स्थापित करने हेतु प्रस्ताव किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी अनुमानित लागत क्या होगी; और

(ङ) इस परियोजना में दक्षिणी राज्यों और राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की कितनी-कितनी भागीदारी होगी?

**विद्युत मंत्री तथा खान और खनिज मंत्री (श्री पी०आर० कुमारमंगलम) :** (क) मैसर्स मंगलौर पावर कंपनी, जिसमें मैसर्स कोजेन्ट्रिक्स ईनर्जी इंक, एक मुख्य प्रवर्तक थे, के 1012.3 मेगावाट क्षमता वाली मंगलौर विद्युत परियोजना के लिए भारत सरकार काउंटर गारंटी जारी करने संबंधी निर्णय संप्रेषित करते समय कर्नाटक सरकार को यह सूचित किया गया है कि इस परियोजना के लिए विद्युत क्रय करार (पीपीए) में जहां भी आवश्यक हो, संशोधन करने पड़ेंगे ताकि यह भारत सरकार काउंटर गारंटी से जुड़े शर्तों के अनुरूप हों।

(ख) काउंटर गारंटी जारी करने संबंधी शर्तों के अनुसार पीपीए के कुछ प्रावधानों को निम्नानुसार संशोधित किया जा सकता है :

1. ईंधन की कीमत से संबंधित प्रावधानों को अंतिम रूप तभी प्रदान किया जाएगा जबकि राज्य सरकार यह सुनिश्चित कर ले कि प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रियाओं को अंतिम रूप प्रदान किए गए ईंधन आपूर्ति समझौते में अपना लिया जाएगा।
2. पीपीए में निम्नलिखित उपाय भी शामिल करने होंगे :
   - (i) टैरिफ में स्वीकृत प्रोत्साहन राशियों को आयकर से मुक्त रखना।
   - (ii) टैरिफ परिकलन के लिए फ्यूएल खर्च की प्रतिपूर्ति लाभ स्रोत नहीं बन जाए, यह सुनिश्चित करने के लिए उष्मा दर, अतिरिक्त खपत एवं दूसरे ईंधन तेल खपत को वास्तविक खर्चों या मानदंडों, जो भी कम हो, के आधार पर निर्धारित किया जाएगा।
3. पीपीए को भारत सरकार द्वारा ऋण भुगतान के लिए विदेशी विनिमय पर आयकर रिजर्व जरूरत एवं टैक्स होलीडे के संबंध में लिए गए निर्णय का अनुपालन करना होगा।
4. पीपीए को अंतिम रूप दिए जाने के पूर्व कर्नाटक विद्युत नियामक आयोग के चालू हो जाने की स्थिति में पीपीए पर क०वि०नि०आ० के आदेश लागू होंगे।
5. इंजीनियरिंग, प्राप्ति एवं निर्माण के लिए संविदा की समीक्षा के फलस्वरूप आनुषंगिक परिवर्तन, यदि कोई हों।

(ग) से (ङ) सुधार कार्यक्रमों में सहयोग के लिए विद्युत मंत्रालय तथा कर्नाटक सरकार के बीच समझौता ज्ञापन में एनटीपीसी से कर्नाटक में 2000 मे०वा० एलएनजी आधारित उत्पादक केन्द्र स्थापित करने का अनुरोध किया गया है। भारत सरकार इसकी व्यवहार्यता पर विचार करेगी।

*[हिन्दी]*

**डाक-पालों तथा उप-डाकपालों की कमी**

**2655. श्री रामजीवन सिंह :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के डाकघरों में डाकपालों तथा उप-डाकपालों की कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) यदि नहीं, तो गत तीन वर्षों के दौरान डाक विभाग में इन श्रेणियों के कर्मचारियों की भर्ती का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

**संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) :** (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) में दिए गए उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इन पदों के लिए विशेष रूप से कोई भर्ती नहीं की गई है। पोस्टमास्टर तथा उप-पोस्टमास्टर के पद डाक सहायक संवर्ग के ऐसे कर्मचारियों द्वारा संभाले जाते हैं जो पात्रता की अपेक्षित शर्तों को पूरा करते हैं।

**बिहार के बेतिया जिले में रसोई गैस की आपूर्ति**

**2656. डा० मदन प्रसाद जायसवाल :** क्या पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में बेतिया जिले की ऐसी कौन-कौन सी पंचायतें हैं जिन्हें रसोई गैस की आपूर्ति की जाती है;

(ख) ऐसे गांवों की संख्या कितनी है जो पक्की सड़क से 500 से 100 गज की दूरी पर हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इन गांवों में गैस सिलिंडर घर पहुंचाने और एजेंसी द्वारा सिलिंडरों की जांच करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) :** (क) से (घ) वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम विपणन कंपनियों के 3 एल पी जी वितरक बेतिया में प्रचालन कर रहे हैं। एल पी जी रिफिल की आपूर्ति संबंधित वितरक के निर्धारित क्षेत्र में की जाती है।

**लोक अदालतों द्वारा निपटाए गए मामले**

**2657. श्री ब्रजमोहन राम :** क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1998-99 और 1999-2000 के दौरान बिहार में कितनी लोक अदालतों का गठन किया गया; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान बिहार में इन अदालतों द्वारा कितने मामलों का निपटान किया गया?

**विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री राम जेठमलानी) :** (क) और (ख) बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से जानकारी एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होते ही, सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

**पौधों की लुप्तप्राय प्रजातियां**

2658. **कुंवर अखिलेश सिंह :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पुष्पों और पौधों की कितनी प्रजातियां हैं;

(ख) क्या राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान ने लुप्तप्राय प्रजातियों के पौधों की सूची तैयार की है जिनका संरक्षण किया जाना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) अब तक संरक्षित की गई प्रजातियों का ब्यौरा क्या है?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) :** (क) अब तक किए गए सर्वेक्षण के अनुसार देश में अनुमानतः पुष्प पौधों की लगभग 17500 प्रजातियां हैं।

(ख) 'राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान' नाम का कोई संस्थान इस मंत्रालय के अधीन नहीं है। फिर भी हावड़ा में भारतीय वनस्पति उद्यान, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के नियंत्रण में है। भारतीय वनस्पति उद्यान ने खतरे में पड़ी पौधों की प्रजातियों के संरक्षण के लिए कोई सूची तैयार नहीं की है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

*[अनुवाद]*

**डाकघरों के भवन का निर्माण**

2659. **श्री पी०सी० थामस :**
**श्री रामानन्द सिंह :**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक विभाग ने केरल के डाकघरों हेतु विभागीय भवन के निर्माण के लिए विभिन्न शहरों में भूमि खरीदी है;

(ख) यदि हां, तो राज्य में एर्नाकुलम, कोट्टयम, पम्पाकुड्डा और अन्य जिलों का ब्यौरा क्या है जहां ऐसी भूमि जिला-वार उपलब्ध है;

(ग) इन प्रत्येक शहरों में भवन निर्माण की योजना और मध्य प्रदेश के सतना नगर में प्रमुख डाक एवं तार कार्यालय के भवन निर्माण की योजना का ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त निर्माण-कार्य कब तक हो जाने की संभावना है;

(ङ) सरकार द्वारा पिछले एक वर्ष के दौरान केरल के इन शहरों में किराये के रूप में कितनी धनराशि का भुगतान किया गया;

(च) क्या डाकघर भवनों के मकान मालिकों के साथ अधिकारियों की मिलीभगत होना भी इन डाकघरों के भवनों का निर्माण न होने का एक कारण है; और

(छ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है और इस संबंध में दोषी पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई?

**संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) :** (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) उपर्युक्त (ख) में उल्लिखित खाली भूखंडों में से त्रिवेन्द्रम जिले में तीन स्थानों अर्थात् चलई, पट्टम पैलेस तथा विजिन्जाम में भवनों के निर्माण का कार्य चल रहा है। इसके अलावा, तीन स्थानों पर विभागीय भवनों के निर्माण को भी मंजूरी प्रदान कर दी गई है। ये स्थान हैं—अल्लेपी जिले में कायमकुलम प्रधान डाकघर, त्रिचूर जिले में चालकुडी प्रधान डाकघर तथा कालीकट जिले में कालीकट सिविल स्टेशन प्रधान डाकघर। जहां तक शेष भूखंडों का संबंध है, योजना में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार निर्माण-कार्य प्रारंभ किए जाने की संभावना है, बशर्ते कि धनराशि उपलब्ध रहे। मध्य प्रदेश में सतना में विभागीय भवन के निर्माण को मंजूरी दे दी गई है तथा निर्माण से पहले की औपचारिकताओं के पूरा होने के पश्चात् निर्माण-कार्य प्रारंभ होने की आशा है।

**दूरसंचार विभाग**

सतना में तारघर विभागीय भवन में कार्य कर रहा है। सतना, मध्य प्रदेश में किसी और तारघर के निर्माण की कोई योजना नहीं है।

(ङ) सरकार ने पिछले एक वर्ष के दौरान केरल के इन कस्बों में 20,88,144/- रु० का भुगतान किराए के रूप में किया है।

(च) जी, नहीं।

(छ) उपयुक्त (च) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं

**विवरण**

*राज्य में एर्नाकुलम, कोट्टायम एवं पंपाकुडा तथा अन्य जिलों उन कस्बों का जिला-वार ब्यौरा जहां भूखंड उपलब्ध हैं*

| क्रम सं० | जिले का नाम | कस्बे का नाम |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | त्रिवेन्द्रम | (1) चलई |
| | | (2) पनगोडे |
| | | (3) कुलाटपूर |
| | | (4) पट्टम पैलेस |
| | | (5) टी०ई० कॉलेज |
| | | (6) कराभना |
| | | (7) सास्थामंगलम |
| | | (8) विजिन्जम |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 2. | कोल्लम | (1) कोट्टियम |
| | | (2) पुथुर |
| 3. | अलप्पुझा | कयामकुलम |
| 4. | ईदुक्की | नेडुम्कंडम |
| 5. | एर्णाकुलम | (1) एर्णाकुलम दक्षिण |
| | | (2) पनानगड |
| | | (3) पल्लूरुथी |
| | | (4) मुलम्थुरुथी |
| | | (5) पानमपल्ली |
| | | (6) मुवट्टू पुझा (मार्किट) |
| | | (7) पैरुम्बदूर (दक्षिण) |
| | | (8) पम्पाकुडा |
| 6. | त्रिचूर | (1) चलाक्कुडी टाउन |
| | | (2) चलाक्कुडी (प्रधान डाकघर) |
| | | (3) पेरिन्जनम |
| | | (4) पट्टीकड |
| | | (5) कुन्नामकुलम (प्रधान डाकघर) |
| 7. | पालघाट | (1) चेरफलचेरी |
| | | (2) पनामन्ना |
| | | (3) कलपाती |
| | | (4) पार्ली |
| 8. | कोझिकोड | (1) कालीकट सिविल स्टेशन |
| | | (2) कालीकट आर ई कॉलेज |
| | | (3) नादपुरम् |
| 9. | वायनाड | (1) सुलतान्स बैटरी |
| | | (2) कलपेट्टा (प्रधान डाकघर) |
| 10. | कन्नूर | (1) चेराक्कारा |
| | | (2) मट्टान्नूर |
| | | (3) चोक्ली |
| | | (4) तिरुवनगड |
| | | (5) पयानगाडी |
| | | (6) चेरुपुजा |
| | | (7) वालापट्टनम |
| | | (8) चेरुकुन्नू |
| 11. | मालाप्पुरम | (1) तेन्हीपालम |
| | | (2) चुंगाथारा |
| | | (3) डाउनहिल |
| | | (4) अंगाडीपुरम |
| | | (5) मन्जेरी |
| | | (6) वेन्गारा |
| | | (7) कुट्टीपुरम |
| | | (8) पोन्नानी (नगरम) |
| | | (9) तिरुनवया |
| | | (10) तिरुर (प्रधान डाकघर) |
| 12. | कसारगोड | मंजेश्वर |

*[हिन्दी]*

**लोकटक परियोजना के कर्मचारी**

**2660. श्री रामदास आठवले :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 18 जनवरी, 2000 के जनसत्ता में 'लोकटक परियोजना को उग्रवाद के कारण खतरा' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस रिपोर्ट के तथ्य क्या हैं;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) लोकटक परियोजना को निर्धारित समय में पूरा करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है?

**विद्युत मंत्री तथा खान और खनिज मंत्री (श्री पी०आर० कुमारमंगलम) :** (क) और (ख) जी, हां। लोकटक जल विद्युत परियोजना के मुख्य अभियंता की 12 जनवरी, 2000 को उनके निवास स्थान में उग्रवादियों के एक दल द्वारा हत्या कर दी गई थी।

(ग) सरकार परियोजना में तैनात कर्मचारियों और परियोजना को पर्याप्त सुरक्षा कवच प्रदान करने के लिए मणिपुर सरकार के साथ आवधिक रूप से कार्रवाई करती रही है। मुख्य अभियंता के हत्या के पश्चात् परियोजना में अतिरिक्त सुरक्षा कर्मचारी तैनात किए गए हैं। राज्य सरकार ने सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स (सीआरपीएफ) की पांच कंपनियों की व्यवस्था की है जो कि वर्तमान में लोकटक परियोजना की सुरक्षा के लिए तैनात की गई है। उन्होंने लोकटक डाउनस्ट्रीम परियोजना के निर्माण के दौरान पर्याप्त सुरक्षा का भी आश्वासन दिया है।

(घ) लोकटक जल विद्युत परियोजना एक प्रचालन एवं अनुरक्षण परियोजना है। एनएचपीसी ने लोकटक डाउन स्ट्रीम जल विद्युत परियोजना, जिसे कि हाल ही में स्वीकृति प्रदान की गई है, का कार्य हाथ में ले लिया गया है।

**इंटरनेट के माध्यम से दूरभाष की सुविधा**

**2661. श्री थावरचन्द गेहलोत :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का इंटरनेट के माध्यम से एसटीडी और आईएसडी सहित दूरभाष सुविधा उपलब्ध कराने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई?

**संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) :** (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

**मध्य प्रदेश में टेलीफोन कनेक्शन**

**2662. श्री शिवराज सिंह चौहान :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में टेलीफोन कनेक्शन हेतु इस समय प्रतीक्षा सूची में जिलावार कितने व्यक्तियों के नाम दर्ज हैं;

(ख) गत एक वर्ष के दौरान और आज तक जिला-वार कितने व्यक्तियों को टेलीफोन कनेक्शन दिए गए; और

(ग) राज्य में प्रतीक्षा सूची में दर्ज सभी व्यक्तियों को कब तक टेलीफोन कनेक्शन दे दिए जाएंगे?

**संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) :** (क) और (ख) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) वर्तमान प्रतीक्षा-सूची 31 मार्च, 2001 तक निपटा दिए जाने की संभावना है।

**विवरण**

*29.2.2000 की स्थिति के अनुसार मध्य प्रदेश में प्रतीक्षा-सूची में दर्ज-व्यक्तियों, 1998-99 के दौरान और 29.2.2000 तक प्रदान किए गए टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या इस प्रकार है*

| क्रम सं० | जिला | 29.2.2000 की स्थिति के अनुसार प्रतीक्षा-सूची | 98-99 के दौरान प्रदान किए गए टेलीफोनों की संख्या | 1.4.99 से 29.2.2000 तक प्रदान किए गए टेलीफोनों की संख्या |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | भोपाल | 3065 | 18423 | 11986 |
| 2. | सिहौर | 1228 | 2003 | 1652 |
| 3. | रायसीन | 56 | 1007 | 880 |
| 4. | दुर्ग | 3574 | 5741 | 6816 |
| 5. | राजनंदगांव | 476 | 870 | 1359 |
| 6. | कवर्धा | 5 | | 136 |
| 7. | ग्वालियर | 1573 | 9955 | 7507 |
| 8. | दतिया | 365 | 708 | 1169 |
| 9. | भिंड | 795 | 292 | 1083 |
| 10. | मुरैना | 2725 | 1318 | 1842 |
| 11. | शिवोपुर कला | 288 | | 174 |
| 12. | इंदौर | 3997 | 13867 | 7185 |
| 13. | उज्जैन | 2698 | 4859 | 3339 |
| 14. | धार | 1527 | 2294 | 1845 |
| 15. | देवास | 844 | 2441 | 1630 |
| 16. | जबलपुर | 5670 | 5400 | 2773 |
| 17. | कटनी | 1145 | | 480 |
| 18. | रायपुर | 2814 | 7888 | 4321 |
| 19. | धमतारी | 423 | | 97 |
| 20. | महासामुण्ड | 446 | | 486 |
| 21. | छतरपुर | 1081 | 1000 | 1807 |
| 22. | टीकमगढ़ | 1432 | 538 | 577 |
| 23. | दमोह | 260 | 468 | 1327 |
| 24. | राजगढ़ | 80 | 974 | 1046 |
| 25. | शाजापुर | 308 | 1415 | 669 |
| 26. | शिवपुरी | 929 | 3242 | 1711 |
| 27. | झबुआ | 597 | 803 | 718 |
| 28. | बेटुल | 559 | 2111 | 1580 |
| 29. | विदिशा | 969 | 1437 | 1844 |
| 30. | बालाघाट | 237 | 1222 | 1539 |
| 31. | मांडला | 360 | 495 | 168 |
| 32. | दिन्दौरी | 96 | | 168 |
| 33. | नरसिंहपुर | 789 | 1510 | 1126 |
| 34. | सिऔनी | 246 | 1080 | 1040 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 35. | गुना | 892 | 1552 | 1872 |
| 36. | सागर | 2303 | 2502 | 1215 |
| 37. | होशंगाबाद | 1610 | 3002 | 914 |
| 38. | हार्दा | 646 | | 890 |
| 39. | खडगौन | 174 | 3304 | 1210 |
| 40. | बरवानी | 298 | | 630 |
| 41. | खंडवा | 1253 | 3038 | 672 |
| 42. | मंदसौर | 1512 | 4011 | 2088 |
| 43. | नीमच | 1413 | | 1209 |
| 44. | रतलाम | 2369 | 3124 | 2597 |
| 45. | बिलासपुर | 2097 | 5805 | 2722 |
| 46. | जंजगीर चम्पा | 140 | | 721 |
| 47. | कोरबा | 1070 | | 2344 |
| 48. | छिन्दवाड़ा | 745 | 2314 | 1888 |
| 49. | बस्तर | 183 | 2500 | 1526 |
| 50. | दांतेवाड़ा | 131 | | 530 |
| 51. | कांकेर | 267 | | 495 |
| 52. | रायगढ़ | 526 | 3508 | 1279 |
| 53. | जशपुर नगर | 101 | | 469 |
| 54. | रीवा | 3057 | 2955 | 1458 |
| 55. | सिद्धी | 1555 | 1214 | 452 |
| 56. | पन्ना | 207 | 401 | 392 |
| 57. | सतना | 1333 | 3143 | 1773 |
| 58. | सरगुजा | 876 | 1123 | 612 |
| 59. | कोरिया | 477 | | 543 |
| 60. | शहडौल | 516 | 3210 | 1495 |
| 61. | उमरिया | 301 | | 503 |

टिप्पणी—कुछ जिले 97-98 तथा 98-99 के दौरान बनाए गए हैं, अतः 98-99 के दौरान प्रदान किए गए टेलीफोनों की संख्या मूल जिले के समक्ष दर्शाई गई है।

**चुनावी हिंसा**

**2663. डॉ० अशोक पटेल :** क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों के दौरान हिंसा में कितने लोग मारे गए और कितने घायल हुए;

(ख) हिंसा की सबसे अधिक वारदातें किस राज्य में हुई; और

(ग) इस संबंध में कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई?

**विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री राम जेठमलानी) :** (क) से (ग) अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

**गेटवे ऑफ इंडिया से मुंबई तक जल परिवहन**

**2664. श्री किरीट सोमैया :** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने गेटवे ऑफ इंडिया से मुंबई तक जल परिवहन आरंभ करने की अनुमति मांगी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उक्त प्रस्ताव पिछले दो वर्षों से मुंबई पत्तन न्यास के पास लंबित पड़ा है; और

(घ) यदि हां, तो प्रस्ताव को कब तक मंजूर किए जाने की संभावना है?

**जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देवेन्द्र प्रधान) :** (क) से (घ) गेटवे ऑफ इंडिया से मुंबई तक यात्री जल परिवहन सेवा के विकास के लिए महाराष्ट्र सरकार के शहरी तथा औद्योगिक विकास निगम द्वारा 1997 में किए गए प्रस्ताव पर विचार करने और नौचालन सुरक्षा, यातायात की भीड़, पर्यावरण संबंधी स्वीकृति आदि को ध्यान में रखते हुए यात्री परिवहन टर्मिनल के लिए उपयुक्त स्थान का पता लगाने हेतु विस्तृत अध्ययन की आवश्यकता है। मुंबई पत्तन न्यास ने इस प्रयोजन के लिए एक परामर्शदाता नियुक्त किया है। इस प्रस्ताव को स्वीकृति देने के लिए इस स्तर पर कोई निश्चित समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती।

**उत्तर प्रदेश में रसोई गैस एजेंसियों/ पेट्रोल पम्पों का खोला जाना**

**2665. डा० बलिराम :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में पिछले तीन वर्षों के दौरान शिक्षित बेरोजगारों, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के व्यक्तियों को कितनी रसोई गैस एजेंसियाँ और पेट्रोल/डीजल के खुदरा बिक्री केन्द्र आवंटित किए गए हैं;

(ख) चालू वर्ष में कितने डिस्ट्रीब्यूटरशिप आवंटित किए जाने का विचार है;

(ग) राज्य में कितने जिलों में इस प्रकार का आवंटन किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार का विचार राज्य के आजमगढ़ जिले के लालगंज, थेकमा, बड़ा मुहम्मदपुर, मेहनगर, खरीहानी और बिन्द्रा बाजार में रसोई गैस एजेंसी खोलने का है;

(ङ) यदि हां, तो रसोई गैस एजेंसियों को कब तक खोल दिए जाने की संभावना है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क)** 1996-97, 1997-98 और 1998-99 के दौरान तेल कंपनियों ने उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति श्रेणी के अंतर्गत 6 खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपों और 2 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों का आबंटन किया है।

(ख) से (च) पिछली विपणन योजनाओं से लंबित स्थानों के अलावा उत्तर प्रदेश के लिए वर्तमान विपणन योजना 1996-98 में 190 खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिप और 440 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिप शामिल की गई हैं। 'कटघर लालगंज' के नाम जाना जाने वाले स्थान लालगंज को एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिप स्थापित करने के लिए पहले ही विज्ञापित कर दिया गया है। थेकामा, मुहम्मदपुर और मेहनगर स्थान एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिप खोलने के लिए व्यवहार्य पाए गए हैं और ये अगली विपणन योजना में शामिल किए जाने हैं। बर्दा, खरीहानी और बिन्द्रा बाजार एल पी जी डिस्ट्रब्यूटरशिप खोलने के लिए व्यवहार्य नहीं पाए गए हैं। मौजूदा नीति के अनुसार व्यवहार्य पाए गए स्थान विपणन योजना में शामिल किए जाते हैं और स्थानों के विज्ञापित किए जाने और डीलर चयन बोर्डों के माध्यम से चयन की सामान्य चयन प्रक्रिया के अंतर्गत डीलरों/डिस्ट्रीब्यूटरों के चयन के लिए तेल कंपनियों द्वारा समय-समय पर विज्ञापित किए जाते हैं। डीलरशिपों/डिस्ट्रीब्यूटरशिपों को चालू करने में साक्षात्कार की तारीख से सामान्यत: लगभग 6-12 महीने लग जाते हैं।

### पालघाट स्थित आई०टी०आई० इकाई में सुधार

**2666. श्री के० करुणाकरन :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पालघाट स्थित आई.टी.आई. दूरसंचार विभाग की मांगों को पूरा करने के लिए ई-10 बी और ओ सी बी 283 जैसे उपकरणों को जोड़ने का कार्य कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन उपकरणों की खरीद हेतु व्यय की गई विदेशी मुद्रा और स्थानीय मूल्य में अंतर का ब्यौरा क्या है?

**संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क)** जी, हां।

आई टी आई, दूरसंचार विभाग की आंशिक आवश्यकता को पूरा कर रहा है।

(ख) (i) आईटीआई, पालघाट, ए एल सी ए टी ई एल (फ्रांस) प्रौद्योगिकी की ओसीबी-283 स्विचिंग प्रणाली का विनिर्माण कर रहा है। ओ सी बी-283 प्रणाली स्थानीय ट्रंक और ट्रांजिट स्विचों के प्रयोग की एक सार्वभौम स्विचन प्रणाली है।

(ii) आई टी आई, पालघाट, ई-10 बी, डिजाइन का डी टी ए एक्स उपस्कर विनिर्मित कर रहा था, जिसका उत्पादन अब चरणबद्ध रूप से बंद कर दिया गया है।

(ग) विभिन्न आपूर्तिदाताओं से उसी कीमत पर बिना किसी अंतर के उपस्कर खरीदे जाते हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान इन उपस्करों को खरीदने के लिए दूरसंचार विभाग द्वारा कोई विदेशी मुद्रा खर्च नहीं की गई है।

*[हिन्दी]*

### महिला अभियोजकों और न्यायाधीशों की नियुक्ति

**2667. श्री रामशकल :**
**श्रीमती रानी नरह :**

क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विधि आयोग ने महिलाओं से संबंधित मामलों से निपटने के लिए और अधिक महिला अभियोजकों और न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या इस समय देश में महिला अभियोजकों और न्यायाधीशों की संख्या बहुत ही कम है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ङ) अब तक देश में राज्य-वार कितनी महिला न्यायाधीशों और अभियोजकों की नियुक्ति की गई है?

**विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री राम जेठमलानी) :** (क) और (ख) भारत के विधि आयोग ने, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 से संबंधित अपनी 154वीं रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ, यह सिफारिश की कि सरकार दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 24 और 25 के अधीन लोक अभियोजकों और सहायक लोक अभियोजकों की नियुक्ति करते समय, जहां तक साध्य हो, पर्याप्त संख्या में महिला लोक अभियोजकों और सहायक लोक अभियोजकों की नियुक्ति करेगी ताकि वे प्रभावी रूप से उन मामलों की पैरवी कर सके जिनमें ऐसी महिलाएं अंतर्वलित हैं जो 18 वर्ष से कम आयु की हैं औ जिनकी बाबत भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 376, 376क, 376ख, 376ग, 376घ और 509 के अधीन अपराध किए गए हैं। विधि आयोग ने यह भी सिफारिश की है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अधीन अपराध का, जहां तक साध्य हो, महिला न्यायाधीश वाले न्यायालय द्वारा विचारण किया जाएगा। चूंकि, दंड प्रक्रिया संहिता संविधान की समवर्ती सूची में है और दांडिक विधियां राज्य सरकारों द्वारा प्रशासित की जाती हैं,

इसलिए, विधि आयोग की रिपोर्ट राज्य सरकारों को उनकी राय जानने के लिए निर्दिष्ट कर दी गई थी। और चूंकि आयोग की कुछ सिफारिशों के लिए दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में कोई भी संशोधन अपेक्षित नहीं था इसलिए, राज्य सरकारों से उन्हें कार्यान्वित करने का अनुरोध किया गया था। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ, महिला लोक अभियोजकों की नियुक्ति भी सम्मिलित है।

(ग) से (ङ) उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 124 और 217 के अधीन की जाती है जिनमें किसी जाति या व्यक्तियों के किसी वर्ग के लिए आरक्षण का उपबंध नहीं है। इसलिए, जाति या वर्ग, आदि के विषय में कोई जानकारी नहीं रखी जाती। तथापि, सरकार ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों को, समय-समय पर, उनसे यह अनुरोध करते हुए पत्र भेजे हैं, कि वे विधिज्ञ परिषद् में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यक वर्गों के ऐसे व्यक्तियों और साथ ही महिलाओं में से ऐसी महिलाओं का पता लगाएं जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए उपयुक्त हैं। 1 मार्च, 2000 को उच्चतम न्यायालय में एक महिला न्यायाधीश और उच्च न्यायालयों में 16 महिला न्यायाधीश आसीन थी।

**बाइपास के लिए योजना**

**2668. श्री रतन लाल कटारिया : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के बीच स्थित कालका नगर के लिए बाइपास के निर्माण की किसी योजना पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**जल भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देवेन्द्र प्रधान) :** (क) जी, हां।

(ख) यह प्रस्ताव प्रारंभिक अवस्था में है और अभी कोई ब्यौरे नहीं दिए जा सकते।

*[अनुवाद]*

**तमिलनाडु में सेटेलाइट मनीआर्डर की सुविधा**

**2669. श्री वैको : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में उन शहरों/कस्बों के नाम क्या हैं जहां सेटेलाइट मनीआर्डर सुविधा उपलब्ध है;

(ख) क्या वर्ष 2000-2001 के दौरान इस सुविधा को राज्य में और अधिक डाकघरों में उपलब्ध कराने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो स्थानवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) :** (क) राज्य में 4 वेरी स्माल अपरचर टर्मिनल (वी-सैट) केन्द्र हैं जो अन्ना रोड प्रधान डाकघर, कोयम्बतूर प्रधान डाकघर, मदुरै प्रधान डाकघर और त्रिची प्रधान डाकघर में हैं तथा इन 4 वी-सैटस से 54 ऐक्सटेंडेड सैटेलाइट मनीआर्डर (ईएसएमओ) प्रणालियां जुड़ी हुई हैं। ईएसएमओ स्थानों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) ब्यौरे का आकलन नहीं किया गया है।

**विवरण**

*तमिलनाडु सर्विस में मौजूदा वेरी स्माल अपरचर टर्मिनल (वी-सैट) तथा एक्सटेंडेड सैटेलाइट मनीआर्डर (ईएसएमओ) की सूची*

| वी-सैट्स की संख्या : 4 | | | | ईएसएमओ की संख्या : 54 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| अन्ना रोड वी-सैट के अंतर्गत ई एस एम ओ | | मदुरै वी-सैट के अंतर्गत ई एस एम ओ | | त्रिची वी-सैट के अंतर्गत ई एस एम ओ | | कोयम्बतूर के अंतर्गत ई एस एम ओ | |
| क्रम सं० | ई एस एम ओ का नाम | क्रम सं० | ई एस एम ओ का नाम | क्रम सं० | ई एस एम ओ का नाम | क्रम सं० | ई एम एस ओ का नाम |
| 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 1. | मायलापोर | 1. | त्रिनूलवेली | 1. | थंजावूर | 1. | होसुर |
| 2. | टी० नगर | 2. | नागरकोइल | 2. | कुम्बाकोणम् | 2. | ईरोडे |
| 3. | चेन्नई जीपीओ | 3. | डिंडीगुल | 3. | करूर | 3. | त्रिरूपुर |
| 4. | ताम्बरम | 4. | तूतिकोरिन | 4. | पुदूकोट्टई | 4. | सलेम |
| 5. | पांडिचेरी | 5. | विरद्दुनगर | 5. | पदूकोट्टई | 5. | वेलिंगटन |
| 6. | कुड्डालोर | 6. | रामनाथपुरम | 6. | तिरुवरुर | 6. | धर्मापुरी |
| 7. | चिदम्बरम | 7. | थेनी | 7. | मेइलादुथुरई | 7. | कृष्णागिरि |

| 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. | वादापलानी | 8. | कोडाईकनाल | 8. | तेप्पाकुलम | 8. | भवानी |
| 9. | पार्क टाउन | 9. | तेनकाशी | 9. | पेराम्बूलूर | 9. | नामाक्कल |
| 10. | चेंगलपट्टू | 10. | राजापलायम | | | 10. | त्रिरुचेंगुडु |
| 11. | कांचीपुरम | 11. | शिवकाशी | | | 11. | ऊटी |
| 12. | तिरूवाल्लूर | 12. | पिलानी | | | 12. | पोल्लाची |
| 13. | तिरुवन्नामलई | 13. | कोविलपट्टी | | | 13. | उदूमलपेट |
| 14. | वेल्लोर | 14. | पलायमकोट्टई | | | 14. | अतुर (एस) |
| 15. | विल्लूपुरम | 15. | शिवगंगा | | | 15. | धारापुरम |

### जलविद्युत परियोजनाएं

2670. **श्री टी०टी०वी० दिनाकरन :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में बड़ी जलविद्युत परियोजनाओं की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में कोई नई जल-विद्युत परियोजनाएं स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) राज्यों की मौजूदा जलविद्युत परियोजनाओं की अधिस्थापित क्षमता का ब्यौरा क्या है?

**विद्युत मंत्री तथा खान और खनिज मंत्री (श्री पी०आर० कुमारमंगलम) :** (क) और (ख) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा देश में मॉनीटर की जा रही सभी चालू परियोजनाओं के अलावा राज्य एवं केन्द्रीय क्षेत्र में महत्वपूर्ण परियोजनाओं की प्रगति की सरकार द्वारा समीक्षा की जाती है एवं इन्हें पूरा करने के हरसंभव उपाय किए जाते हैं ताकि इन्हें निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा किया जा सके। क्रियान्वयनाधीन जलविद्युत स्कीमों की राज्य-वार सूची संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ग) और (घ) नौवीं योजना के दौरान आरंभ की जाने वाली जलविद्युत परियोजनाओं के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(ङ) राज्य में विद्यमान जलविद्युत परियोजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण-III में दिए गए हैं।

**विवरण-I**

*स्वीकृत/निर्माणाधीन जलविद्युत स्कीमें*

| क्रम सं० | परियोजना का नाम | राज्य | क्षमता (न०×मे०वा०) | (मे०वा०) | चालू होने का कार्यक्रम |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **केन्द्रीय क्षेत्र** | | | | |
| 1. | नाथपा झाकड़ी एनजेपीसी | हि०प्र० | 6×250 | 1500 | 2001-02 |
| 2. | दुलहस्ती एनएचपीसी | ज० एवं क० | 3×130 | 390 | 2001-02 |
| 3. | चमेरा चरण-II एनएचपीसी | हि०प्र० | 3×100 | 300 | 2004-05 |
| 4. | टिहेरी चरण-I टीएचडीसी | उ०प्र० | 4×250 | 1000 | 2001-03 |
| 5. | धौलीगंगा एनएचपीसी | उ०प्र० | 4×70 | 280 | 2004-05 |
| 6. | कोयल कारो एनएचपीसी | बिहार | 4×172.5+1×20 | 710 | स्वीकृत तिथि से 8 वर्ष |
| 7. | दोयांग नीपको | नागालैंड | 3×25 | 75 | 1999-2000 |
| 8. | रंगानदी नीपको | अ०प्र० | 3×135 | 405 | 2000-02 |
| 9. | तुरियल नीपको | मिजोरम | 2×30 | 60 | 2005-07 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10. | कोपली चरण-II नीपको | असम | 1×25 | 25 | 2003-04 |
| 11. | लोकतक डी/एस एनएचपीसी | मणिपुर | 3×30 | 90 | 2006-07 |
| 12. | तीस्ता चरण I एनएचपीसी | सिक्किम | 3×170 | 510 | 2006-07 |
| | | कुल (केन्द्रीय) | | 5345 | |
| | राज्य क्षेत्र | | | | |
| | उत्तरी क्षेत्र | | | | |
| 13. | दादूपुर | हरियाणा | 4×1.5 | 6 | 9वीं योजना से आगे |
| 14. | घनवीं | हि०प्र० | 2×11.25 | 23 | 2000-01 |
| 15. | लारजी | हि०प्र० | 3×42 | 126 | 9वीं योजना से आगे |
| 16. | उकई-III | हि०प्र० | 2×50 | 100 | 10वीं योजना |
| 17. | (ए) अपर सिन्ध-II | ज० एवं क० | 2×35 | 70 | 1999-01 |
| 17. | (बी) अपर सिन्ध-II विस्तार | ज० एवं क० | 1×35 | 35 | 2000-01 |
| 18. | कृष्णा गंगा | ज० एवं क० | 3×110 | 330 | 9वीं योजना से आगे |
| 19. | सेवा चरण-III | ज० एवं क० | 3×3 | 9 | 2000-01 |
| 20. | चेन्नानी चरण-III | ज० एवं क० | 3×2.5 | 8 | 1999-01 |
| 21. | रणजी सागर | पंजाब | 4×150 | 600 | 2000-01 |
| 22. | शाहपुरकड़ी | पंजाब | 2×40+2×40+2×60 | 168 | 9वीं योजना से आगे |
| 23. | लखवर व्यासी | उ०प्र० | 3×100+2×60 | 420 | 9वीं योजना से आगे |
| 24. | मनेरी भाली-II | उ०प्र० | 4×76 | 304 | 2003-04 |
| 25. | कटापहाड़ | उ०प्र० | 2×9.5 | 19 | 2005-06 |
| 26. | जाखिम | राज० | 2×2.5 | 5 | 10वीं योजना |
| | | कुल (उत्तरी क्षेत्र) | | 2222 | |
| | पश्चिमी क्षेत्र | | | | |
| 27. | सरदार सरोवर | गुज०/म०प्र०/महा० | 6×200+5×50 | 1450 | 2001-04 |
| 28. | बाणसागर टोनस फेस II एवं III | म०प्र० | 2×15+3×20 | 90 | 2001-02 |
| 29. | बाणसागर टोनस फेस-IV | म०प्र० | 2×10 | 20 | 2001-02 |
| 30. | इन्द्रा सागर | म०प्र० | 8×125 | 1000 | 10वीं योजना |
| 31. | कोयना चरण-IV | महा० | 4×250 | 1000 | 1998-2000 |
| 32. | घाटघर पीएसएस | महा० | 2×125 | 250 | 2003-04 |
| 33. | भावीपुरी पीएसएस | महा० | 1×90 | 90 | 9वीं योजना से आगे |
| | | कुल (पश्चिम क्षेत्र) | | 3900 | |
| | दक्षिण क्षेत्र | | | | |
| 34. | श्रीशेलम एलबीपीएच | अ०प्र० | 6×150 | 900 | 2000-02 |
| 35. | सिंगुर | अ०प्र० | 2×7.5 | 15 | 1999-2000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 36. | वृन्दावन | कर्नाटक | 2×6 | 12 | 2001-02 |
| 37. | सरपडी | कर्नाटक | 3×30 | 90 | 2002-03 |
| 38. | सरस्वती टेल रेस | कर्नाटक | 4×60 | 240 | 2001-02 |
| 39. | मालनकारा | केरल | 2×3.5 | 10.50 | 2002-03 |
| 40. | कुटीयाडी टेल रेस | केरल | 3×1.25 | 3.75 | 10वीं योजना |
| 41. | कुटीयाडी विस्तार | केरल | 1×50 | 50 | 2001-02 |
| 42. | पार्सन वैली | तमिलनाडु | 1×30 | 30 | 1999-2000 |
| 43. | पाइकारा यूलटीमेंट | तमिलनाडु | 3×50 | 150 | 10वीं योजना |
| 44. | कलपोंग | अ० एवं नि० | 5.2 | 5.20 | 2001-02 |
| | | कुल (दक्षिण क्षेत्र) | | 1506.45 | |
| | पूर्वी क्षेत्र | | | | |
| 45. | चांदिल | बिहार | 2×4 | 8 | 2001-02 |
| 46. | नॉर्थ कोयल | बिहार | 2×4 | 24 | 2001-02 |
| 47. | अपर इन्द्रावती | उड़ीसा | 4×150 | 600 | 1999-2001 |
| 48. | पोत्तेरु | उड़ीसा | 1×3+1×3 | 6 | 2001-02 |
| 49. | बालीमेला विस्तार | उड़ीसा | 2×75 | 150 | 2004-05 |
| 50. | बालीमेला डैम टोई फेस | उड़ीसा | 2×30 | 60 | 10वीं योजना |
| 51. | राम्मम चरण-I | प०बंगाल | 3×12 | 36 | 10वीं योजना |
| 52. | पु· .या पीएसएस | प०बंगाल | 4×225 | 900 | 2004-06 |
| 53. | रोलेप-I | सिक्किम | 2×4.5 | 9 | 2003-04 |
| | | कुल (पूर्वी क्षेत्र) | | 1793.00 | |
| | उत्तर-पूर्वी क्षेत्र | | | | |
| 54. | कारबी लाग्पी (लोअर बोरपनी) | असम | 2×50 | 100 | 2003-04 |
| 55. | धनश्री | असम | 5×3×1.33 | 20 | 2002-03 |
| 56. | लिकिम-रो | नागालैंड | 3×8 | 24 | 2001-02 |
| | | कुल (उत्तर-पूर्वी क्षेत्र) | | 144 | |
| | | कुल (राज्य क्षेत्र) | | 9565.45 | |
| | निजी क्षेत्र | | | | |
| 57. | बास्पा चरण-II | हि०प्र० | 3×100 | 300 | 2001-02 |
| 58. | मनाला | हि०प्र० | 2×43 | 86 | 9वीं योजना से आगे |
| 59. | विष्णु प्रयाग | उ०प्र० | 4×100 | 400 | 9वीं योजना से आगे |
| 60. | श्रीनगर | उ०प्र० | 5×66 | 330 | 9वीं योजन से आगे |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 61. | मेहेश्वर | म०प्र० | 10×40 | 400 | 2003-04 |
| 62. | भूथाथनकेट्टू | केरल | 16 | 16 | 2001-02 |
| | | कुल (निजी क्षेत्र) | | 1532 | |
| | | कुल (अखिल भारत) | | 16442.45 | |
| | पहले से ही संस्थापित जलविद्युत क्षमता | | | 1092.50 | |
| | निष्पादनाधीन निवल जलविद्युत क्षमता | | | 15349.95 | |

**विवरण-II**

*9* योजना जलविद्युत परियोजनाएं*

01.3.2000 की स्थितिनुसार

| क्रम सं० | परियोजना का नाम | राज्य | क्षमता | 9वीं योजना के दौरान लाभ | चालू होने की वास्तविक/ अनुमानित तिथि |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | (क) केन्द्रीय | | | | |
| 1. | नाथपा झाकड़ी (एनजेपीसी) | हि०प्र० | 6×250 | 1500 | 2001-02 |
| 2. | धौलहस्ति एनएचपीसी | ज० एवं क० | 3×130 | 390 | 2001-02 |
| 3. | टिहरी चरण-I टीएचडीसी (250*) | उ०प्र० | 4×250 | 500 (क्रिस्टीकल) | 2001-02 |
| 4. | ग्यीत-III एनएचपीसी | सिक्किम | 3×20 | 60 | 1999-2000 |
| 5. | दोयांग नीपको | नागालैंड | 3×25 | 75 | 1999-2000 |
| 6. | रंगानदी नीपको | अ०प्र० | 3×135 | 405* | 2001-02 |
| 7. | कोपली चरण II (नीपको) | असम | 1×25 | 25 (क्रिस्टीकल) | 2001-02 |
| | | कुल (केन्द्रीय क्षेत्र) | | 2955 मे०वा० | |
| | (ख) राज्य क्षेत्र | | | | |
| | उत्तरी क्षेत्र | | | | |
| 8. | गानवी | हि०प्र० | 2×11.25 | 22.5 | 2001-01 |
| 9. | अपर सिन्ध | ज० एवं क० | 2×35 | 70 | 1999 01 |
| 10. | अपर सिन्ध विस्तार | ज० एवं क० | 1×35 | 35 | 2000 01 |
| 11. | सेवा चरण-III | ज० एवं क० | 3×3 | 9 | 2000 01 |
| 12. | चेन्नई चरण-III | ज० एवं क० | 3×2.5 | 7.5 | 1999-01 |
| 13. | पहलगांव | ज० एवं क० | 2×1.5 | 3 | 2000-01 |
| 14. | रणजीत सागर | पंजाब | 4×150 | 600 | 2000-01 |
| 15. | सोवला | उ०प्र० | 2×3 | 6 | 1998-99 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | पश्चिम क्षेत्र | | | | |
| 16. | सरदार सरोवर | गुज०/म०प्र०/महा० | 6×200+5×50 | 650 (क्रिस्टीकल) | 1994-96<br>2001-02<br>9वीं योजना 650 मे०वा०<br>10वीं योजना 800 मे०वा० |
| 17. | बाणसागर टौंस II एवं III | म०प्र० | 2×15—3×20 | 90* | 2001-02 |
| 18. | बाणसागर टौंस फेस-IV | म०प्र० | 2×10 | 20 (क्रिस्टीकल) | 2001-02 |
| 19. | राजगढ़ | म०प्र० | 3×15 | 45 | 1999-2000 |
| 20. | कोयना चरण IV | महा० | 4×250 | 1000 | 1998-2000 |
| 21. | धौलीगंगा | महा० | 2×12 | 24 | 1999-2000 |
| 22. | कोडना पीएसएस वि० | गुजरात | 2×60 | 60 | 1998-99 |
| 23. | वारना | महा० | 2×8 | 16 | 1997-99 |
| | दक्षिणी क्षेत्र | | | | |
| 24. | श्रीसैलम एलबीपीएच (300 मे०वा० क्रिस्टीकल) | अ०प्र० | 6×150 | 900 | 2000-02 |
| 25. | सिन्गुर | अ०प्र० | 2×7.5 | 15 | 1999-2000 |
| 26. | कालीनदी चरण-II | कर्नाटक | 3×40+3×50 | 270 | 1997-2000 |
| 27. | वृन्दावन | कर्नाटक | 2×6 | 12 | 2001-02 (क्रिस्टीकल) |
| 28. | सरस्वती टी०आर० | कर्नाटक | 4×60 | 240 | 2000-02 |
| 29. | बादरा | कर्नाटक | 1×6 | 6 | 1997-98 |
| 30. | काखाडी | केरल | 2×25 | 50 | 1999-2000 |
| 31. | लोअर प्रयाग | केरल | 3×60 | 180 | 1997-98 |
| 32. | पोरिंगटूकल्लू एलबी विस्तार | केरल | 1×16 | 16 | 1998-99 |
| 33. | कुट्टीयाडी विस्तार | केरल | 1×50 | 50 | 2001-02 |
| 34. | लोअर भवानी | तमिलनाडु | 2×4 | 8 | 1997-98 |
| 35. | सतीनोर डैम | तमिलनाडु | 1×7.5 | 7.5 | 1998-99 |
| 36. | पार्सन वैली (कुण्डा V/विस्तार) | तमिलनाडु | 1×30 | 30 | 1999-2000 |
| 37. | कालपोंग | अ० एवं नि० दीव | 3×1.75 | 5.2 | 2001-02 (क्रिस्टीकल) |
| | पूर्वी क्षेत्र | | | | |
| 38. | चांदिल एलबीमी | बिहार | 2×4 | 8 | 2001-02 |

विवरण-III

*चालू जलविद्युत स्कीमें (अधिष्ठापित क्षमता 3 मे०वा० से अधिक)*

| क्रम सं० | अखिल भारत क्षेत्र/सैक्टर | क्षमता (मे०वा०) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | **उत्तरी क्षेत्र** | |
| | **बीबीएमबी** | |
| 1. | भाखड़ा कॉम्प्लेक्स | |
| | (i) भाखड़ा (एल) | 540 |
| | (ii) भाखड़ा (आर) | 660 |
| | (iii) गंगूवाल | 77.25 |
| | (iv) कोलटा | 77.25 |
| | उप जोड़ | 1354.5 |
| 2. | दहेर | 990 |
| 3. | पोंग | 360 |
| | उप जोड़ | 1350 |
| | जोड़ बीबीएमबी | 2704.5 |
| | एनएसपीसी (एनआर) | |
| 1. | बैरास्यूल | 180 |
| 2. | सलाल-1 | 345 |
| 3. | सलाल-2 | 345 |
| 4. | टनकपुर | 120 |
| 5. | चमेरा चरण-I | 540 |
| 6. | उड़ी | 480 |
| | जोड़ एनएचपीसी (एनआर) | 2010 |
| | जोड़ केन्द्रीय (एनआर) | 4714.5 |
| | **हरियाणा** | |
| 1. | पश्चिम यमुना नहर-ए | 16 |
| 2. | पश्चिम यमुना नहर-बी | 16 |
| 3. | पश्चिमी यमुना नहर-सी | 16 |
| | जोड़ हरियाणा | 48 |
| | **हिमाचल** | |
| 1. | गिरि बाटा | 60 |
| 2. | बस्सी | 60 |
| 3. | संजय | 120 |
| 4. | आंध्रा | 16.95 |
| 5. | बिनावा | 6 |
| 6. | थिरोट | 12 |
| 7. | बरेर | 12 |
| 8. | गज | 10.5 |
| | जोड़ हिमाचल प्रदेश | 289.95 |
| | **जम्मू एवं कश्मीर** | |
| 1. | लोअर झेलम | 105 |
| 2. | अपर सिंध | 22 |
| 3. | चेन्नानी | 23 |
| 4. | मोहारा | 9 |
| 5. | गांडेरबल | 15 |
| 6. | स्तकना | 4 |
| 7. | कारगिल | 3.75 |
| 8. | अपर सिन्ध-II | 35 |
| | जोड़ जम्मू एवं कश्मीर | 216.75 |
| | **पंजाब** | |
| 1. | शानन | 110 |
| 2. | यूबीडीसी चरण-I फेस-1 | 15 |
| 3. | यूबीडीसी चरण-I फेस 2 | 15 |
| 4. | यूबीडीसी चरण-I फेस 3 | 15 |
| 5. | यूबीडीसी चरण-II फेस 1 | 15 |
| 6. | यूबीडीसी चरण-II फेस 2 | 15 |
| 7. | यूबीडीसी चरण-II फेस 3 | 15 |
| 8. | मुकेरियां चरण-I | 45 |
| 9. | मुकेरियां चरण-II | 45 |
| 10. | मुकेरियां चरण-III | 58.5 |
| 11. | मुकेरियां चरण-IV | 58.5 |
| 12. | ए०पी० साहब चरण-I | 67 |
| 13. | ए०पी० साहब चरण-II | 67 |
| | जोड़ पंजाब | 541 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| | राजस्थान | |
| 1. | आर०पी० सागर | 172 |
| 2. | जे० सागर | 99 |
| 3. | महाबजाज-I | 50 |
| 4. | महाबजाज-II | 90 |
| 5. | अनूपगढ़-I | 4.5 |
| 6. | अनूपगढ़-II | 4.5 |
| 7. | आरएमसी मगरोल | 6 |
| 8. | सूरतगढ़ | 4 |
| | जोड़ राजस्थान | 430 |
| | उत्तर प्रदेश | |
| 1. | रिहन्द | 300 |
| 2. | ओबरा | 99 |
| 3. | थकरनी (वाई चरण-I) | 33.75 |
| 4. | धोलीपुर (वाई चरण-II) | 51 |
| 5. | कुलहाल (वाई चरण-IV) | 30 |
| 6. | चाहीबारो (वाई चरण-II) | 240 |
| 7. | कोराड़ी (वाई चरण-II) | 120 |
| 8. | रामगंगा | 198 |
| 9. | चिल्ला | 144 |
| 10. | माताटिला | 30 |
| 11. | मनेरभाली चरण-I | 90 |
| 12. | खाटिमा | 41.4 |
| 13. | पथरी | 20.4 |
| 14. | मोहम्मदपुर | 9.3 |
| 15. | नीरगजली | 5 |
| 16. | केड़ा | 72 |
| 17. | सोबला | 6 |
| | जोड़ उत्तर प्रदेश | 1489.85 |
| | जोड़ उत्तरी | 7730.05 |
| | पश्चिम क्षेत्र | |
| | गुजरात | |
| 1. | उकई | 300 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 2. | कदाना | 240 |
| 3. | उकई एलबीसी | 5 |
| | जोड़ गुजरात | 545 |
| | मध्य प्रदेश | |
| 1. | गांधीसागर | 115 |
| 2. | बारगी | 90 |
| 3. | पेंच | 160 |
| 4. | बाण सागर टौंस | 315 |
| 5. | बीर सिंहपुर | 20 |
| 6. | हिदाको | 120 |
| 7. | राजघाट | 45 |
| | उप जोड़ म०प्र० | 865 |
| | निजी (म०प्र०) | |
| 1. | तवा | 13.5 |
| | जोड़ मध्य प्रदेश | 878.5 |
| | महाराष्ट्र | |
| | एमएसईबी | |
| 1. | कोयना-I एवं II | 560 |
| 2. | कोयना-III | 320 |
| 3. | कोयना डीपीएच | 40 |
| 4. | वैतरणा | 60 |
| 5. | अलदूरी | 22.5 |
| 6. | भाटगढ़ | 16 |
| 7. | भीरा टेलरेस | 80 |
| 8. | तिलारी | 60 |
| 9. | पैथॉन | 12 |
| 10. | भद्रधारा-I | 10 |
| 11. | पवाना | 10 |
| 12. | खड़गवासला-I | 8 |
| 13. | खड़गवासला-II | 8 |
| 14. | भटसा | 15 |
| 15. | बीर | 9 |
| 16. | राधानगरी | 4.8 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 17. | कन्हेर | 4 |
| 18. | उज्जैनी | 12 |
| 19. | मणिकदोह | 6 |
| 20. | मुर्या | 6 |
| 21. | भद्राभारा | 34 |
| 22. | डिम्भे | 5 |
| 23. | वारना | 16 |
| 24. | दूधगंगा | 24 |
| 25. | कोयना चरण-IV | 500 |
| | उप जोड़ महाराष्ट्र | 1842.3 |
| | टाटा (निजी) | |
| 1. | भीरा | 132 |
| 2. | भिवपुरी | 72 |
| 3. | कोपली | 72 |
| 4. | भीरा पीएसएस | 150 |
| | उप जोड़ | 426 |
| | जोड़ महाराष्ट्र | 2268.3 |
| | जोड़ पश्चिम क्षेत्र | 3691.8 |
| | दक्षिण क्षेत्र | |
| | आंध्र प्रदेश | |
| 1. | मचकुंड | 114.75 |
| 2. | अपर सिलेरु-I | 120 |
| 3. | अपर सिलेरु चरण-II | 120 |
| 4. | लोअर सिलेरु | 460 |
| 5. | तुंगभद्रा बांध | 36 |
| 6. | हम्पी | 36 |
| 7. | नागार्जुन सागर | 810 |
| 8. | श्रीशैलम | 770 |
| 9. | नागार्जुन सागर आरबीसी | 60 |
| 10. | नागार्जुन सागर एलबीसी विस्तार | 30 |
| 11. | नागार्जुन सागर एलबीसी | 60 |
| 12. | डोंकारायी | 25 |
| 13. | पोचमपैड | 27 |
| 14. | निजाम सागर | 10 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 15. | पेन्ना अहोबिलम | 20 |
| 16. | सिंगुर | 7.5 |
| | उप जोड़ आंध्र प्रदेश | 2706.25 |
| | निजी (आंध्र प्रदेश) | |
| 1. | गुंटूर | 3.75 |
| | जोड़ आंध्र प्रदेश | 2710 |
| | कर्नाटक | |
| 1. | शरावती | 891 |
| 2. | लिंगनामक्की | 55 |
| 3. | भद्रा (एल) | 26 |
| 4. | भद्रा (आर) | 7.2 |
| 5. | भद्रा (आरबीसी) | 6 |
| 6. | कालीनदी | 810 |
| 7. | सुपा डीपीएच | 100 |
| 8. | वराही | 230 |
| 9. | घाटप्रभा | 32 |
| 10. | मणि डीपीएच | 9 |
| 11. | कल्लापुर | 9 |
| 12. | कालीनदी चरण-II (कादरा) | 150 |
| 13. | कालीनदी चरण-II (कोडासेल) | 120 |
| | जोड़ (केपीसीएल) | 2445.2 |
| | कर्नाटक | |
| 1. | जोग | 120 |
| 2. | शिव समुद्रम | 42 |
| 3. | शिमसापुरा | 17.2 |
| 4. | मुनिराबाद | 27 |
| | जोड़ (केईबी) | 206.2 |
| | कर्नाटक (निजी) | |
| 1. | शिवपुर | 18 |
| | जोड़ निजी | 18 |
| | जोड़ कर्नाटक | 2669.4 |
| | केरल | |
| 1. | इडुक्की | |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 2. | सबरीगिरि | 300 |
| 3. | कुटियाडी | 75 |
| 4. | शोलायार | 54 |
| 5. | सेंगुलम | 48 |
| 6. | नरियामंगलम | 45 |
| 7. | पोलियासल | 37.5 |
| 8. | पोरिंगलकुथु | 32 |
| 9. | पलियार | 30 |
| 10. | इदामलयार | 75 |
| 11. | कलादा | 15 |
| 12. | परियार | 180 |
| 13. | पोरिगलकुथ | 16 |
| 14. | काककेड | 50 |
| | उप जोड़ केरल | 1737.5 |
| | **केरल (निजी)** | |
| 1. | गनियार | 12 |
| | जोड़ केरल | 1749.5 |
| | **तमिलनाडु** | |
| 1. | कुंडा-I | 60 |
| 2. | कुंडा II | 175 |
| 3. | कुंडा-III | 180 |
| 4. | कुंडा-IV | 100 |
| 5. | कुंडा-V | 40 |
| 6. | मेत्तर बांध | 40 |
| 7. | मेत्तूर टूलन | 200 |
| 8. | पेरियार | 140 |
| 9. | कोडायार I | 60 |
| 10. | कोडायार-II | 40 |
| 11. | शोलायार-I | 70 |
| 12. | शोलायार-II | 25 |
| 13. | पाइकारा | 69.95 |
| 14. | अलियार | 60 |
| 15. | सराकरपथी | 30 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 16. | पापान्नासाम | 28 |
| 17. | मोथार | 36 |
| 18. | सरुलियार | 35 |
| 19. | श्रीविल्लूर | 20 |
| 20. | लोअर मेत्तूर फेस-1 | 30 |
| 21. | लोअर मेत्तूर फेस-2 | 30 |
| 22. | लोअर मेत्तूर फेस-3 | 30 |
| 23. | लोअर मेत्तूर फेस-4 | 30 |
| 24. | कदमपराई | 400 |
| 25. | वैगाई बांध | 6 |
| 26. | लोअर भिवानी | 8 |
| 27. | सतनूर बांध | 7.5 |
| | जोड़ तमिलनाडु | 1950.45 |
| | जोड़ दक्षिण क्षेत्र | 9079.35 |
| | **पूर्वी क्षेत्र** | |
| | **बिहार** | |
| 1. | कोसी | 20 |
| 2. | सुवर्णरेखा-1 | 65 |
| 3. | सुवर्णरेखा-2 | 65 |
| 4. | सोन पश्चिम केनल | 6.6 |
| 5. | पश्चिम गंडक | 15 |
| 6. | सोन पूर्वी | 3.3 |
| | जोड़ बिहार | 174.9 |
| | **डी०वी०सी०** | |
| 1. | मैथॉन | 60 |
| 2. | पंचेट एवं विस्तार | 80 |
| 3. | तिल्लैया | 4 |
| | जोड़ डी०वी०सी० | 144 |
| | **उड़ीसा** | |
| 1. | हीराकुंड-I | 235.5 |
| 2. | हीराकुंड-II | 72 |
| 3. | बालीमेला | 360 |
| 4. | रेंगाली | 250 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 5. | अपर कोलाब | 320 |
| 6. | अपर इन्द्रावती | 300 |
| | जोड़ उड़ीसा | 1537.5 |
| | सिक्किम | |
| 1. | लोअर लगयाप | 12 |
| 2. | अपर रोगनियू | 8 |
| 3. | मोयांग्यू | 4 |
| | जोड़ सिक्किम | 24 |
| | पश्चिम बंगाल | |
| 1. | जलढका-I | 27 |
| 2. | जलढका-II | 8 |
| 3. | मस्सनजोर | 4 |
| 4. | राम्मम | 50 |
| 5. | तीस्ता प्रपात | 67.5 |
| | जोड़ पश्चिम बंगाल | 156.5 |
| | एनएचपीसी | |
| 1. | रंगित | 60 |
| | जोड़ पूर्वी क्षेत्र | 2096.9 |
| | उत्तरी पूर्वी | |
| | अरुणाचल प्रदेश | |
| 1. | टांगो | 4.5 |
| 2. | नूरांग | 6 |
| | जोड़ अरुणाचल प्रदेश | 10.5 |
| | मेघालय | |
| 1. | किरदमकुलई | 60 |
| 2. | उमियम चरण-I | 36 |
| 3. | उमियम चरण-II | 18 |
| 4. | उमितरु | 11.2 |
| 5. | उमियम-उमितरु चरण-IV | 60 |
| | जोड़ मेघालय | 185.2 |
| | त्रिपुरा | |
| 1. | गुमटी | 15 |
| | जोड़ त्रिपुरा | 15 |
| | नीपको | |
| 1. | खांडोंग | 50 |
| 2. | कोपिली | 100 |
| 3. | कोपिली | 100 |
| | जोड़ नीपको | 250 |
| | एनएचपीसी | |
| 1. | लोकतक | 105 |
| | जोड़ एनएचपीसी | 105 |
| | जोड़ केन्द्रीय | 355 |
| | जोड़ उत्तरी पूर्वी क्षेत्र | 565.7 |
| | जोड़ अखिल भारत | 23163.8 |

## जलपोतों की खरीद संबंधी मानदंड

2671. श्री रामशेठ ठाकुर : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जलपोतों की खरीद संबंधी मानदंड में छूट दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इससे और अधिक क्रयादेश प्राप्त करने और क्रयादेश पुस्तक की स्थिति में सुधार लाने में किस हद तक सहायता मिलने की संभावना है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देबेन्द्र प्रधान) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, सरकार ने पुराने जलयानों के अधिग्रहण के लिए आयु संबंधी मानकों में छूट दी है जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ यह विनिर्दिष्ट है कि अधिग्रहण के समय पुराने जलयानों का न्यूनतम 5 वर्ष का आर्थिक जीवन शेष होना चाहिए। जलयानों की विभिन्न श्रेणियों के लिए निर्धारित आर्थिक जीवन इस प्रकार है :

| | | |
|---|---|---|
| (i) | बल्क कैरियर और लाइनर जलयान | 25 वर्ष |
| (ii) | क्रूड टैंकर, उत्पाद कैरियर और पारम्परिक टैंक कोटिंग के साथ अथवा उसके बिना सहज रसायन कैरियर | 20 वर्ष |
| (iii) | रसायन और अम्ल कैरियर | |
| | (क) स्टेनलैस स्टील टैंक के साथ | 25 वर्ष |
| | (ख) विशेष टैंक के साथ | 20 वर्ष |
| (iv) | द्रवित गैस कैरियर | 30 वर्ष |
| (v) | अपतटीय आपूर्ति और सहायता जलयान | 20 वर्ष |
| (vi) | सभी श्रेणियों के तटीय सेवा पोत | 30 वर्ष |
| (vii) | ड्रिल पोत | 25 वर्ष |

(ग) यद्यपि, इससे नौवहन कंपनियों को अपने टनभार रअधिग्रहणों में सुगमता हो जाएगी परंतु इससे भारतीय शिपयार्डों को अपनी आर्डर बुक स्थिति सुधारने के लिए जहाज निर्माण क्रयादेश प्राप्त करने में सहायता नहीं मिलती है। फिर भी; सार्वजनिक क्षेत्र के भारतीय शिपयार्डों को समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए जहाजनिर्माण सब्सिडी स्कीम पहले ही शुरू की जा चुकी है ताकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार लाया जा सके और नए जहाजनिर्माण क्रयादेश प्राप्त किए जा सकें।

**विदेशी एयरलाइनों पर बकाया देय राशि**

**2672. श्री के०पी० सिंह देव : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी एयरलाइनों को सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों के करोड़ों रुपये का भुगतान करना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस मामले को हल करने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) :** (क) से (घ) 31.01.2000 की स्थिति के अनुसार विदेशी एयरलाइन्सों द्वारा भारत की सार्वजनिक क्षेत्र तेल कंपनियों को 419.50 करोड़ रुपये दिए जाने हैं। यह बकाया राशियां अंतरराष्ट्रीय एयर लाइनों/एयर इंडिया, विदेशी उड़ानों पर इंडियन एयरलाइन्स को आपूर्त एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ए टी एफ) पर बिक्री कर के उद्ग्रहण के कारण 1994 से प्रोद्भूत हुई हैं। बकाया राशि वसूलने के प्रयास जारी हैं।

**ग्रामीण क्षेत्रों में बेकार पड़े सार्वजनिक टेलीफोन**

**2673. श्री कृष्णमराजू :**

**श्री जितेन्द्र प्रसाद :**

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तारीख के अनुसार देश के ग्रामीण क्षेत्रों में राज्य-वार विशेषकर शिमला जिले के रोहड़ू में कितने सार्वजनिक टेलीफोन खराब पड़े हैं;

(ख) इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा बेकार पड़े टेलीफोनों को चालू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

**संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) :** (क) देश के ग्रामीण क्षेत्रों में खराब पड़े ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों की संख्या इस प्रकार है :

| | | |
|---|---|---|
| 1. | अंडमान-निकोबार | 24 |
| 2. | आंध्र प्रदेश | 411 |
| 3. | असम | 667 |
| 4. | बिहार | 8238 |
| 5. | गुजरात | 333 |
| 6. | हरियाणा | 758 |
| 7. | हिमाचल प्रदेश | 569 |

शिमला जिले के रोहड़ू उप-खंड में 241 ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों में से वी पी टी खराब हैं।

| | | |
|---|---|---|
| 8. | जम्मू-कश्मीर | 597 |
| 9. | कर्नाटक | 760 |
| 10. | केरल | शून्य |
| 11. | मध्य प्रदेश | 11828 |
| 12. | महाराष्ट्र | 1026 |
| 13. | अरुणाचल प्रदेश | 197 |
| 14. | मणिपुर | 360 |
| 15. | मेघालय | 276 |
| 16. | मिजोरम | 163 |
| 17. | नागालैंड | 114 |
| 18. | त्रिपुरा | 187 |
| 19. | उड़ीसा | 11125 |
| 20 | पंजाब | 237 |
| 21. | राजस्थान | 3659 |
| 22. | तमिलनाडु | 1233 |
| 23. | उत्तर प्रदेश | 9999 |
| 24. | पश्चिम बंगाल | 1895 |
| 25. | सिक्किम | 30 |

(ख) कारण निम्नानुसार हैं :

एम ए आर आर की विश्वसनीयता संतोषजनक साबित नहीं हो पाई है। उच्च दोष दर की घटनाएं भी निम्न कारणों से हुई :

– ग्रामीण क्षेत्रों में बार-बार तथा लंबे समय तक बिजली गुल होना।

– कम वोल्टेज पर मुख्य विद्युत आपूर्ति।

– दूरस्थ गांवों की दुर्गमता के कारण मरम्मत और 'स्टैंड-बाई' उपस्कर को भेजने में विलंब।

– वीपीटी धारकों द्वारा बैटरियों और उपस्करों का दुष्प्रयोग।

– वीपीटी धारकों द्वारा अपर्याप्त देखभाल।

– यहुत से प्रकारों के उपस्कर।

– मुख्य एक्सचेंज से लंबी दूरी पर होने के कारण बाहरी लाइनों में ब्रेक-डाउन।

– आंध्र प्रदेश, पूर्वोत्तर तथा जम्मू-कश्मीर दूरसंचार सर्किलों में आतंकवादी गतिविधियां।

– पूर्वोत्तर राज्यों तथा असम के क्षेत्र जहां बार-बार बिजली गिरती रहती है।

(ग) इन वीपीटीज को कार्यशील बनाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम इस प्रकार हैं :

(i) ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों के कार्य-निष्पादन की निगरानी के लिए संशोधित दिशानिर्देश जारी किए गए हैं तथा वीपीटी के प्रभावी कार्यकरण के लिए रिपोर्टिंग व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया गया है।

(ii) वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों की नियमित और आवधिक जांच के लिए कार्रवाई की गई।

(iii) मल्टी एक्सेस रूरल रेडियो प्रणाली पर कार्यरत सभी वीपीटी के लिए सौर-पैनल युक्त बैटरियां उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिनका रख-रखाव आसान है।

(iv) एम ए आर आर प्रणालियों के अनुरक्षण स्टाफ को नई प्रौद्योगिकी के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

(v) सभी दूरसंचार सर्किलों की महत्वपूर्ण अवस्थितियों में मरम्मत केंद्र खोले जा रहे हैं।

(vi) मुख्य महाप्रबंधक, दूरसंचार सर्किल द्वारा एम ए आर आर के आपूर्तिदाताओं को वार्षिक अनुरक्षण ठेका दिया जा रहा है।

(vii) संस्थापना तथा चालू करने की क्रियाविधियों का मानकीकरण/सुदृढ़ीकरण किया गया है।

(viii) वीपीटी के प्रभावी अनुरक्षण के लिए वीपीटी धारकों को शिक्षित करने के लिए कार्रवाई की जा रही है।

(ix)) संबंधित एक्सचेंज डायल करके ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों की नियमित जांच की जा रही है तथा लगातार दो दिनों तक किसी वीपीटी से जवाब न मिलने पर, इसे खराब माना जाता है तथा तत्काल कार्रवाई के लिए इसकी सूचना सैकंडरी स्विच क्षेत्र के प्रभारी को दी जाती है।

(x) वीपीटी धारक से अपने फोन की खराबी की सूचना टेलीफोन एक्सचेंज/कनिष्ठ दूरसंचार प्रभारी अधिकारी को देने के लिए कहा गया है।

(xi) जहां कहीं पर्याप्त स्पेयर पुर्जे उपलब्ध नहीं है, वहां प्रापण किया जा रहा है।

(xii) विभिन्न निरीक्षण अनुसूचियां तैयार की गई हैं।

(xiii) मासिक/साप्ताहिक कार्यनिष्पादन रिपोर्टें (राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद) कार्यान्वित की गईं।

(xiv) एसएसए प्रमुख शिकायतें दूर करने के लिए ग्रामवासियों के साथ बैठकें आयोजित कर रहे हैं।

(xv) सर्किल/दूरसंचार मुख्यालय स्तर पर उड़नदस्ते गठित किए गए हैं।

*[हिन्दी]*

## पाइपलाइन बिछाए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी

2674. श्री रामानन्द सिंह : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मध्य प्रदेश में भारत-ओमान रिफाइनरी लि० द्वारा तेल शोधक कारखाना स्थापित करने हेतु पाइपलाइन बिछाए जाने के लिए पर्यावरण तथा वन संबंधी मंजूरी दिए जाने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने गुजरात क्षेत्र में पाइपलाइन बिछाने की पहले ही मंजूरी दे दी है; और

(घ) यदि हां, तो मध्य प्रदेश क्षेत्र में पाइपलाइन बिछाने हेतु उक्त अनुमोदन न दिए जाने के क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) जी, हां।

(ख) मध्य प्रदेश में झबुआ जिला से बीना के बीच भूमिगत पाइप लाइन बिछाने के लिए 15.117 हैक्टेयर वन भूमि के वनेतर प्रयोग के लिए 6.10.97 को वन मंजूरी के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुआ था और इस परियोजना के लिए पर्यावरण मंजूरी का प्रस्ताव 8.8.95 को प्राप्त हुआ था।

(ग) और (घ) परियोजना, जिसमें गुजरात के साथ-साथ मध्य प्रदेश के क्षेत्र शामिल हैं, को पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान कर दी गई है। मध्य प्रदेश क्षेत्र के लिए वानिकी मंजूरी को मूल राज्य अर्थात् गुजरात में परियोजना की मंजूरी के साथ जोड़ दिया गया है। मध्य प्रदेश क्षेत्र के लिए वानिकी मंजूरी के लिए प्रस्ताव पर कार्रवाई नहीं की गई थी क्योंकि गुजरात में जैसी और अन्य अपतटीय सुविधाएं स्थापित किए जाने के लिए अंतिम अनुमोदन प्रदान नहीं किया गया था। अब इस प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया गया है और मध्य प्रदेश के क्षेत्र पर कार्रवाई की जा रही है।

## राष्ट्रीय राजमार्ग और पुल

2675. श्री गिरधारी लाल भार्गव :
श्री अशोक कुमार सिंह चंदेल :
श्री राम प्रसाद सिंह :
श्रीमती कांति सिंह :
डा० रघुवंश प्रसाद सिंह :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राष्ट्रीय राजमार्गों का ब्यौरा क्या है और राज्य-वार इनकी लंबाई कितनी है;

(ख) वर्ष 1997-98, 1998-99, 1999-2000 के दौरान अब तक प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्गों पर पुलों की मरम्मत, निर्माण हेतु किए गए कार्य का ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्य-वार इस प्रयोजनार्थ कितना आबंटन किया गया; और

(घ) वर्ष 2000-2001 के लिए राज्य-वार पुलों के निर्माण और मरम्मत के लिए क्या कार्य योजना बनाई गई है?

**जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देवेन्द्र प्रधान) :** (क) ब्यौरों का एक विवरण संलग्न है।

(ख) पुलों की मरम्मत और निर्माण एक सतत् प्रक्रिया है और पुलों की मरम्मत और निर्माण के अलग-अलग कार्य वर्षों चलते रहते हैं। अतः इनके ब्यौरे देना संभव नहीं है।

(ग) धनराशियां कार्य-वार नहीं बल्कि राज्य-वार आबंटित की जाती हैं। तथापि, वर्ष 1997-98, 1998-99, 1999-2000 के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रख-रखाव तथा मरम्मत के लिए निधियों के राज्य-वार आबंटन को दर्शाने वाला ब्यौरा क्रमशः विवरण-II और III में दिया गया है।

(घ) सभी पुलों को यातायात योग्य स्थिति में रखने के लिए प्रयास किए जाते हैं। वर्ष 2000-2001 की वार्षिक योजना तैयार की जा रही है, इसलिए इस समय कोई और ब्यौरे नहीं दिए जा सकते।

**विवरण-I**

*देश में राज्य-वार राष्ट्रीय राजमार्गों की सूची*

| क्रम सं० | राज्य का नाम | राष्ट्र राजमार्ग सं० | कुल लंबाई (कि०मी०) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 4, 5, 7, 9, 16, 18, 43, 63, 202, 205 और 214 | 3910 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 52 और 52क | 352 |
| 3. | असम | 31, 31ख, 31ग, 36, 37, 37क, 38, 39, 44, 51, 52, 52क, 52ख, 53, 54, 61, 62, 151 और 152 | 2706 |
| 4. | बिहार | 2, 6, 19, 23, 28, 28क, 30, 30क, 31, 32, 33, 57, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84 और 85 | 3539 |
| 5. | चंडीगढ़ | 21 | 24 |
| 6. | दिल्ली | 1, 2, 8, 10 और 24 | 72 |
| 7. | गोवा | 4क, 17, 17क और 17ख | 269 |
| 8. | गुजरात | एन.ई. 1, 6-विस्तार, 8, 8क, 8ख, 8ग और 8घ, 14, 15 और 59 | 2241 |
| 9. | हरियाणा | 1, 2, 8, 10, 21क, 22, 65, 71, 71क, 72 और 73 | 1361 |
| 10. | हिमाचल प्रदेश | 1क, 20, 21, 21क, 22, 70, 72 और 88 | 1188 |
| 11. | जम्मू एवं कश्मीर | 1क, 1ख और 1ग | 738 |
| 12. | कर्नाटक | 4, 4क, 7, 9, 13, 48, 63, 206, 207, 209 और 212 | 3394 |
| 13. | केरल | 17, 47, 47क, 49, 208, 212 और 213 | 1230 |
| 14. | मध्य प्रदेश | 3, 6, 7, 12, 16, 25, 26, 27, 43, 59, 69, 75, 76, 78, 79, 86 और 200 | 5174 |
| 15. | महाराष्ट्र | 3, 4, 4ख, 6, 7, 8, 9, 13, 16, 17, 50, 59, 204 और 211 | 3626 |
| 16. | मणिपुर | 39, 53 और 150 | 954 |
| 17. | मेघालय | 40, 44, 51 और 62 | 717 |
| 18. | मिजोरम | 44क, 54, 54क, 54ख और 150 | 857 |
| 19. | नागालैंड | 36, 39, 61 और 150 | 369 |
| 20. | उड़ीसा | 5, 5क, 6, 23, 42, 43, 60, 200, 201, 203 और 215 | 2863 |
| 21. | पांडिचेरी | 45क और 66 | 53 |
| 22. | पंजाब | 1, 1क, 10, 15, 20, 21, 22, 64, 70 और 71 | 1328 |
| 23. | राजस्थान | 3, 8, 11, 11क, 12, 14, 15, 65, 76, 79 और 89 | 4381 |
| 24. | सिक्किम | 31क | 62 |
| 25. | तमिलनाडु | 4, 5, 7, 7क, 45, 45क, 45ख, 46, 47, 49, 66 67, 68, 205, 207, 208, 209 और 210 | 3681 |
| 26. | त्रिपुरा | 44 और 44क | 400 |
| 27. | उत्तर प्रदेश | 2, 3, 7, 11, 19, 24, 24क, 25, 25क, 26, 27, 28, 29, 56, 56क, 56ख, 58, 72, 73, 74, 75, 76, 86 और 87 | 4570 |
| 28. | पश्चिम बंगाल | 2, 6, 31, 31क, 31ग, 32, 34, 35, 41, 55, 60, 80, 81 | 1951 |
| | | जोड़ | 52,010 |

विवरण II

*पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए निधियों (लाख रु० में) के आबंटन को दर्शाने वाला विवरण*

| क्रम सं० | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम | 1997-98 | 1998-99 | 1999-2000 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | आंध्र प्रदेश | 2949.83 | 4500.00 | 5045.00 |
| 2. | असम | 1821.00 | 2600.00 | 2186.83 |
| 3. | बिहार | 1900.00 | 3405.31 | 6000.00 |
| 4. | चंडीगढ़ | 30.00 | 82.00 | 100.00 |
| 5 | दिल्ली | 800.00 | 1400.00 | 1200.00 |
| 6. | गोवा | 900.00 | 1100.00 | 1500.02 |
| 7. | गुजरात | 3675.00 | 5346.96 | 10451.43 |
| 8. | हरियाणा | 1100.00 | 2613.50 | 4500.00 |
| 9. | हिमाचल प्रदेश | 1700.00 | 2500.00 | 4500.00 |
| 10. | जम्मू एवं कश्मीर | 150.00 | 100.00 | 135.00 |
| 11. | कर्नाटक | 2900.00 | 3500.00 | 4600.08 |
| 12. | केरल | 3600.00 | 6744.46 | 10468.12 |
| 13. | मध्य प्रदेश | 1700.00 | 2200.00 | 3226.75 |
| 14. | महाराष्ट्र | 2900.00 | 4811.63 | 10354.31 |
| 15. | मणिपुर | 700.00 | 700.00 | 1010.75 |
| 16. | मेघालय | 920.00 | 1000.00 | 1730.28 |
| 17. | मिजोरम | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| 18. | नागालैंड | 100.00 | 200.00 | 750.00 |
| 19. | उड़ीसा | 2600.00 | 4000.00 | 4350.00 |
| 20. | पांडिचेरी | 70.00 | 100.81 | 319.46 |
| 21. | पंजाब | 1300.00 | 2500.65 | 2000.00 |
| 22. | राजस्थान | 2550.00 | 3450.00 | 5778.17 |
| 23. | तमिलनाडु | 2500.00 | 3624.75 | 6500.00 |
| 24. | त्रिपुरा | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
| 25. | उत्तर प्रदेश | 4608.00 | 7078.14 | 11005.35 |
| 26. | पश्चिम बंगाल | 5375.00 | 7150.94 | 5738.02 |
| 27. | जोगीघोपा पुल | 1244.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28. | मंत्रालय | 0.17 | 3.86 | 100.00 |
| 29. | सी०स०नि०बो० | 7031.00 | 8500.00 | 11230.00 |
| | जोड़ | 55124.00 | 79213.01 | 115129.57 |

विवरण-III

*पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों में रख-रखाव और मरम्मत के लिए निधियों (लाख रु० में) के आबंटन को दर्शाने वाला विवरण*

| क्रम सं० | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम | 1997-98 | 1998-99 | 1999-2000 | 1999-2000 (एसआरपी) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 3898.00 | 4568.40 | 3440.260 | 3657.00 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
| 3. | असम | 1162.55 | 2815.51 | 3199.440 | 2500.00 |
| 4. | बिहार | 3410.77 | 3336.97 | 5367.640 | 6100.00 |
| 5. | चंडीगढ़ | 71.00 | 48.04 | 66.000 | 50.00 |
| 6. | दिल्ली | 330.20 | 210.00 | 139.840 | 160.00 |
| 7. | गोवा | 450.39 | 617.08 | 627.690 | 700.00 |
| 8. | गुजरात | 3758.96 | 3296.94 | 2103.170 | 2068.00 |
| 9. | हरियाणा | 772.34 | 1239.42 | 1611.700 | 400.00 |
| 10. | हिमाचल प्रदेश | 2034.32 | 2256.01 | 1692.250 | 664.00 |
| 11. | जम्मू एवं कश्मीर | 87.40 | 129.65 | 290.000 | 100.00 |
| 12. | कर्नाटक | 3002.90 | 3111.75 | 34110.900 | 4850.00 |
| 13. | केरल | 2268.11 | 2090.63 | 1984.000 | 1500.00 |
| 14. | मध्य प्रदेश | 3313.78 | 3945.04 | 5254.493 | 3000.00 |
| 15. | महाराष्ट्र | 5157.68 | 4957.67 | 3844.630 | 4000.00 |
| 16. | मणिपुर | 277.03 | 365.59 | 826.080 | 0.00 |
| 17. | मेघालय | 584.54 | 625.80 | 805.890 | 400.00 |
| 18. | मिजोरम | 0.00 | 0.00 | 355.000 | 500.00 |
| 19. | नागालैंड | 37.11 | 382.90 | 426.630 | 423.00 |
| 20. | उड़ीसा | 2522.00 | 2761.15 | 2922.240 | 2516.00 |
| 21. | पांडिचेरी | 29.96 | 64.18 | 87.000 | 164.00 |
| 22. | पंजाब | 1357.75 | 1538.81 | 1883.860 | 400.00 |
| 23. | राजस्थान | 3841.71 | 3718.19 | 3520.000 | 4967.00 |
| 24. | सिक्किम | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
| 25. | तमिलनाडु | 2981.37 | 3740.00 | 4179.660 | 8000.00 |
| 26. | त्रिपुरा | 0.00 | 0.00 | 185.000 | 0.00 |
| 27. | उत्तर प्रदेश | 4949.19 | 6128.44 | 5575.490 | 4793.62 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 28. | पश्चिम बंगाल | 3264.94 | 2757.83 | 3000.000 | 1530.00 |
| 29. | भा०रा०रा०प्रा० | 375.00 | 274.00 | 0.000 | 0.00 |
| 30. | सी०स०वि० बोर्ड | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 93.72 |
| 31. | अन्य संस्थान | 13.00 | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
| | जोड़ | 49750.00 | 54980.00 | 56798.863 | 53536.34 |

## उच्च न्यायालय की खण्डपीठें

2676. **श्री वी०एस० शिवकुमार :** क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां उच्च न्यायालय की प्रधान पीठ के अतिरिक्त उच्च न्यायालय की खंडपीठ या खंडपीठों को स्थापित किया गया है;

(ख) उन राज्यों की राजधानियों के नाम क्या हैं जहां उच्च न्यायालय की प्रधान पीठ को अब तक स्थापित नहीं किया गया है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं?

**विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री राम जेठमलानी) :** (क) प्रधान न्यायपीठ से दूर उच्च न्यायालयों की स्थायी न्यायपीठें ग्यारह राज्यों, अर्थात् बिहार, गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, राजस्थान, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश में स्थापित की गई हैं।

(ख) और (ग) भोपाल, भुवनेश्वर, गांधीनगर, इटानगर और तिरुवंनतपुरम देश में राज्यों की ऐसी राजधानियां हैं जहां इस समय उच्च न्यायालय या इसकी न्यायपीठ नहीं हैं। यह विनिश्चय किया गया है कि अरुणाचल प्रदेश की सरकार द्वारा आवश्यक अवसंरचनात्मक सुविधाएं प्रदान किए जाने के पश्चात् इटानगर में गौहाटी उच्च न्यायालय की न्यायपीठ स्थापित की जाए।

यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक राज्य की राजधानी में उच्च न्यायालय या इसकी न्यायपीठ हो। वैसे भी, राज्यों की राजधानियों में उच्च न्यायालयों की न्यायपीठें स्थापित करने के लिए, संबंधित उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों के परामर्श से, शेष राज्यों से कोई भी पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

## पेट्रोलियम उत्पादों की मांग तथा उत्पादन में अंतर

2677. **श्री सी० श्रीनिवासन :**

**श्री माणिकराव होडल्या गावित :**

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गत तीन वर्षों के दौरान पेट्रोल तथा अन्य पेट्रोलियम उत्पादों की मांग तथा उत्पादन में कितना अंतर रहा;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इन उत्पादों का कितनी मात्रा में उत्पादन, खपत तथा आयात हुआ तथा इन उत्पादों के आयात पर कितनी विदेशी मुद्रा व्यय की गई; और

(ग) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मांग और आपूर्ति के अंतर को पाटने हेतु कौन-कौन से कदम उठाए गए हैं?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) :** (क) और (ख) विवरण संलग्न है।

(ग) नई रिफाइनरियां चालू होने तथा कुछ एक विद्यमान रिफाइनरियों के क्षमता विस्तार से भारत शोधन क्षमता तथा पेट्रोलियम उत्पादों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता के निकट पहुंच गया है। तथापि, कच्चे तेल की मांग एवं स्वदेशी क्रूड की आपूर्ति के बीच अंतराल बढ़ गया है। नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस मांग-आपूर्ति के अंतराल को पाटने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकियों के अनुप्रयोग, रिजर्वायर की बेहतर समझ, नए क्षेत्रों के विकास, विद्यमान क्षेत्रों के अतिरिक्त विकास के माध्यम से तथा अपस्ट्रीम क्षेत्र में विदेशी एवं निजी पूंजी आमंत्रित करके देश में कच्चे तेल के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

### विवरण

*पेट्रोलियम उत्पादों का उत्पादन, खपत एवं आयात*

(मात्रा '000' टन, मूल्य : करोड़ रुपये)

| उत्पाद | 1996-97 | | | | 1997-98 | | | | 1998-99+ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | उत्पादन | खपत* | आयात** | | उत्पादन | खपत* | आयात** | | उत्पादन | खपत* | आयात** | |
| | | | मात्रा | मूल्य | | | मात्रा | मूल्य | | | मात्रा | मूल्य |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| एल पी जी | 3378 | 4184 | 1035 | 1116.86 | 3454 | 4581 | 1087 | 902.57 | 3568 | 5027 | 1525 | 1130.35 |
| पेट्रोल | 4704 | 4955 | 449 | 365.29 | 4849 | 5182 | 331 | 254.98 | 5573 | 5511 | 251 | 188.25 |
| मिट्टी तेल | 6236 | 9646 | 4279 | 3538.86 | 6701 | 9878 | 3812 | 2528.77 | 5341 | 10583 | 5823 | 3244.11 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ए टी एफ | 2119 | 2158 | 150 | 119.69 | 2147 | 2108 | 55 | 34.23 | 2289 | 2097 | 0 | 0.00 |
| एच एस डी | 22202 | 35019 | 13608 | 10087.21 | 23354 | 36071 | 14075 | 8586.97 | 26716 | 36887 | 10485 | 4959.80 |
| भट्टी तेल | 5980 | 6534 | 694 | 277.38 | 6771 | 6651 | 141 | 55.31 | 6407 | 6482 | 514 | 182.85 |
| अन्य | 16166 | 14728 | 50 | 128.20 | 15820 | 15367 | 29 | 69.09 | 16494 | 16979 | 182 | 131.16 |
| योग | 60785 | 77224 | 20265 | 15633.49 | 63096 | 79838 | 19530 | 12431.92 | 66388 | 83566 | 18780 | 9836.52 |

*इसमें निजी आयातों के माध्यम से हुई खपत शामिल नहीं है। +अनंतिम।

**इसमें निजी पक्षकारों के द्वारा किया गया आयात शामिल नहीं है।

*[हिन्दी]*

### जम्मू और कश्मीर में पी०सी०ओ० की स्थापना

**2678. श्री अब्दुल रशीद शाहीन :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू और कश्मीर में विशेष रूप से बारामूला क्षेत्र में इस समय जिला-वार कितने पी०सी०ओ० कार्य कर रहे हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान तथा इस वर्ष के दौरान आज तक राज्य और क्षेत्र में पी०सी०ओ० बूथों की स्थापना के लिए जिला-वार कितने आवेदन-पत्र लंबित हैं; और

(ग) इन सभी आवेदन-पत्रों को कब तक निस्तारित कर दिया जाएगा?

**संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) :** (क) इस समय जम्मू और कश्मीर में 3615 पी०सी०ओ० कार्य कर रहे हैं। बारामूला क्षेत्र के संबंध में जिले-वार जानकारी इस प्रकार है :

| जिले का नाम | कार्यरत एस०टी०डी० पी०सी०ओ० की संख्या |
|---|---|
| बारामूला | 174 |
| बड़गाम | 42 |
| कुपवाड़ा | 34 |

(ख) जम्मू और कश्मीर राज्य में पी०सी०ओ० की संस्थापना के लिए 7776 आवेदन लंबित हैं। बारामूला क्षेत्र में विचाराधीन पड़े जिले-वार आवेदन इस प्रकार है :

| जिले का नाम | एस०टी०डी०पी०सी०ओ० के लिए विचाराधीन आवेदनों की संख्या |
|---|---|
| बारामूला | 390 |
| बड़गाम | 41 |
| कुपवाड़ा | 151 |

(ग) तकनीकी व्यवहार्यता तथा आवेदकों द्वारा अन्य शर्तें पूरी करने पर सभी आवेदनों को मार्च, 2001 तक निपटा दिया जाएगा।

*[अनुवाद]*

### हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि० हेतु वी आर एस योजना

**2679. श्री अन्नासाहेब एम०के० पाटिल :** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि० हेतु वी आर एस योजना को अंतिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या वित्तीय प्रभाव होंगे;

(ग) इस प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि० में प्रस्तावित ढांचागत और वित्तीय सुधारों का ब्यौरा क्या है और तत्संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है?

**जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देवेन्द्र प्रधान) :** (क) से (ग) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि० सन् 1990-91 से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति स्कीम कार्यान्वित करता रहा है और इसके लिए राष्ट्रीय नवीकरण कोष (एन आर एफ) से अनुदान सहायता प्रदान की जाती है। अब तक इसने इस कार्य के लिए 48.40 करोड़ रु० का उपयोग किया है।

(घ) सरकार ने हि०शि० लि० के पूंजीगत पुनर्गठन के लिए अगस्त, 1997 में अनुमोदन प्रदान किया था। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ 470.93 करोड़ रु० के सरकारी ऋणों और ब्याज को बट्टे-खाते डालने और 120.20 करोड़ रु० के ऐसे ऋणों को इक्विटी में परिवर्तित करने की परिकल्पना है। 31.3.1995 की स्थिति के अनुसार, भारतीय स्टेट बैंक के बकाया नकद ऋण और उस पर ब्याज को भी आवधिक ऋण में परिवर्तित किया गया जिसकी अदायगी 3 वर्ष के ऋण स्थगन के साथ 10 वर्ष की अवधि में की जाएगी। यह ऋण सरकार की गारंटी से सुरक्षित है और इसकी ब्याज दर 10% प्रतिवर्ष है।

### राष्ट्रीय राजमार्गों पर ऊपरि पुलों/फ्लाई ओवरों का निर्माण

**2680. चौधरी तेजवीर सिंह :**
**डा० नीतिश सेनगुप्ता :**

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय किन-किन राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क चौड़ा करने का काम चल रहा है और गत तीन वर्षों के दौरान तथा वर्ष 2000-2001 के लिए इस प्रयोजनार्थ राज्य-वार कितनी धनराशि निर्धारित की गई है;

(ख) इस वित्तीय सहायता से नदियों पर राज्य-वार कितने उपरि पुलों/फ्लाईओवरों का निर्माण किया गया है;

(ग) चालू वित्त वर्ष के दौरान ऐसे कितने उपरि पुलों का निर्माण किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) राष्ट्रीय राजमार्गों पर राज्य-वार कितने और किन-किन स्थानों पर इन पुलों का निर्माण किया जा रहा है;

(ङ) उन राष्ट्रीय राजमार्गों का ब्यौरा क्या है जिन पर उपरि पुल/फ्लाईओवर बनाए जाने हेतु राज्य सरकारों ने प्रस्ताव भेजे हैं;

(च) सरकार द्वारा इन प्रस्तावों के संदर्भ में क्या कार्यवाही की गई है;

(छ) क्या मुरादाबाद के निकट रामपुर तिरोह पर राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 24 पर फ्लाईओवर की स्वीकृति हेतु काफी लंबे समय से सरकार के पास लंबित पड़ा हुआ है;

(ज) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(झ) उक्त स्थान पर फ्लाईओवर बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

**जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देबेन्द्र प्रधान) :** (क) वर्ष 1999-2000 से पहले धनराशि राज्यवार आबंटित की जाती थी तथा कार्य-वार नियत नहीं की जाती थी। वर्ष 1999-2000 के लिए नियत और वर्ष 2000-2001 के लिए प्रस्तावित धनराशि संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) और (ग) चौड़ा करने के कार्य के तौर पर किसी उपरि पुल/फ्लाईओवर का निर्माण नहीं किया गया है।

(घ) राष्ट्रीय राजमार्गों पर बनाए जा रहे उपरि पुलों/फ्लाईओवरों की राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(ङ) केरल, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्य सरकारों ने क्रमशः राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 17, 7 और 34 पर आर ओ बी के निर्माण के लिए प्रस्ताव भेजे हैं।

(च) राज्य सरकारों को बी ओ टी (निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण) आधार पर इन आर ओ बी का निर्माण करने की सलाह दी जा रही है।

(छ) जी, नहीं।

(ज) और (झ) प्रश्न नहीं उठता।

**विवरण-I**

*राष्ट्रीय राजमार्गों को चौड़ा करने से संबंधित स्थिति*

| क्रम सं० | राज्य का नाम | रा०रा० संख्या | कार्यों की सं० | आवश्यक धनराशि 1999-2000 नियत धन (लाख रु०) | 2000-2001 प्रस्तावित धन |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 9, 16, 18, 43 | 10 | 1939.88 | 963.11 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | — | — | — | — |
| 3. | असम | 31ख, 37 | 5 | 382.16 | 686.35 |
| 4. | बिहार | 23 | 7 | 339.30 | 448.85 |
| 5. | चंडीगढ़ | — | — | — | — |
| 6. | दिल्ली | — | — | — | — |
| 7. | गोवा, दमन और दीव | — | — | — | — |
| 8. | गुजरात | 8, 8क, 8ख | 14 | 2690.41 | 2015.06 |
| 9. | हरियाणा | — | — | — | — |
| 10. | हिमाचल प्रदेश | — | — | — | — |
| 11. | जम्मू और कश्मीर | — | — | — | — |
| 12. | कर्नाटक | 4क, 9, 13, 17, 48, 63 | 20 | 821.65 | 1117.94 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13. | केरल | 17, 47, 49 | 6 | 989.10 | 1130.45 |
| 14. | मध्य प्रदेश | 7, 22, 25, 26 | 8 | 29.92 | 1048.61 |
| 15. | महाराष्ट्र | 3, 4, 6, 7, 8, 9, 17, 50 | 25 | 626.86 | 873.24 |
| 16. | मणिपुर | – | – | – | – |
| 17. | मेघालय | – | – | – | – |
| 18. | मिजोरम | – | – | – | – |
| 19. | नागालैंड | 36, 61 | 2 | 281.87 | 100.00 |
| 20. | उड़ीसा | 5, 5क, 6, 19, 23, 42, 43 | 19 | 2272.74 | 3192.20 |
| 21. | पांडिचेरी | – | – | – | – |
| 22. | पंजाब | 10 | 1 | 41.47 | 0.00 |
| 23. | राजस्थान | 8, 11, 12, 14, 15 | 16 | 734.98 | 890.60 |
| 24. | सिक्किम | – | – | – | – |
| 25. | तमिलनाडु | 49, 66 | 10 | 635.62 | 1614.02 |
| 26. | त्रिपुरा | – | – | | – |
| 27. | उत्तर प्रदेश | 19 | 5 | 963.31 | 997.67 |
| 28. | पश्चिम बंगाल | 32, 55 | 6 | 256.82 | 610.78 |
| | जोड़ | | 154 | 13327.08 | 15688.88 |

**विवरण-II**

*नदियों पर पुलों, उपरि पुलों और फ्लाईओवरों की संख्या*

| क्रम सं० | राज्य का नाम | रा०रा०संख्या | कार्यों की संख्या |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 7 | 1 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | – | – |
| 3. | असम | – | – |
| 4. | बिहार | 32 | 1 |
| 5. | चंडीगढ़ | – | – |
| 6. | दिल्ली | – | – |
| 7. | गोवा, दमन और दीव | – | – |
| 8. | गुजरात | – | – |
| 9. | हरियाणा | – | – |
| 10. | हिमाचल प्रदेश | – | – |
| 11. | जम्मू और कश्मीर | – | – |
| 12. | कर्नाटक | – | – |
| 13. | केरल | – | – |
| 14. | मध्य प्रदेश | 6 | 1 |
| 15. | महाराष्ट्र | 8 | 1 |
| 16. | मणिपुर | – | – |
| 17. | मेघालय | – | – |
| 18. | मिजोरम | – | – |
| 19. | नागालैंड | – | – |
| 20. | उड़ीसा | – | – |
| 21. | पांडिचेरी | – | – |
| 22. | पंजाब | – | – |
| 23. | राजस्थान | 11 | 1 |
| 24. | सिक्किम | – | – |
| 25. | तमिलनाडु | – | – |
| 26. | त्रिपुरा | – | – |
| 27. | उत्तर प्रदेश | – | – |
| 28. | पश्चिम बंगाल | 2, 34 | 2 |
| | जोड़ | | 7 |

*[हिन्दी]*

### डीजल और पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य

**2681. श्री नवल किशोर राय :**
**श्री अरुण कुमार :**

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार डीजल और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों को कम करने के उद्देश्य से निर्धारित कर दरों को कम करने का है;

(ख) यदि हां, तो पेट्रोलियम क्षेत्र में किस स्तर पर करों की वसूली की जाती है और कौन-कौन से कर लगाए जाते हैं तथा उसकी दर क्या है;

(ग) क्या इस क्षेत्र में कर मूल्यांकन के लिए प्रस्तावित दरों को भी सरकार द्वारा कर निर्धारण प्राधिकारियों के पास भेजा गया था; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी दरों का ब्यौरा क्या है और प्रस्तावित कर दरों के आधार पर देश में पेट्रोल और डीजल की दरों को किस सीमा तक कम किए जाने की संभावना है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) :** (क) से (घ) 29.2.2000 को संसद में प्रस्तुत केन्द्रीय बजट में आधारभूत सीमा शुल्क निम्नानुसार संशोधित किया गया है :

| | |
|---|---|
| 1. कच्चा तेल | 20 प्रतिशत से 15 प्रतिशत |
| 2. मोटर स्प्रिट, हाई स्पीड डीजल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, लाइट डीजल आयल, भट्टी तेल, बिटुमन लो सल्फर हैवी स्टाक | 30 प्रतिशत से 25 प्रतिशत |
| 3. मिट्टी तेल (समानान्तर विपणन योजना) | 30 प्रतिशत से 35 प्रतिशत |

पेट्रोल पर वर्तमान उत्पाद शुल्क दर 32 प्रतिशत है डीजल तथा एविएशन ईंधन 16 प्रतिशत और मिट्टी तेल तथा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस पर 8 प्रतिशत है। इसके अलावा अतिरिक्त उत्पाद शुल्क के रूप में पेट्रोल तथा डीजल पर 1000 रुपये/कि०ली० की राशि उद्ग्रहीत की जाती है।

इसके अतिरिक्त राज्य सरकारें वसूली योग्य बिक्री कर/अशोध्य कर उद्ग्रहीत करती हैं जिसकी दरें हर राज्य में अलग-अलग होती हैं तथा इनमें कोई परिवर्तन राज्य सरकारों की शक्तियों के भीतर है।

बजट के प्रस्तुतीकरण के बाद पेट्रोल तथा डीजल के मूल्यों में संशोधन के संबंध में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

*[अनुवाद]*

### अगरतला में एक अलग उच्च न्यायालय

**2683. श्री समर चौधरी :** क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा के अगरतला नामक स्थान पर एक अलग उच्च न्यायालय स्थापित करने की कोई मांग की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या त्रिपुरा विधान सभा ने इस संबंध में कोई संकल्प पारित किया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

**विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री राम जेठमलानी) :** (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) त्रिपुरा विधान सभा ने, त्रिपुरा के लिए एक पृथक् उच्च न्यायालय स्थापित करने के लिए संकल्प पारित किया है। इस विषय से संबंधित प्रस्ताव 1998 में, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री से भी प्राप्त हुआ था। कार्यभार को देखते हुए, त्रिपुरा के मुख्य मंत्री को यह सूचित कर दिया गया था कि अगरतला में उच्च न्यायालय की विद्यमान स्थायी पीठ अभी पर्याप्त है।

### असम में रसोई गैस सुविधाएं

**2683. श्री अब्दुल हमीद :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम के धुबरी और गोलपाड़ा जिलों में रसोई गैस कनेक्शन हेतु बड़ी संख्या में लोग प्रतीक्षा सूची में हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त जिलों में कार्यरत रसोई गैस एजेंसियों का ब्यौरा क्या है और इनकी प्रतीक्षा सूची में कितने व्यक्ति हैं; और

(ग) रसोई गैस कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूची को कब तक निपटा लिया जाएगा?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) :** (क) से (ग) सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम तेल कंपनियों के वितरकों के पास पंजीकृत प्रतीक्षा सूची की कुल संख्या गोलपाड़ा जिले में 600 है तथा धुबरी जिले में शून्य है। इन दोनों जिलों में 6 वितरक हैं। नए कनेक्शन एल पी जी उपलब्धता, प्रतीक्षा सूची, वितरकों के पास उपलब्ध बकाया एवं इनकी व्यवहार्यता पर निर्भर करते हुए देश भर में चरणबद्ध तरीके से जारी किए जाते हैं। तथापि, सरकार के पास, 1 दिसंबर, 1999 को सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम तेल कंपनियों के वितरकों के पास पंजीकृत समस्त प्रतीक्षा सूची को निपटाने के लिए, वर्ष 2000 के दौरान एक करोड़ एल पी जी कनेक्शन जारी करने की एक योजना है।

*[हिन्दी]*

### ऊर्जा उत्पादन

**2684. डा० सुशील कुमार इन्दौरा :**
**श्री अरुण कुमार :**

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों और निजी क्षेत्र की अलग-अलग अनुमानित विद्युत उत्पादन क्षमता का आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उपयोग की गई औसत विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है और तीनों क्षेत्रों में अलग अलग कितना वास्तविक विद्युत उत्पादन हुआ?

**विद्युत मंत्री तथा खान और खनिज मंत्री (श्री पी०आर० कुमारमंगलम)** : (क) और (ख) यूटिलिटीज (अनंतिम) की दिनांक 29.2.2000 तक सेक्टर-वार संस्थापित क्षमता निम्नानुसार हैं :

| क्षेत्र | जल विद्युत | ताप | न्यूक्लियर | पवन | कुल |
|---|---|---|---|---|---|
| राज्य क्षेत्र | 20503.50 | 38184.04 | 0.00 | 52.59 | 58740.13 |
| केन्द्रीय क्षेत्र | 2569.01 | 24752.50 | 2460.00 | 0.00 | 29781.51 |
| निजी क्षेत्र | 456.00 | 6999.62 | 0.00 | 791.41 | 8427.03 |

(ग) सेक्टर-वार औसत उत्पादन क्षमता उपयोग तथा वास्तविक विद्युत उत्पादन निम्नानुसार है :

| क्षेत्र | वर्ग | उत्पादन (मि०यू०) (अप्रैल-फरवरी, 2000) | | | पीएलएफ (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | लक्ष्य | वास्तविक | लक्ष्य का % | |
| अखिल भारत | ताप | 341102 | 350711 | 102.8 | 66.7 |
| | न्यूक्लियर | 9932 | 11866 | 119.5 | |
| | जल | 74890 | 74484 | 99.5 | |
| | कुल | 425924 | 437061 | 102.6 | |
| केन्द्रीय क्षेत्र | ताप | 116980 | 132385 | 113.2 | 73.1 |
| | न्यूक्लियर | 9932 | 11866 | 119.5 | |
| | जल | 20263 | 20491 | 101.1 | |
| | कुल | 147175 | 164742 | 111.9 | |
| राज्य क्षेत्र | ताप | 184132 | 184504 | 100.2 | 63.2 |
| | जल | 53212 | 52415 | 98.5 | |
| | कुल | 237344 | 236919 | 99.8 | |
| निजी क्षेत्र | ताप | 39990 | 33822 | 84.6 | 67.6 |
| | जल | 1415 | 1578 | 111.5 | |
| | कुल | 41405 | 35400 | 85.6 | |

*[अनुवाद]*

### एस०बी०एस० राजाध्यक्ष समिति

2685. **श्री नामदेव हरबाजी दिवाथे** : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतियोगिता नीति संबंधी एस०बी०एस० राजाध्यक्ष समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इसमें की गई सिफारिशें क्या हैं; और

ग) इस पर क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का विचार है?

**विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री राम जेठमलानी)** : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

*[हिन्दी]*

### संजय गांधी विस्तार परियोजना

2686. **श्री पुन्नू लाल मोहले** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने संजय गांधी विस्तार एकक संख्या 5 (500 मेगावाट) परियोजना को पर्यावरण संबंधी स्वीकृति दिए जाने के संबंध में कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस परियोजना को कब तक स्वीकृति प्रदान किए जाने की संभावना है?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी)** : (क) से (ग) जी, हां। चरण-II में 500 मेगावट विद्युत उत्पादन का प्रस्ताव है। चूंकि परिवेशी वायु गुणता आंकड़ा, उड़न राख उपयोगिता योजना और हरि पट्टी के विकास हेतु प्रस्ताव जैसी अपेक्षित आवश्यक सूचना नहीं दी गई है इसलिए परियोजना प्राधिकरियों को इन्हें प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था। पूरी सूचना प्राप्त होने की तारीख से 90 दिनों के भीतर परियोजना पर निर्णय लिया जाएगा।

*[अनुवाद]*

### तेल और प्राकृतिक गैस के उत्पादन में कमी

2687. **श्री एस० डी० एन० आर० वाडियार** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का वर्षवार कितना उत्पादन हुआ है;

(ख) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा प्रबंधित तेल क्षेत्रों के उत्पादन में भारी गिरावट आई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) अगले कुछ वर्षों में इन उत्पादों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार)** : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस का उत्पादन निम्नानुसार है :

| वर्ष | कच्चा तेल (एम टी) | गैस (एम एम एस सी एम) |
|---|---|---|
| 1996-97 | 32.90 | 23255 |
| 1997-98 | 33.85 | 26402 |
| 1998-99 | 32.72 | 27428 |

एम एम टी : मिलियन मीट्रिक टन

एम एम एस सी एम : मिलियन मानक घन मीटर

(ख) और (ग) ओ एन जी सी द्वारा कच्चे तेल के उत्पादन में मामूली कमी रही है। कच्चे तेल के उत्पादन में मामूली कमी के मुख्य कारण निम्नानुसार हैं :

(1) बम्बई हाई सहित मुख्य क्षेत्र अवधि बीतने के साथ स्वाभाविक ह्रासमान चरण में प्रवेश कर रहे हैं।

(2) पिछले कई वर्षों से कोई महत्वपूर्ण या बड़ा तेल क्षेत्र नहीं पाया गया है।

(3) ई आर बी सी में सतत पर्यावरण समस्याओं तथा इनके प्रपाती प्रभाव के फलस्वरूप धीमें वेधन और वर्क ओवर कार्यों के कारण कम आधार संभाव्यता रही है।

(4) डब्ल्यू आर बी सी (गुजरात) तथा ई आर बी सी (असम) में राज्य विद्युत बोर्ड से त्रुटिपूर्ण विद्युत आपूर्ति के कारण कृत्रिम उत्थान प्रणालियां प्रभावित होती हैं।

(घ) कच्चे तेल के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए किए गए उपाय निम्नानुसार हैं :

(1) बेहतर रिजर्वायर प्रबंधन, त्रिआयामी भूकंपीय सर्वेक्षणों, इनफिल वेधन, दबाव, रखरखाव, कृत्रिम उत्थान प्रणाली की स्थापना/इष्टतमीकरण तथा उन्नत व लागत कुशल प्रौद्योगिकियों के उपयोग तथा निकासी घटक में सुधार के माध्यम से वर्तमान क्षेत्रों से इष्टतम उत्पादन करना।

(2) नए खोजे गए तेल क्षेत्रों का अधिक तेजी से विकास।

(3) गहन अन्वेषण कार्यों के माध्यम से नए हाइड्रोकार्बन भंडारों की खोजन करना, जैसे :

- वर्तमान क्षेत्रों में अधिक गहराई तक अन्वेषण।
- गहरे समुद्र तथा सीमावर्ती क्षेत्रों में अन्वेषण कार्य करना।
- नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति के कार्यान्वयन के माध्यम से अन्वेषण कार्यों में बढ़ी हुई निजी प्रतिभागिता।

*[हिन्दी]*

## हरियाणा और राजस्थान में पेट्रोल और गैस का भंडार

2688. **श्री अजय सिंह चौटाला :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान विशेषकर राजस्थान के मरुस्थलों और हरियाणा क्षेत्र से लगे मरुस्थलों में पेट्रोल और गैस नये स्रोत व भंडारों का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किन स्थानों पर तेल और गैस पाई गई है और अनुमानतः कितनी तेल और गैस मिली है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) :** (क) और (ख) राजस्थान में पिछले तीन वर्षों के दौरान, आयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन लि० (ओ एन जी सी) ने 1589 ग्राऊंड लाइन किलोमीटर द्विआयामी भूकंपीय आंकड़े अर्जित किए हैं। इसी अवधि में निजी और संयुक्त उद्यम कंपनियों ने राजस्थान में 3016 लाइन किलोमीटर द्विआयामी भूकंपीय सर्वेक्षण, 14 वर्ग किलोमीटर त्रिआयामी सर्वेक्षण और 3385 किलोमीटर गुरुत्वाकर्षण सर्वेक्षण किया है। अन्वेषणात्मक वेधन के परिणाम-स्वरूप राजस्थान के जैसलमेर बेसिन में पिछले तीन वर्षों के दौरान ओ एन जी सी और आयल इंडिया लिमिटेड द्वारा लगभग 0.56 बिलियन मानक घन मीटर अनुमानित स्थानिक गैस की खोज की गई है। इसके अतिरिक्त बीकानेर जिले में एक निजी कंपनी द्वारा 1.3 मिलियन स्टैंडर्ड स्टाक टैंक बैरल के अनुमानित स्थानिक तेल वाले कच्चे तेल की खोज की गई है।

इस अवधि में हरियाणा में कोई अन्वेषण नहीं किया गया है।

*[अनुवाद]*

## विद्युत शुल्क में वृद्धि

2689. **श्री बसुदेव आचार्य :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 11 नवंबर, 1999 के 'द इंडियन एक्सप्रेस' में 'पावर टैरिफ में गो अप थ्री टाइम्स' शीर्षक प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो प्रकाशित समाचार के तथ्य क्या हैं; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

**विद्युत मंत्री तथा खान और खनिज मंत्री (श्री पी० आर० कुमारमंगलम) :** (क) जी, हां।

(ख) और (ग) उड़ीसा में गठित विद्युत विनियामक आयोग को विद्युत टैरिफ निर्धारित करने की जिम्मेवारी सौंपी गई है। ओईआरसी द्वारा जारी 30.12.99 के नवीनतम टैरिफ आदेश में उपयुक्त रूप से टैरिफ अभिवृद्धि की गई है।

*[हिन्दी]*

## दूरसंचार सुविधाएं

2690. **श्री माणिकराव होडल्या गावित :**
**श्री राम टहल चौधरी :**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बिहार के रांची जिले में तथा महाराष्ट्र के नन्दुर्बार जिले में दूरभाष एक्सचेंजों की क्षमता को बढ़ाने तथा आधुनिक संचार सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कोई कदम उठाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह कार्य कब तक हो जाने की संभावना है;

(ग) नन्दुर्बार जिले में एक्सचेंज-वार टेलीफोन कनेक्शन की प्रतीक्षा सूची में लोगों की संख्या का अद्यतन ब्यौरा क्या है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान तथा आज तक उपलब्ध कराए गए टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या क्या है;

(ङ) उक्त जिले में प्रतीक्षा सूची में शामिल आवेदकों को कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा कौन से कदम उठाए गए हैं;

(च) गत एक वर्ष के दौरान और आज तक रांची जिले के दूरसंचार और डाक विभाग के कितने अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए; और

(छ) सरकार द्वारा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई?

**संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकंदर) :** (क) जी, हां।

(ख) 1999-2000 (फरवरी 2000 तक) के दौरान बिहार के रांची जिले में तथा महाराष्ट्र के नन्दूरबार जिले में टेलीफोन क्षमता में वृद्धि के ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं। आधुनिक सुविधा के बारे में उठाए गए कदम निम्नांकित हैं :

(i) स्थानीय कॉल आधार पर रांची तथा नन्दूरबार जिले में इंटरनेट सुविधा उपलब्ध है।

(ii) रांची में आई एम डी एन सुविधा उपलब्ध है।

(iii) 2000-2001 के दौरान रांची में आईएन सेवाएं प्रदान करने की योजना बनाई गई है।

(ग) 29.2.2000 की स्थिति के अनुसार नन्दूरबार जिले में टेलीफोन कनेक्शनों की प्रतीक्षा-सूची 2363 है। एक्सचेंज-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान आज तक नन्दूरबार में प्रदान किए गए टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या निम्नानुसार है :

| क्रम सं० | वर्ष | दी गयी लाइनों की संख्या |
|---|---|---|
| 1. | 1997-98 | 1847 |
| 2. | 1998-99 | 2419 |
| 3. | 1999-2000 (6.3.2000 तक) | 1458 |

(ङ) उठाए गए कदम निम्नांकित हैं :

(i) फाकाशा में एक 512 पी सी-डॉट एक्सचेंज संस्थापित किया जा रहा है।

(ii) शहादा तथा नन्दूरबार के लिए क्रमश: 3500 तथा 1000 लाइन (विस्तार) एक्सचेंज उपस्करों के लिए आदेश दे दिए गए हैं तथा इसे 2000-2001 के दौरान संस्थापित किया जाएगा।

(iii) प्रतीक्षा-सूची के निपटान के लिए शेष एक्सचेंजों का जहां भी प्रतीक्षा सूची है, 2000-2001 के दौरान विस्तार किए जाने की योजना है।

(च) पिछले एक वर्ष के दौरान तथा आज की तारीख तक दूरसंचार सेवा विभाग तथा डाक विभाग के किसी भी अधिकारी की रांची जिले में भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं पाया गया है।

(छ) उपरोक्त भाग (ङ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

**विवरण-I**

*1999-2000 के दौरान फरवरी 2000 तक टेलीफोन एक्सचेंजों की क्षमता में वृद्धि*

| क्रम सं० | जिला का नाम | एक्सचेंज का नाम | क्षमता में वृद्धि |
|---|---|---|---|
| 1. | रांची | रांची मेन | 1000 |
| 2. | रांची | अशोक नगर* | 4000 |
| 3. | रांची | भारीयातु | 1000 |
| 4. | रांची | अशोक नगर | 1000 |
| 5. | रांची | मांडर* | 238 |
| 6. | रांची | तातीसिल्वाई* | 500 |
| 7. | रांची | जोन्हा* | 152 |
| 8. | रांची | अंगारा* | 152 |
| 9. | रांची | टोपकारा* | 152 |
| | | जोड़ | 8284 |
| 1. | नन्दूरबार | मालोबी | 72 |
| 2. | नन्दूरबार | गोगापुर | 64 |
| 3. | नन्दूरबार | कटोल | 72 |
| 4. | नन्दूरबार | कुड़ावार | 56 |
| 5. | नन्दूरबार | धादगांव | 40 |
| 6. | नन्दूरबार | महासवाड | 88 |
| 7. | नन्दूरबार | नावापुर | 184 |
| 8. | नन्दूरबार | खानवारा | 16 |
| 9. | नन्दूरबार | कोडामाली | 72 |
| 10. | नन्दूरबार | लोंखेड़ा | 72 |
| 11. | नन्दूरबार | भालेर* | 80 |
| 12. | नन्दूरबार | कोल्डा* | 152 |
| | | जोड़ | 968 |

*नये टेलीफोन एक्सचेंज

**विवरण-II**

*29.2.2000 की स्थिति के अनुसार नन्दूरबार जिले में प्रतीक्षा* **सूची के ब्यौरे**

| क्रम सं० | एक्सचेंज का नाम | प्रतीक्षा सूची |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | ढाढा गांव | 0 |
| 2. | अशटे | 16 |
| 3. | भालेर | 12 |
| 4. | ढांढरा | 3 |
| 5. | खोंडामाली | 44 |
| 6. | कोल्डा | 0 |
| 7. | कोचारली | 31 |
| 8. | भोगखेड़ा | 22 |
| 9. | नान्दूरबार | 753 |
| 10. | पान्चोराबारा | 0 |
| 11. | रानाला | 32 |
| 12. | चोचपाड़ा | 20 |
| 13. | करनैबड | 2 |
| 14. | खंडबारा | 50 |
| 15. | खोकाडा | 2 |
| 16. | नवगांव | 5 |
| 17. | नावापुर | 84 |
| 18. | वडकालांबी | 3 |
| 19. | पिसरवाड़ी | 9 |
| 20. | ब्रह्मणपुर | 10 |
| 21. | दावार खेड़ा | 0 |
| 22. | डांगरपुर | 3 |
| 23. | कहाटूल | 2 |
| 24. | खेड्डांगर | 1 |
| 25. | कुडावाड | 0 |
| 26. | बंदाने | 3 |
| 27. | महासावाड | 5 |
| 28. | पदालदे | 2 |
| 29. | प्रकाशा | 5 |
| 30. | सारंगखेडा | 0 |
| 31. | शाहाडा | 925 |
| 32. | शेल्टी | 0 |
| 33. | जारंडी | 0 |
| 34. | तोरखेडा | 0 |
| 35. | वाडलो | 61 |
| 36. | अक्कालकुआ | 65 |
| 37. | बोराड | 2 |
| 38. | खापर | 49 |
| 39. | मोड | 7 |
| 40. | मोलगी | 0 |
| 41. | तालोडा | 130 |
| | कुल | 2363 |

*[अनुवाद]*

**राजस्थान में राष्ट्रीय बाघ परियोजना**

**2691. श्रीमती जस कौर मीणा : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में राष्ट्रीय बाघ परियोजना के लिए किसानों की भूमि का अधिग्रहण किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भूमि अधिग्रहण से पहले उन किसानों के पुनर्वास के संबंध में निर्णय लिया गया था जिनकी भूमि का अधिग्रहण उक्त परियोजना के लिए किया गया था;

(घ) यदि हां, तो उस परियोजना में कितने किसानों को स्थान दिया जा चुका है; और

(ङ) शेष परिवारों को परियोजना में स्थान नहीं दिए जाने के क्या कारण हैं?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) :** (क) राजस्थान में दो बाघ रिजर्वों के लिए 11 गांवों की भूमि का अधिग्रहण किया गया है।

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) जी, हां। जिला वन जांच समिति द्वारा 27.12.75 को आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि प्रत्येक परिवार को 5 बीघा भूमि के अतिरिक्त उसकी भूमि जोत के बराबर भूमि आबंटित की जाएगी। 11 गांवों के 167 परिवारों को घरों और कुओं आदि के लिए मुआवजे का भुगतान भी किया गया था।

(ङ) 4 गांवों के 285 परिवारों का पुनर्वास कार्य प्रगति पर है।

### विवरण

*अधिग्रहण की गई भूमि का ब्यौरा*

| क्रम सं० | गांव | किसानों के कब्जे में खातेदारी भूमि | |
|---|---|---|---|
| | | बीघा | बिस्वा |
| 1. | अनन्तपुरा | 147 | 8 |
| 2. | चिरोली | 164 | 1 |
| 3. | लकार्दा | 37 | 15 |
| 4. | बिर्दा | 20 | — |
| 5. | हनोतिया | 85 | 2 |
| 6. | छिंदाली | 65 | — |
| 7. | लेहपुर | 26 | 7 |
| 8. | नग्दी रहमानपुर | 17 | 16 |
| 9. | गुडा | 15 | 18 |
| 10. | रणथम्भोर | 17 | 19 |
| 11. | प्रेमपुर | 58 | 4 |
| | कुल | 665 | 10 |

### इंडियन आयल कारपोरेशन का भंडार डिपो

2692. **श्री चन्द्र विजय सिंह : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इंडियन आयल कारपोरेशन का भंडार डिपो उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में भीड़-भाड़ वाले क्षेत्र में स्थित है;

(ख) यदि हां, तो इतने बड़े भंडार डिपो को वहां पर लगातार बनाए रखने से किसी दुर्घटना के होने की स्थिति में जान-माल को खतरा पहुंच सकता है;

(ग) यदि हां, तो क्या उक्त डिपो को उस क्षेत्र से कहीं दूसरी जगह ले जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) :** (क) से (घ) इंडियन आयल कारपोरेशन मुरादाबाद में एक डिपो है जिसका पहले ही स्थान परिवर्तन किया गया है तथा मई, 1997 में इसे नजीबाबाद में चालू किया गया है। तथापि, फिलहाल ब्लैक आयल का कुछ भंडार मुरादाबाद डिपो में रखा जाता है तथा इसकी शीघ्र ही खपत कर लिए जाने की संभावना है।

### विद्युत पारेषण और वितरण में होने वाला घाटा

2693. **श्री रवीन्द्र कुमार पांडेय : क्या विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में विद्युत पारेषण और वितरण में होने वाला घाटा अन्य देशों की तुलना में ज्यादा है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं और इसके क्या कारण हैं?

**विद्युत मंत्री तथा खान और खनिज मंत्री (श्री पी०आर० कुमारमंगलम) :** (क) वर्ष 1997-98 के दौरान रा०वि० बोर्डों/विद्युत यूटिलिटियों/विद्युत विभागों द्वारा सूचित आंकड़ों के आधार पर अखिल भारतीय प्रतिशत पारेषण एवं वितरण हानियां 24.44% है। तथापि, जिन राज्यों ने पुनर्संरचना आरंभ की है उन्होंने 40% से 51% तक भिन्न-भिन्न पारेषण एवं वितरण हानियों की सूचना प्रदान की है। वर्ष 1994 के दौरान विकासशील देशों में पारेषण एवं वितरण हानियां कोरिया गणतंत्र में 5.51% से लेकर डॉमनिकन गणतंत्र में 38.80% तक भिन्न-भिन्न हैं।

(ख) भारत और विकासशील देशों में पारेषण एवं वितरण हानियों को दर्शाने वाले विवरण-I और II संलग्न है।

उच्च पारेषण एवं वितरण हानियों के कारण निम्न हैं :

(i) इन कार्यों के लिए कम प्राथमिकता प्रदान किए जाने के कारण कमजोर और अपर्याप्त उप-पारेषण एवं वितरण प्रणाली।

(ii) देश में बड़े पैमाने पर ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम आरंभ किया जाना जिसके कारण बैक-अप पारेषण, उप-पारेषण एवं वितरण प्रणाली को सशक्त बनाए बगैर लाइनें लंबी हो गई तथा वितरण नेटवर्क फैल गया।

(iii) रूपांतरण अवस्थाएं अधिक होना जिसके फलस्वरूप रूपांतरण हानियों के घटकों में वृद्धि हुई है।

(iv) अनुपयुक्त भार प्रबंधन जिसके फलस्वरूप प्रणाली में ओवर लोडिंग की गई है।

(v) ग्रामीण क्षेत्रों में पम्पिंग लोड के कारण निम्न विद्युत घटक और नगर क्षेत्रों में, कूलर और औद्योगिक भार का होना तथा भार प्वाइंटों पर अपर्याप्त अभिक्रियाशील क्षतिपूर्ति।

(vi) निर्माण की खराब गुणवत्ता और उपस्कर का अपर्याप्त अनुरक्षण।

(vii) कुछ राज्यों में समाज के कमजोर वर्गों को छोटे-छोटे घरेलू कनैक्शन प्रदान करना और कृषि पम्पों के लिए गैर-मीटरिकृत आपूर्ति।

(viii) ऊर्जा की चोरी।

विवरण-I

*रा०वि०बो०/विद्युत विभागों में वर्ष 1997-98* के दौरान रूपांतरण, पारेषण और वितरण घाटों की प्रतिशतता (वाणिज्यिक हानियों जैसे चोरी इत्यादि सहित)*

| क्षेत्र | रा०वि०बो०/विद्युत विभाग | 1997-98 |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| उत्तरी क्षेत्र | 1. हरियाणा | 33.40# |
| | 2. हिमाचल प्रदेश | 19.20 |
| | 3. जम्मू व कश्मीर | 47.48$ |
| | 4. पंजाब | 17.90 |
| | 5. राजस्थान | 26.46 |
| | 6. उत्तर प्रदेश | 25.00 |
| | 7. चंडीगढ़ | 14.95 |
| | 8. डीवीबी (दिल्ली) | 46.86# |
| पश्चिमी क्षेत्र | 1. गुजरात | 19.66 |
| | 2. मध्य प्रदेश | 19.08 |
| | 3. महाराष्ट्र | 17.73 |
| | 4. दादरा एवं नगर हवेली | एन०ए० |
| | 5. गोवा | 23.39 |
| | 6. दमन एवं दीव | 11.20 |
| दक्षिणी क्षेत्र | 1. आंध्र प्रदेश | 31.76 |
| | 2. कर्नाटक | 18.56 |
| | 3. केरल | 17.87 |
| | 4. तमिलनाडु | 17.00 |
| | 5. लक्षद्वीप | 15.83 |
| | 6. पांडिचेरी | 13.79 |
| पूर्वी क्षेत्र | 1. बिहार | 25.41 |
| | 2. उड़ीसा (ग्रिडको) | एन०ए० |
| | 3. सिक्किम | 20.13 |
| | 4. पश्चिम बंगाल | 20.34 |
| | 5. अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह | 20.51 |
| उत्तर-पूर्वी क्षेत्र | 1. असम | 30.05 |
| | 2. मणिपुर | 21.50$ |
| | 3. मेघालय | 17.93 |
| | 4. नागालैंड | 29.50$ |
| | 5. त्रिपुरा | 29.75 |
| | 6. अरुणाचल प्रदेश | 30.99$ |
| | 7. मिजोरम | 47.00$ |
| | (अखिल भार यूटिलिटीज) | 24.44 |

*रा०वि०बो०/विद्युत विभागों से प्राप्त आंकड़े अनंतिम हैं।

#संगणित आंकड़े।

$योजना आयोग के समक्ष प्रस्तुत वार्षिक योजना स्रोत प्रपत्रों के अनुसार एन०ए० रा०वि०बो०/विद्युत विभागों से सूचना प्राप्त नहीं हुई।

विवरण-II

*विकासशील देशों में पारेषण एवं वितरण हानियों की प्रतिशतता (सार्वजनिक यूटिलिटीज)*

| देश | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| अल्जीरिया | 18.51 | 15.07 | 16.32 | 13.31 | 17.10 | 17.50 |
| बांग्लादेश | 30.10 | 35.57 | 38.95 | 39.10 | 33.98 | 33.30 |
| बारबाडोस | 9.73 | 9.55 | 7.86 | 7.27 | 8.56 | 8.24 |
| बेलिजे | 11.11 | 9.80 | 9.80 | 9.35 | 9.35 | 9.35 |
| बोलिविया | 14.83 | 16.71 | 15.91 | 15.91 | 14.00 | 13.67 |
| ब्राजील | 13.70 | 13.62 | 14.67 | 14.13 | 14.43 | 15.26 |
| बुल्गारिया | 11.79 | 11.41 | 15.78 | 15.67 | 15.47 | 15.31 |
| चिली | 15.41 | 12.38 | 12.87 | 11.93 | — | — |
| चीन | 7.54 | 7.44 | 7.68 | - | 7.16 | 6.44 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कोलम्बिया | 24.25 | 23.70 | 22.94 | 20.48 | 22.74 | 23.29 |
| कोस्टारिका | 11.03 | 14.33 | 11.45 | 11.46 | 11.04 | 8.00 |
| क्यूबा | 18.05 | 18.44 | 16.82 | 15.99 | 16.10 | 16.10 |
| डामनिकन गणतंत्र | 34.01 | 41.04 | 42.87 | 42.48 | 38.81 | 38.80 |
| अल सल्वाडोर | 18.05 | 19.02 | 16.10 | 16.42 | 13.75 | 13.75 |
| फीजी | 9.76 | 9.88 | 12.32 | 13.58 | 14.63 | 14.94 |
| फ्रेंच गुयाना | 12.37 | 12.17 | 11.87 | 12.41 | 12.67 | 14.98 |
| ग्वाटेमाला | 16.08 | 16.67 | 15.65 | 15.36 | 18.01 | 16.43 |
| होंडूरास | 24.83 | 25.48 | 26.53 | 27.56 | 28.25 | 28.14 |
| इंडोनेशिया | 21.93 | 22.47 | 20.95 | 17.97 | 17.18 | 16.75 |
| जमैका | 19.35 | 17.90 | 18.71 | 20.66 | 25.17 | 24.28 |
| जार्डन | 10.99 | 10.07 | 10.51 | 11.00 | 10.43 | 9.94 |
| केन्या | 15.46 | 15.45 | 15.41 | 15.07 | 15.73 | 15.01 |
| कोरिया गणतंत्र | 5.93 | 5.49 | 5.50 | 5.66 | 5.48 | 5.51 |
| कुवैत (न्यूट्रल जोन भाग सहित) | 9.02 | 8.40 | एन०ए० | एन०ए० | एन०ए० | एन०ए० |
| मलेशिया | 11.05 | 8.71 | 12.13 | 7.89 | — | 9.55 |
| म्यांमार | 35.20 | — | 37.39 | 38.44 | 37.71 | 36.13 |
| नेपाल | 28.39 | 28.28 | 28.38 | 24.66 | 24.94 | 25.83 |
| निकारागुआ | 21.62 | 19.38 | 24.06 | 24.04 | 25.88 | 25.22 |
| पाकिस्तान | 20.64 | 21.35 | 20.55 | 22.94 | 22.89 | 23.60 |
| पेरू | — | — | 2.75 | 2.58 | 3.25 | 5.81 |
| फिलीपिंस | 16.10 | 13.79 | 13.54 | 17.23 | 17.70 | 17.29 |
| श्रीलंका | 17.26 | 16.78 | 18.25 | 16.89 | 17.28 | 17.82 |
| थाइलैंड | 10.20 | 10.85 | 11.08 | 10.67 | 8.41 | 9.90 |
| त्रिनिदाद टोबैगो | 11.77 | 9.09 | 13.43 | 9.55 | 8.87 | 9.31 |
| ट्यूनेशिया | 13.40 | 12.77 | 12.40 | 11.76 | 11.32 | 11.26 |
| उरूग्वे | 19.12 | 21.64 | 19.96 | 22.37 | 19.80 | 20.44 |
| वेनुजुएला | 17.80 | 21.73 | 17.70 | 17.10 | एन०ए० | एन०ए० |
| जिम्बाब्वे | 6.76 | 9.74 | 12.81 | 9.87 | 14.57 | 15.49 |
| भारत* | 23.28 | 22.89 | 22.83 | 21.80 | 21.41 | 21.13 |

टिप्पणी/स्रोत :

1. एनर्जी बैलेंस एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रोफाइल्स—यू०एन० पब्लिकेशन
2. के०वि०प्रा० द्वारा प्रकाशित जनरल रिव्यू
3. '—'/एन०ए० आंकड़े उपलब्ध नहीं/लागू नहीं
4. *वित्तीय वर्ष हेतु

*[हिन्दी]*

**पेट्रोलियम उत्पादों को भूमिगत मार्ग से पहुंचाना**

**2694. डा० सी० कृष्णन : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय और राज्य के राजमार्गों पर भारी यातायात जिसकी वजह से अत्यधिक विलंब होता है, को ध्यान में रखते हुए चेन्नई, कोयम्बटूर और टूटिकोरिन-मदुरई-त्रिची से भूमिगत मार्ग के जरिये पेट्रोलियम उत्पाद पहुंचाने की कोई योजनाएं हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में उक्त योजना को अंतिम रूप दे दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क)** से (घ) जी, नहीं। तथापि, पेट्रोनेट सी सी के लिमिटेड जो कि पेट्रोनेट इंडिया लि० और भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि० के बीच एक संयुक्त उद्यम है, 535 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिए कोचीन से करुर (वाया कोयम्बतूर) तक एक क्रास कंट्री पाइपलाइन बिछाने के लिए एक परियोजना का क्रियान्वयन कर रही है। इसके अलावा पेट्रोनेट सी टी एम लिमिटेड जो कि पेट्रोनेट इंडिया लिमिटेड और इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड के सहयोग से प्रवर्तित एक संयुक्त उद्यम कंपनी है, भी त्रिची के रास्ते चेन्नई से मदुरै तक 538.7 करोड़ रुपये की लागत से एक पाइपलाइन बिछा रही है।

**गुड़गांव में रसोई गैस डीलर**

**2695. श्री अशोक प्रधान : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हरियाणा के गुड़गांव जिले में रसोई गैस वितरकों का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान रसोई गैस वितरकों को सप्लाई किए गए रसोई गैस सिलिंडरों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जिले में रसोई गैस एजेंसियां रसोई गैस बुकिंग के बाद भरे हुए सिलिंडरों की सप्लाई करने में अनेक दिन लगाती हैं और सिलिंडरों में गैस की मात्रा भी कम होती है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा जिले में रसोई गैस वितरकों द्वारा बरती जा रही ऐसी अनियमितताओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क)** से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

**इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज**

**2696. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा : क्या संचार मंत्री यह** बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1999-2000 के दौरान गुजरात के अहमदाबाद और भावनगर जिलों में स्थापित होने वाले इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों की क्षमता और उसके स्थानों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन एक्सचेंजों के कब तक स्थापित हो जाने की संभावना है?

**संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क)** वर्ष 1999-2000 के दौरान गुजरात के अहमदाबाद तथा भावनगर जिलों के वे स्थान जहां इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज उनकी क्षमता सहित स्थापित करने का प्रस्ताव है, इस प्रकार हैं :

| क्रम सं० | एक्सचेंज | टाइप | निवल क्षमता |
|---|---|---|---|
| | **अहमदाबाद एसएसए** | | |
| 1. | गुलभाई टेकरा | ईडब्ल्यूएसडी | 6000 |
| 2. | नरोल | ई-10 बी | 3000 |
| 3. | कल्याणगढ़ | सी-डॉट | 256 |
| 4. | रिबड़ी | सी-डॉट | 256 |
| | **भावनगर एसएसए** | | |
| 1. | पिपावड़ी | सी-डॉट | 256 |
| 2. | टनसा | सी-डॉट | 256 |

**(ख)** इस वर्ष के दौरान ये एक्सचेंज चालू कर दिए गए हैं।

*[अनुवाद]*

**बेहतर टेलीफोन सुविधाएं**

**2697. श्री अनन्त नायक :**
**श्री भेरूलाल मीणा :**
**श्री रवीन्द्र कुमार पांडेय :**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समग्र देश में टेलीफोन उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो क्या महानगर टेलीफोन निगम लि० (एमटीएनएल) के निगमीकरण के पश्चात् भी शिकायतों को दूर करने के संबंध में एम टी एन एल अपने उपभोक्ताओं को संतोषजनक सेवा उपलब्ध कराने में सफल नहीं रहा है;

(ग) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान आज तक उपभोक्ता न्यायालयों तथा अन्य न्यायालयों ने कितने मामलों में एम टी एन एल पर दंड किया तथा सजा दी;

(घ) देश के विभिन्न टेलीकॉम सर्किलों में उक्त अवधि के दौरान ऐसे कितने मामले प्रकाश में आए;

(ङ) क्या सरकार ने टेलीफोन नेटवर्क की समीक्षा की है तथा इस संबंध में कोई निगरानी एजेंसी स्थापित किए जाने का विचार है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है; और

(छ) सरकार द्वारा लंबित शिकायतों को दूर करने हेतु की गई/प्रस्तावित कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

**संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) :** (क) दूरसंचार सेवा विभाग, टेलीफोन उपभोक्ताओं को काफी संतोषजनक सेवा प्रदान कर रहा है। तथापि, सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है।

(ख) सामान्यत: उपभोक्ताओं की शिकायतों का एम टी एन एल में शीघ्र निवारण हो जाता है। पिछले कुछ वर्षों से टेलीफोन उपभोक्ताओं को प्रदान की गई सेवा में नियमित रूप से सुधार हो रहा है।

(ग) उन मामलों की संख्या जिनमें पेनल्टी (अर्थ दंड) लगाई गई है और विभिन्न कोर्टों द्वारा एम टी एन एल को दी गई सजा का ब्यौरा निम्नानुसार है :

| दिल्ली | मुम्बई |
|---|---|
| 570 | 58 |

(घ) सभी दूरसंचार सर्किलों में 4813 मामले प्रकाश में आए।

(ङ) और (च) सरकार अपने उपभोक्ताओं को प्रदान करने वाली सेवाओं में सुधार के लिए टेलीफोन नेटवर्क के कार्य-निष्पादन और विकास की निरंतर पुनरीक्षा करती रहती है। जनता की शिकायतों के निवारण की निगरानी करने वाली एजेंसी फील्ड यूनिटों तथा साथ ही दूरसंचार मुख्यालय में विद्यमान है।

(छ) जन-शिकायत निवारण मशीनरी सभी स्तरों पर बहुत सक्रिय है और लंबित शिकायतों का तुरंत निवारण करती है। इसके अलावा जनता अपनी शिकायतों के लिए दो फोरम अर्थात् टेलीफोन अदालत और खुले सत्र में विभागीय अधिकारियों के साथ बातचीत करती है, जिनके बारे में अग्रणी समाचार पत्रों में विज्ञापित किया जाता है। इसके अलावा सभी कार्य-दिवसों पर कम-से-कम दो घंटों के लिए फील्डअधिकारी जनता के लिए उपलब्ध होते हैं।

*[हिन्दी]*

## समुद्री जीवों का संरक्षण

**2698. श्री चन्द्रेश पटेल :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन ऑयल कारपोरेशन की कच्चे तेल की पाइपलाइन में रिसाव के कारण 'कोरल-मेनग्रूज' जैसे समुद्री जीव बड़ी संख्या में मर गए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इससे कितनी हानि हुई;

(ग) इस संबंध में किन व्यक्तियों को जिम्मेदार पाया गया और उनके खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) भविष्य में ऐसी घटनाएं रोकने और पर्यावरण तथा समुद्री जीवों को बचाने के लिए क्या उपाय किए गए या किए जाने का प्रस्ताव है?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) :** (क) और (ख) जी नहीं, समुद्र में तेल के गिरने के कारण दो डाल्फिन और एक समुद्री कच्छुए की मौत के बारे में सूचना दी गई है।

(ग) अंडर वाटर सर्विसेज के दो अधिकारियों और इंडियन आयल कारपोरेशन का कार्य कर रहे एक ठेकेदार को गिरफ्तार किया गया था और उपयुक्त न्यायालय में मामला दर्ज कर दिया गया है।

(घ) गुजरात सरकार द्वारा तट रक्षक को बिखरे तेल के प्रबंध की योजना तैयार करने का अनुरोध किया है और इसे 31.2.2000 तक प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।

*[अनुवाद]*

## तकनीकी-आर्थिक मंजूरी से परियोजनाओं को छूट

**2699. श्री अनंत गुढे :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार निवेश संबंधी निर्णयों के विकेन्द्रीकरण और इनमें तेजी लाने के लिए 5000 करोड़ रुपये तक की परियोजनाओं को तकनीकी-आर्थिक मंजूरी से छूट देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) नौकरशाही के कारण विलंब या केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण और स्वायत्त निजी विद्युत उत्पादकों के बीच मतभेद के कारण रुकी हुई विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) चालू परियोजनाओं विशेषकर महाराष्ट्र की परियोजनाओं के पूरा होने को सुनिश्चित करने के लिए वर्तमान वर्ष में क्या कार्य योजना तैयार की गई है?

**विद्युत मंत्री तथा खान और खनिज मंत्री (श्री पी०आर० कुमारमंगलम) :** (क) और (ख) सरकार ने विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 (1948 का 54) की धारा 29 के उप-धारा (1) के द्वारा प्रदत्त की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए अन्य बातों के साथ-साथ उन ताप विद्युत उत्पादन केन्द्रों से संबंधित स्कीमों को मुक्त कर दिया है जिन्हें विद्युत उत्पादन कंपनियों द्वारा तैयार किया गया हो, जिन्हें प्रतिस्पर्धात्मक बोली के माध्यम से चुना गया हो, जिनकी अनुमानित पूंजीगत परिव्यय 5000 करोड़ रु० तक की है तथा जो दिनांक 30.3.1992 के टैरिफ अधिसूचना के 23.5.1997 के संशोधन में अधिसूचित तथ्यों के अनुरूप हों, जो केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण से सहमति प्राप्त करने के संबंध में है। वैसी पूंजीगत लागत सीमा, जिसके बाद विभिन्न स्कीमों के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की सहमति अपेक्षित है, समय-समय पर उदारीकरण नीति तथा शक्ति का प्रत्यायोजन एवं अन्य कारणों जैसे प्रतिस्पर्धात्मक बोली, जो निजी क्षेत्र को विद्युत उत्पादन परियोजना प्रदान करने एवं बहुस्तरीय जांच प्रक्रिया को छोड़कर परियोजनाओं के द्रुत विकास के लिए अनिवार्य हैं, के कारण बढ़ाई जाती रही है।

(ग) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में कोई भी निजी क्षेत्र विद्युत परियोजना नौकरशाही विलंबों से स्थगित नहीं है। संबंधित परियोजना प्रवर्तकों द्वारा आवश्यक निवेशों/स्वीकृतियों को सुनिश्चित करने के शीघ्र बाद परियोजनाओं पर तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति हेतु विचार किया जाता है।

(घ) ताप एवं जल विद्युत उत्पादन के लगभग 4245 मेगावाट की कुल क्षमता को वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान चालू किया जाना था, जिसमें से लगभग 2907 मेगावाट (31.1.2000 तक) को पहले ही चालू कर दिया गया है। इसके अलावा 48 मेगावाट के अतिरिक्त क्षमता को भी चालू किया जा चुका है, जिसे निर्धारित क्षमता अभिवृद्धि में शामिल नहीं किया गया था। महाराष्ट्र राज्य में वित्तीय वर्ष 1999-2000 के दौरान कोई भी ताप विद्युत परियोजना चालू नहीं की जानी है। महाराष्ट्र में विचाराधीन अवधि के दौरान 12 मेगावाट की दो यूनिटों को, प्रत्येक दूधगंगा जल विद्युत परियोजना के निकट तथा 250 मेगावाट के दो यूनिटों को प्रत्येक कोयना चरण-IV जल विद्युत परियोजना के निकट चालू किया जाना था। इन चारों परियोजनाओं के निकट वाले 250 मेगावाट के एक यूनिट को वर्तमान वित्तीय वर्ष में समय-विस्तारित करने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिसे आरंभ में अगले वर्ष, अर्थात् 2000-2001 के दौरान चालू करना निर्धारित था।

## डाक सुविधाएं

2700. श्री प्रभात सामन्तराय : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उड़ीसा के केन्द्रपाड़ा जिले में एक अलग डाक प्रभाग स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) उक्त जिले के कितने पंचायत मुख्यालयों में डाकघर नहीं हैं;

(ङ) उक्त जिले में डाकघर की शाखाएं खोलने के बारे में कितने अभ्यावेदन सरकार के पास लंबित पड़े हैं; और

(च) जिले के सभी पंचायत मुख्यालयों में डाकघर खोलने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) केन्द्रपाड़ा में एक अलग डाक डिवीजन बनाने के प्रस्ताव की जांच की गई थी तथा प्रशासनिक मानदंडों के अनुसार इसे औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया।

(घ) केन्द्रपाड़ा जिले में जिन पंचायत मुख्यालयों में डाकघर नहीं हैं, उनकी संख्या 60 (साठ) है।

(ङ) केन्द्रपाड़ा जिले से शाखा डाकघर खोलने के लिए सरकार के पास लंबित अभ्यावेदनों की संख्या 14 (चौदह) है।

(च) डाकघर संसाधन उपलब्ध रहने तथा जनसंख्या, मौजूदा डाकघर से दूरी एवं अनुमानित आय पर आधारित विभागीय मानदंडों के पूरा होने पर खोले जाते हैं।

## कश्मीर घाटी में डीलरशिप के लिए आवेदन

2701. श्री अवतार सिंह भडाना : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तेल निगम ने बेरोजगार युवकों को प्राथमिकता देते हुए वर्ष 1998 में कश्मीर घाटी में नये डीलरशिप के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या भारतीय तेल निगम ने इन आवेदनों को लगभग दो वर्षों से भी अधिक समय तक अधर में लटकाए रखा है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या निगम का विचार नए डीलरशिप के लिए पहले आमंत्रित किए गए आवेदनों को नजरअंदाज करते हुए पुराने डीलरों को ही नई डीलरशिप देने का है; और

(च) यदि हां, तो इन डीलरशिपों के आबंटन हेतु निगम के पास पहले ही लंबित आवेदनों का क्या होगा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (घ) इंडियन आयल कारपोरेशन ने 1998 में श्रीगनर जिले में 2 खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपें और कश्मीर घाटी में बड़गांव, पुलवामा और अनंतनाग प्रत्येक जिले में एक खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिप विज्ञापित की है। विज्ञापित किए गए स्थानों के लिए साक्षात्कारों सहित चयन प्रक्रिया आम चुनावों की घोषणा और आदर्श आचार संहिता के लागू होने के कारण जुलाई, 1999 से रोक दी गई है। डीलर चयन बोर्डों को हाल ही में भंग कर दिया गया है। इसलिए तेल कंपनियों द्वारा विज्ञापित स्थानों के लिए चयन प्रक्रिया पूरी नहीं की जा सकी।

(ङ) जी, नहीं।

(च) नए डीलर चयन बोर्डों द्वारा उनके गठन के बाद, लंबित आवेदनों पर विचार किया जाएगा।

## मुख्य संस्थानों का विलय

2702. श्री महबूब जाहेदी : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स एकाउंटस ऑफ इंडिया, दि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेन्ट्स ऑफ इंडिया और दि इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेट्रीज ऑफ इंडिया जैसे मुख्य संस्थानों का विलय करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री राम जेठमलानी) : (क) जी, नहीं। सरकार का इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स एकाउंटेन्ट्स ऑफ इंडिया, दि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेन्ट्स ऑफ इंडिया और दि इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेट्रीज ऑफ इंडिया जैसे मुख्य संस्थानों का विलय करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

### मिट्टी के तेल की परीक्षण प्रयोगशालाएं

2703. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्रीय मंत्री से मिट्टी के तेल की गुणवत्ता की जांच करने के लिए रामदेव बाबा इंजीनियरिंग कॉलेज और लक्ष्मीनारायण प्रौद्योगिकी संस्थान, नागपुर में दो प्रयोगशालाएं स्थापित करने के अनुरोध को स्वीकार करने का निवेदन किया है; और

(ख) यदि हां, तो यह स्वीकृति कब तक दिए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्र सरकार से रामदेव बाबा इंजीनियरिंग कॉलेज और लक्ष्मीनारायण इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालाजी, नागपुर में प्रयोगशालाओं को मोटर स्पिरिट और हाई स्पीड डीजल (आपूर्ति और वितरण का विनियमन और कदाचारों की रोकथाम) आदेश, 1998 के अंतर्गत प्राधिकृत प्रयोगशालाओं के रूप में शामिल करने का अनुरोध किया है। राज्य सरकार को आगे की कार्रवाई किए जाने से पहले उपर्युक्त प्रयोगशालाओं के लिए भारतीय मानक ब्यूरो (बी आई एस) प्रमाणन प्राप्त करने की सलाह दी गई है।

*[हिन्दी]*

### बिहार में केबलों की कमी

2704. श्री राजो सिंह : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में विशेषरूप से शेखपुरा, लक्खीसराय, बेगुसराय और जमुई जिलों स्थित टेलीफोन एक्सचेंजों में केबलों और अन्य मूलभूत सामग्री की कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा पर्याप्त केबलों आदि की सप्लाई करने और इस प्रयोजन के लिए अनिवार्य धनराशि जारी करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त 'क' को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) 11 लाख कंडक्टर कि०मी० केबल का पहले से ही प्रापण कर लिया गया है तथा चालू वित्त वर्ष के दौरान सभी एक्सचेंजों की मांग को पूरा करने के लिए 2 लाख कंडक्टर कि०मी० अतिरिक्त केबल की खरीद की जा रही है। अपेक्षानुसार धनराशि उपलब्ध करा दी गई है।

*[अनुवाद]*

### उदुलकोरेहल्ला परियोजना

2705. श्री जी०एस० बसवराज : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने उदुलकोरेहल्ला परियोजना की मंजूरी के लिए एक प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने अभी तक प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी है;

(घ) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं; और

(ङ) इसे कब तक मंजूरी दी जाएगी?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) और (ख) जी, नहीं। कर्नाटक सरकार ने उदुलकोरेहल्ला परियोजना को मंजूरी दिए जाने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं भेजा है। तथापि, अज्जापुरा, कोलेगल तालुक, जिला मैसूर में उड्डुथोरेहल जलाशय परियोजना के निर्माण के लिए 183.60 हेक्टेयर वन भूमि को उपयोग में लाने का एक प्रस्ताव कर्नाटक राज्य सरकार से दिसंबर, 1994 में प्राप्त हुआ था।

(ग) से (ङ) जांच करने पर इस प्रस्ताव को लागत लाभ विश्लेषण, विस्तृत कैचमेंट क्षेत्र सुधार योजना तथा परियोजना प्राधिकारियों के द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उल्लंघन के ब्यौरे के संबंध में अपूर्ण पाया गया था। राज्य सरकार से प्रस्ताव के संबंध में इन कमी वाले एवं जरूरी ब्यौरों को भिजवाने के लिए जनवरी, 1995 में लिखा गया था। राज्य सरकार ने पूरी सूची अगस्त, 1999 में ही भेजी थी।

इस प्रस्ताव पर वन सलाहकार समिति द्वारा 28.9.1999 को चर्चा की गई थी जो कि वन संरक्षण अधिनियम, 1980 की धारा-3 के अंतर्गत गठित एक सांविधिक समिति है। समिति का विचार था कि वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के कुछ उपबंधों का उल्लंघन होना प्रतीत होता है और इस मामले को राज्य सरकार स्पष्ट रूप से सामने नहीं ला पाई है। समिति ने सिफारिश की थी कि इस मामले पर मंत्रालय के बंगलौर स्थित क्षेत्रीय कार्यालय से प्रस्ताव पर निर्णय लेने से पहले एक रिपोर्ट मांगी जाए।

क्षेत्रीय कार्यालय, बंगलौर ने अपनी रिपोर्ट 29.2.2000 को प्रस्तुत की है। इस प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय लिए जाने से पहले शीघ्र ही वन सलाहकार समिति की बैठक में चर्चा किए जाने की संभावना है।

### पत्तन कर्मचारियों के लिए सुरक्षा मानक

2706. श्री सुल्तान सल्लाउद्दीन ओवेसी : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की पत्तनों में कर्मचारियों के लिए अपर्याप्त सुरक्षा उपायों के बारे में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या उन पत्तन कर्मचारियों के लिए सुरक्षा मानक अपनाने की जरूरत है जो खतरनाक सामग्रियों को चढ़ाने-उतारने का काम करते हैं;

(ग) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है; और

(घ) विशाखापत्तनम पत्तन में कौन-से सुरक्षा उपाय किए गए हैं?

**जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देबेन्द्र प्रधान) :** (क) से (ग) महापत्तनों में कामगारों की सुरक्षा के लिए गोदी कामगार (सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण) अधिनियम, 1986 के उपबंधों और उनके अधीन बनाए गए विनियमों के अनुसार पर्याप्त सुरक्षा उपाय किए जाते हैं। खतरनाक कार्गो हैंडल करते समय यथोचित सावधानी रखी जाती है और सुरक्षा संबंधी पूर्वोपाय किए जाते हैं और जब कभी कोई कमी नजर आती है तो सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं।

(घ) पत्तन कामगारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशाखापत्तनम पत्तन न्यास द्वारा अपनाए जा रहे सुरक्षा उपायों में भारतीय मानक ब्यूरो के अनुसार व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों की आपूर्ति, गोदी क्षेत्र में सभी स्थानों पर पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था, गोदी क्षेत्र में वाहनों की गति पर लगाए गए प्रतिबंध, सहायक निदेशक (सुरक्षा) द्वारा जलयान के गियर पर निगरानी, कामगारों को प्राथमिक चिकित्सा का प्रशिक्षण, गोदी कामगार (सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण) विनियमावली, 1990 के अनुसार अग्निशमन और पत्तन कार्गो हैंडलिंग उपकरण की स्थिति की जांच आदि शामिल हैं।

### मैरिन कॉलेज का निजीकरण

**2707. श्री समीक लाहिड़ी :** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार, एम०ई०आर०आई०, कलकत्ता तथा अन्य सरकार/सरकार द्वारा प्रायोजित मैरिन कॉलेजों का निजीकरण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं?

**जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देबेन्द्र प्रधान) :** (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

*[हिन्दी]*

### विश्व बैंक से सहायता प्राप्त विद्युत परियोजनाएं

**2708. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में फिलहाल विश्व बैंक से सहायता प्राप्त राज्य-वार विद्युत परियोजनाओं के नाम और इनका ब्यौरा क्या है;

(ख) इन पर कितना व्यय होने का अनुमान है; और

(ग) ये परियोजनाएं कब तक पूरी हो जाएंगी?

**विद्युत मंत्री तथा खान और खनिज मंत्री (श्री पी०आर० कुमारमंगलम) :** (क) और (ख) देश में विश्व बैंक से सहायता प्राप्त विद्युत परियोजनाओं की संबंधित राशि का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

| क्रम सं० | परियोजना का नाम | क्रियान्वयन एजेंसी/ राज्य | स्वीकृत ऋण राशि (मिलियन अमरीकी डॉलर में) |
|---|---|---|---|
| | राज्य | | |
| 1. | उड़ीसा विद्युत पुनर्स्थापन परियोजना | उड़ीसा | 350 |
| 2. | हरियाणा विद्युत पुनर्स्थापन परियोजना (एपीएल) | हरियाणा | 60 |
| 3. | आंध्र प्रदेश विद्युत पुनर्स्थापन परियोजना (एपीएल) | आंध्र प्रदेश | 210 |
| *4. | महेश्वर विद्युत परियोजना (कोयना) *ऋण बंद | महाराष्ट्र | 337.3 |
| | केन्द्रीय (बहुराज्यीय परियोजनाएं) | | |
| 5. | उत्तरी भारत पारेषण प्रणाली | पावरग्रिड | 415 |
| 6. | पीएसडीपी-I | पावरग्रिड | 275 |
| 7. | नाथपा-झाकरी एचईपी | एनजेपीसी | 485 |

(ग) राज्य क्षेत्र परियोजनाओं को ऋण समझौते पर हस्ताक्षर होने के 6 से 10 वर्ष में उत्तरोत्तर खेपों में पूरा किए जाने की संभावना है। उपर्युक्त क्रम संख्या (ख) में 5, 6 और 7 के सम्मुख दर्शाए गए तीनों केन्द्रीय क्षेत्र परियोजनाओं को चालू करने का संभावित समय मार्च, 2000 है।

### जनजातियों में वन-संरक्षण के प्रति जागरूकता

**2709. प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु :** क्या पर्यावरण एवं वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जनजातियों और वनवासियों में वन-संरक्षण के महत्व संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस मुद्दे पर बहुत कम संसाधनों का उपयोग किया है; और

(घ) यदि हां, तो वन-संरक्षण कार्य के ऐसे महत्वपूर्ण पक्ष की उपेक्षा करने के क्या कारण हैं?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) :** (क) से (घ) जी, हां। राष्ट्रीय वन नीति, 1988 के प्रावधानों

के अनुसार भारत सरकार ने संयुक्त वन प्रबंधन (जे०एफ०एम०) कार्यक्रम के तहत अवक्रमित वनों की सुरक्षा और पुनरुद्धार में जनजातियों और वनवासियों सहित समुदायों की भागीदारी के संबंध में 1 जून, 1990 को राज्य सरकारों को दिशानिर्देश जारी किए हैं। संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम को अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए सरकार ने कार्यक्रम की पुनरीक्षा के पश्चात् 21 फरवरी, 2000 को राज्य सरकारों को नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। इस कार्यक्रम के तहत 36,075 संयुक्त वन प्रबंधन समितियां देश के 22 राज्यों में 10.24 मिलियन हैक्टेयर वन की सुरक्षा कर रही हैं। आदिवासियों और आर्थिक रूप से कमजोर ग्रामीणों के सहयोग से अवक्रमित वन भूमि की बहाली के लिए "लाभ में समान हिस्सेदारी के आधार पर अवक्रमित वनों की बहाली में आदिवासियों और आर्थिक रूप से कमजोर ग्रामीणों की सहभागिता" पर एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम देश के 14 राज्यों में कार्यान्वित की जा रही है।

**बेल्लारी में पेट्रोल बिक्री केन्द्र**

2710. **श्री कोलूर बासवनगौड़ :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान में कर्नाटक जिले के बेल्लारी में कुल कितने खुदरा पेट्रोल बिक्री केन्द्र हैं और वर्ष 2000-2001 के दौरान कितने बिक्री केन्द्र खोले जाने का विचार है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) :** फिलहाल कर्नाटक में बेल्लारी जिले में 38 खुदरा बिक्री डीलरशिप प्रचालनरत हैं। जिला बेल्लारी के लिए वर्तमान विपणन योजना 1996-98 में दो और खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिप शामिल की गई हैं।

**बदरपुर ताप विद्युत स्टेशन को कोयले की आपूर्ति**

2711. **श्रीमती श्यामा सिंह :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बदरपुर ताप विद्युत स्टेशन को घटिया किस्म के कोयले की आपूर्ति की जा रही है जिसके परिणामस्वरूप विद्युत उत्पादन में बाधा आ रही है और अत्यधिक प्रदूषण फैल रहा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा बदरपुर ताप विद्युत स्टेशन को केवल अच्छी किस्म के कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित करने के संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए जाने का प्रस्ताव है?

**विद्युत मंत्री तथा खान और खनिज मंत्री (श्री पी०आर० कुमारमंगलम) :** (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

**एस्कॉर्ट फाइनेंस लिमिटेड के खिलाफ शिकायतें**

2712. **श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :** क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को एस्कॉर्ट फाइनेंस लिमिटेड, फरीदाबाद/नई दिल्ली के खिलाफ लोगों से जमा की गई राशि पर ब्याज का भुगतान न करने और मूल जमा राशि को वापस न करने के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान इस संबंध में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ग) कंपनी के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है?

**विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री राम जेठमलानी) :** (क) से (ग) गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एन बी एफ सीज्) के कार्य भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित किए जाते हैं। कंपनी विधि बोर्ड को गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा निक्षेपों के पुनर्भुगतान में चूक किए जाने की स्थिति में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 45 क्यू ए के अंतर्गत आदेश पारित करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं। कंपनी विधि बोर्ड के आदेशों के गैर-अनुपालन के मामले में, भारतीय रिजर्व बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 58ङ के अंतर्गत गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के विरुद्ध शास्तिक कार्रवाई करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

गत तीन वर्षों में मैसर्स एस्कॉर्टस फाइनेंस लिमिटेड के विरुद्ध कंपनी विधि बोर्ड को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

**आंध्र प्रदेश में पेट्रोल और डीजल बिक्री केन्द्र खोलना**

2713. **श्री ए० ब्रह्मनैया :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2000-2001 के दौरान आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में कितने नए डीजल और पेट्रोल बिक्री केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या इस संबंध में कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) :** (क) से (ग) तेल कंपनियां तेल उद्योग के परिमाण दूरी मानकों के अनुसार खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपें स्थापित करने के लिए आर्थिक रूप से व्यवहार्य स्थानों की पहचान करने के लिए आवधिक तौर पर सर्वेक्षण करती हैं। पिछली विपणन योजनाओं से लंबित स्थानों के अलावा, कृष्णा जिला (आंध्र प्रदेश) के लिए 2 खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशीपें वर्तमान विपणन योजना 1996-98 में शामिल की गई हैं। डीलरशिपों/डिस्ट्रीब्यूटरशिपों को चालू होने में साक्षात्कार की तारीख से सामान्यतया लगभग 6-12 माह लग जाते हैं।

**आंध्र प्रदेश में एल०पी०जी० उपभोक्ताओं की उपेक्षा**

2714. **श्री गंता श्रीनिवास राव :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम जिले के एल०पी०जी० उपभोक्ताओं की उपेक्षा की है;

(ख) तेल कंपनियों में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन की आदर्श उपभोक्ता कैम्प को लागू करने का किस हद तक प्रयास किया है;

(ग) क्या सरकार, उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण के लिए हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन द्वारा अपनाई जा रही प्रणाली को अपनाने के लिए सभी तेल कंपनियों को निर्देश देगी;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) विशेषकर विशाखापट्टनम में एल०पी०जी० सेवा में सुधार लाने हेतु कौन से कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) :** (क) से (ङ) सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम तेल कंपनियों के अधिकारियों के द्वारा उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं पर नियमित रूप से ध्यान दिया जाता है। उपभोक्ताओं के साथ सहज संपर्क सुसाध्य बनाने के लिए प्रत्येक तेल विपणन कंपनी के पास अपने कार्यक्रम/कार्यनीतियां हैं। संबंधित तेल कंपनी के बिक्री अधिकारी वितरकों के पास दौरा करते हैं; ऐसे दौरों के दौरान प्राप्त की गई शिकायतों की सुनवाई की जाती है तथा इन शिकायतों का सामान्यतया समाधान किया जाता है।

हिन्दुस्तान पेट्रोलियन कारपोरेशन लिमिटेड (एच०पी०सी०एल०) ने एल०पी०जी० वितरकों, उपभोक्ता संगठनों तथा संबंधित राज्य सरकारों के संबंधित कानून नियामक प्राधिकारियों के साथ-साथ एल०पी०जी० उपभोक्ताओं के साथ संपर्क स्थापित करने की प्रणाली प्रारंभ की है। कंपनी ने आंध्र प्रदेश के विसाख क्षेत्र में ऐसे कार्यक्रम चलाए हैं।

### सेल्यूलर सेवा प्रदान करने संबंधी लाइसेंसों को रद्द किया जाना

2715. **श्री नरेश पुगलिया :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरसंचार विभाग ने कुछ सेल्यूलर सर्किलों में सेल्यूलर सेवा प्रदान करने संबंधी लाइसेंसों को रद्द करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं?

**संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) :** (क) से (ग) अधिकांश सेल्यूलर लाइसेंसधारक लाइसेंस शुल्क के बकाया का भुगतान नहीं कर रहे थे तथा उन्होंने अन्य बातों के साथ-साथ उनकी परियोजनाओं की अव्यवहार्यता, धन की कमी तथा सरकारी निपटानों में कथित विलंब जैसे विभिन्न आधारों पर लाइसेंस शुल्क के भुगतानों के संबंध में अधिस्थगन लाइसेंस की अवधि के विस्तार इत्यादि जैसे कई राहत उपाय किए हैं। सरकार ने एक अंतरिम (प्रो-टेम) उपाय के रूप में, लाइसेंसधारकों से, उनकी सदाशयता को सिद्ध करने के लिए, उन पर 28.2.99 तक बकाया लाइसेंस शुल्क की कम से कम 20% धनराशि का, दिनांक 25.1.99 तक, भुगतान करने को कहा है। इसके बावजूद, कुछ लाइसेंसधारक अपनी बकाया धनराशि 20% का भुगतान करने में असफल रहे तथा निम्नानुसार छः लाइसेंस निरस्त कर दिए गए :

(i) मै० कौशिका टेलीकॉम के बिहार, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश (पश्चिम) सर्किल के लाइसेंस, सभी तीन लाइसेंस दिनांक 22.5.99 को निरस्त कर दिए गए थे।

(ii) मै० एयरसेल डिजीलिंक के हरियाणा तथा राजस्थान सर्किल के लाइसेंस, दोनों लाइसेंस दिनांक 22.5.99 को निरस्त कर दिए गए।

(iii) मै० जे०टी० मोबाइल्स का पंजाब सर्किल का लाइसेंस, लाइसेंस को 15.7.1999 को निरस्त कर दिया गया था।

### वाहनों के लिए प्रदूषण संबंधी मानदंड

2716. **श्री शिवाजी विट्ठलराव काम्बले :** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई राज्यों में कानूनी प्रावधानों और उच्च न्यायालयों के निर्णय के बावजूद देश के प्रमुख नगरों, महानगरों में वाहनों के लिए अभी तक प्रदूषण संबंधी नए मानदंड लागू नहीं किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इससे संबंधित तथ्य क्या हैं;

(ग) प्रदूषण संबंधी नए मानदंडों पर ट्रांसपोर्टरों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) समस्या के सकारात्मक निदान के लिए की जाने वाली पहल का ब्यौरा क्या है?

**जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देबेन्द्र प्रधान) :** (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इस मंत्रालय में ऐसा कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) यानीय प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार ने निम्नलिखित उपाय किए हैं :

(i) परिवहन वाहनों सहित विभिन्न प्रकार के वाहनों के लिए सन् 1990 में उत्सर्जन मानक लागू किए गए थे और बाद में इन्हें संशोधित करके 1992, 1996 और 2000 से कड़े मानक लागू किए गए। चार पहिया वाले वाहनों के लिए जिनका सकल वाहन भार 3.5 टन तक हो, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में 1.4.2000 से लागू उत्सर्जन मानक (भारत स्टेज II—यूरो II मानकों के समान) दिनांक 31.1.2000 की अधिसूचना संख्या सा०का०नि० संख्या 77(अ.) के तहत अधिसूचित किए जा चुके हैं।

(ii) चार महानगरों और देश के 45 अन्य शहरों में पेट्रोल चालित चार पहिया वाले वाहनों का पंजीकरण तभी किया जाएगा जब उनमें कैटेलिटिक कन्वर्टर लगा हो। कैटेलिटिक कन्वर्टर लगे वाहन कैटेलिटिक कन्वर्टर रहित वाहनों की तुलना में 50% कम उत्सर्जन छोड़ते हैं।

(iii) संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सी एन जी) से चलने वाले वाहनों के लिए अलग उत्सर्जन मानक भी अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 99(अ.) दिनांक 9.2.2000 को अधिसूचित किए जा चुके हैं।

(iv) अधिसूचना संख्या सा०का०नि 627(अ.) दिनांक 8.9.99 के तहत कृषि ट्रैक्टरों के लिए भी उत्सर्जन मानक अधिसूचित किए जा चुके हैं।

## भारतीय दूर-संचार विनियामक प्राधिकरण को वित्तीय स्वायत्तता

2717. **श्री के० येरननायडू** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय दूर-संचार विनियामक प्राधिकरण ने वित्तीय स्वायत्तता की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

**संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर)** : (क) जी, नहीं। फिलहाल ऐसा कोई अनुरोध लंबित नहीं है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

## दूरसंचार सुविधाएं

2718. **श्री चन्द्र भूषण सिंह** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष 1998-1999 से आज तक टेलीफोन एक्सचेंज, एसटीडी/आईएसडी/पीसीओ बूथ और टेलीफोन कनेक्शन संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) आज तक टेलीफोन कनेक्शन एसटीडी/आईएसडी/पीसीओ बूथ स्थापित करने के लिए कितने आवेदन लंबित पड़े हैं;

(ग) उक्त आवेदन कब तक निपटा दिए जाएंगे; और

(घ) देश में वर्ष 1999-2000 के दौरान जितने उक्त एक्सचेंजों, बूथों और टेलीफोन कनेक्शनों को स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है उनका राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

**संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर)** : (क) वर्ष 1998-99 के दौरान 1337 ग्रामीण एक्सचेंज लगाए गए थे। वर्ष 1999-2000 के दौरान, 29.2.2000 तक 1011 ग्रामीण टेलीफोन एक्सचेंज तथा 8.2 लाख टेलीफोन उपलब्ध कराए गए। राज्य-वार आंकड़े संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं। वर्ष 1998-99 में दिए गए टेलीफोनों के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है।

ग्रामीण क्षेत्रों में एसटीडी/आईएसडी/पीसीओ बूथों के लिए अलग से आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। तथापि, पूरे देश में वर्ष 1998-99 के दौरान 92740 तथा वर्ष 1999-2000 के दौरान 31.1.2000 तक 42391 एसटीडी/आईएसडी/पीसीओ बूथ प्रदान किए गए थे। राज्यवार सूचना संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(ख) देश में 1.3.2000 की स्थिति के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोनों के लिए प्रतीक्षा-सूची में 17.6 लाख आवेदन दर्ज हैं। देश में एसटीडी/आईएसडी/पीसीओ बूथों के लिए कुल लगभग 1.75 लाख आवेदन लंबित पड़े हैं।

(ग) टेलीफोनों तथा एसटीडी/आईएसडी/पीसीओ बूथ उपलब्ध कराना एक सतत प्रक्रिया है। सरकार की योजना वर्ष 2002 तक मांग पर टेलीफोन उपलब्ध कराने की है।

(घ) वर्ष 1999-2000 के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में 1902 नए टेलीफोन एक्सचेंज तथा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 82,135 एसटीडी/आईएसडी/पीसीओ बूथ उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। सर्किल-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन कनेक्शन के लिए अलग से कोई लक्ष्य नहीं हैं। तथापि, वर्ष 1999-2000 के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 10 लाख टेलीफोन कनेक्शन देने की संभावना है।

### विवरण-I

*वर्ष 1998-99 के दौरान तथा आज की तारीख तक (29.2.2000 तक) प्रदान किए गए ग्रामीण टेलीफोन एक्सचेंजों तथा वर्ष 1999-2000 के दौरान (29.2.2000 तक) प्रदान किए टेलीफोन कनेक्शनों की राज्य-वार संख्या*

| क्रम सं० | सर्किल/राज्य | 1998-99 ग्रामीण टेलीफोन एक्सचेंज | 1999-2000 ग्रामीण टेलीफोन एक्सचेंज | (29.2.2000 तक) टेलीफोन कनेक्शन |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 59 | 145 | 153068 |
| 2. | अंडमान तथा निकोबार | 3 | 1 | 21461 |
| 3. | असम | 48 | 28 | 43832 |
| 4. | बिहार | 32 | 19 | 15896 |
| 5. | गुजरात | 72 | 66 | 54069 |
| 6. | हरियाणा | 63 | 23 | 27047 |
| 7. | हिमाचल प्रदेश | 34 | 39 | 26508 |
| 8. | जम्मू एवं कश्मीर | 6 | 4 | 2339 |
| 9. | कर्नाटक | 61 | 48 | 100273 |
| 10. | केरल | 33 | 35 | 127368 |
| 11. | मध्य प्रदेश | 39 | 25 | 7659 |
| 12. | महाराष्ट्र | 208 | 195 | 62000 |
| 13. | गोवा | 3 | 3 | 900 |
| 14. | अरुणाचल प्रदेश | 13 | 2 | 2742 |
| 15. | मणिपुर | 2 | 1 | 637 |
| 16. | मेघालय | 9 | 0 | 1537 |
| 17. | मिजोरम | 3 | 1 | 556 |
| 18. | नागालैंड | 1 | 0 | 599 |
| 19. | त्रिपुरा | 5 | 1 | 938 |
| 20. | उड़ीसा | 26 | 11 | 12875 |
| 21. | पंजाब | 93 | 15 | 31833 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 22. | राजस्थान | 138 | 76 | 33246 |
| 23. | तमिलनाडु | 50 | 42 | 12058 |
| 24. | उत्तर प्रदेश (पूर्व) | 174 | 119 | 25469 |
| 25. | उत्तर प्रदेश (पश्चिम) | 61 | 75 | 56000 |
| 26. | पश्चिम बंगाल | 93 | 35 | 56400 |
| 27. | सिक्किम | 8 | 2 | 3200 |
| | जोड़ | 1337 | 1011 | 820910 |

**विवरण-II**

*1998-99 के दौरान तथा 1999-2000 के दौरान 31.1.2000 तक प्रदान किए गए एसटीडी/आईएसडी/पीसीओ बूथों की संख्या*

| क्रम सं० | सर्किल/राज्य | 1998-99 | 1999-2000 (31.1.2000 तक) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 10048 | 12775 |
| 2. | अंडमान और निकोबार | 76 | 54 |
| 3. | असम | 980 | 1204 |
| 4. | बिहार | 2329 | 3132 |
| 5. | गुजरात | 6008 | 7910 |
| 6. | हरियाणा | 1241 | 2467 |
| 7. | हिमाचल प्रदेश | 454 | 580 |
| 8. | जम्मू और कश्मीर | 408 | 701 |
| 9. | कर्नाटक | 5259 | 5100 |
| 10. | केरल | 2433 | 3021 |
| 11. | मध्य प्रदेश | 4758 | 2769 |
| 12. | महाराष्ट्र | 10282 | 7733 |
| 13. | उत्तर पूर्व | 830 | 449 |
| 14. | उड़ीसा | 888 | 844 |
| 15. | पंजाब | 3162 | 2081 |
| 16. | राजस्थान | 4887 | 2172 |
| 17. | तमिलनाडु | 3199 | 2167 |
| 18. | उत्तर प्रदेश (पूर्व) | 8096 | 6239 |
| 19. | उत्तर प्रदेश (पश्चिम) | 2276 | 3412 |
| 20. | पश्चिम बंगाल | 2357 | 2695 |
| 21. | कलकत्ता | 5013 | 4299 |
| 22. | चेन्नई | 2046 | 6785 |
| 23. | एमटीएनएल दिल्ली | 4121 | 1442 |
| 24. | एमटीएनएल मुंबई | 10689 | 12360 |
| | जोड़ | 92740 | 92391 |

**विवरण-III**

*1999-2000 के लिए ग्रामीण टेलीफोन एक्सचेंजों तथा एसटीडी/आईएसडी/पीसीओ बूथों (ग्रामीण तथा शहरी) के लक्ष्य*

| क्रम सं० | सर्किल/राज्य | ग्रामीण एक्सचेंज | एसटीडी/आईएसडी/पीसीओ बूथ |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 270 | 8500 |
| 2. | अंडमान और निकोबार | 6 | 50 |
| 3. | असम | 40 | 1100 |
| 4. | बिहार | 56 | 4000 |
| 5. | गुजरात | 100 | 4500 |
| 6. | हरियाणा | 60 | 1300 |
| 7. | हिमाचल प्रदेश | 48 | 300 |
| 8. | जम्मू और कश्मीर | 24 | 450 |
| 9. | कर्नाटक | 83 | 4600 |
| 10. | केरल | 57 | 1900 |
| 11. | मध्य प्रदेश | 50 | 5100 |
| 12. | महाराष्ट्र | 331 | 6300 |
| 13. | गोवा | 4 | — |
| 14. | अरुणाचल प्रदेश | 5 | 80 |
| 15. | मणिपुर | 5 | 100 |
| 16. | मेघालय | 9 | 160 |
| 17. | मिजोरम | 5 | 80 |
| 18. | नागालैंड | 5 | 105 |
| 19. | त्रिपुरा | 7 | 210 |
| 20. | उड़ीसा | 21 | 700 |
| 21. | पंजाब | 100 | 2300 |
| 22. | राजस्थान | 100 | 4400 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 23. | तमिलनाडु | 40 | 4000 |
| 24. | उत्तर प्रदेश (पूर्व) | 327 | 8700 |
| 25. | उत्तर प्रदेश (पश्चिम) | 75 | 2700 |
| 26. | पश्चिम बंगाल | 68 | 1700 |
| 27. | सिक्किम | 6 | — |
| 28. | कलकत्ता | — | 4000 |
| 29. | चेन्नई | — | 3000 |
| 30. | एमटीएनएल दिल्ली | — | 3500 |
| 31. | एमटीएनएल मुंबई | — | 8800 |
| | जोड़ | 1902 | 82135 |

*[हिन्दी]*

**उत्तर प्रदेश में पी०सी०ओ० बूथों की स्थापना**

**2719. श्री बृजलाल खाबरी :**

**श्री योगी आदित्यनाथ :**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में कार्यरत पी०सी०ओ० बूथों की अद्यतन संख्या क्या है;

(ख) क्या सरकार ने वर्ष 1999-2000 के दौरान राज्य में पी०सी०ओ० को लगाने का कोई लक्ष्य निर्धारित किया था; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और जिला-वार आज तक निर्धारित लक्ष्य और उपलब्धि क्या है?

**संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क)** 29.2.2000 की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश में 56197 पी०सी०ओ० कार्यरत हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) 1999-2000 के दौरान उत्तर प्रदेश के दूरसंचार जिला-वार निर्धारित लक्ष्य और उपलब्धियों की सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

**विवरण**

| क्रम सं० | दूरसंचार जिले का नाम | 1999-2000 के लिए लक्ष्य | 1999-2000 के दौरान उपलब्धियां |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | आगरा | 400 | 1470 |
| 2. | अलीगढ़ | 150 | 19 |
| 3. | अलमोड़ा | 50 | 2 |
| 4. | बरेली | 100 | 122 |
| 5. | बिजनौर | 200 | 247 |
| 6. | देहरादून | 100 | 132 |
| 7. | एटा | 25 | 27 |
| 8. | गाजियाबाद | 600 | 2296 |
| 9. | मेरठ | 325 | 462 |
| 10. | मुरादाबाद | 100 | 110 |
| 11. | मुजफ्फरनगर | 200 | 235 |
| 12. | मथुरा | 75 | 86 |
| 13. | नैनीताल | 25 | 34 |
| 14. | श्रीनगर गढ़वाल | 25 | 15 |
| 15. | रामपुर | 50 | 63 |
| 16. | सहारनपुर | 200 | 252 |
| 17. | बदायूं | 25 | 18 |
| 18. | उत्तरकाशी (नई टेहरी) | 25 | 32 |
| 19. | पीलीभीत | 25 | 5 |
| 20. | कानपुर | 800 | 853 |
| 21. | लखनऊ | 600 | 431 |
| 22. | वाराणसी | 500 | 347 |
| 23. | इलाहाबाद | 700 | 678 |
| 24. | गोरखपुर | 300 | 231 |
| 25. | झांसी | 250 | 206 |
| 26. | मऊ | 400 | 261 |
| 27. | सीतापुर | 150 | 457 |
| 28. | बाराबंकी | 250 | 144 |
| 29. | फैजाबाद | 200 | 287 |
| 30. | इटावा | 300 | 154 |
| 31. | फर्रुखाबाद | 250 | 279 |
| 32. | मिर्जापुर | 300 | 128 |
| 33. | बस्ती | 300 | 213 |
| 34. | लखीमपुर | 150 | 151 |
| 35. | गोंडा | 200 | 182 |
| 36. | शाहजहांपुर | 100 | 56 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 37. | उन्नाव | 250 | 151 |
| 38. | मैनपुरी | 150 | 107 |
| 39. | आजमगढ़ | 400 | 360 |
| 40. | जौनपुर | 200 | 250 |
| 41. | सुल्तानपुर | 300 | 268 |
| 42. | बहराइच | 200 | 151 |
| 43. | रायबरेली | 150 | 107 |
| 44. | ई ए वाराणसी | 900 | 285 |
| 45. | कानपुर एस ए | 400 | 379 |
| | कुल | 11,400 | 12,761 |

**अतिरिक्त डाकिए का पद**

2720. **श्री राम टहल चौधरी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) किसी उपडाकघर में अतिरिक्त डाकिए के नए पद के सृजन के क्या नियम हैं;

(ख) क्या इन नियमों के उल्लंघन का कोई मामला सरकार के ध्यान में आया है;

(ग) यदि हां, तो पिछले एक वर्ष के दौरान और आज तक का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) :** (क) किसी उपडाकघर में पोस्टमैन के एक अतिरिक्त नए पद के औचित्य का निर्धारण कार्यभार में वृद्धि के आधार पर किया जाता है। इस वृद्धि का आकलन इस विभाग द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार किया जाता है, जिसमें विभिन्न डाक वस्तुओं के वितरण संबंधी मानदंड भी शामिल होते हैं तथा इसमें बहुमंजिला इमारतों में डाक वितरण, मनीआर्डरों के भुगतान तथा पैदल अथवा साइकिल पर तय की गई दूरी को भी उपयुक्त महत्व दिया जाता है। औचित्यपूर्ण पद का सृजन वित्त मंत्रालय के अनुमोदन से किया जा सकता है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) भाग (ख) में दिए गए उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

**भारत-ब्रिटेन विद्युत परियोजना विकास फोरम**

2721. **डा० संजय पासवान : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या सरकार का विचार देश में नई विद्युत परियोजनाओं की स्थापना हेतु भारत-ब्रिटेन विद्युत परियोजना विकास फोरम बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार और स्थान-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त परियोजनाओं का कार्य कब तक आरंभ होगा और इस संबंध में अनुमानत: कितनी लागत आएगी?

**विद्युत मंत्री तथा खान और खनिज मंत्री (श्री पी०आर० कुमारमंगलम) :** (क) और (ख) ब्रिटिश सरकार ने दो देशों के बीच विद्युत क्षेत्र में सहयोग हेतु इंडो-ब्रिटिश पावर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फोर्म गठित करने का प्रस्ताव किया है। सरकार प्रस्ताव की जांच कर रही है।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

*[अनुवाद]*

**विद्युत परियोजनाओं की प्रति गारंटी**

2722. **श्री ए० वेंकटेश नायक :**
**श्री अशोक ना० मोहोल :**

**क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या सरकार ने देश में कुछ विद्युत परियोजनाओं के लिए विलोप हुई प्रति गारंटी को बढ़ा दिया है;

(ख) यदि हां, तो विद्युत परियोजनाओं सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रयोजन हेतु विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करने में प्रमोटर असफल रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

**विद्युत मंत्री तथा खान और खनिज मंत्री (श्री पी०आर० कुमारमंगलम) :** (क) और (ख) भारत सरकार ने आंध्र प्रदेश में मैसर्स हिन्दुजा नेशनल पावर कंपनी लि० (एचएनपीसीएल) की विशाखापट्टनम थर्मल पावर परियोजना (1040 मेगावाट) के लिए काउंटर गारंटी मान्यता को 14 फरवरी, 2000 से अगले 6 मास के लिए बढ़ा दिया है। महाराष्ट्र में मैसर्स सेंट्रल इंडिया पावर कंपनी (सीआईपीसीओ) भद्रावती थर्मल पावर प्रोजेक्ट (1082 मेगावाट) के प्रवर्तकों से 31 जनवरी, 2000 के बाद काउंटर गारंटी मान्यता को 6 माह और बढ़ाने के लिए प्राप्त अनुरोध प्रस्ताव पर महाराष्ट्र सरकार की सिफारिशें प्रतीक्षित हैं।

(ग) से (ङ) उक्त दो परियोजनाओं को क्रमश: 1 अगस्त तथा 19 अगस्त, 1998 को भारत सरकार द्वारा दी गई प्रति गारंटी के अनुसार प्रवर्तकों तथा आंध्र प्रदेश व महाराष्ट्र के राज्य सरकारों से प्रति गारंटी के खंड (9) (पूर्ववर्ती शर्तों के बारे में) निर्धारित विभिन्न शर्तों को पूरा किए जाने की अपेक्षा है। प्रवर्तक तथा राज्य सरकारें प्रति गारंटी, जिसके बाद प्रति गारंटी लागू होगी, में निहित शर्तों को पूरा करने के उपाय कर रही है।

*[अनुवाद]*

**रसोई गैस का आवंटन**

2723. **श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या विभिन्न तेल कंपनियों द्वारा गत कुछ वर्षों में रसोई गैस एजेंसियों के आबंटन हेतु भूतपूर्व सैनिकों से आवेदन आमंत्रित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या कुछ प्रस्तावित रसोई गैस एजेंसियों के संबंध में कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ था;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार भूतपूर्व सैनिकों से आवेदन प्राप्त न होने की स्थिति में रसोई तेल गैस एजेंसियों के ऐसे आबंटन को विआरक्षित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) :** (क) से (ङ) वर्तमान नीति के अनुसार स्थानों के विज्ञापन तथा डीलर चयन बोर्डों के माध्यम से सामान्य चयन प्रक्रिया के तहत 8 प्रतिशत डीलरशिपें/डिस्ट्रीब्यूटरशिपें 'रक्षा' श्रेणी के लिए आरक्षित हैं। भूतपूर्व सैनिकों के लिए कोई अलग आरक्षण नहीं है। इस श्रेणी के अंतर्गत समय-समय पर आवेदनपत्र आमंत्रित किए जाते हैं। अगर रक्षा श्रेणी के तहत आरंभिक विज्ञापन के संबंध में प्रत्युत्तर न हो तो ऐसे स्थान इसी श्रेणी के तहत पुनर्विज्ञापित किए जाते हैं। यदि प्रत्युत्तर पुन: पर्याप्त नहीं है तो स्थान को पुनर्वास महानिदेशालय रक्षा मंत्रालय की सहमति से श्रेणीमुक्त किया जा सकता है।

## प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों की खरीद

2724. **श्री पी०आर० खूंटे :**

**श्री पुन्नू लाल मोहले :**

क्या पर्यावरण एवं वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण उपकरण खरीदने के लिए वित्तीय सहायता मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) :** (क) और (ख) जी, हां। विश्व बैंक स्कीम के तहत मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निगरानी उपकरण मुहैया कराया जा रहा है।

## वनीकरण कार्यक्रम

2725. **श्री कोडीकुनील सुरेश :** क्या पर्यावरण एवं वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय चल रहे वनीकरण कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है और विभिन्न राज्यों में प्रत्येक कार्यक्रम के लिए गत तीन वर्षों में कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ख) उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में वन विकास कार्यक्रम में कौन-कौन सी विदेशी एजेंसियां/संगठन लगे हुए हैं?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) :** (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान पर्यावरण और वन मंत्रालय की प्रमुख केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के तहत वनीकरण के लिए राज्यों को उपलब्ध की गई केन्द्रीय सहायता (सी ए) और उनके उपयोग का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) विदेशी एजेंसियां जो इस समय देश में वन विकास कार्यक्रमों को सहायता कर रही हैं, इस प्रकार है—स्वीडिश अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी (एस०आई०डी०ए०), अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग, यू०के० (डी०एफ०एल०डी०), यूरोपीय आर्थिक समुदाय (ई०ई०सी०), जर्मन फडिंग एजेंसी (जी०टी०जैड), विश्व बैंक, जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल को-आपरेटिव (जे०बी०आई०सी०) और आस्ट्रेलियन एंड (ए०यू०एस० ए०आई०डी०)।

## विवरण

*पिछले तीन वर्षों के दौरान पर्यावरण और वन मंत्रालय की प्रमुख केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के तहत वनीकरण के लिए राज्यों को उपलब्ध की गई केन्द्रीय सहायता और उनका उपयोग*

(लाख रुपयों में)

| राज्य | वर्ष 1996-97 से 1998-99 तक मुहैया की गई धनराशि और उनका उपयोग | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | आईएईपीएस | | एओएफएफपीएस | | एनटीएफपी | | एएसटीआरपी | |
| | उपलब्ध की गई | उपयोग की गई | उपलब्ध की गई | उपयोग की गई | उपलब्ध की गई | उपयोग की गई | उपलब्ध की गई | उपयोग की गई |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| आंध्र प्रदेश | 381.61 | 376.06 | 357.41 | 299.87 | 142.25 | 169.09 | 16.53 | 16.53 |
| अरुणाचल प्रदेश | 158.12 | 171.90 | 18.23 | 15.79 | 30.84 | 15.43 | | |
| असम | 164.94 | 120.25 | 274.61 | 250.72 | 42.50 | 35.23 | | |
| बिहार | 179.41 | 65.84 | 129.58 | 285.90 | 28.00 | 0.00 | 63.52 | 117.16 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| गोवा | 0.36 | 0.00 | 14.61 | 14.16 | 27.54 | 28.38 | | |
| गुजरात | 67.66 | 51.80 | 415.81 | 460.03 | 227.47 | 257.49 | 21.85 | 17.17 |
| हरियाणा | 328.08 | 325.93 | 711.11 | 760.88 | 114.50 | 100.25 | | |
| हिमाचल प्रदेश | 149.70 | 116.01 | 390.28 | 414.70 | 75.71 | 88.48 | | |
| जम्मू और कश्मीर | 759.36 | 693.76 | 234.65 | 168.62 | 398.26 | 416.50 | 12.16 | 12.16 |
| कर्नाटक | 438.19 | 408.08 | 515.15 | 519.57 | 126.87 | 124.78 | 35.83 | 35.83 |
| केरल | 367.45 | 330.36 | 297.43 | 243.69 | 34.51 | 40.53 | | |
| मध्य प्रदेश | 793.02 | 708.79 | 1193.50 | 972.88 | 195.05 | 134.56 | 170.92 | 94.59 |
| महाराष्ट्र | 202.77 | 60.33 | 181.58 | 176.75 | 107.17 | 52.66 | 50.32 | 50.32 |
| मणिपुर | 645.70 | 619.98 | 375.57 | 364.24 | 136.60 | 138.00 | 9.36 | 9.36 |
| मेघालय | 21.79 | 13.79 | 74.46 | 23.74 | 12.00 | 13.54 | | |
| मिजोरम | 255.57 | 314.97 | 731.03 | 741.21 | 51.40 | 45.85 | 6.55 | 6.55 |
| नागालैंड | 1.22 | 0.00 | 14.23 | 15.00 | 15.00 | 10.00 | 6.00 | 0.00 |
| उड़ीसा | 229.99 | 73.31 | 298.55 | 297.61 | 229.48 | 346.16 | 0.00 | 90.35 |
| पंजाब | 205.30 | 200.72 | 240.12 | 220.64 | 113.50 | 158.84 | | |
| राजस्थान | 796.62 | 830.59 | 824.58 | 790.97 | 236.31 | 212.80 | 17.31 | 17.31 |
| सिक्किम | 485.79 | 435.81 | 211.17 | 211.17 | 206.81 | 205.30 | | |
| तमिलनाडु | 34.34 | 37.51 | 350.64 | 341.48 | 48.00 | 30.27 | | |
| त्रिपुरा | 154.78 | 120.06 | 182.68 | 166.78 | 24.50 | 27.41 | 4.55 | 4.55 |
| उत्तर प्रदेश | 1777.41 | 1797.06 | 778.53 | 797.39 | 53.00 | 0.00 | | |
| पश्चिम बंगाल | 297.53 | 268.38 | 455.31 | 454.53 | 142.82 | 142.95 | 0.00 | 2.85 |
| कुल जोड़ | 8896.53 | 8141.29 | 9270.82 | 9008.32 | 2820.09 | 2794.50 | 414.90 | 474.73 |

टिप्पणी : केन्द्रीय सहायता के लिए उपयोग की गई राशि से पिछले वर्ष/वर्षों की खर्च न की गई बकाया राशि शामिल है।

**स्कीमें :**

| | |
|---|---|
| आई ए ई पी एस | एकीकृत वनीकरण और पारि-विकास परियोजना स्कीम |
| ए ओ एफ एफ पी एस | क्षेत्रोन्मुख ईंधन लकड़ी और चारा परियोजना स्कीम |
| एन टी एफ पी | औषधीय पौध सकीम सहित गैर-इमारती वन उत्पाद का संरक्षण और विकास |
| ए एस टी आर पी | लाभ में समान हिस्सेदारी के आधार पर अवक्रमित वनों की बहाली में आदिवासियों और आर्थिक रूप से कमजोर ग्रामीणों की सहभागिता। |

*[हिन्दी]*

**मध्य प्रदेश में एलपीजी एजेंसियों की स्थापना**

2726. **डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :**
**श्री अशोक अर्गल :**
**श्री विजय कुमार खंडेलवाल :**

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पहले यह निर्णय लिया था कि नगरपालिका अथवा नगर पंचायत स्तर पर एल पी जी एजेंसियां खोली जाएं;

(ख) यदि हां, तो मध्य प्रदेश के किन-किन स्थानों पर एल पी जी एजेंसियां खोलने के बारे में निर्णय लिया गया है; और

(ग) उन स्थानों पर एल पी जी एजेंसियां कब तक खोलने की संभावना है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क)** से (ग) विद्यमान नीति के अनुसार, मध्य प्रदेश देश के विभिन्न भागों में आर्थिक रूप से व्यवहार्य एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें स्थापित करने के लिए निम्नांकित मानदंड अपनाए जाते हैं :

(1) 15 किलो मीटर के अर्द्धव्यास के अंतर्गत अवस्थित समीपवर्ती गांवों की संभाव्यता को शामिल करते हुए 10,000 और उससे अधिक आबादी वाले शहरी स्थान।

(2) 15 किलो मीटर अर्द्धव्यास के अंतर्गत अवस्थित समीपवर्ती गांवों की संभाव्यता को ध्यान में रखते हुए 5000 और इससे अधिक आबादी वाले शहरी स्थान।

(3) ऐसे मुख्य गांवों, जिनकी आबादी 10,000 और इससे अधिक है, के 15 किलो मीटर अर्द्धव्यास के अंतर्गत आने वाले गांवों का समूह।

(4) ऐसे नगरों, जिनकी आबादी 1 लाख और इससे अधिक है, के चारों ओर 15 किलो मीटर अर्द्धव्यास के अंतर्गत अवस्थित गांव।

तदनुसार, वर्तमान विपणन योजना 1996-98 में मध्य प्रदेश के लिए 287 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें शामिल की गई हैं।

*[अनुवाद]*

**हाथियों को नियंत्रित करने संबंधी प्रस्ताव**

2727. **श्री जी० पुट्टास्वामी गौड़ा :**
**श्री जी०एस० बसवराज :**

क्या पर्यावरण एवं वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने हाथियों द्वारा की जा रही तबाही को रोकने के लिए सरकार को कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक अनुमोदित किए जाने की संभावना है?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) :** (क) जी, हां।

(ख) कर्नाटक राज्य में हाथियों द्वारा की जा रही तबाही को नियंत्रित करने संबंधी प्रस्ताव का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) हाथी परियोजना के अंतर्गत वर्ष 1999-2000 के लिए 5.98 करोड़ रुपये का कुल बजट प्रावधान किया गया है। स्कीम में सुझाई गई गतिविधियों को प्राथमिकता देना आवश्यक था। तदनुसार कर्नाटक राज्य सरकार को 85.00 लाख रुपये की निवल राशि जारी की गई है।

| क्रम सं० | कार्यों का ब्यौरा | वास्तविक | वित्तीय (लाख रु०) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | हाथी प्रूफ ट्रैंच (ई पी टी) | 520 कि०मी० | 880.80 |
| 2. | रबड़ दीवार का निर्माण | 57.80 कि०मी० | 503.25 |
| 3. | ई पी टी के लिए छल्ला पार पुलिया का निर्माण | 235 | 130.00 |
| 4. | मौजूदा हाथी प्रूफ ट्रैंचों का रखरखाव | 163 कि०मी० | 96.40 |
| 5. | सोलर फैंसिंग | 20 कि०मी० | 16.00 |
| 6. | वासस्थलों का सुधार | एल एस | 347.85 |
| 7. | हाथियों का डराना तथा पटाखे और उपकरण खरीदना | एल एस | 25.70 |
| | जोड़ | | 2000.00 |

*[हिन्दी]*

**अहमदाबाद से बड़ौदा के बीच एक्सप्रेस हाइवे**

2728. **श्री रामसिंह राठवा :** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अहमदाबाद से बड़ौदा के बीच राष्ट्रीय एक्सप्रेस हाइवे का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है;

(ख) यदि हां, तो इस पर अब तक खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) राष्ट्रीय एक्सप्रेस हाइवे का निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

**जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देवेन्द्र प्रधान) :** (क) सड़क निर्माण कार्य सन् 1994 से रुका हुआ है जबकि पुल का निर्माण कार्य जारी है।

(ख) सड़क/पुल निर्माण कार्यों तथा 1994 से पहले निष्पादित कार्यों के लिए जनवरी, 2000 तक 198.35 करोड़ रु०।

(ग) मार्च, 2004।

*[अनुवाद]*

**आंध्र प्रदेश में पाइपलाइन के माध्यम से एल०पी०जी०**

2729. **प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाइपलाइन के माध्यम से आंध्र प्रदेश के एल.पी.जी. गैस को घरेलू उपभोक्ताओं तक पहुंचाने हेतु एक कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए विदेशी कंपनियों को आमंत्रित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कोई कार्य योजना तैयार की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ग) वर्तमान नियमों के अंतर्गत विदेशी कंपनी सहित कोई भी निजी पक्षकार समानान्तर विपणन योजना के अधीन एल.पी.जी. का आयात कर सकता है और अपने स्वयं के वितरण नेट वर्क के माध्यम से बाजार निर्धारित मूल्यों पर देश में इसकी बिक्री कर सकता है।

## सुब्रह्मण्यम समिति रिपोर्ट

2730. श्री दानवे रावसाहेब पाटील : क्या पर्यावरण एवं वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वन्य जीवन संरक्षण तथा वन्य जीवन में अवैध व्यापार से संबंधित मुद्दों की जांच करने वाली सुब्रह्मण्यम समिति द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट की खास-खास बातें क्या हैं; और

(ख) सरकार द्वारा इस रिपोर्ट पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) और (ख) सुब्रह्मण्यम समिति, जिसने वन्यजीवों और वन्यजीव उत्पादों के अवैध व्यापार से संबंधित मुद्दों की जांच की थी, द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं और उस पर भारत सरकार द्वारा की गई कार्रवाई इस प्रकार है :

| क्रम सं० | सुब्रह्मण्यम समिति की सिफारिशें | सरकार द्वारा की गई कार्रवाई |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | गृह मंत्रालय द्वारा मानस, काजीरंगा और दुधवा जैसे संवेदनशील और अशांत क्षेत्रों को उग्रवादी तत्वों से मुक्त कराने के लिए विशेष उपाय करना। | गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों को सुरक्षित क्षेत्रों में सुरक्षा प्रदान करने के लिए केन्द्रीय बलों के उपयोग की अनुमति दी है। |
| 2. | वन्यजीवों की सुरक्षा और उनके भीतर अलग-थलग पड़ने की भावना को दूर करने के लिए विशेष उपाय करने हेतु स्थानीय लोगों की सहायता और सहयोग प्राप्त करना। | वन्यजीवों की सुरक्षा में स्थानीय लोगों का सहयोग पारि-विकास परियोजना और केन्द्रीय प्रायोजित पारि-विकास स्कीम के माध्यम से लिया जाता है। |
| 3. | जंगली जानवरों द्वारा फसलों को नुकसान पहुंचाने और पशुओं को मारने पर नियंत्रण करने के लिए सुरक्षित क्षेत्रों का बेहतर प्रबंध शुरू करना। | वास-स्थलों में सुधार और फसलों को पहुंचाए जाने वाले नुकसान को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत निधियां प्रदान की जा रही हैं। जंगली जानवरों द्वारा मारे गए पशुओं के लिए विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा मुआवजा दिया जाता है। |
| 4. | संयुक्त वन प्रबंध और पारि-विकास कार्यक्रमों के माध्यम से स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बफर जोन का प्रयोग करना। | देश में विभिन्न राज्यों में 35,000 से अधिक संयुक्त वन प्रबंध समितियां बनाई गई हैं। स्थानीय लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों में और उनके आस-पास पारि-विकास कार्यक्रम भी कार्यान्वित किए जा रहे हैं। |
| 5. | पुनर्वास प्रक्रिया के दौरान आदिवासी और अन्य समुदायों की सामाजिक-जातिगत आवश्यकताओं को ध्यान में रखना। | स्वैच्छिक पुनर्वास के दौरान आदिवासी और अन्य समुदायों की सामाजिक-आर्थिक और जातिगत आवश्यकता को ध्यान में रखा जाता है। |
| 6. | अपराधियों से मिलने वाली धमकियों से निपटने के लिए संरक्षित क्षेत्रों में प्रभावी गश्त के लिए सशस्त्र कार्मिकों का एक विशेष दल बनाना। | अशांत और संवेदनशील बाघ रिजर्वों में सशस्त्रा बलों की तैनाती के लिए प्रावधान किया गया है। |
| 7. | वन्यजीव कार्मिकों के लिए संचार और परिवहन सुविधाएं। | वायरलेस उपकरण और वाहन खरीदने के लिए राज्य सरकारों को धन-राशियां दी जा रही हैं। |
| 8. | व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए वन्यजीव अधिकारियों को हथियार उपलब्ध कराना। | वन्यजीव अधिकारियों को उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए शस्त्र उपलब्ध कराने हेतु राज्य सरकार को धनराशियां आबंटित की जाती हैं। |
| 9. | अवैध वन्यजीव उत्पादों के परिवहन और उन्हें लाने ले जाने का पता लगाने के लिए राज्य प्रशासन की सहायता से अकस्मात जांच करना। | राज्य प्रशासन की सहायता से क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा अकस्मात जांच कार्य किए जाते हैं। |
| 10. | वन्यजीव उत्पादों के अवैध ढंग से रखने के विरुद्ध व्यापक प्रचार-प्रसार करने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाना। | प्रचार सामग्री को जनसाधारण में वितरित किया जाता है। प्रमुख हवाई अड्डों पर ट्रांसलाइट्स स्थापित किए जाते हैं और वन्यजीवों और उनके उत्पादों को अवैध ढंग से रखने के विरुद्ध व्यापक प्रचार करने के लिए बैठकें आयोजित की जाती हैं। |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 11. | सीमा शुल्क विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों को गहन प्रशिक्षण देने के लिए प्रणाली स्थापित करना। | भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा सीमा शुल्क अधिकारियों के लिए वन्यजीव सुरक्षा, कानून और फारेंसिक विज्ञान में विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं। |
| 12. | भारतीय वन्यजीव संस्थान में वन्यजीव फारेंसिक विज्ञान एकक स्थापित करना। | भारतीय वन्यजीव संस्थान में वन्यजीव फारेंसिक प्रयोगशाला स्थापित की गई है। |
| 13. | वन्यजीव संरक्षण और अनुरक्षण के लिए गैर-सरकारी संगठनों का सहयोग प्राप्त करना। | वन्यजीव संरक्षण के लिए सुप्रसिद्ध और अपने क्षेत्र में अनुभव सिद्ध गैर-सरकारी संगठनों का सहयोग लिया जाता है। |
| 14. | वन्यजीव और इनके उत्पादों के अवैध व्यापार को रोकने के लिए विभिन्न प्रवर्तन एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल सुनिश्चित करना। | (i) वन्यजीव और इनके उत्पादों के अवैध व्यापार को रोकने के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में विशेष समन्वय और प्रवर्तन समिति गठित की गई है।<br>(ii) वन्यजीव के अवैध व्यापार को नियंत्रित करने के लिए सीमा-शुल्क, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो और अर्द्ध सैनिक बलों जैसी विभिन्न प्रवर्तन एजेंसियों के लिए भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा विशेष प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की जाती है। |
| 15. | वन्यजीव के अपराध के निवारण के लिए केन्द्रीय कार्य बल स्थापित करना। | वन्यजीव और इनके उत्पादों के चोरी-छिपे शिकार और अवैध व्यापार से निपटने के लिए विशेष प्रवर्तन तन्त्र स्थापित करने के लिए कार्रवाई शुरू की गई है। |
| 16. | वन्यजीव संबंधी आंकड़े एकत्र करने, मिलान करने और विश्लेषण करने के लिए केन्द्रीय वन्यजीव अपराध डाटा बैंक स्थापित करना। | केन्द्रीय वन्यजीव अपराध डाटा बैंक क्रम संख्या 15 में उल्लिखित वन्य-जीव व्यापार निवारण एवं नियंत्रण ब्यूरो का अभिन्न घटक है। |

### राष्ट्रीय नहर परियोजना

2731. **श्री पी० एच० पांडियन : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय नहर परियोजना के माध्यम से माल ढुलाई परिवहन प्रणाली विकसित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देबेन्द्र प्रधान)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

### विशेष अदालतों का गठन

2732. **श्री सुरेश रामराव जाधव : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली उच्च न्यायालय ने हमला करने, अतिक्रमण करने, व्यभिचार करने आदि जैसे छुटपुट मामलों की सुनवाई हेतु विशेष अदालतें गठित करने के लिए सरकार को निर्देश दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रयोजन के लिए कितनी विशेष अदालतें गठित की गई हैं/गठित किए जाने की संभावना है?

**विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री राम जेठमलानी)** : (क) और (ख) कादरा पहाड़ियां और अन्य बनाम बिहार राज्य [1980 की रि० या० (दा०) सं० 5943] के मामले में, उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसरण में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य-क्षेत्र की सरकार द्वारा किए गए अनुरोध पर, छोटे-छोटे यातायात संबंधी मामलों को निपटाने के लिए विशेष मेट्रोपालिटिन मजिस्ट्रेटों के न्यायालय स्थापित करने का विनिश्चय किया है जैसाकि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 18 के अधीन परिकल्पित है।

(ग) इस समय दिल्ली में विशेष मेट्रोपालिटिन मजिस्ट्रेटों के 17 न्यायालय कार्य कर रहे हैं।

*[हिन्दी]*

### राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास हेतु बहुमुखी योजना

2733. **श्री अशोक ना० मोहोल :**
**डा० अशोक पटेल :**
**श्री रामशेठ ठाकुर :**

**क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास हेतु एक बहुमुखी योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस हेतु राष्ट्रीय राजमार्गों का चयन कर लिया गया है;

(घ) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के लिए धनराशि जुटाने हेतु एक बहुमुखी योजना तैयार की गई है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या सरकार का विचार इस उद्देश्य के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर बांड जारी करने और एशियाई विकास बैंक से ऋण लेने का है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देबेन्द्र प्रधान)** : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कलकत्ता को जोड़ने वाले स्वर्णिम चतुर्भुज तथा श्रीनगर से कन्याकुमारी तथा सिलचर से सौराष्ट्र को जोड़ने वाले क्रमशः उत्तर-दक्षिण और पूर्व-पश्चिम कारिडोर के सरेखण पर पड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों और रा०रा०-47 के सलेम-कोचीन खंड को राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (एन एच डी पी) के तहत 4/6 लेन का बनाया जाएगा। एन एच डी पी की अनुमानित लागत 54000 करोड़ रु० (वर्तमान मूल्यों पर) होगी तथा इसे सन् 2009 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

(ग) जी, हां।

(घ) एन एच डी पी पर पड़ने वाले राजमार्ग इस प्रकार हैं :

(i) स्वर्णिम चतुर्भुज
रा०रा० संख्या-2, 4, 5, 6, 8, 46

(ii) उत्तर-दक्षिण कारिडोर
रा०रा० संख्या-1, 1ए, 3, 7, 26

(iii) पूर्व-पश्चिम कारिडोर
रा०रा० संख्या-8ए, 8बी, 14, 15, 25, 28, 31, 31सी, 36, 54, 57, 76

(iv) रा०रा०-47 के सलेम-कोचीन खंड पर स्पर

(ङ) जी, हां।

(च) एन एच डी पी का वित्त पोषण उपकर खाते, विदेशी सहायता जैसे विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक से ऋण, बाजार से उधार लेकर तथा निजी निवेश के जरिए किया जाएगा।

(छ) जी, हां।

(ज) ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं।

*[अनुवाद]*

### गुजरात में राष्ट्रीय राजमार्गों को चौड़ा किया जाना, उनका विस्तार और मरम्मत किया जाना

**2734. श्री हरिभाई चौधरी** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में किन-किन राष्ट्रीय राजमार्गों को चौड़ा करने, उनका विस्तार और मरम्मत कार्य फरवरी, 1997 से आज तक चल रहा है;

(ख) गुजरात से गुजरने वाले शेष राजमार्गों पर यह कार्य कब तक शुरू किया जाएगा; और

(ग) इसमें कितनी अनुमानित लागत शामिल है और इस पर अब तक वास्तव में कितना खर्च हुआ है?

**जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देबेन्द्र प्रधान)** : (क) गुजरात राज्य में सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर मरम्मत कार्य किए गए हैं और रा०रा०-8, 8ए, 8सी और 14 पर चौड़ा करने के कार्य किए गए हैं।

(ख) राष्ट्रीय राजमार्गों में सुधार/विकास एक सतत् प्रक्रिया है और पारस्परिक प्राथमिकता तथा निधियों की उपलब्धता के आधार पर चरणबद्ध रूप में कार्य किए जाते हैं।

(ग) 520.00 करोड़ रु० अनुमानित लागत की तुलना में अप्रैल, 1997 से 320.00 करोड़ रु० व्यय हो चुके हैं।

### बंगलादेश द्वारा माल के लिए पारगमन की सुविधा

**2735. श्री मणि शंकर अय्यर** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलादेश सरकार ने पश्चिम बंगाल से असम तक जल-भूतल परिवहन द्वारा माल ढुलाई के लिए पारगमन की सुविधा प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो इस पारगमन सुविधा का लाभ किस हद उठाया जा रहा है; और

(ग) देश को ज्यादा लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से इस सुविधा के दोहन हेतु क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का विचार है?

**जल भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देबेन्द्र प्रधान)** : (क) और (ख) जी, हां। अभी हाल ही में भारत और बंगलादेश सरकार द्वारा नवीकृत अंतर्देशीय जल पारगमन और व्यापार प्रोटोकाल के तहत केन्द्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम, कलकत्ता, असम सरकार और बंगलादेश अंतर्देशीय जल परिवहन निगम के कार्गो जलयान पारगमन और व्यापार सुविधाओं का लाभ उठाते हैं।

(ग) दोनों देशों के सर्वाधिक लाभ की दृष्टि से परस्पर बातचीत का रास्ता अपनाया जाता है।

### कर्नाटक में रसोई गैस कनेक्शन हेतु प्रतीक्षा सूची

**2736. श्री आर०एल० जालप्पा** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक राज्य में रसोई गैस कनेक्शन हेतु कितने व्यक्ति प्रतीक्षा सूची में हैं;

(ख) राज्य में वर्ष 1999-2000 के दौरान जनवरी 2000 तक कितने गैस कनेक्शन जारी किए गए;

(ग) क्या कर्नाटक सरकार ने केन्द्र सरकार से प्रतीक्षा सूची में लंबित सभी आवेदनकर्ताओं को गैस कनेक्शन देने का आग्रह किया है; और

(घ) यदि हां, तो राज्य में प्रतीक्षा सूची में दर्ज सभी व्यक्तियों को गैस कनेक्शन देने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) :** (क) कर्नाटक राज्य में 1 जनवरी, 2000 को एल पी जी कनेक्शनों के लिए सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम तेल कंपनियों के पास पंजीकृत प्रतीक्षा सूची पर लोगों की कुल संख्या 2.78 लाख थी।

(ख) इस राज्य में अप्रैल, 1999 से जनवरी, 2000 तक की अवधि के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम तेल कंपनियों के द्वारा जारी किए गए कनेक्शनों की कुल संख्या 3,80,653 है।

(ग) और (घ) नए कनेक्शन एल पी जी उपलब्धता, प्रतीक्षा सूची, वितरकों के पास उपलब्ध बकाया एवं इनकी व्यवहार्यता पर निर्भर करते हुए देशभर में एक चरणबद्ध तरीके से जारी किए जाते हैं। तथापि, 1 दिसंबर, 1999 को सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम तेल कंपनियों के वितरकों के पास पंजीकृत समस्त प्रतीक्षा सूची को निपटाने के लिए सरकार के पास वर्ष 2000 के दौरान एक करोड़ एल पी जी कनेक्शन जारी करने की एक योजना है।

*[हिन्दी]*

### पेट्रो-रसायन इकाइयों की स्थापना

**2737. श्री रामजीवन सिंह :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विभिन्न तेलशोधक कारखानों में कितनी पेट्रो-रसायन इकाइयां लगाने की योजना है; और

(ख) तेलशोधक कारखानों के उन्नयन हेतु विभिन्न योजनाओं का ब्यौरा क्या है और इनके तहत किस प्रकार राशि आबंटित की गई है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) :** (क) नौवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड की रिफाइनरियों में चार पेट्रो-रसायन इकाइयां स्थापित करने की योजना बनाई गई है।

(ख) नौवीं योजना अवधि के दौरान रिफाइनरियों ने अपने कार्य के उन्नयन के लिए कई उपाय किए हैं। कार्यान्वित/कार्यान्वयनाधीन मुख्य योजनाओं में अन्यों के साथ-साथ डीजल हाइड्रो-सल्फराइजेशन परियोजनाएं, क्षमता विस्तार, फ्लूडाइज्ड कैटेलिटिक क्रेकिंग इकाई, हाइड्रोक्रेकिंग इकाई, डिलेड कोकिंग इकाई, साल्वेन्ट डी-वेक्सिंग इकाई आदि सम्मिलित हैं। इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर कुल व्यय लगभग 8641 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।

### महाराष्ट्र में टेलीफोन एक्सचेंज

**2738. श्री मोहन रावले :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में इस समय जिला-वार कितने टेलीफोन एक्सचेंज कार्यरत हैं;

(ख) क्या सरकार का वर्ष 2000-2001 में राज्य में कुछ और टेलीफोन एक्सचेंजों की स्थापना करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार ब्यौरा क्या है?

**संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) :** (क) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) जी हां, निम्नलिखित स्थानों पर एमटीएनएल मुंबई का 8 एक्सचेंज स्थापित करने का प्रस्ताव है :

1. कूपरेज
2. फाउन्टेन
3. मजगांव
4. वडाला
5. बरसोवा
6. चैम्बूर
7. जोगेश्वरी
8. नेरूल

इसके अलावा, 2000-2001 के दौरान, महाराष्ट्र दूरसंचार सर्किल ने ग्रामीण क्षेत्रों में 345 एक्सचेंज स्थापित करने की योजना बनाई है।

### विवरण

*महाराष्ट्र राज्य में कार्य कर रहे इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों की संख्या*

| क्रम सं० | जिले का नाम | कुल |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | अहमदनगर | 241 |
| 2. | अकोला | 67 |
| 3. | वाशिम | 37 |
| 4. | अमरावती | 97 |
| 5. | औरंगाबाद | 97 |
| 6. | बीड़ | 71 |
| 7. | बांद्रा | 41 |
| 8. | गोंडिया | 40 |
| 9. | बुलडाना | 87 |
| 10. | चन्द्रपुर | 66 |
| 11. | धुले | 72 |
| 12. | नंदूरबार | 41 |
| 13. | गढ़चिरोली | 26 |
| 14. | जलगांव | 167 |
| 15. | जालना | 57 |
| 16. | कल्याण | 88 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 17. | कोल्हापुर | 179 |
| 18. | लतूर | 84 |
| 19. | नागपुर | 107 |
| 20. | नंदेड़ | 95 |
| 21. | नासिक | 193 |
| 22. | उसमानाबाद | 62 |
| 23. | परभानी | 38 |
| 24. | हिंगोली | 35 |
| 25. | पुणे | 191 |
| 26. | रायगढ़ | 127 |
| 27. | रत्नागिरि | 104 |
| 28. | सांगली | 187 |
| 29. | सतारा | 149 |
| 30. | सिंधुदुर्ग | 65 |
| 31. | शोलापुर | 143 |
| 32. | वारधा | 57 |
| 33. | येअतमाल | 60 |
| 34. | मुंबई | 114 |
| 35. | थाणे | 24 |

### पी०सी०ओ० के आबंटन में अनियमितताएं

**2739. श्री रामदास आठवले :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालयों के आबंटन में क्या सरकार को अनियमितता और भ्रष्टाचार संबंधी शिकायत प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान और आज तक तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस विषय में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई?

**संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) :** (क) जी, हां। कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ख) और (ग) ये शिकायतें प्राथमिकता का पालन न करने, निर्धारित औपचारिकताओं को पूरा किए बिना पी०सी०ओ० के अनधिकृत आबंटन/संस्थापन तथा मंजूरी के संबंध में हैं। इन सभी शिकायतों को सम्यकरूप से जांच की गई तथा जहां कहीं अधिकारियों को दोषी पाया गया, उनके खिलाफ आवश्यक अनुशासनिक/प्रशासनिक कार्रवाई की गई थी। इसके अतिरिक्त, उल्लेखनीय है कि नवीनतम दिशानिर्देशों के अनुसार आबंटन प्रक्रिया को उदार बना दिया गया है।

### जल विद्युत उत्पादन हेतु योजना

**2740. श्री शिवराज सिंह चौहान :**
**श्रीमती शीला गौतम :**
**श्री बसुदेव आचार्य :**
**श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :**
**डा० रघुवंश प्रसाद सिंह :**
**श्री दिन्शा पटेल :**

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में जल विद्युत उत्पादन हेतु कोई दीर्घकालीन योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो इसकी विशेषताएं कौन-कौन सी हैं;

(ग) इस योजना के तहत किन-किन राज्यों का चयन किया गया है;

(घ) क्या सरकार का विचार जल विद्युत क्षेत्र के विकास हेतु निजी उद्यम तथा संयुक्त उद्यम परियोजनाओं को बढ़ावा देने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस योजना के अंतर्गत जल विद्युत उत्पादन का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

**विद्युत मंत्री तथा खान और खनिज मंत्री (श्री पी०आर० कुमारमंगलम) :** (क) से (ग) जी, हां। भारत सरकार ने जल विद्युत विकास की गति में तेजी लाने के लिए अगस्त, 1998 में एक नीति की घोषणा की है जो कि भारत में सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के लिए लागू हैं। नीति की मुख्य विशेषताएं निम्नवत हैं :

(i) केन्द्रीय/राज्य सरकार बजट में पर्याप्त निधियां प्रदान करना और पावर फाइनेंस कार्पोरेशन के माध्यम से प्रतिपूरक वित्त पोषण की व्यवस्था करना।

(ii) केन्द्रीय जल विद्युत सार्वजनिक क्षेत्र निगमों को बेसिन-वार विकास कार्य सौंपना।

(iii) सर्वेक्षण और अन्वेषण कार्य के लिए वित्त पोषण सहायता।

(iv) जल विद्युत परियोजनाओं के लिए संयुक्त उद्यम फ्रेमवर्क को उपयोग में लाना।

(v) राज्य सरकार से केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को तथा राज्य सरकार से निजी क्षेत्र को स्वीकृतियां हस्तांतरित करने से संबंधित पद्धतियों को सरल बनाना।

(घ) और (ङ) जल विद्युत विकास संबंधी नीति में सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों/रा०वि०बो० और घरेलू एवं विदेशी निजी उद्यमियों के बीच संयुक्त उद्यमों के माध्यम से अधिकाधिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने का अनुरोध किया गया है।

(च) नीति में जल विद्युत उत्पादन हेतु कोई विशेष लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं। तथापि, नौवीं योजना (1997-2002) के दौरान जल

*विद्युत परियोजना से 9817 मे०वा० क्षमता अभिवृद्धि प्राप्त करने के लिए सतत् प्रयास किए जा रहे हैं।*

## टेलीफोन डाइरेक्टरी

**2741. डा० मदन प्रसाद जायसवाल : क्या संचार मंत्री यह** बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में नवीनतम टेलीफोन डाइरेक्टरियां छप गई हैं और उपभोक्ताओं को वितरित कर दी गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ये राज्य-वार किस तारीख तक संशोधित की गई हैं; और

(ग) अगली टेलीफोन डाइरेक्टिरियां कब तक प्रकाशित किए जाने की संभावना है?

**संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क)** टेलीफोन डायरेक्टरी का मुद्रण कार्य एक नियमित प्रक्रिया है। जबकि कुछ स्थानों पर डायरेक्टरियों का मुद्रण और वितरण समय पर कर दिया गया था, कुछ स्थानों पर इसमें देरी हो गई है।

(ख) और (ग) टेलीफोन डायरेक्टरियों के मुद्रण तथा अगली डाइरेक्टरियां कब तक प्रकाशित की जाने वाली हैं से संबंधित राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

### विवरण

*टेलीफोन डायरेक्टरियों की स्थिति*

| क्रम सं० | एसएसए का नाम | मौजूदा डायरेक्टरी के मुद्रण का वर्ष | निम्नलिखित वर्षों तक संशोधित | अगली डायरेक्टरी की संभावित तारीख |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **सर्किल का नाम : अंडमान तथा निकोबार** | | | | |
| 1. | अंडमान तथा निकोबार | 1998 | दिसंबर, 97 | मार्च, 2000 |
| **सर्किल का नाम : गुजरात** | | | | |
| 1. | अहमदाबाद | 1997 | मई, 1997 | अंतिम रूप नहीं दिया गया। |
| 2. | बड़ौदा | 1998 | मार्च, 1998 | मार्च, 2000 |
| 3. | राजकोट | 1998 | सितम्बर, 1997 | मार्च, 2000 |
| 4. | मेहसाना | 1997 | दिसंबर, 1996 | मार्च, 2000 |
| 5. | नडियाड | 1999 | जुलाई, 1999 | जून, 2000 |
| 6. | सूरत | 1994 | सितंबर, 1994 | निविदा को अंतिम रूप दिया गया। |
| 7. | भावनगर | 1997 | जून, 1996 | मार्च, 2000 |
| 8. | भरूच | 1997 | जून, 1996 | मार्च, 2000 |
| 9. | भुज | 1998 | नवंबर, 1997 | मार्च, 2000 |
| 10. | जामनगर | 1999 | मार्च, 1999 | मार्च, 2000 |
| 11. | जूनागढ़ | 1999 | मार्च, 1999 | अंतिम रूप नहीं दिया गया। |
| 12. | हिम्मतनगर | 1999 | अगस्त, 1998 | मार्च, 2000 |
| 13. | गोधरा | 1996 | मार्च, 1996 | मई, 2000 |
| 14. | अमरेली | 1999 | नवंबर, 1998 | मार्च, 2000 |
| 15. | पालमपुर | 1999 | जून, 1999 | सितंबर, 2000 |
| 16. | सुरेन्द्रनगर | 1997 | दिसंबर, 1996 | मार्च, 2000 |
| 17. | वलसाड | 1996 | सितंबर, 1995 | मार्च, 2000 |
| **सर्किल का नाम : जम्मू और कश्मीर** | | | | |
| 1. | जम्मू | 1999 | अगस्त, 1999 | अगस्त, 2000 |
| 2. | श्रीनगर | 1994 | मार्च, 1994 | मार्च, 2000 |
| 3. | उद्धमपुर | 1999 | अगस्त, 1999 | अगस्त, 2001 |
| 4. | राजौरी | 1999 | अगस्त, 1999 | अगस्त, 2001 |
| 5. | लेह | 1999 | अगस्त, 1999 | अगस्त, 2001 |
| **सर्किल का नाम : हिमाचल प्रदेश** | | | | |
| 1. | शिमला | 1998 | दिसंबर, 1997 | मार्च, 2000 |
| 2. | सोलन | 1998 | दिसंबर, 1997 | मार्च, 2000 |
| 3. | मंडी | 1997 | सितंबर, 1997 | मार्च, 2000 |
| 4. | हमीरपुर | 1998 | सितंबर, 1997 | मार्च, 2000 |
| 5. | धर्मशाला | 1998 | सितंबर, 1997 | मार्च, 2000 |
| 6. | कुल्लू | 1997 | सितंबर, 1997 | मार्च, 2000 |
| **सर्किल का नाम : मध्य प्रदेश** | | | | |
| 1. | छिंदवाड़ा | 1998 | मार्च, 1998 | दिसंबर, 2000 |
| 2. | सागर | 1998 | जनवरी, 1990 | दिसंबर, 2000 |
| 3. | बेतुल | 1998 | नवंबर, 1997 | अगस्त, 2000 |
| 4. | बालाघाट | 1999 | जून, 1998 | दिसंबर, 2000 |
| 5. | रायगढ़ | 1996 | अगस्त, 1995 | दिसंबर, 2000 |
| 6. | सहडोल | 1998 | मार्च, 1998 | दिसंबर, 2000 |
| 7. | रीवा | 1996 | अगस्त, 1995 | जून, 2000 |
| 8. | सतना | 1998 | मार्च, 1998 | दिसंबर, 2000 |
| 9. | जगदलपुर (झबुआ) | 1997 | दिसंबर, 1996 | जुलाई, 2000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 10. | राजगढ़ | 1996 | दिसंबर, 1995 | जून, 2000 |
| 11. | विदिशा | 1999 | जनवरी, 1999 | दिसंबर, 2000 |
| 12. | देवास | 1997 | अगस्त, 1997 | दिसंबर, 2000 |
| 13. | धार | 1998 | जुलाई, 1997 | दिसंबर, 2000 |
| 14. | उज्जैन | 1996 | दिसंबर, 1995 | दिसंबर, 2000 |
| 15. | दुर्ग | 1998 | जनवरी, 1998 | मई, 2000 |
| 16. | शाजापुर | 1998 | दिसंबर, 1997 | मार्च, 2000 |
| 17. | गुना | 1999 | अगस्त, 1999 | मार्च, 2001 |
| 18. | शिवपुरी | 1999 | जनवरी, 1999 | दिसंबर, 2000 |
| 19. | इंदौर | 1999 | दिसंबर, 1998 | अप्रैल, 2000 |
| 20. | भोपाल | 1998 | अक्तूबर, 1997 | दिसंबर, 2000 |
| 21. | ग्वालियर | 1997 | अप्रैल, 1997 | दिसंबर, 2000 |
| 22. | जबलपुर | 1997 | अगस्त, 1996 | जून, 2000 |
| 23. | खरगोन | 1997 | जून, 1996 | दिसंबर, 2000 |
| 24. | मुरेना | 1999 | जनवरी, 1999 | मार्च, 2001 |
| 25. | मंदसौर | 1996 | जनवरी, 1996 | मार्च, 2000 |
| 26. | होशंगाबाद | 1998 | दिसंबर, 1997 | जुलाई, 2000 |
| 27. | रतलाम | 1997 | दिसंबर, 1996 | अप्रैल, 2000 |
| 28. | खंडवा | 1998 | मार्च, 1997 | अप्रैल, 2000 |
| 29. | विलासपुर | 1999 | दिसंबर, 1998 | दिसंबर, 2000 |
| 30. | छतरपुर | 1996 | मार्च, 1996 | अप्रैल, 2000 |
| 31. | नरसिंहपुर | 1998 | अगस्त, 1998 | दिसंबर, 2000 |
| 32. | रायपुर | 1998 | नवंबर, 1997 | दिसंबर, 2000 |
| 33. | बस्तर | 1999 | नवंबर, 1996 | दिसंबर, 2000 |
| 34. | दमोह | 1996 | मार्च, 1996 | मई, 2000 |
| 35. | मांडला | 1999 | जून, 1998 | अप्रैल, 2000 |
| 36. | पन्ना | 1998 | मार्च, 1998 | मार्च, 2000 |
| 37. | रायसेन | 1999 | जनवरी, 1999 | दिसंबर, 2000 |
| 38. | सरगुजा | 1998 | मार्च, 1990 | मार्च, 2000 |
| 39. | सिओनी | 1998 | अगस्त, 1998 | दिसंबर, 2000 |
| 40. | सिधी | 1996 | अगस्त, 1995 | मार्च, 2000 |
| 41. | इटारसी | 1998 | दिसंबर, 1997 | मई, 2000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| **सर्किल का नाम : हरियाणा** | | | | |
| 1. | करनाल | 1999 | सितंबर, 1999 | 2001 |
| 2. | रिवाड़ी | 1996 | मार्च, 1996 | अक्तूबर, 2000 |
| 3. | रोहतक | 1995 | जनवरी, 1995 | अक्तूबर, 2000 |
| 4. | सोनीपत | 1995 | जनवरी, 1995 | जनू, 2000 |
| 5. | जींद | 1996 | मई, 1996 | अक्तूबर, 2000 |
| 6. | अम्बाला | 1998 | दिसंबर, 1997 | अक्तूबर, 2000 |
| 7. | हिसार | 1993 | जून, 1993 | जून, 2000 |
| 8. | फरीदाबाद | 1998 | मार्च, 1997 | अक्तूबर, 2000 |
| **सर्किल का नाम : उड़ीसा** | | | | |
| 1. | बेरहामपुर | 1995 | जनवरी, 1995 | अगस्त, 2000 |
| 2. | सम्बलपुर | 1997 | दिसंबर, 1996 | अगस्त, 2000 |
| 3. | बालासोर | 1997 | फरवरी, 1997 | अगस्त, 2000 |
| 4. | भुवनेश्वर | 1998 | फरवरी, 1997 | अगस्त, 2000 |
| 5. | कटक | 1998 | मार्च, 1998 | अगस्त, 2000 |
| 6. | बारीपाड़ा | 1998 | जनवरी, 1998 | अगस्त, 2000 |
| 7. | बोलनगीर | 1998 | जनवरी, 1998 | अगस्त, 2000 |
| 8. | धेनकनाल | 1998 | जून, 1998 | अगस्त, 2000 |
| 9. | कोरापुट | 1998 | अगस्त, 1998 | अगस्त, 2000 |
| 10. | रूड़केला | 1999 | मार्च, 1999 | अगस्त, 2000 |
| 11. | भवानीपटना | 1998 | जनवरी, 1998 | अगस्त, 2000 |
| **सर्किल का नाम : आंध्र प्रदेश** | | | | |
| 1. | श्रीकाकुलम | 1997 | मार्च, 1997 | मार्च, 2000 |
| 2. | विजयानगरम | 1999 | मार्च, 1999 | 2000 |
| 3. | विशाखापट्टनम | 1998 | अप्रैल, 1998 | अनंतिम |
| 4. | राजामुंद्रै | 1996 | जनवरी, 1996 | मार्च, 2000 |
| 5. | एलूरू | 1997 | अप्रैल, 1996 | मार्च, 2000 |
| 6. | विजयवाड़ा | 1998 | जनवरी, 1998 | मार्च, 2000 |
| 7. | गुंटूर | 1999 | अप्रैल, 1999 | मई, 2000 |
| 8. | अंगोली | 1997 | फरवरी, 199. | मार्च, 2000 |
| 9. | नेल्लूर | 1997 | नवंबर, 1996 | मार्च, 2000 |
| 10. | तिरुपति | 1997 | मार्च, 1997 | मार्च, 2000 |
| 11. | कुद्दपाह | 1998 | जून, 1998 | मार्च, 2000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 12. | अनन्तापुर | 1996 | मार्च, 1996 | मार्च, 2000 |
| 13. | करनूल | 1999 | नवंबर, 1998 | मार्च, 2000 |
| 14. | महबूबनगर | 1999 | जुलाई 1999 | 2000 |
| 15. | संगारेड्डी | 1996 | जुलाई, 1996 | मार्च, 2000 |
| 16. | निजामाबाद | 1999 | अक्तूबर, 1999 | 2000 |
| 17. | अदीलाबाद | 1998 | दिसंबर, 1997 | मार्च, 2000 |
| 18. | करीमनगर | 1996 | अक्तूबर, 1996 | मार्च, 2000 |
| 19. | वारंगल | 1999 | अगस्त, 1999 | मार्च, 2000 |
| 20. | खम्माम | 1999 | जून, 1999 | — |
| 21. | नलगोंडा | 1999 | अक्तूबर, 1999 | 2000 |
| 22. | हैदराबाद और रंगारेड्डी | 1996 | जून, 1998 | मई, 2000 |

**सर्किल का नाम : पश्चिम बंगाल**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | सिलीगुढ़ी | 1997 | मार्च, 1997 | मार्च, 2000 |
| 2. | जलपाईगुढ़ी तथा कोचेहर | 1997 | नवंबर, 1997 | अप्रैल, 2000 |
| 3. | कलकत्ता | 1997 | मार्च, 1997 | मार्च, 2000 |
| 4. | बेरहामपुर | 1999 | मार्च, 1999 | दिसंबर, 2000 |
| 5. | मालदा तथा रायगंज | 1999 | अप्रैल, 1999 | अप्रैल, 2000 |
| 6. | गंगटोक | 1999 | जुलाई, 1999 | जुलाई, 2000 |
| 7. | आसनसोल | 1997 | मार्च, 1997 | मार्च, 2000 |
| 8. | बंकुरा तथा पुरुलिया | 1997 | जून, 1997 | अप्रैल, 2000 |
| 9. | कृष्णानगर | 1997 | मार्च, 1997 | अप्रैल, 2000 |
| 10. | खड्गपुर | 1997 | जुलाई, 1997 | अगस्त, 2000 |
| 11. | सूरी | 1998 | जुलाई, 1998 | जुलाई, 2000 |

**सर्किल का नाम : उत्तर प्रदेश (पूर्वी)**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | कानपुर | 1999 | अक्तूबर, 1998 | जून, 2000 |
| 2. | लखनऊ | 1997 | दिसंबर, 1996 | जून, 2000 |
| 3. | वाराणसी | 1999 | सितंबर, 1993 | अक्तूबर, 2000 |
| 4. | इलाहाबाद | 1999 | नवंबर, 1998 | मार्च, 2000 |
| 5. | गोरखपुर | 1998 | जनवरी, 1998 | मार्च, 2000 |
| 6. | झांसी | 1998 | जून, 1998 | मार्च, 2000 |
| 7. | मऊ | 1998 | जून, 1995 | मार्च, 2000 |
| 8. | सीतापुर | 1998 | अक्तूबर, 1996 | मार्च, 2000 |
| 9. | बाराबंकी | 1999 | अगस्त, 1996 | सितंबर, 2000 |
| 10. | फैजाबाद | 1998 | अगस्त, 1998 | मार्च, 2000 |
| 11. | इटावा | 1999 | जून, 1997 | अगस्त, 2000 |
| 12. | फर्रुखाबाद | 1998 | जून, 1998 | जून, 2000 |
| 13. | मिर्जापुर | 1999 | दिसंबर, 1995 | सितंबर, 2000 |
| 14. | बस्ती | 1998 | जून, 1998 | मार्च, 2000 |
| 15. | लखीमपुर | 1999 | अक्तूबर, 1998 | मार्च, 2000 |
| 16. | गोंडा | 1998 | जुलाई, 1998 | मार्च, 2000 |
| 17. | शाहजहांपुर | 1998 | अक्तूबर, 1998 | मार्च, 2000 |
| 18. | उन्नाव | 1997 | अक्तूबर, 1998 | मार्च, 2000 |
| 19. | बांदा | 1998 | अगस्त, 1998 | मार्च, 2000 |
| 20. | हमीरपुर | 1997 | अक्तूबर, 1997 | मार्च, 2000 |
| 21. | रायबरेली | 1998 | जून, 1998 | जून, 2000 |
| 22. | मैनपुरी | 1997 | अक्तूबर, 1997 | मार्च, 2000 |
| 23. | उरई | 1997 | अक्तूबर, 1997 | मार्च, 2000 |
| 24. | बलिया | 1998 | सितंबर, 1998 | मार्च, 2000 |
| 25. | गाजीपुर | 1999 | नवंबर, 1999 | मार्च, 2001 |
| 26. | आजमगढ़ | 1998 | अगस्त, 1998 | मार्च, 2000 |
| 27. | जौनपुर | 1998 | अगस्त, 1998 | मार्च, 2000 |
| 28. | सुल्तानपुर | 1999 | नवंबर, 1999 | मार्च, 2001 |
| 29. | प्रतापगढ़ | 1999 | जुलाई, 1999 | जनवरी, 2001 |
| 30. | बहराइच | 1999 | दिसंबर, 1998 | मार्च, 2000 |
| 31. | हरदोई | 1998 | मार्च, 1998 | मार्च, 2000 |
| 32. | फतेहपुर | 1998 | मार्च, 1998 | मार्च, 2000 |

**सर्किल का नाम : तमिलनाडु सर्किल**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | कोयम्बटूर | 1999 | जनवरी, 1999 | जून, 2000 |
| 2. | मदुरै | 1997 | मार्च, 1997 | अनंतिम |
| 3. | त्रिची | 1997 | नवंबर, 1996 | अनंतिम |
| 4. | सेलम | 1998 | मार्च, 1998 | अनंतिम |
| 5. | इरोड | 1996 | सितंबर, 1995 | सितंबर, 2000 |
| 6. | तंजावुर | 1996 | नवंबर, 1995 | सितंबर, 2000 |
| 7. | वेल्लूर | 1999 | सितंबर, 1998 | अप्रैल, 2000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 8. | कुड्डालूर | 1996 | मार्च, 1996 | सितंबर, 2000 |
| 9. | पांडिचेरी | 1999 | जुलाई, 1998 | अप्रैल, 2000 |
| 10. | तिरुनवेलि | 1996 | मई, 1996 | 2000 |
| 11. | धर्मापुरी | 1995 | जून, 1995 | अनंतिम |
| 12. | नागरकोएल | 1996 | मार्च, 1996 | मार्च, 2000 |
| 13. | टयूटीकोरीन | 1996 | अक्तूबर, 1996 | मार्च, 2000 |
| 14. | नीलगिरि | 1997 | मार्च, 1997 | अनंतिम |
| 15. | वीरुधुनगर | 1997 | जनवरी, 1997 | अनंतिम |
| 16. | करैकुठी | 1996 | जुलाई, 1995 | अनंतिम |
| 17. | चेंगलपट्टू | 1996 | अक्तूबर, 1995 | अनंतिम |
| 18. | कुम्बाकोनम | नया—एस एस ए | | अनंतिम |
| | **सर्किल का नाम : उत्तर पूर्व सर्किल** | | | |
| 1. | अरुणाचल प्रदेश | 1998 | जनवरी, 1998 | अंतिम रूप नहीं दिया गया |
| 2. | मणिपुर | 1998 | सितंबर, 1997 | मार्च, 2000 |
| 3. | मेघालय | 1994 | जून, 1996 | मार्च, 2000 |
| 4. | मिजोरम | 1999 | मार्च, 1999 | अंतिम रूप नहीं दिया गया |
| 5. | नागालैंड | 1999 | जून, 1999 | अंतिम रूप नहीं दिया गया |
| 6. | त्रिपुरा | 1999 | जून, 1998 | अंतिम रूप नहीं दिया गया |
| | **सर्किल का नाम : केरल** | | | |
| 1. | त्रिवेन्द्रम | 1999 | मार्च, 1998 | अंतिम रूप नहीं दिया गया |
| 2. | कोल्लाम | 1997 | सितंबर, 1996 | मार्च, 2000 |
| 3. | पथनाम थिट्टा | 1999 | अगस्त, 1999 | जनवरी, 2001 |
| 4. | अलपुजहा | 1999 | अक्तूबर, 1998 | जून, 2000 |
| 5. | कोट्टायम | 1999 | अगस्त, 1999 | जनवरी, 2001 |
| 6. | एर्नाकुलम | 1999 | सितंबर, 1998 | मार्च, 2000 |
| 7. | त्रिचूर | 1999 | नवंबर, 1998 | अंतिम रूप नहीं दिया गया |
| 8. | पालक्काड | 1998 | जून, 1998 | मार्च, 2000 |
| 9. | कन्नूर | 1999 | फरवरी, 1999 | जुलाई, 1999 |
| 10. | कालीकट | 1997 | मार्च, 1997 | मार्च, 2000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | **सर्किल का नाम : कर्नाटक सर्किल** | | | |
| 1. | चिकमंगलूर | 1998 | नवंबर, 1997 | मार्च, 2000 |
| 2. | बेलगाम | 1999 | अप्रैल, 1999 | नवंबर, 2000 |
| 3. | शिमोगा | 1999 | अगस्त, 1997 | मार्च, 2000 |
| 4. | कोलार | 1998 | नवंबर, 1997 | मार्च, 2000 |
| 5. | बिदार | 1997 | दिसंबर, 1997 | मार्च, 2000 |
| 6. | बिल्लारी | 1998 | सितंबर, 1997 | मार्च, 2000 |
| 7. | मांडया | 1997 | दिसंबर, 1997 | मार्च, 2000 |
| 8. | कोडागू (मेरकारे) | 1997 | नवंबर, 1997 | मार्च, 2000 |
| 9. | गुलबर्गा | 1997 | अक्तूबर, 1997 | मार्च, 2000 |
| 10. | कारवर (उत्तर कन्नाडा) | 1998 | मार्च, 1998 | मार्च, 2000 |
| 11. | मंगलोर | 1998 | मार्च, 1998 | मार्च, 2000 |
| 12. | हसन | 1997 | दिसंबर, 1997 | मार्च, 2000 |
| 13. | बीजापुर | 1997 | दिसंबर, 1997 | मार्च, 2000 |
| 14. | हुबली/धारवाड़ | 1999 | मार्च, 1999 | सितंबर, 2000 |
| 15. | रायचूर | 1998 | सितंबर, 1997 | सितंबर, 2000 |
| 16. | चित्रदुर्ग (दावनगेरे) | 1999 | मई, 1999 | नवंबर, 2000 |
| 17. | तुमकुर | 1997 | दिसंबर, 1997 | मार्च, 2000 |
| 18. | मैसूर | 1999 | मार्च, 1999 | नवंबर, 2000 |
| 19. | बंगलौर | 1999 | जून, 1999 | अक्तूबर, 2000 |
| | **सर्किल का नाम : बिहार** | | | |
| 1. | आरा | 1997 | अगस्त, 1997 | सितंबर, 2000 |
| 2. | भागलपुर | 1996 | अक्तूबर, 1996 | सितंबर 2000 |
| 3. | छपरा | 1997 | अगस्त, 1996 | सितंबर, 2000 |
| 4. | धनबाद | 1997 | अगस्त, 1997 | सितंबर, 2000 |
| 5. | दरभंगा | 1997 | मार्च, 1997 | सितंबर, 2000 |
| 6. | दुमका | 1997 | अगस्त, 1996 | सितंबर, 2000 |
| 7. | गया | 1997 | अगस्त, 1997 | सितंबर, 2000 |
| 8. | हजारीबाग | 1997 | अगस्त, 1997 | सितंबर, 2000 |
| 9. | जमशेदपुर | 1997 | अगस्त, 1997 | सितंबर, 2000 |
| 10. | कटिहार | 1997 | अक्तूबर, 1996 | सितंबर, 2000 |
| 11. | मोतीहारी | 1997 | अगस्त, 1997 | सितंबर, 2000 |
| 12. | मुजफ्फरपुर | 1994 | दिसंबर, 1993 | सितंबर, 2000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 13. | मुंगेर | 1996 | अक्तूबर, 1996 | सितंबर, 2000 |
| 14. | पटना | 1996 | नवंबर, 1996 | अप्रैल, 2000 |
| 15. | रांची | 1997 | दिसंबर, 1996 | सितंबर, 2000 |
| 16. | सासाराम | 1997 | अगस्त, 1997 | सितंबर, 2000 |
| 17. | सहरसा | 1997 | अक्तूबर, 1996 | सितंबर, 2000 |
| 18. | डाल्टनगंज | 1997 | अगस्त, 1997 | सितंबर, 2000 |
| **सर्किल का नाम : पंजाब सर्किल** | | | | |
| 1. | अमृतसर | 1998 | अक्तूबर, 1997 | जून, 2000 |
| 2. | भटिंडा | 1996 | मई, 1997 | जून, 2000 |
| 3. | चंडीगढ़ | 1998 | मार्च, 1998 | जून, 2000 |
| 4. | फिरोजपुर | 1996 | मई, 1998 | जून, 2000 |
| 5. | होशियारपुर | 1997 | फरवरी, 1997 | जून, 2000 |
| 6. | जालन्धर | 1999 | अगस्त, 1998 | जून, 2000 |
| 7. | लुधियाना | 1998 | फरवरी, 1999 | जून, 2000 |
| 8. | पटियाला | 1998 | दिसंबर, 1997 | जून, 2000 |
| 9. | पठानकोट | 1997 | मार्च, 1997 | जून, 2000 |
| 10. | रोपड़ | 1994 | मार्च, 1994 | जून, 2000 |
| 11. | संगरूर | 1997 | अक्तूबर, 1996 | जून, 2000 |
| **सर्किल का नाम : असम सर्किल** | | | | |
| 1. | गुवाहाटी | 1999 | अक्तूबर, 1998 | जून, 2000 |
| 2. | सिलचर | 1996 | मार्च, 1995 | मार्च, 2000 |
| 3. | तेजपुर | 1996 | मार्च, 1995 | जून, 2001 |
| 4. | बोंगईगांव | 1996 | मार्च, 1995 | मई, 2000 |
| 5. | जोरहाट | 1998 | नवंबर, 1997 | मार्च, 2000 |
| 6. | डिबरुगढ़ | 1998 | नवंबर, 1997 | मार्च, 2000 |
| 7. | नगांव | 1998 | मई, 1997 | मई, 2000 |
| **सर्किल का नाम : राजस्थान सर्किल** | | | | |
| 1. | अजमेर | 1998 | मई, 1997 | मार्च, 2001 |
| 2. | अलवर | 1999 | सितंबर, 1998 | मार्च, 2001 |
| 3. | भरतपुर | 1999 | जनवरी, 1999 | मार्च, 2001 |
| 4. | भिलवाड़ा | 1999 | जनवरी, 1999 | मार्च, 2001 |
| 5. | पाली मरवर | 1998 | अक्तूबर, 1997 | मार्च, 2001 |
| 6. | सरोही | 1999 | नवंबर, 1998 | मार्च, 2001 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 7. | जोधपुर | 1998 | सितंबर, 1997 | मार्च, 2001 |
| 8. | जयपुर | 1999 | मार्च, 1999 | मार्च, 2001 |
| 9. | उदयपुर | 1999 | सितंबर, 1998 | मार्च, 2001 |
| 10. | बीकानेर | 1998 | फरवरी, 1998 | मार्च, 2001 |
| 11. | श्री गंगानगर | 1997 | सितंबर, 1996 | मार्च, 2001 |
| 12. | झुनझुनू | 1999 | दिसंबर, 1997 | मार्च, 2001 |
| 13. | कोटा | 1999 | जनवरी, 1999 | मार्च, 2000 |
| 14. | बारमेर | 1997 | जुलाई, 1996 | मार्च, 2001 |
| 15. | चित्तौरगढ़ | 1998 | मार्च, 1998 | मार्च, 2001 |
| 16. | टोंक | 1999 | अक्तूबर, 1998 | मार्च, 2001 |
| 17. | बूंदी | 1999 | अगस्त, 1998 | मार्च, 2001 |
| 18. | चूरू | 1997 | सितंबर, 1995 | मार्च, 2002 |
| 19. | बांसवारा | 1998 | जनवरी, 1998 | मार्च, 2001 |
| 20. | सीकर | 1998 | जुलाई, 1998 | मार्च, 2001 |
| 21. | सवाई माधोपुर | 1998 | जून, 1998 | मार्च, 2001 |
| 22. | झालावार | 1997 | मार्च, 1997 | मार्च, 2001 |
| 23. | जैसलमेर | 1997 | जुलाई, 1996 | मार्च, 2001 |
| 24. | नागौर | 1999 | मार्च, 1999 | मार्च, 2001 |
| **सर्किल का नाम : उत्तर प्रदेश (पश्चिम) सर्किल** | | | | |
| 1. | आगरा | 1998 | मार्च, 1998 | मार्च, 2000 |
| 2. | अलीगढ़ | 1998 | मार्च, 1999 | मार्च, 2000 |
| 3. | अल्मोरा | 1999 | दिसंबर, 1998 | मार्च, 2000 |
| 4. | बरेली | 1998 | मई, 1998 | सितंबर, 2000 |
| 5. | बिजनौर | 1999 | मार्च, 1999 | जून, 2000 |
| 6. | देहरादून | 1998 | मार्च, 1998 | मई, 2000 |
| 7. | एटा | 1994 | मार्च, 1994 | मार्च, 2000 |
| 8. | गाजियाबाद | 1996 | दिसंबर, 1995 | दिसंबर, 2000 |
| 9. | मेरठ | 1999 | जून, 1998 | दिसंबर, 2000 |
| 10. | मुरादाबाद | 1999 | जनवरी, 1999 | अप्रैल, 2000 |
| 11. | मुजफ्फरनगर | 1999 | सितंबर, 1997 | मार्च, 2000 |
| 12. | मथुरा | 1999 | मार्च, 1999 | अप्रैल, 2000 |
| 13. | नैनीताल | 1997 | मार्च, 1997 | मार्च, 2000 |
| 14. | श्रीनगर (गढ़वाल) | 1999 | फरवरी, 1999 | मार्च, 2000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 15. | रामपुर | 1999 | मार्च, 1999 | मार्च, 2000 |
| 16. | सहारनपुर | 1998 | दिसंबर, 1997 | मार्च, 2000 |
| 17. | बदायूं | 1995 | 1995 | जून, 2000 |
| 18. | उत्तर काशी | 1998 | जुलाई, 1998 | मई, 2000 |
| 19. | पीलीभीत | 1999 | अगस्त, 1999 | अगस्त, 2000 |
| सर्किल का नाम : महाराष्ट्र सर्किल | | | | |
| 1. | सतारा | 1999 | मार्च, 1999 | अगस्त, 2000 |
| 2. | गोवा | 1999 | जनवरी, 1999 | मार्च, 2000 |
| 3. | नागपुर | 2000 | जून, 1999 | जनवरी, 2001 |
| 4. | संगली | 1998 | मई, 1998 | जून, 2001 |
| 5. | अहमदनगर | 1999 | अगस्त, 1998 | अप्रैल, 2000 |
| 6. | पूना | 1999 | मई, 1999 | अक्तूबर, 2000 |
| 7. | कल्याण | 1998 | जनवरी, 1998 | मार्च, 2000 |
| 8. | औरंगाबाद | 1999 | जून, 1999 | नवंबर, 2000 |
| 9. | रायगढ़ | 1999 | दिसंबर, 1998 | अगस्त, 2000 |
| 10. | सोलापुर | 2000 | सितंबर, 1999 | जनवरी, 2000 |
| 11. | जलगांव | 1998 | सितंबर, 1998 | मई, 2000 |
| 12. | एम/ए नानदेड़ | 1999 | जून, 1999 | मई, 2000 |
| 13. | कोल्हापुर | 1999 | नवंबर, 1998 | मार्च, 2000 |
| 14. | नासिक | 1998 | जून, 1998 | मार्च, 2000 |
| 15. | धूले | 1999 | अप्रैल, 1999 | जून, 2000 |
| 16. | सिंधुदुर्ग | 1998 | अक्तूबर, 1997 | मार्च, 2000 |
| 17. | रतनागिरी | 1998 | दिसंबर, 1997 | मार्च, 2000 |
| 18. | लातूर | 1997 | अप्रैल, 1997 | मार्च, 2000 |
| 19. | उस्मानाबाद | 1999 | नवंबर, 1998 | मार्च, 2000 |
| 20. | जालना | 1997 | मार्च, 1997 | मार्च, 2000 |
| 21. | परभानी | 1998 | मार्च, 1998 | मार्च, 2000 |
| 22. | बीड़ | 1999 | मई, 1999 | अक्तूबर, 2000 |
| 23. | अकोला | 1999 | मई, 1999 | नवंबर, 2000 |
| 24. | अमरावती | 1999 | मार्च, 1999 | अक्तूबर, 2000 |
| 25. | बान्द्रा | 1999 | जून, 1999 | अक्तूबर, 2000 |
| 26. | बुल्ढाना | 1999 | मार्च, 1999 | अगस्त, 2000 |
| 27. | चन्द्रापुर एवं गडचिरोली | 1999 | अप्रैल, 1999 | मार्च, 2000 |
| 28. | वर्धा | 1999 | मार्च, 1999 | अक्तू, 2000 |
| 29. | यवतमाल | 1999 | जून, 1999 | अक्तूबर, 2000 |
| मैट्रो जिले का नाम : मुम्बई | | | | |
| 1. | मुम्बई | 1999 | अगस्त, 1999 | मार्च, 2000 |
| मैट्रो जिले का नाम : दिल्ली | | | | |
| 1. | दिल्ली | 1999 | अक्तूबर, 1998 | मार्च, 2000 |
| मैट्रो जिले का नाम : चेन्नई | | | | |
| 1. | चेन्नई | सितंबर, 1999 मार्च, 1999 | | अगस्त, 2000 |
| मैट्रो जिले का नाम : कलकत्ता | | | | |
| 1. | कलकत्ता | 1998 | मार्च, 1996 | मार्च, 2000 |

### दिल्ली में सीएनजी बिक्री केन्द्रों की स्थापना

2742. श्री भीम दाहाल : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में दिल्ली में कितने संपीड़ित प्राकृतिक गैस खुदरा बिक्री केन्द्र काम कर रहे हैं;

(ख) क्या निकट भविष्य में उक्त शहर में और सी एन जी बिक्री केन्द्रों को स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) आज की तारीख के अनुसार दिल्ली में 12 सी एन जी वितरण केन्द्र प्रचालनरत हैं।

(ख) और (ग) सरकार ने 31.3.2000 तक सी एन जी बिक्री केन्द्रों की संख्या 80 तक बढ़ाने के लिए अन्य बातों के साथ-साथ गेल, बी पी सी एल तथा दिल्ली सरकार की इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड नामक संयुक्त उद्यम कंपनी का गठन किया है।

### घाटे में चल रहे पत्तन

2743. श्री ए० नरेन्द्र : क्या जल भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने घाटे में चल रहे पत्तनों की पहचान कर ली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ये कब से घाटे में चल रहे हैं; और

(ग) इन पत्तनों का कार्य-निष्पादन बेहतर करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

**जल भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देवेन्द्र प्रधान) :** (क) जी, नहीं। सभी महापत्तन न्यास प्रचालन अधिशेष अर्जित कर रहे हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

*[हिन्दी]*

## राष्ट्रीय राजमार्ग-24 पर कार्य

**2744. डा० बलिराम :** क्या जल भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग-24 पर किए जा रहे कार्य का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन कार्यों के लिए कितना वित्तीय आबंटन किया गया है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस कार्य को शीघ्र पूरा करने के उद्देश्य से वर्तमान वित्तीय आबंटन बढ़ाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**जल भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देवेन्द्र प्रधान) :** (क) 5.00 करोड़ रु० और इससे अधिक प्रत्येक की लागत के निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्य प्रगति की विभिन्न अवस्थाओं में हैं :

| क्रम सं० | कार्य का नाम | संस्वीकृत लागत (करोड़ रु.) | पूर्ति की निर्धारित तारीख | अभ्युक्तियां |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | गाजियाबाद-हापुड़ खंड में चार लेन बनाना जिसमें चार-लेन हापुड़-बाइपास का निर्माण भी शामिल है। | 98.89 | अप्रैल, 2002 | जे बी आई सी (ओईसीएफ) की ऋण सहायता के तहत भा.रा.रा.प्रा. द्वारा निष्पादित किया जा रहा है। |
| 2. | मुरादाबाद बाइपास का निर्माण | 104.02 | अक्तूबर, 2001 | बी ओ टी परियोजना विशेष माध्यम से भा.रा.रा.प्रा. द्वारा निष्पादित की जा रही है। |
| 3. | सहारनपुर बाइपास का निर्माण | 17.47 | मार्च, 2001 | बाइपास पूरा हो चुका है। गाइड बंद प्रगति पर है। |
| 4. | 343 कि०मी० से 360 कि०मी० में कमजोर दो लेन पेवमेंट को सुदृढ़ करना। | 5.42 | जून, 2000 | — |
| 5. | 461 कि०मी० से 471 कि०मी० और 474 कि०मी० से 481 कि०मी० में कमजोर दो लेन पेवमेंट को सुदृढ़ करना। | 8.70 | मार्च, 2001 | — |

(ख) राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए राज्य को आबंटन समग्र रूप में किया जाता है न कि राष्ट्रीय राजमार्ग-वार।

(ग) और (घ) कार्यों की निधियों का उपलब्धता के अध्यधीन ऊपर (क) में उल्लिखित तारीखों के अनुसार पूरा करने का लक्ष्य है। निर्धारित समय-सारणी से पहले कार्य को पूरा करने के लिए शीघ्रता बरतने हेतु वित्तीय आबंटन में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

## प्रमुख पत्तनों के वर्तमान प्रबंधन ढांचे में परिवर्तन

**2745. श्री सुकदेव पासवान :**
**श्री नवल किशोर राय :**

क्या जल भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के प्रमुख पत्तनों के वर्तमान प्रबंधन ढांचे में परिवर्तन करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित प्रबंधन ढांचे की विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने उक्त निर्णय को क्रियान्वित करने हेतु कोई समय सीमा निर्धारित की है;

(घ) यदि हां, तो देश के समस्त पत्तनों के वर्तमान प्रबंध ढांचे के स्थान पर कब तक नये प्रबंधन ढांचे को स्थापित कर दिया जाएगा; और

(ङ) इस निर्णय के फलस्वरूप होने वाले लाभ कौन-कौन से हैं?

**जल भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देवेन्द्र प्रधान) :** (क) से (ङ) महापत्तनों का चरणबद्ध रूप में निगमीकरण करने का निर्णय लिया गया है। पत्तनों के निगमीकरण के अंतर्गत उन्हें कंपनियों में बदला जाता है जिन्हें प्राधिकार और निर्णय लेने की स्वतंत्रता होगी। इसका उद्देश्य वाणिज्यिक और निवेश निर्णय लेने में प्रबंध को प्रचालनात्मक स्वतंत्रता और लचीलापन उपलब्ध कराना है। इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कोई समय अवधि निर्धारित नहीं की गई है।

*[अनुवाद]*

## बाघ परियोजना

**2746. श्री रामशकल :**
**श्री अकबर अली खांदोकर :**

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाघ परियोजना अपना लक्ष्य प्राप्त करने में असफल रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा देश में राज्य-वार कितने बाघ हैं;

(ग) क्या इनकी संख्या में अत्यधिक कमी आ रही है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) अधिक संख्या में बाघ वाले क्षेत्रों के संरक्षण हेतु सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी)** : (क) से (ङ) जी, नहीं। वास्तव में बाघ परियोजना को एक सफल बाघ संरक्षण कार्यक्रम माना गया है क्योंकि जब 1973 में इसे शुरू किया गया था तब से लेकर 1989 तक देश में बाघों की संख्या में निरन्तर वृद्धि हुई है। फिर भी, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बाघों के अंगों की मांग को पूरा करने के लिए मुख्यत: सुरक्षित क्षेत्रों से बाहर विछिन्न बाघ वासस्थलों मे मानव-जानवरों के मध्य होते संघर्ष और अवैध शिकार के कारण वर्ष 1993 के दौरान बाघों की जनसंख्या में कमी दर्ज की गई थी। पूर्व निरन्तर आकलन के अनुसार बाघों की राज्य-वार जनसंख्या संलग्न विवरण-I में दी गई है। सरकार ने बाघों और इनके वासस्थलों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए कई उपाय किए हैं जो विवरण-II में दिए गए हैं।

**विवरण-I**

*राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार देश में बाघों की संख्या*

| क्रम सं० | राज्य का नाम | 1972 | 1979 | 1984 | 1989 | 1993 | 1997 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | तमिलनाडु | 33 | 65 | 97 | 95 | 97 | 62 |
| 2. | महाराष्ट्र | 160 | 174 | 301 | 417 | 276 | 257 |
| 3. | पश्चिम बंगाल | 73 | 296 | 352 | 353 | 335 | 361 |
| 4. | हरियाणा | 102 | 156 | 202 | 257 | 305 | 350 |
| 5. | बिहार | 85 | 110 | 138 | 157 | 137 | 103 |
| 6. | असम | 147 | 300 | 376 | 376 | 325 | 458 |
| 7. | राजस्थान | 74 | 79 | 96 | 99 | 64 | 58 |
| 8. | मध्य प्रदेश | 457 | 529 | 786 | 985 | 912 | 927 |
| 9. | उत्तर प्रदेश | 262 | 487 | 698 | 735 | 465 | 475 |
| 10. | आंध्र प्रदेश | 35 | 148 | 164 | 235 | 197 | 171 |
| 11. | मिजोरम | — | 65 | 33 | 18 | 28 | 12 |
| 12. | गुजरात | 8 | 7 | 9 | 9 | 5 | 1 |
| 13. | गोआ, दमन और दीव | — | — | — | 2 | 3 | 6 |
| 14. | उड़ीसा | 142 | 173 | 202 | 243 | 226 | 194 |
| | कुल | 1578 | 2589 | 3454 | 3981 | 3375 | 3435 |
| 15. | केरल | 60 | 134 | 89 | 45 | 57 | असूचित |
| 16. | मेघालय | 32 | 35 | 125 | 34 | 53 | असूचित |
| 17. | मणिपुर | 1 | 10 | 6 | 31 | — | असूचित |
| 18. | त्रिपुरा | 7 | 6 | 5 | — | — | असूचित |
| 19. | नागालैंड | 80 | 102 | 104 | 104 | 83 | असूचित |
| 20. | अरुणाचल प्रदेश | 69 | 139 | 219 | 135 | 180 | असूचित |
| 21. | सिक्किम | — | — | 2 | 4 | 2 | असूचित |
| 22. | हरियाणा | — | — | 1 | — | — | असूचित |
| | | 249 | 426 | 551 | 353 | 375 | असूचित |

**विवरण-II**

*भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदम*

**राष्ट्रीय स्तर पर**

1. वन्यजीवों के अवैध शिकार और अवैध व्यापार को रोकने के लिए सीमा शुल्क, राजस्व आसूचना, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस, सीमा सुरक्षा बल, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, तट-रक्षक, राज्य पुलिस, उप-निदेशक, वन्यजीव संरक्षण और वैज्ञानिक संगठन, यथा भारतीय प्राणि और वनस्पति सर्वेक्षण, जैसी प्रवर्तन एजेंसियों से राष्ट्रीय समन्वय समिति गठित करना।
2. वन्यजीव उत्पादों का व्यापार और तस्करी को रोकने में उपर्युक्त विभागों को पहले से सक्रिय व सजग रहने हेतु जानकारी

देने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम और कार्यशालाओं का आयोजन किया गया।

3. वन्यजीव उत्पादों की तस्करी को रोकने के लिए किए गए प्रयासों में बेहतर समन्वय को सुनिश्चित करने हेतु सचिव (पर्यावरण एवं वन), विशेष सचिव (गृह), निदेशक, सीबीआई और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष के प्रतिनिधि को मिलाकर एक विशेष समन्वय संमिति का सृजन किया गया है।

4. सशस्त्र बलों, वाहनों, संचार नेटवर्क की सुविधाओं सहित सुरक्षा ढांचे को सुदृढ़ बनाने के लिए तथा पार्क प्रबंधकों के बीच समन्वय के लिए राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता दी जा रही है।

5. उत्कृष्ट व शौर्यपूर्ण कार्य करने के लिए अवार्ड व पुरस्कार दिए जाने की एक स्कीम शुरू की गई है। इससे अवैध शिकार और व्यापार आदि घटनाओं का पता लगाकर उसकी सूचना देने को प्रोत्साहन मिलेगा।

6. राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे सतर्कता और लगातार गश्त लगाने के कार्य में तेजी लाएं।

7. वन्यजीवों के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों को बल प्रदान करने में गैर-सरकारी संगठनों तथा अन्य लोगों को शामिल करने के लिए जन-जागरुकता कार्यक्रम चलाना।

8. बाघ के व्यापार वाले क्षेत्रों का पता लगाने के लिए संस्थाओं और गैर-सरकारी संगठनों के कार्यक्रमों में सहायता देना तथा बाघ और उसके उत्पादों के लिए न्यायिक पहचान संदर्भ मैनुअल तैयार करना।

9. क्षेत्रों के पारि-विकास और उन पर जैविक दबाव को कम करने के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता मुहैया की जाती है।

10. बाघ परियोजना क्षेत्रों में विशेष स्थलीय दल।

11. व्यापार को नियंत्रित करने के लिए पूरे देश में विशेष प्रहार बल।

12. वन्यजीव व्यापार नियंत्रण ब्यूरो का सृजन।

**अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर**

1. बाघ संरक्षण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के लिए बाघ रेंज देशों हेतु एक फोरम अर्थात् ग्लोबल फोरम को गठित करना।

2. बाघ संरक्षण के लिए सीमा-पार व्यापार को नियंत्रित करने और आपसी सहयोग हेतु :

   (i) चीन गणराज्य के साथ एक प्रोटोकोल पर हस्ताक्षर किए गए।

   (ii) नेपाल सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

   (iii) बंगलादेश के साथ बातचीत चल रही है।

3. बाघ के अंगों और उसके उत्पादों का अवैध व्यापार रोक[ने] के लिए भारत के प्रस्ताव पर सी आई टी ई एस में क[ई] प्रस्तावों को अंगीकृत किया गया।

4. मार्च, 1999 में सहस्राब्दी बाघ सम्मेलन आयोजित किया गया था। सम्मेलन के घोषणा पत्र में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्त[र] पर बाघों के संरक्षण के लिए कई कार्य बिन्दुओं का सुझाव दिया गया।

## विद्युत परियोजनाओं का उन्नयन

**2747. श्री पी०डी० एलानगोवन :** क्या विद्युत मंत्री यह बता[ने] की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और रूस की सरकार का विचार भारत स्थित विद्युत परियोजनाओं के नवीनीकरण और आधुनिकीकरण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में अब तक सोवियत संघ द्वारा कितनी परियोजनाओं में मदद दी गई है;

(घ) परियोजना-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या भारत ने देश में विद्युत परियोजनाओं के क्रियान्वय[न] हेतु विश्व बैंक से सम्पर्क किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**विद्युत मंत्री तथा खान और खनिज मंत्री (श्री पी०आर० कुमारमंगलम) :** (क) से (घ) नवंबर, 1999 में विद्युत के संबंध में आयोजित इंडो-रसियन कार्यकारी दल की छठवीं बैठक में रूस ने रूसी प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके विद्युत स्टेशन संरचना के नवीकरण और आधुनिकीकरण करने में अपनी अभिरुचि दर्शाई है। भारत सरकार ने सुझाव दिया है कि रूसी कंपनियों को संबंधित राज्य विद्युत बोर्डों के साथ मामले पर सक्रिय रूप से कार्रवाई करनी चाहिए और जब भी इन विद्युत स्टेशनों में नवीकरण और आधुनिकीकरण कार्य आरम्भ किया जाता है तो वे बोली लगा सकते हैं। जिन ताप विद्युत/जल विद्युत स्टेशनों में तत्कालीन यूएसएसआर द्वारा आपूर्ति किए गए उपस्करों की अधिष्ठापना की गई है और जहां नवीकरण एवं आधुनिकीकरण कार्य आरंभ किया जा सकता है, उनके नाम निम्नवत हैं :

**ताप विद्युत स्टेशन और कुल क्षमता** (यूएसएसआर निर्मित जनरेशन यूनिट समेत)

1. पतरातू टी०पी०एस० (4×50 मेगावाट + 2×100 मेगावाट + 4×110 मेगावाट)

2. ओबरा टी०पी०एस० (5×50 मेगावाट + 3×100 मेगावाट + 5×200 मेगावाट)

3. हरदुआगंज 'बी' टी०पी०एस० (2×50 मेगावाट + 2×60 मेगावाट)

4. कोरबा (ई) II टी०पी०एस० (4×50 मेगावाट)

**जल विद्युत स्टेशन और कुल क्षमता** (यूएसएसआर निर्मित जनरेशन यूनिट समेत)

1. मेट्टूर सुरंग एचईपीएस (4×50 मेगावाट)
2. बालीमेला एचईपीएस (6×60 मेगावाट)
3. लोअर सिलेरू एचईपीएस (4×115 मेगावाट)
4. भाखरा राईट बैंक एचईपीएस (5×132 मेगावाट)
5. लिंगान्नकी एचईपीएस (2×27.5 मेगावाट)
6. हीराकुंड-II एचईपीएस (3×24 मेगावाट)

उपरोक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित विद्युत परियोजनाओं को भी सोवियत संघ द्वारा सहायता प्रदान की गई है।

(i) नेवेली ताप विद्युत केन्द्र का जीवन विस्तार कार्य।

(ii) टिहरी चरण-I जल विद्युत।

(iii) कहलगांव ताप विद्युत परियोजना (4×210 मेगावाट)

(iv) विंध्याचल चरण-I (6×210 मेगावाट)

(ङ) और (च) विश्व बैंक ऋण से देश में क्रियान्वित की जा रही विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा निम्नवत है :

| क्रम सं० | परियोजना का नाम | क्षमता (मेगावाट) |
|---|---|---|
| 1. | नाथपा झाकड़ी जल विद्युत परियोजना | 6×250 |
| 2. | कोयना चरण-IV जल विद्युत परियोजना | 4×250 |
| 3. | उड़ीसा विद्युत क्षेत्र पुनर्स्थापना परियोजना | — |
| 4. | हरियाणा विद्युत क्षेत्र पुनर्स्थापन परियोजना | — |
| 5. | आंध्र प्रदेश विद्युत क्षेत्र पुनर्स्थापन परियोजना | — |
| 6. | किशनपुर-मोगा डीसी पारेषण लाईन | — |
| 7. | उत्तरी क्षेत्र भार-प्रेषण और संचार परियोजना | — |
| 8. | दक्षिणी क्षेत्र भार-प्रेषण और संचार परियोजना | — |

उपरोक्त परियोजनाओं के अतिरिक्त अगले तीन वर्षों में सहायता हेतु विश्व बैंक को निम्नलिखित विद्युत परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए हैं।

| क्रम सं० | परियोजना का नाम | धनराशि (मिलियन डॉलर में) |
|---|---|---|
| 1. | उत्तर प्रदेश विद्युत पुनर्स्थापन (एपीएल-I) | 150 |
| 2. | पावरग्रिड-II | सुरक्षित |
| 3. | आंध्र प्रदेश विद्युत एपीएल-II | 100 |
| 4. | हरियाणा विद्युत एपीएल-II | 200 |
| 5. | राजस्थान विद्युत एपीएल-I | 65 (सुरक्षित) |
| 6. | उड़ीसा विद्युत-II | 100 |
| 7. | दिल्ली विद्युत | 260 |

*[हिन्दी]*

## ऊपरि पुल का निर्माण

**2748. श्री रतन लाल कटारिया : क्या जल भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या चंडीगढ़ और पंचकुला (हरियाणा) के बीच एक ऊपरि पुल के निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**जल भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देवेन्द्र प्रधान)** : (क) जी, हां। मध्य मार्ग और पूर्व मार्ग (मध्य मार्ग चंडीगढ़ और पंचकुला के बीच संपर्क स्थापित करता है) के चौराहे पर जंक्शन सं० 43 (ट्रांसपोर्ट चौक) पर एक फ्लाई ओवर के निर्माण का प्रस्ताव है।

(ख) प्रस्तावित फ्लाई-ओवर की समतल सड़कों पर 6 लेन होंगी ताकि मुड़ने वाले यातायात को सुविधा हो।

## विधिक सुधार

**2749. श्री सी० श्रीनिवासन :**
**श्री अनन्त गुढे :**

**क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या सरकार ने उद्योग के उदारीकरण और व्यापार के वैश्वीकरण को देखते हुए प्रभावी निर्णय प्रक्रिया हेतु केन्द्रीय/राज्य विधानों प्रशासनिक कानूनों, विनियमों और पद्धतियों में सुधार के लिए कोई नई पहलें की हैं;

(ख) यदि हां, तो अप्रचलित कानूनों की पहचान करने तथा उन्हें बदलते समय और स्थितियों के अनुसार अद्यतन करने या हटाने के लिए की गई/की जाने वाली कार्यवाही का ब्यौरा क्या है;

(ग) समयबद्ध विधिक सुधारों के लिए नियोजित मानचित्र का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सुधार प्रक्रिया में राज्य सरकारों के लिए क्या भूमिका निश्चित की गई है?

**विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री राम जेठमलानी)** : (क) जी, हां।

(ख) प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय के विधायी विभाग को केन्द्रीय सरकार के प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों और राज्य सरकारों के साथ 1382 ऐसे केन्द्रीय अधिनियमों के निरसन के लिए समन्वय करने की प्रार्थना की है, जिनकी पहचान या तो अप्रचलित या अकृत्यकारी या ऐसे अधिनियमों के रूप में की गई है जिनमें रुपान्तरण की आवश्यकता है। इन अधिनियमितियों का मोटे तौर पर निम्नानुसार वर्गीकरण किया गया है :

1. 166 केन्द्रीय अधिनियम (इसमें 11 पूर्वराष्ट्रीयकरण अधिनियम और 20 विधिमान्यकरण अधिनियम सम्मिलित हैं)।

2. 315 संशोधन अधिनियम।

3. 11 ब्रिटिश कानून।

4. 17 युद्धकालीन स्थाई अध्यादेश।

5. 114 केन्द्रीय अधिनियम, जो संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची (सूची 2) से संबंधित हैं।

6. 700 (लगभग) विनियोग अधिनियम।

7. 35 पुनर्गठन अधिनियम।

8. 12, वे विधियां जो उच्च न्यायालयों को लागू हैं।

9. 12 स्वीय विधियां।

संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय प्रस्तावों का, उन्हें कार्यान्वित करने की दृष्टि से, परीक्षण कर रहे हैं।

(ग) इस प्रक्रिया में संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों द्वारा गहन और सावधानीपूर्वक अध्ययन तथा व्यापक परामर्श आवश्यक है और मामले की गूढ़ता को देखते हुए, विधिक सुधार लाने के लिए कोई कठोर समय-सीमा निर्धारित करना कठिन है।

(घ) राज्य सरकारों से राज्य विधि के क्षेत्र में सुधारों के लिए आवश्यक कदम उठाने के साथ-साथ, ऐसे 114 केन्द्रीय अधिनियमों के निरसन के प्रश्न पर, विचार करना भी अपेक्षित है जो अब भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची में राज्य सूची से संबंधित हैं। राज्य सरकारों से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वे उस समय अपने विचार/टिप्पणियां रखें जब उनसे केन्द्रीय प्रशासनिक मंत्रालय/विभागों द्वारा परामर्श किया जाए। वे विधियों के उत्कृष्ट सामंजस्य के लिए मधुर केन्द्र-राज्य संबंधों के लिए अपेक्षित उपाय सुझाने के लिए भी स्वतंत्र हैं।

## जम्मू-कश्मीर के बारामूला क्षेत्र में एल पी जी एजेंसियां

**2750 श्री अब्दुल रशीद शाहीन : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष जम्मू-कश्मीर के बारामूला जिले में स्थित एजेंसियों को कितने एल पी जी कनेक्शन दिए गए;

(ख) उक्त अवधि के दौरान नये कनेक्शन हेतु इन एजेंसियों के पास कितने व्यक्ति पंजीकृत थे; और

(ग) इन जिलों में जारी किए गए अतिरिक्त कनेक्शन तथा प्रतीक्षा सूची में प्रतीक्षारत उपभोक्ताओं की संख्या कितनी है और इनका एजेंसी-वार ब्यौरा क्या है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) :** (क) फिलहाल जम्मू और कश्मीर के बारामूला जिले में 4 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटर प्रचालन कर रहे हैं तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान इन डिस्ट्रीब्यूटरों द्वारा जारी किए गए कनेक्शनों की संख्या निम्नानुसार है :

| | | |
|---|---|---|
| 1996-97 | — | 10372 |
| 1997-98 | — | 5574 |
| 1998-99 | — | 3720 |

(ख) और (ग) जम्मू और कश्मीर राज्य में बारामूला जिले में मांग पर नए कनेक्शन जारी किए जा रहे हैं तथा प्रतीक्षा सूची पर कोई व्यक्ति नहीं रखा जाता।

*[हिन्दी]*

## कोयल-कारो योजना

**2754. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में छोटा नागपुर स्थित कोयल-कारो योजना की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) यह योजना कब तक पूरी हो जाएगी?

**विद्युत मंत्री तथा खान और खनिज मंत्री (श्री पी०आर० कुमारमंगलम) :** (क) से (ग) बिहार के कोयल-कारो जल विद्युत परियोजना (710 मेगावाट) को आरंभ में मार्च, 1980 के मूल्य स्तर पर 444.67 करोड़ रु० की अनुमानित लागत पर जून, 1981 में अनुमोदन दिया गया था। हालांकि स्थानीय लोगों द्वारा इसके लिए भूमि प्राप्ति का विरोध किए जाने के कारण इसमें ज्यादा काम नहीं किया जा सका। अगस्त, 1984 में सर्वोच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर कर अन्य बातों के साथ-साथ विस्थापित लोगों के पुनर्वास की मांग की गई। आर एंड आर पैकेज सुपुर्दगी के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय ने रोक आदेश को 6.2.89 को हटा दिया एवं निर्देश दिया कि पुनर्वास योजना को लागू किया जाए एवं इस स्थिति से उत्पन्न समस्या के लिए क्षतिपूर्ति की जाए। नवंबर, 1991 में भारत सरकार ने परियोजना की संशोधित लागत अनुमान, जो 1338.81 करोड़ रु० था, को अनुमोदन दे दिया।

सरकार द्वारा धीमी प्रगति कर रहे केन्द्रीय क्षेत्र परियोजनाओं की समीक्षा के लिए गठित सेंट्रल इम्पावर्ड कमेटी की दिनांक 26.2.97 को हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया कि परियोजना पर आगे किसी भी प्रकार के व्यय पर रोक लगा दी जाए। इस प्रकार परियोजना संबंधी कार्य को रोक दिया गया। तत्पश्चात् बिहार के माननीय सांसदों के निवेदन के आधार पर विद्युत मंत्रालय ने परियोजना पर पुन: कार्य शुरू करने के लिए कदम उठाया। बिहार की कोयल-कारो जल विद्युत परियोजना को सरकार द्वारा 8.10.98 को अनुमोदित बृहत् विद्युत परियोजना नीति के अंतर्गत अभिज्ञात बृहत् विद्युत परियोजनाओं में से एक माना गया है। बृहत् परियोजनाएं रियायत के लिए भी हकदार हैं जिससे कि परियोजनाओं का टैरिफ और भी आकर्षक बनेगा।

इसके बाद विद्युत मंत्रालय ने बिहार सरकार से अनुरोध किया है कि वे परियोजना प्रभावित लोगों का पुन: सर्वेक्षण कराएं जिससे कि एनएचपीसी सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार पर्यावरणीय प्रबंधन योजना (ईएमपी) तैयार कर सके। क्रियान्वयन के पूर्व केन्द्रीय क्षेत्र विद्युत परियोजनाओं से बिजली के खरीददारों की ठोस वचनबद्धता लेना आवश्यक है। उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल ने परियोजना के बिजली को खरीदने से इनकार कर दिया है क्योंकि उनके अनुसार इसकी 7.13 रु० प्रति यूनिट की अनंतिम टैरिफ काफी महंगी है। बिहार ने इस परियोजना से बिजली खरीदने की वचनबद्धता दी है जो यह उस सीमा तक लेगा तो विद्यमान टैरिफ दर के हिसाब से इसके लिए जरूरी हो।

*[अनुवाद]*

## भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को अधिक अधिकार

2752. **श्री अन्नासाहेब एम०के० पाटील** : क्या जल भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सम्पूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क, सड़क महानिदेशालय और राज्य लोक निर्माण विभागों पर इसके न्यायिक-क्षेत्र को बढ़ाने के लिए अधिक शक्तियां प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को कितनी धनराशि दी गई थी और उसका क्षेत्र-वार कितना उपयोग हुआ?

**जल भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देबेन्द्र प्रधान)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को पिछले वित्त वर्ष के निवेश और विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए 264.17 करोड़ रु० की धनराशि का आबंटन किया गया था।

पिछले वर्ष निधियों का क्षेत्रवार उपयोग इस प्रकार किया गया है :

| | |
|---|---|
| (i) विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं | 246.55 करोड़ रु० |
| (ii) निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण स्कीमें | 1.39 करोड़ रु० |
| (iii) मुरादाबाद टोल रोड कंपनी | 22.50 करोड़ रु० |
| (iv) अन्य निर्माण कार्य | 65.00 करोड़ रु० |
| जोड़ | 335.54 करोड़ रु० |

## देश में विद्युत की कमी

2753. **श्री वाई०एस० विवेकानन्द रेड्डी** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग के उपाध्यक्ष ने विद्युत की कमी और उपभोक्ताओं द्वारा डीजल को उपयोग में लाने के बढ़ते रुझान पर चिन्ता व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या देश में पूरे वर्ष विद्युत की कमी रहती है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और पंचवर्षीय योजना के दौरान कितनी विद्युत की कमी होने का अनुमान है;

(ङ) क्या विद्युत परियोजनाओं का कार्यान्वयन धीमी गति से चल रहा है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**विद्युत मंत्री तथा खान और खनिज मंत्री (श्री पी०आर० कुमारमंगलम)** : (क) और (ख) योजना आयोग के उपाध्यक्ष ने विद्युत की कमी पर चिंता व्यक्त की है और विद्युत के वितरण में निवेश करने की आवश्यकता पर बल दिया है। पारेषण एवं वितरण में निवेश की मात्रा बढ़ाने से विद्युत आपूर्ति की स्थिति में सुधार होगा।

(ग) और (घ) अप्रैल, 1999 से फरवरी, 2000 के बीच विद्युत आपूर्ति की वास्तविक स्थिति से यह इंगित होता है कि देश में 9364 मेगावाट (13.2%) की व्यस्ततमकालीन कमी है और 26587 मि०यू० (6.1%) ऊर्जा की कमी है। वर्तमान कमी का मुख्य कारण उपलब्धता की तुलना में वास्तविक मांग में अधिक वृद्धि होना तथा शंट केपेसिटरों की अपर्याप्त अभिवृद्धि की वजह से ग्रिड में कम वोल्टता की दशाओं का उत्पन्न होना है। हालांकि नौवीं योजना अभी चल ही रही है, वर्ष 1997-98 और 1998-99 में कमियां निम्नवत थी—

| वर्ष | व्यस्ततमकालीन कमी | ऊर्जा की कमी |
|---|---|---|
| 1997-98 | 11.3% | 8.1% |
| 1998-99 | 13.9% | 5.9% |

(ङ) और (च) देश में विद्युत परियोजनाओं के क्रियान्वयन में प्रगति विविध कारणों की वजह से धीमी रही है। जैसे राज्य क्षेत्र की परियोजनाओं के मामले में निधियां सुनिश्चित करने समेत निधियों की कमी और निजी क्षेत्र की परियोजनाओं के मामले में वित्तीय समापन, पुनर्स्थापना एवं पुनर्वास की समस्याएं, कानून व्यवस्था की समस्याएं, संविधात्मक समस्याएं, वन एवं पर्यावरणीय स्वीकृति में देरी, ठेकेदारों की धीमी प्रगति, भौगोलिक घटनाएं, अंतर्राज्यीय विवाद, बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाएं आदि।

*[हिन्दी]*

## पार्वती जल विद्युत परियोजना

2754. **श्री नवल किशोर राय** :
**श्री अरुण कुमार** :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार हिमाचल प्रदेश में 2051 मेगावाट क्षमता वाली पार्वती जल विद्युत परियोजना का निर्माण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) परियोजना का निर्माण-कार्य कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है; और

(घ) इस पर कुल कितनी राशि व्यय किए जाने का अनुमान है?

**विद्युत मंत्री तथा खान और खनिज मंत्री (श्री पी०आर० कुमारमंगलम)** : (क) और (ख) जी, हां। नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन (एनएचपीसी) ने चरणबद्ध ढंग से पार्वती बेसिन (2051 मेगावाट) के विकास का कार्य हाथ में लिया है। फैज-I पार्वती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट स्टेज-II (800 मेगावाट) के निर्माण का अभिनिर्धारण कर लिया गया है। बाद में क्रमशः पार्वती चरण-III (501 मे०वा०) तथा पार्वती चरण-I (750 मे०वा०) को हाथ में लिया जाएगा।

(ग) और (घ) पार्वती एच०ई० प्रोजेक्ट चरण-II की जून, 1994 कीमत स्तर पर 2151.78 करोड़ रु० की अनुमानित लागत पर वर्ष 1995 में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। एनएचपीसी ने अवस्थापना कार्यों के विकास के साथ अतिरिक्त अन्वेषण तथा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयारी (डीपीआर) का कार्य आरंभ कर दिया है। इस कार्य को 77.62 करोड़ रु० की अनुमानित लागत से 3 वर्ष की अवधि में पूरा किया जाना है।

पार्वती चरण-III तथा चरण-I के लिए फील्ड जांच अभी हाल में आरंभ कर दी गई है और इन परियोजनाओं के बारे में डीपीआर को तीन वर्षों के भीतर पूरा कर लिया जाएगा।

*[अनुवाद]*

**तेल उद्योग विकास बोर्ड को उपकर देना**

**2755. डा० रमेश चंद तोमर : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम का विचार चालू वित्तीय वर्ष के दौरान तेल उद्योग विकास बोर्ड को 2000 करोड़ रुपये से अधिक उपकर देने का है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान तेल और प्राकृतिक गैस निगम द्वारा तेल उद्योग विकास बोर्ड को कुल कितनी धनराशि का उपकर दिया गया;

(ग) तेल उद्योग विकास बोर्ड द्वारा उक्त उपकर राशि का उपयोग किस उद्देश्य हेतु किया गया; और

(घ) बोर्ड को अपने लक्ष्य प्राप्त करने में किस हद तक सफलता मिली है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) :** (क) से (घ) तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 के उपबंधों के अंतर्गत उद्ग्रहीत उपकर की राशि पहले भारत की समेकित निधि में जमा की जाती है तथा केन्द्रीय सरकार, यदि संसद इस संबंध में कानून द्वारा किए गए ऐसे विनियोजन द्वारा ऐसा उपबंध करती है, एकत्र करने के व्यय घटाकर ऐसी धनराशि में से समय-समय पर तेल उद्योग विकास बोर्ड (ओआईडीबी) को केवल अधिनियम के उद्देश्यों के लिए प्रयोग किए जाने हेतु उतनी धनराशि दे सकती है, जितनी वह उचित समझती है।

संयुक्त उद्यम में आयल एंड नेचुरल कार्पोरेशन के हिस्से सहित वर्ष 1996-97 से 1998-99 तक के दौरान केन्द्र सरकार को आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड (ओ एन जी सी) द्वारा अदा की गई उपकर की धनराशि लगभग 6940 करोड़ रुपये रही है तथा वर्तमान वर्ष अर्थात् 1999-2000 के दौरान उनके द्वारा अदा की जाने वाली संभावित धनराशि लगभग 2085 करोड़ रुपये होगी।

ऊपर वर्णित अवधि के दौरान उपकर की धनराशि में से केन्द्र सरकार द्वारा ओ आई डी बी को कोई विनियोजन नहीं किया गया है। उक्त अवधि के दौरान उपलब्ध धनराशि में से ओ आई डी बी ने तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 की धारा 6(1) के अनुसार तेल उद्योग को वित्तीय सहायता देना जारी रखा।

*[हिन्दी]*

**विद्युत प्रबंधन प्रणाली का पुनर्गठन**

**2756. डा० सुशील कुमार इन्दौरा :**
**श्री अरुण कुमार :**

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विद्युत क्षेत्र में सुधार लाने के लिए देश में मौजूदा विद्युत प्रबंधन प्रणाली के पुनर्गठन का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि हां, तो अब तक किन-किन राज्यों में यह प्रस्ताव भेजा गया है; और

(घ) राज्य सरकारों की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

**विद्युत मंत्री तथा खान और खनिज मंत्री (श्री पी०आर० कुमारमंगलम) :** (क) से (घ) जी, हां। विद्युत क्षेत्र में सुधार हेतु भारत सरकार देश में मौजूद विद्युत प्रबंधन प्रणाली के पुनर्गठन का प्रस्ताव करती है। सुधारों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श हेतु दिनांक 26.2.2000 को विद्युत मंत्रियों के सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में किए गए संकल्प की एक प्रति विवरण के रूप में संलग्न है।

**विवरण**

*मुख्यमंत्रियों/विद्युत मंत्रियों के दिनांक 26.2.2000 को आयोजित सम्मेलन का संकल्प*

I. विद्युत मंत्रियों के सम्मेलन में समग्र क्षेत्र की वाणिज्यिक व्यवहार्यता में गिरावट के कारण देश में विद्युत आपूर्ति उद्योग के सम्मुख उत्पन्न कठिन स्थिति पर विचार किया गया। इसमें इन तथ्यों पर ध्यान दिया गया :-

1. सीपीएसयू का बकाया बढ़ रहा है और यह 23,000 करोड़ रुपये पहुंच गया है। अगर इस प्रवृत्ति को बढ़ावा मिला तो भावी विस्तार योजनाओं के अलावा वर्तमान प्रचालन स्थिति पर भी विपरीत प्रभाव पड़ेगा।

2. निजी विद्युत परियोजनाओं के लिए वित्तीय समापन प्राप्त करना लगातार कठिन होता जा रहा है।

3. राज्य अपने स्तर पर नई परियोजनाओं के वित्त पोषण में असमर्थ है।

4. राजकोषिय घाटे के कारण राज्य सरकारों तथा केन्द्र सरकार से इस क्षेत्र के लिए बजटीय सहायता में वृद्धि व्यवहारिक नहीं है।

II. इस अस्थिर वित्तीय स्थिति के लिए जिम्मेदार प्राथमिक घटक निम्न हैं :

(i) न्यूनतम स्तर पर चोरी के लिए वार्षिक 20,000 करोड़ रुपये से अधिक अनुमानित किया गया है।

(ii) देश में पारेषण एवं वितरण में तकनीकी हानियां भी बहुत अधिक है।

(iii) राज्य क्षेत्र में अधिक संख्या में ताप विद्युत केन्द्र 40% से कम प्रचालनात्मक क्षमता पर कार्य करते हैं।

(iv) देश के लिए राज्य विद्युत क्षेत्र की औसतन वार्षिक प्रचालनात्मक हानियां 12,000 करोड़ रुपये से अधिक है।

III. यह भी स्वीकार किया गया था कि यदि औद्योगिक टैरिफ मात्रात्मक और अन्य प्रतिबंधों को दूर करने के लिए बढ़ते विश्वीकरण के नये वातावरण में उद्योग को गैर-प्रतिस्पर्धात्मक बनाते हैं तो क्रास सब्सिडी को बरकरार नहीं रखा जा सकता। यह सुनिश्चित करना आवश्यक हो जाता है कि असंतोषजनक विद्युत आपूर्ति के द्वारा या टैरिफ के द्वारा जो कि इसे गैर-प्रतिस्पर्धामक बनाती है, भारतीय उद्योग असहाय न हो सकें। इसके अतिरिक्त कृषक समेत उपभोक्ता का अच्छी गुणवत्ता वाली गैर-अवरुद्ध विद्युत आपूर्ति पर वैध अभिकार है। युक्तिसंगत लागतों को भुगतान करने के लिए उसकी इच्छा को कम आंका जाता है।

### संकल्प

1. विद्युत मंत्रियों ने विद्युत क्षेत्र में व्याप्त सभी समस्याओं पर विचार करने के पश्चात् यह प्रस्ताव पारित किया है कि वाणिज्यिक व्यवहार्यता प्राप्त करने और सभी को युक्तिसंगत दर पर विद्युत प्रदान करने के आशय से सुधार कार्य दृढ़ संकल्प, उत्साह और अनिवार्यता के भाव से किए जाने चाहिए। सुधार कार्य में विलंब होने से सुधार कार्य की वित्तीय लागत बढ़ती है और देयताओं का भार बढ़ जाता है। अगले 2-3 वर्षों के भीतर परिणाम प्रदर्शित करने के लिए सुधार कार्य आरंभ होने चाहिए। सुधार नीति के मुख्य तत्व निम्न हैं:-

(i) सभी स्तरों पर ऊर्जा लेखा परीक्षा।

(ii) दिसंबर, 2001 तक सभी उपभोक्ताओं का 100% मीटरिंग का समयबद्ध कार्यक्रम।

(iii) विशिष्ट सीमा के भीतर विद्युत चोरियों को घटाना एवं कटौती करना।

(iv) प्राथमिकता के आधार पर उपकेन्द्रों को एक यूनिट के रूप में लेते हुए उप-पारेषण एवं वितरण प्रणाली को सुदृढ़/उन्नत करना।

2. यदि उपरोक्त कार्यों को वर्तमान व्यवस्था में किया जाना असाध्य है तो वितरण का निगमीकरण/सहकारीकरण/निजीकरण करना होगा।

3. चूंकि राज्य क्षेत्र में बड़ी संख्या में ताप केन्द्रों का पीएलएफ 40% से कम है, अत: तत्काल आधार पर नवीकरण एवं आधुनिकीकरण सहित जीवन स्तर पर कार्रवाई की जानी अपेक्षित है। इसी प्रकार पुराने जल विद्युत संयंत्रों के लिए प्राथमिकता के आधार पर आर एंड एम/एल०ई० करना अपेक्षित होगा।

4. राज्य विद्युत नियामक आयोगों के प्रभावी कार्य संचालन, उपभोक्ताओं के लाभों में संतुलन बनाए रखने तथा ऐसे परिवेश में जहां उद्योग में निजी क्षेत्र की प्रतिभागिता धीरे-धीरे बढ़ रही हो उनके लिए शुल्क को पुनर्गठन किया जाना आवश्यक है।

5. पृथक् वितरण लाभ केन्द्र/निगमों/कंपनियों के जरिए राज्य बिजली बोर्डों/थैंक मार्किंग का निगमीकरण और विकेन्द्रीकरण निम्न दरों के मूलभूत आधार होने के कारण विद्युत आपूर्ति, उद्योग प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन देने में विनियामक आयोगों को सुविधाजनक बनाएगा।

6. यह देखा गया है कि देश में विद्युत प्रणाली नेटवर्क उपभोक्ताओं की पहुंच से मेल नहीं खाती है तथा आगामी वर्षों में आप्टिक फाइबर केबलों की स्थापना सहित वर्तमान विद्युत लाइनों के सही उपयोग के द्वारा केवल टी०वी०, आई०टी० सर्विस, टेलीकॉम सर्विस आदि का इस्तेमाल करते हुए बहुउद्देशीय संचार सुविधाओं को उपलब्ध करवाने में सक्षम होगा। इस अभिसरण से अधिक मात्रा में राजस्व की इस सम्भावना वाले रूप का सृजनात्मक रूप से दोहन करने का प्रयास किया जाना अपेक्षित है।

7. सुधारों को प्रोन्नत करने के लिए एक नया केन्द्रीय विधायी मसौदा जो कि राज्यों के लिए पृथक् अधिनियमन के लिए आवश्यक निराकरण करता है, पर विचार किया जा रहा है। एनसीएईआर द्वारा प्रस्तुत मसौदा बिल एक राष्ट्रीय बहस एवं नये बिल पर आम सहमति का आधार बनाएगा। इस मसौदा बिल पर राज्यों द्वारा उनकी विस्तृत टिप्पणियां विद्युत मंत्रालय को शीघ्रातिशीघ्र भेजी जाएंगी।

*[अनुवाद]*

### वन्यजीव (संरक्षण) और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियमों की समीक्षा

**2757. श्री नामदेव हरबाजी दिवाथे :** क्या पर्यावरण एवं वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्यों द्वारा यथा-कार्यान्वित वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के कार्यान्वयन की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में राज्य-वार क्या-क्या खामियां पाई गई हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार वन्यजीव संरक्षण हेतु अवैध शिकार पर प्रभावी रोक लगाने के लिए उक्त अधिनियमों में व्यापक संशोधन लाने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) इन अधिनियमों के कार्यान्वयन में पाई गई खामियों को दूर करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) :** (क) से (ग) केन्द्र सरकार ने 1982, 1986 और 1991 में यथासंशोधित वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के क्रियान्वयन को मॉनीटर किया है। क्रियान्वयन की मुख्य कमियां निम्नलिखित हैं :-

1. प्रवर्तन हेतु अपर्याप्त ढांचागत सुविधाएं।

2. सुरक्षित क्षेत्रों के आस-पास आग्नेयास्त्रों का पंजीकरण न होना।

3. संक्रामक बीमारियों से बचाव के लिए पशुधन के टीकाकरण हेतु अपर्याप्त संसाधन।

4. अत्यधिक जैवीय दबाव की वजह से वन्यजीवों के वास-स्थलों का अवक्रमण।

5. वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम की धारा 40 के तहत की गई घोषणाओं का अपर्याप्त अनुपालन।

केन्द्र सरकार ने उन क्षेत्रों की पहचान करने के लिए एक अध्ययन शुरू किया है जहां पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, 1986 को सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है।

(घ) और (ङ) वन्यजीवों के अवैध शिकार पर कारगर ढंग से रोक लगाने के लिए वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के मौजूदा प्रावधान पर्याप्त हैं। तथापि, अधिनियम में एक नया प्रावधान जोड़ने का प्रस्ताव किया गया है जिसमें अधिनियम की अनुसूची-1, अनुसूची-II के भाग-II में विनिर्दिष्ट वन्य प्राणियों, किसी अभयारण्य अथवा राष्ट्रीय उद्यान में शिकार करने अथवा उसकी सीमाओं में परिवर्तन करने से संबंधित अपराधों के लिए दोषी पाए गए व्यक्ति की जमानत तब तक नहीं ली जाएगी जब तक उक्त जमानत के लिए किए गए आवेदन के विरुद्ध सरकारी अधिवक्ता को पूरा अवसर न दिया गया हो। दोषियों को शरण देने सहित वन्यजीवों और वन्यजीवों से बनी वस्तुओं के अवैध व्यापार को वित्तपोषित करने के अपराधी पाए जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने संबंधी एक प्रावधान का भी विचार है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

(छ) अधिनियम के क्रियान्वयन की कमियों को दूर करने हेतु किए गए उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :-

1. सचिव (पर्यावरण एवं वन), भारत सरकार की अध्यक्षता में एक विशेष समन्वय एवं प्रवर्तन समिति का गठन किया गया है। विभिन्न राज्यों में राज्य स्तर और जिला स्तर पर इस प्रकार की समितियों का गठन किया गया है।

2. अर्धसैनिक बलों और राज्य के सशस्त्र बलों की टुकड़ियों में से लिए गए सशस्त्र स्क्वाडों और स्ट्राइक फोर्स को शामिल करके ढांचागत सुविधाओं को मजबूत करने के लिए राज्य सरकारों को सहायता प्रदान करना।

3. केन्द्र सरकार के तहत ढांचागत सुविधाओं को सुदृढ़ करना और सभी संवदेनशील क्षेत्रों में इसकी उपस्थिति सुनिश्चित करना।

4. सुरक्षा के संबंध में किए गए उपायों की प्रभावी मानीटरी के लिए राज्य सरकारों के साथ आवधिक बैठकें की गई।

## कर्मचारियों की कमी

2758. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाड़मेर स्थित टी०डी०एम० कार्यालय में कर्मचारियों की भारी कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, नहीं। टी०डी०एम० बाड़मेर के कार्यालय में स्टाफ की कोई कमी नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

*[हिन्दी]*

## नन्दुरबार, महाराष्ट्र में रसोई गैस कनेक्शन

2759. श्री माणिकराव होडल्या गावित : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र के नन्दुरबार जिले में विभिन्न रसोई गैस डीलरों के पास रसोई गैस कनेक्शन की प्रतीक्षा सूची में आज तक कितने व्यक्ति दर्ज हैं;

(ख) क्या सरकार प्रतीक्षा सूची को निबटाने के उद्देश्य से रसोई गैस डीलरों का कोटा बढ़ाने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) 1.2.2000 की स्थिति के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम की तेल कंपनियों के वितरकों के पास पंजीकृत प्रतीक्षा सूची 9852 की है।

(ख) और (ग) नए कनेक्शन एल पी जी की उपलब्धता, प्रतीक्षा सूची, वितरकों के पास उपलब्ध स्लैक और उनकी व्यवहार्यता के आधार पर देश भर में चरणबद्ध ढंग से जारी किए जाते हैं। तथापि, सरकार की योजना 1.12.1999 की स्थिति के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम की तेल कंपनियों के वितरकों के पास पंजीकृत संपूर्ण प्रतीक्षा सूची निपटाने के लिए वर्ष 2000 के दौरान एक करोड़ एल पी जी कनेक्शन जारी करने की है।

*[अनुवाद]*

## तेलशोधक कारखानों को घाटा

2760. श्री चन्द्रकांत खैरे :
डा० बी० सरोजा :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्वजनिक क्षेत्र के तेलशोधक कारखानों में कच्चे तेल की कीमतों में भारी वृद्धि के कारण काफी घाटा होने लगा है;

(ख) यदि हां तो क्या सभी तेलशोधक कारखानों ने जानबूझकर अपना उत्पादन 15 प्रतिशत तक कम कर दिया है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने कच्चे तेल की कीमत और शोधित पेट्रोलियम उत्पादों की निर्धारित कीमत के बीच अंतर को दूर करने हेतु कच्चे तेल पर सीमा शुल्क घटाने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(घ) यदि नहीं, तो क्या घाटे को कम करने हेतु तेलशोधक कारखानों द्वारा उत्पादन और कम किए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि हां, तो इस दिशा में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) :** (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) 29.2.2000 को संसद में पेश किए गए केन्द्र सरकार के बजट में कच्चे तेल के आयात पर सीमा शुल्क 20 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत कर दिया गया है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

### मणिपुर में कम्प्यूटरीकृत टेलीफोन एक्सचेंज

2761. **श्री होलखोमांग हौकिप :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय मणिपुर में जिला-वार कितने कम्प्यूटरीकृत टेलीफोन एक्सचेंज कार्यरत हैं;

(ख) राज्य में वर्ष 1999-2000 के दौरान जिला-वार ऐसे कितनी एक्सचेंजों की स्थापना करने का प्रस्ताव है; और

(ग) गत एक वर्ष के दौरान तथा आज तक कितने टेलीफोन एक्सचेंजों का विस्तार किया जा चुका है और वर्ष 2000-2001 में जिला-वार कितने एक्सचेंजों का विस्तार करने का प्रस्ताव है?

**संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) :** (क) इस समय मणिपुर में 34 डिजीटल टेलीफोन एक्सचेंज (कम्प्यूटरीकृत) कार्यरत हैं।

(ख) 1999-2000 के दौरान मणिपुर में ऐसे 7 टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने का प्रस्ताव है। जिलावार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) गत एक वर्ष के दौरान तथा आज तक 14 टेलीफोन एक्सचेंजों का विस्तार किया गया है तथा 2000-2001 के दौरान 15 टेलीफोन एक्सचेंजों का विस्तार करने का प्रस्ताव है। जिला-वार ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं।

**विवरण**

| क्रम सं० | जिले का नाम | कार्यरत एक्सचेंजों की संख्या | 1999-2000 के दौरान संस्थापित किए जाने के लिए प्रस्तावित एक्सचेंज | गत एक वर्ष तथा आज तक विस्तारित किए गए एक्सचेंजों की संख्या | 2000-2001 के दौरान विस्तारित किए जाने के लिए प्रस्तावित एक्सचेंजों की संख्या |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | विशैनपुर | 7 | — | 5 | 4 |
| 2. | चुराचन्दनपुर | 1 | — | 1 | — |
| 3. | चंदेल | 2 | — | — | — |
| 4. | इम्फाल (पूर्व) | 3 | — | 2 | 1 |
| 5. | इम्फाल (पश्चिम) | 9 | 2 | 3 | 3 |
| 6. | सेनापति | 5 | 3 | — | 4 |
| 7. | थोउवाल | 5 | 2 | 3 | 1 |
| 8. | तेमंगलांग | 1 | — | — | 1 |
| 9. | उखरूल | 1 | — | — | 1 |
| | कुल | 34 | 7 | 14 | 15 |

### भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड की लाकवा रिकवरी परियोजना

2762. **श्री पवन सिंह घाटोवार :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड की लाकवा एल पी जी रिकवरी परियोजना को किस वर्ष मंजूरी दी गई और किस वर्ष इसे पूरा किया गया;

(ख) एल पी जी परियोजना को मंजूरी दिए जाने के समय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के लाकवा क्षेत्र से कितनी मात्रा में गैस उपलब्ध होने का अनुमान था;

(ग) आज की तारीख में उक्त संयंत्र से गैस की वास्तविक उपलब्धता कितनी है;

(घ) गैस की उपलब्धता में आई कमी के क्या कारण हैं; और

(ङ) गैस की उपलब्धता में कमी के कारण इस संयंत्र पर कितना वित्तीय प्रभाव पड़ेगा?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) :** (क) सरकार ने 1 अक्तूबर, 1992 को लाकवा में गेल की एल पी जी निकासी परियोजना अनुमोदित की। गेल द्वारा परियोजना 19 अक्तूबर, 1998 को चालू की गई थी।

(ख) लाकवा एल पी जी निकासी परियोजना के अनुमोदन के समय ओ एन जी सी से अनुमानित गैस उपलब्धता 2.01 मिलियन मानक घन मीटर प्रतिदिन (एम एम एस सी एम डी) थी।

(ग) 1999-2000 (29 फरवरी, 2000 तक) के दौरान लाकवा संयंत्र पर गैस की वास्तविक उपलब्धता 0.68 एम एम एस सी एम डी के औसत पर थी।

(घ) पुराने पड़ रहे क्षेत्रों, नए भंडारों की वृद्धि न होना और वेधन कार्यों पर पर्यावरणीय समस्याओं के सतत प्रभाव से गैस में कमी हुई है।

(ङ) 1999-2000 के दौरान (29 फरवरी, 2000 तक) गेल के लाकवा एल पी जी निकासी संयंत्र ने 10 करोड़ रुपये की अनुमानित वित्तीय क्षति उठाई है।

**'निर्माण प्रतिबंधित क्षेत्र' का उल्लंघन**

2763. **डा० नीतिश सेनगुप्ता : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को 500 मीटर की सीमा वाले 'निर्माण प्रतिबंधित क्षेत्र' के लगातार उल्लंघन की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस 500 मीटर की सीमा के संशोधन का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी)** : (क) और (ख) जी, हां। तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना, 1991 से संबंधित उल्लंघनों के कई मामले, जिसमें न विकास वाले क्षेत्रों में अवैध निर्माण शामिल है; इस मंत्रालय के ध्यान में लाए गए हैं। इस तरह के उल्लंघनों के मामलों को केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित संबंधित राज्य/केन्द्र शासित तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरणों को भेज दिया जाता है जिन्हें तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना, 1991 से संबंधित उल्लंघनों से निपटने के लिए पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत शक्तियां प्रदान की गई हैं। कर्नाटक और केरल तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण ने उल्लंघनकर्ताओं का पता लगाकर उनके विरुद्ध कार्रवाई शुरू कर दी है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। प्रश्न नहीं उठते।

*[हिन्दी]*

**चुनावी याचिकाएं**

2764. **श्री जवाहर लाल जायसवाल :**
**श्री रघुराज सिंह शाक्य :**

क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न उच्च न्यायालयों तथा सर्वोच्च न्यायालय में लोक सभा चुनाव संबंधी कितनी याचिकाएं दाखिल की गई हैं;

(ख) क्या चुनावी याचिकाओं को सीमित अवधि में ही निपटाया जाता है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इन याचिकाओं के तत्काल निपटान को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

**विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री राम जेठमलानी)** : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

**करगिल शहीदों की विधवाओं को रसोई गैस एजेंसियों तथा पेट्रोल पंपों का आबंटन**

2765. **श्री रतिलाल कालीदास वर्मा : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने समस्त करगिल शहीदों की विधवाओं/पीड़ितों के परिवारों को रसोई गैस एजेंसियों और पेट्रोल पंपों के आबंटन के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो उक्त हेतु इस समय कितने आवेदन लंबित हैं;

(ग) इन्हें अब तक कितनी रसोई गैस एजेंसियां और पैट्रोल पंप स्वीकृत किए गए हैं;

(घ) क्या करगिल शहीदों की विधवाओं/पीड़ितों के परिवारों को रसोई गैस एजेंसियों और पेट्रोल पंपों के लिए अपेक्षित विपणन क्षेत्रों का आबंटन नहीं किया जा रहा है;

(ङ) यदि हां, तो मामले की समीक्षा हेतु क्या कदम उठान जाने का प्रस्ताव है; और

(च) सभी करगिल विधवाओं/पीड़ित परिवारों को रसोई गैस एजेंसियों/पेट्रोल पंपों का आबंटन कब तक कर दिया जाएगा?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार)** : (क) से (च) सरकार ने युद्ध में मारे गए रक्षा कर्मियों की विधवाओं/निकटतम संबंधियों को 500 खुदरा बिक्री केन्द्र (आर ओज) डीलरशिपों/एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के आबंटन के लिए एक विशेष योजना परिपादित की है। ये आबंटन रक्षा मंत्रालय की सिफारिश पर किए जाने हैं। पुनर्वास महानिदेशालय, रक्षा मंत्रालय ने इस योजना के तहत खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपों/एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के आबंटन के लिए 247 प्रस्तावित लाभार्थियों के ब्यौरे भेजे थे। तेल कंपनियों के द्वारा पहले ही किए गए आर्थिक व्यवहार्यता सर्वेक्षणों के आधार पर सरकार ने विभिन्न राज्यों में ऐसे 116 लोगों को एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों/खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपों का आबंटन अनुमोदित कर दिया है। रक्षा मंत्रालय ने इस योजना के तहत लाभार्थियों के प्रथम बैच को आशय पत्र वितरित करने के लिए 17 मार्च, 2000 को एक समारोह का कार्यक्रम रखा है।

**उड़ीसा में टेलीफोन एक्सचेंज**

2766. **श्री भर्तृहरि महताब : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में जिलेवार खासतौर पर कटक दूरसंचार सर्किल में 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान कितने टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ख) राज्य में जिलेवार पहले से ही स्थापित टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या क्या है?

**संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) :** (क) वर्ष 1999-2000 के दौरान, उड़ीसा में 34 नए टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने का प्रस्ताव है, जिनमें से 4 टेलीफोन एक्सचेंज कटक दूरसंचार जिले में खोले जाएंगे। जिले-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। वर्ष 2000-2001 के लिए एक्सचेंज चालू करने के जिला-वार कार्यक्रम को अंतिम रूप नहीं दिया गया है। तथापि, वर्ष 2000-2001 के दौरान, उड़ीसा में 75000 सीधी एक्सचेंज लाइनें प्रदान करने का प्रस्ताव है।

(ख) वर्ष 1999-2000 के दौरान, फरवरी, 2000 तक 23 टेलीफोन एक्सचेंज पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं। जिले-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

**विवरण**

*वर्ष 1999-2000 के दौरान उड़ीसा में स्थापित किए जाने वाले प्रस्तावित टेलीफोन एक्सचेंज।*

| क्रम सं० | जिले का नाम | 1999-2000 के दौरान स्थापित की जाने वाली नियोजित एक्सचेंजों की संख्या | 29 फरवरी, 2000 तक स्थापित किए गए एक्सचेंजों की सं० |
|---|---|---|---|
| 1. | बालासोर | 4 | 4 |
| 2. | म्यूरभंज | 2 | 1 |
| 3. | गंजम | 3 | 2 |
| 4. | बौद्ध | 1 | — |
| 5. | सोनीपुर | 1 | 1 |
| 6. | बोलंगीर | 1 | — |
| 7. | कालन्दी | 1 | — |
| 8. | नसपाड़ा | 1 | — |
| 9. | क्योंझर | 1 | — |
| 10. | रायगढ़ | 1 | 1 |
| 11. | कटक | 4 | 2 |
| 12. | सुन्दरगढ़ | 5 | 5 |
| 13. | सम्बलपुर | 1 | — |
| 14. | खुर्दा | 4 | 3 |
| 15. | पुरी | 1 | 1 |
| 16. | भद्रक | 1 | 1 |
| 17. | अंगुल | 2 | 2 |
| | कुल | 34 | 23 |

**तिरुअनंतपुरम जल आपूर्ति योजना को मंजूरी**

**2767. श्री वी०एस० शिवकुमार :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार द्वारा तिरुअनंतपुरम जल आपूर्ति योजना के लिए 534 हैक्टेयर भूमि के वन रोपण संबंधी प्रस्ताव मुख्य वन संरक्षक (केन्द्र) के पास लंबित पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक मंजूरी दे दी जाएगी?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) :** (क) और (ख) केरल राज्य सरकार ने तिरुवनंतपुरम् जिला में पिपारा बांध (दूसरा चरण) के लिए 267 हैक्टेयर वन भूमि के वनेतर प्रयोग के लिए मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय) बंगलौर को दिनांक 22.6.1998 के पत्र सं० 20201/सी-2/91/एफ एंड डब्ल्यू एल डी के अनुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। प्रस्ताव में यह उल्लेख किया गया था कि केरल जल प्राधिकरण प्रस्तावित परियोजना के लिए प्रयोग की जाने वाली भूमि के बदले दुगने वन क्षेत्र (534 हैक्टेयर) पर वनीकरण की लागत वहन करने के लिए तैयार था। मुख्य वन संरक्षक (कें०) बंगलौर ने दिनांक 27.7.1998 के पत्र सं० एफ/सी ए/11.4/1/के ई आर के अनुसार प्रस्ताव राज्य सरकार को इस सुझाव के साथ लौटा दिया कि अनिवार्य दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रस्ताव सीधे पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली को भेजना आवश्यक है। परन्तु यह प्रस्ताव मंत्रालय में अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

**उड़ीसा के लिए मिट्टी का तेल**

**2768. श्री अनंत नायक :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने चक्रवात पीड़ितों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए मिट्टी के तेल के अतिरिक्त कोटे की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत एक वर्ष के दौरान राज्य को कितनी मात्रा में मिट्टी के तेल की आपूर्ति की गई?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) :** (क) से (ग) जी, हां। केन्द्र सरकार ने चक्रवात के कारण उत्पन्न मांग पूरी करने के लिए वर्ष 1999-2000 के वार्षिक आबंटन के अलावा 58280 कि०ली० अतिरिक्त मिट्टी तेल का आबंटन किया है।

**चुनाव सुधार**

**2769. श्री सुशील कुमार शिंदे :**
**श्री आर०एल० भाटिया :**

क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार हाल ही में विधान-मंडलों तथा पंचायतों के चुनावों विशेषकर विधान परिषदों आदि जैसे अप्रत्यक्ष चुनावों के संबंध में प्रक्रियाओं और कार्य संचालन नियमों को लेकर चुनाव सुधार करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस संदर्भ में कौन से मुख्य परिवर्तनों और परिवर्धनों पर विचार किया गया है; और

(ग) इस संबंध में कितनी प्रगति हुई है और इस संबंध में कोई निर्णय कब तक ले लिए जाने की संभावना है?

**विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री राम जेठमलानी) :** (क) और (ख) जी, हां। सरकार संसद और राज्य विधान सभाओं के निर्वाचनों से संबंधित निर्वाचन विधि में आवश्यक सुधार करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस संबंध में, अन्य बातों के साथ-साथ, निर्वाचन राजनीति में भ्रष्ट और आपराधिक तत्वों के प्रवेश को रोकने के लिए उपबंधों को शक्ति प्रदान के लिए उन्हें और अधिक कड़ा किया जा रहा है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8, जिसमें कतिपय अपराधों के लिए दोषसिद्धि पर निरर्हता के लिए उपबंध है, के प्रस्तावित उपांतरण सभी मामलों में निरर्हताओं की अवधि की बाबत एकरूपता लाते हैं और इस अवधि को और बढ़ाते हैं, उपगत निरर्हता के लिए कारावास की न्यूनतम अवधि में कमी करते हैं ताकि अधिक गंभीर दांडिक अपराधों को इसकी परिधि में लाया जा सके। तथापि, अप्रत्यक्ष निर्वाचनों के संबंध में, प्रक्रिया और व्यवहार की बाबत कोई परिवर्तन प्रस्तावित नहीं है।

पंचायतों का निर्वाचन राज्य का विषय है।

(ग) निर्वाचन विधियों में संशोधन एक गंभीर और प्रतिविरोधात्मक विषय है और इसलिए, इस पर पर्याप्त समय और ध्यान दिया जा रहा है। अतः, प्रगति की बाबत और प्रक्रिया को पूरा करने के लिए समय की कोई प्रतिबद्धता करना संभव नहीं है।

### रायचूर ताप बिजलीघर

**2770. श्री एस०डी०एन०आर० वाडियार :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रायचूर ताप बिजलीघर की छठी इकाई को बंद कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो यह इकाई कब से बंद पड़ी है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा खराबी को दूर करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) इस खराबी को कब तक दूर कर लिए जाने की संभावना है और यह इकाई कब तक पूर्ण रूप से काम करना शुरू कर देगी ?

**विद्युत मंत्री तथा खान और खनिज मंत्री (श्री पी०आर० कुमारमंगलम) :** (क) से (घ) रायचूर ताप विद्युत स्टेशन की यूनिट-6 को ग्रिड के साथ दिनांक 22.7.99 को समकालित कर दिया गया है लेकिन अधिक कंपन के कारण भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि० द्वारा यूनिट को सुधार कार्य हेतु बंद कर दिया गया था। यूनिट को अब पुनः 7.2.2000 को खोल दिया गया है और ग्रिड आवश्यकता को पूरा करते हुए यह पूर्णतः प्रचालनाधीन है।

### एन०टी०पी०सी० और विद्युत इकाइयों की राज्यों पर बकाया देय राशि

**2771. श्री अनंत गुढे :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 29 फरवरी, 2000 की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम और विद्युत क्षेत्र की अन्य विद्युत इकाइयों पर राज्य सरकारों की ओर देय राशियों की राज्यवार स्थिति क्या है;

(ख) समस्या से निपटने के लिए विगत में उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है तथा उससे क्या परिणाम निकला है; और

(ग) इस संबंध में की गई/प्रस्तावित नई पहल का ब्यौरा क्या है?

**विद्युत मंत्री तथा खान और खनिज मंत्री (श्री पी०आर० कुमारमंगलम) :** (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

*[हिन्दी]*

### सल्फर रहित पेट्रोल/डीजल की उपलब्धता

**2772. श्री अजय सिंह चौटाला :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली जैसे शहरों में वाहनों से उत्सर्जित होने वाले प्रदूषण की वजह से मानव जीवन को होने वाले नुकसान को कम करने की दृष्टि से वाहनों में उपयोग के लिए सल्फर रहित पेट्रोल और डीजल उपलब्ध कराने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसके परिणामस्वरूप पेट्रोल की कीमतों पर असर पड़ने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त योजना के कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) :** (क) और (ख) कड़ाईपूर्ण उत्सर्जन मानकों को पूरा करने के सतत प्रयास के रूप में सल्फर की मात्रा पेट्रोल में भार के रूप में अधिकतम 0.15 प्रतिशत और डीजल में भार के रूप में अधिकतम 0.25 प्रतिशत तक नीचे लाई गई है जबकि पिछले वर्ष यह क्रमशः 0.2 प्रतिशत और 1.0 प्रतिशत थी।

(ग) से (ङ) अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

*[अनुवाद]*

### भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अधिनियम 1997 में संशोधन

**2773. श्री अनिल बसु :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मूल भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 11(i)(i) को सरल बना दिया है;

(ख) यदि नहीं, तो मूल अधिनियम के 'दूरसंचार सेवा के उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा' वाक्य को भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अध्यादेश, 2000 की धारा 11(i)(ख)(v) में उपभोक्ताओं के हितों को सीमित कर केवल सेवा को गुणवत्ता में बदलने के क्या कारण हैं;

(ग) मूल भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण 1997 की धारा 11(i)(i) में ध्यान में आई कमियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस संबंध में अंतर्राष्ट्रीय मानकों का अनुपालन किया जाता है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) :** (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) मुख्य टी आर ए आई अधिनियम 1997 में संशोधन से पहले, उक्त अधिनियम की धारा 11(i) के तहत टी आर ए आई के संस्तुति, विनियामक तथा विवाद समाधान संबंधी कार्यों के निर्वहन की शक्तियां प्राप्त थीं। स्पष्टता लाने के उद्देश्य से, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (संशोधन) अध्यादेश 2000 के तहत टी आर ए आई के संस्तुति तथा विनियामक संबंधी कार्यों की स्पष्ट रूप से अलग-अलग परिभाषित करने के प्रयोजन से धारा 11(i) में संशोधन करके इसे फिर से तैयार किया गया है और अब उक्त कार्यों की अलग-अलग परिभाषा क्रमश: धारा 11(i)(क) तथा धारा 11(i)(ख) में की गई है।

(घ) अब भारत में व्याप्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, ग्राहक हितों के संरक्षण के क्षेत्र में टी आर ए आई के विनियामक कार्यों से संबंधित मुख्य टी आर ए आई अधिनियम की असंशोधित धारा 11(i)(i) के प्रभाव क्षेत्र को बढ़ा दिया गया है तथा इसे धारा 11(i)(ख)(v) के रूप में रखा गया है।

किए गए संशोधनों से दूरसंचार सेवा के ग्राहक-हितों के संरक्षण के क्षेत्र में टी आर ए आई का कार्य क्षेत्र इतना बढ़ जाएगा कि अब टी आर ए आई न केवल सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा को गुणवत्ता के मानक निर्धारित करेगा और सेवा की गुणवत्ता सुनिश्चित करेगा, जिसके लिए अभी तक असंशोधित मुख्य अधिनियम में कोई उपबंध नहीं किया गया था, अपितु सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की गई उक्त सेवा का आवधिक सर्वेक्षण भी करेगा ताकि दूरसंचार सेवा के ग्राहकों के हितों का संरक्षण हो सके।

### 800 मेगावाट कोल डैम विद्युत परियोजना

**2774. प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने हाल ही में 800 मेगावाट की कोल डैम विद्युत परियोजना का कार्य संयुक्त रूप से करने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने जल विद्युत तैयार करने के लिए अन्य राज्यों के साथ भी ऐसे ही समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्ष के दौरान राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा विशेषत: आंध्र प्रदेश में हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों का ब्यौरा क्या है?

**विद्युत मंत्री तथा खान और खनिज मंत्री (श्री पी०आर० कुमारमंगलम) :** (क) और (ख) नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन ने हिमाचल प्रदेश में स्वामित्व आधार पर कोल बांध जल विद्युत परियोजना के क्रियान्वयन एवं प्रचालन के लिए 26 फरवरी, 2000 को हिमाचल प्रदेश सरकार एवं हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड से मिलकर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपर्युक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

### बेलारी में टेलीफोन सुविधा

**2775. श्री कोलूर बासवनगौड़ :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बेलारी क्षेत्र के कितने गांवों में टेलीफोन सुविधा उपलब्ध नहीं है; और

(ख) सरकार द्वारा उक्त क्षेत्र के सभी गांवों में टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

**संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) :** (क) और (ख) बेलारी क्षेत्र में सभी 591 गांवों में टेलीफोन सुविधा प्रदान कर दी गई है।

### निजी विद्युत परियोजनाएं

**2776. श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :**
**श्री नरेश पुगलिया :**

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज तक विद्युत परियोजनाओं को लगाने के लिए निजी प्रमोटरों से प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन परियोजनाओं की कुल अधिष्ठापित विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है और निजी प्रमोटरों द्वारा इनमें कितनी धनराशि का निवेश किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) उक्त प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इन परियोजनाओं को मंजूरी देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

**विद्युत मंत्री तथा खान और खनिज मंत्री (श्री पी०आर० कुमारमंगलम) :** (क) से (घ) भारत सरकार निजी क्षेत्र में विद्युत परियोजनाओं की स्थापना संबंधी 95 प्रस्तावों पर मॉनीटरिंग कर रही है। इनमें 71 प्रस्ताव समझौता ज्ञापन/आशय पत्र आदि पर हैं जिनकी

लागत 100 करोड़ रु० से भी ज्यादा है और जिनकी कुल क्षमता 39083.94 मेगावाट है तथा जिनकी अनुमानित लागत 162343 करोड़ रु० हैं। शेष 24 प्रस्ताव प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया पर है जिसकी लागत 1000 करोड़ रु० से भी ज्यादा है तथा जिसकी कुल क्षमता 15884.65 मेगावाट है तथा अनुमानित लागत 57492 करोड़ रु० है। वर्तमान तारीख में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने 57 परियोजनाओं को तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति दे दी है, जिनकी कुल क्षमता 29362.3 मेगावाट है। अनुमानित लागत 122008.61 करोड़ रु० है तथा जिनके विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्राप्त हो चुके हैं। शेष परियोजनाओं का के०वि०प्रा० तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन परियोजना प्रर्वतकों द्वारा लंबित निवेशों/स्वीकृतियों को सुनिश्चित करने के बाद करेगा। सरकार समय-समय पर इन परियोजनाओं की प्रगति की मॉनीटरिंग कर रही है एवं आवश्यक निवेशों/स्वीकृतियों को प्राप्त करने में सहायता भी कर रही है।

## निधि कंपनियां

2777. **श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा राज्य-वार कंपनियों (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां) की स्थापना के कितने प्रस्तावों को मंजूरी दी है;

(ख) सरकार के पास राज्यवार इस तरह के कितने प्रस्ताव अभी भी लंबित हैं;

(ग) कब तक इन प्रस्तावों का अनुमोदन कर दिए जाने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार का इस तरह की कंपनियों के अनुमोदन के लिए दिशानिर्देशों को संशोधित करने का विचार है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री राम जेठमलानी) :** (क) सरकार ने अब तक 192 कम्पनियों को निधि कम्पनियों के रूप में अनुमोदित किया है, जिसका ब्यौरा निम्नलिखित है :

| राज्य | | निधि कंपनियों की संख्या |
|---|---|---|
| तमिलनाडु | – | 136 |
| उत्तर प्रदेश | – | 17 |
| आन्ध्र प्रदेश | – | 14 |
| कर्नाटक | – | 10 |
| केरल | – | 9 |
| महाराष्ट्र | – | 1 |
| दिल्ली | – | 3 |
| पांडिचेरी | – | 2 |
| कुल | – | 192 |

इन 192 कम्पनियों में से 2 कम्पनियों को, जो उत्तर प्रदेश राज्य में कार्य कर रही थीं, वर्ष 1999 में गैर अधिसूचित किया गया था।

(ख) 31.1.2000 तक की स्थिति के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक से रिपोर्ट और लेखा परीक्षकों का प्रमाण पत्र प्राप्त न होने के कारण 89 आवेदन लम्बित पड़े थे। भारतीय रिजर्व बैंक को इसकी फरवरी में याद दिला दी गई थी।

| राज्य | | निधि कंपनियों की संख्या |
|---|---|---|
| तमिलनाडु | – | 78 |
| आन्ध्र प्रदेश | – | 4 |
| केरल | – | 2 |
| उत्तर प्रदेश | – | 2 |
| कर्नाटक | – | 1 |
| पंजाब | – | 1 |
| पांडिचेरी | – | 1 |
| कुल | – | 89 |

(ग) से (च) अधिनियम की धारा 620क के अन्तर्गत प्राप्त आवेदनों पर समय-समय पर जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्रवाई की जानी होती है। कम्पनी कार्य विभाग ने भारतीय रिजर्व बैंक के साथ परामर्श करके निधि कम्पनियों की कार्य प्रणाली में सुधार करने के लिए नये दिशा-निर्देश तैयार किए हैं और इस संबंध में 1.11.1999 को एक अधिसूचना जारी की गई थी। ये कम्पनियां निधि कम्पनियां घोषित किए जाने से पहले गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पमियां थीं तथा इन्हें भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों का अनुपालन करना होता था। इनमें से अधिकतर कम्पनियों ने निक्षेपों और लिक्विडिटी अनुपात को स्वीकार करने के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों का उल्लंघन किया है। भारतीय रिजर्व बैंक इन कम्पनियों की निधि कम्पनी होने की पात्रता का पता लगाने के लिए इन कम्पनियों की एक-एक करके जांच कर रहा है। प्रत्येक मामले के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट प्राप्त होने पर इन कम्पनियों के आवेदनों पर कार्रवाई की जाएगी। 1.11.1999 को अधिसूचित संशोधित दिशा-निर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ सरकार को दस से अधिक जमाकर्ताओं को जमाराशि को वापिस करने में हुई चूक के मामले में कम्पनी के कार्यों पर निगरानी बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा नियुक्त लेखा परीक्षकों द्वारा विशेष लेखा परीक्षा करने के लिए विशेष अधिकारी नियुक्त करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि निधि कम्पनी प्रत्येक जमाराशि का आधा प्रतिशत ऐसी निधि को अन्तरित करके एक आकस्मिक निधि बना सके और सारी रकम किसी राष्ट्रीयकृत बैंक की आकस्मिक निधि में रख सके और किसी व्यक्ति पर लगातार दस वर्ष से अधिक की अवधि तक निधि में निदेशक का पद धारण करने पर रोक लगा सके बशर्ते कि ऐसा निदेशक निदेशक आदि का पद धारण करने की अवधि के दो वर्ष की अवधि समाप्त हो जाने के बाद पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र हो सकेगा।

## पावर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया को ऋण

2778. **श्री जी० एस० बसवराज : क्या विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्तीय संस्थाएं, पावर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया को अधिक आवधिक ऋण देने पर सहमत हो गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री तथा खान और खनिज मंत्री (श्री पी०आर० कुमारमंगलम) : (क) विद्युत मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में पावर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया नामक कोई निगम नहीं है। तथापि, यदि यह सन्दर्भ पावर फाइनेंस कार्पोरेशन से संबंधित है तो स्थिति यह है कि वित्तीय संस्थान पावर फाइनेंस कार्पोरेशन लि० को अधिक आवधिक ऋण प्रदान करने पर सहमत नहीं हुए हैं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

**रसोई गैस कनेक्शन धारकों को मिट्टी के तेल का आबंटन**

2779. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों से रसोई गैस के दो कनेक्शन रखने वाले लोगों का मिट्टी के तेल का आबंटन बंद करने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या उनके मंत्रालय ने भी राज्यों से उन कार्ड धारकों, जिनके पास ईंधन के अन्य विकल्प हैं, को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत दिए जाने वाले मिट्टी के तेल के वितरण की समीक्षा करने को कहा है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने राज्य सरकारों से यह भी अनुरोध किया है कि नए खुदरा बिक्री केन्द्र/रसोई गैस डिस्ट्रीब्यूटरशिप की स्थापना हेतु स्थानों का पता लगाने के लिए नगर योजना एजेंसियों को मास्टर प्लान तैयार करने से पहले तेल कम्पनियों से परामर्श करना अनिवार्य है; और

(घ) यदि हां, तो राज्य सरकारों की इस संबंध में यदि कोई हों, क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय राज्य सरकारों से आग्रह करता रहा है कि दो सिलेंडरों वाले कनेक्शन के ग्राहकों के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मिट्टी तेल का आबंटन बंद कर दिया जाए। राज्य सरकारों को वैकल्पिक ईंधनों की उपलब्धता जैसे घटकों को ध्यान में रखते हुए शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मिट्टी तेल के वितरण की मात्रा की पुनरीक्षा करने की सलाह भी दी गई है।

(ग) और (घ) जी, हां। राज्य सरकार इस प्रस्ताव पर विचार करने के लिए सिद्धान्त रूप में सहमत हो गई हैं।

**ग्रामीण सार्वजनिक टेलिफोन में एस.टी.डी. सुविधा**

2780. श्री अवतार सिंह भडाना :
श्री रामजीलाल सुमन :
श्री शिवराजसिंह चौहान :
श्रीमती शीला गौतम :
श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :
श्री राजो सिंह :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में, विशेषकर बिहार, आन्ध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में एस.टी.डी. सुविधा उपलब्ध कराने की मांग सरकार के पास लम्बित है;

(ख) यदि हां, तो आज की स्थिति के अनुसार राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत एक वर्ष के दौरान आन्ध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में जिलेवार कितने एस.टी.डी. बूथ बनाए गए;

(घ) क्या दूरसंचार विभाग ने देश के सभी ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों के तहसील मुख्यालयों में एस.टी.डी. सुविधा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है;

(ङ) यदि हां, तो क्या इस आवश्यकता की पूर्ति हेतु सभी ग्रामीण एक्सचेंजों का उन्नयन किया जा रहा है;

(च) क्या विभाग द्वारा गठित आन्तरिक समिति ने ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार की पहुंच बढ़ाने हेतु स्थानीय लूप में वायरलैस को शामिल करने, और दूरदराज के क्षेत्रों तक पहुंच हेतु उपग्रह टर्मिनल लगाने की सिफारिश की है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) ग्रामीण क्षेत्रों में एस.टी.डी. सुविधा प्रदान किए जाने की अनेक मांग है। देश में 20382 ग्रामीण एक्सचेंजों में से, 16636 ग्रामीण एक्सचेंजों में एस.टी.डी. सुविधा प्रदान की गई है। बिहार, आन्ध्र प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश में अभी क्रमश: 1486 तथा 552 एक्सचेंजों में एस.टी.डी. सुविधा प्रदान की जानी है।

ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे एक्सचेंजों की संख्या के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं जिनमें अभी एस.टी.डी. सुविधा प्रदान की जानी है।

(ग) आन्ध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रदान किए गए एस.टी.डी. बूथों की संख्या संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(घ) और (ङ) जी, हां। शेष एक्सचेंजों में मार्च, 2002 तक उत्तरोत्तर रूप से एस.टी.डी. सुविधा प्रदान किए जाने की योजना है बशर्ते की संसाधन उपलब्ध हों।

(च) और (छ) जी, हां। संचार राज्य मंत्री की अध्यक्षता में आन्तरिक समिति ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्थानीय लूप में बेतार (डब्ल्यूएलएल) तथा दूरस्थ एवं दूर-दराज के क्षेत्रों में उपग्रह टर्मिनलों की सिफारिश की है।

सरकार ने उक्त समिति की सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं तथा डब्ल्यूएलएल प्रणालियों तथा उपग्रह आधारित टर्मिनलों के प्रापण की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

## विवरण-I

*29.2.2000 की स्थिति के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में एस.टी.डी. सुविधा प्रदान करने के लिए राज्यवार लम्बित टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या*

| क्रम सं० | राज्य | एक्सचेंजों की संख्या |
|---|---|---|
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 86 |
| 2. | असम | 8 |
| 3. | बिहार | 14 |
| 4. | गुजरात | 103 |
| 5. | हरियाणा | 253 |
| 6. | हिमाचल प्रदेश | 54 |
| 7. | जम्मू एवं कश्मीर | 86 |
| 8. | कर्नाटक | 10 |
| 9. | केरल | 0 |
| 10. | महाराष्ट्र | 1184 |
| 11. | गोवा | 6 |
| 12. | मध्य प्रदेश | 640 |
| 13. | अरुणाचल प्रदेश | 33 |
| 14. | मणिपुर | 7 |
| 15. | मेघालय | 4 |
| 16. | मिजोरम | 17 |
| 17. | नागालैंड | 12 |
| 18. | त्रिपुरा | 5 |
| 19. | उड़ीसा | 1 |
| 20. | पंजाब | 67 |
| 21. | राजस्थान | 493 |
| 22. | तमिलनाडु | 0 |
| 23. | उत्तर प्रदेश | 552 |
| 24. | पश्चिम बंगाल | 28 |
| 25. | सिक्किम | 3 |

•आन्ध्र प्रदेश में 88 ऐसे अतिरिक्त ग्रामीण एक्सचेंज थे जिन्हें जला दिया गया या आतंकवादियों की समस्या के कारण अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया।

## विवरण-II

*गत तीन वर्षों के दौरान आन्ध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रदान किए गए एस.टी.डी. बूथों की संख्या के जिलावार ब्यौरे*

| क्रम सं० | जिले का नाम | 1999-2000 के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में प्रदान किए गए एस.टी.डी. बूथ (29.2.2000 की स्थिति के अनुसार) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | आन्ध्र प्रदेश | |
| 1. | अदिलाबाद | 50 |
| 2. | अनन्तपुर | 34 |
| 3. | चित्तूर | 146 |
| 4. | कूडप्पाह | 62 |
| 5. | पूर्व गोदावरी | 152 |
| 6. | गुंटूर | 260 |
| 7. | हैदराबाद | 0 |
| 8. | रंगारेड्डी | 35 |
| 9. | करीम नगर | 45 |
| 10. | खम्माम | 12 |
| 11. | कृष्णा | 115 |
| 12. | कुरनूल | 81 |
| 13. | महबूब नगर | 67 |
| 14. | मेडक | 32 |
| 15. | नालगोंडा | 77 |
| 16. | नेल्लोर | 78 |
| 17. | निजामाबाद | 57 |
| 18. | प्रकाशम | 78 |
| 19. | श्रीकाकुलम | 37 |
| 20. | विशाखापट्नम | 14 |
| 21. | विजियानगरम | 64 |
| 22. | वारंगल | 35 |
| 23. | पश्चिम गोदावरी | 94 |
| | उत्तर प्रदेश | |
| 1. | आगरा | 216 |
| 2. | फिरोजाबाद | 2 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 3. | अलीगढ़ | 0 |
| 4. | हाथरस | 0 |
| 5. | अल्मोड़ा | 44 |
| 6. | बागेश्वर | 0 |
| 7. | चम्पावत | 1 |
| 8. | पिथौरागढ़ | 4 |
| 9. | बदायूं | 0 |
| 10. | बिजनौर | 53 |
| 11. | बरेली | 43 |
| 12. | देहरादून | 12 |
| 13. | एटा | 5 |
| 14. | गाजियाबाद | 9 |
| 15. | बुलन्दशहर | 118 |
| 16. | जी. बी. नगर | 19 |
| 17. | मुरादाबाद | 0 |
| 18. | अमरोहा | 0 |
| 19. | मेरठ | 139 |
| 20. | बागपत | 52 |
| 21. | मुजफ्फर नगर | 50 |
| 22. | मथुरा | 0 |
| 23. | नैनीताल | 0 |
| 24. | उधम सिंह नगर | 0 |
| 25. | रामपुर | 4 |
| 26. | हरिद्वार | 12 |
| 27. | सहारनपुर | 30 |
| 28. | चमोली | 17 |
| 29. | पौड़ी | 52 |
| 30. | रुद्रप्रयाग | 11 |
| 31. | उत्तरकाशी | 4 |
| 32. | टिहरी (गढ़वाल) | 22 |
| 33. | पीलीभीत | 2 |
| 34. | इलाहाबाद | 5 |
| 35. | कौशाम्बी | 2 |
| 36. | बहराइच | 6 |
| 37. | श्रावास्ती | 2 |
| 38. | बांदा | 2 |
| 39. | चित्रकूट | 1 |
| 40. | बस्ती | 70 |
| 41. | सिद्धार्थनगर | 30 |
| 42. | संत कबीर नगर | 25 |
| 43. | इटावा | 2 |
| 44. | औरैया | 1 |
| 45. | फैजाबाद | 25 |
| 46. | अम्बेडकर नगर | 20 |
| 47. | फर्रुखाबाद | 11 |
| 48. | कन्नौज | 5 |
| 49. | गोंडा | 50 |
| 50. | बलरामपुर | 20 |
| 51. | गोरखपुर | 5 |
| 52. | महाराज गंज | 2 |
| 53. | हमीर पुर | 0 |
| 54. | महोबा | 0 |
| 55. | कानपुर | 20 |
| 56. | कानपुर देहात | 2 |
| 57. | मिर्जापुर | 20 |
| 58. | सोनभद्र | 10 |
| 59. | भदोही | 4 |
| 60. | चंदौली | 3 |
| 61. | वाराणसी | 8 |
| 62. | झांसी | 1 |
| 63. | ललितपुर | 0 |
| 64. | देवरिया | 7 |
| 65. | मऊ | 25 |
| 66. | कुशीनगर | 8 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 67. | आजमगढ़ | 95 |
| 68. | बलिया | 0 |
| 69. | बाराबंकी | 0 |
| 70. | फतेहपुर | 5 |
| 71. | गाजीपुर | 1 |
| 72. | हरदोई | 0 |
| 73. | जौनपुर | 75 |
| 74. | लखीमपुर | 2 |
| 75. | लखनऊ | 0 |
| 76. | मैनपुरी | 1 |
| 77. | उरई | 0 |
| 78. | प्रतापगढ़ | 55 |
| 79. | रायबरेली | 20 |
| 80. | शाहजहांपुर | 1 |
| 81. | सीतापुर | 2 |
| 82. | सुलतानपुर | 60 |
| 83. | उन्नाव | 15 |
| | **बिहार** | |
| 1. | आराह (भोजपुर) | 39 |
| 2. | बक्सर | 7 |
| 3. | भागलपुर | 52 |
| 4. | बंका | 12 |
| 5. | छपरा | 70 |
| 6. | सीवान | 50 |
| 7. | गोपालगंज | 39 |
| 8. | दरभंगा | 234 |
| 9. | समस्तीपुर | 160 |
| 10. | बेगुसराय | 63 |
| 11. | मधुबनी | 246 |
| 12. | खगरिया | 64 |
| 13. | पलामू | 35 |
| 14. | गढ़हवा | 22 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 15. | दुमका | 5 |
| 16. | देवघर | 3 |
| 17. | गोड्डा | 2 |
| 18. | साहेबगंज | 2 |
| 19. | पाकुर | 1 |
| 20. | धनबाद | 32 |
| 21. | बोकारो | 18 |
| 22. | गया | 89 |
| 23. | नवादा | 11 |
| 24. | जहानाबाद | 14 |
| 25. | औरंगाबाद | 57 |
| 26. | हजारीबाग | 15 |
| 27. | गिरडीह | 13 |
| 28. | छतरा | 2 |
| 29. | कोडरमा | 7 |
| 30. | पूर्वी सिंहभूम | 3 |
| 31. | पश्चिम सिंहभूम | 3 |
| 32. | कटिहार | 60 |
| 33. | पुर्णिया | 59 |
| 34. | अरारिया | 31 |
| 35. | किशनगंज | 44 |
| 36. | पूर्वी चम्पारन | 40 |
| 37. | पश्चिम चम्पारन | 30 |
| 38. | मुंगेर | 9 |
| 39. | लखीसराय | 16 |
| 40. | शेखपुरा | 14 |
| 41. | जमुई | 3 |
| 42. | मुजफ्फरपुर | 4 |
| 43. | वैशाली | 3 |
| 44. | सीतामढ़ी | 2 |
| 45. | शेवहर | 2 |
| 46. | पटना | 46 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 47. | नालगोंडा नालंदा | 6 |
| 48. | रांची | 89 |
| 49. | लोहार डांगा | 5 |
| 50. | गुमला | 3 |
| 51. | सहरसा | 24 |
| 52. | सुपॉल | 32 |
| 53. | माधेपुरा | 38 |
| 54. | रोहतास | 31 |
| 55. | काईमूर (भभुआ) | 51 |

### विद्युत की कमी संबंधी अध्ययन

**2781. श्री ए० वैंकटेश नायक :**
**श्री रामशेठ ठाकुर :**

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में विद्युत की कमी के संबंध में हाल ही में कोई अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या सरकार ने अध्ययन रिपोर्ट की सिफारिशों पर विचार किया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिकिया है?

**विद्युत मंत्री तथा खान और खनिज मंत्री (श्री पी०आर० कुमारमंगलम) :** (क) से (घ) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने ग्यारहवीं योजना के अन्त, अर्थात् 2011-12, तक अधिष्ठापित क्षमता की आवश्यकता का मूल्यांकन करने के लिए संदर्शी योजनागत अध्ययन कार्य किए हैं ताकि 15वें विद्युत शक्ति सर्वेक्षण रिपोर्ट और "जून, 2012 तक मांग पर विद्युत" संबंधी प्रकाशित रिपोर्ट में प्रक्षेपित मांग को पूर्ण रूप से पूरा किया जा सके। अध्ययन कार्यों के परिणामों में सन् 2012 तक मांग पर सभी को विद्युत उपलब्ध कराने के लिए 240000 मेगावाट विद्युत अधिष्ठापित क्षमता की आवश्यकता को इंगित किया गया है।

सरकार को इन सिफारिशों की जानकारी है और सरकार अधिष्ठापित क्षमता में अभिवृद्धि और मांग पक्ष प्रबंध उपायों के भी जरिए मांग-आपूर्ति के बीच अन्तर को नियंत्रित करने के प्रयास कर रही है। विद्युत की उपलब्धता में सुधार लाने वाले अन्य उपायों जैसे विद्युत क्षेत्र में सुधार, अनिवार्य मीटरिंग, पुराने संयंत्रों का नवीकरण एवं आधुनिकीकरण, तथा पारेषण एवं वितरण नेटवर्क का सशक्तीकरण आदि पर बल प्रदान किया जा रहा है।

### इंदिरा सागर परियोजना

**2782. श्री पी० आर० खूंटे :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इंदिरा सागर परियोजना से संबंधित कोई प्रस्ताव स्वीकृति के लिए पेश किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है; और

(ग) इस प्रस्ताव को कब तक मंजूरी दे दी जाएगी?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) :** (क) जी, हां। मध्य प्रदेश सरकार से इन्दिरा सागर (नर्मदा सागर) परियोजना से संबंधित जिला खंडवा में इन्दिरा सागर परियोजना नहर के निर्माण के लिए 42.199 हैक्टेयर वन भूमि के वनेतर प्रयोग का एक प्रस्ताव जनवरी, 1995 में प्राप्त हुआ था।

(ख) और (ग) प्रस्ताव की जांच करने पर इसे प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित भूमि और वर्तमान वनस्पतियों के विवरण के संबंध में अधूरा पाया गया था। राज्य सरकार से प्रस्ताव की इन कमियों के बारे में तथा आवश्यक विवरण प्रस्तुत करने के लिए 23.2.1995 को अनुरोध किया गया था और 2.9.1999 को उन्हें अनुस्मारक भी भेजा गया था। राज्य सरकार द्वारा ये विवरण उपलब्ध न करवाए जाने के कारण मंत्रालय अनुमोदन के लिए प्रस्ताव पर विचार के लिए आगे कार्रवाई करने में असमर्थ है।

### कर्नाटक में वन संरक्षण

**2783. श्री पुट्टस्वामी गौड़ा :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने राज्य में वन सीमाओं और वन संरक्षण में सुधार लाने के लिए एक परियोजना प्रेषित की है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना की लागत सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक मंजूरी दे दी जाएगी?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) :** (क) से (ग) जी, हां। कर्नाटक सरकार ने 103.860 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय से कर्नाटक राज्य में वन सुरक्षा के लिए एक पंचवर्षीय परियोजना प्रस्तुत की है। यह परियोजना योजना आयोग को भेजी गई थी, आयोग ने सूचित किया है कि इस परियोजना के लिए निधियां आबंटित करना संभव नहीं हो सकेगा। इस बारे में कर्नाटक सरकार को सूचित कर दिया गया है।

### वैवाहिक न्यायालय

**2784. श्री पी० एच० पांडियन :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य-वार कितने वैवाहिक न्यायालय चल रहे हैं;

(ख) इन न्यायालयों में राज्य-वार कितने मामले लंबित हैं;

(ग) इन न्यायालयों में न्यायाधीशों के कितने पद रिक्त पड़े हैं; और

(घ) राज्य-वार रिक्त पदों के कब तक भरे जाने की संभावना है?

**विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री राम जेठमलानी) :** (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

**दूरसंचार और डाक क्षेत्रों में विकास कार्य**

**2785. श्री अशोक ना० मोहोल :**
**श्री रामशेठ ठाकुर :**
**श्री नामदेव हरबाजी दिवाथे :**
**श्रीमती जस कौर मीणा :**
**श्री ब्रह्मानंद मंडल :**

**क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश के विशेषकर मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के ग्रामीण, आदिवासी और शहरी क्षेत्रों में दूरसंचार और डाक क्षेत्रों में किए गए विकास कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इन राज्यों से राज्य-वार कितना राजस्व एकत्र हुआ और विकास कार्यों पर कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ग) क्या इन राज्यों में लक्ष्यों के अनुसार विकास कार्य पूरे किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने देश में विशेषकर इन राज्यों के वर्ष 1998 में तथा वर्ष 1996-97 और 1997-98 के दौरान शुरू की गई/चल रही परियोजनाएं बंद कर दी हैं;

(च) यदि हां, तो विदर्भ और चिमूर सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या सरकार का विचार इन परियोजनाओं को पुनः शुरू करने का है;

(ज) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(झ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

**संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) :** (क) दूरसंचार और डाक सेक्टर में किए गए विकास कार्यों का ब्यौरा संलग्न विवरण I और II में दिया गया है।

(ख) दूरसंचार और डाक सेक्टर में एकत्र राजस्व और विकास कार्यों के लिए खर्च की गई राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण III में दिया गया है।

(ग) और (घ) डाक सेक्टर में विकास लक्ष्य प्राप्त कर लिए गए। दूरसंचार सेक्टर में वीपीटी को छोड़कर लक्ष्य प्राप्त कर लिए गए। सूचना विवरण I में दी गई है।

(ङ) से (झ) कोई परियोजना बंद नहीं की गई है।

**विवरण-I**

| वर्ष | मद | कर्नाटक | | मध्य प्रदेश | | राजस्थान | | उत्तर प्रदेश | | अखिल भारत | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | लक्ष्य | उपलब्धि | लक्ष्य | उपलब्धि | लक्ष्य | उपलब्धि | लक्ष्य | उपलब्धि | लक्ष्य | उपलब्धि |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1996-97 | वीपीटी | 3000 | 4120 | 7350 | 7355 | 6500 | 5051 | 15300 | 9702 | 75000 | 56719 |
| | स्विचन क्षमता | 163600 | 216909 | 55500 | 101558 | 151300 | 111788 | 190750 | 308608 | 2960000 | 3114628 |
| | सीधी एक्सचेंज लाइनें | 133000 | 189608 | 45000 | 75541 | 123000 | 113518 | 155000 | 216912 | 2450000 | 2564256 |
| 1996-97 | वीपीटी | 3000 | 3389 | 5500 | 3878 | 5000 | 3269 | 22000 | 10815 | 83000 | 42855 |
| | स्विचन क्षमता | 245000 | 278530 | 88000 | 107601 | 184000 | 153788 | 242000 | 414646 | 3600000 | 3518738 |
| | सीधी एक्सचेंज लाइनें | 195000 | 254378 | 70000 | 102692 | 147000 | 147362 | 194000 | 313918 | 2900000 | 3259045 |
| 1996-97 | वीपीटी | 2500 | 2521 | 4000 | 3707 | 2540 | 2585 | 13000 | 11156 | 45000 | 37058 |
| | स्विचन क्षमता | 266000 | 286338 | 156000 | 227704 | 235500 | 255731 | 381000 | 453785 | 4930000 | 4789902 |
| | सीधी एक्सचेंज लाइनें | 200000 | 237002 | 110000 | 140352 | 163000 | 171445 | 272000 | 341602 | 3550000 | 3791990 |

विवरण-II

*गत तीन वर्षों के दौरान डाक विभाग के विकासात्मक कार्य*

| क्र.सं. विकास कार्य | अखिल भारत | | | मध्य प्रदेश | | | कर्नाटक | | | उत्तर प्रदेश | | | राजस्थान | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 96-97 | 97-98 | 98-99 | 96-97 | 97-98 | 98-99 | 96-97 | 97-98 | 98-99 | 96-97 | 97-98 | 98-99 | 96-97 | 97-98 | 98-99 |
| 1 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. डाकघरों को खोलना | 364 | 454 | 648 | 26 | 43 | 55 | 27 | 29 | 16 | 47 | 63 | 85 | 18 | 34 | 31 |
| शहरी | 80 | 33 | 28 | 18 | — | 3 | 9 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| ग्रामीण | 224 | 304 | 417 | 8 | 28 | 32 | 12 | 8 | 4 | 40 | 60 | 61 | 11 | 22 | 15 |
| जनजातीय | 48 | 85 | 138 | — | 15 | 20 | 3 | 6 | 6 | 4 | — | 10 | 4 | 11 | — |
| पर्वतीय | 12 | 32 | 65 | — | — | — | 3 | 13 | 5 | — | 2 | 12 | — | — | 15 |
| 2. बहुउद्देशीय कांउटर मशीनों की स्थापना | 360 | 918 | 1429 | 18 | 80 | 34 | 69 | 102 | 39 | — | 80 | 59 | — | 75 | 53 |
| 3. डाकघरों का आधुनिकीकरण | 432 | 308 | 98 | 21 | 9 | 17 | 22 | 9 | 3 | 44 | 58 | 8 | 14 | 9 | 3 |
| 4. विस्तारित सेटलाइट मनीआर्डर स्टेशन की स्थापना | — | 318 | — | 3 | 10 | — | — | 10 | — | 9 | 30 | — | — | 10 | — |
| 5. इलैक्ट्रानिक फ्रैंकिंग मशीनों की आपूर्ति | — | 250 | 150 | — | 18 | 5 | — | 20 | — | — | 20 | 9 | — | 10 | — |
| 6. स्टेम्प कैंसलिंग मशीन की आपूर्ति | — | 20 | 20 | — | 8 | 3 | 1 | — | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 7. ट्रांसिट मेल कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण | — | 6 | 6 | — | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. | मेल कार्यालयों का आधुनिकीकरण | — | 20 | 43 | — | 2 | 5 | — | — | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | — |
| 9. | रजिस्ट्रेशन सोर्टिंग का कम्प्यूटरीकरण | — | 13 | 22 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 4 | — | 1 | — |
| 10. | प्रचालन कार्यालय भवन का निर्माण | 55 | 54 | 25 | | | | | | | गत तीन वर्षों के दौरान शहरी क्षेत्रों में 5 डाकघर भवनों का निर्माण किया गया था। | | | गत तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में 2, जनजातीय में एक और शहरी क्षेत्र में एक डाकघर भवन का निर्माण किया गया था। | | |
| 11. | प्रशासनिक कार्यालय भवन का निर्माण | 2 | 4 | 2 | गत तीन वर्षों के दौरान शहरी क्षेत्रों में 6 और जनजातीय क्षेत्रों में 2 डाकघर भवनों का निर्माण किया गया। | | | | | | | | | गत तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में एक प्रशासनिक कार्यालय भवन का निर्माण किया गया। | | |
| 12. | स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण | 142 | 275 | 196 | गत तीन वर्षों के दौरान शहरी, क्षेत्र में 28 स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण किया गया। | | | गत तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 9 भवन परियोजना का निर्माण किया गया। | | | गत तीन वर्षों के दौरान शहरी क्षेत्रों में 56 स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण किया गया। | | | गत तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण क्षेत्र में 5 स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण किया गया। | | |
| 13. | डाक जीवन बीमा कार्य का कम्प्यूटरीकरण | | | | . | | | प्रणाली का उन्नयन। | | | प्रणाली का उन्नयन। | | | | | |
| 14. | ग्रामीण डाक जीवन बीमा कार्य | 2 | 19 | 11 | कम्प्यूटीकृत कर दिया गया है। | | | कम्प्यूटीकृत कर दिया गया है। | | | कम्प्यूटीकरण कर दिया गया है और कार्य का विकेन्द्रीकरण किया गया है। | | | कम्प्यूटीकरण कर दिया गया है। | | |

विवरण-III

**दूरसंचार सेक्टर**

एकत्र किया गया राजस्व (करोड़ रु. में)

| राज्य का नाम | 1996-97 | 1997-98 | 1998-99 |
|---|---|---|---|
| कर्नाटक | 960 | 1164 | 1403 |
| मध्य प्रदेश | 460 | 566 | 656 |
| राजस्थान | 421 | 527 | 639 |
| उत्तर प्रदेश | 768 | 957 | 1167 |

विकासात्मक कार्यों पर खर्च की गई राशि (करोड़ रु. में)

| राज्य का नाम | 1996-97 | 1997-98 | 1998-99 |
|---|---|---|---|
| कर्नाटक | 480 | 655 | 714 |
| मध्य प्रदेश | 308 | 330 | 391 |
| राजस्थान | 337 | 385 | 375 |
| उत्तर प्रदेश | 667 | 1017 | 1014 |

**डाक सेक्टर**

एकत्र किया गया राजस्व (करोड़ रु. में)

| राज्य का नाम | 1996-97 | 1997-98 | 1998-99 |
|---|---|---|---|
| कर्नाटक | 773521 | 978216 | 1142812 |
| मध्य प्रदेश | 379291 | 511683 | 566230 |
| राजस्थान | 374409 | 481829 | 524373 |
| उत्तर प्रदेश | 876094 | 1131014 | 1216063 |

विकासात्मक कार्यों पर खर्च की गई राशि (करोड़ रु. में)

| राज्य का नाम | 1996-97 | 1997-98 | 1998-99 |
|---|---|---|---|
| कर्नाटक | 34213 | 36779 | 33314 |
| मध्य प्रदेश | 13838 | 12772 | 21280 |
| राजस्थान | 16802 | 9359 | 1453 |
| उत्तर प्रदेश | 31278 | 36046 | 43304 |

### पेट्रोनेट एल एन जी लिमिटेड द्वारा आमन्त्रित बोलियां

**2786. श्री नरेश पुगलिया :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेट्रोनेट एल एन जी लिमिटेड ने यू ए ई से भारत को तरल प्राकृतिक गैस (एल एन जी) के परिवहन के लिए विश्वव्यापी बोलियां आमंत्रित की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आमंत्रित बोलियों की शर्तें इतनी कड़ी हैं कि भारतीय शिपिंग कम्पनी एल एन जी परिवहन व्यापार में प्रवेश ही नहीं कर सकती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या मंत्रालय को एल एन जी परिवहन बोलियों के लिए निर्धारित मानदंडों के बारे में कुछ विरोध टिप्पण प्राप्त हुए हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या बोलियों में कुछ सुधार किए गए हैं ताकि एल एन जी परिवहन व्यापार में भारतीय शिपिंग कम्पनियां प्रवेश कर सकें;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(झ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) :** (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, पेट्रोनेट एल एन जी लि. ने कतर से 7.5 मिलियन टन तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एल एन जी) प्रति वर्ष के परिवहन के लिए पोत मालिकों और पोत प्रचालकों को पूर्वार्हता के लिए विश्व स्तर पर बोलियां आमंत्रित की हैं। पूर्वार्हता के लिए विश्व स्तर पर बोलियां अग्रणी समाचार पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से आमंत्रित की गई थीं। पूर्वार्हता प्रलेख संबंधित पक्षकारों को जारी कर दिया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) भूतल परिवहन मंत्रालय ने अनुरोध किया है कि भारतीय जहाजरानी कम्पनियों को स्वयं अथवा अनुभवी एल एन जी पोत मालिकों अथवा प्रचालकों के साथ गठबंधन के आधार पर पूर्वार्हता के लिए बोलियां भेजने की अनुमति दी जाए।

(छ) जी, नहीं।

(ज) प्रश्न नहीं उठता।

(झ) पूर्वार्हता प्रलेख की शर्तों में बोलीदाताओं के लिए किसी भारतीय जहाजरानी कम्पनी के साथ मिलकर बोली भेजना पहले ही अनिवार्य बना दिया गया है जिसके द्वारा पेट्रोनेट एल एन जी लि. के एल एन जी जहाजरानी प्रबंध में किसी भारतीय जहाजरानी कम्पनी का सहयोग सुनिश्चित हो गया है।

*[हिन्दी]*

### भारतीय पत्तनों से खाद्यान्नों का निर्यात

**2787. श्री हरिभाई चौधरी :** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान भारतीय पत्तनों से कितनी मात्रा में खाद्यान्नों का निर्यात हुआ;

(ख) क्या विदेशों को खाद्यान्नों के निर्यात में देरी हुई है या देरी की जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो इन पत्तनों से खाद्यान्नों के समय पर निर्यात को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या प्रयास किए हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देवेन्द्र प्रधान) : (क) गत दो वर्षों (1997-98 और 1998-99) के दौरान भारतीय पत्तनों से निर्यातित खाद्यान्नों की मात्रा निम्न प्रकार है :

| | |
|---|---|
| 1997-98 | 14.00 लाख टन |
| 1998-99 | 20.27 लाख टन |

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

*[अनुवाद]*

### बान्द्रा-वरली सी-लिंक प्रोजेक्ट

**2788. श्री मोहन रावले :** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में बान्द्रा-वरली सी-लिंक प्रोजेक्ट की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) इसे कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देवेन्द्र प्रधान) : (क) और (ख) प्रश्नगत परियोजना एक राज्यीय परियोजना है और इसके निर्माण कार्य के लिए मुख्य रूप से महाराष्ट्र सरकार जिम्मेदार है। इस प्रकार, इसका निर्माण इस मंत्रालय के कार्यक्षेत्र के भीतर नहीं आता है।

### खाते बन्द करने के लिए समय-सीमा निर्धारण

**2789. श्री ए० वेंकटेश नायक :**
**श्री जी० पुट्टास्वामी गौड़ा :**

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने परियोजना तैयार करने वालों के लिए खाते बंद करने हेतु 31 जनवरी, 1999 की समय-सीमा निर्धारित की थी;

(ख) यदि हां, तो ऐसे भारतीय विद्युत उत्पादकों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कई स्वीकृतियां न मिलने के कारण इनमें से कोई भी आई.पी.पी. निर्धारित तिथि को खाते बंद नहीं कर पाया;

(घ) यदि हां, तो कर्नाटक सरकार ने खाते बंद करने की समय-सीमा बढ़ाने का अनुरोध किया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विद्युत मंत्री तथा खान और खनिज मंत्री (श्री पी०आर० कुमारमंगलम) : (क) तरल ईंधन आधारित विद्युत परियोजनाओं के वित्तीय समापन की समय-सीमा को 31.10.1998 तक बढ़ा दी गई थी। परियोजनाओं के प्रवर्तकों एवं राज्य सरकारों से प्राप्त अनुरोधों के आधार पर यह सीमा 31.1.1999 तक बढ़ा दी गई।

(ख) और (ग) तेरह राज्यों एवं एक संघीय क्षेत्र में तरल ईंधन आधारित लगभग 145 परियोजनाओं (कैप्टिव एवं स्वतंत्र विद्युत परियोजनाओं समेत) को विकसित किए जाने का प्रस्ताव था। समय विस्तार के लिए पुन: निवेदन प्राप्त हुए क्योंकि अधिकांश परियोजनाओं का विभिन्न कारणों से वित्तीय समापन नहीं हो सका था। इस मामले की परियोजनाओं की प्रगति के आलोक में समीक्षा की गई जिसके बाद यह निर्णय लिया गया कि नाफ्था आधारित आठ राज्यों में 37 विद्युत परियोजनाओं को पुन: समय-विस्तार दिया जाए। नाफ्था के अलावा तरल ईंधन आधारित परियोजनाओं के संबंध में यह निर्णय लिया गया कि उन पर वित्तीय समापन समय-सीमा अब नहीं लागू होगी क्योंकि इनके लिए फ्री इम्पोर्ट की अनुमति दी जाएगी। समीक्षा के दौरान यह भी बताया गया कि नाफ्था आधारित 15 परियोजनाओं ने वित्तीय समापन प्राप्त कर लिया है/निर्माण शुरू कर दिया है/चालू हो गए हैं।

(घ) जी, हां। कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक में नाफ्था आधारित कुछ विद्युत परियोजनाओं के लिए निर्धारित समय-सीमा को 31.1.1999 से बढ़ाने का अनुरोध किया था।

(ङ) कर्नाटक सरकार की सिफारिशों पर विचार करने के बाद यह निर्णय लिया गया कि कर्नाटक में नाफ्था आधारित 8 विद्युत परियोजनाओं को 31.12.1999 तक का समय-विस्तार दिया जाए।

### राष्ट्रीय राजमार्गों से सम्बन्धित चल रही परियोजनाएं

**2790. श्री ए० नरेन्द्र :** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय राजमार्गों से संबंधित चल रही परियोजनाओं जैसे-बाइपास का निर्माण, दोहरीकरण, द्रुत राजमार्ग का निर्माण आदि का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) तीन वर्षों से भी अधिक समय से अधूरी पड़ी परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई;

(घ) क्या इन परियोजनाओं के लिए मंजूर की गई धनराशि का उपयोग किया गया/अन्य स्थानों पर उपयोग किया गया;

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देवेन्द्र प्रधान) : (क) (i) राष्ट्रीय राजमार्गों (बाइपासों) पर चालू परियोजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ii) राष्ट्रीय राजमार्गों को चौड़ा करने से संबंधित सूची संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(iii) गुजरात राज्य में अहमदाबाद-बड़ोदरा एक्सप्रैस मार्ग का निर्माण चल रहा है।

(ख) 3 वर्ष से अधिक समय से अधूरी पड़ी परियोजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण-III में दिए गए हैं।

(ग) कार्य शीघ्र पूरा करने और कार्य पूरा करने में आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए मंत्रालय में एक वर्ष में तीन समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) और (च) लागू नहीं।

**विवरण-I**

*बाइपासों के संबंध में राष्ट्रीय राजमार्गों पर चालू परियोजनाओं की स्थिति दर्शाने वाला विवरण*

| क्रम सं. | राज्य का नाम | रा.रा.संख्या | कार्य का नाम | स्वीकृत धनराशि (लाख रु.) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | गोवा, दमन और दीव | 4क, 17 | (i) रा.रा.-17 पर वर्न बाइपास का निर्माण | 313.34 |
| | | | (ii) रा.रा.-4क पर फोंडा बाइपास का निर्माण | 514.47 |
| 2. | हिमाचल प्रदेश | 21 | कुल्लू बाइपास का निर्माण | 1931.58 |
| 3. | कर्नाटक | 48 | हासन बाइपास का निर्माण | 1000.00 |
| 4. | केरल | 47, 17 | (i) अलेपी बाइपास | 347.00 |
| | | | (ii) संयुक्त बाइपास त्रिवेन्द्रम-नयातिनकारा बाइपास का निर्माण, सी.एच.-5600एम | 455.85 |
| | | | (iii) कालीकट बाइपास का निर्माण | 135.96 |
| | | | (iv) त्रिवेन्द्रम-नियातीनकारा सी.एच. 5600-5750 और सी.एच. 6119-10617एम के लिए संयुक्त बाइपास का निर्माण | 1200.00 |
| | | | (v) कल्लन बाइपास चरण-II सी.एच. 8350 से 9875 का निर्माण | 434.60 |
| | | | (vi) तिरूवनन्तपुरम और केयानतीनकारा के लिए संयुक्त बाइपास चरण-II | 438.95 |
| 5. | मध्य प्रदेश | 7 | (i) जबलपुर के चारों ओर बाइपास का निर्माण सी.एच. 0-7767 (पैकेज I) | 461.70 |
| | | | (ii) जबलपुर के चारों ओर बाइपास का निर्माण सी.एच. 7768 से 16600 (पैकेज II) | 669.19 |
| 6. | महाराष्ट्र | 6 | पालधी बाइपास का निर्माण | 250.42 |
| 7. | पांडिचेरी | 45क | विलीनूर बाइपास का निर्माण | 154.47 |
| 8. | पंजाब | 15 | गुरदासपुर बाइपास का निर्माण | 777.65 |
| 9. | उत्तर प्रदेश | 24, 26, 28 | (i) रा.रा. 26 पर ललितपुर बाइपास का निर्माण | 329.49 |
| | | | (ii) रा.रा. 28 पर फैजाबाद-अयोध्या बाइपास का निर्माण | 1819.00 |
| | | | (iii) रा.रा. 24 पर शाहजहांपुर बाइपास का निर्माण | 1747.00 |
| | | | (iv) रा.रा. 28 पर बस्ती बाइपास का निर्माण | 1047.10 |
| 10. | पश्चिम बंगाल | 34 | शांतिपुर बाइपास का निर्माण | 274.47 |
| | | | जोड़ | 15054.84 |

### विवरण-II

*राष्ट्रीय राजमार्गों को चौड़ा करने से संबंधित स्थिति*

| क्रम सं० | राज्य का नाम | रा०रा० संख्या | कार्यों की संख्या | आवश्यक धनराशि 1999-2000 नियत धन | आवश्यक धनराशि 2000-2001 प्रस्तावित धन (लाख रु०) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 9, 16, 18, 43 | 10 | 1939.88 | 963.11 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | — | — | — | — |
| 3. | असम | 31ख, 37 | 5 | 382.16 | 686.35 |
| 4. | बिहार | 23 | 7 | 339.30 | 448.85 |
| 5. | चंडीगढ़ | — | — | — | — |
| 6. | दिल्ली | — | — | — | — |
| 7. | गोवा, दमन और दीव | — | — | — | — |
| 8. | गुजरात | 8, 8क, 8ख | 14 | 2690.41 | 2015.06 |
| 9. | हरियाणा | — | — | — | — |
| 10. | हिमाचल प्रदेश | — | — | — | — |
| 11. | जम्मू और कश्मीर | — | — | — | — |
| 12. | कर्नाटक | 4क, 9, 13, 17, 48, 63 | 20 | 821.65 | 1117.94 |
| 13. | केरल | 17, 47, 49 | 6 | 989.10 | 1130.45 |
| 14. | मध्य प्रदेश | 7, 22, 25, 26 | 8 | 290.92 | 1048.61 |
| 15. | महाराष्ट्र | 3, 4, 6, 7, 8, 9, 17, 50 | 25 | 626.86 | 873.24 |
| 16. | मणिपुर | — | — | — | — |
| 17. | मेघालय | — | — | — | — |
| 18. | मिजोरम | — | — | — | — |
| 19. | नागालैंड | 36, 61 | 2 | 281.87 | 100.00 |
| 20. | उड़ीसा | 5, 5क, 6, 19, 23, 42, 43 | 19 | 2272.74 | 3192.20 |
| 21. | पांडिचेरी | — | — | — | — |
| 22. | पंजाब | 10 | 1 | 41.47 | 0.00 |
| 23. | राजस्थान | 8, 11, 12, 14, 15 | 16 | 734.98 | 890.60 |
| 24. | सिक्किम | — | — | — | — |
| 25. | तमिलनाडु | 49, 66 | 10 | 635.62 | 1614.02 |
| 26. | त्रिपुरा | — | — | — | — |
| 27. | उत्तर प्रदेश | 19 | 5 | 963.31 | 997.67 |
| 28. | पश्चिम बंगाल | 32, 55 | 6 | 256.82 | 610.78 |
| | जोड़ | | 154 | 13327.08 | 15688.88 |

विवरण-III

*3 वर्ष से अधिक समय (1.4.97 से पहले स्वीकृत) से अधूरी पड़ी चालू और पुल परियोजनाओं की स्थिति दर्शाने वाला विवरण*

| क्रम सं० | राज्य का नाम | कार्यों की संख्या | स्वीकृत धनराशि (लाख रु०) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 17 | 3630 |
| 2. | असम | 63 | 4245 |
| 3. | बिहार | 34 | 4791 |
| 4. | चंडीगढ़ | 5 | 118 |
| 5. | दिल्ली | 3 | 892 |
| 6. | गोवा, दमन और दीव | 8 | 2331 |
| 7. | गुजरात | 7 | 2214 |
| 8. | हरियाणा | 7 | 3510 |
| 9. | हिमाचल प्रदेश | 28 | 5663 |
| 10. | जम्मू और कश्मीर | 4 | 329 |
| 11. | कर्नाटक | 21 | 7449 |
| 12. | केरल | 23 | 14000 |
| 13. | मध्य प्रदेश | 28 | 4970 |
| 14. | महाराष्ट्र | 26 | 2241 |
| 15. | मणिपुर | 10 | 1318 |
| 16. | मेघालय | 6 | 1205 |
| 17. | नागालैंड | 1 | 12 |
| 18. | उड़ीसा | 12 | 1726 |
| 19. | पांडिचेरी | 5 | 347 |
| 20. | पंजाब | 13 | 289 |
| 21. | राजस्थान | 10 | 2744 |
| 22. | तमिलनाडु | 18 | 1282 |
| 23. | उत्तर प्रदेश | 18 | 7455 |
| 24. | पश्चिम बंगाल | 31 | 5620 |
| | जोड़ | 398 | 78381 |

*[हिन्दी]*

**पिन्टो समिति की रिपोर्ट**

**2791. श्री रामशकल :** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई नौवहन नीति के संबंध में पिन्टो समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है;

(ख) यदि हां, तो उसमें की गई मुख्य सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) स्वीकृत, क्रियान्वित, विचाराधीन और विभिन्न कारणों से कम प्रभावी कर दी गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने नौवहन नीति के प्रारूप पर विचार किया है;

(ङ) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताओं का ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिया जाएगा?

**जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देबेन्द्र प्रधान) :** (क) जी, हां।

(ख) और (ग) समिति ने 31 सिफारिशें की थीं। सरकार द्वारा गठित शक्ति सम्पन्न समिति ने विचार करके 26 सिफारिशों को स्वीकार करने की सिफारिश की। उनमें से 15 सिफारिशें सरकार द्वारा स्वीकार की जा चुकी हैं और शेष 11 सिफारिशों की जांच करने के लिए कार्यवाही शुरू की जा चुकी है।

(घ) से (च) पिन्टो समिति द्वारा की गई सिफारिशों को छोड़कर किसी अन्य नौवहन नीति का मसौदा सरकार के विचाराधीन नहीं है।

*[अनुवाद]*

**ए०टी०एम० स्विचों का आरम्भ**

**2792. श्री पी० डी० एलानगोवन :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार 2000-2001 के दौरान देश के प्रमुख शहरों में ए.टी.एम. स्विचों को चालू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी शहर-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में 1999-2000 के दौरान इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज की जगह कितने इलेक्ट्रो-मैकेनिकल टेलीफोन एक्सचेंज राज्य-वार स्थापित किए गए;

(घ) नए इन्टरनेट सर्विस प्रोवाइडर (आई.एस.पी.) के तहत अब तक शहर/कस्बे-वार कितने लाइसेंस जारी किए गए;

(ङ) इन आई.एस.पी. के माध्यम से कुल कितना राजस्व प्राप्त किए जाने की संभावना है; और

(च) 2000-2001 के दौरान कितने व्यक्तिगत इन्टरनेट कनेक्शन उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है?

**संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) :** (क) जी, हां।

(ख) ए.टी.एम. स्विचों की दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई, कलकत्ता तथा बेंगलूर में संस्थापित किए जाने की योजना है।

(ग) इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज के स्थान पर कोई इलेक्ट्रो-मैकेनिकल टेलीफोन एक्सचेंज नहीं लगाया जाता है तथापि, 1999-2000 के दौरान,

48 इलेक्ट्रो-मैकेनिकल एक्सचेंजों के स्थान पर इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज लगाए जाने की योजना है। इनमें से, फरवरी, 2000 तक 47 इलेक्ट्रो-मैकेनिकल एक्सचेंज पहले ही बदले जा चुके हैं। इनके राज्यवार ब्यौरे विवरण-I में दिए गए हैं।

(घ) आई.एस.पी. लाइसेंस, कस्बावार/शहरवार जारी न करके सेवा क्षेत्र विशेष अर्थात् आल इंडिया, दूरसंचार सर्किलों/मेट्रो जिलों/बड़े जिलों तथा गौण स्विचन क्षेत्र (एस.एस.ए.) के लिए जारी किए जाते हैं। इन श्रेणियों के तहत फरवरी, 2000 तक कुल 239 लाइसेंस जारी किए गए हैं। इसके श्रेणीवार ब्यौरे विवरण-II में दिए गए हैं।

(ङ) चूंकि अक्तूबर, 2003 तक आई.एस.पी. पर कोई लाइसेंस-शुल्क नहीं लगाया गया है अत: कोई राजस्व वसूल नहीं किया जाना है।

(च) 2000-2001 के दौरान, दूरसंचार सेवा विभाग, एम.टी.एन.एल. तथा वी.एस.एन.एल. द्वारा कुल पांच लाख इन्टरनेट कनेक्शन प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है।

**विवरण-I**

*ऐसे इलेक्ट्रो-मैकेनिकल टेलीफोन एक्सचेंजों की राज्यवार सूची जिन्हें 1999-2000 (फरवरी, 2000 तक) के दौरान इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंजों से बदला गया है*

| क्रम सं० | राज्य | प्रतिस्थापित इलेक्ट्रो-मैकेनिकल टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या |
|---|---|---|
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 4 |
| 2. | गुजरात | 11 |
| 3. | हरियाणा | 3 |
| 4. | कर्नाटक | 7 |
| 5. | केरल | 4 |
| 6. | मध्य प्रदेश | 2 |
| 7. | महाराष्ट्र | 11 |
| 8. | तमिलनाडु | 3 |
| 9. | उत्तर प्रदेश | 1 |
| 10. | पंजाब | 1 |
| | कुल जोड़ | 47 |

**विवरण-II**

*फरवरी, 2000 तक जारी आई.एस.पी. लाइसेंसों की श्रेणीवार सूची*

| क्रम सं० | आईएसपी की श्रेणी | जारी किए गए लाइसेंसों की सं० | सेवा क्षेत्र |
|---|---|---|---|
| 1. | "क" | 37 | सम्पूर्ण भारत |
| 2. | "ख" | 88 | दूरसंचार सर्किल/मैट्रो जिले/बड़े जिले |
| 3. | "ग" | 144 | गौण स्विचन क्षेत्र |

**दूरसंचार क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय कम्पनियां**

2793. श्री अन्नासाहेब एम०के० पाटील :
श्री सी०पी० राधाकृष्णन :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दूरसंचार क्षेत्र के कुछ क्षेत्रों में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को प्राथमिकता देने का है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए किन क्षेत्रों का पता लगाया गया है और इन क्षेत्रों में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के लिए कितनी प्रतिशत सहभागीदारी की परिकल्पना की गई है;

(ग) क्या सरकार ने योजनाबद्ध ढंग से प्रत्येक ताल्लुका स्तर पर "बैंडविड्थ आन डिमांड" के सृजन की परिकल्पना करने के लिए एक मास्टर प्लान तैयार किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर)** : (क) जी, नहीं।

(ख) उपरोक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) मार्च, 2001 तक जिला मुख्यालय स्तर तक मांग पर बैंडविड्थ प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा एक मास्टर प्लान तैयार की गई है। उसके बाद चरणबद्ध तरीके से इसे सब-डिविजन तथा तहसील/तालुक मुख्यालय तक प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है। यह योजना संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करती है।

(घ) संचार सागर फेस-I योजना के अनुसार, 17,000 रूट कि.मी. (आर के एम) को कवर करते हुए कुल 10 सिंक्रोनस ट्रांसपोर्ट मॉड्यूल (एस टी एम)-16 [2.5 जेगा बाइट प्रति सेकेंड (जी बी पी एस)] रिंग की योजना तैयार की गई है जिसमें से 10,000 रूट किलोमीटर (आर के एम) कवर करते हुए 06 रिंग चालू कर दिए गए हैं। संचार सागर फेस-II के भाग के रूप में संबद्ध एस टी एन-4 तथा एस टी एम-1 प्रणालियों सहित अन्य 32 एस टी एम-16 (2.5 जी बी पी एस) रिंगों की योजना तैयार की गई है जिसके मार्च, 2001 तक चालू किए जाने की योजना है बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हों।

**हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 में संशोधन**

2794. श्री वाई०एस० विवेकानन्द रेड्डी :
श्री ए० वेंकटेश नायक :
कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली :

क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने संयुक्त परिवार में महिलाओं को संपत्ति का अधिकार देने के उद्देश्य से हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 में उपयुक्त संशोधन करने के लिए सभी राज्यों से कहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकारों से अधिनियम की धारा 6 में संशोधन करने हेतु की गई कार्रवाई की स्थिति रिपोर्ट देने को कहा गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री राम जेठमलानी) :** (क) से (ग) महिला और बाल विकास विभाग ने, विभिन्न राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों से हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 का संशोधन करने के लिए आवश्यक विधायी प्रस्ताव तैयार करने का अनुरोध किया है जिससे कि पुत्रियों को उनके सहदायिकी अधिकारों का उचित हिस्सा दिया जा सके, जैसाकि आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु राज्यों में किया गया है।

महिला और बाल विकास विभाग ने, यह रिपोर्ट किया है कि उड़ीसा, सिक्किम, नागालैंड और केरल की सरकारों ने, इस संदर्भ में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट/टीका-टिप्पणियां प्रस्तुत कर दी हैं। उड़ीसा सरकार ने यह कहा है कि मामला विधि विभाग के समीक्षाधीन है और शीघ्र ही विनिश्चय किया जाएगा। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम अब तक सिक्किम राज्य पर विस्तारित नहीं किया गया है। नागालैंड राज्य संविधान के अनुच्छेद 371क के अधीन रुढ़िजन्य विधियों से संबंधित विशेष उपबंधों का उपयोग करता है और इसलिए हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के उपबंध उस राज्य के लिए सुसंगत नहीं हैं। केरल सरकार ने उत्तर दिया है कि केरल संयुक्त हिन्दू कुटुम्ब पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1975 को देखते हुए, हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 6 वस्तुतः, केरल में प्रवर्तित ही नहीं होती।

**पश्चिमी राजस्थान में टेलीफोन एक्सचेंजों की कमी**

2795. **श्री कर्नल (सेवानिवृत्त) सोनाराम चौधरी :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान और आज तक राजस्थान में और विशेष रूप से बाड़मेर और जैसलमेर जिलों में कार्य कर रहे सी-डॉट और एम.आई.एल.टी. टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या कितनी है; और

(ख) वर्ष 2000-2001 के दौरान, जिला-वार, कितने टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने का विचार है?

**संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) :** (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान और आज तक राजस्थान में कार्यरत टेलीफोन एक्सचेंजों के जिलावार ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ख) 2000-2001 के दौरान 100 टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने का प्रस्ताव है। जिलावार ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

**विवरण-I**

*राजस्थान में कार्यरत (सी-डॉट एमआईएलटी) टेलीफोन एक्सचेंजों के जिलावार ब्यौरे*

| क्रम सं० | राजस्व जिला | 31.3.97 के अनुसार | | 31.3.98 के अनुसार | | 31.3.99 के अनुसार | | 31.1.2000 के अनुसार | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | सी-डॉट | एमआईएलटी | सी-डॉट | एमआईएलटी | सी-डॉट | एमआईएलटी | सी-डॉट | एमआईएलटी |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | अजमेर | 39 | 20 | 56 | 9 | 62 | 8 | 64 | 9 |
| 2. | अलवर | 64 | 17 | 71 | 15 | 81 | 11 | 89 | 6 |
| 3. | बांसवाड़ा | 21 | 8 | 28 | 3 | 31 | 1 | 31 | 0 |
| 4. | बरन | 13 | 0 | 14 | 1 | 16 | 2 | 19 | 0 |
| 5. | बाड़मेर | 29 | 15 | 34 | 14 | 45 | 10 | 45 | 11 |
| 6. | भरतपुर | 25 | 5 | 32 | 5 | 40 | 3 | 41 | 3 |
| 7. | भीलवाड़ा | 33 | 7 | 48 | 8 | 55 | 8 | 57 | 7 |
| 8. | बीकानेर | 30 | 12 | 36 | 8 | 46 | 2 | 48 | 4 |
| 9. | बूंदी | 22 | 5 | 24 | 5 | 29 | 5 | 29 | 5 |
| 10. | चित्तौड़गढ़ | 27 | 10 | 34 | 10 | 43 | 6 | 49 | 5 |
| 11. | चूरू | 28 | 14 | 35 | 12 | 46 | 12 | 56 | 14 |
| 12. | डौसा | 21 | 12 | 35 | 5 | 36 | 4 | 38 | 2 |
| 13. | धौलपुर | 10 | 2 | 12 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 |
| 14. | डूंगरपुर | 14 | 8 | 21 | 3 | 30 | 1 | 31 | 0 |
| 15. | हनुमानगढ़ | 22 | 8 | 34 | 6 | 39 | 6 | 44 | 6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16. | जयपुर | 66 | 20 | 87 | 6 | 101 | 1 | 105 | 1 |
| 17. | जैसलमेर | 10 | 3 | 11 | 3 | 16 | 4 | 16 | 4 |
| 18. | जालौर | 30 | 11 | 37 | 9 | 46 | 5 | 53 | 1 |
| 19. | झालावाड़ | 21 | 0 | 22 | 2 | 27 | 1 | 31 | 0 |
| 20. | झुनझुनू | 52 | 4 | 60 | 2 | 61 | 1 | 62 | 0 |
| 21. | जोधपुर | 43 | 16 | 56 | 7 | 58 | 9 | 61 | 12 |
| 22. | करौली× | × | × | 21 | 1 | 22 | 1 | 23 | 0 |
| 23. | कोटा | 21 | 2 | 28 | 1 | 31 | 1 | 35 | 1 |
| 24. | नागौर | 65 | 7 | 76 | 1 | 83 | 0 | 89 | 0 |
| 25. | पाली | 66 | 32 | 84 | 21 | 100 | 12 | 109 | 10 |
| 26. | राजसमंद | 24 | 14 | 30 | 14 | 43 | 4 | 43 | 4 |
| 27. | सवाईमाधोपुर | 44 | 2 | 28 | 1 | 29 | 2 | 32 | 0 |
| 28. | सीकर | 59 | 5 | 70 | 2 | 77 | 2 | 79 | 0 |
| 29. | सिरोही | 24 | 9 | 29 | 8 | 35 | 7 | 48 | 1 |
| 30. | श्रीगंगानगर | 46 | 11 | 63 | 5 | 81 | 4 | 84 | 4 |
| 31. | टोंक | 23 | 6 | 28 | 9 | 40 | 0 | 41 | 0 |
| 32. | उदयपुर | 48 | 8 | 53 | 8 | 65 | 0 | 66 | 0 |
| | कुल जोड़ | 1040 | 293 | 1297 | 204 | 1527 | 133 | 1631 | 110 |

×जिले की रचना नहीं की गई और जानकारी सवाईमाधोपुर में शामिल की गई।

## विवरण-II

*उन टेलीफोन एक्सचेंजों की जिलावार सूची जिन्हें 2000-2001 के दौरान स्थापित करने का प्रस्ताव है*

| क्रम सं० | जिले का नाम | एक्सचेंजों की संख्या |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | अजमेर | 1 |
| 2. | अलवर | 2 |
| 3. | बांसवाड़ा | 1 |
| 4. | बरन | 3 |
| 5. | बाड़मेर | 4 |
| 6. | भरतपुर | 1 |
| 7. | भीलवाड़ा | 5 |
| 8. | बीकानेर | 5 |
| 9. | बूंदी | 1 |
| 10. | चित्तौड़गढ़ | 5 |
| 11. | चुरू | 10 |
| 12. | डौसा | 2 |
| 13. | धौलपुर | 1 |
| 14. | डूंगरपुर | 1 |
| 15. | हनुमानगढ़ | 5 |
| 16. | जयपुर | 4 |
| 17. | जैसलमेर | 2 |
| 18. | जालौर | 4 |
| 19. | झालावाड़ | 1 |
| 20. | झुनझुनू | 1 |
| 21. | जोधपुर | 5 |
| 22. | करौली | 1 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 23. | कोटा | 3 |
| 24. | नागौर | 7 |
| 25. | पाली | 5 |
| 26. | राजसमंद | 2 |
| 27. | सवाईमाधोपुर | 1 |
| 28. | सीकर | 4 |
| 29. | सीरोही | 1 |
| 30. | श्रीगंगानगर | 5 |
| 31. | टोंक | 2 |
| 32. | उदयपुर | 2 |
| | कुल जोड़ | 100 |

*[हिन्दी]*

## महाराष्ट्र में डाकघर

**2796. श्री चन्द्रकांत खैरे :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार महाराष्ट्र में विशेषकर औरंगाबाद क्षेत्र में शाखा डाकघरों के उन्नयन और कुछ नए डाकघर खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो जिला-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

**संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) :** (क) जी, हां। डाक विभाग ने महाराष्ट्र में डाकघर खोले हैं, जिसमें राज्य का औरंगाबाद रीजन भी शामिल है।

(ख) जिलावार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) वार्षिक योजना 1999-2000 के अन्तर्गत महाराष्ट्र डाक सर्किल के लिए 50 नए शाखा डाकघर तथा 2 उप डाकघर खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस लक्ष्य में से चालू वार्षिक योजना के दौरान अब तक 49 शाखा डाकघर (इनमें औरंगाबाद रीजन के लिए 16 शाखा डाकघर भी शामिल हैं) तथा 2 उप डाकघर मंजूर किए जा चुके हैं।

### विवरण

*वर्ष 1999-2000 के दौरान मंजूर किए गए डाकघरों का ब्यौरा*

| क्रम सं० | जिला | अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर के नाम | खोलने की तारीख |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | बीड | 1. कोटन | 29.6.99 |
| | | 2. दौलगांव घाट | 27.10.99 |
| 2. | नांदेड़ | 1. सवालेश्वर | 20.7.99 |
| | | 2. कानरखेडा | 15.7.99 |
| | | 3. बिजेगांव | 14.7.99 |
| | | 4. रायपुर तांडा | 19.8.99 |
| | | 5. वरताल | 29.10.99 |
| 3. | नांदुरबार | 1. कांसई | 1.7.99 |
| | | 2. पचोराबाड़ी | 1.7.99 |
| | | 3. खिरखान | 27.12.99 |
| 4. | परभनी | 1. सवारगांव | 19.8.99 |
| 5. | जालना | 1. हताडी | 29.8.99 |
| 6. | औरंगाबाद | 1. लीबा | 29.10.99 |
| 7. | जलगांव | 1. निम्डया | 5.1.00 |
| | | 2. मोहाडी | 28.12.99 |
| 8. | नासिक | 1. धोंडबार | 26.12.99 |
| 9. | अहमदनगर | 1. अल्हनवाडी | 14.6.99 |
| | | 2. सिंगनापुर | 13.11.99 |
| 10. | पुणे | 1. जरगाडवाडी | 14.6.99 |
| 11. | सतारा | 1. नारायणवाडी | 19.11.99 |
| 12. | बुलडाना | 1. नारखाड | 5.5.99 |
| 13. | अमरावती | 1. तालेगांव | 6.5.99 |
| | | 2. बोम्डी | 4.5.99 |
| 14. | यवतमाल | 1. पिंपरी | 6.5.99 |
| 15. | चन्द्रपुर | 1. चरुरखाती | 7.5.99 |
| | | 2. उमरी पेटदर | 7.5.99 |
| 16. | नागपुर | 1. तमसवाडी | 4.5.99 |
| | | 2 नरसला | 6.5.99 |
| | | 3. बोर्डा | 5.5.99 |
| | | 4. विहिरगांव | खोला जाना है |
| 17. | थाणे | 1. डुंगी | 31.5.99 |
| | | ? याहेले | 28.5.99 |
| | | 3. जेगांव | 28.5.99 |
| | | 4. नन्दारा | खोला जाना है |
| 18. | रायगढ़ | 1. अडई | 1.4.99 |
| | | . पडघे | 1.4.99 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 19. | रत्नागिरी | 1. बापसे | 21.5.99 |
| | | 2. वेरल | 25.5.99 |
| | | 3. कोंडार | 31.12.99 |
| | | 4. सोलीवाडे | 2.3.2000 |
| | | 5. माजल | खोला जाना है |
| 20. | सिंधुदुर्ग | 1. चाफाखोल | 25.5.99 |
| | | 2. सतासे | 25.5.99 |
| | | 3. पंधारी | 15.11.99 |
| 21. | सांगली | 1. धौलगांव | 1.3.2000 |
| 22. | दक्षिण गोवा | 1. सीएनजीसी परिसर | 16.4.99 |
| 23. | उत्तर गोवा | 1. मानकुरेम | 23.6.99 |
| | | 2. तम्बेराम | 1.1.2000 |
| | | 3. वेल्यू | खोला जाना है |
| | | **विभागीय उप डाकघर** | |
| 1. | मुंबई | 1. हिरानन्दिनी परिसर | अभी खोला जाना है |
| 2. | पुणे | 1. एमआईडीसी रनजनगांव गणपति | अभी खोला जाना है |
| | | **दर्जा बढ़ाना** | |
| 1. | जेवली शाखा डाकघर | जिला लातूर | जांच की जा रही है |
| 2. | धनोरा शाखा डाकघर | जिला नंदूरबार | |
| 3. | हुडको शाखा डाकघर | जिला औरंगाबाद | |

वर्ष 1999-2000 के लिए 50 शाखा डाकघर व 2 विभागीय उप डाकघर के लक्ष्य की तुलना में आज की तारीख तक 49 शाखा डाकघर तथा 2 विभागीय उप डाकघर मंजूर किए गए हैं।

*[अनुवाद]*

**इम्फाल में टेलीफोन कनेक्शन**

2797. **श्री होलेखोमांग हौकिप :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इम्फाल में एक्सचेंज-वार टेलीफोन कनेक्शन की प्रतीक्षा सूची में कितने लोग हैं;

(ख) राज्य में गत तीन वर्षों के दौरान एक्सचेंज-वार कितने टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किए गए; और

(ग) राज्य में प्रतीक्षा सूची को कब तक निपटा दिया जाएगा?

**संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) :** (क) इम्फाल में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची में दर्ज व्यक्तियों की संख्या निम्नानुसार है :

| क्रम सं० | एक्सचेंज | 29.2.2000 की स्थिति के अनुसार प्रतीक्षा सूची |
|---|---|---|
| 1. | इम्फाल मुख्य | 1746 |
| 2. | लम्फेल आर एस यू | 340 |
| 3. | खुमानलन्पक | 304 |
| 4. | लिलोंग आर एस यू | 98 |
| | कुल | 2488 |

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान मणिपुर राज्य में प्रदान किए गए टेलीफोन कनेक्शनों की एक्सचेंज-वार संख्या इस प्रकार है :

| एक्सचेंज | प्रदान किए गए टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या | | |
|---|---|---|---|
| | 1996-97 | 1997-98 | 1998-99 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| बिशेनपुर | 21 | 12 | 26 |
| चंदेल | 3 | 1 | 20 |
| चुराचंदपुर | 187 | 163 | 104 |
| हयांगथाम | 21 | 32 | 47 |
| इम्फाल | 1926 | 1212 | 77 |
| जिरीबाम | 8 | 0 | 49 |
| काकचिंग | 0 | 0 | 70 |
| कांगलाटोम्बी | 29 | 5 | -14 |
| कंगपोकपी | 1 | 2 | 4 |
| खोंगामपट | 0 | 0 | -19 |
| खुमानलन्पक | 0 | 0 | 857 |
| खुमबोंग | 0 | 12 | 40 |
| खुंबी | 0 | 0 | 10 |
| लम्फेलपट | 772 | 662 | 477 |
| लेंगडूम | 0 | 18 | -21 |
| लीसमगथेम | 0 | 12 | 31 |
| लिलोंग | 2 | 32 | 31 |
| लोकटक | 24 | 40 | 47 |
| मऊ | 0 | 0 | 36 |
| मयंग-इम्फाल | 3 | 0 | 20 |
| मोयरंग | 17 | 39 | 62 |
| मोरेह | 1 | 83 | 23 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| नम्बोल | 7 | 22 | 119 |
| उइनाम | 4 | 12 | 52 |
| पओमाटा | 0 | 0 | 2 |
| फयेंग | 1 | 31 | 13 |
| सेनापति | 78 | 22 | 8 |
| स्वमभुंग | 41 | 16 | 27 |
| तेमेंगलोंग | 39 | 6 | 59 |
| थौबाल | 48 | 51 | 86 |
| उखरूल | 0 | 5 | 147 |
| वंगोई | 3 | 0 | 0 |
| येरीपोक | 0 | 16 | 1 |
| कुल | 3154 | 2506 | 2533 |

(ग) 29.2.2000 तक की स्थिति के अनुसार मणिपुर राज्य में तीक्षा सूची में कुल 4612 व्यक्ति दर्ज हैं और आशा है कि इस सूची ा निपटान मार्च, 2001 तक कर दिया जाएगा।

*अनुवाद]*

### बीआरपीएल तेलशोधक कारखाने के विस्तार की परियोजना

2798. **श्री पवन सिंह घाटोवार :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बोंगाईगांव रिफाइनरी एण्ड पेट्रो-केमीकल्स लिमिटेड के विस्तार की परियोजना कब स्वीकृत हुई और कब पूरी हुई;

(ख) बोंगाईगांव रिफाइनरी एण्ड पेट्रो-केमीकल्स लिमिटेड की विस्तार परियोजना को स्वीकृति के समय असम में कच्चे तेल की कुल कितनी मात्रा उपलब्ध होने का अनुमान था;

(ग) विस्तार परियोजनाओं के पूरा होने के बाद से बोंगाईगांव तेलशोधक कारखाने की वास्तविक क्षमता का वर्ष-वार कितना उपयोग किया गया;

(घ) कच्चे तेल की उपलब्धता में कमी आने के क्या कारण हैं; और

(ङ) कच्चे तेल की उपलब्धता में कमी आने के कारण बोंगाईगांव रिफाइनरी एण्ड पेट्रो-केमीकल्स लिमिटेड पर कितना वित्तीय प्रभाव पड़ा?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क)** यह परियोजना 30.12.91 को अनुमोदित की गई थी। क्रूड आसवन इकाई (सीसीयू-II) 9.5.1995 को और डिलेड कुकिंग इकाई (डीसीयू-II) 6.3.1996 को चालू की गई थी।

(ख) बोंगाईगांव रिफाइनरी एण्ड पेट्रो-केमीकल्स लिमिटेड विस्तार परियोजना का अनुमोदन करते समय उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कच्चे तेल का उत्पादन बढ़कर 1994-95 में 8.76 एमएमटीपीए और 1999-2000 में और बढ़कर 11.78 एमएमटीपीए होने का अनुमान लगाया गया था।

(ग) क्रूड थ्रूपुट के प्रतिशत के रूप में बोंगाईगांव रिफाइनरी पेट्रो-केमीकल्स लिमिटेड का वास्तविक क्षमता उपयोग नीचे दिया गया है :

| वर्ष | प्रतिशत क्षमता उपयोग |
|---|---|
| 1996-97 | 65.6 |
| 1997-98 | 73.1 |
| 1998-99 | 70.4 |
| 1999-2000 (अनुमानित) | 80.9 |

(घ) कच्चे तेल की उपलब्धता में कमी के कारण निम्नानुसार हैं :

(1) लगातार चले आए बंदों/रुकावटों और अन्य पर्यावरणीय समस्याओं के परिणामस्वरूप भूमि अधिग्रहण, कूपों के वेधन और क्षेत्र अनुरक्षण, निर्माण, उत्पादन और अन्वेषण कार्य के क्रियाकलापों में ढील आई।

(2) कूपों में विस्फोट।

(3) कुछ रिजर्वायरों का प्रतिकूल आचरण।

(4) लक्ष्यगत अन्वेषणात्मक और विकास कूपों का वेधन करने में असमर्थता।

(ङ) मांग के अनुरूप कच्चे तेल की अनुपलब्धता के कारण रिफाइनरी पूर्ण क्षमता का संचालन करने में असमर्थ रही जिसके फलस्वरूप कंपनी के समग्र वित्तीय कार्य-निष्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

### ओएनजीसी द्वारा कल्याणकारी न्यास बनाया जाना

2799. **श्री जवाहर लाल जायसवाल :**
**श्री ए० नरेन्द्र :**

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम ने कल्याणकारी न्यास बनाया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ग) यह न्यास देश के सामाजिक और आर्थिक संतुलन का किस हद तक सुधार करेगा;

(घ) क्या इस संबंध में कोई ठोस प्रस्ताव बनाया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ङ)** आयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लि. ने कोई कल्याण न्यास

नहीं बनाया है। तथापि, ओएनजीसी अपने प्रचालन क्षेत्र और उसके आसपास के क्षेत्रों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए चिकित्सा शिविरों के आयोजन, प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों के आयोजन, ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने, प्राकृतिक आपदाओं के समय में राहत उपायों के आयोजन और ऐसे समाज कल्याण उपायों में राज्य एवं जिला प्रशासन की सहायता करने जैसे विभिन्न उपाय करती रही है।

## एलपीजी "डिस्ट्रीब्यूटरशिप" आबंटन हेतु चयन प्रकिया

2800. श्री सुकदेव पासवान : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न तेल कम्पनियों की "डिस्ट्रीब्यूटरशिप" के आबंटन हेतु चयन प्रक्रिया कई वर्षों से लंबित पड़ी है;

(ख) यदि हां, तो उन स्थानों का ब्यौरा क्या है जहां इस प्रकार की "डिस्ट्रीब्यूटरशिप" का आबंटन किया जाना है; और

(ग) चयन औपचारिकताओं को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ग) उत्तर प्रदेश से संबंधित डीलर चयन बोर्ड सभी अन्य डीलर चयन बोर्डों के साथ-साथ भंग कर दिए गए हैं, पहले इनके कामकाज को स्थगित रखा गया था। इसलिए इसके पश्चिमी भाग समेत उत्तर प्रदेश में पहले ही विज्ञापित अधिकांश स्थानों के संबंध में चयन प्रकिया पूरी नहीं की जा सकी थी। पिछली विपणन योजनाओं से लंबित स्थानों के अलावा उत्तर प्रदेश के लिए, जिसमें इस राज्य का पश्चिमी भाग भी शामिल है, वर्तमान विपणन योजनाओं में 190 खुदरा बिक्री केन्द्र तथा 440 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें शामिल की गई हैं। डीलरशिपें/डिस्ट्रीब्यूटरशिपें चालू करने में साक्षात्कार की तारीख से सामान्यतया 6-12 माह लग जाते हैं।

## उड़ीसा के लिए वृक्षारोपण कार्यक्रम हेतु राशि

2801. श्री भुर्तुहरि महताब : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा को वृक्षारोपण कार्यक्रम हेतु कितनी राशि आबंटित की गई;

(ख) क्या महाचक्रवात द्वारा हुए विनाश के बाद व्यापक रूप से वृक्षारोपण कार्यक्रम के लिए 1999-2000 में कोई विशेष प्रावधान किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) उड़ीसा में वृक्षारोपण कार्यक्रम हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान आबंटित राशियां नीचे दी गई हैं :

(लाख रुपये में)

| वर्ष | | आबंटित राशि |
|---|---|---|
| 1996-97 | — | 387.30 |
| 1997-98 | — | 234.97 |
| 1998-99 | — | 476.65 |
| जोड़ | | 1098.92 |

(ख) और (ग) वर्ष 1999-2000 से 2001-02 के दौरान 17300 हेक्टेयर अवक्रमित वन भूमियों का सुधार करने के लिए एकीकृत वनीकरण एवं पारि-विकास परियोजना स्कीम के अन्तर्गत 10.62 करोड़ रुपये की कुल लागत पर हाल ही के महाचक्रवात द्वारा प्रभावित उड़ीसा के जिलों में वृक्षारोपण के लिए सात परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

## रसोई गैस और मिट्टी के तेल के मूल्यों में वृद्धि

2802. श्री सदाशिव राव दादोबा मंडलिक : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक संगठनों ने रसोई गैस और मिट्टी के तेल के मूल्यों में वृद्धि के लिए सरकार की आलोचना की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार उक्त मदों के मूल्यों में वृद्धि करने के अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (घ) मिट्टी तेल (सा.वि.प्र.) तथा एलपीजी (घरेलू) के भंडार बिन्दुगत मूल्य निकट विगत में संशोधित नहीं किए गए हैं। यह अंतिमबार मिट्टी तेल (सा.वि.प्र.) के लिए 25 जुलाई, 1991 को तथा एलपीजी (घरेलू) के लिए 28 फरवरी, 1999 को संशोधित किए गए थे। सरकार ने नवम्बर, 1997 में निर्णय लिया था कि एलपीजी (घरेलू) तथा मिट्टी तेल (सा.वि.प्र.) पर देय राजसहायता को कमशः वर्ष 2000-2001 तथा 2001-2002 तक आयात समता मूल्य के 15 प्रतिशत तथा 33.33 प्रतिशत के स्तर पर पहुंचने के लिए चरणों में कम किया जाएगा। यह राजसहायता वर्ष 2002 से आगे राजकोषीय बजट को अंतरित की जाएगी।

## वन्यजीवों के प्रति अपराध

2803. श्रीमती श्यामा सिंह : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने देश में वन्यजीवों के प्रति अपराधों को रोकने के लिए एक अपराध-निवारण निदेशालय गठित करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या देश में वन्यजीवों के प्रति अपराध कई गुना बढ़ा है और गैर-सरकारी संगठन भी सरकार से इस संबंध में प्रभावी कदम उठाने के लिए दबाव डाल रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं;

(घ) क्या वर्ष 1994 में सुब्रहमणियम समिति ने भी वन्यजीवों के प्रति अपराधों को रोकने के लिए निदेशालय बनाने की सिफारिश की थी; और

(ङ) यदि हां, तो यह निदेशालय कब तक गठित होकर कार्य करने लगेगा?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) :** (क) जी, हां।

(ख) और (ग) संरक्षित क्षेत्रों के भीतर और बाहर वन्यजीवों से संबंधित अपराधों की सूचनाएं इस मंत्रालय के ध्यान में आई हैं। इस तरह के अपराधों को रोकने के लिए ख्यातिप्राप्त तथा अच्छी पृष्ठभूमि वाले गैर-सरकारी संगठनों की सहायता से प्रभावी कार्यनीतियां अपनाई जाती हैं।

(घ) जी, हां।

(ङ) "वन्यजीव अपराध निवारण निदेशालय" की स्थापना से संबंधित एक प्रस्ताव पर मंत्रालय द्वारा सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है। चूंकि इस कार्य के लिए अन्य मंत्रालयों और विभागों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श और समन्वय करना होता है, इसलिए इसके लिए कोई निश्चित समय-सीमा निर्धारित करना संभव नहीं है।

### सिक्किम में जल विद्युत परियोजना

**2804. श्री भीम दाहाल :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार तीसा घाटी में भारी क्षमता का दोहन करने हेतु निकट भविष्य में जल विद्युत परियोजना स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त परियोजना से सिक्किम को कितनी बिजली और उत्पादित विद्युत के पारेषण हेतु क्या मानदंड अपनाए जा रहे हैं?

**विद्युत मंत्री तथा खान और खनिज मंत्री (श्री पी०आर० कुमारमंगलम) :** (क) जी, हां। सरकार ने केन्द्रीय क्षेत्र के अन्तर्गत नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन (एनएचपीसी) के जरिए तीस्ता एचई परियोजना चरण-V (510 मे.वा.) क्रियान्वयन को मंजूरी दे दी है।

(ख) यह एक रन ऑफ रिवर स्कीम है और 90 प्रतिशत विश्वसनीय वर्ष में यह 2573 मिलियन यूनिट (एम.यू.) ऊर्जा का उत्पादन करेगी। अप्रैल, 99 के मूल्य स्तर पर परियोजना की अनुमानित लागत 2198.04 करोड़ रु. है। परियोजना 84 महीनों में पूरा किया जाना है।

(ग) गृह राज्य होने के नाते सिक्किम, सभी केन्द्रीय क्षेत्र जल परियोजनाओं के लिए लागू शेयरिंग फार्मूला के अनुसार विद्युत मंत्रालय द्वारा आबंटित हिस्से के अलावा, तीस्ता एच.ई. परियोजना चरण-V से उत्पादित 12 प्रतिशत निःशुल्क विद्युत का हकदार होगा। तीस्ता एच.ई. परियोजना से उत्पादित विद्युत की निकासी परियोजना स्थल से 2×400 के.वी. लाइनों के जरिए की जाएगी। इन लाइनों को पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल) निर्मित करेगा।

### आटोमोबाइल ईंधन में मिलावट

**2805. श्री नामदेव हरबाजी दिवाथे :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में पेट्रोल पंपों के नेटवर्क द्वारा आटोमोबाइल के लिए आपूर्ति किए जा रहे ईंधन की गुणवत्ता, सोसायटी आफ आटोमोटिव इंजीनियर्स (एस.ए.ई.) द्वारा निर्धारित स्तर से बहुत कम है जिससे कि वाहनों द्वारा प्रदूषण के स्तर में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या हाल ही में सरकार द्वारा इस संबंध में कोई कदम उठाए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) :** (क) से (ग) भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित विनिर्देशों के अनुसार देश में खुदरा बिक्री केन्द्रों के नेटवर्क के माध्यम से वाहनों को पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति की जाती है।

### केरल में रसोई गैस एजेंसियां/पेट्रोल विक्रय-केन्द्र

**2806. श्री कोडीकुनील सुरेश :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में अभी रसोई गैस की कितनी एजेंसियां हैं और अगले कुछ वर्षों में कितनी एजेंसियां राज्य में खोले जाने का प्रस्ताव है; और

(ख) केरल में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों को रसोई गैस की एजेंसियां और पेट्रोल पंप उपलब्ध कराने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) :** (क) और (ख) 1 अक्तूबर, 1999 को केरल में 758 खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपें तथा 213 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें प्रचालन में थीं।

पिछली विपणन योजनाओं से लंबित चले आ रहे स्थानों के अलावा केरल के लिए 14 खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपें, 105 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर-शिपें वर्तमान विपणन योजना 1996-98 में शामिल की गई हैं।

स्थान के विषय में विज्ञापन तथा डीलर चयन बोर्ड के माध्यम से चयन की सामान्य चयन प्रक्रिया के तहत विद्यमान नीति के अनुसार 25 प्रतिशत डीलरशिपें/डिस्ट्रीब्यूटरशिपें अ.जा./अ.ज.जा. श्रेणी के लिए आरक्षित हैं।

*[हिन्दी]*

### नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विद्युत उत्पादन

**2807. श्री राजो सिंह :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में राज्य-वार कितने मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है;

(ख) क्या उक्त लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त आबंटन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में विदेशों से सहायता मांगी है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**विद्युत मंत्री तथा खान और खनिज मंत्री (श्री पी०आर० कुमारमंगलम)** : (क) नौवीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार योजनावधि में कुल 40245.2 मेगावाट क्षमता अभिवृद्धि का लक्ष्य था। इसमें तरल ईंधन परियोजनाओं के 6000 मेगावाट भी शामिल हैं जिनके लिए कोई राज्यवार आबंटन नहीं किया गया था। शेष क्षमता का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) नौवीं पंचवर्षीय योजना के लिए स्वीकृत परिव्यय 124526.41 करोड़ रु. है। जिसमें केन्द्रीय क्षेत्र के लिए 71227.00 करोड़ रु. शामिल हैं। इसमें से जहां अधिष्ठापित क्षमता का बृहद भाग निजी क्षेत्र से प्राप्त होने की संभावना है, वहीं सभी निर्माणाधीन सार्वजनिक क्षेत्रों के लिए पूर्ण प्रावधान किए गए हैं।

(ग) नौवीं योजना के लिए विद्युत क्षेत्र परिव्यय का राज्यवार ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

(घ) सरकार ने कुछ परियोजनाओं के लिए विदेशी सहायता मांगी है। वैसे परियोजनाओं की सूची जिनके लिए 1.1.97 से विदेशी सहायता मांगी गई है, का ब्यौरा संलग्न विवरण-III और IV में दिया गया है। इनमें विद्युत उत्पादन परियोजनाएं, पारेषण परियोजनाएं एवं सुधार तथा पुनर्सरंचना संबंधी परियोजनाएं शामिल हैं।

**विवरण-I**

(मेगावाट में)

| राज्य | राज्य क्षेत्र/निजी क्षेत्र परियोजनाएं | केन्द्रीय क्षेत्र परियोजना |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| हरियाणा | 232 | 400 |
| हिमाचल प्रदेश | 492.5 | 1500 |
| पंजाब | 1020.0 | — |
| उत्तर प्रदेश | 157.5 | 2070 |
| राजस्थान | 505.0 | 1090 |
| जम्मू व कश्मीर | 120.0 | 390 |
| गुजरात | 1868.7 | 65[illegible] |
| मध्य प्रदेश | 2003.0 | 1000 |
| महाराष्ट्र | 5052.5 | — |
| आन्ध्र प्रदेश | 2396.3 | 1650 |
| कर्नाटक | 2298.0 | 440 |
| केरल | 466.0 | 350 |
| तमिलनाडु | 1906.0 | 420 |
| पांडिचेरी | 22.5 | — |
| बिहार | 667.0 | 710 |
| उड़ीसा | 1155.0 | 500 |
| सिक्किम | 19.0 | 60 |
| पश्चिम बंगाल | 1697.5 | — |
| असम | 167.5 | 115 |
| अरुणाचल प्रदेश | 6.0 | 405 |
| मेघालय | 18.0 | — |
| नागालैंड | 24.0 | 75 |
| मिजोरम | 9.0 | — |
| त्रिपुरा | 8.0 | 84 |
| अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह | 25.2 | — |

**विवरण-II**

*नौवीं योजना (1997-2002) के लिए राज्यवार विद्युत क्षेत्र परिव्यय*

| क्रम सं० | राज्य | (करोड़ रुपये में) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 5749.37 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 451.00 |
| 3. | असम | 850.00 |
| 4. | बिहार | 2300.00 |
| 5. | दिल्ली | 2985.00 |
| 6. | गोवा | 128.97 |
| 7. | गुजरात | 4000.00 |
| 8. | हरियाणा | 2648.53 |
| 9. | हिमाचल प्रदेश | 1019.65 |
| 10. | जम्मू एवं कश्मीर | 2387.00 |
| 11. | कर्नाटक | 3650.00 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 12. | केरल | 2531.00 |
| 13. | मध्य प्रदेश | 3463.81 |
| 14. | महाराष्ट्र | 5579.82 |
| 15. | मणिपुर | 333.00 |
| 16. | मेघालय | 312.00 |
| 17. | मिजोरम | 221.59 |
| 18. | नागालैण्ड | 115.00 |
| 19. | उड़ीसा | 4622.79 |
| 20. | पंजाब | 2927.27 |
| 21. | राजस्थान | 4488.89 |
| 22. | सिक्किम | 341.00 |
| 23. | तमिलनाडु | 6000.00 |
| 24. | त्रिपुरा | 171.79 |
| 25. | उत्तर प्रदेश | 7468.15 |
| 26. | पश्चिम बंगाल | 5631.98 |
| 27. | अंडमान व निकाबोर द्वीपसमूह | 140.00 |
| 28. | चंडीगढ़ | 85.90 |
| 29. | दादरा व नगर हवेली | 48.46 |
| 30. | दमन व दीव | 29.72 |
| 31. | लक्षद्वीप | 15.00 |
| 32. | पांडिचेरी | 224.00 |

**विवरण-III**

*उन परियोजनाओं की सूची जिन्हें 1.1.1997 से विदेशी सहायता प्राप्त हो रही है*

| क्रम सं० | परियोजना का नाम | मांगी गई सहायता | राशि |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | कोयले से चलने वाले बॉयलरों, जो प्रदूषणकारी हैं, के नवीकरण के लिए पर्यावरण तकनीक को भारत को अंतरित की जाए | सीआईडीए, कनाडा | 2500.000 कनाडियन डॉलर |
| 2. | बक्रेश्वर ताप विद्युत परियोजना द्वितीय ट्रांच-डब्ल्यूबीपीडीसीएल | ओईसीएफ, जापान | 11537 मिलियन जापानी येन |
| 3. | आंध्र प्रदेश विद्युत पुनर्स्थापना परियोजना, एपीएल-1 जीओएपी | विश्व बैंक | 210 मिलियन अमरीकी डॉलर |
| 4. | आंध्र प्रदेश विद्युत पुनर्स्थापना परियोजना | कनाडा | 4 मिलियन कनाडियन डॉलर |
| 5. | आंध्र प्रदेश विद्युत पुनर्स्थापना परियोजना | डीएफआईडी, यू.के. | 28 मिलियन पाउंड |
| 6. | हरियाणा विद्युत पुनर्स्थापना परियोजना | विश्व बैंक | 60 मिलियन अमरीकी डॉलर |
| 7. | हरियाणा विद्युत पुनर्स्थापना परियोजना | डीएफआईडी | 15 मिलियन पाउंड |
| 8. | तुरियल एचईपी, मिजोरम | ओईसीएफ, जापान | 11695 मिलियन जापानी येन |

**विवरण-IV**

*उन परियोजनाओं की सूची जिन्हें 1.1.1997 के बाद लघु सूचीबद्ध किया गया है किन्तु ऋणदाताओं द्वारा अभी तक स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है*

| क्रम सं० | परियोजना का नाम | मांगी गई सहायता |
|---|---|---|
| 1. | बक्रेश्वर ताप विद्युत परियोजना यूनिट-1 व 2 तृतीय ट्रांच-डब्ल्यूबीपीडीसीएल | ओईसीएफ, जापान |
| 2. | फरीदाबाद गैस आधारित परियोजना-द्वितीय ट्रांच-एनटीपीसी | ओईसीएफ, जापान |
| 3. | सिम्हाद्री ताप विद्युत परियोजना-द्वितीय ट्रांच-एनटीपीसी | ओईसीएफ, जापान |
| 4. | पश्चिमी यमुना जल विद्युत परियोजना, एचएसईबी | ओईसीएफ, जापान |
| 5. | हरियाणा पारेषण लाईन परियोजना | ओईसीएफ, जापान |
| 6. | तालचेर-2 पारेषण लाईन परियोजना, पावरग्रिड | ओईसीएफ, जापान |
| 7. | तालचेर ताप विद्युत परियोजना, चरण-2 एनटीपीसी | विश्व बैंक |

## गुजरात में नए कुओं की खोज

**2808. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में तेल और प्राकृतिक गैस के नए कुओं का पता लगाया गया है;

(ख) यदि हां, तो खोज किए गए कुओं की संख्या कितनी है;

(ग) किन-किन स्थानों पर खोज कार्य चल रहा है और इन कुओं में से गैस के निष्कर्षण का कार्य कब से शुरू होने की सम्भावना है; और

(घ) इन कुओं से अनुमानत: कितने गैलन कच्चा तेल और गैस निकाले जाने की संभावना है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार)** : (क) और (ख) 1.4.97 से 1.1.2000 तक गुजरात के कैम्बे बेसिन (जमीनी) में नई संभावनाओं में आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी) द्वारा कुल आठ अन्वेषणात्मक कूपों का वेधन किया है।

(ग) और (घ) 1999-2000 के दौरान निम्न जमीनी क्षेत्रों में ओएनजीसी द्वारा अन्वेषण कार्य किया जा रहा है या योजना बनाई जा रही है :

| निवेश के प्रकार | क्षेत्र |
|---|---|
| द्विआयामी सर्वेक्षण | अलोरा का उत्तर, सद्र-हलीसा, राजपरदी, रानकपुर-सचिन, नवसारी |
| त्रिआयामी सर्वेक्षण | दक्षिण कादी-नन्दासन-लिन्च-उत्तर कादी-जोटना, नान्देज-वसना, गांधार |
| अन्वेषणात्मक वेधन | हंसलपुर, वडस्मा, सोभासन, लिन्च, संथाल, नन्दासम, मेहसाना होर्स्ट, जोटना, उत्तर कादी, वसना, वतरक, असमाली, दक्षिण कादी, कलोल, लिम्बोदरा, अहमदाबाद, सजली, नवगांव, गामिज, सानन्द, जन्म्रन, जम्बूसार, इलाव, अखोलजूनी, पखाजन, गजेरा, गंधार, कोसाम्बा, कथाना, परिया |

अन्वेषणात्मक वेधन सहित उक्त अन्वेषणात्मक कार्य के परिणाम अगली कार्रवाई निर्धारित करेंगे। यदि सफलता मिलती है तो रूपरेखा तैयार की जाएगी। हाइड्रोकार्बन युक्त क्षेत्रों की संभाव्यता सहित इनकी रूपरेखा के परिणामों के आधार पर कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस के निष्कर्षण की मात्रा के बारे में निर्णय लिया जाएगा।

*[अनुवाद]*

## दूरसंचार जिले

**2809. श्री अनन्त नायक** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 2000-2001 के दौरान देश में, विशेषकर उड़ीसा में कोई नए दूरसंचार जिले बनाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थानवार ब्यौरा क्या है?

**संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर)** : (क) इस समय उड़ीसा सहित देश में नए दूरसंचार जिले बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

*[हिन्दी]*

## नोएडा में दूरसंचार सुविधाएं

**2810. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नोएडा में कितने व्यक्ति टेलीफोन कनेक्शन हेतु प्रतीक्षा सूची में हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान और आज तक वहां कितने टेलीफोन कनेक्शन दिए गए;

(ग) क्या नोएडा के लिए नवीनतम टेलीफोन डायरेक्टरी को मुद्रित और वितरित कर दिया गया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) उक्त कनेक्शनों और डायरेक्टरी को कब तक उपलब्ध करा दिए जाने का अनुमान है;

(च) क्या सरकार को नोएडा टेलीफोन एक्सचेंज के कर्मचारियों के विरुद्ध अत्यधिक शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(छ) यदि हां, तो पिछले एक वर्ष के दौरान और आज तक किस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ज) भ्रष्टाचार में लिप्त व दोषी पाए गए कर्मचारियों के विरुद्ध सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

**संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर)** : (क) 29.2.2000 की स्थिति के अनुसार, नोएडा में नए टेलीफोन कनेक्शनों की प्रतीक्षा-सूची में दर्ज व्यक्तियों की संख्या 1305 है।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान तथा अब तक नोएडा में उपलब्ध कराए गए टेलीफोन-कनेक्शनों की संख्या इस प्रकार है :

| वर्ष | | प्रदत्त नए टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या |
|---|---|---|
| 1996-97 | — | 8232 |
| 1997-98 | — | 5001 |
| 1998-99 | — | 11742 |
| 1999-2000 (29.2.2000 तक) | — | 12466 |

(ग) से (ङ) जी, हां। अदालत के स्थगन-आदेश के कारण नोएडा की टेलीफोन निदेशिका छपवाई नहीं गई है। अदालत के स्थगन-आदेश के निरसन के बाद उपभोक्ताओं को 9 माह के भीतर टेलीफोन निदेशिका जारी कर दिए जाने की संभावना है। 29.2.2000 की स्थिति के अनुसार, नोएडा में 1305 नए टेलीफोन कनेक्शनों की प्रतीक्षा-सूची को 31.3.2000 तक निपटा दिए जाने की संभावना है चूंकि इस संबंध में कार्य तेजी से चल रहा है।

(च) से (ज) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

*[अनुवाद]*

## टेलीफोन एक्सचेंज

**2811. प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में आज तक राज्यवार कितने टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किए गए हैं और आधुनिक बनाए गए हैं;

(ख) वर्ष 2000-2001 के दौरान देश में राज्यवार कितने नए टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने और आधुनिक बनाए जाने का विचार है; और

(ग) सरकार द्वारा दूरसंचार सेवा में सुधार लाने और नई प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

**संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क)** और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

(ग) दूरसंचार सेवाओं में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं :

(i) ओवरहैड मीडिया पर कार्य कर रहे एक्सचेंजों को चरणबद्ध रूप से विश्वसनीय माध्यम प्रदान करना।

(ii) आधुनिक प्रौद्योगिकी का समावेश करना जैसे लोकल लूप में बेतार अभिगम्यता नेटवर्क में हाई बिट रेट डिजिटल सब्सक्राइबर लाईन।

(iii) नई और मूल्यवर्धित सेवाएं आरंभ करना।

(iv) नेटवर्क में आधुनिक टूल्स और टैस्टिंग सहायक उपकरण शामिल करना।

(v) दोष मरम्मत सेवा का कम्प्यूटरीकरण।

(vi) आउटडोर नेटवर्क में ऑप्टिकल फाइबर पर डिजिटल लूप कैरियर आरंभ करना।

(vii) उपभोक्ताओं को सेवा प्रदान करने वाली भूमिगत केबलों के आकार में कमी के अनुरूप प्रत्येक एक्सचेंज द्वारा सेवित क्षेत्र को कम करते हुए अधिक से अधिक रिमोट लाइन यूनिट खोलना।

## चुनाव में धांधली

2812. **श्री अवतार सिंह भडाना : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चुनाव आयोग को हाल में सम्पन्न हुए उपचुनावों तथा कुछ राज्य विधान सभा चुनावों में धांधली की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भविष्य में इस प्रकार की धांधलियों को रोकने के लिए कौन-कौन से कदम उठाए जाने का विचार है?

**विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री राम जेठमलानी) :** (क) से (ग) निर्वाचन आयोग ने सूचित किया है कि निर्वाचनों के दौरान, आयोग और मुख्य निर्वाचन आफिसर, संप्रेक्षक, जिला निर्वाचन आफिसर, रिटर्निंग आफिसर और सहायक रिटर्निंग आफिसर, आदि जैसे निर्वाचनों के प्रबंध के भारसाधक आफिसर, राजनीतिक दलों, निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों और अन्य व्यक्तियों से, एक या अन्य दलों या अभ्यर्थियों द्वारा किए जा रहे अनुचित व्यवहार का अभिकथन करते हुए, बड़ी संख्या में शिकायतें प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ शिकायतें लिखित रूप में होती हैं और कुछ टेलीफोन पर की जाती हैं। अतः, आयोग का कहना है कि विभिन्न स्तरों पर और विभिन्न स्रोतों से प्राप्त सभी शिकायतों की सूची तैयार कर पाना संभव नहीं है। तथापि, सभी शिकायतों की जांच-पड़ताल की जाती है और आयोग को, जहां कहीं अनुचित व्यवहार के अभिकथनों का तथ्यतः कुछ आधार प्रतीत होता है, वहां वह सुधारात्मक कार्यवाई करने का प्रयास करता है।

## आन्ध्र प्रदेश में दूरसंचार सुविधाएं

2813. **श्री सुल्तान सल्लाउद्दीन ओवेसी : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में गत तीन वर्षों के दौरान जिलावार मल्टी एक्सेस रूरल रेडियो (एम.ए.आर.आर.) प्रणाली के अन्तर्गत कितने टेलीफोन लगाए गए;

(ख) राज्य में उक्त अवधि के दौरान जिलावार कितने ग्रामीण टेलीफोन एक्सचेंज कार्यरत हैं;

(ग) क्या उक्त टेलीफोन एक्सचेंज समुचित रूप से कार्यरत हैं;

(घ) यदि नहीं, तो सरकार ने उनके सुचारू प्रचालन के लिए क्या उपाय किए हैं; और

(ङ) राज्य में उक्त एक्सचेंजों के सुचारू प्रचालन के लिए उक्त अवधि के दौरान कितनी धनराशि आबंटित की गई?

**संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) :** (क) गत तीन वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश के गांवों में एमएआरआर प्रणाली पर 4294 सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान किए गए थे। जिलावार जानकारी संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) से (घ) गत तीन वित्तीय वर्षों के अन्त में तथा चालू वित्त वर्ष में 1.2.2000 की स्थिति के अनुसार ग्रामीण टेलीफोन एक्सचेंजों की जिलावार सूचना विवरण-II में दी गई है। राज्य के कतिपय हिस्सों में सुरक्षा कारणों से अस्थायी रूप से बंद कुछ एक्सचेंजों को छोड़कर ये सभी एक्सचेंज संतोषजनक ढंग से काम कर रहे हैं।

(ङ) केवल ग्रामीण एक्सचेंजों के अनुरक्षण व्यय की निगरानी हेतु अलग से कोई लेखा शीर्ष नहीं है।

### विवरण-I

*गत तीन वर्षों के दौरान आन्ध्र प्रदेश में लगाए गए "एमएआरआर"-ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन*

| क्रम सं. | जिले का नाम | 1996-97 | 1997-98 | 1998-99 | जोड़ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | आदिलबाद | 102 | 228 | 14 | 344 |
| 2. | अनंतपुर | 69 | 60 | 22 | 151 |
| 3. | चित्तूर | 141 | 70 | 24 | 235 |
| 4. | कुडप्पाह | 114 | 117 | 45 | 276 |
| 5. | पूर्वी गोदावरी | 56 | 22 | 0 | 78 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. | गुंटूर | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | करीम नगर | 191 | 77 | 34 | 302 |
| 8. | खम्माम | 139 | 148 | 46 | 333 |
| 9. | कृष्णा | 26 | 0 | 0 | 26 |
| 10. | कुरूनूल | 54 | 12 | 6 | 72 |
| 11. | महबूबनगर | 195 | 69 | 63 | 327 |
| 12. | मेडक | 85 | 48 | 11 | 144 |
| 13. | नालगोंडा | 118 | 74 | 12 | 204 |
| 14. | नेल्लोर | 175 | 85 | 15 | 275 |
| 15. | निजामाबाद | 122 | 44 | 17 | 183 |
| 16. | प्रकासम | 90 | 49 | 39 | 178 |
| 17. | रंगारेड्डी | 71 | 15 | 3 | 89 |
| 18. | श्रीकाकूलम | 292 | 145 | 43 | 480 |
| 19. | विशाखापट्नम | 33 | 78 | 56 | 167 |
| 20. | विजियानगरम | 217 | 95 | 55 | 367 |
| 21. | वारंगल | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | पश्चिम गोदावरी | 59 | 4 | 0 | 63 |
| | जोड़ | 2349 | 1440 | 505 | 4294 |

**विवरण-II**

*गत तीन वर्षों के दौरान राज्य में कार्यरत ग्रामीण एक्सचेंज*

| क्रम सं० | जिले का नाम | निम्नलिखित तारीखों के अनुसार कार्यरत ग्रामीण एक्सचेंजों की संख्या | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 31.3.97 | 31.3.98 | 31.3.99 | 1.2.2000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | आदिलाबाद | 42 | 48 | 49 | 58 |
| 2. | अनंतपुर | 120 | 118 | 118 | 124 |
| 3. | त्रितूर | 120 | 121 | 127 | 136 |
| 4. | कुडप्पाह | 78 | 79 | 80 | 82 |
| 5. | पूर्वी गोदावरी | 93 | 95 | 95 | 101 |
| 6. | गुंटूर | 99 | 100 | 106 | 117 |
| 7. | करीम नगर | 92 | 96 | 98 | 105 |
| 8. | खम्माम | 71 | 73 | 78 | 84 |
| 9. | कृष्णा | 92 | 95 | 96 | 99 |
| 10. | कुरूनूल | 105 | 109 | 110 | 122 |
| 11. | महबूबनगर | 90 | 92 | 96 | 101 |
| 12. | मेडक | 77 | 78 | 84 | 85 |
| 13. | नालगोंडा | 69 | 75 | 83 | 95 |
| 14. | नेल्लोर | 82 | 84 | 87 | 91 |
| 15. | निजामाबाद | 70 | 73 | 77 | 78 |
| 16. | प्रकासम | 68 | 68 | 68 | 75 |
| 17. | रंगारेड्डी | 64 | 65 | 65 | 67 |
| 18. | श्रीकाकूलम | 40 | 41 | 43 | 47 |
| 19. | विशाखापट्नम | 49 | 49 | 49 | 51 |
| 20. | विजियानगरम | 41 | 44 | 45 | 50 |
| 21. | वारंगल | 68 | 69 | 69 | 71 |
| 22. | पश्चिम गोदावरी | 123 | 125 | 130 | 130 |
| | जोड़ | 1753 | 1797 | 1853 | 1969 |

**अमेरिकी कम्पनी द्वारा निवेश**

2814. श्री विलास मुत्तेमवार :
श्रीमती रानी नराह :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 2.5 बिलियन डालर के निवेश वाली अमरीकी कम्पनी टेलीकॉम वेन्चर्स ने शिक्षा और संचार संबंधी कार्यों के लिए भारत के इंटरनेट क्षेत्र में 25-50 मिलियन डालर के बीच निवेश करने की योजना है;

(ख) क्या उसने यह इच्छा भी व्यक्त की है कि अवसर अच्छे होने पर 100 मिलियन डालर तक भी निवेश बढ़ा सकती है;

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिकिया है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

**संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकन्दर) :** (क) और (ख) टेलीकॉम वेन्चर्स द्वारा शिक्षा और संचार संबंधी कार्यों के लिए भारत के इंटरनेट क्षेत्र में निवेश करने संबंधी कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं है।

(ग) और (घ) उपर्युक्त (क) और (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

**मारुति उद्योग लिमिटेड के विरुद्ध एम०आर०टी०पी०सी० की जांच**

2815. श्री नरेश पुगलिया : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एकाधिकार और अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग ने मारुति उद्योग लिमिटेड और देशभर में इसके 110 अधिकृत डीलरों

के विरुद्ध अवरोधक व्यापारिक व्यवहारों में कथित रूप से लिप्त होने के कारण जांच के आदेश दिए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री राम जेठमलानी) :** (क) जी, हां।

(ख) एकाधिकार और अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 10(क)(iii) के अन्तर्गत एकाधिकार और अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग द्वारा मारुति उद्योग लिमिटेड और इसके 110 डीलरों के विरुद्ध दिनांक 27.1.2000 की जांच के नोटिस के अनुसार आर.टी.पी. जांच सं. 107/99 संस्थित की गई है। आयोग द्वारा उक्त जांच की पिछली बार सुनवाई 21.2.2000 को की गई थी और अब मामले के निपटान की तारीख 31.5.2000 रखी गई है।

*[हिन्दी]*

### न्यायाधीशों के रिक्त पद

**2815. श्री रामशकल :**
**श्री गिरधारी लाल भार्गव :**
**श्री चन्द्रकांत खैरे :**

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न उच्च न्यायालयों, उनकी पीठों और सर्वोच्च न्यायालय में आज तक न्यायाधीशों के कुल कितने पद रिक्त पड़े हैं;

(ख) इन पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/प्रस्तावित हैं; और

(ग) रिक्त पदों को कब तक भर लिए जाने की संभावना है?

**विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री राम जेठमलानी) :** (क) 1.3.2000 को, भारत के उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों तथा उनकी न्यायपीठों में न्यायाधीशों के रिक्त पदों की स्थिति निम्नानुसार थी :

| | | |
|---|---|---|
| भारत का उच्चतम न्यायालय | — | 3 |
| उच्च न्यायालय | — | 159 |

(ख) और (ग) भारत के उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में रिक्त पदों को भरा जाना सांविधानिक प्राधिकारियों के मध्य एक परामर्शक प्रक्रिया है। जबकि विद्यमान रिक्त पदों को शीघ्र भरने का हर संभव प्रयास किया जाता है फिर भी, न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति, उनके त्यागपत्र या उनकी पदोन्नति के कारण पद रिक्त होते ही रहते हैं। यह बताना संभव नहीं है कि कब तक इन रिक्त पदों को भरा जाएगा।

*[अनुवाद]*

### ऊर्जा संरक्षण अभियान के लिए मीडिया प्रचार

**2817. श्री जी०एस० बसवराज :** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने ऊर्जा संरक्षण अभियान के लिए मीडिया प्रचार कराने हेतु अपने सरकारी क्षेत्र के सभी उपक्रमों को निर्देश दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तैयार की गई कार्य-योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन उपायों से किस सीमा तक ऊर्जा संरक्षण होगा?

**विद्युत मंत्री तथा खान और खनिज मंत्री (श्री पी०आर० कुमारमंगलम) :** (क) से (ग) ऊर्जा संवर्धन ऊर्जा उत्पादित करने का सबसे सस्ता तरीका है। इसलिए, विद्युत मंत्रालय और इसके प्रशासनिक नियंत्रण वाले सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम बड़े पैमाने पर उद्योगों और आम जनता को ऊर्जा संवर्धन के प्रकरण से अवगत कराने के लिए वित्तीय वर्ष 1999-2000 के दौरान प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रानिक माध्यम से राष्ट्रीय ऊर्जा संवर्धन जागरुकता अभियान संयुक्त रूप में चलाने के लिए सहमत हो गए हैं। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान विद्युत क्षेत्र की पुनर्संरचना सुधार तथा ऊर्जा संवर्धन संबंधी अभियान के लिए 6.00 करोड़ रुपये की धनराशि उद्दिष्ट की गई है। ऊर्जा संरक्षण और ऊर्जा दक्षता के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना लक्ष्य और ऊर्जा संवर्धन की प्राप्ति की ओर पहला कदम है। इसी बीच विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 24.2.2000 को लोक सभा में ऊर्जा संवर्धन विधेयक, 2000 प्रस्तुत किया है। यह विधेयक ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति को भेज दिया गया है। ऊर्जा संवर्धन विधेयक, 2000 की मुख्य विशेषताएं इसके साथ विवरण के रूप में संलग्न है।

#### विवरण

(i) केन्द्रीय सरकार बीईई के साथ परामर्श करके ऊर्जा का उपयोग, उत्पादन अंतरण अथवा आपूर्ति करने वाले प्रत्येक उपस्कर या उपकरण के लिए ऊर्जा संवर्धन संबंधी मानक निर्धारित करेगी।

(ii) केन्द्रीय सरकार निर्माण, आयात, आपूर्ति वितरण, बिक्री या व्यापार की अवस्थाओं में ही अधिसूचित उपकरणों एवं उपस्करों पर अनिवार्य रूप से लेबल लगाने की स्कीम चालू करेगी ताकि इन उपकरणों एवं उपस्करों की ऊर्जा खपत की दर स्पष्ट रूप में और पठनीय तरीके में इंगित हो सके।

(iii) केन्द्रीय सरकार बीईई के साथ परामर्श करके ऊर्जा के उपयोग की मात्रा के संबंध में उद्योगों, अधिष्ठापनाओं और ऊर्जा के उपयोगकर्त्ता या उपयोगकर्त्ता वर्ग तथा भवन परिसर को नामोद्दिष्ट उपभोक्ताओं के रूप में अधिसूचित करेगी। नामोद्दिष्ट ऊर्जा खपत के मानकों और मानदंडों का अनुसरण करेंगे।

(iv) केन्द्रीय सरकार के रूप में नामोद्दिष्ट एजेंसी द्वारा अधिसूचित किए जाने पर उद्योगों और अधिष्ठापनाओं में सभी नामोद्दिष्ट उपभोक्ताओं के लिए प्राधिकृत लेखा परीक्षक द्वारा ऊर्जा लेखा परीक्षा करना अनिवार्य होगा। ऐसे उपभोक्ताओं के प्राधिकृत ऊर्जा लेखा परीक्षक की सिफारिशों पर की गई कार्रवाई और उपयोग में लाई गई ऊर्जा के संबंध में निर्धारित अवधि के भीतर तथा निर्धारित पद्धति से रिटर्न प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। लेखा परीक्षा की अवधि बीईई द्वारा अधिसूचित

होगी। नामोद्दिष्ट उपभोक्ताओं को निर्धारित अर्हता वाले ऊर्जा प्रबंधक नियुक्त करने अपेक्षित होंगे। ऐसे नामोद्दिष्ट उपभोक्ताओं को बीईई/राज्य को ऊर्जा संवर्धन की स्थिति संबंधी रिपोर्ट वार्षिक आधार पर प्रस्तुत करनी आवश्यक होगी।

(v) प्रत्येक नामोद्दिष्ट उपभोक्ता के लिए निर्धारित ऊर्जा संरक्षण मानदंडों का अनुपालन अपेक्षित है। विभिन्न तथ्यों जैसे टैक्नालॉजी/अपनाई गई प्रक्रिया, संयंत्र/भवन की क्रियाशील अवधि, प्रयुक्त ऊर्जा के रूप, प्रयुक्त कच्चा माल आदि के मद्देनजर विभिन्न नामोद्दिष्ट उपभोक्ताओं के लिए भिन्न-भिन्न मानकों एवं मानदंड निर्धारित किए जा सकते हैं।

(vi) नामोद्दिष्ट उपभोक्ता ऊर्जा संरक्षण के लिए इस प्रकार से स्कीम/स्कीमें तैयार करेगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार हों। इन स्कीमों को वह केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार ही क्रियान्वित करेगा।

(vii) ऊर्जा क्षमता ब्यूरो ऊर्जा संरक्षण के लिए कोड बनाने हेतु दिशा-निर्देश तैयार करेगा और राज्य सरकार इसे अधिसूचित करेगी। ये कोड स्थानीय वातावरण एवं अन्य अपरिहार्य तथ्यों के अनुरूप ही बनाए जा सकते हैं।

(viii) कानून के कार्यान्वयन से जुड़े मामलों के समन्वय, लागू करने एवं विनियमन के लिए राज्य सरकार राज्य के भीतर किसी भी एजेंसी को नामोद्दिष्ट करेगी। राज्य सरकार, राज्य विद्युत विनियामक आयोग को निर्णय संबंधी कार्य के लिए नामोद्दिष्ट करेगी। जहां पर एसईआरसी नहीं है, वहां राज्य सरकार विधि सचिव या उनके द्वारा नामित व्यक्ति, जिसे उस राज्य/संघ शासित क्षेत्र में निर्णय अधिकारी के रूप में कानूनी अनुभव हो, को नियुक्त करेगी। उसके इस पद की मान्यता राज्य में राज्य विद्युत विनियामक आयोग की स्थापना के तुरन्त बाद समाप्त हो जाएगी।

(ix) केन्द्र एवं राज्य सरकार ऊर्जा संरक्षण उपभोक्ता शिक्षा एवं उपभोक्ता के लिए दिशा-निर्देश के लिए जन जागरूकता का संवर्धन करेंगे तथा ऐसे कदम भी उठायेंगे जिनसे ऊर्जा सक्षम उपस्कर/यंत्र एवं उपकरणों के लिए बेहतर उपायों को प्रोत्साहित करेंगे।

(x) कानूनी दृष्टि से ऊर्जा को इस प्रकार परिभाषित किया जाएगा कि यह जीवाश्म ईंधनों, जल विद्युत जिसमें ग्रिड से प्राप्त विद्युत ऊर्जा भी शामिल है, से प्राप्त है। इसे वह विद्युत भी शामिल है जो पुन:प्रयोग में लाए जाने लायक ऊर्जा स्रोत एवं ग्रिड से जुड़े बायोगैस से प्राप्त किया जाता है। हालांकि विधायी दृष्टि से इस परिभाषा के अन्तर्गत वह ऊर्जा शामिल नहीं जो ग्रिड से अलग रूप से उपयोग किया जाए एवं पुन: प्रयोग लायक हो।

### प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों का कार्य-निष्पादन

2818. श्री अन्नासाहेब एम०के० पाटील : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हाल ही में राज्य एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के कार्य-निष्पादन की जानकारी मिली है;

(ख) यदि हां, तो मूल्यांकन के मानदंडों के अनुसार राज्यवार तथा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान, प्रत्येक वर्ष, विधि के प्रदूषण तथा पर्यावरण संबंधी उपबंधों के उल्लंघन से संबंधित मामलों का राज्यवार ब्यौरा क्या है और उनमें से कितने मामलों को निपटा लिया गया है; और

(घ) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को सुदृढ़ बनाने और उनके उन्नयन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को सुदृढ़ करने के संदर्भ में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने इस मामले को राज्य सरकारों के साथ उठाया है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को सुदृढ़ करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

1. राज्य बोर्डों के संसाधनों में वृद्धि करने के लिए जल उपकर की दरें बढ़ाना।
2. प्रयोगशाला सुविधाओं के संदर्भ में राज्य बोर्डों को सुदृढ़ करना।
3. प्रदूषण निवारण और नियंत्रण से संबंधित विभिन्न पहलुओं के बारे में पदाधिकारियों को प्रशिक्षण देना।
4. विभिन्न द्विपक्षीय कार्यक्रमों के अन्तर्गत राज्य बोर्डों को सुदृढ़ करना।
5. प्रदूषण में कमी करने से संबंधित विशिष्ट कार्यक्रमों के संबंध में वित्तीय सहायता।
6. राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों अर्थात् उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटक प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को विश्व बैंक सहायता प्राप्त परियोजना के अन्तर्गत सुदृढ़ बनाया जा रहा है।

### तेल और प्राकृतिक गैस निगम के लिए हेलीकाप्टर्स

2819. श्री वाई०एस० विवेकानन्द रेड्डी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम के पास हेलीकाप्टर न होने के कारण उसे ड्रिलिंग कार्यों में नुकसान उठाना पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं जिससे कि हेलीकाप्टरों की अनुपलब्धता के कारण ड्रिलिंग कार्यों को नुकसान न हो?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) लंबी अवधि तक हेलीकाप्टर सेवा के उपलब्ध न होने का ओएनजीसी के वेधन प्रचालन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता ही है। राजकोषीय वर्ष 1999-2000 के दौरान हेलीकाप्टर सेवा का ओएनजीसी के वेधन प्रचालनों पर अब तक प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है।

(ख) ओएनजीसी ने पहले ही निम्नलिखित उपाय किए हैं :

– विक्रेता आधार का विस्तार किया गया है।

– संकटकालीन समयों पर वायु परिवहन सेवा की संपूर्ति करने हेतु परिवहन की वैकल्पिक विधि का भी उपयोग किया गया है।

– बेहतर सेवा के लिए स्किड से सुसज्जित हेलीकाप्टर भी शामिल किए गए हैं।

### विचाराधीन कैदी

2820. श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालयों ने हाल ही में विभिन्न न्यायालयों के सभी विचाराधीन मामलों को शीघ्र निपटाने का आदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन मामलों की संख्या की पहचान की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन कैदी मानसिक बीमारी से पीड़ित हैं; और

(ङ) यदि हां, तो सभी विचाराधीन मामलों को कब तक निपटा दिए जाने की संभावना है?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री राम जेठमलानी) : (क) उच्चतम न्यायालय ने, इस संबंध में हाल ही में आर.डी. उपाध्याय बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य के मामले में कुछ निर्देश जारी किए हैं।

(ख) और (ग) विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन मामलों की ठीक संख्या तुरन्त उपलब्ध नहीं है। तथापि, उपलब्ध जानकारी यह उपदर्शित करती है कि देश की कुल जेल जनसंख्या में लगभग 73 प्रतिशत विचाराधीन कैदी हैं।

(घ) सरकार के पास ऐसी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ङ) इस संबंध में, समय-सीमा निश्चित करना संभव नहीं है। तथापि, कुछ उच्च न्यायालयों, अर्थात् : बंबई, कलकत्ता, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, पंजाब और हरियाणा तथा सिक्किम ने ऐसे विचाराधीन कैदियों के मामलों को, जो छिटपुट मामलों में अंतर्वलित हैं, पूर्विकता के आधार पर निपटाने के अनुदेश जारी किए हैं।

*[हिन्दी]*

### प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय

2821. श्री चन्द्रकांत खैरे : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने और अनौपचारिक पर्यावरण शिक्षा के प्रसार हेतु महाराष्ट्र में प्राकृतिक इतिहास का क्षेत्रीय संग्रहालय खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) नौवीं योजना अवधि के दौरान पूर्वी क्षेत्र में क्षेत्रीय संग्रहालय की स्थापना के संबंध में प्रस्ताव पर विचार करते समय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की स्थायी वित्त समिति ने सिफारिश की कि मंत्रालय को तकनीकी सहायता और धनराशि देने की पद्धति के लिए उपयुक्त पैकेज तैयार किए जाने चाहिए जिससे राज्य सरकारें स्वयं ही प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय की स्थापना को बढ़ावा दे सके। इस समय किसी नए क्षेत्रीय संग्रहालयों पर विचार करने से पूर्व, मैसूर, भोपाल और भुवनेश्वर में पहले से स्थापित क्षेत्रीय संग्रहालयों को समेकित करने पर जोर दिया जा रहा है।

*[अनुवाद]*

### राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को निदेश

2822. श्रीमती श्यामा सिंह :
श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :

क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने हाल ही में सभी उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों से कारागारों में आवश्यकता से अधिक भीड़-भाड़ तथा मामलों के लम्बे समय तक लंबित रहने की समस्या से निपटने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार कारागारों में आवश्यकता से अधिक भीड़-भाड़ के मद्देनजर लंबित मामलों के निपटान हेतु उच्च न्यायालयों की सहायता करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री राम जेठमलानी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सरकार और न्यायपालिका दोनों ही, जेलों में आवश्यकता से अधिक भीड़-भाड़ से चिंतित हैं जो कि प्राथमिक रूप से विचाराधीन कैदियों की अधिक संख्या होने के कारण है। ऐसे मामलों, जिसमें विचाराधीन कैदियों के मामले भी अंतर्वलित हैं, का शीघ्र निपटान करने के बारे में, उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में आर.डी. उपाध्याय बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य के मामले में, कुछ निर्देश जारी किए हैं।

बंबई, कलकत्ता, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, पंजाब और हरियाणा तथा सिक्किम के उच्च न्यायालयों

ने सूचित किया है कि विचाराधीन मामलों का शीघ्र निपटान करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने, दांडिक याचिका 681/99, इसांग नार्योंग और अन्य बनाम नई दिल्ली राज्य में तारीख 25.11.1999 के अपने निर्णय में, ऐसे कैदियों, जिसमें छोटे-छोटे अपराध वाले कैदी भी अंतर्वलित हैं, के मामलों को निपटाने के लिए लोक अदालतें आयोजित करने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को निदेश दिए हैं।

उच्चतम न्यायालय के निदेशों के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार ने, सभी राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को लिखा है कि वे विचाराधीन कैदियों, जो लंबे समय से देश की जेलों में पड़े हैं, के मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए आवश्यक कदम उठाएं।

**पूर्वोत्तर राज्यों में रसोई गैस भराई संयंत्र की स्थापना**

**2823. श्री भीम दाहाल : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों में रसोई गैस भराई संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार और स्थान-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन संयंत्रों की स्थापना के लिए कुल कितनी धनराशि की आवश्यकता है; और

(घ) ऐसे प्रत्येक संयंत्र की स्थापना के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) :** (क) से (ग) एलपीजी भरण संयंत्र समीपवर्ती खपत क्षेत्रों में मांग संभाव्यता पर विचार करने के बाद तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता के आधार पर स्थापित किए जाते हैं।

सिक्किम राज्य सहित उत्तर पूर्वी राज्यों में प्रस्तावित भरण संयंत्रों का स्थान-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) किसी भरण संयंत्र की स्थापना के लिए अनुमानित निर्धारित समय अनुमोदन की तारीख से 36 माह होता है।

**विवरण**

| राज्य का नाम/भरण संयंत्र का (स्थान) | क्षमता (टीएमटीपीए) | वांछित राशि (लाख में) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| अरुणाचल प्रदेश (किमिन) | 5 | 995 |
| असम (गुवाहाटी) | 6 | 1000 |
| असम (नुमालीगढ़) | 6 | 1000 |
| मेघालय (उमरान) | 5 | 1031 |
| मणिपुर (सेकमई) | 10 | 2716 |
| मिजोरम (मांलखांग) | 5 | 1013 |
| नागालैंड (दीमापुर) | 5 | 1055 |

**आंध्र प्रदेश में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्तियों को रसोई गैस की एजेंसियां**

**2824. श्री ए० नरेन्द्र : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश में आबंटित कुल रसोई गैस एजेंसियों में से कितना प्रतिशत आबंटन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्तियों को किया गया है;

(ख) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्तियों को रसोई गैस की एजेंसियां आबंटित करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) :** (क) से (घ) विद्यमान नीति के अनुसार आ.जा./अ.ज.जा. श्रेणी के लिए 25 प्रतिशत डीलरशिपें/डिस्ट्रीब्यूटरशिपें आरक्षित हैं। वर्ष 1997-98, 1998-99 तथा 1999-2000 (अप्रैल-जनवरी) के दौरान आंध्र प्रदेश में कुल 27 खुदरा बिक्री केन्द्र आबंटित किए गए थे, उपर्युक्त में से 8, अ.जा./अ.ज.जा. श्रेणी को आबंटित किए गए थे।

आगे, पिछली विपणन योजना से लंबित स्थानों के अलावा विपणन योजना 1996-98 के अन्तर्गत आंध्र प्रदेश में अ.जा./अ.ज.जा. श्रेणी के पक्ष में 31 और खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपें चिन्हित की गई हैं।

**तेल और प्राकृतिक गैस निगम द्वारा ऋण का पुनर्भुगतान**

**2825. श्री अशोक ना० मोहोल : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने ब्याज भार को घटाने हेतु इसके 4 बिलियन येन ऋण को वापस करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके परिणामस्वरूप ब्याज भार की कितनी धनराशि को घटाए जाने की संभावना है; और

(घ) उक्त ऋणों को कब तक वापस किए जाने की संभावना है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) :** (क) और (ख) जी, हां। आयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन (ओएनजीसी)

ने प्रतिवर्ष 3.04 प्रतिशत की ब्याज दर वाले तथा भारत सरकार की गारंटी से समर्थित जापान के एग्जिम बैंक से उगाही गई कुल 4218.593 मिलियन येन की बकाया धनराशि को, एक नया ऋण आहरित करके, पुन: वित्तपोषित करने का निर्णय लिया है।

(ग) और (घ) ऐसे एक पुन: वित्तपोषण, जिसके मार्च, 2000 में किए जाने की संभावना है, के परिणामस्वरूप वित्तपोषण के अन्तर्गत अनुमानित बचत, इस ऋण की अनुमानित अवधि के समय लगभग 14 करोड़ रुपये है।

## दूरसंचार उपकरण के निर्यात हेतु राजसहायता

**2826. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या सरकार दूरसंचार उपकरण संबंधी निर्यात संवर्धन क्रियाकलापों के लिए राजसहायता उपलब्ध कराती है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष कम्पनी-वार कुल कितनी राजसहायता प्रदान की गई;

(ग) दूरसंचार उपकरणों के निर्यात को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या सरकार का दूरसंचार उपकरण निर्यातकों को अधिक राजसहायता प्रदान करने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) :** (क) दूरसंचार विभाग ने दूरसंचार क्षेत्र की भारतीय कम्पनियों को अन्तर्राष्ट्रीय बाजार का अनुभव देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में इन कम्पनियों के हिस्सा लेने में आने वाले व्यय का कुछ अंश सब्सिडी के रूप में दिया है।

(ख) सूचना विवरण में दी गई है।

(ग) निर्यात-आयात नीति के अन्तर्गत सरकार दूरसंचार उपस्कर के निर्यात के लिए अनेक प्रोत्साहन देती है, ऐसे उपस्कर के विनिर्माण तथा निर्यात के लिए आवश्यक इनपुटों के आयात के लिए अग्रिम लाइसेंस, विशेष इम्प्रेस्ट लाइसेंस, ड्यूटी एन्टाइटलमेंट पास-बुक स्कीम तथा निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल स्कीम शामिल है। सरकार निर्यातोन्मुख यूनिटों के रूप में विनिर्माण यूनिटें निर्यात प्रक्रमण जोन और इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क में यूनिटें स्थापित करने की अनुमति देकर अन्य स्कीमों के माध्यम से भी निर्यात को बढ़ावा देती है। ये सभी यूनिटें पूंजीगत माल सहित सभी प्रकार के माल के नि:शुल्क आयात का लाभ उठा रही हैं।

(घ) दूरसंचार उपस्कर के निर्यातकों को और सब्सिडी देने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ङ) दूरसंचार उपस्कर के निर्यातकों से कोई विशिष्ट प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

### विवरण

*पिछले तीन वर्षों के दौरान, वर्ष-वार और कंपनी-वार प्रदान की गई सब्सिडी (दिनांक 13.3.2000 का लोक सभा अता. प्र.सं. 2826)*

| वर्ष | कम्पनी | प्रदान की गई सब्सिडी (रुपये में) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1997-98 | टैलीकम्यूनिकेशन्स कन्सलटैंट्स इंडिया लि. | 3,55,045 |
| | महानगर टेलीफोन निगम लि. | 5,09,300 |
| | विदेश संचार निगम लि. | 10,18,600 |
| | आईटीआई लि. | 14,47,110 |
| | एचटीएल लि. | 3,81,975 |
| | हिन्दुस्तान केबल्स लि. | 2,29,185 |
| | श्याम टेलीकॉम लि. | 9,16,740 |
| | अमाराजा बैटरीज लि. | 3,05,580 |
| | सैंटर फॉर डवलपमेंट ऑफ टेलीमैट्रिक (सी-डॉट) | 4,58,370 |
| | सुराना टेलीकॉम लि. | 3,56,510 |
| | अक्षा इंडिया लि. | 2,29,185 |
| | भारती टेलीकॉम लि. | 1,00,395 |
| | हिमाचल फ्यूचरिस्टिक कंयूनिकेशन्स लि. | 1,00,395 |
| 1998-99 | टेलीकम्यूनिकेशंस कन्सलटैंट्स इंडिया लि. | 4,15,205 |
| | महानगर टेलीफोन निगम लि. | 12,26,757 |
| | विदेश संचार निगम लि. | 20,38,620 |
| | आईटीआई लि. | 19,72,303 |
| | एचटीएल लि. | 4,81,211 |
| | सैंटर फार डैवलपमेंट और टेलीमैटिक्स (सी-डाट) | 15,66,527 |
| | टाटा टेलीकाम लि. (टाटा फोन डिवीजन) | 3,39,770 |
| 1999-2000 | टेलीकम्यूनिकेशंस कन्सलटैंट्स इंडिया लि. | 5,63,290 |
| | महानगर टेलीफोम निगम लि. | 7,80,569 |
| | विदेश संचार निगम लि. | 8,91,242 |
| | आईटीआई लि. | 11,83,960 |
| | एचटीएल लि. | 3,53,875 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| | सेंटर फार डैवलपमेंट और टेलीमैटिक्स (सी-डाट) | 8,64,451 |
| | भारती टेलीकाम | 78,350 |
| | हिमाचल फ्यूचरिस्टिक कम्यूनिकेशंस लि. | 9,43,668 |
| | टाटा टेलीकाम लि. (टाटा फोन डिवीजन) | 2,65,538 |
| | सुराना टेलीकाम | 2,35,927 |
| | इलेक्ट्रानिक्स एंड कम्प्यूटर साफ्टवेयर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल | 2,46,402 |
| | एचसीएल पेरोट | 2,65,538 |
| | श्याम टेलीकाम लि. | 3,66,982 |

*[हिन्दी]*

**सड़क परियोजनाओं से प्रभावित परिवारों का पुनर्वास**

**2827. श्री रामशकल :** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सड़क परियोजनाओं से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास हेतु राष्ट्रीय नीति बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विश्व बैंक ने सड़क क्षेत्र की आधारभूत परियोजनाओं को वित्तपोषित करने के लिए परियोजना से प्रभावित लोगों के पुनर्वास को अनिवार्य बना दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित निर्माणाधीन सड़क परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और इसके परिणामस्वरूप कितने व्यक्ति विस्थापित हुए हैं; और

(च) सरकार द्वारा ऐसी परियोजनाओं से विस्थापित लोगों के पुनर्वास हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

**जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देबेन्द्र प्रधान) :** (क) जी, नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव इस मंत्रालय के पास विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) जी, हां। विश्व बैंक ने भावी सड़क परियोजनाओं के लिए इस शर्त को अनिवार्य बना दिया है। तथापि, चालू परियोजनाओं के मामले में यह शर्त अनिवार्य नहीं है।

(ङ) विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित दो सड़क परियोजनाओं, अर्थात् उड़ीसा में रा.रा.-5 के कटक-भुवनेश्वर-जगतपुर खंड और पश्चिम बंगाल में रा.रा.-2 के बराकर-रानीगंज खंड में क्रमशः 688 और 49 व्यक्ति प्रभावित हुए हैं।

(च) उड़ीसा परियोजना हेतु पुनर्वास संबंधी सर्वेक्षण कर लिया गया है। पश्चिम बंगाल परियोजना में विस्थापित दुकानदारों के लिए एक सुपर मार्किट बनाई गई है।

*[अनुवाद]*

**इंडियन आयल कंपनी और ओएनजीसी द्वारा तेल शोधन और तेल की खोज**

**2828. श्री विलास मुत्तेमवार :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड और तेल और प्राकृतिक गैस निगम को तेल शोधन और तेल की खोज की अपनी भूल सामर्थ्य के प्रयोग तक ही सीमित रहने और असम्बद्ध विविध क्षेत्रों में कार्य आरम्भ न करने का निदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार यह महसूस करती है कि कच्चे तेल के घरेलू उत्पादन के संवर्धन हेतु वर्तमान संदर्भ में तेल और प्राकृतिक गैस निगम को तेल की खोज और तेल उत्पादन के कार्य पर ही ध्यान देना चाहिए; और

(ग) यदि हां, तो तेल और प्राकृतिक गैस निगम और इंडियन आयल कार्पोरेशन को असम्बद्ध विविध क्षेत्रों में कार्य आरम्भ करने से रोकने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) :** (क) से (ग) हाइड्रोकार्बनों का अन्वेषण तथा उत्पादन आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन का मुख्य प्रचालनात्मक क्षेत्र बना हुआ है। आईओसी तथा आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन के बीच गठबंधन व ऐसे क्षेत्रों में विविधीकरण से तेल की बढ़ी हुई मांग को पूरा करने तथा दीर्घावधिक राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने, तेल क्षेत्र में भविष्य के नियंत्रणामुक्त परिदृश्य में प्रकट हो रही प्रतिस्पर्धा का मुकाबला करने के लिए दोनों कम्पनियों को बेहतर तरीके से तैयार करने हेतु दोनों कम्पनियों के व्यापक संसाधनों को पूल करने में मदद मिलेगी।

**पेट्रोलियम क्षेत्र को नियंत्रण मुक्त करना**

**2829. श्री अन्नासाहेब एम०के० पाटील :**
**श्री शिवाजी माने :**

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 2001-2002 तक पेट्रोलियम क्षेत्र को पूर्णरूपेण नियंत्रण मुक्त करने हेतु समय-सीमा निर्धारित की है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार हाइड्रोकार्बन नियामक प्राधिकरण की स्थापना करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार)** : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) नवम्बर, 1997 में सरकार ने दिनांक 21 नवम्बर, 1997 के सरकारी संकल्प सं. 224 के जरिए प्रशासित मूल्य-निर्धारण व्यवस्था समाप्त करने से संबंधित विस्तृत चरणबद्ध कार्यक्रम के विषय में निर्णय लिया था। चरणबद्ध कार्यक्रम अप्रैल, 1998 से आरम्भ किया गया है। इस दिशा में की गई प्रमुख कार्रवाइयों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नांकित शामिल हैं :

(1) सभी रिफाइनरियों के लिए अवधारण मूल्य-निर्धारण प्रणाली समाप्त कर दी गई है। नियंत्रित उत्पादों के रिफाइनरी द्वार मूल्य आयात समता के सिद्धान्तों पर नियत किए जा रहे हैं।

(2) केवल एमएस, एचएसडी, मिट्टी तेल (सा.वि.प्र.) एटीएफ तथा एलपीजी (घरेलू) के उपभोक्ता मूल्य सरकार के द्वारा प्रशासित किए जा रहे हैं। अन्य उत्पादों के मूल्य नियंत्रण मुक्त कर दिए गए हैं।

(3) निजी तथा संयुक्त क्षेत्र रिफाइनरियों को उनकी निजी रिफाइनरियों में वास्तविक उपयोग के लिए आयात अनुज्ञप्ति के बगैर स्वतंत्र रूप से कच्चा तेल आयात करने की अनुमति दी गई है।

(4) कच्चे तेल तथा पेट्रोलियम उत्पादों पर देय सीमा शुल्क वार्षिक बजट के माध्यम से कम कर दिया गया है।

(5) एलपीजी (घरेलू) पर देय 33 प्रतिशत राजसहायता 1 फरवरी, 1999 से वापस ले ली गई है।

(6) 20 प्रतिशत की सीमा तक एचएसडी पर वसूलियों के तहत प्रभार को 9 जनवरी, 1999 से प्रभावी बिक्री मूल्यों में अंतरित कर दिया गया है।

(7) कच्चे तेल के नौवहन से संबंधित लागत जमा सूत्र को वापस ले लिया गया है।

(8) कच्चा तेल उत्पादकों को भुगतान अब 1991 रुपये प्रति एमटी के न्यूनतम मूल्य पर वास्तविक आयात के भारित औसत पोतपर्यन्त नि:शुल्क मूल्य के पूर्व-निर्धारित प्रतिशत पर किया जा रहा है।

(घ) और (ङ) नवम्बर, 1997 में सरकार के द्वारा जारी किए गए संकल्प ने हाइड्रोकार्बन क्षेत्र की कार्यप्रणाली का निरीक्षण करने तथा इस क्षेत्र में एक प्रतिस्पर्धी फ्रेमवर्क लागू करने के लिए एक नियामक ढांचे की स्थापना के संकेत दिए हैं।

---

**मध्याह्न 12.00 बजे**

## सभा पटल पर रखे गए पत्र

*[अनुवाद]*

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष कुमार गंगवार)** : महोदय, मैं श्री अनंत कुमार की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल॰टी॰ 1480/2000]

(3) (एक) ललित कला अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ललित कला अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने और विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल॰टी॰ 1481/2000]

**पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी॰आर॰ बालू)** : महोदय, मैं वर्ष 2000-2001 के लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय की विस्तृत अनुदान मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल॰टी॰ 1482/2000]

*[हिन्दी]*

**श्रम मंत्री (डा॰ सत्यनारायण जटिया)** : अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2000-2001 के लिए श्रम मंत्रालय की विस्तृत अनुदानों की मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल॰टी॰ 1483/2000]

*[अनुवाद]*

**विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री राम जेठमलानी)** : महोदय, मैं वर्ष 2000-2001 के लिए विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय की विस्तृत अनुदान मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल॰टी॰ 1484/2000]

**विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता)** : महोदय, मैं श्री पी॰आर॰ कुमारमंगलम की ओर से वर्ष 2000-2001 के लिए विद्युत मंत्रालय की विस्तृत अनुदानों की मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल॰टी॰ 1485/2000]

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष कुमार गंगवार)** : महोदय, मैं श्री जुएल उराम की ओर से वर्ष 2000-2001 के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय की विस्तृत अनुदानों की मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी० 1486/2000]

**वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा)** : महोदय, मैं वर्ष 2000-2001 के लिए वस्त्र मंत्रालय की विस्तृत अनुदानों की मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी० 1487/2000]

*[हिन्दी]*

**उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शांता कुमार)** : अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2000-2001 के लिए उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की विस्तृत अनुदानों की मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी० 1488/2000]

*[अनुवाद]*

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी)** : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :

(1) संविधान के अनुच्छेद 338(2) के अंतर्गत निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(क)(एक) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग (भाग 1) का वर्ष 1994-95 और 1995-96 का तीसरा प्रतिवेदन।

(दो) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग का वर्ष 1994-95 और 1995-96 के तीसरे प्रतिवेदन पर की-गई-कार्यवाही संबंधी ज्ञापन।

(ख)(एक) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग (खंड 1) का वर्ष 1996-97 और 1997-98 का चौथा प्रतिवेदन।

(दो) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के वर्ष 1996-97 और 1997-98 के चौथे प्रतिवेदन पर की-गई-कार्यवाही संबंधी ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी० 1489/2000]

(2) राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग अधिनियम, 1993 की धारा 12 के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(क)(एक) राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का वर्ष 1994-95 का पहला प्रतिवेदन।

(दो) राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का वर्ष 1994-95 के पहले प्रतिवेदन पर की-गई-कार्यवाही संबंधी ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी० 1490/2000]

(ख)(एक) राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का वर्ष 1995-96 का दूसरा प्रतिवेदन।

(दो) राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के वर्ष 1995-96 के दूसरे प्रतिवेदन पर की-गई-कार्यवाही संबंधी ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 1490-क/2000]

*[हिन्दी]*

**पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी)** : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) भारतीय वन्य जीव संस्थान, देहरादून के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय वन्य जीव संस्थान, देहरादून के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 1491/2000]

*[अनुवाद]*

**विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता)** : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :

विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 की धारा 56 के अंतर्गत केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (परामर्शदाताओं की नियुक्ति) विनियम, 1999, जो 31 दिसम्बर, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा० सं० 1/18(28)/99-सीईआरसी में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी० 1492/2000]

**जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देबेन्द्र प्रधान)** : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 की उपधारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) सा०का०नि० 471(अ) जो 19 अगस्त, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा न्यू मंगलौर पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) संशोधन विनियम, 1997 का अनुमोदन किया गया है।

(दो) सा०का०नि० 724(अ) जो 27 अक्तूबर, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यास कर्मचारी (वेतन और भत्ते)— प्रथम संशोधन विनियम, 1999 का अनुमोदन किया गया है।

(तीन) सा०का०नि० 738(अ) जो 1 नवम्बर, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा न्यू मंगलौर पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) संशोधन विनियम, 1999 का अनुमोदन किया गया है।

(चार) सा०का०नि० 739(अ) जो 1 नवम्बर, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा न्यू मंगलौर पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) संशोधन विनियम, 1999 का अनुमोदन किया गया है।

(पांच) सा०का०नि० 757(अ) जो 5 नवम्बर, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कोचीन पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) संशोधन विनियम, 1999 का अनुमोदन किया गया है।

(छह) सा०का०नि० 2(अ) जो 1 जनवरी, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा मद्रास पत्तन न्यास कर्मचारी (न्यास के अस्पताल में चिकित्सा सेवा और अस्पताल शुल्कों की प्रतिपूर्ति) संशोधन विनियम, 1999 का अनुमोदन किया गया है।

(सात) सा०का०नि० 3(अ) जो 1 जनवरी, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा मद्रास पत्तन न्यास कर्मचारी (छुट्टी) संशोधन विनियम, 1999 का अनुमोदन किया गया है।

(आठ) सा०का०निं० 4(अ) जो 1 जनवरी, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा न्यू मंगलौर पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) संशोधन विनियम, 1999 का अनुमोदन किया गया है।

(नौ) सा०का०नि० 5(अ) जो 1 जनवरी, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कोचीन पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) संशोधन विनियम, 1999 का अनुमोदन किया गया है।

(दस) सा०का०नि० 6(अ) जो 1 जनवरी, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा मार्मुगाओ पत्तन कर्मचारी (अनुपूरक छुट्टी) संशोधन विनियम, 1999 का अनुमोदन किया गया है।

(ग्यारह) सा०का०नि० 10(अ) जो 1 जनवरी, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा न्यू मंगलौर पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) संशोधन विनियम, 1999 का अनुमोदन किया गया है।

(बारह) सा०का०नि० 11(अ) जो 1 जनवरी, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा मुम्बई पत्तन न्यास (शिक्षुओं/प्रशिक्षणार्थियों की भर्ती) संशोधन विनियम, 1999 का अनुमोदन किया गया है।

(तेरह) सा०का०नि० 51(अ) जो 17 जनवरी, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा मद्रास पत्तन न्यास (सामान्य भविष्य निधि) संशोधन विनियम, 2000 का अनुमोदन किया गया है।

(चौदह) सा०का०नि० 71(अ) जो 27 जनवरी, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा मार्मुगाओ पत्तन कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2000 का अनुमोदन किया गया है।

(2) उपर्युक्त मद (1) के (एक) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी० 1493/2000]

(3) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 103 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(क)(एक) जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यास के वर्ष 1998-99 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यास के वर्ष 1998-99 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 1494/2000]

(ख)(एक) मुम्बई पत्तन न्यास के वर्ष 1998-99 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) मुम्बई पत्तन न्यास के वर्ष 1998-99 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 1495/2000]

(5) (एक) कोचीन पत्तन न्यास, कोचीन के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखे।

(दो) कोचीन पत्तन न्यास, कोचीन के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल॰टी॰ 1496/2000]

(7) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) सेन्ट्रल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) सेन्ट्रल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1997-98 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल॰टी॰ 1497/2000]

(9) (एक) भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, नोएडा के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, नोएडा के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल॰टी॰ 1498/2000]

(11) वर्ष 2000-2001 के लिए जल-भूतल परिवहन मंत्रालय की विस्तृत अनुदानों की मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल॰टी॰ 1499/2000]

**योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरूण शौरी)** : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

वर्ष 2000-2001 के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग की विस्तृत अनुदानों की मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल॰टी॰ 1500/2000]

*[हिन्दी]*

**संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :**

(1) वर्ष 2000-2001 के लिए संचार मंत्रालय की विस्तृत अनुदानों की मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल॰टी॰ 1501/2000]

(2) वर्ष 2000-2001 के लिए डाक विभाग की विस्तृत अनुदानों की मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल॰टी॰ 1502/2000]

---

**अपराह्न 12.05 बजे**

*[अनुवाद]*

## सभा की बैठकों से सदस्यों को अनुपस्थिति की अनुमति

**अध्यक्ष महोदय** : सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति द्वारा 10 मार्च, 2000 को प्रस्तुत अपने पहले प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों के अनुसार 5 सदस्यों की सिफारिश की गई है कि निम्नलिखित सदस्यों को उनके नाम के सामने दर्शायी गई अवधि के लिए छुट्टी मंजूर की जाए :

| | | |
|---|---|---|
| (1) | श्री सुनील दत्त | 29 नवम्बर, 1999 से 23 दिसम्बर, 1999 और 23 फरवरी, 2000 से 16 मार्च, 2000 |
| (2) | श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव | 29 नवम्बर, 1999 से 23 दिसम्बर, 1999 |
| (3) | श्रीमती निशा चौधरी | 29 नवम्बर, 1999 से 23 दिसम्बर, 1999 और 23 जनवरी, 2000 से 16 मार्च, 2000 |
| (4) | श्री भास्करराव पाटील | 3 दिसम्बर, 1999 से 17 दिसम्बर, 1999 |
| (5) | श्री प्रभात सामन्तराय | 9 दिसम्बर, 1999 से 23 दिसम्बर, 1999 |

क्या सभा समिति द्वारा ये छुट्टियां मंजूर करने की सिफारिश को स्वीकार करती है?

**अनेक माननीय सदस्य** : जी हां, महोदय।

**अध्यक्ष महोदय** : छुट्टी मंजूर की जाती है। सदस्यों को तदनुरूप सूचित किया जाएगा।

**अध्यक्ष महोदय** : अब श्री जसवन्त सिंह वक्तव्य देंगे।

---

अपराह्न 12.06 बजे

## मंत्री द्वारा वक्तव्य•

### इण्डियन एयरलाइन्स के विमान आई०सी०-814 का अपहरण

*[अनुवाद]*

**विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) :** श्रीमान, मैं श्री जसवंत सिंह की ओर से इस सभा के समक्ष 24 दिसम्बर, 1999 को हुई अपहरण की घटना के सभी सुसंगत पहलुओं को प्रस्तुत कर रहा हूं।

24 दिसम्बर को काठमांडू से दिल्ली आने वाले इंडियन एयरलाइन्स के विमान आई.सी.-814 का भारतीय समय के अनुसार लगभग 16.53 बजे अपहरण कर लिया गया था ... *(व्यवधान)*

**श्री माधवराव सिंधिया** (गुना) : श्रीमान, यह एक महत्वपूर्ण विषय है। इसलिए श्री जसवंत सिंह को इसके बारे में स्वयं वक्तव्य देना चाहिए ... *(व्यवधान)*

**संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) :** वे दूसरी सभा के नेता हैं। उनको वहां आवश्यक कार्य है *(व्यवधान)*

**श्री माधवराव सिंधिया :** उन्हें वह काम कल करना चाहिए, महोदय *(व्यवधान)*

**श्री अजित कुमार पांजा :** महोदय, श्री जसवंत सिंह प्रत्येक दिन इस सभा में वक्तव्य देने के लिए आते रहे हैं ... *(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय :** श्री जसवन्त सिंह इस सभा में वक्तव्य देने के लिए कई बार आए हैं।

*(व्यवधान)*

**श्री माधवराव सिंधिया :** महोदय, इस सभा का सम्मान नहीं कर रहे हैं *(व्यवधान)*

**श्री अजित कुमार पांजा :** श्रीमान, कई दिनों तक, श्री जसवंत सिंह इस सभा में वक्तव्य देने के लिए आते रहे हैं किन्तु हरेक बार इन लोगों ने सभा की कार्यवाही स्थगित करा दी है ... *(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय :** श्री माधवराव सिंधिया, वे इसीलिए वक्तव्य दे रहे हैं क्योंकि यह पहले से ही कार्य सूची में शामिल है।

*(व्यवधान)*

**श्री माधवराव सिंधिया :** कृपया इसे कल करें, महोदय *(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय :** श्री राजेश पायलट, सभा पटल पर पत्र रखे जाने के बाद ही शून्य काल प्रारम्भ हो सकता है। अब वे वक्तव्य दे रहे हैं और यह पहले से ही कार्य सूची में है।

*(व्यवधान)*

•ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1503/2000

*[हिन्दी]*

**श्री मुलायम सिंह यादव** (सम्भल) : अध्यक्ष महोदय, आपने कहा था कि क्वेश्चन ऑवर के बाद आप हमें समय देंगे। ... *(व्यवधान)* अब हमें समय नहीं दिया जा रहा है। ... *(व्यवधान)* हमारी तरफ देखिए।

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय :** वे वक्तव्य दे रहे हैं। जरा धैर्य रखिए।

*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय :** श्री मुलायम सिंह यादव, यह एक महत्वपूर्ण वक्तव्य है, सभा ब्यौरा जानना चाहती है।

*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री मुलायम सिंह यादव :** यह अन्याय हो रहा है। ... *(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय :** यह अन्याय नहीं हो रहा है। बिजनैस चल रहा है।

*(व्यवधान)*

**श्री मुलायम सिंह यादव :** अध्यक्ष महोदय, आप हमारे जैसे को मजबूर कर रहे हैं। ... *(व्यवधान)* हम नहीं चाहते हैं। नहीं, नहीं, यह गलत बात है। ... *(व्यवधान)* आप हमारी परवाह नहीं करेंगे तो यह ठीक नहीं है। ... *(व्यवधान)*। सरकार मनमानी कर रही है लेकिन अगर आप भी मनमानी करेंगे तो ठीक नहीं है। ... *(व्यवधान)* हमारा आपसे अनुरोध है। ... *(व्यवधान)* जब हमें अनुमति दी जाती है और उसके बाद भी हमें बोलने नहीं दिया जाता, यह गलत बात हो रही है। ... *(व्यवधान)* यह क्या बात है? ... *(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय :** मंत्री महोदय के वक्तव्य के अलावा कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं होगा।

*(व्यवधान)•*

अपराह्न 12.08 बजे

*(इस समय श्री रवि प्रकाश वर्मा तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय :** यह ऐसे पत्र हैं जिन्हें पटल पर रखा जाना चाहिए। कृपया इसे समझने की कोशिश करें।

*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**अध्यक्ष महोदय :** आप पहले समझ लें कि जीरो ऑवर अभी तक शुरू नहीं हुआ। यह पेपर्स लेड ऑन दि टेबल चल रहा है।

*(व्यवधान)*

•कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

**अध्यक्ष महोदय :** आपको प्रोसीजर मालूम नहीं है। वैल में आना आपका काम है। आप पहले प्रोसीजर समझ लें। आप अभी बैठ जाइए। पहले आप प्रोसीजर के बारे में समझ लें।

*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय :** जीरो आँवर अभी तक शुरू नहीं हुआ है। आप क्या बोल रहे हैं? यह पेपर्स लेड आँन द टेबल है। आप क्या बोल रहे हैं? आप बैठिए।

*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्यगण, कृपया अपनी-अपनी सीट पर जाएं।

*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**अध्यक्ष महोदय :** आप क्या कर रहे हैं? यह जीरो आँवर नहीं है। आपको प्रोसीजर मालूम नहीं है।

*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय :** यह प्रोसीजर नहीं है। जीरो आँवर इसके बाद में होगा। आप बैठ जाइए। आपको मालूम नहीं है। जीरो आँवर बाद में होगा।

*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय :** माननीय मंत्री महोदय के वक्तव्य के अलावा कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)*•

*[हिन्दी]*

**अध्यक्ष महोदय :** पहले प्रोसीजर समझ लीजिए, बाद में बात करिए। जीरो आवर अभी तक शुरू नहीं हुआ है।

*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय :** मैं आप लोगों से अपील कर रहा हूं।

*(व्यवधान)*

**विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) :** मैं आज इस अवसर पर 24 दिसम्बर, 1999 को हुई अपहरण की घटना के सभी सुसंगत पहलुओं को सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं।

24 दिसम्बर को काठमांडू से दिल्ली आने वाले इंडियन एयरलाइन्स के विमान आई.सी.-814 का भारतीय समय के अनुसार लगभग 16.53 बजे अपहरण कर लिया गया था। एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ए.टी.सी.) दिल्ली को 16.56 बजे इस अपहरण की पहली सूचना मिली, उस समय यह भी सूचित किया गया था कि अपहरणकर्ता विमान को लाहौर ले जाने की मांग कर रहे हैं। लाहौर में विमान को उतारने की अनुमति न मिलने पर अन्त में इसे 19.00 बजे अमृतसर में उतारा गया। अपहरणकर्ताओं ने तुरन्त ईंधन भरे जाने की मांग की। तथापि, अपहरणकर्ताओं द्वारा 19.49 बजे ईंधन भरे बिना और ए.टी.सी. अमृतसर की अनुमति के बिना ही विमान को अमृतसर से उड़ान भरने पर मजबूर कर दिया गया। 20.07 बजे यह लाहौर में उतरा। लाहौर में उतरने की अनुमति तभी मिली जब पायलट ने ए.टी.सी. लाहौर को यह बताया कि विमान में ईंधन समाप्त हो गया है अत: उसे विमान को जबरन उतारना पड़ेगा। लाहौर में विमान में ईंधन भरा गया। 22.32 बजे इसने काबुल के लिए उड़ान भरी। काबुल यह बताए जाने पर कि वहां रात्रि में विमान उतारने की सुविधा नहीं है, इसे दुबई की ओर ले जाया गया और 25 दिसम्बर, 1999 को 01.32 बजे यह वहां एक वायु सेना हवाई अड्डे पर उतरा। हमारे राजदूत जो यू.ए.ई. के प्राधिकारियों से निरन्तर संपर्क रखे हुए थे, दुबई के प्रधान कौंसल के साथ मौजूद थे, हालांकि वे उस समय उड़ान क्षेत्र में नहीं थे। संयुक्त अरब अमीरात और अपहरणकर्ताओं के बीच बातचीत होने के बाद महिलाओं और बच्चों सहित 27 यात्रियों की रिहाई सुनिश्चित की गई। एक यात्री श्री रूपिन कत्याल, जिनकी अपहरणकर्ताओं ने छुरा मार कर पहले ही हत्या कर दी थी, का पार्थिव शरीर भी यहां उतारा गया। नागर विमानन मंत्री एक विशेष विमान में 25 दिसम्बर को इन यात्रियों को अपने साथ लौटा लाए। तत्पश्चात् इस विमान ने 06.20 बजे वहां से उड़ान भरी और यह 25 दिसम्बर, 1999 को 08.33 बजे कंधार हवाई अड्डे पर उतरा। इसके बाद 31 दिसम्बर, 1999 को इस अपहरण का पटाक्षेप होने तक यह विमान कंधार में ही रहा। यात्री और चालक दल, जिन्हें इस अवधि के दौरान बंधक बनाया गया था, उसी दिन शाम को दो विशेष विमानों द्वारा दिल्ली पहुंचे। अपहृत विमान 1 जनवरी, 2000 को 12.22 बजे ही नई दिल्ली पहुंच सका था।

अपहरण के होते ही इस स्थिति से निपटने वाले संस्थागत तंत्र तुरन्त सक्रिय हो गए थे। आने वाली परिस्थिति से निपटने के लिए आपात प्रबंधन दल तथा केन्द्रीय समिति की बैठक हुई। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड कार्य बल को भी पूरी तरह से सतर्क कर दिया गया था और उन्हें तैनाती के लिए तैयार कर दिया गया था। उन्हें मन्त्रिमण्डल तथा सुरक्षा संबंधी मंत्रिमण्डल समिति से अनुदेश एवं निदेश मिले, जिसकी (सीसीएस) बैठक उस शाम को तथा उसके बाद अपहरण का अन्त होने तक नियमित रूप से होती रही।

अपहरण की स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने अपनी प्राथमिकताएं निश्चित कर ली थीं। इनमें (क) अपहरण का यथाशीघ्र अन्त, (ख) यात्रियों, चालक दल और विमान की सुरक्षित वापसी, (ग) राष्ट्रीय सुरक्षा की हिफाजत शामिल थी। अपहरण का पटाक्षेप जिस तरीके से सुनिश्चित किया गया उससे सरकार द्वारा निर्धारित प्राथमिकताएं पूरी हुईं।

विमान के कंधार पहुंचते ही अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय को इस घटना से अवगत कराने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया था। इससे पहले पाकिस्तान के विदेश मंत्री से सहयोग के लिए संपर्क किया गया था। संयुक्त अरब अमीरात स्थित प्राधिकारियों, जैसा पहले ही बता दिया गया है, को भी इस मामले में सहयोग करने के लिए कहा गया था। 25 दिसम्बर को ही पड़ोसी देशों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों और

•कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अपहृत विमान पर सवार राष्ट्रिकों के देशों के अपने समकक्षों के साथ मैंने स्वयं संपर्क किया था। विदेश सचिव ने भी अपने कुछ समकक्षों और नई दिल्ली स्थित राजनयिक मिशनों के प्रमुखों से बातचीत की। इन सभी देशों से सहयोग और समर्थन का वचन मिला था। अपहृत विमान के कंधार पहुंचते ही अफगानिस्तान से संबंधित संयुक्त राष्ट्र मानवीय समन्वयक ने और जिन देशों के राष्ट्रिक विमान पर सवार थे उन्होंने हमारे सुझाव पर अपने विशेष दूत कंधार भेजे।

तत्पश्चात्, कई विदेशी सरकारों द्वारा जारी आधिकारिक वक्तव्यों में भारत के लिए अन्तर्राष्ट्रीय समर्थन और इस अपहरण की निन्दा का विस्तृत उल्लेख किया गया। इनमें यह कहा गया कि आई.सी.-814 का अपहरण निःसंदेह अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद के अवांछनीय कार्य का द्योतक है और भारत सरकार द्वारा की गई किसी भी कार्रवाई को पूरा समर्थन मिलेगा।

चूंकि इण्डियन एयरलाइन्स के विमान आई.सी.-814 ने काठमाण्डू से उड़ान भरी और यह विमान कंधार पहुंचने से पहले लाहौर तथा दुबई उतरा, इस घटना के प्रति नेपाल, पाकिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात के दृष्टिकोण का हवाला देना उपयुक्त होगा। नेपाल की सरकार ने इस घटना के तुरन्त बाद अपहरण के मामले में नेपाल की भूमिका की जांच करने के लिए एक समिति नियुक्त की। हालांकि समिति की रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया है फिर भी त्रिभुवन हवाई अड्डे के कुछ अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई शुरू कर दी गई है, जिसमें विभागीय जांच भी शामिल है। नेपाल की सरकार ने भारत सरकार को यह भी अवगत करा दिया है कि वे त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर प्राथमिकता के आधार पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए आवश्यक सभी अतिरिक्त उपाय कर रहे हैं।

संयुक्त अरब अमीरात के प्राधिकारियों ने शुरू में अपनी अनिच्छा के बाद हवाई अड्डे पर आई.सी.-814 को उतरने की अनुमति देने के बारे में अनुरोध का सकारात्मक जवाब दिया। संयुक्त अरब अमीरात के वरिष्ठ प्राधिकारी तब तक उपस्थित रहे जब तक विमान संयुक्त अरब अमीरात में था। अपहरणकर्ताओं के साथ उनकी मध्यस्थता के परिणामस्वरूप 27 यात्रियों की रिहाई हुई और दिवगंत यात्री का शव प्राप्त हुआ।

पाकिस्तानी प्राधिकारियों ने पहले अनुमति देने से इंकार करने के बाद लाहौर में विमान को उतारने की अनुमति दे दी। सहायता के मेरे अनुरोध पर पाकिस्तान के महामहिम विदेश मंत्री ने अन्य बातों के साथ-साथ, यह बताया कि वे कानून के अनुसार तथा पारदर्शिता से काम करेंगे। मेरे अनुरोध पर हमारे हाई कमिश्नर की इस्लामाबाद से लाहौर की तुरन्त यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए हेलिकाप्टर उपलब्ध कराया गया तथापि इसके उड़ान भरने के पहले ही विमान को 22.32 बजे लाहौर छोड़ने की अनुमति दे दी गई। लाहौर में कप्तान के सुझाव पर अपहरणकर्ताओं ने कुछ महिलाओं, बच्चों और घायल व्यक्तियों को उतारने की पेशकश की। तथापि, ए.टी.सी. लाहौर ने उन्हें स्वीकार करने से इन्कार कर दिया। तब तक किसी यात्री की मृत्यु नहीं हुई थी हालांकि दो यात्रियों को गम्भीर रूप से छुरा घोंपा गया था। जख्मों के कारण श्री रूपिन कत्याल की लाहौर-दुबई मार्ग में मृत्यु हो गई।

अपहृत इण्डियन एयरलाइन्स विमान आई.सी.-814 25 दिसम्बर, को 08.33 बजे कन्धार पहुंचा। इससे यह विमान उन तालिबान प्राधिकारियों के नियंत्रण में आ गया, जिन्हें हम मान्यता नहीं देते हैं और जिनके साथ हमारे कोई आधिकारिक सम्पर्क नहीं हैं। फिर भी, उनके साथ बातचीत करते समय इस कमी को बीच में नहीं आने दिया गया। इस्लामाबाद में हमारे हाई कमीशन तथा उक्त शहर में तालिबान मिशन के बीच ए.टी.सी. चैनल पर तत्काल सम्पर्क स्थापित किए गए।

तालिबान की सैद्धान्तिक स्थिति, पाकिस्तान के साथ उनके घनिष्ठ सम्पर्क, जम्मू तथा कश्मीर के प्रति उनके सार्वजनिक प्रचार परक रूझान तथा कट्टरपंथी संगठनों के प्रति उनके समर्थन को देखते हुए यह अनिवार्य था कि अपहरण के प्रति उनके दृष्टिकोण, अपहरणकर्ताओं और वह सहायता, जो इस घटनाक्रम को समाप्त करने के लिए दी जा सकती है, के बारे में सबसे पहले सही आकलन किया जाए। यह महत्वपूर्ण था कि इस अत्यन्त नाजुक घड़ी में इस संबंध में कोई अव्यवस्था न हो।

आकलन के बाद पहले प्रयास के रूप में इस्लामाबाद स्थित हमारे हाई कमीशन के एक अधिकारी को 27 दिसम्बर की सुबह कन्धार भेजा गया। घटना स्थल से उनकी रिपोर्ट के आधार पर अधिकारियों का एक दल, जिसमें डाक्टर और सहायता कर्मी भी शामिल थे, 27 दिसम्बर की शाम को ही दिल्ली से कन्धार पहुंचा। इस दल के संबंधित अधिकारियों ने कंधार में उपस्थित देशों के प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात की जिसमें विदेश मंत्री वकील अहमत मुत्तवकील सहित संयुक्त राष्ट्र के अधिकारी एवं तालिबान के प्राधिकारी भी शामिल थे। हमारे दल ने विमान की स्थिति, यात्रियों के स्वास्थ्य की दशा तथा बातचीत के उन ब्यौरों के बारे में अद्यतन और विस्तृत जानकारी ली जो उस समय तक तालिबान एवं अपहरणकर्ताओं के बीच हुई थी।

अपहरणकर्ताओं और हमारे अधिकारियों के बीच सीधी बातचीत 27 दिसम्बर की शाम तथा 31 दिसम्बर के बीच हुई। अपहरणकर्ताओं ने शुरू में 10 भारतीय, 5 विदेशी नागरिकों एवं अपनी मर्जी के कुछ अन्य यात्रियों को रिहा करने के बदले में मसूद अजहर को छोड़ने की मांग रखी। थोड़ा-थोड़ा करके मांग करने संबंधी इस प्रस्ताव को सरकार ने एकदम रद्द कर दिया। तालिबान तथा अपहरणकर्ताओं दोनों को यह बता दिया गया कि जब तक औपचारिक, पूर्ण और सुस्पष्ट मांगों के ब्यौरे नहीं मिलते हैं तब तक कोई बातचीत नहीं की जा सकती है। यह उल्लेखनीय है कि तालिबान ने तभी अपहरणकर्ताओं को अपनी पूरी मांगें रखने की सलाह दी। उन्होंने फिर ऐसा ही किया। ये मांगें थीं : (क) भारतीय हिरासत में 36 आतंकवादियों को रिहा करना जिनमें मसूद अजहर भी शामिल है; (ख) सज्जाद अफगानी का ताबूत; और (ग) 200 मिलियन अमरीकी डालर की अदायगी। मेरे द्वारा इन मांगों को सार्वजनिक करने के बाद तालिबान ने अपहरणकर्ताओं को सलाह दी कि पैसे और सज्जाद अफगानी के ताबूत की उनकी मांग इस्लाम विरोधी है। इसलिए अपहरणकर्ताओं ने इन मांगों को छोड़ दिया। उसके बाद आतंकवादियों को रिहा करने की उनकी मांग को भी हमने इस्लाम विरोधी बताया जिसके संबंध में तालिबान ने अपहरणकर्ताओं पर कोई दबाव नहीं डाला।

उसके बाद अपहरणकर्ताओं ने आग्रह किया कि 15 बंधकों तथा उनकी मर्जी के मुताबिक कुछ अन्य बंधकों के बदले में मसूद अजहर को रिहा किया जाए। सरकार ने इसे फिर ठुकरा दिया। अन्त में सभी बंधकों की रिहाई के लिए एक पूरा पैकेज तैयार किया गया। सरकार

[श्री अजित कुमार पांजा]

ने तीन आतंकवादियों अर्थात् मसूद अजहर, मुश्ताक जरगर और ओमर शेख को रिहा किया।

हमने तालिबान को बता दिया था कि चूंकि कंधार उनके क्षेत्राधिकार में है, अत: हम छोड़े गए आतंकवादियों को कंधार हवाई अड्डे पर लाएंगे और तत्पश्चात् वे तालिबान के नियंत्रण में होंगे न कि अपहरणकर्ताओं के। तालिबान को यह भी स्पष्ट तौर पर बताया गया कि हमारी अपेक्षा है कि अपहरणकर्ता तथा छोड़े गए आतंकवादियों, दोनों को, उनके कानून के अनुरूप अपराधी माना जाएगा। तालिबान द्वारा अपहरणकर्ता और छोड़े गए आतंकवादियों को दस घण्टों के भीतर अफगानिस्तान छोड़ने का आदेश देने संबंधी लिया गया निर्णय केवल उनका अपना निर्णय था।

उपयुक्त मध्यस्थ की भूमिका निभाते हुए भी तालिबान प्राधिकारियों की सहानुभूति लगातार अपहरणकर्ताओं और उनके समर्थकों के साथ रही और उन्होंने इसी के अनुसार कार्रवाई की।

अपहरण से जुड़े दो पहलू हैं जिन्हें सार्वजनिक तौर पर उठाया गया है। मैं इन मुद्दों को स्पष्ट करना चाहूंगा। प्रथम मुद्दा अमृतसर की घटनाओं से जुड़ा है तथा दूसरा मेरी कंधार यात्रा से संबंधित।

माननीय सदस्यगण इस तथ्य से अवगत होंगे कि प्रारम्भ में यह ज्ञात नहीं था कि विमान अमृतसर में उतरेगा। निरन्तर यह सूचना मिल रही थी कि अपहरणकर्ता लाहौर जाना चाहते थे। जब विमान अमृतसर में उतरा, उस समय भी अपहरणकर्ताओं की संख्या, उनकी राष्ट्रीयता, उनके हथियार, पेशे और प्रतिबद्धता के संबंध में बहुत कम जानकारी उपलब्ध थी और जो जानकारी थी वह भी अनुमान पर आधारित थी। दूसरी ओर, अपहृत विमान से प्राप्त हो रहे संदेश निरंतर तनावपूर्ण और चुनौतीपूर्ण होते जा रहे थे। विमान चालक ने तब सूचित किया कि अपहरणकर्ताओं ने उसे बताया है कि चार यात्रियों को मारा जा चुका है, और अपहरणकर्ताओं के पास पिस्तौल, ग्रेनेड, सब कुछ है। यह सूचना भी प्राप्त हुई थी कि कुछ यात्रियों को "जे" क्लास सेक्शन में लाया गया है, उनके हाथ बंधे हैं और यह कि उनको मार दिया जाएगा। यद्यपि हम आंक चुके थे कि ऐसे संदेश दबाव में आकर दिए जा सकते हैं, फिर भी उस समय इन संदेशों की स्पष्ट रूप से सत्यता स्थापित करने का कोई उपाय नहीं था। सही सूचना के अभाव में हड़बड़ी में की गई कार्रवाई जोखिम पूर्ण हो सकती थी। इस स्थिति में कोई बातचीत करना संभव नहीं था क्योंकि अपहरणकर्ताओं ने तब तक ईंधन भरने के अतिरिक्त अपनी कोई मांग नहीं बताई थी। अमृतसर में विमान उतरने से पूर्व ही प्राधिकारियों ने राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड को कार्रवाई के लिए दिल्ली में तैयार कर दिया था और अधिकारियों को विमान में ईंधन भरने में यथासंभव देरी लगाने के अनुदेश दिए गए थे। बाउजर को अन्य बातों के साथ-साथ इस उद्देश्य से भी भेजा गया था कि वह विमान को रोक सके, परन्तु जब यह बाउजर लगभग 300 गज दूर था, विमान उड़ गया। यह भी उल्लेखनीय है कि कुछ क्षणों को छोड़कर विमान जितने समय तक अमृतसर में रहा उसके इंजन पूरे समय तक चालू रहे तथा विमान अपनी स्थिति बदलता रहा।

मैंने यह सुनिश्चित करने के लिए कंधार की यात्रा करने का निर्णय लिया था कि अपहरण की घटना का पटाक्षेप करने तथा यात्रियों एवं चालक दल के सदस्यों की निर्विघ्न रिहाई एवं उनकी सुरक्षित वापसी के लिए यदि अंतिम क्षणों में कोई बाधा हो तो उससे निबटने के लिए तत्काल निर्णय लिया जा सके। मेरा मानना है कि कंधार में तथा बंधकों को वापस लाने वाले विमान में मेरी उपस्थिति, ने उन सभी रिहा किए गए उन सभी यात्रियों को सांत्वना प्रदान की जो एक सप्ताह से अधिक समय से बन्दी थे। कंधार हवाई अड्डे पर सीमित आधारभूत सुविधाएं होने तथा साथ ही साथ और अधिक विमान उतारने में उसकी असमर्थता के कारण मुझे उसी विमान से जाना पड़ा जिसमें तीन आतंकवादी गए थे।

अपहरण की इस घटना से एक बार फिर भारत के विरुद्ध आतंकवादी गतिविधियों में पाकिस्तान तथा उसके द्वारा संरक्षित एवं समर्थित संगठनों की मिलीभगत उजागर हुई है। माननीय सदस्यगण यह गौर करेंगे कि भारतीय प्राधिकारियों की जांच के बाद पुलिस ने मुम्बई में पाकिस्तान की इन्टर सर्विसेज इंटेलिजेंस एजेंसी के चार कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। चारों, जिनमें से दो पाकिस्तानी राष्ट्रिक थे, हरकत-उल-मुजाहिदीन से संबद्ध हैं। उनसे पूछताछ से यह स्पष्ट हो गया है कि अपहरण की यह योजना पाकिस्तान की आई.एस.आई. ने 'हरकत' की सहायता से तैयार की थी। यह भी खुलासा हुआ कि पांचों अपहरणकर्ता भी पाकिस्तानी थे। यह विश्वास किया जाता है कि अपहरणकर्ता अब पाकिस्तान में हैं। गृह मंत्रालय ने इसकी जांच कराने के आदेश दिए हैं और सी.बी.आई. को अपहरण मामले की जांच का काम सौंपा गया है।

सरकार ने अपहरण के मामले में पाकिस्तान की भूमिका के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय को अवगत कराया है। सरकार ने पाकिस्तान की सरकार के साथ मामला उठाया है तथा अपहरण मामले में उनके राष्ट्रिकों की संलिप्तता के साक्ष्य उन्हें उपलब्ध कराए हैं। सरकार ने पाकिस्तान की सरकार को यह याद दिलाया है कि चूंकि उन्होंने आतंकवाद विरोधी बहुत से अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमयों, 1972 के शिमला समझौते एवं लाहौर घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं अत: अपहरणकर्ताओं को बंदी बनाकर भारत में प्रत्यर्पित करना उनकी अन्तर्राष्ट्रीय बाध्यकारिता है। पाकिस्तान की सरकार ने अपने प्रत्युत्तर में अपनी सामान्य स्थिति दोहराई है कि वे अपने क्षेत्र में अथवा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर क्षेत्र में पाए गए ऐसे किसी भी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को गिरफ्तार करके उन पर मुकदमा चलाएंगे जिन पर अपहरण से संबंधित ऐसे अपराध करने का संदेह होगा। चूंकि उन्होंने इसके साथ-साथ हमारी कार्यवाही को अस्वीकार कर दिया है, पाकिस्तान की सामान्य वचनबद्धता का आकलन उसी अनुसार किया जाना चाहिए।

सरकार ने यह मामला अन्तर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन के साथ इस दृष्टि से भी उठाया है ताकि अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार करके भारत को प्रत्यर्पित करने के उपयुक्त कदम उठाने की आवश्यकता को इसके सदस्य देशों के ध्यान में लाया जा सके।

आई.सी.-814 के अपहरण की घटना ने आतंकवाद के खतरों का मुकाबला करने के हमारे संकल्प को और अधिक मजबूत बनाया है। किसी को भी हमारे दृढ़ निश्चय पर संदेह नहीं करना चाहिए। इससे हवाई अड्डों की सुरक्षा सहित हमारी अन्य सुरक्षा व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने की आवश्यकता को बल मिला है। इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई पहले ही प्रारम्भ कर दी गई है।

माननीय सदस्यगण मुझे यह भी कहने की अनुमति देंगे कि आई.सी.-814 का अपहरण नितांत पेशेवर और जटिल मामला था, और

इस स्थिति से निपटने के लिए सम्भवतः कंधार हमारे लिए अत्यन्त प्रतिकूल स्थान था, और अपहरणकर्ताओं, तालिबान, हरकत-उल-मुजाहिदीन एवं आई.एस.आई. के त्रिकोणीय समन्वयन के कारण यह अत्यधिक चुनौतीपूर्ण कार्य था।

जिस तरह से अपहरण की इस घटना का अन्त हुआ वह अत्यन्त प्रतिकूल परिस्थितियों में सर्वोत्तम विकल्प था।

---

**अपराह्न 12.13 बजे**

## कार्य मंत्रणा समिति के पांचवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

*[अनुवाद]*

**संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन)** : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा 10 मार्च, 2000 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के पांचवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा 10 मार्च, 2000 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के पांचवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

---

**अपराह्न 12.14 बजे**

## अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1999-2000

*[अनुवाद]*

**वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा)** : महोदय, मैं वर्ष 1999-2000 के बजट (सामान्य) के सम्बन्ध में अनुपूरक अनुदानों की मांगों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल॰टी॰ 1504/2000]

---

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : अब शून्य काल शुरू होगा। श्री हरीभाऊ शंकर महाले बोलें।

*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**अध्यक्ष महोदय** : आप बैठ जाइए। आपको मौका देंगे। आप अपनी जगह पर जाइए। अभी जीरो आवर शुरू हो रहा है। आप बैठ जाइए।

*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : आप बैठ जाइए। आपको मौका देंगे।

*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : आप कृपया अपने स्थान पर जाएं। आप अध्यक्ष महोदय के आसन के समीप से मामले नहीं उठा सकते। कृपया अपने स्थान पर जाएं।

*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)*•

*[हिन्दी]*

**अध्यक्ष महोदय** : टीवी स्विच-आफ करें।

*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : पहले आप बैठ जाइए। इधर से आप नहीं बोल सकते हैं, आप अपनी सीट पर जाकर बोलिए।

*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : अब मैं नाम पुकारता हूं। कृपया अपने स्थान पर जाएं। मैं आपको बुलाऊंगा।

**अपराह्न 12.16 बजे**

*(इस समय श्री रवि प्रकाश वर्मा तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने स्थान पर वापस चले गए)*

*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : कृपया समझें कि गत दो सप्ताह से शून्य काल नहीं चला है। आज भी चौदह सदस्यों ने नोटिस दिया है।

*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**अध्यक्ष महोदय** : हम सबको बुलाएंगे।

*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : कृपया मेरा सहयोग करें।

*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : आप अध्यक्ष को बाध्य नहीं कर सकते कि वो आपको बोलने की अनुमति दे। कृपया बात को समझें।

*(व्यवधान)*

---

•कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*[हिन्दी]*

**श्री अनंत गंगाराम गीते** (रत्नागिरि) : महोदय, मैं ठाकरे जी और उनके परिवार की सुरक्षा के मामले में कहना चाहता हूं। उनको देश के अंदर सबसे बड़ा खतरा है।... *(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : नहीं। मैं आपका नाम पुकारूंगा। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। मैं आपको अनुमति दूंगा।

*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : मैं आपको मौका दूंगा।

*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री अनंत गंगाराम गीते** : महाराष्ट्र की सरकार ने बदले की भावना से ठाकरे और उनके परिवार की सुरक्षा कम की है। उनको देश के अन्दर सबसे ज्यादा खतरा है।... *(व्यवधान)* सदन में गृह मंत्री जी ने कहा था कि उनकी सुरक्षा कम नहीं की जाएगी।... *(व्यवधान)* उनको आई.एस.आई. और इंटरनेशनल आतंकवादियों से खतरा है।... *(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : कृपया मुझे सुनें। मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं आपको मौका दूंगा। कृपया समझें। यह क्या है? बिना अध्यक्ष की अनुमति के आप कैसे बोल सकते हैं?

*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं आपको बोलने की अनुमति दूंगा। बिना अध्यक्ष की अनुमति के आप कैसे बोल सकते हैं?

*[हिन्दी]*

**श्री अनंत गंगाराम गीते** : आप परमिशन दीजिए।

**अध्यक्ष महोदय** : हम बाद में आपको परमिशन देंगे।

**श्री अनंत गंगाराम गीते** : आप हमें भी परमिशन दीजिए।

**अध्यक्ष महोदय** : आपको परमिशन देंगे।

**श्री मुलायम सिंह यादव** : अध्यक्ष महोदय, आपने बड़ी मुश्किल से कृपा की कि हमें बोलने का मौका दिया। हमें कोई खुशी नहीं है कि आर.एस.एस. की गतिविधियों पर चर्चा हो, हमारी थोड़ी-सी थोड़े शब्दों में मांग है। 52 साल की आजादी के बाद हम इस विषय पर चर्चा करें कि साम्प्रदायिक शक्तियों पर कैसे रोक लगे, यह कोई अच्छा नहीं लगता, लेकिन आज देश के सामने मजबूरी है। जब संविधान बना था तो संविधान निर्माताओं ने प्रतिज्ञा की थी कि सार्वभौमिक, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना की जाएगी। आज उसी पर सीधा हमला हो रहा है और यह आर.एस.एस. के माध्यम से हो रहा है। आज बिहार में भी *(व्यवधान)*

**श्री मदन लाल खुराना** (दिल्ली सदर) : महोदय, मेरा प्वाइंट ऑफ आर्डर है।

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : मैंने उनको मौका दिया है।

*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**अध्यक्ष महोदय** : मैंने उनको मौका दिया है। खुराना जी, आप बाद में बोल सकते हैं।

**श्री मदन लाल खुराना** : महोदय, ये अपनी बात कह देते हैं और जब दूसरा कोई बोलने के लिए खड़ा होता है तो उसकी बात नहीं सुनते हैं।... *(व्यवधान)* पिछले 15 दिन से यही हो रहा है। ये अपनी बात कह देते हैं और दूसरे की बात नहीं सुनते हैं। मैंने उस दिन भी कहा था कि ये गारंटी दें कि हमारी बात भी सुनेंगे।... *(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : खुराना जी, हमने मुलायम सिंह जी को एलाऊ किया है, आप इनके बाद बोल सकते हैं।

**श्री मदन लाल खुराना** : महोदय, यह बोलने के बाद हमारी बात भी सुनेंगे।

**अध्यक्ष महोदय** : आप इनके बाद बोल सकते हैं।

**श्री मदन लाल खुराना** : महोदय, मेरा प्वाइंट ऑफ आर्डर है। आर.एस.एस. का विषय हाउस में कितने दिन तक चलेगा?... *(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : खुराना जी, जीरो आवर में प्वाइंट ऑफ आर्डर नहीं होता। इनके बाद आप भी बोल सकते हैं।

**श्री मदन लाल खुराना** : 23 तारीख से जीरो आवर हो रहा है।... *(व्यवधान)* महोदय, मेरा यह कहना है कि बजट सत्र में तीन विषयों पर सबसे पहले चर्चा होती है—राष्ट्रपति का अभिभाषण, रेलवे बजट और जनरल बजट।... *(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : कृपया, बैठ जाइए।

*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री मदन लाल खुराना** : इतने दिन बीत गए हैं, इनमें से किसी पर भी चर्चा नहीं हुई है।... *(व्यवधान)* महोदय, बिजनेस एडवायजरी कमेटी की मीटिंग बुलाकर तय कर लीजिए कि किन विषयों पर चर्चा करानी है।... *(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : खुराना जी, आप मुलायम सिंह जी के बाद बोल सकते हैं।

*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**श्री वैको** (शिवकाशी) : महोदय, मैं विनम्र निवेदन करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, मुझे आपका संरक्षण चाहिए। महोदय, मेरा विनम्र अनुरोध है।

**अध्यक्ष महोदय** : श्री वैको कृपया बैठ जाइए।

**श्री वैको** : महोदय, कृपया मुझे केवल एक मिनट का समय दें।

**अध्यक्ष महोदय** : श्री वैको, आप प्रक्रिया के बारे में भलीभांति जानते हैं। जब पीठासीन अधिकारी ने श्री मुलायम सिंह यादव को अनुमति दी है तो आप किस प्रकार व्यवधान डाल सकते हैं?

**श्री वैको** : श्री मुलायम सिंह यादव के भाषण पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मेरा एक विनम्र अनुरोध है मैं उनके भाषण पर आपत्ति नहीं कर रहा हूं। हम उन्हें सुनने को तैयार हैं। महोदय, हम "शून्य काल" में मुद्दे उठाने के प्रयोजन से नोटिस देने के लिए बहुत परिश्रम करते हैं।

**अध्यक्ष महोदय** : उनके बाद, आप जो कहना चाहते हैं कह सकते हैं।

**श्री वैको** : पिछले 15 दिनों से लगातार हम शून्य काल में मुद्दा उठाने के लिए नोटिस दे रहे हैं किन्तु हमें अनुमति नहीं दी गई है।

**अध्यक्ष महोदय** : मैं आपको उनके बाद बोलने की अनुमति दूंगा।

**श्री वैको** : हमें इस सभा में अपने अधिकारों से वंचित रखा गया है।

*[हिन्दी]*

**अध्यक्ष महोदय** : मुलायम सिंह जी, आप चेयर की ओर से अपने मैम्बर्स को बोल दीजिए कि बार-बार वैल में आना अच्छा नहीं है।

**श्री विनय कटियार** (फैजाबाद) : सर, उन्होंने क्या इस पर बोलने के लिए नोटिस दिया है, अगर नोटिस नहीं दिया है तो उन्हें बोलने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। ... *(व्यवधान)* ये रक्षा मंत्री रह चुके हैं। ... *(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य, आप कृपया बैठ जाइए।

*[हिन्दी]*

**श्री मोहन रावले** (मुम्बई दक्षिण-मध्य) : अध्यक्ष जी, क्या बिना नोटिस के मैम्बर ऑफ पार्लियामेंट इस तरह से बोल सकता है?

**श्री विनय कटियार** : अध्यक्ष महोदय, हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या बिना नोटिस के कोई मैम्बर बोल सकता है।

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : श्री स्वैन, श्री कटियार, बहुत हो गया, कृपया बैठ जाइए। यह आपका काम नहीं है, कृपया आप बैठ जाइए।

*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : यह आपका काम नहीं है। कृपया बैठ जाइए। यह आपका काम नहीं है।

*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : श्री कटियार, बहुत हो गया; यह आपका काम नहीं है, कृपया बैठ जाइए।

*[हिन्दी]*

**श्री मुलायम सिंह यादव** : अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का लक्ष्य इस देश को हिन्दू राष्ट्र घोषित करना है। ... *(व्यवधान)* अभी पॉल्यूशन के बारे में चर्चा हो रही थी। हमारे जो गरीब लोग हैं, उनके लिए शौचालय का प्रबंध नहीं है, उसकी बात होनी चाहिए, किसान की बात होनी चाहिए, मजदूर की बात होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि पूरा का पूरा संविधान रद्द करके दुबारा संविधान बनाया जाए। ... *(व्यवधान)* यह संविधान अंग्रेजी मानसिकता का है। क्या महात्मा गांधी, पंडित जवाहर लाल नेहरू, डा. राजेन्द्र प्रसाद की मानसिकता अंग्रेजों की थी? अगर किसी की थी तो आर.एस.एस. की थी जिन्होंने आजादी की लड़ाई में गांधी जी का विरोध किया था। गृह मंत्री जी यहां हैं प्रधान मंत्री जी नहीं हैं। ... *(व्यवधान)*

**श्री साहिब सिंह** (बाहरी दिल्ली) : यह आर.एस.एस. पर आरोप लगा रहे हैं लेकिन ये खुद ही देश में साम्प्रदायिकता पैदा करना चाहते हैं। ... *(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन)** : महोदय, क्या वे पूरे विषय की चर्चा यहीं पर करेंगे ... *(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : साहिब सिंह जी, कृपया चेयर से सहयोग करें।

*[हिन्दी]*

**श्री मुलायम सिंह यादव** : मैं पूछना चाहता हूं कि अगर मुसलमान युवक-युवतियां आपस में शादी करें तो क्या पाप है? ... *(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

*[हिन्दी]*

**अध्यक्ष महोदय** : मुलायम सिंह जी, आपने जो नोटिस दिया है वह बात आप कह चुके, वह नोटिस अब इन्फ्रक्चुअस हो गया है। आप अपनी बात को अब कैसे रिपीट कर सकते हैं।

**श्री मुलायम सिंह यादव** : अध्यक्ष जी, हम पूरी बात कहना चाहते हैं, आप हमें बोलने नहीं दे रहे हैं।

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : यदि आप इस मुद्दे पर चर्चा करना चाहते हैं तो आपको फिर से नोटिस देना होगा, क्योंकि यह नोटिस निष्फल हो गया है।

*[हिन्दी]*

**श्री मुलायम सिंह यादव** : अध्यक्ष महोदय, मैं खत्म करने वाला हूं और यह मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। इस पर बहस होनी चाहिए और देश के सामने यह बात आनी चाहिए। यह इनकी कार्य शैली बन गई है। गुजरात के बाद अब उत्तर प्रदेश में यह होने जा रहा है। वहां धार्मिक स्थल कानून बनने जा रहा है। इसलिए बिहार के राज्यपाल का आचरण भी ऐसा है ... *(व्यवधान)* हमें इस बात पर सोचना पड़ेगा कि आर.एस.एस. के लोगों को उच्च पदों पर रहने का हक होगा और क्या राज्यपाल संघ परिवार के होंगे? ये संघ परिवार से जुड़े लोग हैं। इसलिए बिहार के राज्यपाल ने ऐसा काम किया जो असंवैधानिक था। ऐसे राज्यपाल को बर्खास्त करना चाहिए। ... *(व्यवधान)* अध्यक्ष महोदय, यह मानसिकता है। इस मानसिकता के खिलाफ लड़ाई लड़ना बड़ा मुश्किल काम है। इसलिए हम चाहते हैं ... *(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : मुलायम सिंह जी, राज्यपाल के बारे में चर्चा करने के लिए सैपरेट नोटिस चाहिए और सबस्टैंटिव नोटिस चाहिए। आप बिना नोटिस दिए इसे नहीं उठा सकते।

**श्री मुलायम सिंह यादव** : यह लम्बित है।

**अध्यक्ष महोदय** : ऐसा कोई नोटिस नहीं है।

*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : आपने जो भी नोटिस दिया है, वह निष्फल हो गया है। आपको यह समझना चाहिए।

*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री मुलायम सिंह यादव** : इस सवाल को लेकर एक फर्जी केस बनाया गया था और कहा गया कि इसमें आई.एस.आई. का हाथ है। इसके बाद एक अदालत के माध्यम से इसकी जांच कराई गई ... *(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**श्री वैको** : महोदय, आपको कम से कम प्रकिया अपनानी चाहिए *(व्यवधान)* आप नहीं दे सकते ... *(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : श्री खुराना जो कह रहे हैं, उसके अतिरिक्त कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)*•

•कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

*[हिन्दी]*

**श्री मुलायम सिंह यादव** : मेरी मांग है कि इस विषय पर बहस करने के लिए तारीख और समय तय किया जाए। ... *(व्यवधान)*

**श्री मदन लाल खुराना** : अध्यक्ष महोदय, हम 23 तारीख से हाउस में देख रहे हैं ... *(व्यवधान)* मेरा इतना ही कहना है कि आप चाहे जिस विषय पर बहस करवाएं। हमें उसमें कोई एतराज नहीं है। ... *(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**श्री वैको** : यदि अवसर लेने के लिए हमें चिल्लाना पड़ता है तो हम भी इस सभा में चिल्ला सकते हैं ... *(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : कार्यवाही वृत्तान्त में श्री खुराना जी जो कुछ कह रहे हैं, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं शामिल किया जाएगा।

*(व्यवधान)*•

*[हिन्दी]*

**श्री मदन लाल खुराना** : अध्यक्ष महोदय, मैं उस दिन भी कह रहा था कि इस सदन के अन्दर जो कुछ हो रहा है, उसमें ये लोग अपनी बात पांच-दस मिनट में कह देते हैं, लेकिन उसके बाद जवाब देने का समय आता है तो हमारी बात सुनते नहीं हैं और हाउस एडजर्न करवा देते हैं। ... *(व्यवधान)* मुझे याद है जब हम छोटे बच्चे होते थे तो स्कूल में क्रिकेट खेलते थे। एक पहलवान आकर कहता था कि पहले मुझे खिलाओ, वरना किसी को खेलने नहीं दूंगा। हम कहते थे कि पहले फील्डिंग कर लो, बाद में बैटिंग कर लेना। उसकी बात न मानने पर वह गिल्लियां उठा कर ले जाता था और खेलने नहीं देता था। इनकी हालत भी वैसी हो गई है। यह चाहते हैं कि जैसा वे चाहें, वैसे हाउस चले, वरना हम हाउस नहीं चलने देंगे। पिछले कई दिनों से यही कुछ हो रहा है। संविधान और संसदीय नियमों के अनुसार बजट सैशन में तीन मुख्य मुद्दे होते हैं—पहला राष्ट्रपति जी का अभिभाषण, दूसरा रेल बजट और तीसरा आम बजट। 23 तारीख से सदन शुरू हुआ। इतने दिन हो गए हैं लेकिन आज तक इन तीनों में से किसी भी विषय पर बहस शुरू नहीं हो पाई। केवल चार दिन शेष रह गए हैं। ... *(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : मैंने श्री खुराना को अनुमति दी है।

*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : जो कुछ श्री खुराना जी कह रहे हैं, उसके अतिरिक्त कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

*[हिन्दी]*

**श्री मदन लाल खुराना** : यह देश की समस्याओं को रखने के अगर इच्छुक हैं तो चर्चा के दौरान अपनी बात रख सकते हैं। इनके सामने केवल दो विषय हैं—एक आर.एस.एस. इशू और दूसरा बिहार

•कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

इशू। हम इस पर चर्चा करने से डरते नहीं हैं। आप अपने कमरे में बैठक बुला कर इन पर चर्चा करवा सकते हैं। आपने नियम 193 के अधीन इस पर चर्चा करने की इजाजत दी लेकिन कहने लगे कि इस पर नियम 184 के अधीन चर्चा करायी जाए। प्रधान मंत्री ने कहा कि हम नियम 184 के अन्तर्गत इस पर चर्चा करने को तैयार हैं। ऐसे में ये फिर पीछे हट गए।

अब ये कहते हैं कि नियम 184 में लो। लेकिन जैसा ये चाहेंगे, जैसा ये करेंगे, अब यह नहीं होगा। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि चाहे आर.एस.एस. का मुद्दा हो, चाहे कोई और मुद्दा हो, आप इनको अपने कमरे में बुला लें और इनको क्या चाहिए, यदि आपने इनको अनुमति देनी हो तो दें। यह आपका अधिकार है। मेरा आपके माध्यम से इन से निवेदन है कि अब हाउस चलने दें क्योंकि चार दिन रह गए हैं, यह ऑब्लिगेटरी काम है जो इस हाउस को चलने दें। *(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : श्री गीते जो कह रहे हैं, उसके अतिरिक्त कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

**श्री अनंत गंगाराम गीते** : अध्यक्ष जी, शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे और उनके परिवार की सुरक्षा महाराष्ट्र सरकार ने की है। आज यदि सारे हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा खतरा किसी को है तो वह शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे और उनके परिवार को है। उनको खतरा आतंकवादियों से है, उनको खतरा आई.एस.आई. से है *(व्यवधान)*। अध्यक्ष जी, जो अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद है, उससे उनको और उनके परिवार को खतरा है। हमने इस सदन के अन्दर यह मांग की थी कि शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे और उनके परिवार की सुरक्षा कम नहीं होनी चाहिए। इस सदन के अन्दर हमारे गृह मंत्री जी ने बयान दिया था कि हमें महाराष्ट्र सरकार ने बताया है कि बाला साहेब और उनके परिवार की सुरक्षा कम नहीं की गई है लेकिन अध्यक्ष जी, इस सदन के अंदर दिया गया बयान असत्य है, जो महाराष्ट्र सरकार ने बताया। जबकि सत्य यह है कि महाराष्ट्र सरकार ने बाला साहेब ठाकरे और उनके परिवार की सुरक्षा बिलकुल कम कर दी है। हमने गृह मंत्री जी से मांग की है और प्रधान मंत्री जी से कहा है कि शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे और उनके परिवार की सुरक्षा का मामला केवल राज्य सरकार का मामला नहीं। यह भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि उन्हें उनकी सुरक्षा का पूरा इन्तजाम करना चाहिए। अध्यक्ष जी, यहां माननीय गृह मंत्री जी बैठे हुए हैं, हमने उनसे मांग की है *(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : पीठासीन अधिकारी सरकार को उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। यदि सरकार चाहे तो जवाब दे सकती है।

*[हिन्दी]*

**श्री अनंत गंगाराम गीते** : अध्यक्ष जी, कोई सरकार बदलने पर किसी की जान का खतरा कम नहीं होता। जो धमकियां बाला साहेब को आ रही हैं *(व्यवधान)* अध्यक्ष जी, समाजवादी पार्टी की मुम्बई शाखा के अध्यक्ष, जिन्होंने एक आम सभा के अंदर बयान दिया है

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : क्या सरकार कुछ कहना चाहेगी।

*[हिन्दी]*

**श्री अनंत गंगाराम गीते** : अध्यक्ष जी, बयान दिया गया है कि बाला साहेब के घर पर आकर उनकी गर्दन पकड़ेंगे। अध्यक्ष जी, इस तरह का बयान दिया गया है

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : श्री गीते जी, आपने सरकार से जवाब देने को कहा है और जब मंत्री उत्तर देने को तैयार हैं तो आप उन्हें जवाब नहीं देने दे रहे हैं।

*[हिन्दी]*

**श्री अनंत गंगाराम गीते** : अध्यक्ष जी, जो आदमी आम सभा में इस तरह का बयान देता है, उसके संदर्भ में माननीय होम मिनिस्टर *(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : आप बैठ जाएं, प्लीज।

**श्री अनंत गंगाराम गीते** : अध्यक्ष जी, जो कहते हैं कि चाहे इस देश के टुकड़े-टुकड़े हो जाएं, माननीय गृह मंत्री जी इस संदर्भ में थोड़ा खुलासा करें *(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : कृपया बैठ जाइए। श्री रावले बहुत हो गया। जब मंत्री जी जवाब देने को खड़े हैं तो आपको नहीं बोलना चाहिए।

*[हिन्दी]*

**श्री मुलायम सिंह यादव** : अध्यक्ष जी, ये बार-बार उठ कर खड़े हो रहे हैं।

**अध्यक्ष महोदय** : यदि वे खड़े हैं तो आप क्यों खड़े हो रहे हैं?

**श्री अनंत गंगाराम गीते** : हम उनके खतरे के बारे में बोल रहे हैं।

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : मंत्री जी बोलने के लिए खड़े हैं। आप समझते क्यों नहीं? क्या बात है?

*[हिन्दी]*

**गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी)** : अध्यक्ष जी, शिवसेना प्रमुख श्री बाला साहेब ठाकरे के संदर्भ में शिवसेना के सांसद मुझसे मिले थे और उन्होंने मुझे बताया कि उनकी सुरक्षा का जो प्रबंध था, उसमें कटौती की गई है। मैंने उसके बाद महाराष्ट्र सरकार से जानकारी प्राप्त की है। उनका कहना है कि बाला साहेब की सुरक्षा का प्रबंध जैड + सिक्यूरिटी के अनुसार होता है और आज भी जैड + सिक्यूरिटी है। मैंने उनसे पूछा कि पहले क्या व्यवस्था थी और आज क्या व्यवस्था है, क्या उसमें कटौती हुई है तो उन्होंने यह कहा, तथ्य अभी भेजे नहीं

[श्री लालकृष्ण आडवाणी]

हैं। मैंने मांग की है कि वह क्या है, मुझे बताएं। अभी तक इतना ही कहा है कि जैड + सिक्यूरिटी थी और अब भी जैड + सिक्यूरिटी है लेकिन उसके बाद के जो डिटेल्ज हैं, वे भेजने वाले हैं। *(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : अब आप बैठ जाएं।

*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : श्री सिंधिया जी, जो कुछ कह रहे हैं, उसके अतिरिक्त कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ नहीं शामिल किया जाएगा।

*(व्यवधान)*•

*[हिन्दी]*

**श्री लाल कृष्ण आडवाणी** : अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में जो आवश्यक होगा, वह किया जाएगा, लेकिन महाराष्ट्र सरकार को कहा गया है कि सुरक्षा का पूरा प्रबंध करें। *(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : श्री माधवराव सिंधिया।

*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : श्री मोहन रावले, यह क्या हो रहा है? माननीय गृह मंत्री जी ने पहले ही इसका जवाब दे दिया है। कृपया बैठ जाइए।

*(व्यवधान)*

**श्री वैको** : महोदय, क्या हम पीड़ित रहेंगे? *(व्यवधान)* आपने शून्य काल से संबंधित विषयों को उठाने की अनुमति दे दी है। *(व्यवधान)* ऐसा लगता है कि जब तक हम शोर नहीं मचाएंगे तब तक हमें अवसर नहीं मिलेगा।

**अध्यक्ष महोदय** : श्री वैको, मैं आपको भी बोलने का मौका दूंगा। कृपया बैठ जाइए।

**श्री वैको** : महोदय, मेरा एक निवेदन है *(व्यवधान)* क्या हमें अपने मूल अधिकारों से वंचित रखा जाना चाहिए? *(व्यवधान)* हर बार वे बोल रहे हैं। क्या उन्हें एकाधिकार बनाए रखने और अन्य सदस्यों को नहीं बोलने देने का हक मिला हुआ है *(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : श्री वैको, समझने की कोशिश करिए।

*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : आजकल सदन में कोई भी सदस्य प्रक्रिया नहीं अपना रहा है।

*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री विजय गोयल** (चांदनी चौक) : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक प्रिविलेज नोटिस दिया है। उसका क्या हुआ? *(व्यवधान)*

•कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

*[अनुवाद]*

**श्री वैको** : सभी बराबर हैं, महोदय *(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : श्री रामदास आठवले, आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। मैंने आपको नहीं बुलाया है। बस अब बहुत हो गया।

*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : श्री रामदास आठवले, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप कृपया बैठ जाइए। पीठासीन अधिकारी की अनुमति के बिना आप कैसे बोल सकते हैं?

*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : मैंने श्री माधवराव सिंधिया को बुलाया है।

*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री विजय गोयल** : अध्यक्ष महोदय, संसद के नियमों के अनुसार सबसे पहले प्रिविलेज नोटिस आना चाहिए *(व्यवधान)* आप मुझे कुछ आश्वासन तो दीजिए। *(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : आप सब लोग भी चेयर को आश्वासन दीजिए।

*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य, सभा का समय बर्बाद नहीं करें।

*(व्यवधान)*

**श्री वैको** : हर बार वे व्यवधान डाल रहे हैं *(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : अब आप भी वही कर रहे हैं।

**श्री वैको** : जी, नहीं। महोदय, मैं ऐसा नहीं कर रहा। मैंने ऐसा नहीं किया ।

**अध्यक्ष महोदय** : मैंने अब माधवराव सिंधिया को बुलाया है उन्हें ही बोलने दीजिए।

*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री विजय गोयल** : अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रिविलेज मोशन के लिए नोटिस दिया है *(व्यवधान)*

**श्री श्रीप्रकाश जायसवाल** (कानपुर) : अध्यक्ष महोदय, यह क्या कायदा है? आपने हमारे डिप्टी लीडर को बुलाया है और वहां से सदस्य बीच में बोल रहे हैं *(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : श्री विजय गोयल, कृपया। मुझे इसकी जांच कर लेने दीजिए, मैंने आपका विशेषाधिकार प्रस्ताव नहीं देखा है।

*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

**श्री माधवराव सिंधिया :** माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले कुछ दिनों में संसद में जो घटनाएं घटीं, उनका एक बुनियादी कारण था। अभी मदन लाल खुराना जी ने अपने विचार प्रस्तुत किए। जो बातें सदन में हुईं, उनमें विपक्षी दलों द्वारा पूर्ण एकता थी, वे एक सूत्र में बंधे हुए थे वह इसलिए हुआ कि जो कार्रवाई करने का प्रयत्न किया जा रहा था, वह ऐसी कार्रवाई थी जो संविधान को हिला देती, जिससे हमारी लोकतांत्रिक और पार्लियामेंट्री प्रणाली भी पूर्ण रूप से खतरे में पड़ सकती थी। यह हमारा मत था। इसलिए यह बुनियादी बात थी। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

**अध्यक्ष महोदय :** यह क्या है? हमें संयम रखना चाहिए।

*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय :** क्या हमें यह सभा इस प्रकार चलानी चाहिए।

[हिन्दी]

**श्री माधवराव सिंधिया :** हमने यह बुनियादी बात उठाई। जब तक कोई बुनियादी बात न हो तब तक हम गैर जिम्मेदार तरीके से यहां बर्ताव नहीं करेंगे यह हम विश्वास दिलाते हैं। कोई बुनियादी बात हो तो हम ऐसा करते हैं। मैं खुराना जी को याद दिलाना चाहता हूं कि जब आप लोग विपक्ष में बैठे हुए थे तो मारुति के मामले पर आपने लगभग 20 दिन सदन को नहीं चलने दिया।

**श्री मदन लाल खुराना :** वह एक मुद्दा था।

**श्री माधवराव सिंधिया :** हमने बड़ी शांति से आपकी बात सुनी, अब मुझे भी बोलने दीजिए। 20 दिन मारुति के मामले पर आपने सदन नहीं चलने दिया जो बुनियादी लोकतांत्रिक प्रणाली वाला या संविधान वाला मामला नहीं था। 18 दिन बोफोर्स के मामले पर आपने कार्यवाही नहीं चलने दी। 14 दिन जे.पी. के नवनिर्माण पर आपने सदन की कार्यवाही नहीं चलने दी और 12 दिन दूसरे मुद्दों को उठाकर आपने कार्यवाही नहीं चलने दी। सुखराम के मुद्दे पर आपने कार्यवाही नहीं चलने दी जिनका आपने स्वागत किया सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए। मैं सिर्फ याद दिला रहा हूं और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारी तरफ से इर्रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर कभी नहीं होगा, जब तक कोई बुनियादी बात न हो। *(व्यवधान)*

**श्री रघुनाथ झा** (गोपालगंज) : अध्यक्ष महोदय, जरा सिंधिया जी से पूछिए कि बिहार में क्या हुआ? *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

**अध्यक्ष महोदय :** श्री रघुनाथ झा, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

**श्री माधवराव सिंधिया :** मैं सिर्फ याद दिलाना चाहता हूं, और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारे सदस्यों को इर्रिस्पांसिबल बिहेवियर कहीं नहीं होगा जब तक कोई बुनियादी बात न हो और खुराना जी को *(व्यवधान)*

**श्री श्रीप्रकाश जायसवाल :** जब-जब बेनकाब होते हैं तो चिल्लाने लगते हैं *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

**अध्यक्ष महोदय :** श्री रघुनाथ झा, कृपया बैठ जाइए। मैंने आपको अनुमति नहीं दी है। मैंने श्री माधवराव सिंधिया को अनुमति दी है।

*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

**श्री रघुनाथ झा :** आप हमें अलाउ नहीं कर रहे हैं, हम लोग हाउस में किस काम के लिए आए हैं *(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय :** प्लीज आप बैठ जाइए।

[अनुवाद]

मैंने आपको अनुमति नहीं दी है। यह कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं होगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

**श्री माधवराव सिंधिया :** मैं खुराना जी को यही कहना चाहता हूं कि जो आदतें आपकी बचपन में थीं, जिनका अभी आपने वर्णन किया है, वे हमारी आदतें नहीं थीं और हम धौंस और धमकी के साथ काम करने में विश्वास नहीं रखते हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं दो मुद्दे उठाना चाहता हूं। सर, अभी हाईजैक का जो वक्तव्य दिया गया, मैं बड़ी नम्रता के साथ आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं कि यह एक ऐसा इश्यू था जिससे पूरा देश प्रभावित हो गया था, देश क्या विदेश में भी सबका ध्यान इस ओर केन्द्रित था और हमारे मत में और बहुत भारी बहुमत में राष्ट्र में भी एक राय है कि इसे मिसहैंडल किया गया। अब इसके बारे में कुछ चर्चा होनी चाहिए। इसके लिए आप कुछ समय निकालिए और जो श्री जसवंत सिंह जी ने स्टेटमैंट नहीं दिया है, बड़े खेद की बात है, हम इस पर विशेष आपत्ति नहीं उठा रहे हैं, पर इससे संकेत मिलते हैं कि आप संसद की गरिमा और अपोजीशन को कोई रिस्पेक्ट और कर्टसी दिखाना चाहते हैं।

**संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) :** सात दिन श्री जसवंत सिंह जी यहां आकर बैठे। वह मात्र आपके सम्मान के लिए था। आज वह राज्य सभा में हैं *(व्यवधान)*

**श्री माधवराव सिंधिया :** वह मुद्दा अलग था, मैंने बार-बार कहा, जब पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, मैं सोचता हूं कि यह अनुचित है *(व्यवधान)* यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, आपको देश के सामने उदाहरण पेश करना है। *(व्यवधान)*

**श्री प्रमोद महाजन :** सात दिन तक इसे टाला गया *(व्यवधान)*

**श्री मुलायम सिंह यादव :** सर, वह अंग्रेजी में बोल रहे हैं *(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

**मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चंद्र खंडूड़ी** (गढ़वाल) : डिप्टी लीडर होकर पिछले कई दिनों में आपने किस तरह का व्यवहार किया है? *(व्यवधान)*

**श्री माधवराव सिंधिया :** मैंने आपसे निवेदन किया कि हम कल भी वक्तव्य सुन लेंगे, परसों भी सुन लेंगे, क्योंकि मामला सात दिन से चला है, पर आपने इस बात को नकार दिया। यह बड़ी रिग्रेटेबल बात है, गवर्नमेंट की ओर से जो कुछ हुआ है, इसलिए सर, इस पर कुछ न कुछ समय निकालकर चर्चा होनी चाहिए। सर, हमारे जो साथीगण विपक्षी बैंचिज पर हैं और हम सब लोग, जिस तरह का एक कांस्टीट्यूशनल मामला, संवैधानिक मामला है, मैं गवर्नर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं संवैधानिक बात कर रहा हूं, जिस तरह से संवैधानिक घटनाएं बिहार में घटीं, उनसे पूरे देश में भारी असंतोष है। प्रत्येक एडीटोरियल ने, प्रत्येक समाचार पत्र ने, इंटेलीजेंसिया ने और गरीब से गरीब आदमी ने इसकी आलोचना की है। अत: थोड़ा समय निकालकर इस पर चर्चा होनी चाहिए।

सर, आखिरी बात मैं चाहता हूं कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में जो गेहूं, चावल और शक्कर आदि के भाव बढ़ाए गए हैं, वह पूरी तरह से इतना भारी बोझ गरीब आदमी पर डाला गया है। इसलिए कांग्रेस ने तय किया है कि संसद के बाहर और संसद के अन्दर जिस तरह का अनएक्सैप्टेबल बर्डन गरीब, बिलो दि पावर्टी लाइन के व्यक्तियों पर बढ़ाया गया है, वह हमें स्वीकार नहीं है, हम इसका विरोध करेंगे, घोर विरोध करेंगे। इसलिए हमारा निवेदन है कि इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। *(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**डा० विजय कुमार मल्होत्रा** (दक्षिण दिल्ली) : महोदय, मैं भी इस बारे में बोलना चाहता हूं *(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय :** मैंने श्री सोमनाथ चटर्जी को बुलाया है।

*(व्यवधान)*

**श्री वैको :** आप मुझे भी अनुमति दे सकते हैं।

*[हिन्दी]*

**अध्यक्ष महोदय :** आपका नाम भी है।

*[अनुवाद]*

**श्री वैको :** मेरा नाम सूची में है।

**अध्यक्ष महोदय :** मैं आपको बाद में बुलाऊंगा।

**श्री सोमनाथ चटर्जी** (बोलपुर) : महोदय, यदि हम एक-दूसरे को सुनेंगे तो सम्भवत: हम सभा का कार्य भलीभांति निबटा सकेंगे *(व्यवधान)*

मुझे नहीं मालूम कि उस ओर के मेरे मित्र सभा को चलते रहने देना चाहते हैं कि नहीं। वे अपने सदस्यों पर नियंत्रण नहीं रख पा रहे हैं *(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री प्रकाश परांजपे** (ठाणे) : अध्यक्ष महोदय, हम चुनकर संसद में आए हैं, यह हमारा गुनाह है। हमने करोड़ों रुपये का नुकसान अपनी आंखों से देखा है। इनको बैस्ट पार्लियामेंटेरियन का एवार्ड मिला है। *(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय :** ऐसे नहीं, कृपया बैठ जाइए।

**श्री सोमनाथ चटर्जी :** मैंने स्वयं कोई अवार्ड नहीं लिया है। यह तो इस सभा के कुछ वर्ग ने निर्णय लिया है। यह मेरा अपराध नहीं है। हर बार यह माननीय सदस्य उसका उल्लेख करते हैं। क्या मैंने ऐसा कहा है? *(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय :** बहुत हो गया; यह बड़े दुर्भाग्य की बात है।

*(व्यवधान)*

**श्री सोमनाथ चटर्जी :** क्या मुझे प्रत्येक माननीय सदस्य की अनुमति लेनी पड़ेगी?

**अध्यक्ष महोदय :** यह दुर्भाग्यपूर्ण है। आपको इस प्रकार के विषय नहीं उठाने चाहिए।

*(व्यवधान)*

**श्री सोमनाथ चटर्जी :** हमेशा इस प्रकार की टिप्पणियां की जाती हैं। मैं ऐसा किस प्रकार कर सकता हूं *(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय :** आपको इस प्रकार के विषय उठाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आप यह बात समझ लीजिए।

*(व्यवधान)*

**श्री सोमनाथ चटर्जी :** प्रात:काल मैंने यह सुझाव दिया था कि प्रश्नकाल जारी रहना चाहिए।

**श्री प्रकाश परांजपे** (ठाणे) : आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

**श्री सोमनाथ चटर्जी :** फिर से इस प्रकार की टिप्पणियां की जा रही हैं *(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री प्रकाश परांजपे :** अध्यक्ष महोदय, मैंने तो माननीय सदस्य का धन्यवाद किया है। उन्हें अच्छा कहा है। इसमें मैंने क्या बुरा किया है? *(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय :** श्री परांजपे, बहुत हो गया।

**श्री चन्द्रशेखर** (बलिया, उ०प्र०) : अध्यक्ष महोदय, नौजवान और उत्साही माननीय सदस्य को यह मालूम होना चाहिए कि धन्यवाद करना उनका काम नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय ही किसी का धन्यवाद अथवा उसकी निंदा कर सकते हैं। उन्हें संसद के आधारभूत-नियम मालूम होने चाहिए।

**श्री सोमनाथ चटर्जी :** अध्यक्ष महोदय, जो कुछ भी पिछले सप्ताह अथवा कुछ दिन पहले हुआ उसके लिए विपक्ष की काफी आलोचना की जा रही है। किन्तु आज अचानक मैंने पाया कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री बड़े धैर्यहीन हो गए और यदि मैं यह कहूं कि हठी हो गए हैं, तो अनुचित न होगा। सदस्यों से व्यवहार का यह कोई तरीका नहीं है। मेरी राय में श्री माधवराव सिंधिया न्यायोचित बात कह रहे थे। हमने श्री मदन लाल खुराना की भी बात सुनी।

दो विषयों ने हमें उत्तेजित किया और दोनों विषयों पर सारा विपक्ष अनेक विषयों पर मतभेद के बावजूद एकमत था। एक तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियों के बारे में गुजरात सरकार का परिपत्र तथा दूसरा जो कुछ बिहार में घटित हुआ। दोनों मुद्दों पर विपक्ष का रवैया न्यायोचित है...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री प्रभुनाथ सिंह** (महाराजगंज, बिहार) : अध्यक्ष महोदय, बिहार की स्थिति पर चर्चा कराइए।...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**श्री सोमनाथ चटर्जी :** आर.एस.एस. के कार्यकलापों संबंधी परिपत्र वापिस ले लिया गया और बिहार के राज्यपाल ने स्वीकार किया था—अब श्री शरद यादव ने भी स्वीकार किया है—कि बिहार में कुछ गलत हुआ था। अत:, यह नहीं कहा जा सकता कि हमने गलत मुद्दों को उठाया था। किन्तु, सरकार की ओर से सहयोग नहीं मिला था। सात-आठ दिन तक हमें सभा के नेता की सूरत भी दिखाई नहीं दी थी। इस पर टिप्पणी भी की गई थी। माननीय अध्यक्ष प्रतिदिन इस मामले को सुलझाने का प्रयत्न कर रहे हैं, ताकि सभा चल सके। किन्तु सरकार की ओर से कोई उत्तर नहीं मिला था। हमने पत्रों, जो माननीय अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित किए गए थे, से पता लगाया कि उन्होंने सभा के माननीय नेता से चर्चा करने का प्रयास किया था। अब, इस सबके लिए विपक्ष को दोषी ठहराना ठीक नहीं है, श्रीमान खुराना। मैं आपको याद नहीं दिलवाना चाहता कि जब उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, तो आपके अपने नेता, वर्तमान के प्रधानमंत्री, धरने पर बैठे थे और 12 दिन तक आपने इस सभा को चलने नहीं दिया था। अत:, कृपया इस तरह से मत देखें।

श्री सुखराम तथा अन्य लोगों से सम्बन्धित मुद्दों का उल्लेख किया गया है, मैं वैसा नहीं करना चाहता। सौभाग्य से, इस देश में, मैं अपने आपको सबसे अच्छी स्थिति में पाता हूं क्योंकि मैं कभी भी केन्द्रीय स्तर पर सत्ता में नहीं रहा। अपने—आप दोनों ने—इस देश को खत्म कर दिया...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री मदन लाल खुराना :** आपके व्यवहार से आपको सी.पी.आई. वाले छोड़ गए हैं।...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**श्री सोमनाथ चटर्जी :** आप हमारे बारे में इतने चिंतित क्यों हैं? ...*(व्यवधान)*

**श्री सुदीप बंद्योपाध्याय** (कलकत्ता उत्तर-पश्चिम) : उन्होंने केवल पश्चिमी बंगाल को समाप्त किया है, पूरे देश को नहीं।

**श्री सोमनाथ चटर्जी :** यह बहुत अच्छा है, महोदय। श्री सुदीप बंद्योपाध्याय के अनुसार मैंने पश्चिम बंगाल को समाप्त कर दिया है और उन्होंने पूरे राष्ट्र को समाप्त कर दिया है।

किन्तु प्रश्न यह है कि अभी भी कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं।

मेरे दोस्तों को, जो कहना चाहते हैं, कहने दीजिए, किन्तु आर.एस.एस. के मुद्दे को दबाया नहीं जा सकता। यह एक व्यापक मुद्दा है, जो देश को प्रभावित कर रहा है। लोग इस बारे में चिंतित हैं। हमने पाया है कि यहां तक कि प्रधानमंत्री भी दबाव में हैं कि दो दिन पहले नागपुर में क्या हुआ। हम लोग इस मुद्दे के बारे में अत्यंत चिंतित हैं। हम तब तक इस मुद्दे को उठाते रहेंगे, जब तक कि एक उचित चर्चा की अनुमति नहीं दे दी जाती।...*(व्यवधान)*

**डा० नितीश सेनगुप्ता** (कोन्टाई) : उस चर्चा में पश्चिम बंगाल सरकार के कर्मचारियों को—समन्वय समिति अथवा गैर-राजपत्रित पुलिस कर्मचारी संघ जैसे घोषित सी.पी.एम. फ्रंट संगठनों से जुड़ने की अनुमति देना भी शामिल होना चाहिए...*(व्यवधान)*

**श्री सोमनाथ चटर्जी :** डा० नितिश सेनगुप्ता, क्या आप वहां मेरी पार्टी से जुड़े थे? आप पश्चिम बंगाल में नौकरशाह थे। फिर आप क्यों बोल रहे हैं?...*(व्यवधान)* आप मेरी बात में व्यवधान क्यों डाल रहे हैं?...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय :** कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

*(व्यवधान)*

**श्री सोमनाथ चटर्जी :** डा० नितीश कुमार पश्चिम बंगाल में कार्यरत एक अधिकारी थे। आज वे तृणमूल कांग्रेस से सांसद हैं... *(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय :** श्री सोमनाथ चटर्जी के भाषण के अलावा कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाए।

*(व्यवधान)*

**श्री सोमनाथ चटर्जी :** वह पश्चिम बंगाल में नौकरशाह थे। वे हमसे प्रभावित नहीं हुए हैं। वे तृणमूल कांग्रेस से जुड़े, हालांकि वे हमसे नामांकन चाहते थे...*(व्यवधान)* श्रीमान अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे इस मुद्दे पर और बिहार में जो हुआ उस पर भी उचित चर्चा की अनुमति देने के लिए विनम्र अनुरोध करता हूं। एक सप्ताह के लिए सरकार संभालने के लिए अल्पमत नेता को आमंत्रित करना संविधान पर जानबूझकर किया गया प्रहार है। यहां इसका अत्यंत गंभीर प्रभाव हुआ है। यह एक बार नहीं हो रहा है बल्कि बार-बार हो रहा है। अत: इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जानी चाहिए। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप जितनी जल्दी निर्णय लेंगे, उतना अच्छा होगा ताकि सभा में अन्य विषय जारी रह सकें...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय :** मैंने रघुवंश प्रसाद सिंह को अनुमति दी है।

*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय :** श्री रघुवंश प्रसाद सिंह ने नियम 184 के अंतर्गत सूचना (नोटिस) दिया है।

*(व्यवधान)*

**श्री जी०एम० बनातवाला** (पोन्नानी) : अध्यक्ष महोदय, कृपया मुझे बोलने का अवसर दें...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय :** मैं आपको बोलने की अनुमति तभी दूंगा, यदि आप अभी बैठ जाएं।

*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**डा० रघुवंश प्रसाद सिंह** (वैशाली) : अध्यक्ष महोदय, अब दुनिया भर में यह साबित हो गया है कि बिहार के गवर्नर ने वहां के संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन किया, स्थापित परंपराओं का उल्लंघन किया इसलिए उनको हटाया जाए नहीं तो हम मानेंगे कि प्रधान मंत्री जी और गृह मंत्री जी के दबाव में आकर गवर्नर ने गलत काम किया है। यदि ऐसा नहीं है तो हम प्रधान मंत्री जी और गृह मंत्री जी से उनके इस्तीफे की मांग करते हैं।

अध्यक्ष महोदय, नियम 184 के अंतर्गत गवर्नर के कंडक्ट पर विचार करने के लिए हमारा जो नियमानुकूल मोशन था, कृपा करके उसको मंजूर किया जाए। उस पर हम बहस की मांग करते हैं। इससे पहले हमने एडजर्नमैंट मोशन भी दिया था, वह भी विचाराधीन है।...*(व्यवधान)* बिहार में यह साबित हो चुका है।...*(व्यवधान)* वे स्पीकर के चुनाव में भाग खड़े हुए।...*(व्यवधान)* अब हमको पूरा संदेह है।...*(व्यवधान)* भारत सरकार के मंत्री श्री राम विलास पासवान जो बोलते हैं कि सी०बी०आई० से जांच करा लें।...*(व्यवधान)* मुझे पूरा संदेह है कि केन्द्र सरकार की वहां जबरदस्ती होगी और जनतंत्र का गला घोंटा जाएगा। ...*(व्यवधान)* इसका बिहार बर्दाश्त नहीं करेगा।...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय :** आप बैठ जाइए।

*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय :** यह चर्चा नहीं है। इन्होंने नोटिस दिया है इसलिए हम उनको सुन रहे हैं।

*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदग :** यह डिस्कशन नहीं है। इन्होंने नोटिस दिया है इसलिए हम सुन रहे हैं।

*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय :** डा० विजय कुमार मल्होत्रा के भाषण के अलावा कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में शामिल न किया जाए।

*[हिन्दी]*

**डा० विजय कुमार मल्होत्रा :** अभी यहां पर श्री सोमनाथ चटर्जी, माधव राव सिंधिया और मुलायम सिंह जी ने बहुत-सी बातों का जिक्र किया और कुछ इश्यू उन्होंने रखने की कोशिश की।

मुझे आपसे केवल यह गुजारिश करनी है कि जो विषय इन्होंने रखे हैं, हम उन पर बहस चाहते हैं। हो यह रहा है कि एक तरफा बात कही जा रही है। आज यहां पर बिहार का मामला उठाने की कोशिश की गई। बिहार के मामले पर राज्य सभा में आज बहस हो रही है। वहां गवर्नर के कंडक्ट पर बहस हो रही है। राज्य सभा में आर०एस०एस० पर भी बहस हुई है।...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**श्री जी०एम० बनातवाला :** महोदय, हमें पूरी तरह से अनदेखा किया गया है। कृपया मुझे सभा पटल के समीप आने के लिए बाध्य न करें। मैं ऐसा नहीं करता...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**डा० विजय कुमार मल्होत्रा :** हम कुछ कह सकें, ये उसका मौका नहीं देना चाहते। बिहार के गवर्नर को वापिस लेने की मांग कर दी गई। श्री मुलायम सिंह ने भी यहां बात रखी है। पूरी बहस हो जाती। वहां जो गवर्नर हैं, वे मुलायम सिंह जी की सरकार में कैबिनेट मंत्री थे। वी०पी० सिंह जी के दाएं हाथ थे। उस समय वे यहां पर ठीक थे, आज वे संघ के प्रतिनिधि हो गए, दूसरी बात हो गई।... *(व्यवधान)*

**श्री मुलायम सिंह यादव :** वे कैबिनेट मिनिस्टर नहीं कैबिनेट सेक्रेटरी थे।

**डा० विजय कुमार मल्होत्रा :** जी हां, थे। मुलायम सिंह जी उस समय मंत्री थे।...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय :** कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित करें, सदस्य को नहीं।

*[हिन्दी]*

**डा० विजय कुमार मल्होत्रा :** अध्यक्ष महोदय, मैं यह बात कहना चाहता हूं कि आप पूरी बहस कराएं। आज केवल संघ का मुद्दा उठाया जा रहा है, आई०एस०आई० का मुद्दा नहीं उठाते। देश के ऊपर पाकिस्तान द्वारा हमला हो रहा है, हम वह सवाल भी उठाना चाहते हैं। कर्नाटक में शैडयूल्ड कास्ट्स के सात लोगों की हत्या हुई, वह सवाल भी हम उठाना चाहते हैं। इतनी बातें हो रही हैं लेकिन उन पर सवाल नहीं उठाए जाते। आई०एस०आई० ने 29,000 आदमियों की हत्या की। पाकिस्तान के आतंकवाद में 5,000 सैनिक मारे गए। परन्तु उनके बारे में इनकी जुबान बंद है। ये कोई सवाल नहीं उठाने देना चाहते, केवल संघ का सवाल ले आते हैं। आप खुले तौर पर बहस करिए, समय दीजिए।...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**श्री जी०एम० बनातवाला :** महोदय, एक ही बात दोहराई जा रही है और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों को अनदेखा किया जा रहा है...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**डा० विजय कुमार मल्होत्रा :** सोमनाथ जी एकतरफा बात कहकर चले जाएं–यह ठीक नहीं है। वैस्ट बंगाल में क्या हो रहा है। हम

बताना चाहते हैं कि वहां पर किस तरह केवल मात्र मार्क्सिस्ट इतिहासकारों ने सारे इज्यों को समाप्त किया। परंतु हमें मौका ही नहीं दिया जाता। आप एक विषय पर 3-4 घंटे पूरी बहस कराइए तो इन बातों का जवाब दें। परंतु उसके बारे में कोई बात नहीं कहने दी जाती।

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : आप क्या कहना चाहते हैं, श्री बनातवाला?

**अध्यक्ष महोदय** : "माननीय सदस्यों, बिहार में अल्पमत वाले समूह के नेता को सरकार बनाने का आमंत्रण देकर बिहार के राज्यपाल द्वारा लोकतांत्रिक मानदंडों के उल्लंघन के संबंध में मुझे 7 और 8 मार्च, 2000 को डा० रघुवंश प्रसाद सिंह और 6 अन्य सदस्यों से नियम 184 के अधीन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई थीं।

मैं इन सूचनाओं पर विचार कर ही रहा था कि बिहार की राजनैतिक स्थिति में काफी परिवर्तन आ गया।

डा० रघुवंश प्रसाद सिंह ने बिहार के राज्यपाल के निर्णय का निरनुमोदन करने के लिए नियम 184 के अधीन आज पुनः एक सूचना दी है।

मैंने सूचना को गृहीत कर लिया है। प्रस्ताव पर सभा द्वारा चर्चा किए जाने की तारीख के बारे में निर्णय कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में लिया जाएगा।" इस विषय पर और कोई अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।

जी हां, श्री वैको।

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : आप क्या कहना चाहते हैं, श्रीमान बनातवाला?

**श्री जी०एम० बनातवाला** : महोदय, मैं सिर्फ कुछ मिनट लूंगा। यहां व्यापक...*(व्यवधान)* श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए बुलाया था और अब मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : आपने एक अलग मुद्दे पर सूचना दी है।

**श्री जी०एम० बनातवाला** : महोदय, आपने मुझे निवेदन करने के लिए बुलाया था...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं। आप श्री वैको के बाद बोल सकते हैं।

**श्री वैको** : श्री बनातवाला, कृपया मुझे बोलने दें।

**श्री जी०एम० बनातवाला** : आपको हमेशा अवसर मिल जाता है। आपको हमें भी देखना चाहिए।

**श्री वैको** : मुझे कभी अवसर नहीं दिया गया था। यह पहला अवसर है, जो मुझे प्राप्त हुआ है।

**अध्यक्ष महोदय** : नये सदस्यों को भी बोलने का अवसर दिया जाना चाहिए। कृपया अध्यक्षपीठ के साथ सहयोग करें।

**श्री जी०एम० बनातवाला** : मैंने हमेशा सहयोग किया है।

**अध्यक्ष महोदय** : नये सदस्यों को बोलने का अवसर दिया जाना चाहिए। श्री वैको आपसे नये सदस्य हैं।

**श्री वैको** : मैं आपका अत्यंत आभारी हूं और अन्य सदस्यों का भी आभारी हूं, जिन्होंने मुझे इतना गंभीर मुद्दा उठाने की अनुमति दी। इस सभा के माध्यम से, मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

**अपराह्न 1.00 बजे**

महोदय, तमिलनाडु में कन्याकुमारी के गहरे दक्षिणी जिले के 19 मछुआरे सऊदी अरब कंपनी के साथ ठेके पर कार्य कर रहे थे। किंतु गलती से वे ईरानी जल-सीमा में प्रवेश कर गए और 16 फरवरी, 1999 को उन्हें ईरान के जल-सेना अधिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया। तत्पश्चात्, इस मामले को ईरान सरकार के साथ उठाया गया। ईरानी सरकार ने अपनी गलती स्वीकार की और वायदा किया कि इन मछुआरों को भारत वापिस भेज दिया जाएगा। किंतु महोदय, उनका दुर्भाग्य बना रहा और उन्हें पाकिस्तानी क्षेत्र में ले जाकर पाकिस्तान में रिहा कर दिया गया। बाद में, उन्हें पाकिस्तान पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें 5 जून से 5 दिसंबर, 1999 तक क्वेटा जेल में रखा गया। तत्पश्चात्, उन्हें 5 दिसंबर, 1999 को करांची जेल भेज दिया गया। कई महीने बीत गए हैं। जब माननीय प्रधानमंत्री ने कन्याकुमारी के मुख्य शहर का दौरा किया, तो उन्होंने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमुत्री जी ने सहृदयतापूर्वक यह आश्वासन दिया कि उन परिवारों के आंसुओं को पोंछा जाएगा और सरकार उन्हें पाकिस्तान की जेल से छुड़वाने के लिए तत्काल कार्यवाही करेगी। महोदय, कन्याकुमारी जिले में भाजपा और कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) सहित सभी राजनीतिक पार्टियों ने अप्रैल के प्रथम सप्ताह में बंद का आह्वान करने का निर्णय लिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके परिवारों के सदस्यों को उनके पत्र प्राप्त हो रहे हैं कि उन्हें पाकिस्तान की जेल में परेशान और प्रताड़ित किया जा रहा है। यह मामला भारत सरकार के साथ पहले ही उठाया जा चुका है। मैं व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री, श्री जसवंत सिंह से मिल चुका हूं। विदेश मंत्री ने उन्हें वापस लाने के लिए कदम उठाए हैं। वे पाकिस्तान सरकार के साथ बातचीत कर रहे हैं। पाकिस्तान में जो हो रहा है, उससे सरकार पूर्ण रूप से तानाशाह बन गई है और उन मछुआरों को प्रताड़ित किया जा रहा है और उनका जीवन अत्यंत संकट और खतरे में है। महोदय, यह बिलकुल सही समय है, जब सरकार इस मुद्दे को पाकिस्तान सरकार के साथ गंभीरता के साथ उठाए और इन मछुआरों को छुड़वाए। अन्यथा मुझे भय है कि उनका जीवन संकट और खतरे में होगा। यह एक अत्यंत गंभीर मुद्दा है। इस राष्ट्र के सभी लोग इस बारे में बहुत चिंतित हैं। एक भारतीय नागरिक का जीवन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। वहां 19 जीवन खतरे में हैं। मैं सरकार से उन लोगों को पाकिस्तान से छुड़वाने के लिए तत्काल कदम उठाने हेतु वचन चाहता हूं।

**श्री लाल कृष्ण आडवाणी** : महोदय, मैं भी माननीय सदस्य श्री वैको द्वारा व्यक्त चिंता में शामिल हूं। मैं केवल इतना कह सकता हूं कि मैं विदेश मंत्री को माननीय सदस्य द्वारा व्यक्त संताप से अवगत करा दूंगा और उनसे अब तक उठाए गए कदमों से सभा को अवगत कराने का अनुरोध करूंगा।

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : हम सब इसका समर्थन करते हैं।

**अध्यक्ष महोदय :** हर कोई एक-दूसरे का समर्थन कर रहे हैं किंतु आप सभा की कार्यवाही चलाने में अध्यक्षपीठ का समर्थन नहीं कर रहे हैं।

**श्री जी०एम० बनातवाला :** महोदय, मैं आपका समर्थन कर रहा हूं और निवेदन कर रहा हूं क्योंकि आपने अब मेरा नाम पुकारा है।

महोदय, उत्तर प्रदेश धार्मिक भवन तथा स्थल विनियमन विधेयक, 2000 के विरोध में सारे देश में व्यापक आंदोलन, विरोध और असंतोष व्याप्त है। विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को, उनकी स्वीकृति हेतु भेजा गया है। किंतु, यह विधेयक भारतीय संविधान पर, धर्मनिरपेक्ष राज्य व्यवस्था पर और धार्मिक स्वतंत्रता पर पूर्णतया एक घातक प्रहार है।

*[हिन्दी]*

**श्री विनय कटियार** (फैजाबाद) : अध्यक्ष जी, इस मामले पर हमें भी बोलने दिया जाए।...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय :** आप बैठ जाइए, प्लीज।

*(व्यवधान)*

**श्री विनय कटियार :** इस पर हमको भी बोलने का मौका दिया जाए।...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय :** आपने नोटिस नहीं दिया न, प्लीज, आप बैठ जाइए।

*(व्यवधान)*

**श्री मुलायम सिंह यादव :** आपने तो सिर्फ टिप्पणी की है, खुराना साहब ने मुझे दो दिन तक बोलने नहीं दिया।...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**श्री जी०एम० बनातवाला :** महोदय, जिस संदर्भ में राज्य विधान मंडल द्वारा यह विधेयक पारित किया गया है, उससे अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से, मुसलमानों में, अपनी मस्जिदों और अपने मदरसों के संबंध में आशंकाएं भरी हैं।

ये मस्जिदें, ये पूजा के स्थल आज पूरी तरह से असुरक्षित स्थिति में हैं। जिला मजिस्ट्रेट को इस विधेयक के अंतर्गत अति व्यापक शक्तियां दी गई हैं और आदेशों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को भी सीमित कर दिया गया है।

*[हिन्दी]*

**श्री विनय कटियार :** अध्यक्ष जी, वहां मंदिर भी नहीं बना सकते, केवल मस्जिद की ही बात नहीं है। यह कानून मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी कांग्रेस पार्टी के जमाने से बना हुआ है...*(व्यवधान)*

**श्री जी०एम० बनातवाला :** उन वक्फ अधिनियम और धार्मिक विन्यास अधिनियम जैसे कानूनों की भी अवहेलना की जा रही है जिनमें केन्द्रीय नीति निहित है।...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय :** श्री बनातवाला के भाषण के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**श्री जी०एम० बनातवाला :** उत्तर प्रदेश विधेयक संविधान में सुरक्षित स्वतंत्रता के खिलाफ है। ऐसी मांग हो रही है कि सरकार राष्ट्रपति को ऐसी सलाह दे कि वे इस विधेयक पर अपनी स्वीकृति न दें तथा स्वीकृति देने से इनकार कर दें।

*[हिन्दी]*

**श्री राशिद अलवी** (अमरोहा) : अध्यक्ष जी, मुझे भी अवसर प्रदान करें।

**अध्यक्ष महोदय :** आपको भी बुलाऊंगा। जिन्होंने नोटिस दिया है।

*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय :** कृपया इतना समझ जाइए कि यह कोई चर्चा नहीं है।

**श्री जी०एम० बनातवाला :** उत्तर प्रदेश विधेयक पर राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति देने से इनकार करने की मांग को सामने रखने के लिए अभी एक विशाल आन्दोलन चल रहा है। सरकार इस संबंध में मूक बैठी है तथा कोई भी वक्तव्य नहीं दे रही है। मैं सरकार से अपील करता हूं कि वह न केवल राष्ट्रपति को इस आपत्तिजनक उत्तर प्रदेश विधेयक पर अपनी स्वीकृति न देने के लिए परामर्श दे बल्कि अल्पसंख्यकों के विश्वास को पुनः जीतने के लिए भी कदम उठाए।...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय :** मंत्री जी उत्तर देने के लिए यहां उपस्थित हैं।

**श्री जी०एम० बनातवाला :** अब वर्तमान सरकार को अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए तथा इस संबंध में एक वक्तव्य देना चाहिए।

**अध्यक्ष महोदय :** क्या इस बारे में सरकार का कोई जबाब है।

*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय :** श्री शरद यादव के भाषण के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

*[हिन्दी]*

**नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) :** अध्यक्ष जी, मैं दूसरे सदन में था। यहां हमारे सम्मानित और वरिष्ठ सदस्य सोमनाथ दादा ने यह कहा...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय :** मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं।

*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय :** कृपया सबसे पहले मंत्री जी का भाषण सुनें।

*[हिन्दी]*

**श्री शरद यादव :** अध्यक्ष जी, सोमनाथ दादा हमारे साथी हैं। उन्होंने सदन में यह कहा कि एक सेक्शन आफ प्रैस में, किसी अखबार में यह छपा है जिसमें मैंने यह कहा है कि बिहार के गवर्नर ने कोई गलती की है। आप उसके नीचे के कंटेंट को देखेंगे तो पता चलेगा

कि इसमें कोई तथ्य नहीं है। मैं यहां यह कहना चाहता हूं कि मैंने किसी सेक्शन आफ प्रैस में या किसी अखबार में ऐसा कोई बयान नहीं दिया है और न ही मैंने कोई प्रैस कांफ्रेंस की है। गवर्नर साहब ने उस समय की परिस्थिति के हिसाब से, जिसकी संख्या ज्यादा थी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने समर्थन पत्र नहीं दिया था, इसलिए ऐसा कदम उठाया...*(व्यवधान)* अगर आप इस पर डिबेट चाहते हैं तो हो सकती है।...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**श्री सोमनाटा चटर्जी** : मैंने यह बात केवल समाचार-पत्र की रिपोर्ट के आधार पर कही थी...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : श्री किरीट सोमैया के भाषण के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

*[हिन्दी]*

**श्री किरीट सोमैया** (मुंबई उत्तर पूर्व) : अध्यक्ष महोदय, कल कर्नाटक में कोलार जिले में जिस प्रकार से सात दलितों की निर्मम हत्या की गई, उन्हें जिंदा जलाया गया...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय, कल कर्नाटक के कोलार जिले में सात दलितों की हत्या की गई।...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**श्री जी०एम० बनातवाला** : महोदय, मैं इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री किरीट सोमैया** : उनको जिंदा जलाकर...*(व्यवधान)* सात दलितों को जिंदा जलाया गया। चार, चार को, राम अवतार से लेकर उनके पूरे परिवार को जिंदा जलाया गया और उसके कारण कर्नाटक की दलित पीढ़ी और आदिवासी जनता में भय का वातावरण है। वहां पर कानून व्यवस्था की क्या परिस्थिति है, कुछ समझ में नहीं आता।...*(व्यवधान)* दिन-दहाड़े शाम को सात बजे एक गांव में दूसरी जगह से लोग जाते हैं और तीन घरों को आग लगा दी जाती है तथा घंटों तक पुलिस भी वहां नहीं जाती। उसके बाद वहां के मुख्य मंत्री वहां जाकर मगर के आंसू बहाते हैं। वहां जो कांग्रेस की सरकार है, उसके प्रति वहां की दलित जनता में एक अविश्वास के वातावरण का निर्माण हुआ है। वहां पर किस प्रकार से जिया जाए, इस प्रकार का चिंता का वातावरण वहां के दलितों में बन रहा है। मैं केन्द्रीय सरकार से जानना चाहता हूं कि उन दलितों के आंसू कौन पोंछेगा ?...*(व्यवधान)* मेरा अनुरोध है कि वहां पर अधिकारियों को भेजकर वहां के दलितों में विश्वास का वातावरण तैयार हो, इस प्रकार की इंक्वायरी करानी चाहिए।...*(व्यवधान)* इस प्रकार का मैं माननीय गृह मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं। ...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**श्री कोडीकुनील सुरेश** (अडूर) : महोदय, वह मुद्दे का राजनीतिकरण करने का प्रयास कर रहे हैं...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**अध्यक्ष महोदय** : श्री किरीट सोमैया जी, आपने इस मुद्दे को उठाया है। ठीक है। लेकिन आप सदन में पूरे राज्य के मामलों तथा कानून-व्यवस्था पर चर्चा नहीं कर सकते हैं।

*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : कृपया इतना समझ लीजिए कि आप सदन में पूरी कानून-व्यवस्था पर चर्चा नहीं कर सकते हैं। कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइए।

*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : श्री राशिद अलवी।

*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : श्री राशिद अलवी के भाषण के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय** : श्री किरीट सोमैया जी, मैंने आपको बोलने की अनुमति दे दी है और आपने ही इस मुद्दे को उठाया है। आप इसे बार-बार क्यों उठा रहे हैं?

*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री राशिद अलवी** : अध्यक्ष महोदय, आज उत्तर प्रदेश के अंदर धर्मस्थल बिल लाया गया और यह इतना खौफनाक, इतना भयानक और इतना खतरनाक कदम है कि अगर इसकी तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट ने तवज्जह नहीं दी तो पूरा हिन्दुस्तान फिरकापरस्ती की आग में झुलस जाएगा। आज उत्तर प्रदेश की सरकार ने कानून बनाया है। मस्जिद के लिए कानून बनाकर कब्रिस्तान में मुर्दे को जमीन के अंदर गाड़ने के लिए ...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : श्री राशिद अलवी, आपने वकीलों की हड़ताल के बारे में सूचना दी थी लेकिन आप किसी अन्य मामले पर बोल रहे हैं। आपको इसके लिए एक अलग सूचना देनी पड़ेगी।

*(व्यवधान)*

**श्री राशिद अलवी** : महोदय, मैं आपसे सहमत हूं लेकिन यह एक गंभीर मामला है।

**अध्यक्ष महोदय** : यदि आप अपनी सूचना में दिए गए मामले पर ही बोलना चाहते हैं, तो आप बोल सकते हैं। मैं आपको अन्य मामलों पर बोलने की अनुमति नहीं दूंगा।

*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**अध्यक्ष महोदय** : आप पहले बैठिए।

*(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**श्री राशिद अलवी** : मैं अपनी बात दो मिनट में खत्म करूंगा।

**अध्यक्ष महोदय** : लॉयर्स के बारे में रेज कर सकते हैं तो करिए।

*(व्यवधान)*

**श्री राशिद अलवी** : अध्यक्ष महोदय, मैं उसी पर आ रहा हूं। इसके बारे में मुझे सरकार से इतना कहना है कि प्रैसीडेंट ऑफ इंडिया इसके ऊपर साइन न करें।...*(व्यवधान)*

महोदय, इस बारे में मैंने नोटिस दिया है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं, क्या सरकार को मालूम है कि 15 दिनों से दिल्ली के अन्दर वकील हड़ताल पर हैं? डिस्ट्रिक्ट्स कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर कोई काम नहीं हो रहा है। वकीलों के साथ सरकार ने ज्यादती की है। क्या सरकार को मालूम है कि दो वकीलों ने अपनी आंखें खो दी हैं ? पुलिस ने वकीलों के साथ ज्यादती की है। उन पर जिस तरीके से डंडा चलाया है, उससे दो वकील अपनी आंखें खो चुके हैं। जो लड़कियां वकालत करती हैं, उन्हें घसीट-घसीटकर मारा गया है। पुलिस ने सिर्फ यही नहीं किया है, उनके हाथों से निकली हुई अंगुठियां भी उठा ली गई हैं। सरकार 15 दिनों से खामोश तमाशाई बनी बैठी है और पुलिस तथा पुलिस आफिसरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है। दिल्ली में करीब-करीब एक लाख आदमी तीस हजारी कोर्ट में हाजिर होता है और पचास हजार आदमी दूसरी अदालतों में हाजिर होता है। इस प्रकार डेढ़ लाख आदमी अदालतों में जा रहा है, लेकिन सरकार खामोश तमाशाई बना बैठी है। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार को पुलिस आफिसरों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए और वकीलों से बातचीत करनी चाहिए। श्री रामजेठ मलानी, कानून मंत्री, सदन में बैठे हैं, उन्होंने सदन में यह कहा था कि हमने समझौता कर लिया है, लेकिन कोई समझौता नहीं हुआ है। मुझसे आपने फरमाया था कि प्राइम मिनिस्टर के साथ सारी बात तय हो गई है, लेकिन कोई बात तय नहीं हुई है। इसलिए मैं पुरजोर अल्फाज में कहना चाहता हूं कि होम मिनिस्टर साहब उस डीसीपी को तुरंत ससपैंड करें और साथ ही वकीलों से बातचीत करें।

इसके साथ ही मैं एक मुद्दे की तरफ सरकार की तवज्जह दिलाना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : श्री रमेश चेन्नितला बोलेंगे।

*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : आपको आगे बोलने की अनुमति नहीं है। इसे कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय** : श्री अखिलेश, कृपया अपने स्थान पर बैठें। मैंने श्री रमेश चेन्नितला को बोलने की अनुमति दी है।

*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : श्री राशिद अलवी, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। आप जो कहना चाहते थे, बोल चुके हैं। अब अन्य माननीय सदस्यों को अवसर दिया जाना चाहिए।

*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : श्री बंसल जी, आप अपने ही सदस्य को बोलने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। मैंने श्री रमेश चेन्नितला को बोलने के लिए बुलाया है।

**श्री पवन कुमार बंसल** (चंडीगढ़) : महोदय, मुझे केवल कुछ ही शब्द कहने हैं। माननीय सदस्यों को इस मुद्दे से संबंधित बातों पर बोलने की अनुमति दें। यह बहुत ही अफसोस की बात है। वास्तव में इसका संबंध इस देश के प्रत्येक नागरिक से है, क्योंकि वकीलों को यहीं नहीं बल्कि देशभर में हड़ताल करने के लिए बाध्य किया जाता है। लोकतंत्र में, लोगों को बातचीत के लिए बुलाया जाना चाहिए ...*(व्यवधान)*

**श्री रमेश चेन्नितला** (मवेलीकारा) : महोदय, 1964 से लेकर अब तक केरल में कानूनी तौर पर राशन बांटा जा रहा है। दुर्भाग्यवश, केन्द्र सरकार की हाल ही में की गई घोषणा से राज्य के 75 प्रतिशत लोग सार्वजनिक वितरण प्रणाली के दायरे से बाहर हो गए हैं। यह प्रणाली अभी राज्य में चल रही है। राज्य सरकार ने पहले से ही केन्द्र सरकार से प्रार्थना की है कि वह सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में लिए गए निर्णय को वापस ले। केरल एक ऐसा राज्य है जहां सार्वजनिक वितरण प्रणाली सुचारु रूप से चल रही है। एक प्रभावशाली सार्वजनिक वितरण प्रणाली केवल हमारे राज्य में देखी जा सकती है। केन्द्र सरकार के आंकड़ों तथा योजना आयोग के अनुसार, केवल 26 प्रतिशत लोगों को गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों के रूप में घोषित किया गया है। लेकिन वास्तव में राज्य सरकार के रिकार्ड के अनुसार 42 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं। राज्य की कुल जनसंख्या में से 17 प्रतिशत लोग इस सुविधा से वंचित कर दिए गए हैं...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : श्री रमेश चेन्नितला, आप बजट पर भी चर्चा करेंगे। उस समय आप यह मामला उठा सकते हैं।

**श्री रमेश चेन्नितला** : राज्य सरकार इस पर राजसहायता प्रदान कर रही है। इसलिए, मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूं कि वह इस मामले को गंभीरता से लें। राशन रिटेल होलडरस एसोशियेशन ने दिल्ली में प्रदर्शन भी किया था तथा माननीय मंत्री जी को इस संबंध में एक ज्ञापन भी दिया था। आज जनता में भी रोष है।...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : श्री वरकला राधाकृष्णन और श्री पी०सी० थामस ने इसी मामले के लिए नोटिस दिए थे। इन्हें भी श्री रमेश चेन्नितला के साथ मुद्दे पर बोलना चाहिए।

*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : श्री कोडीकुनील सुरेश, आप बिना सूचना दिए इनके साथ इस मुद्दे पर नहीं बोल सकते हैं। चूंकि इन्होंने सूचना दी थी, मैंने इन्हें उनके साथ इस मुद्दे पर बोलने की अनुमति दे दी।

**श्री रमेश चेन्नितला** : मेरा माननीय मंत्री, श्री शांता कुमार जी से आग्रह है कि वह इस निर्णय पर पुन: विचार करें और केरल के लोगों की सहायता करें।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**श्री कोडीकुनील सुरेश** : हम इस मुद्दे पर रमेश चेन्नितला के साथ हैं।

**अध्यक्ष महोदय** : ठीक है। आप इनके साथ इस मुद्दे पर बोल सकते हैं। श्री लक्ष्मण सेठ।

*(व्यवधान)*

**श्री पी०सी० थामस** (मुवत्तुपुजा) : यह एक बहुत ही गंभीर मामला है। सारा केरल भूखा मर रहा है...*(व्यवधान)*

**श्री वरकला राधकृष्णन** (चिरायिंकिल) : मुझे बोलने की अनुमति दी जाए...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : श्री वरकला राधाकृष्णन, कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें। आपने सूचना दे दी है। मैंने आपको बोला था कि आप श्री रमेश चेन्नितला के द्वारा उठाए गए मुद्दे पर बोल सकते हैं।

माननीय सदस्यों, आप बजट पर भी चर्चा करेंगे। आप ये मुद्दे उस वक्त उठा सकते हैं।

श्री लक्ष्मण सेठ।

*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : श्री वरकला राधाकृष्णन, मैंने लक्ष्मण सेठ को बोलने की अनुमति दी है...

*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्यों, क्या सदन की कार्यवाही को इसी प्रकार चलाया जाता है? यह सब क्या है? मैं शून्यकाल में माननीय मंत्री को उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता हूं। कृपया इस बात को समझिए।

*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय** : श्री लक्ष्मण सेठ।

**श्री लक्ष्मण सेठ** (तामलुक) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर दिलाना चाहता हूं। यह मुद्दा भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद से संबंधित है...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : कृपया इस ओर ध्यान दें कि पूरा देश इस कार्यवाही को देख रहा है।

*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : श्री लक्ष्मण सेठ के भाषण के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

**श्री लक्ष्मण सेठ** : हाल ही में, भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद ने प्रो० के० पाणिकार और प्रो० सुमित सरकार द्वारा संपादित 'टुवर्डस फ्रीडम' के भागों के प्रकाशन पर रोक लगा दी है। भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद द्वारा लिया गया निर्णय तथा इसके द्वारा उठाए गए कदम बहुत ही आपत्तिजनक हैं क्योंकि यह और कुछ नहीं बल्कि विद्वानों और इतिहासकारों के अधिकारों का हनन है। महोदय, भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रभाव में आकर इन भागों को वापस ले लिया है। यह प्रयास कुछ और नहीं, बल्कि हमारे देश की शिक्षा, संस्कृति और इतिहास का भगवाकरण करना है। जैसा आप और सभी जानते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भूमिका बहुत ही गलत और राष्ट्रविरोधी थी...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : श्री सेठ जी, कृपया इस बात को समझिए। आप गत 15 दिनों से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और गुजरात मुद्दों को उठा रहे हैं। कोई और कार्यवाही नहीं हो रही है। यह सब क्या चल रहा है?

*[हिन्दी]*

**श्री सुदीप बंद्योपाध्याय** (कलकत्ता उत्तर पश्चिम) : इन लोगों ने कहा कि यह आजादी झूठी है।...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**श्री लक्ष्मण सेठ** : यदि आप वापिस लिए गए खंडों के विस्तार में जाओ तो पता चलेगा कि स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास कुल सही ढंग से लिखा और संपादित किया गया है...*(व्यवधान)* यह इतिहास, शिक्षा इत्यादि को भगुआ रंग में रंगने का सरकारी प्रयास है। अत:, मैं प्रो० के० पानीक्कर और प्रो० सुमित सरकार द्वारा संपादित खंडों का प्रकाशन करने का अनुरोध करता हूं ताकि राष्ट्र स्वतंत्रता सेनानियों के वास्तविक इतिहास को जान सके। मेरा यह अनुरोध है...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री विजय गोयल** : सर, मैंने प्रिवलेज नोटिस दिया है, उसका क्या हुआ?

**अध्यक्ष महोदय** : गोयल जी, आपका नोटिस अभी तक हमारे पास नहीं आया है।

*(व्यवधान)*

**श्री हरीभाऊ शंकर महाले** (मालेगांव) : महाराष्ट्र के लोगों ने बड़ी-बड़ी योजनाएं बनाई हैं। उनका कहना है कि कीमतें बहुत बढ़ गई हैं।

महाराष्ट्र के नासिक में गरीबों और आदिवासियों के लिए पीने के पानी की योजना के ऊपर जो केन्द्र सरकार ने सर्कूलर निकाला है कि दस प्रतिशत पैसा गरीब लोगों को भरना है उस सर्कूलर को वापस लिया जाए, ऐसी मेरी केन्द्र सरकार से मांग है।...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : थॉमस जी, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

**श्री रामदास आठवले** (पंढरपुर) : अध्यक्ष जी, संविधान की समीक्षा कराने के बारे में सरकार ने जो निर्णय लिया है...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : थॉमस जी, मैं रामदास आठवले को पहले ही बुला चुका हूं। आप कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

*[हिन्दी]*

**श्री रामदास आठवले** : अध्यक्ष जी, मेरा कहना यह है कि भारतीय संविधान में 395 आर्टिकल्स हैं। किसी भी आर्टिकल में सरकार को इस तरह से संविधान की समीक्षा कराने के लिए कमीशन बनाने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। इसलिए आप सरकार को आदेश दें कि इस कमीशन को बर्खास्त किया जाए। बाबा साहेब ने जो संविधान लिखा है उसकी समीक्षा कराने की कोई आवश्यकता नहीं है।...*(व्यवधान)* अगर भारत के संविधान ने आपको अमेंडमेंट करने का प्राविजन दे दिया है तो फिर समीक्षा के लिए कमीशन की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर कोई कमेटी बनानी है तो कमेटी बना सकते हैं। इसलिए आप सरकार को आदेश दीजिए कि इस कमीशन को बर्खास्त किया जाए। हम लोग जो बाबा साहेब अम्बेडकर जी को मानते हैं इस कमीशन की वजह से बहुत नाराज हैं।...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : इसे कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय** : श्री रामदास आठवले, यह बहुत ज्यादती है। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली मुद्दे पर सरकार की ओर से कोई उत्तर है?

*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शांता कुमार)** : अध्यक्ष जी, विपक्ष के माननीय सदस्यों ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली और खाद्यान्न के बारे में चर्चा की। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि बजट में इस संबंध में जो भी प्रावधान हुए हैं उनके संबंध में आपको भी और हमें भी बहुत कुछ कहना है लेकिन बजट पर चर्चा तो होने दीजिए। एक प्रदेश का सवाल नहीं है, बल्कि पूरी व्यवस्था का सवाल है, पूरे फूड डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल है। इस पर जो भी निर्णय इस बार सरकार ने किए हैं वे उचित और ठीक निर्णय हैं, गरीब के हित में हैं। अध्यक्ष महोदय, यह पहला मौका है जब ऐसा हुआ है। आप किसी वर्ष का कोई बजट बता दीजिए जब इस देश के 33 करोड़ गरीब लोगों को 2200 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता दी गई है। पहली बार इस साल के बजट में दी गई है। बजट पर पूरी चर्चा शुरू कीजिए, हमें भी कहना है, हम अपनी बात आपको समझाएंगे। ...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : मंत्री महोदय जो कह रहे हैं, उसके अलावा कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय** : श्री पुन्नू लाल मोहले।

*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य के भाषण के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही में शामिल नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय** : श्री मोहले, आप अपना मुद्दा रखिए।

*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : आप यह सभी मुद्दे बजट पर चर्चा के समय उठा सकते हैं।

*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : यह किस तरह का रवैया है ? आप अन्य सदस्यों को बोलने की अनुमति नहीं दे रहे हैं।

*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य के भाषण के अलावा कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी शमिल नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

*[हिन्दी]*

**श्री पुन्नू लाल मोहले (बिलासपुर)** : अध्यक्ष महोदय, तीन वर्ष पहले मध्य प्रदेश के बिलासपुर जिले की हिरी माइन्स की डोलामाइट खान में 15000 मजदूर हड़ताल पर बैठे थे लेकिन गोली चलने से तीन लोगों की मृत्यु हो गई। वह खदान बंद पड़ी है। इससे मजदूरों की रोजी-रोटी समाप्त हो गई है। उन मजदूरों को अभी तक काम नहीं मिला है और न ही खदान में काम चल रहा है। मेरा निवेदन है कि मृतकों के परिवार वालों को मुआवजा राशि दी जाए, गोली चलाए जाने की घटना की जांच की जाए और जल्द से जल्द खदान चालू कर मजदूरों को काम पर रखा जाए।

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा अपराह्न 2.30 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

**अपराह्न 1.32 बजे**

*तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.30 बजे तक के लिए स्थगित हुई।*

---

**अपराह्न 2.34 बजे**

*मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा अपराह्न 2.34 बजे पुनः समवेत हुई।*

**[श्रीमती मारग्रेट आल्वा पीठासीन हुईं]**

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

## नियम 377 के अधीन मामले

*[अनुवाद]*

### (एक) बिहार में छपरा और मुजफ्फरपुर के बीच सम्पर्क सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग में बदले जाने की आवश्यकता

**श्री राजीव प्रताप रूडी** (छपरा) : बिहार के सारण जिले में सड़कें नहीं हैं और राष्ट्रीय-राजमार्ग जैसे नाम की शायद ही कोई सड़क होगी। छपरा और मुजफ्फरपुर को जोड़ने वाली सड़क बरास्ता गरखा, मकेर और रीवाघाट दो राष्ट्रीय राजमार्ग में बदलने की तत्काल आवश्यकता है। इसका मुख्य कारण यह है कि यह वैशाली के बौद्ध सर्किट और प्रसिद्ध शांति स्तूप को जोड़ेगा। दूसरे यह, मौजूदा दो राष्ट्रीय राजमार्गों के बीच की दूरी को कम करेगा और क्षेत्र में आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा देगा। यह राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने के मानदंडों के लिए बनाए दिशा-निर्देशों को भी पूरा करता है।

### (दो) देश के प्रत्येक गांव में पांच नलकूपों की खुदाई और बिजली के खम्बे लगाने के लिए राज्य सरकारों को केन्द्रीय अनुदान प्रदान किए जाने की आवश्यकता

*[अनुवाद]*

**श्री पुन्नू लाल मोहले** (बिलासपुर) : महोदय, मध्य प्रदेश राज्य सहित समस्त राज्यों के किसानों की माली हालत को देखते हुए तथा उन्हें सिंचाई हेतु सुविधा उपलब्ध नहीं होने के कारण अकाल/सूखा पड़ने से रबी एवं खरीफ की फसल सूख जाती है। चना, गेहूं, तीवरा, अलसी, पसूर, करायत, धतिया, धनिया, गन्ना, ज्वार, धान, कुसुम की फसलों को पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलने से लहराती फसल नष्ट हो जाती है। किसान की हालत दिनों दिन बदतर होती जा रही है। ऋण से किसान दब चुका है। उन्हें दो फसली सिंचाई करने हेतु प्रत्येक गांव में पांच ट्यूबवेल खनन नि:शुल्क कर तथा विद्युत पांच पोल तक नि:शुल्क प्रदान की जाए।

ट्यूबवैल एवं विद्युत के शत-प्रतिशत अनुदान के लिए केन्द्र सरकार स्वीकृति प्रदान करे।

### (तीन) देशभर में कुबेर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के निवेशकों के हितों की रक्षा करने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता

**श्री पद्मसेन चौधरी** (बहराइच) : महोदय, मैं सरकार का ध्यान कुबेर ग्रुप समूह के छोटे-बड़े लाखों निवेशकों की ओर दिलाना चाहता हूं जिनकी गाढ़ी कमाई उपर्युक्त समूह की भिन्न-भिन्न योजनाओं में जमा है। ग्रुप की शाखाएं भारत के लगभग सभी बड़े शहरों में थीं। पिछले लगभग एक वर्ष से भी अधिक समय से समूह किसी भी निवेशक का भुगतान नहीं कर रहा है। कहा जाता है कि समूह की संपत्ति पर्याप्त है जिससे निवेशकों का भुगतान किया जा सकता है। मुझसे कई जनपदों के निवेशकों ने व्यक्तिगत रूप से मिलकर अपनी दु:खद कहानी सुनाई है। कई व्यक्ति सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी हैं जो अपनी सारे जीवन की कमाई इस ग्रुप में केवल तनिक अधिक ब्याज के लालच में लगा चुके हैं और अब प्रति माह उन्हें न ब्याज मिलता है, न उनका मूलधन, क्योंकि ग्रुप के सभी कार्यालय बंद हो चुके हैं और उनका कोई अस्तित्व नहीं है।

मेरा सरकार से आग्रह है कि इस संबंध में उचित कदम उठाकर समस्त कुबेर ग्रुप के लाखों निवेशकों का धन यथाशीघ्र दिलाने की ओर त्वरित कार्रवाई करने का कष्ट करें जिससे निवेशक राहत की सांस ले सकें।

### (चार) उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले को बार-बार आने वाली बाढ़ से बचाने के लिए मास्टर योजना बनाए जाने की आवश्यकता

**श्री रामपाल सिंह** (डुमरियागंज) : महोदय, हमारा संसदीय जनपद सिद्धार्थनगर उ०प्र० नेपाल सीमा से लगा हुआ जनपद है। नेपाल से सटे रहने के कारण जो नदियां नेपाल से आती हैं, वे सब हमारे जनपद में आती हैं जिसके कारण यहां की राप्ती, बगन गढ़ा, बुदईराती इत्यादि नदियां बाढ़ से प्रभावित हो जाती हैं और पूरा जनपद लगभग प्रत्येक वर्ष बाढ़ से बर्बाद हो जाता है। इस विषय को मैंने जल संसाधन मंत्री जी के साथ बैठक में भी उठाया था कि बाढ़ से राहत दिलाने हेतु नेपाल सरकार से बात कर कोई मास्टर प्लान बनाया जाए जिससे जनपद को बाढ़ से राहत दिलाई जा सके। यह जनपद भारत के निर्धन जनपदों में से एक है।

अत: मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि मेरे क्षेत्र को बाढ़ से राहत दिलाने के लिए मास्टर प्लान बनाया जाए।

### (पांच) कर्नाटक में हुबली से हरिहर में मिनी टूल रूम्स प्रोजेक्ट्स की स्थापना करने के लिए कर्नाटक सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने की आवश्यकता

*[अनुवाद]*

**श्री जी०एस० बसवराज** (तुमकुर) : 'मिनी टूल रूम' केन्द्र प्रायोजित योजना के संबंध में भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अंतर्गत भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय का लघु उद्योग विभाग 17 करोड़ रुपये लागत तक की प्रत्येक परियोजना का प्लांट, मशीनरी और उपकरणों की खरीद का 90 प्रतिशत वित्त पोषण करने पर विचार करे। राज्य-सरकार को भूमि और इमारत की लागत संबंधी व्यय और संयंत्र, मशीनरी और उपकरण की 10 प्रतिशत लागत वहन करना अपेक्षित है।

इस योजना के अंतर्गत विकास आयुक्त, लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग, उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली को कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक में हुबली और हरिहर में दो 'मिनी टूल रूम' स्वीकृत करने का प्रस्ताव जून, 1998 में भेजा गया था।

एक संशोधित परियोजना, जो 22-7-1999 के पत्र द्वारा भारत सरकार को भेजी गई थी, वह अभी भी लंबित है।

अत:, मैं केन्द्र सरकार से उक्त परियोजना का अनुमोदन शीघ्रातिशीघ्र करने का अनुरोध करता हूं ताकि बिना समय गंवाए कर्नाटक सरकार इन परियोजनाओं पर काम शुरू कर सके।

### (छह) भीषण चक्रवात से प्रभावित उड़ीसा को विशेष श्रेणी के राज्य का दर्जा दिए जाने की आवश्यकता

**श्री के०पी० सिंह देव** (ढेंकानाल) : महोदय, मैं भारत सरकार का ध्यान उड़ीसा को विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा देने की आवश्यकता

[श्री के०पी० सिंह देव]

की ओर दिलाना चाहता हूं। उड़ीसा राज्य में आए भीषण चक्रवात के कारण राज्य का एक-तिहाई भाग अत्यधिक क्षतिग्रस्त हुआ है। 1.5 करोड़ लोग प्रभावित हुए हैं। कृषि, उद्योग, व्यापार और वाणिज्य तथा संसाधन पूर्णतौर पर नष्ट हो गई है। शिक्षा और स्वास्थ्य-सुविधाएं बुरी तरह प्रभावित हुई हैं और आवास नष्ट हो गए हैं। 15 लाख परिवार आश्रयहीन हो गए हैं और एक लाख बच्चे अनाथ हो गए हैं। राहत, पुनर्वास, पुनर्निर्माण के लिए अत्यधिक मात्रा में संसाधनों संभवत: 50,000 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। इतनी विशाल धनराशि देना एक ऐसे राज्य जिसे कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं हैं और जिसकी जनसंख्या का 58 प्रतिशत गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोग हैं जिनमें 22 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के और 19 प्रतिशत अनुसूचित जाति के लोग हैं। यह केन्द्र सरकार, योजना आयोग और वित्त-आयोग की सामान्य वित्त पोषण नीति से बाहर है। उड़ीसा न तो अनुसूची-सात में आता है और न ही हिमालय के पहाड़ी राज्यों में आता है। अत:, उड़ीसा को विशेष श्रेणी का दर्जा देने तथा तुरंत अधिक मात्रा में वित्तीय सहायता देने की प्रणाली विकसित करने की आवश्यकता है जहां पिछले साढ़े तीन दशकों में प्राकृतिक आपदाएं जैसे अकाल, सूखा, बाढ़ और चक्रवात निरंतर आते ही रहे हैं, जो राज्य के संसाधन जुटाने की सामर्थ्य और योग्यता को कम कर रहे हैं, और अग्रेतर अन्य राज्यों और राष्ट्रीय औसत की तुलना में असंतुलन को बढ़ा रहे हैं।

अत:, मैं मांग करता हूं कि उड़ीसा को विशेष श्रेणी का राज्य घोषित किया जाए।

**(सात) निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं, विशेष रूप से कर्नाटक में, के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में छूट दिए जाने की आवश्यकता**

**श्री एस०डी०एन०आर० वाडियार** (मैसूर) : कर्नाटक में गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं के खराब प्रबंधन के कारण इनके जमाकर्ताओं के समक्ष बड़ा संकट खड़ा हो गया है। इस राज्य में लगभग 50 बैंक कार्य कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, कुछ शहरों और नगरों में छोटे-छोटे कार्यों में गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं हैं। केवल कुछेक संस्थानों को छोड़कर, लगभग सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं बंद होने के कगार पर हैं। अधिकांश संस्थानों ने जमाकर्ताओं से पुनर्भुगतान की एक अव्यवस्थित समय-सारणी का इंतजार करने को कहा है जबकि कुछेक ने उन्हें पुनर्भुगतान करने से मना किया है क्योंकि उनके पास तरलता कम है और यहां तक कि वे दिवालिया हो गई हैं। ये संस्थाएं अपने जमाकर्ताओं को, विशेषतौर पर वेतनभोगी वर्ग, जो अपनी गाढ़ी बचत को वाणिज्यिक बैंकों के स्थान पर इन संस्थाओं में जमा करना पसंद करते हैं। उन्होंने पहले भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया है। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की बढ़ती रुग्णता और जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करने की आवश्यकता को देखते हुए यह आवश्यक है कि भारतीय रिजर्व बैंक अपने दिशा-निर्देशों में ढील दें। जब तक भारतीय रिजर्व बैंक उनके बीच-बचाव के लिए हस्तक्षेप नहीं करता तब तक उनका पुनरुद्धार संभव नहीं होगा।

अत:, मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूं कि वह इन कंपनियों को दिए गए दिशानिर्देशों में ढील दें। जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए सभी संभव प्रयास किए जाएं।

**(आठ) आंध्र प्रदेश में नक्सलवादी समस्या से निपटने में राज्य सरकार द्वारा खर्च किए गए 3491 करोड़ रुपये के बकाया ऋणों को माफ किए जाने की आवश्यकता**

**श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति** (विशाखापत्तनम) : आंध्र प्रदेश पिछले दो दशकों से नक्सलवादी समस्याओं का सामना कर रहा है। अनेक नागरिकों और पुलिसकर्मियों की हत्या हुई है। पिछले पांच वर्षों में इन नक्सलवादियों द्वारा मारे गए नागरिकों और पुलिसकर्मियों के परिवारों को दिया गया मुआवजा, समर्पण करने वाले नक्सलवादियों के पुनर्वास और नष्ट हुई संपत्ति, जिसके लिए सरकार ने मुआवजा दिया है, वह 598.64 करोड़ रुपये है।

यह नक्सलवाद-प्रभावित जिलों में वाणिज्यिक-करों के अंतर्गत कर संसाधनों और पंजीकरण हानि लगभग नौ प्रतिशत है। यदि ये जिले, राज्य के अन्य जिलों की भांति उतना ही प्रति व्यक्ति कर राजस्व देते हों, तो राज्य सरकार को पिछले पांच वर्षों में 2,892 रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होता।

जब पंजाब सरकार को इसी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ा था, तो वित्त-आयोग ने वर्ष 1995-2000 के 490.60 करोड़ रुपये माफ करने की सिफारिश की थी। इसके अतिरिक्त तत्कालीन प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि पंजाब सरकार को दिया गया लगभग 5000 करोड़ रुपये का संपूर्ण विशेष ऋण माफ कर दिया जाना चाहिए।

महोदय, आंध्र प्रदेश सरकार के साथ इसी प्रकार का व्यवहार होना चाहिए। अत:, मैं राज्य सरकार की ओर से भारत सरकार को देय 3,491 करोड़ रुपये की कुल बकाया ऋण राशि माफ करने का अनुरोध करता हूं।

**(नौ) बिहार में वैशाली को रेल मार्ग से जोड़े जाने की आवश्यकता**

*[हिन्दी]*

**डा० रघुवंश प्रसाद सिंह** (वैशाली) : सभापति महोदया, बिहार में ऐतिहासिक स्थल वैशाली को रेल लाइन से जोड़ने के उद्देश्य से सर्वेक्षण कर 17 फरवरी, 1997 को शिलान्यास किया गया था। हाजीपुर, लालगंज, वैशाली, सरैया, साहेबगंज, केसरिया, अरेराज तथा सुगौली तक सर्वेक्षण किया गया था। सर्वेक्षण का कार्य पूरा किया गया, लेकिन बार-बार सरकार द्वारा वैशाली को रेल लाइन से जोड़ने एवं बुद्धिष्ट सर्किट को पूरा करने की घोषणा के बाद भी रेल बजट में इसे शामिल नहीं किया गया है। इससे वहां के लोग क्षुब्ध हैं। अत: हाजीपुर-वैशाली-सुगौली को रेल लाइन से जोड़ने हेतु रेल बजट में शामिल करने के लिए मैं आग्रह करता हूं।

**(दस) मुरादाबाद में बेहतर नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को विशेष अनुदान दिए जाने की आवश्यकता**

**श्री चन्द्र विजय सिंह** (मुरादाबाद) : मुरादाबाद शहर देश में सर्वाधिक मुद्रा अर्जित करने वाले शहरों में से एक है और यहां पर रोजाना सैकड़ों संभावित व्यापारी आते हैं। शहर में व्याप्त गंदगी, मिट्टी और मल व्ययन निकासी प्रणाली का अभाव संभावित व्यापारियों को वहां आने से रोकने के लिए काफी है और वहां के नागरिकों के लिए

एक जीवित नरक है। मल व्ययन निकासी प्रणाली या तो है ही नहीं या बंद पड़ी है। यह शहर गंदगी के ढेर पर बैठा है और यहां सूरत जैसी महामारी कभी भी फैल सकती है। अतएव, यह अतिआवश्यक है कि मुरादाबाद शहर की सफाई के लिए केन्द्र सरकार एक विशेष धनराशि प्रदान करने पर विचार करें।

उत्तर प्रदेश सरकार से मैंने संपर्क किया था। इस संबंध में अनेक वायदे किए गए थे लेकिन हुआ कुछ नहीं। नागरिकों में क्षोभ है।

मैं केन्द्र सरकार से उत्तर प्रदेश सरकार को विशिष्ट अनुदान देने का अनुरोध करता हूं ताकि मुरादाबाद शहर में बेहतर नागरिक सुविधाएं प्रदान की जा सकें। और वहां पूंजी निवेश हो सके और उन नागरिकों का स्वास्थ्य सुरक्षित रहे जो देश के लिए मूल्यवान विदेशी मुद्रा अर्जित करते हैं और यह उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है।

**(ग्यारह) उत्तर प्रदेश में विशेषरूप से खीरी जिले में प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए राज्य सरकार को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता**

**श्री रवि प्रकाश वर्मा** (खीरी) : सभापति महोदया, भारत सरकार ने अब तक करोड़ों रुपयों की विदेशी सहायता तथा ऋण विदेशी संस्थानों से प्राप्त किया है जिनका उपयोग प्राथमिक शिक्षा के विस्तार में किया जाता है परंतु प्राथमिक शिक्षा की स्थिति दिन-प्रति-दिन गिर रही है। उत्तर प्रदेश के जनपद खीरी में प्राथमिक शिक्षा का यह हाल है कि जितने शिक्षक प्रतिवर्ष रिटायर हो रहे हैं उसके दसवें हिस्से की भी नई नियुक्तियां नहीं हो पा रही हैं। जनपद में इस समय कुल 3000 शिक्षक हैं जो कि कुल आवश्यकता का 50 प्रतिशत हैं। शिक्षकों के अभाव में सैकड़ों स्कूल बंद पड़े हैं एवं सैकड़ों एकल विद्यालय चलाए जा रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या में बच्चों को प्राथमिक शिक्षा नहीं मिल पा रही है।

अत: केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि तत्काल स्थिति की उच्चस्तरीय समीक्षा कराए तथा राज्य सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान कर प्राथमिक शिक्षा की समस्या को प्रभावकारी ढंग से हल किया जाए।

---

अपराह्न 2.50 **बजे**

## भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (संशोधन) अध्यादेश का निरनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प

## और

## भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक

*[अनुवाद]*

**सभापति महोदय** : अब हम भारतीय दूर-संचार विनियामक (संशोधन) विधेयक और तत्संबंधी सांविधिक संकल्प को एक साथ लेंगे। श्री बसुदेव आचार्य बोलेंगे।

**श्री रूपचन्द पाल** (हुगली) : महोदया, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैंने आज प्रात: 10 बजे से पूर्व कुछ संशोधन दिए थे लेकिन मुझे बताया गया है कि उन्हें स्वीकृत नहीं किया गया है लेकिन वे एक अतिमहत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दे से संबंधित हैं। मैं इस तथ्य का उल्लेख करूंगा जो ऐसे अवसरों पर पहले घटित हुआ है।

महोदया, जैसा कि आप जानती हैं कि पिछले सप्ताह ऐसी स्थिति थी कि हम ऐसे सरकारी कार्य या सरकारी विधेयक या अन्य मुद्दों पर चर्चा नहीं कर सके थे जो माननीय सदस्यों के मन-मस्तिष्क को उत्प्रेरित करते रहे हैं।

महोदया, मैं कौल और शकधर द्वारा लिखित पुस्तकें संसार में व्यवहार और प्रक्रिया के 508 पृष्ठ की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। जिसमें यह उल्लिखित है :

> "संशोधनों की सूचना अवधि : संशोधनकारी सूचना लोक सभा में विधेयक पर विचार किए जाने वाले दिन से कम से कम एक दिन पूर्व दी जानी चाहिए।"

इसमें आगे बताया गया है :

> "ऐसे विधेयकों के मामले में जिन्हें अल्पसूचना पर विचार के लिए लिया गया है, अध्यक्ष ने पूर्व में अनेक अवसरों पर संशोधनों की सूचनावधि में छूट दी है।"

महोदया, जैसा कि आप जानती हैं कि शुक्रवार को एक निर्णय लिया गया था कि भारतीय दूर-संचार विनियामक विधेयक को सोमवार को लिया जाएगा, मंगलवार को रेल बजट, बुधवार को आम बजट और शुक्रवार को राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव चर्चा के लिए लिया जाएगा। मैं कार्य मंत्रणा समिति में जो कुछ हुआ उसका उल्लेख नहीं कर रहा हूं बल्कि मैं संसदीय कार्य मंत्री के माध्यम से जो कुछ मिला, उसका उल्लेख कर रहा हूं।

सूचना शुक्रवार को 3.15 बजे और आज प्रात: 10.00 बजे दी गई थी। पूर्व में ऐसी परिस्थितियों में अनेकों बार ऐसे संशोधनों को स्वीकार किए जाने के लिए अनुमति दी गई थी।

यह मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मुझे आपका संरक्षण और दिशा-निर्देश चाहिए।

**सभापति महोदय** : इस विधेयक को आज ही सूचीबद्ध नहीं किया गया है। यह संसद का सत्र के शुरू होने से ही कार्यसूची में रहा है।

**श्री बसुदेव आचार्य** (बांकुरा) : नहीं, नहीं।

**सभापति महोदय** : कृपया सुनिए। यह सूचीबद्ध किया गया है। यह कार्यसूची में पहले भी था कि इस पर आज चर्चा होगी।

**श्री बसुदेव आचार्य** : नहीं। यह आज ही आया है।

**श्री पवन कुमार बंसल** (चंडीगढ़) : महोदया, यह केवल पुर:स्थापन के लिए था।

**सभापति महोदय** : कृपया मुझे अपनी बात समाप्त करने दें।

**श्री रूपचन्द पाल** : महोदया, यह विधेयक केवल पुरःस्थापन के लिए था न कि विचार किए जाने के लिए था।

**सभापति महोदय** : कृपया मेरी बात सुनें। आप जानते थे कि इस विधेयक को इस सत्र में उठाया जाएगा मैं इतना ही कह रही हूं कि इस विधेयक को अचानक ही पुरःस्थापित नहीं कर दिया गया। अध्यक्ष महोदय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि आज वितरण के लिए समय नहीं है और संशोधन को अस्वीकार कर दिया है। वह आपको पहले ही बता चुके हैं कि उन्होंने इस संशोधन को अस्वीकार कर दिया है। मैं अब माननीय अध्यक्ष महोदय के निर्णय को बदल नहीं सकती हूं क्योंकि इस निर्णय को पहले ही बताया जा चुका है। कृपया सहयोग करें।

**श्री रूपचन्द पाल** : महोदया, यह बात नहीं है। बात यह है कि हम नियम पुस्तिका के अनुसार चलते हैं। हम पूर्व उदाहरणों और परिपाटियों का भी अनुसरण करते हैं।

**सभापति महोदय** : यह माननीय अध्यक्ष महोदय के विवेकाधीन है।

**श्री रूपचन्द पाल** : हम भारतीय संसद के कार्यकरण के संबंध में विशेषज्ञों की सिफारिशों को भी मानते हैं।

**सभापति महोदय** : इस संबंध में जो कुछ कहा गया है उसका अर्थ है कि माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा अपने विवेकाधीन स्वीकृत किया है। मैं उस बात से सहमत हूं लेकिन आज उन्होंने स्वीकार नहीं किया है। अतः मैं क्या कर सकती हूं।

**श्री मणि शंकर अय्यर (मयिलादुतुराई)** : महोदया, मेरे विचार से आप उनसे अपील कर सकती हैं, सदस्यों को यह अधिकार है कि वह संशोधन प्रस्तुत कर सकते हैं। यह उनका सबसे प्रमुख मूलभूत अधिकार है।

**सभापति महोदय** : लेकिन, मणिशंकर अय्यर जी यह 24 घंटे पहले दिया जाना चाहिए?

**श्री मणि शंकर अय्यर** : लेकिन इस संबंध में पूर्व दृष्टांत भी हैं।

**सभापति महोदय** : पूर्व दृष्टांत रहे हैं। विशिष्ट मामलों में माननीय अध्यक्ष महोदय ने स्वीकृति दी है।

*(व्यवधान)*

**श्री रूपचन्द पाल** : महोदया, मैं आपको दृष्टांत बताता हूं। ऐसा 1955, 1957, 1962, 1968, 1972, 1974 में भी किया गया था। अतः ऐसा अनेक अवसरों पर किया गया है।

**श्री बसुदेव आचार्य** : दो अवकाश थे। शनिवार और रविवार।

**श्री रूपचन्द पाल** : महोदया, कल रविवार था और उससे एक दिन पूर्व शनिवार था, यह विचार के लिए आज ही लिया गया है ...*(व्यवधान)*

महोदया, मुझे आपका संरक्षण चाहिए। यह अतिमहत्वपूर्ण संशोधन है। अन्यथा, ऐसे अवसर पर एक सदस्य के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है।

**सभापति महोदय** : संशोधन को परिचालित नहीं किया गया है। मैं ऐसी चीज को विचार के लिए नहीं ले सकती जिसे परिचालित नहीं किया गया है। सदस्यों को आपके संशोधनों के बारे में मालूम होना चाहिए।

**श्री रूपचन्द पाल** : परिचालन के बारे में विशिष्ट उल्लेख किया गया है कि हरेक संशोधन को परिचालित करना आवश्यक नहीं है। अन्य सदस्यों की सहायता के लिए परिचालन की परंपरा है। ऐसा नहीं है कि जिसे परिचालित करना संभव न हो। सदस्य द्वारा उसे पेश नहीं करने दिया जाएगा।

**सभापति महोदय** : इस विधेयक को 9 मार्च को पुरःस्थापित किया गया था। आपको ज्ञात था कि विधेयक सभा में विचार के लिए लिया जा चुका है क्योंकि इसे पुरःस्थापित किया जा चुका था इसलिए, संशोधन किए जा सकते थे।

*(व्यवधान)*

**श्री मणि शंकर अय्यर** : उन्हें कैसे पता चल सकता था? *(व्यवधान)*

**श्री रूपचन्द पाल** : महोदया, हमें कैसे पता चल सकता था। अनेक बातें थीं। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव भी अनेक बार सूचीबद्ध था...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय** : एक नियम है कि यह एक दिन पूर्व आना चाहिए। असाधारण परिस्थितियों में, अध्यक्ष महोदय स्वीकृति दे सकते हैं। आज उन्होंने कहा है कि वे किसी भी संशोधन की अनुमति इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि समय का अभाव है। अतः, सहयोग करें और अपना स्थान ग्रहण करें। हमें चर्चा करना आरंभ करनी चाहिए।

*(व्यवधान)*

**श्री मणि शंकर अय्यर** : महोदया, यह ठीक नहीं है, क्योंकि यदि परिचालन के बिना संशोधन पेश किए जाने का प्रावधान है, और यदि संशोधन ऐसे विधेयक के बारे में पेश किया गया है जिसके बारे में हम पिछले सप्ताह के अंत तक नहीं जानते थे कि इसे चर्चा के लिए आज लिया जाएगा तब मैं समझता हूं कि मैं आपके माध्यम से अध्यक्ष महोदय से अपील करूंगा कि इस मामले पर पुनः विचार हों और हमें चर्चा के दौरान संशोधन पेश किए जाने की अनुमति की जाए। ...*(व्यवधान)*

**श्री एस० बंगरप्पा (शिमोंगा)** : महोदया, मैं कहना चाहूंगा कि जहां तक विधेयक पुरःस्थापित करने का अथवा इसे पारित करवाने का संबंध है इसके दो चरण होते हैं। महोदया, आपने अभी जो पुरःस्थापन के बारे में कहा वह ठीक है। लेकिन यहां विधेयक पारित करवाने के चरण तक पहुंच चुका है और विचार करने और पारित होने की प्रक्रिया से गुजर रहा है। उन्होंने संशोधन भी प्रस्तुत किया है।

**सभापति महोदय** : उन्होंने आज सुबह ही दिया है।

**श्री एस० बंगरप्पा** : जी हां, उन्होंने आज सुबह इसलिए दिया है क्योंकि कल और परसों दोनों दिन छुट्टी थी और उससे पहले उनके पास उसे देने का कोई अवसर नहीं था। यह विधेयक, पहली बार आज ही कार्यसूची के अनुसार विचार करने और पारित होने के लिए आया है। अतः महोदया, माननीय सदस्य ने अपने अधिकार की सीमा में रहते

हुए संशोधन प्रस्तुत किया है और माननीय अध्यक्ष अथवा उनके कार्यालय को माननीय सदस्य द्वारा प्रस्तुत संशोधन को अस्वीकार नहीं करना चाहिए था। मैं सोचता हूं कि सदस्य संशोधन को स्वीकृत कराने के लिए जो हंगामा कर रहे हैं वह उनका अधिकार है।

**सभापति महोदय** : क्या कोई और कुछ कहना चाहता है?

**श्री मणि शंकर अय्यर** : महोदया, माननीय अध्यक्ष संशोधन को प्रचारित करने के लिए मना कर सकते थे, चूंकि यह बहुत देर से प्रस्तुत किया गया था, किंतु इसे अस्वीकार करना कुछ ज्यादती हो जाएगी विशेषकर तब जबकि पूर्व में ऐसा हो चुका है। यदि सरकार, सत्ता पक्ष सहमत हों तो कम से कम चर्चा के समय, उपयुक्त समय पर, वे संशोधन ला सकते हैं। इसे पूर्ण रूप से अस्वीकार करना उचित नहीं लगता।

**श्री खारबेल स्वाइं** (बालासोर) : महोदया, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

**सभापति महोदय** : आपका व्यवस्था का क्या प्रश्न है?

**श्री वरकला राधकृष्णन** (चिरायिंकिल) : महोदया, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

**सभापति महोदय** : उन्होंने पहले ही व्यवस्था का प्रश्न उठाया है। मैं आपको बाद में मौका दूंगी...*(व्यवधान)*

**श्री खारबेल स्वाइं** : महोदया, मैं नियम 79 का खंड (1) पढ़कर सुनाता हूं। इसमें लिखा है :

"यदि विधेयक के किसी खंड या अनुसूची के किसी संशोधन की सूचना उस दिन से एक दिन पूर्व न दी गई हो जिस दिन कि विधेयक पर विचार किया जाना हो तो कोई भी सदस्य संशोधन के प्रस्तुत किए जाने पर आपत्ति कर सकेगा।"

महोदया, मैं उस संशोधन को लाने पर आपत्ति करता हूं।

**श्री मणि शंकर अय्यर** : यह उस पर आपत्ति कैसे कर सकते हैं, जो सदन के समक्ष है ही नहीं? हम तो इसे लाने का अवसर मांग रहे हैं।

**सभापति महोदय** : आप आपत्ति नहीं कर सकते क्योंकि इसे प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी गई है।

**श्री खारबेल स्वाइं** : महोदया, यह नियम है। मैं संशोधन पर आपत्ति कर रहा हूं...*(व्यवधान)*

**संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** (श्री प्रमोद महाजन) : महोदया, मैं माननीय सदस्य श्री रूपचन्द पाल से निवेदन करूंगा कि उन्होंने यह मुद्दा खड़ा कर दिया है कि विधेयक 9 मार्च को पुर:स्थापित किया गया। जहां तक विधेयक पर विचार करने का प्रश्न है, मुझे इतने वरिष्ठ सदस्य को यह बताने की जरूरत नहीं है कि विचार करने की कोई सूचना नहीं दी जाती और यह अचानक कर लिया जाता है। अत: वह कई दिन पहले नहीं आ सकती।

**अपराह्न 3.00 बजे**

**श्री एस० बंगरप्पा** : यह आज पहली बार आया है।

**श्री प्रमोद महाजन** : श्री बंगरप्पा, यह हमेशा पहली बार ही आएगा। ...*(व्यवधान)* यदि आप कुछ कहना चाहते हैं, तो मैं बैठ जाता हूं। स्पष्ट तौर पर यह माननीय अध्यक्ष का निर्णय था और मैं उनकी ओर से उत्तर नहीं दे रहा हूं। मैं आप सभी से केवल यही निवेदन कर रहा हूं कि हम पहले ही बहुत सारा समय गंवा चुके हैं। माननीय अध्यक्ष पीठासीन नहीं हैं; उनके विवेक से उन्होंने उसे अनुमति नहीं दी है। हम इस बात पर प्रसन्न अथवा अप्रसन्न हो सकते हैं, लेकिन यदि इस समय हम इस पर एक घंटा भी बहस करें तो भी हम इस समसया का समाधान नहीं कर सकते, अपितु चर्चा के लिए जो समय है उसे गंवाएंगे। अत: मेरा निवेदन है कि हम इस समय को चर्चा के लिए प्रयोग करें। मैं किसी भी चीज पर टिप्पणी नहीं कर रहा क्योंकि यह माननीय अध्यक्ष के विवेक पर लिया गया निर्णय है।

**श्री वरकला राधाकृष्णन** : ऐसे भी उदाहरण हैं जहां संबंधित अध्यक्ष ने मौखिक संशोधनों को भी अनुमति दी है। अत: मौखिक संशोधन भी स्वीकार्य हैं। यह एक ऐसा मामला है जहां कार्यसूची को छुट्टी के दिन अर्थात् शनिवार को प्रचारित किया गया। विधेयक का पुर:स्थापन और विधेयक पर विचार करना दो अलग चरण हैं। ऐसे विधेयक थे जो पिछले सत्र में पुर:स्थापित किए गए, किंतु विचार करने के लिए नहीं लिए गए जो काफी संभव है। अत: विचार करना और पुर:स्थापन बिलकुल अलग पहलू हैं। एक सामान्य तथ्य कि विधेयक पुर:स्थापित हो चुका है, इससे सदस्यों का संशोधन लाने का अधिकार छीना नहीं जा सकता। सदस्य को संशोधन लाने का अधिकार होता है और उसे यह मौका दिया जाना चाहिए। यहां इस मामले में ऐसा कोई अवसर नहीं दिया गया क्योंकि केवल शनिवार को ही कार्यसूची प्रचारित की गई थी। तो हम संशोधन कैसे लाएंगे? अत: यह उचित और उपयुक्त है कि जो सदस्य संशोधन लाना चाहें उन्हें ऐसा करने दिया जाए। अन्यथा, यह किसी सदस्य के मौलिक अधिकार का खंडन होगा यदि उसे किसी महत्वपूर्ण विधान पर संशोधन नहीं लाने दिया जाए। कृपया इस पर विचार किया जाए।

**श्री सोमनाथ चटर्जी** (बोलपुर) : क्या मैं कुछ निवेदन कर सकता हूं? मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री से सहमत हूं कि यह अध्यादेश का प्रतिस्थापन है और हम इसके विरोध में नहीं हैं। चूंकि यह सप्ताह का अंत था, संशोधन नहीं ला सकते थे। मैं इस मामले की उचित कार्यवाही किए जाने के लिए निवेदन करता हूं।

**श्री प्रमोद महाजन** : अध्यक्षपीठ का जो भी निर्णय हो, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है।

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : मैं यह कहना चाहता हूं कि उस ओर बैठे माननीय मंत्री जी माननीय अध्यक्ष से इस पर विचार करने के लिए निवेदन करें। हमें औपचारिकताओं में नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि ऐसे उदाहरण हैं। यह जानना जरूरी है कि यह संशोधन किसलिए है। हम यह जानते हैं कि इसके नामंजूर होने की संभावना है किंतु हम रिकार्ड में दर्ज कराते हुए अपनी स्थिति स्पष्ट करना चाहते हैं। अत:, मैं माननीय मंत्रियों से पूछता हूं--मुझे विश्वास है, कि केवल विरोध मात्र के लिए वे आपत्ति नहीं कर रहे हैं--वे माननीय अध्यक्ष से निवेदन क्यों नहीं कर रहे हैं।

**श्री प्रमोद महाजन** : मैंने किसी बात पर आपत्ति नहीं की है।

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : मैं जानता हूं कि आप शीघ्र निपटान करने का प्रयास कर रहे हैं। अतः मैं कह रहा हूं कि इसे संतुष्टि से शीघ्र निपटाया जा सकता है। कृपया इसे उसी प्रकार करें।

**श्री प्रमोद महाजन** : यह अध्यक्ष के विवेक पर है कि वह इसकी अनुमति दें अथवा नहीं दें। अध्यक्षपीठ इस पर विचार करें। हमारी इसमें कोई भूमिका नहीं है।

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : अतः मैं अध्यक्षपीठ से निवेदन कर रहा हूं। महोदया, उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। मैं आपकी व्यक्तिगत समस्या को समझ सकता हूं क्योंकि यह निर्णय माननीय अध्यक्ष द्वारा लिया गया है। अतः मैं यह कह रहा हूं कि उन्हें यह सम्प्रेषित किया जाए कि सदन का यह मानना है ताकि इन संशोधनों पर विचार किया जा सके। मुझे विश्वास है, इसमें कोई परेशानी नहीं होगी और माननीय अध्यक्ष मान जाएंगे।

**श्री एस० बंगरप्पा** : सरकार को इसमें कोई आपत्ति नहीं है।

**सभापति महोदय** : हम अध्यक्ष को यह सम्प्रेषित कर देंगे। किंतु इस समय मैं यह बिलकुल स्पष्ट करना चाहूंगी कि विधेयक 9 मार्च को पुर:स्थापित किया गया। सदस्यों को बुलेटिन में प्रकाशित एक अनुच्छेद द्वारा सूचित किया गया था कि संशोधनों की सूचना पुर:स्थापन के उपरांत दी जा सकती है। सदस्यों के पास सूचना देने के पर्याप्त अवसर थे जिनका लाभ नहीं उठाया गया।

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : यह सप्ताह का अंत था अतः इसे पर्याप्त नहीं माना जा सकता।

**सभापति महोदय** : माननीय अध्यक्ष ने पहले ही सूचनाओं को स्वीकृति नहीं दी है। अतः मैं व्यवस्था के प्रश्न को स्वीकृत नहीं कर सकती।

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : लेकिन यह मेरी पीठासीन अध्यक्ष सादर निवेदन है...

**सभापति महोदय** : कृपया मुझे अपनी बात पूरी करने दें। यदि अध्यक्ष अपने विवेक से मौखिक संशोधनों को लाने की स्वीकृति देना चाहें तो यह अध्यक्ष महोदय पर है कि वह इसकी स्वीकृति दें।

**श्री बसुदेव आचार्य** : वह मौखिक नहीं अपितु लिखित संशोधन हैं।

**सभापति महोदय** : अब, आप उन्हें वाद-विवाद के समय ला सकते हैं क्योंकि सुबह उन्हें अस्वीकृत कर दिया गया था। अतः हम देखेंगे कि क्या करना है किंतु तब तक हम इस पर चर्चा प्रारम्भ करें।

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : मेरा निवेदन है कि इसे उनकी जानकारी में लाया जाए।

**सभापति महोदय** : श्री बसुदेव आचार्य चर्चा प्रारंभ करें।

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : अन्यथा हम सहयोग नहीं करेंगे। इस बात की मैं खुलेआम धमकी देता हूं।

**श्री प्रमोद महाजन** : आप किसे धमकी दे रहे हैं? मैं पहले ही आपके सामने कांप रहा हूं।

**सभापति महोदय** : क्या आप उन्हें धमकी दे रहे हैं अथवा अध्यक्षपीठ को?

अब, कृपया श्री बसुदेव आचार्य।

**श्री बसुदेव आचार्य** : महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं : "कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 24 जनवरी, 2000 को जारी भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अध्यादेश, 2000 (2000 का संख्या-2) का निरनुमोदन करती है।"

सभापति महोदया, यह अध्यादेश 24 जनवरी, 2000 को प्रख्यापित हुआ था। इसके प्रख्यापित होने के मात्र एक महीने बाद ही संसद का बजट सत्र बुलाया गया था। इस अध्यादेश को प्रख्यापित करने की सरकार को क्या जल्दी थी, हमें इसका कोई कारण समझ में नहीं आया। संसद सत्र से ठीक पहले सरकार को अध्यादेश प्रख्यापित करने की क्या जल्दी थी?

सभापति महोदया, जैसा कि माननीय राष्ट्रपति ने दोनों सभाओं के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करते हुए संकेत किया था कि दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण को सुदृढ़ करने तथा और अधिक शक्तियां प्रदान करने के लिए एक समिति गठित की गई थी। उस समिति ने कुछ सिफारिशें की थीं। इस अध्यादेश को प्रख्यापित करने और उसके परिणाम-स्वरूप इस विधेयक के अधिनियमन का मुख्य प्रयोजन दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण को उच्च न्यायालय और नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के अधिकार क्षेत्र से मुक्त करना है।

सभापति महोदया, इस अध्यादेश को प्रख्यापित करके सरकार ने इस समय कार्यरत एक निकाय के स्थान पर दो निकाय गठित कर दिए हैं। इसका उद्देश्य प्राधिकरण को संख्या के मामले में पुनर्गठित करना और दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण को उच्च न्यायालय और नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के अधिकार क्षेत्र से बाहर लाना है। यह एकमात्र ऐसा निकाय है जिसे नियंत्रक और लेखा महापरीक्षक के अनिवार्य लेखापरीक्षण से छूट दी जा रही है। दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण को उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखने का निर्णय भी समान रूप से संवदेनशील मामला है।

सभापति महोदया, इससे यही होगा कि देश के किसी भाग में दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के निर्णय से प्रभावित कोई उपभोक्ता उच्च न्यायालय में अपील नहीं कर सकेगा। उसे दिल्ली आकर अपीलीय निकाय में अपील करना होगा। यदि उपभोक्ता अपीलीय निकाय के निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो वह भारत के उच्चतम न्यायालय में ही अपील कर सकता है। इस विधेयक में यह उपबंध शामिल किया जा रहा है।

अब, सवाल यह है कि सरकार की तरफ से इस अध्यादेश को प्रख्यापित करने की क्या जल्दी थी? यह अधिनियम पहले ही पिछले तीन वर्षों से अस्तित्व में है। यदि इस अधिनियम में संशोधन करना ही था तो बिना अध्यादेश प्रख्यापित किए इसे संसद द्वारा किया जा सकता था।

अह अध्यादेश क्यों प्रख्यापित किया गया? हम इस अध्यादेश के प्रख्यापित किए जाने के साथ-साथ तत्संबंधी विधेयक के अधिनियमन

और साथ ही लागू किए जाने या भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम के संशोधन का विरोध क्यों कर रहे हैं? निजी ऑपरेटर पहले तो सरकार को लाइसेंस शुल्क देने के अपने वायदे से छुटकारा चाहते थे। वे लाइसेंस शुल्क से पूरी तरह छूट के लिए बहस कर रहे थे। चुनावों से ठीक पहले, सरकार निर्धारित लाइसेंस शुल्क को रद्द करने तथा राजस्व भागीदारी व्यवस्था के लिए सहमत हो गई।

दूरसंचार विभाग प्रतिवर्ष 10,000 करोड़ रुपये अतिरिक्त धनराशि की वसूली करता है। इस अतिरिक्त धनराशि पर कुछ निजी दूरसंचार ऑपरेटरों की नजर है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण निजी आपरेटरों के प्रति सहानुभूति रखता है। उन्होंने दूरसंचार विभाग और निजी आपरेटरों के बीच राजस्व का बंटवारा इस प्रकार किया जो विभाग के हितों के प्रतिकूल है। कॉल करने वाला भुगतान करने संबंधी व्यवस्था—जिसमें उपभोक्ता दूरसंचार विभाग को स्थानीय कॉल शुल्क देता है साथ ही यदि वह सेल्यूलर फोन से कॉल करता है तो एयर टाइम शुल्क भी देता है। इसके माध्यम से सेल्यूलर आपरेटर को दूरसंचार विभाग के राजस्व में हिस्सा देने का प्रयास किया गया।

सरकार भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण टी०आर०ए० आई-ट्राई को उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर क्यों रखना चाहती है? क्योंकि लाइसेंस शुल्क में परिवर्तन करने और कालकर्त्ता भुगतान करें। सी०पी०पी० व्यवस्था वाले मामले में उच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप किया जिससे हंगामा मच गया। निजी आपरेटरों और तत्संबंधी उद्योगपतियों की मित्र यह सरकार ट्राई के निर्णयों की समीक्षा संबंधी उच्च न्यायालय के अधिकार को समाप्त करना चाहती थी। नियंत्रक और महालेखापरीक्षक ने प्रश्न किया था कि ट्राई ने किस आधार पर टैरिफ निर्धारित किया और उन्हें निर्देश दिया कि वे टैरिफ निर्धारण प्रक्रिया के बारे में बताएं क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि ट्राई ने निजी आपरेटरों से अनौचित्यपूर्ण ढंग से सहयोग किया है। इसी वजह से इन्होंने मांग की कि ट्राई के निर्णय को नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा जाए। यह निजी ऑपरेटरों द्वारा की गई मांग थी। निजी आपरेटरों को संतुष्ट करने के लिए उनको सहयोग और सहायता पहुंचाने के लिए सरकार ने यह अध्यादेश प्रख्यापित किया था। वस्तुत: इस अध्यादेश के प्रख्यापन की कोई आवश्यकता नहीं थी। सरकार चाहती तो सत्र के आरंभ होने की प्रतीक्षा कर सकती थी जो मात्र एक सप्ताह बाद बुलाई गई थी।

लेकिन सरकार वर्तमान भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम में संशोधन करने के लिए संसद में संशोधन विधेयक लाने के लिए एक सप्ताह भी प्रतीक्षा नहीं कर सकी। इस प्रकार अध्यादेश प्रख्यापित करके सरकार ने निजी ऑपरेटरों की मदद की है।

महोदया, स्थायी रूप से यह अनुदेश दिया गया है कि जब कभी भी कोई नया विधेयक सभा में पुर:स्थापित होता है इसे स्थायी समिति के विचारार्थ भेजा जाए। इसलिए मैं मांग करता हूं कि यह नया विधेयक है, इसे स्थायी समिति को भेजा जाना चाहिए और समिति द्वारा इसकी संवीक्षा की जानी चाहिए। तभी इसे सभा के विचारार्थ प्रस्तुत किया जाना चाहिए। मैं मांग करता हूं कि स्थायी समिति द्वारा संवीक्षा से पहले इसे इस सभा के विचारार्थ नहीं प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

*[हिन्दी]*

**संचार मंत्री (श्री राम विलास पासवान)** : सभापति महोदया, मैं निवेदन करता हूं कि भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 में संशोधन करने के लिए एक विधेयक विचारार्थ प्रस्तुत करना चाहता हूं। अभी हमारे साथी बसुदेव आचार्य जी ने उसके डिसएप्रूवल के लिए जो तथ्य सामने रखे हैं, मैं उस संबंध में सदन को कुछ जानकारी देना चाहूंगा। उन्होंने दो-तीन बातें कही हैं। पहली बात यह है कि सदन का सत्र शुरू होने वाला था तो आर्डीनेंस लाने में क्यों जल्दबाजी की गई। दूसरा आपने लाइसेंस फी, माइग्रेशन पैकेज के संबंध में कहा। तीसरा आपने एक मुद्दा यह भी उठाया कि हाईकोर्ट की जगह सुप्रीम कोर्ट में जाने की बात क्यों कही गई है। हाई कोर्ट को बाई-पास क्यों किया गया। चौथा आपने यह चार्ज लगाया कि प्राइवेट ऑपरेटर्स के प्रति सरकार की सहानुभूति है, वह गलत है।

मैं सर्वप्रथम माननीय सदन को यह बताना चाहता हूं कि जो नया आर्डीनेंस है, जो हमने बिल के रूप में लाने का काम किया है, उसके संबंध में हम कुछ जानकारी देना चाहेंगे कि यह जो टैलीकॉम रेगुलेटरी ऑथोरिटी ऑफ इंडिया (अमेंडमेंट) बिल, 2000 के स्थान पर लाया जा रहा है। आचार्य जी ने ठीक कहा कि अध्यादेश 24 जनवरी, 2000 को जारी किया गया था। आप सबको मालूम है कि जो ट्राय 1997 में गठन हुआ था, सदन में विधान पारित करके किया गया था। उस समय ट्राय को जो मुख्य रूप से शक्तियां दी गई थीं, वह यह थीं—सिफारिशें, विनियमन, विवाद सुलझाना और टैरिफ संबंधी कार्य। इसके अलावा जो सैक्शन 13 था, उसके अधीन उनको डायरेक्शन सर्विस प्रोवाइडर्स को भी डायरेक्शन इश्यु करने का अधिकार था। कुछ मामलों में उनको एग्जीक्युटिव पावर्स भी दी गई थीं, क्योंकि वह बहुत लिमिटेड सेंस में था। जहां तक लाइसेंसी और लाइसेंसर के बीच में मामला था और सर्विस प्रोवाइडर्स के बीच का मामला था, उसे लेकर आपस में विवाद था। ट्राय का हमेशा मानना था कि उनको इस विवाद को निबटाने का अधिकार है और दूसरी तरफ यह कहा जाता रहा कि यह अधिकार नहीं है।

नतीजा यह हुआ कि इसके कारण काफी मुकदमेबाजी हुई और टैलीकॉम के विकास का काम ठप्प पड़ने लगा। आपने ठीक कहा कि यह जो प्राइवेट सैक्टर का मामला है, सदन को मालूम है कि 1991 में जब उदारीकरण की नीति बनी और उसके बाद पूरे देश में एक नये आर्थिक रैवोल्यूशन का दौर शुरू हुआ, उससे अपने को कोई बचा नहीं सका। आपकी सरकार भी अपने को बचाकर नहीं रख पाई और न हमारी सरकार ही...*(व्यवधान)*

**श्री बसुदेव आचार्य** : तब आपने तो इसका विरोध किया था, अब सपोर्ट कर रहे हैं।

**श्री राम विलास पासवान** : जब गेट खुल जाएगा तो आप खिड़की को बंद करके कैसे रख सकते हैं। आप बताएं कि क्या आप पश्चिम बंगाल में विरोध कर रहे हैं।

**श्री बसुदेव आचार्य** : जो जरूरत नहीं है उसको हम पश्चिम बंगाल में आने नहीं दे रहे हैं।

**श्री राम विलास पासवान** : हम भी अपने विभाग में जो जरूरी नहीं है उसका विरोध कर रहे हैं और जो जरूरी है उसे लागू कर

[श्री राम विलास पासवान]

रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज पूरे संसार में कुछ विकसित देशों में सौ में से 67 आदमी के पास टेलीफोन है और पूरे संसार में एवरेज लगाए तो सौ में से 16 आदमियों के पास टेलीफोन है। लेकिन हमारे देश में यह संख्या 2.5 है। इसमें हजारों बिलियन डालर लगेंगे और यह सरकार के बलबूते के बाहर की चीज है। अगर बलबूते में होती तो हम इसे अब तक कर लिये होते। आज भी हम कहते हैं कि 2002 तक प्रत्येक गांव में हम टेलीफाने जोड़ने का काम करेंगे। यह लक्ष्य 1994 में भी रखा गया था लेकिन उसकी पूर्ति इसलिए नहीं हो पाई चूंकि सरकार के पास में साधन नहीं थे और प्राइवेट सैक्टर के लोग इसमें आने के ज्यादा इच्छुक नहीं थे। इसमें सबसे बड़ा कारण सरकार का डी०ओ०टी० का अधिपत्य था। जो इनवेस्टर थे चाहे विदेशी रहे हों या देशी, उनके मन में यह विश्वास पैदा नहीं हो रहा था कि सरकार अपने अधिकार क्षेत्र को छोड़ने वाली है। इसलिए यह बार-बार मांग की जा रही थी कि एक इंडिपेंडेंट रैगूलेटर होना चाहिए, एक शक्तिशाली रैगूलेटर होना चाहिए। यह उसकी ओर बढ़ता हुआ हमारा कदम है। राष्ट्रपति जी का 25 अक्टूबर को जो अभिभाषण हुआ था उसमें सरकार की जो नीति थी उस नीति के साथ ही हम लोगों ने घोषणा की थी कि हम ट्राई को अधिक शक्तिशाली बनाएंगे और उसको मजबूत भी करेंगे।

माननीय वित्त मंत्री जी की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई, उसके बाद एक सब-कमेटी श्री अरुण जेटली जी की अध्यक्षता में बनाई गई। इन दोनों कमेटियों ने अपनी रिपोर्ट पेश कीं और इनकी रिपोर्ट को सरकार ने मान लिया और मानने के बाद यह जो नया बिल आपके सामने है जो पहले आर्डिनेंस के रूप में लाया गया था और अब बिल के रूप में लाया गया है। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी यह हो, हम किसी मामले में देरी करना नहीं चाहते हैं। इसलिए जब आर्डिनेंस लाया गया था तो इसलिए नहीं लाया गया था कि इसमें किसी प्राइवेट सेक्टर को या किसी को बचाने की मंशा हो। आपका जो आरोप था लाइसेंस फी और रैवेन्यू शेयरिंग रीजिम जो हम लाये, वह एक अलग इश्यू है। राज्य सभा में उस पर डिस्कशन हुआ है यहां भी अगर सांसदों की राय होगी तो हमें डिस्कशन में कोई आपत्ति नहीं होगी। इसमें हमारे सामने कोई चीज छिपाने के लिए नहीं है, हम डिस्कशन के लिए तैयार हैं कि कितना पैसा हमारे पास आने वाला था कितना पैसा आ रहा था और जब हमने नया रैवेन्यू शेयरिंग शुरू किया तो हमारे पास कितना पैसा आया और कितने मुकदमेबाजी से हम बचे। यह सारा का सारा दूसरा चैप्टर है, जिसका इससे कोई संबंध नहीं है। जो प्रमुख संशोधन इस विधेयक में और पहले के विधेयक में थे, मैं उनकी तरफ सदन का ध्यान खींचना चाहूंगा। पहले ट्राई की धारा 11 के अधीन उनको पावर दिया गया था, जो रिकमेंडेटरी पावर था, रेगूलेटरी था, टैरीफ का था और डिस्प्यूट सैटलमेंट का था। इसके अलावा जो धारा 13 के अधीन था ट्राई को, सर्विस प्रोवाइडर को डायरेक्शन देने का भी अधिकार था।

जो नए बिल आए हैं, उसमें ट्राई को स्पष्ट कर दिया गया है और ट्राई को 11(1)ए में रिकमैंडेटरी अनुशंसा का, 11(1)बी में रैगुलेटरी और (2) में टैरिफ का पावर दिया गया है। इनके पास जो डिस्प्यूट सैटलमैंट के कार्य थे, उसे ट्राई के फंक्शन्स से अलग कर दिए गए हैं। इसके लिए अलग से पैनल की व्यवस्था की है। धारा 13 के अधीन ट्राई केवल सर्विस प्रोवाइडर से रेगुलेटरी फंक्यान में ही डायरैक्शन जारी कर सकता है। पहले लाइसेंस प्राप्त करने के मामले में ट्राई की सिफारिशों को प्राप्त करना सरकार के लिए अनिवार्य नहीं था। इस बारे में बंसल जी ने कई संशोधन दिए हैं। हम उन पर बाद में चर्चा करेंगे लेकिन इसे अभी अनिवार्य कर दिया गया है। जिस दिन सरकार रिकमंडेशन मांगेगी, ट्राई को 60 दिनों में अपनी सिफारिशें देनी होंगी। अगर 60 दिन में सिफारिशें नहीं आतीं या ट्राई और सरकार के बीच आपसी समझौता नहीं होता तो सरकार निर्णय लेने में सक्षम है। इस बीच में अगर ट्राई को किसी बिंदु पर क्लैरिफिकेशंस की आवश्यकता होगी तो वह सरकार से क्लैरिफिकेशन लेगा। सरकार को सात दिनों में क्लैरिफिकेशंस देनी होंगी। ट्राई की सिफारिशों की प्राप्ति के बाद अगर सरकार की सिफारिशें ऐक्सैप्ट नहीं हैं तो सरकार उसे पुनः विचार के लिए ट्राई के पास भेजेगी। 15 दिनों में ट्राई को फिर अपनी सिफारिशें पुनर्विचार करके भेजनी होंगी। इसके बाद सरकार इस मामले में फाइनल डिसिजन लेगी। ये सारी चीजें इन दो बिन्दुओं के लिए हैं जिनमें सरकार की रिकमंडेशन अनिवार्य है और वे हैं कि कब और कितनी सर्विस प्रोवाइडर की आवश्यकता है? दूसरा, इसमें सर्विस प्रोवाइडर को किन शर्तों पर लाइसेंस दिया जाए। इन दो बिंदुओं पर रिकमंडेशन की बाध्यता अनिवार्य है।

इसके अतिरिक्त भी काम दिए गए हैं जिसमें धारा 11(1)(ए) और 11(1)(नौ) के अधीन ट्राई को अतिरिक्त काम सौंपे गए हैं। सर्विस प्रोवाइडर के बीच इंटरकनैक्टिविटी के लिए सेवा की गुणवत्ता की सीमा निर्धारित करना और सेवा की गुणवत्ता सुनिश्चित करना। यानि जो गुणवत्ता का मापदंड है, वह भी लिया गया है। तीसरा यह है सेवा में तकनीकी सुधार के लिए सिफारिशें करना और प्रभावी प्रबंधन के लिए सिफारिशें करना।

जहां तक क्वालिफिकेशन का सवाल है इसमें दो मत नहीं है। आपने ठीक कहा कि पहले एक बाडी थी जिस पर चार्ज लगता था। यह बाडी रिकमंडेशन भी करती है और जंज का भी काम करती है। इसे दो भागों में बांट दिया गया। वकालत भी एक आदमी करे और वही आदमी जजमैंट भी दे, यह थोड़ा ठीक नहीं लगता। इसलिए इसे दो भागों में कर दिया गया। एक का नाम ट्राई रखा गया और दूसरे का नाम एप्पीलैट डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल रखा गया है। इसमें ट्राई की क्वालिफिकेशन रखी गई। पहले उसमें चेयर पर्सन सिटिंग और रिटायर्ड कोर्ट के जज होते थे। अब इसे समाप्त कर दिया गया है। इसके बदले में यह सारी की सारी चीज एडज्युडिकेशन के मामले में लागू कर दी गई है। ट्रिब्यूनल का जो चेयर पर्सन है, उसके मामले में यह लागू होगा। जहां तक ट्राई का मामला है, इस अनिवार्यता को समाप्त करके कहा गया है कि जिनके पास दूर-संचार, उद्योग, वित्त, लेखाकार, विधि, प्रबंध या कंज्यूमर अफेयर्स का विशिष्ट ज्ञान होगा, वे उसके चेयरमैन और मैंबर हो सकते हैं। इसमें अध्यक्ष की कार्य अवधि पहले पांच वर्ष थी और सदस्यों की कार्य अवधि भी पांच साल या 65 वर्ष की थी। मतलब जो अध्यक्ष थे, वे 80 वर्ष या किसी भी ऐज तक जा सकते थे लेकिन अब अपटू थ्री ईयर्स कर दिया गया है। इसका मतलब हुआ अपटू थ्री ईयर्स या 65 वर्ष की आयु होनी चाहिए। इसमें कार्य अवधि तीन वर्ष रखी गई है लेकिन अपटू शब्द जोड़ने का काम किया गया है।

एक मामला सैंसिटिव मामला है और वह मामला सी०ए०जी० का है या आडिट का है। सैक्शन 23(1) है। उसके मुताबिक कहा गया है कि सभी प्राधिकरण लेखा और अन्य संबद्ध अभिलेखों को समुचित ढंग से रखें।

उसके बाद 23(2) में कहा गया कि लेखाओं का लेखापरीक्षण नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा किया जाएगा। अब उसमें एक्सप्लनेशन दे दिया गया है।

उस एक्सप्लेनैशन को जोड़कर इस शंका को दूर करने का काम किया है। उसके तहत यह घोषणा की जाती है कि धारा 11, जिसमें रेगुलेटरी एंड टेरिफ का मुद्दा है तथा धारा 13 में जो डायरेक्शन का मुद्दा है, सर्विस प्रावाइडर में, धारा 1 तथा मुख्य धारा 2 के खंड के तहत, ट्राई अपने कार्यों के निर्वहन के लिए किए गए निर्णयों में, जिनकी अपील ट्रिब्यूनल में हो सकती है, सी०ए०जी० का हस्तक्षेप नहीं होगा—न रैगुलेटरी फंक्शन में, न टेरिफ फंक्शन में, न डायरेक्शंस के फंक्शन में—किसी प्रकार का कोई इंटरफियरेंस नहीं होगा। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि इन तीनों जगहों पर जिसे एश्योरेंस का अधिकार दिया गया है, जैसे हम सर्विस प्रोवाइडर की बात करते हैं, जिसमें कहते हैं कि प्राइवेट वाले अट्रेक्ट हों, ताकि उन्हें लगे कि कहीं न कहीं सरकार घुमा-फिराकर अपना अपर हैंड रखना चाहती है और हमको फ्री-हैंड नहीं देना चाहती है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है जहां लेखा संबंधी काम होता है, उमसें कुछ नहीं है। हां, इस संबंध में जो मतभेद होगा, उन्हें पूरा का पूरा अधिकार होगा कि वे ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं। लेकिन यह इस दृष्टिकोण से रखा गया है जिससे लोगों के दिल में यह भावना पैदा हो सके कि जो कदम उठाया गया है, वह ट्राई को इंडिपेंडेंट रखने के लिए किया गया है।

मैं समझता हूं कि जो टेली-कम्युनिकेशन डिस्प्यूट्स ट्रिब्यूनल है, उसमें सैक्शन-14 के अधीन ट्राई को एडजुडिकेटिव पावर्स दी गई हैं लेकिन धारा 14 से 20 तक प्रावधान दिया गया है। इसमें सारा का सारा ट्रिब्यूनल को अधिकार दिया गया है लेकिन जहां तक कंपोजीशन का सवाल है, उसमें एक अध्यक्ष और दो मैंबर्स होंगे। ट्राई के जो पहले चेयरमेन थे, उनकी जो क्वालिफिकेशंस थीं, वही क्वालिफिकेशंस सिटिंग या फार्मर सुप्रीम कोर्ट के जज या चीफ जस्टिस, या हाई कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टि होंगे, जो मैंबर्स होंगे, उनकी पोस्ट सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या जो राज्य सरकार के अधीन दो वर्ष तक काम कर चुके हों तथा जिन्हें इंडस्ट्री, टेली-कम्युनिकेशन, कामर्स या एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड में जानकारी होगी—मुख्य रूप से ये उसकी विशेषताएं हैं।

मुझे इस बात की खुशी है कि तमाम वर्ग के लोगों ने इसका स्वागत किया है। सी०आई०आई०, एफ०आई०सी०सी०आई०, सैल्यूलर आपरेटर्स ऑफ इंडिया, एसोसिएशन ऑफ बेसिक टेलीकॉम ने भी इसका स्वागत किया है और मैं समझता हूं कि हमारे कांग्रेस के जितने साथी बैठे हुए हैं, लैफ्ट फ्रंट के सब लोग हैं जिनके साथ काम किया है, मैं आप लोगों की मनोभावना को जानता हूं लेकिन मैं समझता हूं कि जिस ढंग से...*(व्यवधान)*

**श्री बसुदेव आचार्य** : एक साथ लड़ाई की है।

**श्री राम विलास पासवान** : हां, एक साथ लड़े हैं। आज समय बहुत तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है और संचार के मामले में मैं कह सकता हूं कि विश्व में संचार के मामले में बहुत बड़ी क्रांति आई हुई है। आज सारा विश्व इंटरकॉम पर नाच रहा है। आज हम यहां बैठे हुए और रात में भी पहले जानकारी नहीं होती लेकिन रात को 12 बजे विदेश में सारा का सारा न्यूज पढ़ने को मिल जाता है और वह भी इंटरनेट के माध्यम से। हम अपने देश को इससे अलग नहीं रख सकते हैं। मुझे यह कहने में कोई आपत्ति नहीं है कि सरकार के पास इतने संसाधन नहीं हैं कि वह टेलीकॉम या ग्लोबल यूनिवर्सल एक्सैस से बात कर सके या जब हम यूनिवर्सल सर्विसेज की बात करते हैं, सर्विसेज भले मिल जाएं लेकिन जो एक्सैस की हमारी कल्पना है, वह पूरी नहीं हो सकती है।

इसलिए सरकार ने बहुत सोच-समझकर यह नीति बनाई है कि कम से कम जहां तक ट्राई का मामला है, उसे इंडिपेंडेंट रखा जाए तथा इसे शक्तिशाली बनाएं। मैं समझता हूं कि किसी इंडस्ट्री के डेवलेपमेंट के लिए किसी आदमी का कोई विरोध नहीं होना चाहिए। जिस तरह से हर वर्ग के लोगों ने इसका स्वागत किया है, उसी प्रकार से इस सदन को इस बिल का स्वागत करना चाहिए। मुझे आशा है कि आप सब इसे सर्वसम्मति से पास कराने का काम करेंगे।

मैं प्रस्ताव* करता हूं :

"कि भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

*[अनुवाद]*

**श्री मणि शंकर अय्यर (मयिलादुतुराई)** : सभापति महोदया, मैं अपने मित्र श्री बसुदेव आचार्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का समर्थन करने और सत्तारूढ़ पक्ष द्वारा अपने अवांछनीय अध्यादेश को भारत सरकार के वैध अधिनियम में बदलने के लिए किए जा रहे प्रयास पर कड़ा विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

महोदया, मेरा विरोध मूल रूप से इस बात के लिए है कि मैं दूरसंचार क्षेत्र के मामले में इस सरकार पर विश्वास नहीं करता। बुनियाद तौर पर मुझे इसी से घोर आपत्ति है। यद्यपि मैं इस सरकार पर सभी क्षेत्रों में अविश्वास करता हूं लेकिन दूरसंचार के क्षेत्र में उन पर बिल्कुल भी अविश्वास नहीं करता हूं क्योंकि इस क्षेत्र में हमने उन्हें यहां बैठने पर एक रंग, सरकार का समर्थक होने पर दूसरा रंग और स्वयं सत्ता में आने पर अलग रंग दिखाते हुए देखा है। जब कोई प्रतिबद्धता में ऐसी कमी और निरंतर सुविधावादी नीतियों के अनुपालन को एकमात्र लक्ष्य के रूप में लक्षित करता है, तो मेरे विचार से, विधेयक की बारीकियों में जाने से पहले यह बहुत आवश्यक है कि उन इरादों को हम देखें जिसके कारण सरकार ने यह अध्यादेश जारी किया था।

महोदया, आपको याद होगा कि दिसंबर 1995 में मूलभूत सेवाओं के लिए लाइसेंस दिए जाने के प्रश्न पर यह संसद लगभग दो सप्ताह तक स्थगित रही। वस्तुतः, एक विशिष्ट संसदीय कार्य मंत्री जो अभी यहां उपस्थित नहीं हैं—ने दूसरी सभा में इसी दावे के आधार पर नाम कमाया था कि लाइसेंस देना मूलभूत सेवा क्षेत्र में निजी क्षेत्र के प्रवेश

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत।

[श्री मणि शंकर अय्यर]

को बढ़ावा देने की प्रणाली के रूप में एक बड़ा घोटाला है। मूल रूप से आरोप यह था कि तत्कालीन कांग्रेसी संचार मंत्री ने एक लाइसेंस प्रणाली शुरू की थी जिसके अनुसार एक भारतीय कंपनी जो तीसरे विश्व के दो दलों—एक थाई और एक इजरायली कंपनी—के साथ सहयोग कर रही थी उसके द्वारा सबसे ऊंची बोली लगाने के बावजूद अवैध रूप से लाइसेंस दिया जा रहा था हालांकि वह अपना शुल्क देने में भी सक्षम नहीं थी। मूल आरोप यही था कि हिमाचल फ्यूचरिस्टिक लिमिटेड नाम की एक छोटी कंपनी थी, संचार मंत्री भी हिमाचल के ही हैं। इसलिए कुछ अंदरूनी घपला जरूर होगा और हालांकि यह कंपनी लाइसेंस शुल्क नहीं दे पाएगी फिर भी श्री सुखराम उसे लाइसेंस दे रहे हैं। इसका मतलब है कि कुछ गड़बड़ चल रहा है।

अब हम वर्ष 1999 की बात करें। कारगिल क्षेत्र में बड़ा युद्ध चल रहा है और हजारों करोड़ रुपये बिना पूर्वानुमान के भारत सरकार द्वारा खर्च किए जा रहे हैं जिसके लिए हमें अनुपूरक अनुदानों को पारित करना पड़ा। जब देश एक आक्रमण झेल रहा है और गरीबों का हजारों करोड़ रुपये देश को बचाने में खर्च हो रहे हैं...*(व्यवधान)* एक रूप से यह बर्बाद हो रहे हैं क्योंकि यदि हमने इस घुसपैठ को शुरू में ही रोकने के लिए उचित कदम उठाए होते तो हो सकता है युद्ध आवश्यक नहीं होता। कृपया श्री राम नाईक से कहें कि वे मेरा ध्यान मुख्य मुद्दे से हटाने की कोशिश नहीं करें। मैं वही कह रहा हूं जो उन्होंने कहा था। उस समय मैं उधर बैठा करता था। श्री राम नाईक ने जो भी कहा उसे मैंने काफी ध्यान से सुना था। मैं उन्हें सिर्फ याद दिला रहा हूं कि उन्होंने स्वयं क्या कहा था। उन्होंने कहा कि लाइसेंस शुल्क सिर्फ उन्हीं से लिया जाना चाहिए जो देने में समर्थ हों और हिमाचल फ्यूचरिस्टिक देने में समर्थ नहीं है। अब युद्ध के मध्य में जब हमारे जवान करगिल में खून बहा रहे हैं, तो यह सरकार—जिसने उन सभी चीजों की उपेक्षा की है जो गरीबों के हित में है—लाइसेंस प्रणाली को राजस्व हिस्सेदारी प्रणाली में बदलने की जल्दी में है जिससे भारत सरकार को हजारों हजार करोड़ रुपये का नुकसान होगा। मैं समझ सकता हूं कि समस्याएं हो सकती हैं और संसद में हमें उस पर चर्चा करने की आवश्यकता है, तभी हम किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। लेकिन एक सरकार जिसने देश पर शासन करने का जनमत खो दिया है जो मात्र अगले आम चुनाव होने की प्रतीक्षा में किसी तरह से शासन चला रही है, उसने देश के सबसे अमीर व्यापार घरानों से मिलकर विश्व के सबसे बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हितों को बचाने की सर्वोच्च प्राथमिकता देकर उन्होंने लाइसेंस प्रणाली खत्म करके राजस्व हिस्सेदारी प्रणाली अपनाकर संपूर्ण ढांचे को ही बदल दिया है।

जैसा कि माननीय संचार मंत्री ने हमें याद दिलाया कि आज तक संसद ने इस पर चर्चा तक नहीं की है। इसलिए मुझे उन पर विश्वास नहीं है। वे यहां कुछ कहते हैं और जब बीच में बैठे होते हैं तो कुछ और कहते हैं और जब वे सत्ता में होते हैं तो कुछ तीसरी ही बात बोलते हैं। या तो श्री सुखराम के समय में लाईसेंसिंग प्रणाली गलत थी अत: उन्हें बाद में सैल्युलर ऑपरेटरों के लिए उस लाईसेंसिंग प्रणाली को नहीं अपनाना चाहिए था। एक ऐसे समय में जबकि देश में रक्त बहाया जा रहा है तथा धन खर्च किया जा रहा है, विश्व के अमीर बहुराष्ट्रीय निगमों को छोड़ दें—वे देश में सबसे अमीर व्यवसायी भागीदार हैं—एक मुक्त सौदे के अंतर्गत वे यहां आए, और साथ ही श्री सुखराम जिनकी उन्होंने आलोचना की उन्हीं की प्रणाली को अपना सा समझकर अपना लिया। मैं दूरसंचार क्षेत्र के बारे में जो कुछ यह सरकार कह रही है, उस पर विश्वास क्यों करूं? मुझे किसी भी बात में सरकार पर भरोसा नहीं है और जब दूरसंचार क्षेत्र की बात आती है तो मुझे उन पर कम से कम विश्वास है अत: मैं समझता हूं कि अब हम इस मामले पर विस्तार से विचार करें किंतु इससे पूर्व कि मैं यह करूं मैं माननीय संचार मंत्री महोदय का ध्यान उनकी वर्तमान हैसियत और पूर्व में विपक्ष के नेता के रूप में जबकि वे जहां मैं खड़ा हूं वहां बैठा करते थे की हैसियत से आकृष्ट करना चाहूंगा। हाल ही में कुछ सप्ताहों के दौरान मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में जिस दूरसंचार कंपनी के शेयरों में भारी तेजी आई है वह है हिमाचल फ्यूचरिस्टिक जिसकी कि आपने चार वर्ष पूर्व आलोचना की थी। चार वर्ष पूर्व आपने कहा था कि वे भुगतान करने में असमर्थ हैं और आज यह मुंबई स्टॉक एक्सचेंज के अनुसार देश की अत्यधिक सफल दूरसंचार कंपनी है। अत: मैं जानना चाहता हूं कि हम इस संशोधन विधेयक की जांच शब्दवार व लाईनवार क्यों न करें ताकि यह पता चल सके कि वे यह विधेयक हमारे समय क्या मन बनाकर लाए। मैं माननीय राम विलास पासवान जी की उस समय अत्यधिक प्रशंसा किया करता था जब वे सोशिलस्ट थे, जब वे गरीबों के मसीहा थे, जब वे दलित वर्ग के पैगम्बर थे। किंतु आज जब मैं उन्हें बहुराष्ट्रीय कंपनियों के समर्थक के रूप में देखता हूं तो दुख होता है कि अच्छा आदमी मात्र एक मंत्री पद के लालच में नैतिकता से भटक गया है। इस विधेयक के साथ मूलभूत समस्या दूरसंचार क्षेत्र की पहुंच है, आज वे 'विदेशी' उदाहरणों से इस कदर भरे पड़े हैं कि वे 'स्वदेशी' वास्तविकता को पूर्णतया भूल गए हैं। वह चाहते हैं कि हम उन्नति की ओर अग्रसर हों, जहां हर एक हाथ में फोन लेकर घूमें। किंतु हम उस देश में रहते हैं जहां लाखों लोग को पीने का पानी तक नहीं मिलता है। इस देश की सामाजिक व आर्थिक परिस्थितियों के आधार पर न कि उन देशों की सामाजिक व आर्थिक परिस्थितियों के आधार पर जहां कि आजकल पासवान जी ने यात्राएं की हैं, हमें अपनी दूरसंचार नीति का निर्धारण करना चाहिए।

हमारे समक्ष 1999 की राष्ट्रीय दूरसंचार नीति है। मेरा इस पर भिन्न मत है। किंतु कुल मिलाकर इस नीति में राष्ट्र के लिए अच्छे उद्देश्य हैं। श्री पासवान जी ने इनमें से तो कुछेक का उल्लेख किया है यद्यपि उन्हें इस बात का आभास नहीं है कि उनके द्वारा लाए गए विधेयक में उनका इनसे कोई संबंध नहीं है। राष्ट्रीय दूरसंचार नीति 1999 में इस बात का वायदा किया गया है कि हम सार्वभौमिक पहुंच के लिए कार्य करेंगे और उन्होंने इसका उल्लेख भी किया है। यह विधेयक में कहां है? यह विधेयक में कहीं भी नहीं है। हम सरकारी वायदे के अनुरूप सार्वभौमिक पहुंच के लिए कार्य करेंगे।

**श्री राम विलास पासवान :** यह मात्र भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ('तराई') के लिए है। यह राजस्व भागीदारी पैकेज अथवा अन्य किसी के लिए नहीं है। यह 'तराई' के लिए एक संशोधन है।

**श्री मणि शंकर अय्यर :** मैं समझता हूं कि संचार मंत्री जी की टिप्पणी से यह स्पष्ट हो जाता है कि वह अपनी नीति से कितना हटे हैं क्योंकि वह यह सोचते हैं कि 'तराई' का राष्ट्रीय दूरसंचार नीति से कोई लेना-देना नहीं है। यह उनकी नीति है। और मैं उस नीति और इस विधेयक के बीच संबंध को देखना चाहता हूं।

मैं उन्हें एक बात बताना चाहता हूं यदि उनका इस पर खुला दिमाग है तो। कुल मिलाकर मैं उनके अपने उद्देश्यों को रख रहा हूं। मैं उनका ध्यान इस तथ्य की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि राष्ट्रीय दूरसंचार नीति 1999 और 'तराई' (संशोधन) विधेयक के उद्देश्यों के बीच कोई संबंध नजर नहीं आती, जबकि मैं यह समझता हूं कि एक ऐसे विधेयक जिस पर हमें गर्व है, के लिए यह आवश्यक है। यह विधेयक राष्ट्रीय दूरसंचार नीति 1999 के संदर्भ में रखा जाए, जबकि ऐसा नहीं किया गया है। इस बात का साक्ष्य दो क्षेत्रों में है। सर्वप्रथम मैं इस विधेयक की धारा-2 का उल्लेख करता हूं और दूसरे विधेयक के अंत में लगे उद्देश्य और कारणों के कथन का उल्लेख करता हूं।

धारा-2 के संदर्भ में, जो कि विधेयक का पूरा नाम है, 1997 का पुराना अधिनियम कहता है : "भारतीय दूरसंचार विनियमन प्राधिकरण का कार्य दूरसंचार सेवाओं का विनियमन है" और वहीं समाप्त हो जाता है। अब उन्होंने पूरे नाम का विस्तार एक लाईन से बढ़ाकर कविता के रूप में किया है। मैं जानता हूं कि कवि, प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद श्री पासवान जी को मिला है। मुझे एक पंक्ति के पूरे नाम को पांच लाईनों में करने का कारण समझ नहीं आता। पूरे नाम में पांच पंक्तियां हैं और इन पांच पंक्तियों को लिखने में वे अपनी राष्ट्रीय दूरसंचार नीति को भूल गए हैं। विधेयक के नए, पूरे नाम में सार्वभौमिक पहुंच का कोई जिक्र नहीं है, ना ही इसमें सार्वभौमिक सेवाओं का उल्लेख है और ना ही इसमें सार्वभौमिक सेवा निधि का उल्लेख है। वे कहां तक हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि वे कहां तक हैं, जैसा कि मैं चाहता हूं।

महोदया, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप कृपया उद्देश्य और कारकों के कथन पर अपना ध्यान आकृष्ट करें। उद्देश्य और कारण के कथन के पैरा (1) में उन्होंने राष्ट्रपति के हवाले से कहा है, जो कि उन्होंने स्वयं लिखा है और जिसमें यह कहा गया है कि :

"भारतीय दूरसंचार विनियमन विधेयक का उद्देश्य अब निवेशकों के विश्वास को बढ़ाना है।"

यह मेरा पहला विचार है। उनका पहला विचार सार्वभौमिक पहुंच, सार्वजनिक सेवाएं और सार्वजनिक सेवा निधि नहीं है। उनकी प्रथम चिंता भारत के ग्रामीण क्षेत्र नहीं, उनकी चिंता दूरसंचार के वे क्षेत्र नहीं हैं जो कि अलाभकारी समझे जाते हैं। उनकी चिंता दूरसंचार के क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को मजबूत बनाना भी नहीं है किंतु उनकी पहली चिंता है निवेशकों का विश्वास। वे निवेशक के समक्ष घुटने टेक देंगे ताकि वो धन ला सके जो कि वे नहीं ला सके। मैं समझता हूं कि यह लज्जा की बात है क्योंकि भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने श्रीमती इन्दिरा गांधी, श्री राजीव गांधी और श्री नरसिम्हा राव जैसे महान् समाजवादी नेताओं के नेतृत्व में दूरसंचार क्षेत्र में कुल निवेश का 5/7 भाग अपने आंतरिक स्रोतों से उपलब्ध करवाया। अपने पांव पर खड़े होने में ही आत्मनिर्भरता है, इस बात को पहचानने की बजाय और आत्मसम्मान के आधार पर अन्यों का सहयोग लेने की बजाय यह सरकार कुछ भी करने को तैयार है जिसमें यह उस अधिनियम में संशोधन भी करने को तैयार है जो कि श्री राम विलास पासवान जी की सरकार लेकर आई थी। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के समक्ष याचना करने के लिए कि हम आपके लिए कुछ भी कर देंगे क्योंकि हमारे पास पटना से राजभवन फोन करने के लिए पैसे नहीं हैं। अत: कृपया आइए और हमें इसमें समर्थ बनाइए। मैं समझता हूं कि यह अपमान है कि उनकी पहली चिंता निवेशकों का विश्वास जीतना है। कैसा विश्वास?

इन विदेशी निवेशकों ने मूलभूत सेवाओं और सैल्यूलर सेवाओं के बारे में अपने प्रस्ताव पहले ही प्रस्तुत कर दिए हैं। एक निवेशक कहता है कि हम उनमें विश्वास कैसे करें क्योंकि एक महानगर में लाईनवार 15000 रुपये की लागत आएगी और दूसरा निवेशक कहता है कि उसकी लागत 1,00,000 रुपये होगी? यह ही अंतर है। यह कंपनियां आज भारत में कार्यरत हैं—उनमें से कुछ कहते हैं कि दिल्ली जैसे शहर में उनकी लाईन बिछाने की लागत 15000 रुपये मात्र होगी और अन्य दूसरा कहता है कि नहीं उसकी लागत 1,00,000 रुपये आएगी।

ग्रामीण क्षेत्र में तो यह तसवीर और भी खराब है। मैंने देखा कि कुछ ऑपरेटर कहते हैं कि उन्हें एक लाईन बिछाने में 2.30 लाख रुपये की लागत आएगी और दूसरा कहता है कि यह लागत 12 लाख रुपये होगी। कोई उन लोगों पर कैसे विश्वास करे जो कि इतनी गलत बात करते हैं और जो हमसे अनुबंध मात्र इन्हें तोड़ने की मंशा से करते हैं और बाद में वे श्री राम विलास पासवान और श्री प्रमोद महाजन जैसे अनुकूल मंत्रियों के पास जाते हैं, जो कि उनके समक्ष घुटने टेककर उन्हें जो चाहिए वो देने को तैयार हो जाते हैं। जबकि उन्हें कहना यह है कि सहजता से हुए अनुबंधों का पालन होना चाहिए और यदि वे ऐसा नहीं करते तो उन्हें अनुबंध तोड़ने का भारी भरकम खामियाजा भुगताना होगा।

महोदय, मैं नहीं समझता कि इस विधेयक के जरिए सरकार का प्राथमिक उद्देश्य मात्र निवेशकों के विश्वास को बढ़ाना है। दूरसंचार के क्षेत्र में किसी भी विधेयक का प्राथमिक उद्देश्य सार्वभौमिक पहुंच, सार्वभौमिक सेवाएं, सार्वभौमिक सेवानिधि, ग्रामीण क्षेत्र और अलाभकारी क्षेत्र होने चाहिए। श्री राम विलास पासवान इन सभी चीजों को भूल गए हैं किंतु वे बहुराष्ट्रीय निवेशकों के समक्ष घुटने टेकना चाहते हैं। महोदया, मैं थोड़ा समय और लूंगा। अत: आप अपनी भवें तानते रहिए। मुझे इस विधेयक पर बहुत कुछ कहना है।

**सभापति महोदय :** श्री मणि शंकर अय्यर, समय सीमा है और यथाशीघ्र अपना भाषण समाप्त करने की कोशिश करें क्योंकि और भी बहुत सारे वक्ता हैं।

**श्री मणि शंकर अय्यर :** महोदया, जितनी जल्दी हो सकेगा अपना भाषण समाप्त करने की कोशिश करूंगा क्योंकि यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है।

दूसरा उद्देश्य जो श्री राम विलास पासवानजी ने हमारे सामने उद्देश्यों और कारणों के कथन में रखा है, वह यह है कि सार्वजनिक और निजी आपरेटरों के बीच समानता हो। मैं जानना चाहता हूं कि वे इन दोनों के बीच समानता क्यों रखना चाहते हैं। अंतत: हमारे सार्वजनिक ऑपरेटर ही मेरे जैसे निर्वाचन क्षेत्र में जाते हैं। मेरे यहां सार्वजनिक आपरेटर मेरे निर्वाचन क्षेत्र, मईलादुतरई में दस हजार की संख्या में टेलीफोन उपलब्ध करवा रहा है जहां कि निजी भारतीय सेलुलर आपरेटर जाने को तैयार ही नहीं हैं जहां लोग बहुत गरीब हैं। हम इन विदेशियों के गुलाम होने को क्यों तैयार हैं जो कि यह कहते हैं कि जब तक

[श्री मणि शंकर अय्यर]

आप हमें एक समानता नहीं देंगे हम आने को बिल्कुल तैयार नहीं हैं। मैं यह समझता हूं कि निवेशक के विश्वास बढ़ाने के अनुषंगी के रूप में आपका यह कहना कि जिस क्षेत्र में वे कार्य कर रहे हैं उस क्षेत्र में समानता प्रदान की जाएगी।

परंतु भारत के गरीब लोगों, क्षेत्रों और इसके ग्रामीण क्षेत्रों हेतु दूरसंचार सुविधाओं का प्रावधान करने के स्थान पर इस समान प्रतिस्पर्धा को अत्यधिक उद्देश्यात्मक बनाना, मेरे विचार में एक गंभीर नीति संबंधी चूक है।

*[हिन्दी]*

**प्रो० रासा सिंह रावत** (अजमेर) : सभापति जी, यह विदेशियों के बारे में कह रहे हैं तो हर क्षेत्र में विदेशियों की निंदा की जानी चाहिए। इससे आप सहमत होंगे।

*[अनुवाद]*

**श्री मणि शंकर अय्यर :** महोदया, मैं इस प्रकार की बचकानी और नौसिखिया टिप्पणी का उत्तर ही नहीं देना चाहता।

महोदया, उद्देश्यों और कारणों के वक्तव्य में आगे यह कहा गया है कि सरकार का विचार उपयुक्त संशोधनों के माध्यम से इस प्राधिकरण को सुदृढ़ करने का है। परंतु वह तो ऐसे संशोधनों के द्वारा इसे कमजोर कर रहे हैं। अगर 'ट्राई' ने यह न जताया होता कि यह स्वयं में एक शक्तिसम्पन्न निकाय है, तो इन संशोधनों की आवश्यकता नहीं होती। वह हमें गुमराह क्यों कर रहे हैं। इस विधेयक का उद्देश्य 'ट्राई' को सुदृढ़ करना नहीं, अपितु इस पर सरकार के नियंत्रण को मजबूत करना है। यदि इन्होंने ईमानदारी से यह कहा होता कि 'ट्राई' का व्यवहार गैर-जिम्मेदाराना है और इसीलिए हमें इस पर नियंत्रण बढ़ाने की अरूरत है और फिर हमारे माध्यम से संसद पर नियंत्रण बढ़ाने की बात मैं समझ सकता था। परंतु यह सब कहने के स्थान पर संचार मंत्री ने यह कहा है—और मैं इसे सदन को गुमराह करना समझता हूं—कि इस विधेयक का उद्देश्य ट्राई को सुदृढ़ करना है जबकि इसका आमूल उद्देश्य ट्राई को कमजोर करना है। इसी पृष्ठभूमि में, इस विधेयक पर खंडवार विचार करना मेरे लिए निहायत आवश्यक हो गया है।

**सभापति महोदय :** श्री मणि शंकर अय्यर कार्य मंत्रणा समिति ने इस विधेयक के लिए कुल दो घंटे दिए हैं। मैं सारा समय एक ही दल को नहीं दे सकती। अन्य सदस्यों को भी बोलना है। अतः आप और कितना समय चाहते हैं?

**श्री मणि शंकर अय्यर :** मैं इस पर इस समय चुपचाप रहना चाहता हूं, बशर्ते कि जब इस पर खंडवार विचार हो, तब आप मुझे इस पर खंड-दर-खंड जांच करने की अनुमति दें।

**सभापति महोदय :** जी नहीं, कृपया पांच मिनट के अंदर अपनी बात समाप्त कीजिए।

**श्री मणि शंकर अय्यर :** महोदया, मैं जितना शीघ्र हो सकेगा, उतना शीघ्र निपटाऊंगा।

**सभापति महोदय :** आपकी वाक्-निपुणता को कोई चुनौती नहीं दे सकता। परंतु समय-सीमा का ध्यान रखना है।

**श्री मणि शंकर अय्यर :** महोदया, मैं धारा-2 में निम्नलिखित संशोधन करने का अनुरोध करता हूं। मैं संशोधन का मसौदा नहीं बता रहा हूं। मैं तो जो संशोधन हो सकते हैं, वे सुझाव दे रहा हूं। हमें इस धारा-2 में दूरसंचार क्षेत्र में सुव्यवस्थित विकास की अवधारणा को ही नहीं अपितु 1990 के अधिनियम के अनुसार राष्ट्रीय दूरसंचार नीति में यथोल्लिखित वैश्विक पहुंच, विश्वव्यापी-सेवा और विश्वव्यापी निधि की अवधारणाओं को भी शामिल करना है।

इसके अतिरिक्त, हमें उद्देश्यों और कारणों संबंधी वक्तव्य में उल्लिखित दूरसंचार सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करने की अवधारणा को शामिल करना है लेकिन इस विधेयक के पूरे नाम में शामिल नहीं किया गया है। मेरे विचार में भी अब यह महत्वपूर्ण हो गया है कि हम इस विस्तृत शीर्षक में वहन योग्य सेवाओं की अवधारणा को शामिल करें। आखिरकार, आप टेलीफोन का किराया लेते हैं। चूंकि श्री पासवान हाजीपुर में अपना जीवन व्यतीत करने के बाद अब विकसित देशों में विशेषज्ञ बन रहे हैं, उनका ध्यान मैं इस तथ्य की ओर दिलाना चाहता हूं कि आज भारत में टेलीफोन का किराया प्रति व्यक्ति आय का 15 प्रतिशत है जबकि अमरीका में, जिसके अब वे मित्र बनने के इच्छुक हैं, यह किराया उनकी प्रति व्यक्ति आय का केवल 0.5 प्रतिशत है। अतः, सबसे बड़ी जरूरत इस बात की है कि यह सेवा इस प्रकार की हो कि आसानी से वहन की जा सके। वह विधेयक के पूरे नाम में—जो उन्होंने सोच रखा है, इसे शामिल करना भूल गए हैं।

अब मैं विधेयक की धारा-4 लेता हूं। विधेयक के धारा-4 में उन्होंने एक अध्यक्ष और दो सदस्यों की व्यवस्था समाप्त कर दी है जिसे एक अध्यक्ष और दो सदस्यों से अनधिक वाली व्यवस्था में छह सदस्यों तक बढ़ाया जा सकता है। मेरे विचार में यह छह सदस्य और एक अध्यक्ष अर्थात् कुल विनियामक प्राधिकरण की सात की संख्या बहुत अधिक है। परंतु मैं यह पूछता हूं कि क्या एक अध्यक्ष और दो सदस्य की संख्या बहुत कम नहीं है? क्या हम तुलन के एक सिरे से दूसरे सिरे की भांति सीमित क्षेत्र में ही नहीं विचर रहे हैं। जैसाकि श्री बसुदेव आचार्य ने पहले ही प्रस्ताव किया है, इस पर स्थायी समिति में विचार होना चाहिए।

तत्पश्चात्, मैं प्रस्तुत विधेयक की धारा-5 पर आता हूं। इसमें एक परंतुक है। मेरा सुझाव है कि इसमें एक और होना चाहिए। यह परंतुक भी अवश्य होना चाहिए कि इस दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के सदस्य आचार-संहिता का पालन करेंगे। मुझे कोई अंदेशा नहीं है कि यह सच है या नहीं। परंतु हमने सुना है कि दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष सहित इसके सदस्यों के पास सेवा प्रदान करने वाले और उनके प्रतिनिधि चक्कर लगाते रहते हैं। इसका कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता कि उनके पास कौन मिलने आता है अथवा उनसे क्या चर्चा की जाती है। सेवा-प्रदाता निरंतर इस दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के सदस्यों को प्रभावित करने की कोशिश में लगे हैं। अतः, मेरा मानना है कि हमें इन सदस्यों के लिए आचार-संहिता संबंधी एक शर्त रखनी चाहिए जो ऐसे प्रश्नों का ध्यान रखेगी कि वे किसके पास जाते हैं, उनके पास कौन आता है, वे किसका आतिथ्य स्वीकार करते हैं। इस प्रकार,

ऐसी सारी मुलाकातों और इन लोगों के साथ हुई बातचीत का रिकार्ड उसमें होगा। हमें केवल तभी विश्वास होगा कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां ट्राई का मत प्रभावित करने के लिए अवैध हथकंडे इस्तेमाल नहीं कर रही हैं।

अब, मैं एक छोटे परंतु अत्यधिक महत्वपूर्ण मुद्दे पर आता हूं। यह धारा-9 है। मैं केवल दो धाराओं के बारे में बता रहा हूं। विधेयक की धारा-9 में, मैं पृष्ठ-3 पर अंतिम पंक्ति की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इसमें कहा गया है, "नेटवर्क में प्रयुक्त उपकरणों की जांच के पश्चात् सेवा-प्रदाता द्वारा प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरण।"

यह वर्ष 1997 में की गई व्यवस्था के ठीक विपरीत है। 1997 में यह कहा गया था कि ट्राई उपकरण की जांच करेगा और लाए जाने वाले नये उपकरणों के संबंध में सिफारिश करेगा। यहां श्री पासवान ने उस आदेश को उलट क्यों दिया? ऐसा क्यों किया गया किस प्रकार का उपकरण हो, यह निर्णय किया जाएगा और तदोपरांत यह खंड आए जांच किए जाने के पश्चात्? मैं ऐसा इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि 1997 के अधिनियम में एक शब्द था 'निगरानी' जिसे 2000 के अधिनियम में हटा दिया गया है। 'निगरानी' का संदर्भ न देने का क्या औचित्य है? अब प्रस्तुत की गई नई भाषा में जांच क्रम और उपकरण का प्रकार बदलने का क्या औचित्य है?

**अपराह्न 4.00 बजे**

अब मैं आगे पृष्ठ 4, उपखंड-ख पर आता हूं, तत्पश्चात् उपखंड-ख1 पर विचार करूंगा। यहां यह अंग्रेजी भाषा संबंधी एक छोटा सा मामला है। परंतु चूंकि यह एक कानून से संबंधित है इसीलिए हमारी अंग्रेजी सही होनी आवश्यक है। इसमें कहा गया है, "सेवा-शर्तों का अनुपालन"। जहां तक मैं जानता हूं, इसकी भाषा होनी चाहिए "कंपलायंस विद टर्म्स एंड कंडीशंस" और 1997 के अधिनियम में जहां कहीं भी 'कंपलायंस' (अनुपालन) शब्द प्रयुक्त हुआ है, इसके बाद 'विद' शब्द आना चाहिए। इसके बाद 'ऑफ' शब्द नहीं आना चाहिए। मैं माननीय मंत्री से यह शुद्धि करने का अनुरोध करता हूं क्योंकि हमारा हिन्दी संस्करण भी उतना ही सही होना चाहिए जितना कि अंग्रेजी और बाद में गलत अंग्रेजी के कारण समस्या का सामना नहीं करना चाहिए।

तत्पश्चात्, मैं इसी उपखंड-ख के अंतर्गत उपखंड-5 पर आता हूं। तीसरी पंक्ति में 'आवधिक-सर्वेक्षण' का उल्लेख है। प्रश्न यह है कि वह बहुवचन में 'परियोजिकल-सर्वेज) होना चाहिए। अन्यथा, एक खतरा यह है कि जब आप न्यायालय में जाते हैं तो वहां कहा जाएगा कि एक सर्वेक्षण हो चुका है, आप दूसरा सर्वेक्षण करने के हकदार नहीं हैं। चूंकि हम आवधिक सर्वेक्षणों के बारे में बात कर रहे हैं, तो यह बहुवचन में होना चाहिए। संख्या 5 में ही हमें विश्वव्यापी-पहुंच, ग्रामीण क्षेत्र और अलाभकारी क्षेत्रों की अवधारणा शामिल किए जाने की आवश्यकता है क्योंकि हमें केवल मुंबई से दिल्ली बड़े-बड़े व्यवसायियों के बीच आपसी वार्ता के लिए ही नहीं, अपितु मईलादुतुराई के हमारे 'गरीब कृषकों' को भी गुणवत्ता युक्त सेवा प्रदान करने के संबंध में गुणवत्ता के मानदंड निर्धारित करने की आवश्यकता है। अतः उसमें ग्रामीण-क्षेत्र, विश्वव्यापी-पहुंच शामिल कीजिए।

तत्पश्चात्, उपखंड के संबंध में, 'आफ' शब्द से पूर्व 'कंपलायंस' (अनुपालन) शब्द का प्रयोग किया गया है। यदि माननीय मंत्री 'विद' शब्द उसमें लगाएं तो यह ठीक हो जाएगा।

तत्पश्चात्, मुझे लगता है कि यह परंतुक कि प्राधिकरण की सिफारिशें केन्द्र सरकार पर बाध्य नहीं होनी चाहिए' नितांत अनावश्यक है। पारिभाषिक रूप में कोई भी सिफारिश बाध्य नहीं हो सकती। यह खंड, बल्कि परंतुक भी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को संतुष्ट रखने के लिए शामिल किया गया है। किसी सरकार के लिए कोई सिफारिश बाध्यकारी कैसे हो सकती है? उन्हें यहां इस पर विस्तार से रखने की क्या आवश्यकता है? उन्हें यहां ऐसा करने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने माननीय मंत्री को बताया है कि वह इसे बिल्कुल स्पष्ट कर दें कि सिफारिशें उन पर बाधित नहीं हैं। मेरे विचार में, यह निरर्थक है और किसी खंड में शामिल किया गया यह निरर्थक परंतुक है। इससे संपूर्ण खंड की हानि हुई है।

**सभापति महोदय** : अब कृपया समाप्त कीजिए।

**श्री मणि शंकर अय्यर** : महोदया, क्या आप मुझे मात्र दो मिनट और दे सकती हैं?

मेरे विचार में, अगला परंतुक '60 दिन' बिल्कुल पर्याप्त नहीं है। यह '60 दिन' का परंतुक प्राधिकरण को मुद्दों पर विस्तार से विचार करने, आम जनता का मत जानने और विशेषज्ञों इत्यादि की राय जानने से रोकने के उद्देश्य से लाया गया है। यह '60 दिन' का परंतुक एक स्वतंत्र विनियामक प्राधिकरण पर सरकार द्वारा दबाव डालने के उद्देश्य से ही लाया गया है। मुझे नहीं लगता कि हमें इतनी थोड़ी समय अवधि स्वीकार करनी चाहिए, विशेषतौर पर तब जबकि आप उनके बाद वाले दो परंतुकों में यह कहें कि 'अथवा इतनी अवधि के भीतर, जिस पर आपस में सहमति हुई हो'। यदि प्राधिकरण और सरकार के बीच इस प्रकार का कोई समझौता न हो कि कितने दिनों पर सहमत हुआ जाए, तो क्या होगा? मेरे विचार से यह दबाव डालने वाली बात है और यह महत्वपूर्ण है कि हमें इस विधेयक का खंड 10 शामिल नहीं करना चाहिए क्योंकि यह निरर्थक है।

इस विधेयक की धारा 10 कहती है कि 'खंड ख में विनिर्दिष्ट मामलों के अलावा प्राधिकरण द्वारा कोई कटौती नहीं की जाएगी...' परंतु पूर्व धारा के छोटे से खंड ख अर्थात् धारा 9 में यह कहा गया है कि इस अधिनियम के अन्य उपबंधों को लागू करने के लिए जो आवश्यक कार्य हो, वे कर सकते हैं। अतः, इस अधिनियम के कुछ अन्य उपबंधों को लागू करने के लिए उन्हें निर्देश देने पड़ेंगे। उनके ऐसा करने पर इस नई धारा 10 के द्वारा उन पर रोक लग जाएगी।

अंततः, मुझे लगता है कि हम पर्याप्त दबाव में हैं। संशोधन के संबंध में मेरे पास कुछ अन्य सिफारिशें हैं। मैं अब उन्हें नहीं रखूंगा। मुझे सिर्फ यही कहना है कि जहां तक न्यायाधिकरण का संबंध है, हमें न्यायनिर्णयन के अतिरिक्त हमें मैत्री और मध्यस्थता की आवश्यकता है।

चूंकि संपूर्ण विधेयक कमियों से भरा हुआ है, ऐसे अनेक संशोधन हैं जिन्हें संशोधन विधेयक में लाया जाना चाहिए और चूंकि इस विधेयक के उद्देश्य संसद द्वारा अपनाई गई राष्ट्रीय दूरसंचार नीति, 1999 से मेल नहीं खाते हैं इसलिए यह बहुत जरूरी है कि श्री पासवान के अध्यादेश को अधिनियम में परिवर्तित करने की जल्दबाजी करने के बजाय इस संसद की दूरसंचार संबंधी स्थायी समिति को यह अवसर प्रदान किया जाए कि वह इस विधेयक को लाने में सरकार की इन अत्यंत गलत

[श्री मणि शंकर अय्यर]

मंशाओं की जांच करने के प्रयोजन से इस विधेयक की पंक्ति दर पंक्ति, शब्द-दर-शब्द, यहां तक कि अल्पविरामों के प्रयोग का अध्ययन करें।

*[हिन्दी]*

**श्री राजीव प्रताप रूडी** (छपरा) : महोदया, माननीय मणि शंकर जी ने बड़ा अच्छा बोला है लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने बिल का विश्लेषण शुरू किया, निश्चित रूप से सदन को कहीं न कहीं ले जाकर, फंसाकर गुमराह करना चाह रहे हैं। उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से हर बिंदु को पढ़ा है और उस सेंटेंस को रिवर्स करने का प्रयास किया है। लेकिन राम विलास पासवान जी ने जिस प्रकार से इस विषय वस्तु को समझते हुए इस बिल को इस सदन में पेश किया है, हम आभार व्यक्त करते हैं इस मंत्री का, इस मंत्रालय का और उस पूरे कैबिनेट का जिन्होंने इस पर विचार करके इतने बढ़िया अमेंडमेंट्स लाकर सदन में पेश किए हैं।

इस देश में ग्लोबेलाइजेशन की बात करते हैं और जब इकोनॉमी खोलने की बात हुई तो शुरूआत कहां से हुई, इस पर कोई विशेष चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है।

**अपराह्न 4.06 बजे**

**[श्री पी०एच० पांडियन *पीठासीन* हुए]**

भारतवर्ष में मात्र चार फीसदी टैलीकॉम का क्षेत्र प्राइवेट लोगों के हाथ में है और 96 प्रतिशत टैलीकॉम का क्षेत्र सरकारी क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। जब एक तरफ आप चर्चा करते हैं कि टैलीकॉम क्षेत्र में अधिक से अधिक सेवाएं सामान्य लोगों को उपलब्ध कराई जाएं, वैसी परिस्थिति में सरकार ही लाइसेंस दें और सरकार ही लाइसेंस देने के बाद अपनी भी सरकारी कंपनियों की देखभाल करें और कहे कि साथ-साथ इस बाजार में अगर प्राइवेट ऑपरेटर्स भी काम करें और जब उसमें कोई विवाद हो तो सरकार ही उसका निराकरण करे, यह बेसिक फंडामेंटल इश्यूज के खिलाफ था। जिस मूल आधार पर ट्राई के प्रावधान किए गए थे, उसमें कुछ न कुछ डिफैक्ट्स थे और उसी का कारण था कि पिछले तीन वर्ष में 1997 से लेकर आज तक ट्राई के विभिन्न मुद्दों पर हाई कोर्ट में जाकर कई मुद्दे आए जिन पर सरकार ने भी गंभीरता से विचार किया है। आपको स्मरण होगा कि बीच में कॉलिंग पार्टी, दिल्ली हाई कोर्ट में जिसकी सुनवाई हुई और टैलीकॉम ने उसमें जो नियमन दिए थे जिसके कारण उस समय हाहाकार मच गया और कहीं न कहीं यह देखा गया कि थोड़ा सा उसका रुझान प्राइवेट ऑपरेटर्स की तरफ है और जब लैंड लाइन से सैलुलर वालों को फोन किया जाएगा तो उसमें अधिक कीमत सैलुलर वालों को देनी होगी और कुछ हिस्सा एम०टी०एन०एल० को जाएगा। इस विवाद में पड़ने के बाद हाई कोर्ट ने उसके स्ट्रक-डाउन किया। सरकार इन सब चीजों को, जो ट्राई के प्रावधान थे, विश्लेषित करने का प्रयास कर रही है। इसी संदर्भ में वित्त मंत्री जी की अध्यक्षता में इस समिति का गठन हुआ। कन्वर्जन्स टीम ने बैठकर विचार करके यह संशोधन आपके समक्ष पेश किया।

महोदया, जिस बात पर मणि शंकर जी ने बार-बार कहा कि इस बात पर आपत्ति है फेयर प्ले फील्ड। आज तक पिछले पचास वर्ष में सरकार द्वारा लाइसेंस देने की प्रणाली जारी रखी गई और लाइसेंस राज के माध्यम से इस देश में अनियमितताओं का भंडार बनाया गया और आज जब अपनी सरकार और खासकर एन०डी०ए० की सरकार इस लाइसेंस राज को समाप्त करके एक विस्तृत क्षेत्र और दायरे में जाकर इस काम को उठाना चाहती है तो उधर से लाइसेंस राज को समाप्त करने के विरोध में आपत्ति होती है। मैं समझता हूं कि मणि शंकर जी जब बोल रहे थे लेकिन उस फेज को याद नहीं कर रहे थे जब दूरसंचार में सैम पित्रोदा ने कितने भयानक रूप से इसमें प्रगति की। अगर आज उनके भाषणों को उस परिस्थिति में पढ़ा जाए तो निश्चित रूप से इंटरकनैक्टिविटी की बात करके जो आप बात कर रहे हैं, वह पार्टी की पुरानी सोच के बिल्कुल प्रतिकूल है। जो इन्होंने बातें रखी हैं, ये बिल्कुल राजनीति से प्रेरित होकर इन्होंने अपना विश्लेषण किया है, अन्यथा सरकार के इस कदम से वह पूरी तरह से सहमत हैं और इन बिटविन दि लाइन्स यदि देखिए तो सरकार के प्रयास को यह सराह रहे हैं। जिस टैलीकॉम के बारे में माननीय मंत्री जी ने बताया है कि एडवाइजरी रूल्स रेगुलेटरी विषय के संदर्भ में इंटरकनैक्टिविटी की जो बात हुई, अब यह तय करना बड़ा कठिन होता था कि इंटरकनैक्टिविटी का मामला अगर ट्राई में जाए तो किस प्रकार से उसके रेवेन्यू शेयरिंग का निर्धारण होगा?

यह विषय बार-बार विवादों के जाल में चला जाता था, इसलिए इसको 'ट्राई' के हाथों से हटाकर अपेलेट बाडी बनाई गई है, ताकि विवादों को दूर किया जा सके। विवादों को दूर करने के लिए विशेषकर जो रेवेन्यु शेयरिंग एक्सरसाइज हैं, उसमें ट्रांसपेरैंसी आ सके। इसलिए इन प्रावधानों में थोड़ा बहुत संशोधन लाकर, सामान्य उपयोग में इसको अधिक प्रभावशाली बनाने का प्रयास किया गया है।

महोदय, विशेषकर जब प्राइवेट इन्वैस्टर्स के कान्फिडेंस में बूस्ट होता है, तो निश्चित रूप से हम सोचते हैं, दूरदराज के इलाकों में, जहां पानी नहीं है, बिजली नहीं है, फिर खंबों से जुड़े हुए तार, देश के किसी भी कोने में संवाद स्थापित करने में सफल हो सकते हैं। आज इसकी जरूरत महसूस होती है और खासतौर से देहाती क्षेत्रों में, जहां साधन जुटाकर हम चाहते हैं कि देहाती क्षेत्रों में जाकर इस तरह से दूरसंचार का विस्तार कर सकें और साधन मुहैया करने में सरकार को सुविधा हो सके। इस प्रकार दूर-दराज इलाकों में जाकर निश्चित रूप से जो सरकार की नीति है, नीयत है, उसकी हम प्रभावी रूप में कार्रवाई कर सकते हैं।

आज आई०टी० के क्षेत्र में, वी०एस०एन०एल० के क्षेत्र में पूरे देश के दूरदराज के इलाकों में संचार की आवश्यकता है। इसलिए इस विषय पर हम गहन रूप से विचार करें और गहन रूप से विचार करने के पश्चात् जो प्रावधान 'ट्राई' में लाए गए हैं, उनको हम सर्वसम्मति से पारित करें और साथ ही मणिशंकर अय्यर जी ने अपने ढंग से जो बातें कही हैं, उनकी बोलने की शैली विपक्ष की है, लेकिन उन पर विचार करते हुए और संशोधन लाकर सर्वसम्मति से इस विधेयक को पारित करना चाहिए। यही मैं सदन से आग्रह करता हूं।

*[अनुवाद]*

**श्री रूपचन्द पाल** (हुगली) : सभापति महोदय, मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं।...*(व्यवधान)* जी हां, इस बात को हरेक व्यक्ति जानता है और देशवासी भी इसके बारे में जानते हैं।

मेरा पहला एतराज इसी बात पर है कि जनवरी के अंत में ऐसे अध्यादेश को लाने की क्या जल्दी थी? माननीय मंत्री जी को इस सदन में इसका स्पष्टीकरण देना होगा क्योंकि जहां तक हम जानते हैं सदस्यों के बजाय सभापति ने पुनर्गठित निकाय का जिम्मा ले रखा है। लेकिन इसे जल्दीबाजी में जनवरी में लाया गया। इतनी जल्दी क्यों है? क्या इसका तात्पर्य कुछ पुराने सदस्यों से पीछा छुड़ाना है अथवा स्थायी समिति की सिफारिशों की उपेक्षा करना है? मेरे विचार से माननीय मंत्री जी उत्तर देते हुए इन सभी बातों को ध्यान में रखेंगे।

महोदय, सुधार प्रक्रिया, उदारीकरण और विनियमन समाप्त करने के नाम पर क्या चल रहा है? ऐसा माना जा रहा है कि विनियमन करने वाला कोई न कोई तो अवश्य है। यहां हस्तक्षेप नहीं करने संबंधी नीति नहीं हो सकती। जहां तक भारत का संबंध है सन् 1991 से कांग्रेस तथा वर्तमान लोकतांत्रिक गठबंधन दोनों ही भारतीय बाजार के कई क्षेत्रों में विदेशी कंपनियों को आमंत्रित कर रहे हैं। इन्होंने कुछ विनियामक निकायों को स्थापित करने का सुझाव दिया है। ये विनियामक निकाय कितने प्रभावशाली हो सकते हैं और इनमें क्या कमियां हो सकती हैं, मैंने कई अवसरों पर ऐसे कई विनियामक निकायों यथा सेबी (एस०ई०बी०आई०) इत्यादि के प्राधिकार का जिक्र किया।

अब हमें पता लगा है कि वर्तमान प्राधिकरण में परिवर्तन कर एक नए प्राधिकरण की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव है। ऐसा क्यों किया जा रहा है?

मैं उस सबसे बड़े परिवर्तन से अपनी बात शुरू कर रहा हूं जिसे इस विधान में लाये जाने का प्रस्ताव है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण को नियंत्रक महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा के दायरे से बाहर किया जा रहा है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्या नियंत्रक और महालेखापरीक्षक भारतीय संचित कोष से होने वाले सरकारी खर्चों अथवा अन्य किसी खर्चों पर संसद की ओर से नियंत्रण करने वाले के रूप में कार्य नहीं कर रहा है। मैं एक छोटा-सा उदाहरण देता रहा हूं। और मेरे विचार से मंत्री जी इस बारे में उत्तर देंगे। वह कई बातें कह रहे हैं कि वे अमेरिका में की जा रही अथवा ब्रिटेन में की जा रही है। क्या वह इतना बता सकते हैं कि एक भी सरकारी डालर के खर्च के बारे में वहां की लेखापरीक्षा प्राधिकरण को बिना बताए रहा जा सकता है? मेरा मानना है कि मंत्री जी इस बात का जरूर उत्तर देंगे कि क्या एक भी सरकारी डालर किसी भी प्राधिकरण द्वारा उनके नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा जांच किए बिना खर्च किया जा सकता है या नहीं। मैं बताता हूं कि भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण को नियंत्रक महालेखापरीक्षक के कार्यक्षेत्र से बाहर क्यों किया जा रहा है। नियंत्रक महोलखापरीक्षक ने भारीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के कार्यकरण पर कुछ अत्यंत सख्त टिप्पणियां की थीं। मैं केवल दो टिप्पणियों के बारे में बात करूंगा। पहली टिप्पणी भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के अधिकारियों की विदेश यात्रा पर की गयी थी। उन्होंने ऐसा पाया कि भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने 17 जून, 1997 में हुई अपनी बैठक में अध्यक्ष, सदस्यों, अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों के लिए विदेश यात्राओं में प्रतिदिन दिए जाने वाले भत्तों को निर्धारित किया गया। अमरीका में, प्रतिदिन दिए जाने वाले भत्ते को 500 अमरीकी डालर तक बढ़ा दिया गया है। अमरीका में उच्च पदाधिकारियों को भी इतना भत्ता नहीं दिया जाता है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण स्वयं का अपने आप विनियमन नहीं कर सकता है और इसे दूसरों का विनियमन करने का अधिकार दिया गया है। याद रहे प्रतिदिन का यह भत्ता 500 अमरीकी डालर है।

**श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति (विशाखापत्तनम)** : बिजनेस एक्जीक्यूटिव को 500 अमरीकी डालर मिलते हैं।

**संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर)** : इसलिए संशोधन की आवश्यकता है।

**श्री रूपचन्द पाल** : जी नहीं, मंत्री जी मैं आपके संशोधन की बात भी अभी करूंगा। महोदय, मैं मंत्री जी से पूछ रहा हूं कि क्या ये अधिकारी इस भत्ते के हकदार हैं या नहीं। क्या इन अधिकारियों को धन वापस देने को कहा गया है या नहीं। यदि ऐसा कहा गया है तो उन्होंने अभी तक कितना चुका दिया है।

नियंत्रक महालेखापरीक्षक की दूसरी तीखी टिप्पणी राजस्व को बांटने के बारे में है। इस राजस्व के बंटवारे के बारे में किसने निर्णय लिया? मंत्रियों के एक समूह ने या पूरे मंत्रिमंडल ने। यदि मंत्रिमंडल ने इसके बारे में निर्णय लिया तो उन्होंने यह निर्णय किसकी सिफारिश से लिया? ऐसा महान्यायवादी (अटर्नी जनरल) के परामर्श पर की गई सिफारिश के आधार पर किया गया था। भारत जैसे देश में, दूरसंचार के कई क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ प्रोफेशनल हैं। सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति, डिजिटल क्रांति और इंटरनेट इत्यादि के युग में हमारे देश के लोग संसार में बढ़चढ़कर आगे निकल रहे हैं, चाहे यह सिलकोन वैली में हों या फिर संसार के विकसित देशों के किसी महत्वपूर्ण नगर में हों। हमारा धनिक वर्ग साफ्टवेयर, दूरसंचार तथा सी० डॉट के ज्ञान के कारण न केवल पूंजी बाजार में बल्कि संसार के सर्वश्रेष्ठ संस्थानों पर भी प्रभुत्व बनाए हुए हैं, लेकिन अब उनकी स्थिति कमजोर पड़ती जा रही है और उनमें बिखराव आ रहा है।

हमारे लोगों को केवल बहुराष्ट्रीय कंपनियों में नौकरी करने के लिए ले जाया जा रहा है। यह सरकार और उनकी सरकार भी मूक बनकर सब देख रही है। उन्होंने ही यह सब काम आसान कर दिया है। इस सरकार ने भी यही किया। उन्होंने ठीक कहा कि सुधार प्रक्रिया शुरू होने के एकदम बाद जब श्री लाल कृष्ण आडवाणी अमेरिका गए थे तो उन्होंने वहां कहा था ''यह सुधार प्रक्रिया और उदारकीरण हमारा कार्य (ऐजेन्डा) के बारे में शामिल है। वस्तुत: कांग्रेस ने भा०ज०पा० के सुधार प्रक्रिया एजेन्डे को अपना कहकर प्रस्तुत किया था। अब ये बिना सोचे-समझे और जल्दीबाजी में उसी उदारीकरण की प्रक्रिया का अनुसरण कर रहे हैं। अब मैं उसके बारे में चर्चा करूंगा।

आपने राजस्व में भागीदारी संबंधी की प्रक्रिया पर चर्चा नहीं की है। माननीय मंत्री ने कहा कि इसका सार्वभौमिकता से कोई लेना-देना नहीं है। फिर आप इसका आरंभ में जिक्र क्यों करते हो? आप इसकी धारा 2 पूरे नाम को पढ़िए। इसमें लिखा है : 'सबसे पहले सेवा प्रदान करने वालों के हितों की रक्षा करना।' पहला कार्य सेवा प्रदान करने वालों के हितों की रक्षा करना है। ये कौन लोग हैं? यहां दूरसंचार विभाग है। दूरसंचार विभाग द्वारा स्वयं को मटियामेट करने, कमजोर करने तथा 2000 करोड़ रुपये तक के राजस्व से हाथ धोने के लिए चालान किया गया है। दूसरी बात उपभोक्ताओं के बारे में है। क्या वे उपभोक्ता के हितों की रक्षा के लिए संघर्ष करेंगे? मैं उसकी भी

[श्री रूपचन्द पाल]

चर्चा करता हूं। तीसरी बात है दूरसंचार क्षेत्र की सुव्यवस्थित विकास को सुनिश्चित करना। लेकिन यह किस आधार पर होगा? किसकी सिफारिश पर होगा? क्या ऐसा महान्यायवादी (अटर्नी जनरल) के परामर्श पर होगा? किस समिति और किस अध्ययन के आधार पर ऐसा होगा? क्या वो आई०सी०आई०सी०आई० है? सरकार को इसका स्पष्टीकरण देना ही चाहिए।

हमें प्रवास फार्मूला अथवा प्रवास नीति अथवा राजस्व में भागीदारी पर चर्चा करने के लिए अवसर नहीं मिला है। अब यह भारतीय दूरसंचार विनियमन प्राधिकरण विधेयक प्रवास प्रक्रिया से अलग नहीं है। अभी तक उन्होंने कुछ भी भुगतान नहीं किया है। गलत, झूठे, अपर्याप्त, अर्धसत्यों से पूर्ण ब्योरों/जानकारियों के आधार पर, यह कहने के लिए अध्ययन तैयार किए गए हैं कि वे कंपनियां अचानक बहुत कमजोर हो गई थीं और उनके पास कोई कारोबार नहीं है। वे इतनी गरीब हो गई हैं कि ये अपनी ही लाइसेंस फीस को भी देने में असमर्थ हैं जो इनके ऊपर बकाया है। यह सरकार 15 मार्च अर्थात् अभी तक इंतजार कर रही है। मुझे नहीं पता कि वे उन कंपनियों पर कोई कार्यवाही भी कर पाएंगे कि नहीं जिन्होंने कोई भी भुगतान नहीं किया है। उन्होंने कहा कि वे 15 मार्च तक प्रतीक्षा करेंगे। उसके बाद देखते हैं क्या होता है?

मुझे इस विधेयक के कुछ उपबंधों के बारे में घोर आपत्ति थी। यह कहा गया है कि इसमें पारदर्शिता होनी चाहिए। पारदर्शिता के बारे में जिक्र किया गया है। क्या नियंत्रक महालेखापरीक्षक की जांच के बिना पारदर्शिता संभव होगी? पारदर्शिता का अर्थ ही किसी स्वतंत्र प्राधिकरण से इसकी जांच करवाना। उस नियंत्रक महोलखापरीक्षक के कार्यक्षेत्र में इसे शामिल न करना बहुत आपत्तिजनक है जिसे संविधान ने रिकार्डों की जांच करने की शक्ति प्रदान की है।

मंत्री जी, भारतीय दूरसंचार की स्थिति कुछ खराब है; सुखराम प्रकरण ने न केवल आपके मंत्रालय को प्रभावित किया है बल्कि प्रधानमंत्री कार्यालय के महत्वपूर्ण क्षेत्रों को भी प्रभावित किया है। मैं इस बात का ठोस सबूत दे सकता हूं। यह भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण विधेयक कोई अचानक आसमान से नहीं टपका है। आप जरा इसके पुनर्गठित सदस्यों को ओर देखो। इसका अध्यक्ष भारतीय स्टेट बैंक के भूतपूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। उन्हें दूरसंचार के बारे में ज्ञान है। उन्हें अंकीय प्रौद्योगिकी के बारे में ज्ञान है। उन्हें इंटरनेट के बारे में ज्ञान है। उन्हें पता है कि भारत में लोगों तक दूरसंचार संबंधी सेवाओं को बढ़ाया तथा फैलाया जाए।

आज संसार में किसी भी अर्थव्यवस्था का निर्माण करने और कैसे भी विकास को करने में दूरसंचार बुनियादी सुविधाएं प्रदान करता है यह सब निरंतर व्यवस्थापूर्ण विकास से होगा। लेकिन यह सब किसके द्वारा किया जाएगा? क्या यह उस व्यक्ति द्वारा किया जाएगा जिसने बैंकिंग के बारे में अपनी प्रसिद्ध अथवा निंदनीय रिपोर्ट प्रस्तुत की है? वह व्यक्ति कौन है? मुझे अफसोस है कि मेरे नाम का उल्लेख किया। यह केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष हैं...*(व्यवधान)* क्यों? क्या वे प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ हैं? मुझे खुशी होती यदि मद्रास स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान से निकले वैज्ञानिक को वहां नियुक्त किया गया होता। उन्होंने वायरलैस और लोकल लूप प्रौद्योगिकी की जानकारी है। मुझे वास्तव में खुशी हुई होती।

**श्री मणि शंकर अय्यर :** श्री सैम पित्रोदा।

**श्री रूपचन्द पाल :** हां, बिल्कुल सैम पित्रोदा।

**सभापति महोदय :** आप 15 मिनट का समय ले चुके हैं। अब आपको अपनी बात समाप्त करनी पड़ेगी।

**श्री रूपचन्द पाल :** मैंने आरंभ करने का प्रयास किया है मैंने महत्वपूर्ण और संगत बिन्दुओं का उल्लेख किया है। उसके बाद श्री प्रसाद और श्री सेशागिरि हैं। देश में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जिसकी सेवाएं अन्य देश द्वारा मांगी गई थी। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की वित्तीय महत्ता प्रौद्योगिकी महत्व से अधिक महत्वपूर्ण है...*(व्यवधान)* मैं भारतीय मजदूर संघ के अध्यक्ष की बात पर भी आ रहा हूं। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण प्रौद्योगिकी से संबंधित है। क्या ऐसा नहीं है?...*(व्यवधान)*

**श्री मणि शंकर अय्यर :** आपने सब गड़बड़ कर दिया है...*(व्यवधान)*

**श्री रूपचन्द पाल :** मुझे अनेक बातें कहनी हैं। अब मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुद्दे पर आ रहा हूं।...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय :** आपको सात मिनट का समय दिया गया था। मैंने आपको 10 मिनट का समय और दे दिया।

*(व्यवधान)*

**श्री रूपचन्द पाल :** राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आगे आती है क्योंकि ...*(व्यवधान)*

**श्री तपन सिकदर :** हम भारतीय दूरसंचार विनियामक पर चर्चा कर रहे हैं। हम पूर्ण दूरसंचार नीति पर चर्चा नहीं कर रहे हैं...*(व्यवधान)*

**श्री रूपचन्द पाल :** मैं समझता हूं मैंने सही बात की है।...*(व्यवधान)*

**श्री तपन सिकदर :** हमें पता है आपने पश्चिम बंगाल में क्या किया है। *(व्यवधान)* आप राजनीतिक शब्दों से सही जगह चोट नहीं करते हैं। आप हमें उकसाते नहीं हैं। *(व्यवधान)* हम भी ऐसा कर सकते हैं। *(व्यवधान)*

**सभापति महोदय :** इस पक्ष और उस पक्ष के बीच सीधा आदान-प्रदान नहीं हो सकता है।

*(व्यवधान)*

**श्री रूपचन्द पाल :** मुझे कुछ और कहना है...*(व्यवधान)*। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने सांख्यवाहिनी परियोजना का विरोध किया है और इसके बारे में एक पुस्तिका छापी है। भारतीय मजदूर संघ के मुखिया ने यह कहा है कि सरकार ने स्वदेशी हितों को बेच दिया है। यही नहीं...*(व्यवधान)*

**श्री तपन सिकदर :** सांख्यवाहिनी उपक्रमों का आविष्कार एक भारतीय वैज्ञानिक श्री राज रेड्डी ने किया है। पर काफी उन्नत प्रौद्योगिकी है। इसलिए हम इसे बदलने का प्रयास कर रहे हैं। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आपको जो कुछ कहना है अपने मंत्री को बता दें। वे आपके पक्ष से उत्तर देंगे।

*(व्यवधान)*

श्री रूपचन्द पाल : मैं नहीं जानता कि ये लोग इतने उत्तेजित क्यों हैं...*(व्यवधान)*

श्री मणि शंकर अय्यर : क्या मैं मंत्री महोदय से एक प्रश्न पूछ सकता हूं। क्या सामाजिक सांस्कृतिक संगठन का दूरसंचार नीति के बारे में बताने का क्या काम है। *(व्यवधान)*

श्री राम विलास पासवान : तब आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन का उल्लेख क्यों कर रहे हैं। क्या आप उनका समर्थन करते हैं...*(व्यवधान)* आप इसे क्यों कोट कर रहे हैं। *(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

श्री मणि शंकर अय्यर : हम जानते हैं कि आर०एस०एस० बिल्कुल राजनीतिक है...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

सभापति महोदय : सांसद और मंत्री सभा में सीधे एक-दूसरे से बातचीत नहीं कर सकते हैं।

*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : सदस्यों को केवल पीठ को संबोधित करना चाहिए।

*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलिया (जूनागढ़) : इसका यह मतलब हुआ कि रूपचन्द पाल जी, इसका समर्थन कर रहे हैं।

श्री मणि शंकर अय्यर : वह भी करेंगे लेकिन पहले आप बताएं इस सोशियो-कल्चरल आर्गेनाइजेशन का ऐसे विषयों पर बयान देने का क्या काम है।

*[अनुवाद]*

सभापति महोदय : श्री रूपचन्द पाल, कृपया अपनी बात समाप्त करें।

*(व्यवधान)*

श्री तपन सिकदर : यह उनका मामला है। आप उनसे पूछें ...*(व्यवधान)*

श्री रूपचन्द पाल : आर०एस०एस० कहता है कि क्या गारंटी है कि निदेशक मंडल में आई०यू० नेट के नामित तीन सदस्य अमरीकी खुफिया एजेंसी के एजेंट नहीं होंगे और डॉट के परिसरों में सांख्यवाहिनी को उपलब्ध सुविधा का उपयोग भारत के व्यापार और राजनीतिक रहस्यों की चोरी के लिए नहीं किया जाएगा।

यह अकेली बात नहीं है। वृहत अर्थों में इसका संबंध भारत की सुरक्षा से जुड़ा है। पेन्टागन ने हाल ही में स्वीकार किया है कि "एक अतिगुप्त परियोजना 'एकीलोन' के अधीन अमरीकी राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी दुनिया भर में टेलीफोन फैक्स, ई० मेल संवादों को टेप कर रही हैं।" इस व्यापक तंत्र का संचालन अमरीका, यू०के० और कनाडा द्वारा किया जा रहा है।

*(व्यवधान)*

श्री राम विलास पासवान : आप कहां से पढ़ रहे हैं?

श्री रूपचन्द पाल : यह ट्रिब्यून है।

श्री तपन सिकदर : महोदय, यदि आप उन्हें आर०एस०एस० के मुद्दे पर इतना बोलने दे रहे हैं तो आर०एस०एस० को गुजरात में क्यों तंग किया जा रहा है।

श्री रूपचन्द पाल : यह ब्रिटेन के एक समाचार-पत्र में प्रकाशित हुआ है।

सभापति महोदय : श्री पाल, कृपया अपनी बात समाप्त करें। आप 20 मिनट से अधिक समय ले चुके हैं।

श्री रूपचन्द पाल : मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। मैं महत्वपूर्ण और संगत बिंदुओं को ही उठाऊंगा।

सभापति महोदय : आपके लिए केवल 7 मिनट का समय आबंटित किया गया है लेकिन मैं आपको 13 मिनट और दे चुका हूं।

श्री रूपचन्द पाल : महोदय, मंत्रियों ने मेरा समय ले लिया है।

सभापति महोदय : मैं मंत्रियों से अनुरोध करता हूं कि वे उन्हें अपना भाषण समाप्त करने दें और बाद में वे उनकी बातों का उत्तर दे सकते हैं।

श्री रूपचन्द पाल : मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। पर सरकार, इन संशोधनों के माध्यम से, राष्ट्रीय हितों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों को बेच रही है। ये कंपनियां देश को लूट रही हैं। सरकार को राजस्व बंटवारा प्रक्रिया के द्वारा कम से कम 2000 करोड़ रुपये का नुकसान होगा जिसका सदुपयोग दूरसंचार के आधारभूत ढांचे के विकास के लिए किया जा सकता था।

भारती दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने यह साबित कर दिया है कि वे स्वयं को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। इसलिए वे अपने आपको नियंत्रक महालेखापरीक्षक के जांच क्षेत्र से बाहर रखना चाहते हैं। इससे अनेक घोटाले और स्कैम होंगे। नए भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के संविधान के अनुसार यह सरकार कुछ खास लोगों के हितों के लिए काम कर रही है और ऐसे लोग इस अध्यादेश के लिए पूरे प्रयास कर रहे हैं और मैं आरोप लगाता हूं कि यह सब प्रधानमंत्री कार्यालय के वर्ग द्वारा किया जा रहा है। नवगठित भरतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण विदेशी और भारतीय एकाधिकारवादी कंपनियों के हितों की रक्षा करेगा न कि राष्ट्रीय हितों की।

यद्यपि मेरे पास काफी सामग्री है लेकिन समय नहीं है। इस विधेयक को स्थाई समिति को भेज दिया जाना चाहिए ताकि वह इसकी जांच कर सके और राष्ट्रीय हितों का संरक्षण हो सके।

*[हिन्दी]*

**डा० रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली)** : सभापति महोदय, माननीय सांसद श्री बसुदेव आचार्य जो सांविधिक संकल्प लाए हैं और यह जो विधेयक आया है, मैं संकल्प के पक्ष में और विधेयक के घोर विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

यह ठीक बात है कि आज दूरसंचार का युग आ गया है, इसका विकास होना चाहिए। माननीय मंत्री जी जो बयान दिया करते हैं कि जितने गांव हैं, वहां टेलीफोन लगवा देंगे लेकिन आज भी जितने टेलीफोन लगे हुए हैं, उनका भट्टा बैठा हुआ है और एक्सचेंज वाला आदमी है, वह भाग जाता है और हम लोगों की रात में बात नहीं होती है। दावा ज्यादा हो और करनी उसके मुताबिक न हो तो विश्वसनीय स्थिति नहीं रहती है। मंत्री जी उसी पद पर हैं जिस पर श्री सुखराम जी का नाम सुनते थे, उसी पद पर गड़बड़ हुई है और मल्टी नेशनल कंपनीज ने गड़बड़ की है। आज उस पर कानून बनाने का प्रावधान आपने किया है लेकिन इसका विश्लेषण करके देखा जाए।

कहते हैं कि प्राधिकरण एक अध्यक्ष और दो से अनधिक पूर्णकालिक सदस्यों और दो से अनधिक अंशकालिक सदस्यों से मिलकर बनेगा। कहते हैं कि दो से अनधिक दो से ज्यादा नहीं। शून्य भी दो से ज्यादा नहीं है, एक भी दो से ज्यादा नहीं है। इसलिए ऐसी भी परिस्थिति इस नियम के अधीन आ जाएगी कि केवल अध्यक्ष रह जाएंगे और जो पूर्णकालिक सदस्य दो कहा गया है और दो अंशकालिक सदस्य नहीं रहेंगे, फिर भी इस नियम के अधीन सरकार को कोई बाध्यता नहीं रहेगी। आप क्या ट्राई बना रहे हैं। इनका यह दावा गलत है कि ट्राई को यह इंडिपेंडेंट बाडी और सक्षम बना रहे हैं। दो से अनधिक का क्या मतलब है, दो से ज्यादा नहीं, तो शून्य सदस्य रहेगा, वह भी दो से ज्यादा नहीं है, एक सदस्य नहीं रखेंगे और कहेंगे कि दो से ज्यादा नहीं है या कभी एक सदस्य रहेगा तो उसे कहेंगे कि दो से ज्यादा नहीं है, उसी तरह फिर अंशकालिक सदस्य में भी इन्होंने उसी तरह का शब्द लगाया है कि दो से अनधिक अंशकालिक सदस्य से ज्यादा नहीं, तो शून्य भी दो से ज्यादा नहीं है। क्या तब एक सदस्य नहीं रखेंगे और कहेंगे कि नियम 4 के उप-नियम 3 का अनुपालन हो रहा है। इसलिए हमें बड़ा भारी संदेह है, यह जो संशोधन लाए हैं उसमें लगता है कि सरकार कहने को कह रही है कि ट्राई को हम सक्षम और ताकतवर संस्था बना रहे हैं, हम हस्तक्षेप नहीं करते, लेकिन उस ट्राई की जो बाडी होगी, उसमें केवल अध्यक्ष रह जाएगा और दो से अनधिक, मतलब शून्य भी दो से अनधिक है, एक भी दो से अनधिक है, तो अंशकालिक और पूर्णकालिक सदस्य नहीं भी रहेंगे तो यह कहेंगे कि हमारे कानून का पालन होता है। इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं।

सभापति महोदय, यह कहते हैं कि प्राधिकरण का अध्यक्ष और अन्य सदस्य केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसे व्यक्तियों में से नियुक्त किए जाएंगे, जिनके पास दूरसंचार उद्योग, वित्त लेखा कर्म, विधि प्रबंध या उपभोक्ता मामलों का ज्ञान और विशिष्ट अनुभव हो। उसके बाद फिर कहते हैं परंतु कोई व्यक्ति जो सरकार की सेवा में है या रहा है, सदस्य के रूप में तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक कि ऐसे व्यक्ति ने भारत सरकार के सचिव या अपर सचिव का पद या अपर सचिव और सचिव का पद या केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार में कोई समतुल्य पद तीन बार से अन्यून की अवधि के लिए धारण न किया हो। यह इसमें भी परंतु वाला कानून लाए हैं यह केवल सदस्य के लिए है। अध्यक्ष के लिए इन्होंने रखा है कि दूरसंचार उद्योग, विधि लेखा कर्म, विधि प्रबंध का अनुभव रखता हो और उपभोक्ता मामलों का अनुभव रखता हो। अध्यक्ष की बहाली में सेक्रेटरी या एडीशनल सेक्रेटरी का तीन वर्ष का अनुभव न भी हो तब भी अध्यक्ष के पद पर बहाल कर लेंगे, नियम पांच के खंड-चार में जो इन्होंने कहा है, उससे लगता है कि अध्यक्ष की योग्यता के लिए केवल अनुभव चाहिए। उसे सरकारी सेवा में सेक्रेटरी अथवा एडीशनल सेक्रेटरी के पद पर तीन वर्ष का अनुभव हो अथवा न हो, यह बंधन अध्यक्ष के लिए नहीं है। लेकिन सदस्य के लिए इन्होंने कहा कि भारत सरकार के सचिव अथवा अपर सचिव या उसके समकक्ष पद पर तीन वर्षों का अनुभव प्राप्त हो, सभापति महोदय इससे ज्यादा गड़बड़ कानून कुछ नहीं हो सकता। अध्यक्ष के लिए इन्होंने कोई पाबंदी नहीं लगाई, केवल उसे अनुभव होना चाहिए, उसमें चहेतों को बहाल कर लेंगे, जिसे भारत सरकार की सेवा का अनुभव न हो, लेकिन सदस्य की नियुक्ति के लिए उन्होंने लगाया है कि तीन वर्ष का अनुभव सेक्रेटरी अथवा एडीशनल सेक्रेटरी का होना चाहिए। यह इसका स्पष्ट जवाब दें। इस तरह का पेंचवाला कानून क्यों बनवा रहे हैं, जिसमें दावा करते हैं कि सरकार ने इसमें पूरी अहमियत इनको दी है इन्हें पूरी इंडिपेंडेंस रहेगी, ऑटोनोमी रहेगी। लेकिन बहाली में केवल अध्यक्ष ही इस पर रह जाएंगे और अध्यक्ष भी इनके मनोनुकूल इनका चहेता होगा, उसके लिए कोई बाध्यता नहीं है। लेकिन सदस्य या तो रहेगा नहीं और यदि रहेगा तो उसके लिए बंधन लगाए हैं। नियम-चार और नियम-पांच देखा जाए। ऐसे पेंच वाले कानून को पारित करने के लिए कैसे हम सहमत हो जाएं। इससे इनकी कथनी और करनी में बड़ा भारी भेद हो जाता है। माननीय सदस्य श्री अय्यर और श्री रूपचन्द पाल ने सवाल उठाए थे, जो कांस्टीट्यूशनल प्रावधान हैं कि सरकार का जहां खर्चा होगा, वहां सी०ए०जी० जाकर जांच करेगा। ऐसा नियम है, कांस्टीट्यूशन है कि वहां सी०ए०जी० जाकर जांच करेगा।

सभापति महोदय, सी०ए०जी० जांच करता, रिपोर्ट देता, लेकिन इन्होंने सी०ए०जी० की जांच से बाहर करने का प्रावधान कर दिया है। यह कैसा कानून ला रहे हैं जिसमें सी०ए०जी० की जांच से प्राधिकरण को कर दिया जाए, फिर उसके एकाउंट की जांच कौन करेगा? सी०ए०जी० उसके एकाउंट की जांच करता, उसमें गड़बड़ी हो, तो उसको वह प्रेसीडेंट को रिपोर्ट करता था और फिर वह रिपोर्ट पार्लियामेंट में आती थी, लेकिन उसकी बजाय वित्त के मामले में प्राधिकरण को बेलगाम कर दिया जाए, सी०ए०जी० की जांच से भी बरी कर दिया जाए, तो यह कैसे चलेगा।

सभापति महोदय, इस विधेयक की धारा 11(1), 11(2) एवं 11(3) में लिखा हुआ है कि प्राधिकरण के लेखाओं की जांच महालेखाकार के अधीन नहीं होगी। देखा जाता है कि जिस विभाग में सुखराम जी जैसे मंत्री रहे उस विभाग में 'ट्राई' बन रहा है और उसको कहते हैं कि सी०ए०जी० की जांच से बरी कर दिया जाए, तो इसमें तो सुखराम जी से भी बड़ा घपला होने का संदेह है।

सभापति महोदय, इसमें हमें बड़ा संदेह है कि ट्राई को बेहिसाब अधिकार दिए जा रहे हैं और उसकी लेखाओं की जांच को सी०ए०जी०

के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा जा रहा है। यह प्रावधान संविधान के प्रतिकूल है। सांवैधानिक प्रावधान है कि जहां भारत सरकार का धन व्यय हो वहां सी०ए०जी० व्यय की जांच करें, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान है सी०ए०जी० की जांच का, उसे ही इस प्राधिकरण से हटाया जा रहा है, तो हमें इसमें पूरा संदेह है कि ये मल्टी नेशनल्स के हाथों में खेल रहे हैं और हमारे देश में मल्टी नेशनल्स की पौ बारह होने वाली है।

सभापति महोदय, इस सदन के सभी माननीय सदस्यों को मालूम है कि मल्टीनेशनल्स जहां-जहां गए वहां उन्होंने बड़े-बड़े अपराध और घोटाले किए। उन्होंने अपने देश में भी कम अपराध नहीं किए हैं। इस छल वाले कानून से उन्हें भारत में आने की पूरी छूट मिल जाएगी और वे यहां भी उसी प्रकार के अपराध करेंगे और उनके ऊपर हमारी कोई पकड़ नहीं रहेगी। इससे हमारे देश के गांवों के लोग जो आशा एवं आकांक्षा पाल रहे हैं कि हमारे गांव को फोन लगेगा, सस्ता फोन लगेगा, वह सब व्यर्थ जाएगी क्योंकि ये इस प्राधिकरण को बनाकर फोन को महंगा करने वाले हैं।

सभापति महोदय, आप भी अनुभव करते होंगे कि आज गांव टेलीफोन सुविधा से उपेक्षित हैं। वहां घंटों-घंटों हम फोन पर बैठे रहते हैं, लेकिन बात नहीं हो पाती जबकि फोन तो होता ही जल्दी बात करने के लिए है, लेकिन साहिबगंज और देवरिया से लोग हमें रिपोर्ट देते हैं कि दो-दो घंटे फोन पर बैठे रहते हैं और बात नहीं होती। इस प्राधिकरण के बनने के बाद भी हम टेलीफोन सेवा में सुधार की आशा नहीं लगा सकते। इस प्रकार से जो छल वाला कानून बनेगा उससे देश का हित होने वाला नहीं है।

सभापति महोदय, हम भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2000 का घोर प्रतिवाद करते हैं और हमारी मांग है कि इसको सदन में पास न किया जाए बल्कि इसको संसद की स्टैंडिंग कमेटी को भेज दिया जाए ताकि इसमें जो तकनीकी खामियां हैं उनको दूर किया जा सके। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

*[अनुवाद]*

**श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति** (विशाखापत्तनम) : सभापति महोदय, इस मामले में एक राय है कि अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए आधारभूत ढांचा सर्वाधिक जरूरी है। इसमें दो राय नहीं हैं। साथ ही, एक विधेयक को पेश करने और इसे अधिनियम बनाने के लिए सही रास्ता अपनाया जाना चाहिए।

यह भारतीय टेलीकाम नियामक विधेयक आज की परिस्थितियों में अनिवार्य हैं क्योंकि हमारा देश अन्य विकसित राष्ट्रों की तुलना में काफी पीछे है। यदि हम एक बार अपनी अर्थव्यवस्था को उदारीकृत करने को तैयार हो गए हैं तो यही बेहद जरूरी है कि दूरसंचार सेवाओं को देश के कोने-कोने तक ले जाया जाए। हम पहले ही अनेक प्रक्रियाओं में देरी कर चुके हैं। सरकार द्वारा 24 जनवरी, 2000 को जारी किया गया अध्यादेश इस संसद में हुए विलंब की अवधि को कम करने के लिए था। जहां तक उच्च न्यायालय की अनदेखी करने की बात है, ऐसा नहीं है कि इस प्राधिकरण के निर्णयों को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है।

अभी भी, इसकी सर्वोच्च न्यायालय में जांच-पड़ताल की जा सकती है।

जहां तक दायित्वों का प्रश्न है तो इस पर विचार किया गया है। विधेयक को इसलिए पेश किया जा रहा है ताकि इस प्रक्रिया में तेजी लाई जा सके। यह भी एक तथ्य है कि देश में सूचना प्रौद्योगिकी के विकास के लिए संचार सुविधाओं की बहुत आवश्यकता है। सूचना प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ हमारा देश आगे बढ़ रहा है, अन्य विकसित देशों के लिए निर्यात और अन्य चीजों में तेजी से विकास हो रहा है।

सूचना प्रौद्योगिकी के विकास संचार सुविधाओं के विकास से जुड़ा हुआ है। संचार सुविधाएं सरकारी नियंत्रण में उपलब्ध नहीं है। ये कुछ लोगों तक ही सीमित हैं। एक समय टेलीफोन का होना एक विलासिता की वस्तु माना जाता था। एक समय टेलीफोन होने पर आयकर भी देना पड़ता था। यदि यह सच है तो पूर्व में हमने कितनी रूढ़िवादी नीतियां अपनाई थीं।

**श्री ए०सी० जोस** (त्रिचूर) : आज भी वे आयकर दे रहे हैं ...*(व्यवधान)*

**श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति** : आज हम चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति आयकर का भुगतान करे क्योंकि हम चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति विकास करे, अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारे और आयकर का भुगतान करे। आज यह अलग नियम है। किंतु कोने-कोने तक टेलीफोन सुविधा पहुंचाई जानी चाहिए। एक चरण पर हम बता रहे हैं कि टेलीफोन सुविधाओं की लागत अधिक नहीं होनी चाहिए, जबकि दूसरी ओर मेरे दोस्त कहते हैं कि हम सरकार के लिए राजस्व का दान कर रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा कि यह सरकार को राजस्व नहीं अपितु एक सुविधा है। अतः इसे सुविधाओं के रूप में माना जाना चाहिए। दूर-संचार सुविधा एक ऐसी सुविधा है, जिसे कोने-कोने और प्रत्येक गांव में फैलाया जाना चाहिए। अत्यंत ऊंचे शुल्क होने पर क्या हम यह सुविधा प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं? अतः हमें यह बताने की बजाय कि "सरकार बहुत सारे राजस्वों का त्याग कर रही है, अथवा सरकार को बहुत अधिक राजस्व प्राप्त होगा," इसे उस दृष्टि से भी देखना चाहिए।

यदि आप लोगों पर कर लगाना चाहते हैं, तो आपको राजस्व मिल सकता है। यदि आप इस सुविधा का विस्तार चाहते हैं, तो आपको यह करना ही पड़ेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि अतिरेक राजस्व बंटवारा बुरा आयाम नहीं है। मेरे विचार से यह हर किसी को स्वीकार होना चाहिए। केवल तभी आम व्यक्ति लाभान्वित होगा। किंतु आप एक पारदर्शिता का स्तर बनाएं और व्यय के बाद देखें कि अतिरेक राजस्वों का बंटवारा कैसे करें। ऐसा करने की बजाय यदि हम दूरसंचार सुविधाओं को सुधारने की प्रक्रिया तेज करने और निजी निवेश को आकर्षित करने में एकमत नहीं हैं तो कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। सरकार वहां निवेश नहीं कर सकती क्योंकि उसके पास सामाजिक क्षेत्र के लिए ही कोई धन नहीं है। अतः आप दूरसंचार की इस प्रक्रिया में केवल सरकारी क्षेत्र के द्वारा ही इस सुविधा का विस्तार कैसे कर सकते हैं? इसलिए हमें बाहर से, निजी क्षेत्र से भी पूंजी आकर्षित करनी ही चाहिए। हमें और आपको इसमें भेद नहीं करना चाहिए कि सार्वजनिक क्षेत्र धन का निवेश कर रहा है अथवा निजी क्षेत्र। बल्कि हमें आम आदमी

[श्री ए०वी०वी०एस० मूर्ति]

को सस्ती लागत पर यह सुविधा प्रदान करने की नीति के बारे में सोचना चाहिए। ऐसा करते समय हमारा वह दृष्टिकोण होना चाहिए।

महोदय, कदाचित इन संशोधनों का उद्देश्य देश के आम आदमी तक दूरसंचार की सुविधाओं को पहुंचाना है। यदि यह मामला है, तो हमें ऐसे विधेयक को पारित करने में टाल-मटोल नहीं करना चाहिए।

अत:, मेरे विचार से हमें कोई संशोधन किए बिना इस विधेयक को पारित कर देना चाहिए क्योंकि यह देश की दूरसंचार सुविधाओं के विकास की ओर अग्रसरित है, जिससे सूचना प्रौद्योगिकी सुविधाओं में सुधार होगा, फलस्वरूप इस देश में बहुत-सा धन आएगा। इन कुछ शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

*[हिन्दी]*

**श्री चन्द्रनाथ सिंह** (मछलीशहर) : सभापति जी, श्री बसुदेव आचार्य जी द्वारा पेश किए गए सांविधिक संकल्प टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया 2000 के समर्थन पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। हमारा विचार है और मैंने देखा कि यह बिल एक धोखा है, असत्य का पुलिंदा है। टेलीकॉम विभाग में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, उसको देखते हुए हिन्दुस्तान में जो सबसे बड़ा भ्रष्ट विभाग है, वह दूरसंचार विभाग है जहां एक छोटे से कर्मचारी से लेकर उच्च अधिकारी तक लूट-खसोट कर रहे हैं।

इस भ्रष्टाचार के ऊपर एक पर्दा डाला जा रहा है। इसको छिपाने के लिए दूसरी ओर ध्यान दिया जा रहा है। इस बिल में यदि संशोधन नहीं किया गया, यदि इस पर पूर्णरूप से विचार नहीं किया गया तो इस देश के साथ एक बड़ा धोखा होगा।

मैं बताना चाहता हूं कि सैलुलर फोन चला हुआ है। सरकार के रिवैन्यू को इतना चूना लगाया जा रहा है। जो उसके उपभोक्ता हैं, वे मजबूरी में सैलुलर फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। 10 प्रतिशत कॉल सही है तो 90 प्रतिशत कॉल पूरे तौर पर चोरी हो रही है। इस व्यवस्था में श्री सुखराम ने लाइसेंस देकर जो...(अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया) भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार उन्हीं के पदचिह्नों पर चल रही है।...(अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया)...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**श्री राम विलास पासवान :** आपका पूर्ण आदर करते हुए मैं इस पर...*(व्यवधान)*

**श्री तपन सिकदर :** महोदय, क्या यह संसदीय है?...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय :** माननीय सदस्य कृपया आप अपनी बात विधेयक तक ही सीमित रखें।...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री राम विलास पासवान :** मैं 1969 से पब्लिक लाइफ में हूं। 1969 में मैं एम०एल०ए० बना और 1977 से एम०पी० हूं। भ्रष्टाचार इनकी श्रेणी में हो सकता है। जिस समय राम विलास पासवान पर उंगली उठाएंगे, मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। आप मजाक कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**श्री चन्द्रनाथ सिंह :** मैंने विकास के लिए कहा है। मैं आपके माध्यम से इसमें संशोधन लाना चाहता हूं...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**सभापति महोदय :** कृपया अपने आपको विधेयक तक ही सीमित रखें। विधेयक के अलावा अन्य बातों पर न भटकें।

*(व्यवधान)*

**श्री अली मोहम्मद नायक** (अनंतनाग) : महोदय, मेरा व्यवस्था क्या प्रश्न है...*(व्यवधान)* माननीय सदस्य, जो कि अभिभाषण दे रहे हैं, वे अपने स्थान पर बैठ जाएं। माननीय सदस्य ने माननीय मंत्री के विरुद्ध आरोप लगाया है।

**श्री ए०सी० जोस :** कोई आरोप नहीं लगाया गया है।

**श्री अली मोहम्मद नायक :** महोदय, उन्होंने आरोप लगाया है।

**सभापति महोदय :** व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

**श्री अली मोहम्मद नायक :** महोदय, कृपया मेरा निवेदन सुनें।

**सभापति महोदय :** इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

**श्री अली मोहम्मद नायक :** महोदय, यदि सभा के नियमों के विरुद्ध कुछ भी होता है तो व्यवस्था का प्रश्न उठाया जाता है, उन्होंने एक मंत्री पर आरोप लगाया है। आरोप लगाने से पहले, उन्हें माननीय अध्यक्ष को आरोप प्रस्तुत करना चाहिए।

**सभापति महोदय :** मैं उस भाग को कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दूंगा। मैं वह भाग कार्यवाही वृत्तांत से निकाल रहा हूं।

**श्री प्रियरंजन दासमुंशी** (रायगंज) : क्या सुखराम गैर-संसदीय है?

**सभापति महोदय :** यह गैर-संसदीय नहीं है। किंतु मंत्री के विरुद्ध अभियोग लगाना गैर-संसदीय है।

**श्री ए०सी० जोस :** कोई अभियोग नहीं लगाया गया है। उन्होंने कहा है कि श्री सुखराम ने विकास कार्य शुरू किया गया और वर्तमान मंत्री उसी विकास कार्य पर बयानबाजी कर रहे हैं और विकास कार्यों को अनदेखा कर रहे हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि उन्होंने कोई आरोप लगाया है।

**सभापति महोदय :** अगर ऐसा मामला है, यदि कोई आरोप लगाया है, तो मैं उस पर विचार कर लूंगा।

**श्री पवन कुमार बंसल** (चंडीगढ़) : महोदय, आप कृपया इस मामले को देखें।

**सभापति महोदय :** मैं इसकी जांच करूंगा। यदि मंत्री के विरुद्ध कोई आरोप लगाया है, तो मैं इस मामले पर विचार करूंगा।

*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय** : यदि 'विकास' शब्द अच्छे संदर्भ में प्रयुक्त किया गया है तो वह भाग कार्यवाही वृत्तांत से नहीं निकाला जाएगा। यदि व्यंग्योक्ति है तो भी मैं इसे कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दूंगा।

**श्री तपन सिकदर** : महोदय, यह सही नहीं है। उन्होंने श्री सुखराम पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है, तत्पश्चात् उन्होंने श्री पासवान जी के बारे में भी यही बात कही है।

**सभापति महोदय** : इसी कारण मैं आपको कह रहा हूं कि मैं इसकी जांच करूंगा। यदि वहां मंत्री जी के विरुद्ध कोई आरोप है, तो मैं उसे कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दूंगा।

*[हिन्दी]*

**श्री चन्द्रनाथ सिंह** : मैंने मंत्री जी पर कोई आरोप नहीं लगाया। मैंने तुलना के लिए कहा था। सत्त पक्ष के लोग तुलना को गलत अर्थ में लेते हैं। इनको सही अर्थ में लेना चाहिए। मैंने विभाग पर निश्चित रूप से भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि आज दूरसंचार में जे०ई० लैवल का आदमी करोड़ों रुपये कमा रहा है।

इस बिल में उस भ्रष्टाचार को रोकने का कोई उपाय नहीं लाया गया है, बल्कि भ्रष्टाचार को बढ़ाने के लिए रखा गया है। मैं कहना चाहता हूं, इसमें कहा गया है कि चेयरमेन को एपाइंट कौन करेगा, मिनिस्ट्री करेगी तो वह न्यायिक बॉडी नहीं रहेगी। अगर इसको ज्यूडिशियल बॉडी बनाना है तो इसको सुप्रीम कोर्ट के अधिकार में दे देना चाहिए, वह चेयर पर्सन को एपाइंट करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा। वह गवर्नमेंट के अंडर में नहीं रहेगा, इसलिए इसको इंडिपेंडेंट बॉडी इसको बनाकर रखा जाए। अगर इसको इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं बनाया जाएगा तो दूरसंचार विभाग मनचाहे व्यक्ति को चेयरमेन बनाएगा, मनचाहे पूंजीपति को बनाएगा, जिससे उसको लाभ मिलेगा, उस व्यक्ति को उस पद पर रखकर अपने भ्रष्टाचार के ऊपर पर्दा डालने की एक बहुत बड़ी साजिश है। मैं चाहूंगा ...*(व्यवधान)* मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।

अगर इस बिल को इसी रूप में पारित कर दिया गया तो यह जो मोबाइल, सेल्यूलर फोन आ रहे हैं, आज करोड़ों अरबों रुपये इस देश के धन की बर्बादी हो रही है। आज जिनको आवश्यकता है, उनको फोन नहीं मिल रहा है। वह सेल्यूलर फोन को मजबूरी में इस्तेमाल करते हैं। अगर फोन पर 200 रुपये खर्चा होता है तो सेल्यूलर फोन पर 1000 रुपये का बिल आता है, उस पर अपने आप बिल बढ़कर आ जाता है। उसके ऊपर आज कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है। हमारे जैसा साधारण व्यक्ति, जो सेल्यूलर फोन का उपभोग कर रहे हैं, उनको इतना नुकसान हो रहा है, सरकार को इतना नुकसान हो रहा है, इसलिए मैं चाहूंगा कि अगर माननीय मंत्री जी की सोच अच्छी है, हमने माना है कि उनकी सोच अच्छी है, वे बहुत अच्छे मंत्री हैं, हालांकि मंत्री बनने के लिए वे उधर चले गए, लेकिन अच्छे मंत्री हैं। वे वहां चले गए हैं, लेकिन हमारे लीडर रहे हैं, हमारे आदरणीय हैं। हम उन पर आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन अगर इस बिल को इसी तरह से पास कर दिया गया तो हम कहेंगे कि जो कदम सुखराम जी ने उठाया था, वही कदम माननीय मंत्रीजी उठाने जा रहे हैं। इस बिल को रद्दी की टोकरी में फेंक देना चाहिए। इस बिल का कोई मतलब नहीं है। इस दोष का कोई जवाब नहीं है, बल्कि सेल्यूलर और अंतर्राष्ट्रीय कंपनी और पूंजीपतियों को लाभ देने के लिए इस बिल का केवल इस्तेमाल किया जा रहा है। इस बिल को स्टैंडिंग कमेटी में रख दिया जाए और इस पर विचार किया जाए, वरना इसको रद्दी की टोकरी में फेंक देना चाहिए। मैं एक नेक सलाह मंत्री जी को देना चाहता हूं कि वे आज इस बिल को वापस ले लें और वे दूसरा बिल बनाएं, जिसमें भ्रष्टाचार को रोकने का एक उपाय किया जाए।

आज इस विभाग में ऐसा भ्रष्टाचार हो रहा है कि अगर केवल डाला जा रहा है तो आदमी अगर खोदता है तो उसको एक फिट खोदा जा रहा है, मैंने अपनी आंखों से अपनी कांस्टीट्यूंसी में देखा है, पीली ईंट लगाई जा रही हैं। इतना बड़ा भ्रष्ट विभाग इस समय हिन्दुस्तान में कोई दूसरा नहीं है। उसी भ्रष्टाचार को रोकने के लिए इस बिल को यहां पर प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है, बल्कि भ्रष्टाचार के समर्थन में पर्दा डालने के लिए है। मैं आपके माध्यम से अपने मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि जब तक इस बिल पर ठीक ढंग से डिस्कस न हो जाए, इसमें परिवर्तन न किया जाए, इस बिल को सदन में पास न किया जाए। अगर आपने भी इस देश के बारे में सोचा है तो इस बिल को रद्दी की टोकरी में डाल दीजिए, नहीं तो सुखराम जी जिंदाबाद कहते रहिए।

**प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर)** : मान्यवर सभापति जी, मैं माननीय संचार मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2000 का पुरजोर और प्रबल समर्थन करता हूं और आपके माध्यम से पूरे सदन से मैं प्रार्थना करना चाहूंगा कि राष्ट्रहित को सर्वोपरि मानकर यदि आपके मन में ऐसी भावना है कि बुनियादी सेवाएं टेलीफोन की गांव-गांव तक पहुंचे, हमारे पास में संसाधन विद्यमान हों, टेलीफोन ऑन डिमांड आपकी आवश्यकता पूरी हो सके और एम०पी० अपने कोटे के अंदर जब टेलीफोन दे तो वह जहां कहीं भी लिखे, वहां पर हो जाए। ऐसे साधन उपलब्ध करने के लिए आखिर सरकार को संसाधनों की आवश्यकता है। इन्हीं सारी बातों को तथा ट्राई को मजबूत करने के लिए और विनिवेश को बढ़ाने के लिए और पहले ट्राई के अंदर जो प्रतिबाधाएं उपस्थिति हो रही थीं, उन बाधाओं को दूर करने के लिए सरकार के द्वारा यह बिल लाया गया है। इस बिल को सर्वसम्मति से अविलंब, बिना किसी बहस के ही पास कर देना चाहिए, यह उतना उपयोगी और राष्ट्रहित में है।

मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि जो लोग आज भ्रष्टाचार का नाम लेकर न जाने कहां-कहां की दुहाई दे रहे हैं, मुझे उनकी बुद्धि पर तरस आता है, ऐसा मालूम होता है कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। जो लोग भ्रष्टाचार के विरोध की बात करते हैं तो आप बताइए कि आखिर सुखराम जी पहले किसके साथ थे और सुखराम जी के ऊपर पहले किसके संस्कार पड़े।

**श्री मणि शंकर अय्यर** : वे अब किसके साथ हैं?

**प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर)** : मल्टीनेशनल, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बारे में और विदेशी धन के बारे में माननीय सदस्य कह रहे हैं।

**अपराह्न 5.00 बजे**

मैं कहना चाहता हूं कि उदारीकरण की नीति को प्रारंभ करने की बात श्री नरसिम्हा राव जी ने और सारी परिस्थितियों को देखते हुए

[श्री रासा सिंह रावत]

कांग्रेस ने जो पुरजोर इस बात को कहा था कि वैश्वीकरण की बात, भूमंडलीकरण की बात, खुलेपन की बात और ग्लोबेलाइजेशन की बात आपने शुरू की और उसके बाद राष्ट्रीय दूरसंचार नीति बनाई, मैं यह कहना चाहता हूं कि आपने तो कोरी नीति बनाई लेकिन नीति को सार्थकता का जामा प्रदान करने का काम हमारी सरकार के कंधों पर आया। जिस सुदृढ़ता के साथ राष्ट्र को विश्वास में लेकर इसे करने के लिए हमारी सरकार वचनबद्ध है, जैसा कि राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण के अंदर स्पष्ट कहा था कि आने वाले समय में दूरसंचार की जो बुनियादी सेवा है, उसे सार्थक करने के लिए, उनमें आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए ट्राई को और मजबूत बनाएंगे ताकि प्राइवेट सैक्टर का विनिवेश भी इसके अंदर हो सके। प्राइवेट कंपनियां भी अपना धन लगा सकें लेकिन उसके ऊपर यह ट्राई बनाया है ताकि उनके द्वारा किसी का दुराचरण नहीं हो, उनके ऊपर पूरी विजिलेंस, पूरी निगाह बनाए रख सके तथा आने वाले विवादों के लिए ट्राईब्यूनल की स्थापना हो, इसलिए ये सारे प्रावधान किए गए हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से पुरजोर समर्थन करते हुए सरकार से प्रार्थना करना चाहूंगा कि अब तक का जो अनुभव रहा है कि जितनी भी उदारीकरण के क्षेत्र में प्राइवेट कंपनियां आई हैं, मलाई मलाई सब खाना चाहते हैं और बाकी दायित्व दूरसंचार विभाग के ऊपर छोड़ना चाहते हैं। उसी के कारण जिन गांवों के अंदर, पंचायत मुख्यालयों के अंदर, बुनियादी सेवाएं, टेलीफोन सेवाएं लगाने का जो दस प्रतिशत का हिस्सा है, वह अभी तक नहीं लगाया गया है और केवल शहरों और कस्बों तक ही यह सीमित रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से विशेष प्रार्थना करना चाहूंगा कि इस बारे में जब भी आगे ट्राई के प्रावधान होंगे लेकिन नीति बनाते समय भी उनको निर्देश दें कि ग्रामीण क्षेत्रों में जितनी भी टेलीफोन सेवाएं लगानी हैं, वे अवश्य लगाएं और उनकी अनिवार्यता होनी चाहिए अन्यथा वे इन सेवाओं से वंचित रह जाएंगे क्योंकि पहले भी मार वगैरह कंपनियां, जो कांग्रेस का शासन था और गांवों के अंदर टेलीफोन नीति के माध्यम से मार सिस्टम में बार-बार पोल तो खड़े कर दिए गए थे लेकिन ऐसी मशीनरी (बैटरियां) सरकार ने लगवाईं जो सारी की सारी गड़बड़ हो गईं, वे सरकार को अब नयी लगवानी पड़ रही हैं। मै। एक बात और कहना चाहूंगा कि इसमें तकनीक लेटेस्ट हो जो ग्रामीण क्षेत्रों में इन टेलीकॉम सेवाओं को प्रभावी बना सकें, इसके लिए प्रयास होने चाहिए।

मेरे एक मित्र कह रहे थे कि बिहार के बंधु–''जाकी रही भावना जैसी, सो प्रभु मूरत देखी तैसी। बिहार में जिस तरह के घोटाले, जिस तरह की परिस्थितियां पैदा हो रही हैं, उनको हर चीज में सावन के अंधे के समान हरा ही हरा दिखाई देता है। मैं विपक्ष से प्रार्थना करूंगा कि केवल विरोध के लिए विरोध न करें अपितु राष्ट्रीय हित में जो अच्छी चीज आती है तो उसका पुरजोर समर्थन करके उसे सहयोग देना चाहिए। इसे स्टैंडिंग कमेटी को सौंपने की कोई आवश्यकता नहीं है। 1997 के अंदर यह टैलीकॉम ऑथोरिटी बनी थी और उस समय जो कानून बने थे, उस कानून में यह केवल संशोधन मात्र है। इस संशोधन में भी जो कमियां दो-तीन साल के अंदर आपके सामने आई हैं, उनको दृष्टिगत रखते हुए सुचारू रूप से सारा विनिवेश हो सके और गुणवत्ता बढ़ सके तथा संचार-सेवा प्रदाताओं के बीच इंटर-कनेक्शन तय हो सके, उसकी क्वालिटी अच्छी हो सके, प्रबंध की दृष्टि से भी सिफारिशें कर सकें तथा इसमें रिकमेंडेट्री, एडवाइजरी और रेगुलेटरी इन तीनों चीजों का प्रावधान इस नये संशोधन बिल में किया गया है, मैं समझता हूं कि यह प्रावधान हो जाने के बाद, ट्राईब्यूनल बन जाने के बाद सी०ए०जी० के द्वारा बंधन हटा लेने के बाद दूरसंचार सेवाओं के विस्तार के क्षेत्र में प्राइवेट विनिवेश हो सके और सेलुलर और पेजर आधुनिक युग की बात है।

इससे कोई भी इंकार नहीं कर सकता है। हमारे साथी जो इसका विरोध करते हैं, वे चुनाव के दिनों में सेलुलर को साथ में रखकर संपर्क स्थापित करने का प्रयास करते हैं। दूरसंचार के क्षेत्र में सारे संसार में क्रांति हुई है, इसलिए भारत पीछे नहीं रह सकता है। भारत को जमाने के अनुसार आगे बढ़ना होगा और भारत युग के अनुसार आगे बढ़ना चाहता है, तो युग के अनुसार अपने आर्थिक नजरिए में परिवर्तन करते हुए हमें दरवाजे खुले रखने होंगे, ताकि हमारे देश में पूंजी का निवेश हो सके और संसाधन आ सकें। सेवाओं का विस्तार करते हुए, देश की जनता की समस्याओं का निराकरण करते हुए, अधिक से अधिक सुविधाएं प्रदान कर सकते हैं।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

*[अनुवाद]*

**श्री अजय चक्रवर्ती** (बसीरहाट) : मैं यहां संशोधन विधेयक का विरोध करने और माननीय सदस्य, श्री बसुदेव आचार्य द्वारा प्रस्तावित सांविधिक संकल्प का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

मेरा पहला आरोप सरकार के खिलाफ है। सरकार संसद की अवज्ञा और उसकी अनदेखी करते हुए, इस अध्यादेश को जल्दबाजी में प्रख्यापित क्यों करना चाहती थी? यह अध्यादेश 24 जनवरी, 2000 को प्रख्यापित हुआ था। एक महीने के भीतर संसद का सत्र बुलाया जाना था। सरकार के लिए सरकार द्वारा संसद की अनदेखी और अवज्ञा करके इस अध्यादेश को प्रख्यापित करने की सरकार को क्या जल्दी थी? वास्तव में, मैं यह कहूंगा कि संसद की अनदेखी अथवा अवज्ञा करके अध्यादेश जारी करके एक के बाद एक बुरी परंपराएं स्थापित करना इस सरकार की आदत है। श्री मणिशंकर अय्यर और श्री रूपचन्द पाल दोनों ने इस विधेयक की त्रुटियों के बारे में व्यापक चर्चा की थी और इस विधेयक की कमियों संबंधी अनेक बातें उसमें से निकली है, अतः मेरा कर्तव्य है कि इसे संक्षेप में ही रखूं। मैं कुछ मिनटों के भीतर अपना अभिभाषण समाप्त कर दूंगा।

यह विधेयक और कुछ नहीं बल्कि हमारे देश के दूरसंचार क्षेत्र के निजीकरण की ओर एक कदम है। यह विधेयक हमारे देश में दूरसंचार के क्षेत्र में कार्य करने के लिए विदेशी, बहुराष्ट्रीय कंपनियों, विदेशी निवेशकों और संचालकों को आमंत्रित करता है। प्रोफेसर रासा सिंह रावत सहित सत्ता पक्ष के जो माननीय सदस्यगण जो अब सत्ता पक्ष में हैं, जब वे विपक्ष की ओर बैठते थे तो वे बीमा क्षेत्र और अन्य क्षेत्रों में स्वदेशी की वकालत किया करते थे। मेरे विचार में उनका स्वदेशी जागरण मंच अब विदेशी जागरण मंच में परिवर्तन हो गया है।

यह विधेयक नियंत्रक महालेखापरीक्षक की शक्तियों के समाप्त करने का प्रस्ताव करता है। जैसा कि श्री रूपचन्द पाल ने अपने अभिभाषण

में उल्लेख किया है, यदि व्यय किए जाते हैं तो उसमें नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा जांच अथवा हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय की शक्तियां कम कर दी गई हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा हाल ही में पारित निर्णय यह दर्शाता है कि यह विधेयक उच्च न्यायालय की शक्तियों को कम करने का प्रस्ताव करता है।

उपभोक्ताओं और प्रदाताओं के विवादों के निपटान हेतु एक अपीलीय अधिकरण स्थापित किया गया था। मान लीजिए कि केरल के दूरदराज के कोने अथवा अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह अथवा लक्षद्वीप में रहने वाले उपभोक्ता-समूह अथवा कोई उपभोक्ता दु:खी है तो क्या उनके लिए दिल्ली स्थित माननीय उच्चतम न्यायालय में आना संभव है?

अत: इस शर्त को हटाया जाना चाहिए। उच्च न्यायालय की शक्तियों को कम करना न तो न्यायसंगत हो सकता है और न ही स्वीकार्य। विधेयक का उद्देश्य हमारे देश की दूरसंचार सेवाओं का संवर्द्धन और विकास है। माननीय संचार मंत्री और माननीय संचार राज्य मंत्री प्रतिदिन टेलीविजन पर दिखाई देते हैं अथवा उनके फोटो समाचार-पत्रों में छपते हैं। प्रतिदिन वे किसी न किसी चीज का उद्घाटन करते हैं और कहते हैं कि वे हमारे देश के दूरस्थ क्षेत्रों में दूर-संचार प्रणाली स्थापित कर रहे हैं और यह कि उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में दूरसंचार प्रणाली स्थापित की है। गांवों में दूरसंचार प्रणाली की क्या स्थिति है? टेलीफोन मात्र एक ऐसा यंत्र है, जो अतिथि कक्ष में रखा जाता है। वह इससे ज्यादा कुछ नहीं है। शहरी क्षेत्रों में भी यही स्थिति है। यह अब एक गूंगे-बहरे के समान है। टेलीफोन काम नहीं कर रहे हैं। किंतु तत्संबंधी विधेयक प्रस्तुत किए जा रहे हैं। हमारी दूरसंचार प्रणाली पूर्णत: भ्रष्ट है। आप मीडिया के सामने कुछ भी और सभी कुछ कह सकते हैं। मेरे विचार से, हमें यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि हमारी दूरसंचार प्रणाली पूर्णत: ढह गई है और नष्ट हो चुकी है। अत: मैं इस सदन से अनुरोध करता हूं कि हम इस विधेयक का विरोध, विरोध करने की दृष्टि से नहीं कर रहे हैं। हम इस विधेयक का विरोध राष्ट्र के व्यापक हित में और हमारे देश की बेहतर दूरसंचार प्रणाली के लिए कर रहे हैं :

विधेयक का खंड 2 कहता है कि :

"दूरसंचार सेवाओं, विवादों को न्याय निर्णीत करने, अपीलों के निपटाने और दूरसंचार सेक्टर के सेवा प्रदाताओं और उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण करने, दूरसंचार सेक्टर के सुव्यवस्थित विकास को संप्रवर्तित और सुनिश्चित करने को विनियमित करने के लिए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण और दूरसंचार विवाद समाधान और अपील अधिकरण।"

आप दूरसंचार प्रणाली का संवर्द्धन कैसे करेंगे? आप ग्राहकों को बेहतर सेवाएं कैसे प्रदान करते हैं? इस विधेयक से उद्देश्यपूर्ति नहीं होंगी। अत: मैं जोरदार रूप से इस विधेयक का विरोध करता हूं। यह विधेयक स्थायी समिति को भेजा जाना चाहिए ताकि इस विधेयक की उचित रूप से जांच की जा सके। स्थायी समिति द्वारा जांच के बाद दूरसंचार प्रणाली के सुधार और विकास के लिए संसद में एक व्यापक, जनसमर्थित और बेहतर विधेयक प्रस्तुत किया जाए जिससे हमारे देश के लोग लाभान्वित हो सकें।

**श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़)** : सभापति महोदय, दूरसंचार की स्थिति राष्ट्र की प्रगति का वास्तविक पैमाना है और इस क्षेत्र के विकास के लिए किए जा रहे कार्य देश को प्रगति के पथ पर ले जाने के लिए सरकार की इच्छा या प्रतिबद्धता का सही सूचक हैं। महोदय, इसी प्रतिबद्धता ने स्वर्गीय श्री राजीव गांधी को देश में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के विकास को दृढ़निश्चय के साथ आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया था।

आज जो केन्द्रीय मंत्रिमंडल में महत्वपूर्ण स्थानों पर बैठे हैं उन्होंने तब उनकी खिल्ली उड़ाई थी। मैं यह इस विषय पर अपनी शिकायत व्यक्त करने के लिए नहीं कह रहा हूं बल्कि उस द्रष्टा को नमन करने के लिए कह रहा हूं जिसकी दूरदृष्टि, विचार और कार्य ने हमें विश्वास के साथ प्रगति के पथ पर बढ़ने और दूरसंचार सहित राष्ट्र की गतिविधियों के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति प्राप्त करने के लिए तैयार किया। यह उनकी प्रतिबद्धताओं का नतीजा था जिसके कारण 1994 की नीति बनी जो बाद में दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण संबंधी कानून के रूप में लागू हुआ।

आज उस अधिनियम में संशोधन लाने के लिए हमारे सामने यह अध्यादेश है। यह एक सामान्य सी बात है क्योंकि यदि हम वास्तव में प्रगति करना चाहते हैं तो कोई भी कानून स्थायी नहीं हो सकता। लेकिन इस विधेयक का आज विरोध करने का वास्तविक कारण इस अध्यादेश को जारी करने का तरीका है। मैं बहुत संक्षेप में लक्ष्यों और उद्देश्यों संबंधी वक्तव्य का हवाला दूंगा जहां मेरी कोशिश रहेगी कि मैं श्री मणिशंकर अय्यर द्वारा प्रभावशाली और विलक्षण रूप से कही गई बातों को नहीं दुहराऊं बल्कि अपनी बात कहने का प्रयास करूं। वहां कहा गया है कि 25 अक्टूबर, 1999 को तेरहवीं लोकसभा के साथ-साथ राज्य सभा को प्रथम बार संबोधित करते हुए भारत के राष्ट्रपति ने भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण को मजबूत करने के सरकारी निश्चय को व्यक्त किया था। 23 दिसंबर, 1999 को शीतकालीन सत्र का सत्रावसान हो गया। वर्तमान चालू सत्र 23 फरवरी, 2000 से शुरू होने वाला था और इससे बीस दिन पहले सम्मन जारी किया गया। सम्मन जारी करने से ठीक एक सप्ताह पहले यह अध्यादेश आया। यदि मैं अध्यादेश के जारी किए जाने के विषय में मोटे तौर पर और सर्वमान्य मानदंड के बारे में बताने में गलती नहीं कर रहा हूं तो अध्यादेश तब जारी किया जाता है जब कोई अत्यंत आपात प्रकृति का मामला हो जिस पर सरकार द्वारा शीघ्र विधान बनाना आवश्यक हो और उस समय विधान बनाने के लिए संसद या विधान सभा का सत्र नहीं चल रहा हो। इन परिस्थितियों में अध्यादेश जारी किया जाता है। यहां सरकार ने अक्टूबर 1999 में अधिनियम में संशोधन करने की इच्छा व्यक्त की। तब वे निश्चित रूप से इस पर कार्य कर रहे थे। अंत में जब सभा बुलाई जाने वाली थी तो अध्यादेश को जारी करने के पक्ष में बिना किसी प्रबल कारण के हमारे सामने यह अध्यादेश है।

मेरा सरकार पर यह आरोप है कि यह मुख्यत: दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के उन पदाधिकारियों से छुटकारा पाने के लिए किया गया है जो सरकार के लिए सुविधाजनक नहीं थे। सरकार का यह रवैया है। मैं यह मानता हूं कि यह सरकार का विशेषाधिकार है कि वह जैसे कार्य करना चाहे उसका चयन कर सकती है। लेकिन यदि कोई सांविधिक निकाय है जिसे आप स्वीकार नहीं करते या एक खास पदाधिकारी के कार्य को आप पसंद नहीं करते तो क्या यह तरीका है उसकी सेवाओं से छुटकारे का या विनियामक प्राधिकरण से ही छुटकारे का?

[श्री पवन कुमार बंसल]

मेरी और भी शिकायत हैं। संसद की सहमति अपनी मर्जी पर मानी जा रही है। यदि एक खास परिस्थिति से निबटने के लिए जिससे कुछ संकट उत्पन्न हो सकता था, यदि कुछ त्वरित कदम उठाए जाएं तो इसे समझा जा सकता है। किन्तु यहां कुछ नये अधिकारियों को नियुक्त करने, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण में कुछ नए सदस्य नियुक्त करने के लिए यह किया गया। किस कारण से आप यह विधेयक संसद में ला रहे हैं? क्या आप मात्र दो महीने तक प्रतीक्षा नहीं कर सकते?

माननीय मंत्री महोदय ने न्यायालयों में मुकद्दमों के ढेर पर अफसोस किया है। क्या मुकद्दमों के प्रति सरकार के रवैये मात्र के कारण न्यायालयों में लंबित हजारों और लाखों मुकद्दमों के बारे में वे नहीं जानते? यदि यही स्थिति है तो इस अध्यादेश को जारी करने के मूल कारण इसके अलावा क्या थे जो मेरे पूर्व के वक्ताओं द्वारा बताए गए?

महोदय, इसी कारणवश मैंने श्री बसुदेव आचार्य द्वारा प्रस्तुत सांविधिक प्रस्ताव का समर्थन करने में अन्य माननीय सदस्यों का समर्थन करता हूं और सरकार के कामकाज के तरीके पर अपना असंतोष और विरोध व्यक्त करता हूं।

श्रीमान् यह कहने के बाद मैं इस विधेयक के कुछ प्रावधानों का संक्षेप में ब्यौरा दूंगा। यद्यपि यह थोड़ा-सा दुहराने जैसा होगा फिर भी केवल रेखांकित करने के लिए मैं उन प्रावधानों का उल्लेख करूंगा। सरकार वर्ष 1999 की नई दूरसंचार नीति के बारे में बड़े गर्व से बात करती है मानो इसने कोई बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। यह सही है कि सार्वभौमिक सेवा पर बल दिया गया है और वस्तुतः यह मूलभूत उद्देश्य भी है लेकिन जैसा कि कहा जा चुका है, इसका लक्ष्यों और उद्देश्यों संबंधी वक्तव्य में कोई जिक्र नहीं किया गया है। दूसरी तरफ बैठे हमारे मित्र अमेरिका की ओर से कहे गए हरेक शब्द को मूल मंत्र मानते हैं। लेकिन मैं माननीय मंत्री जी को यहां याद दिलाना चाहूंगा कि अमेरिका द्वारा पारित 1934 का संचार अधिनियम एक संघीय संचार आयोग की स्थापना करता है और ब्रिटेन द्वारा पारित 1984 का संचार अधिनियम संचार कार्यालय की स्थापना करता है। इन अधिनियमों में नियामक प्राधिकरणों के सम्मुख लक्ष्य का विशेष उल्लेख है जो सार्वभौमिक सेवा मुहैया कराना है। महोदय, 1999 की राष्ट्रीय दूरसंचार नीति एक सार्वभौमिक अतिरिक्त लेवी लगाने की बात करती है जिससे पूंजी खर्च हेतु सब्सिडी देने के लिए संसाधन जुटाए जा सकें जिसे अब तक कवर न किए गए ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक टेलीफोन के लिए सेवाएं उपलब्ध कराने वालों को दिया जाएगा। और मैं समझता हूं कि यह वह कार्य है जिसे भारतीय दूरसंचार विनियामक को सौंपा जाना चाहिए था और जिसे नहीं सौंपा गया।

महोदय, एक और महत्वपूर्ण विषय है जिस पर विचार किया जाना चाहिए। राजस्व का पहलू इस समय सार्वभौम सेवा उद्देश्यों के खिलाफ जा रहा है। इसे ज्यादा से ज्यादा आय अर्जित करना या सेवा का भेदभावपूर्ण प्रावधान कह सकते हैं जो केवल ज्यादा इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं के हक में है और घरेलू उपभोक्ताओं और ग्रामीण उपभोक्ताओं की उपेक्षा करता है। यह बिना भेदभाव के होना चाहिए। इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में राज-सहायता के लेन-देन के लिए दूरभाष विनियामक प्राधिकरण द्वारा बनाए गए या निर्धारित किए गए मानदंडों के अनुसार कुछ वसूली या लेवी होना चाहिए। वर्तमान विधेयक में यह पहलू बिल्कुल ही गायब है। सार्वभौम पहुंच प्राप्त करने के लिए लेवी जैसा कुछ लगाने की आवश्यकता पर बोलते हुए जब माननीय सदस्य श्री मणिशंकर अय्यर ने बहस शुरू की तो माननीय मंत्री महोदय द्वारा व्यवधान डालने के लिए खड़े होने पर हम हतप्रभ रह गए।

श्रीमान् मुझे ज्ञात है कि आपने मुझे समय के विषय में चेताया है किन्तु चूंकि मैंने औपचारिक तौर पर कुछ संशोधन प्रस्तुत किए हैं और उन्हें बंटवाया है इसलिए अपने संशोधनों के विषय में कुछ बिंदु रखना चाहता हूं। सभा का फिर से समय लेने के बजाए मैं उनका उल्लेख मात्र करूंगा और अपना भाषण समाप्त करूंगा।

महोदय, सरकार द्वारा इस प्रकार के विधान को लागू करने का एक मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं, आपरेटरों और राज्य के हितों के बीच उचित संतुलन बनाए रखना होना चाहिए जो दूरसंचार क्षेत्र के संतुलित और त्वरित वृद्धि कारक और उत्प्रेरक के रूप में कार्य करे।

महोदय, यहां समान अवसर दिए जाने के नाम पर दूरसंचार विभाग और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड पर बोझ डाला जाएगा जैसा कि उन पर पीछे भी बोझ डाला गया है। महोदय, इस प्रकार की बात को यदि होने दिया गया तो यह देश के लिए दूरसंचार सेवा के विकास में भारी क्षति होगा। महोदय, वर्तमान विधेयक में विनियामक प्राधिकरण और न्यायिक प्राधिकरणों को अलग करने का प्रस्ताव है। मुझे इसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन महोदय, अपीलीय न्यायाधिकरण के मामले में, चेयरमैन के अतिरिक्त दो स्थायी सदस्य और दो अंशकालिक सदस्यों की व्यवस्था है। महोदय, यदि आप वास्तव में कार्य करना चाहते हैं तो इस प्रकार के प्राधिकरण में जिसका इतना महत्व है इसमें कोई अंशकालिक सदस्य नहीं होना चाहिए। अंशकालिक सदस्यों से संबंधित प्रावधान, मैं समझता हूं केवल उन लोगों के हितों को साधने के लिए शामिल किया गया है जो सरकार को इस प्रकार के विधान को पारित करने के लिए दबाव डाल रहे हैं। मैं उस विषय पर ज्यादा नहीं बोलूंगा बल्कि उन संशोधनों पर वापस आ रहा हूं जिन्हें मैंने प्रस्तुत किया है।

उस विधेयक, वर्तमान स्थिति में, दो से अधिक पूर्णकालिक सदस्यों का प्रावधान नहीं है और साथ ही अपीलीय न्यायाधिकरण की खंडपीठों की बात करता है जो दिल्ली के अतिरिक्त अन्य अनेक जगहों पर गठित की जा सकेंगी और एक खंडपीठ में आवश्यक रूप से एक या दो सदस्य होने चाहिए क्योंकि किसी खास मामले का निर्णय करते समय सदस्यों के बीच मत भिन्नता की स्थिति में एक प्रावधान है जिसके अनुसार चेयरमैन मामले को वापस ले सकता है और उसे किसी और को सौंप सकता है। मैं समझता हूं कि इन प्रावधानों में कुछ विरोधाभास है। यदि आप खंडपीठ चाहते हैं तो आपको निश्चित रूप से दो से अधिक सदस्य बनाने होंगे और संक्षेप में इसके लिए मैंने संशोधन रखा है कि यह शब्द 'दो' के स्थान पर शब्द 'छह' कर दिया जाए। यह आवश्यक नहीं है कि एक बार आपके पास इस प्रकार का एक समर्थ प्रावधान है तो आपको आवश्यक रूप से छह सदस्य रखने होंगे। ऐसा आवश्यक नहीं किंतु यदि आप सोचते हैं या अनुभव करते हैं कि कार्यभार काफी अधिक है जिसको अपीलीय न्यायाधिकरण नहीं उठा सकता और तब खंडपीठ स्थापित करने की आवश्यकता है और आपको और सदस्य

चाहिए। वर्तमान प्रावधानों के अनुसार आप दो से अधिक सदस्य नहीं रख सकते।

**सभापति महोदय :** कृपया समाप्त करें।

**श्री पवन कुमार बंसल :** क्या मैं अपने संशोधनों पर बाद में बोल सकता हूं? ऐसा करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

**सभापति महोदय :** हम पहले ही दो घंटे से ज्यादा का समय ले चुके हैं।

**श्री पवन कुमार बंसल :** मैं जानता हूं श्रीमान्। मैंने अपना भाषण छोटा कर दिया है और मैं सीधे संशोधनों पर आ रहा हूं।

**सभापति महोदय :** आपकी पार्टी तयशुदा समय से अधिक ले चुकी है।

**श्री पवन कुमार बंसल :** यदि आप ऐसा कहते हैं, तो जब संशोधनों के ऊपर जब बात होगी अपने संशोधनों पर मैं तब बोलूंगा। मैं अब बैठ जाता हूं।

**सभापति महोदय :** कुछ सदस्यों को मात्र दो मिनट का समय दिया गया था किंतु मैंने उन्हें दस मिनट दिए।

**श्री पवन कुमार बंसल :** जब मैं उन संशोधनों पर बोलूं आप कृपया मुझे उस समय बोलने का समय दें।

*[हिन्दी]*

**श्री रामदास आठवले** (पंढरपुर) : सभापति महोदय, आपने मुझे इस बिल पर बोलने का अवसर दिया उसके लिए धन्यवाद।

राम विलास जी दूरसंचार में चल रहे भ्रष्टाचार को आपको रोकना होगा, अगर आपको टेलीफोन का राज चलाना है तो सरकार को हमारे सामने झुकना होगा।

आप जो विधेयक लाए हैं, उसमें आपकी भावना तो अच्छी है। इस तरह के विधयेक से इस तरह के प्राधिकरण की स्थापना करने के बाद टेलीफोन सेवा, कम्युनिकेशंस में सुधार आएगा। लेकिन मैं समझता हूं कि इसी तरह से प्रयोग कई बार हो चुके हैं। आपने इसमें अध्यक्ष की आयु 70 साल रखी है। मुझे लगता है कि इतने वर्ष की आयु का अध्यक्ष नहीं होना चाहिए। अध्यक्ष की आयु कुछ कम होनी चाहिए, कुछ नौजवान अध्यक्ष होना चाहिए। यदि टेलीफोन सेवा में आपने सुधार लाना है तो अध्यक्ष की उम्र 65 वर्ष होनी चाहिए और मैंबर्स 50 से 60 वर्ष के होने चाहिए। इससे पहले सुखराम जी ने अच्छा प्रयोग करने का प्रयत्न किया था। लेकिन अधिकारियों ने अच्छा काम नहीं किया। अधिकारियों ने उन्हें बदनाम करने का प्रयत्न किया। मंत्री कितना भी अच्छा हो, अधिकारी लोग मंत्री के पास आते हैं, फाइल पर सिगनेचर लेते हैं और फिर मंत्री को कठिनाई में डाल देते हैं। माननीय रामविलास पासवान जी एक अच्छे मित्र हैं, कल भी मित्र थे। आज आप उधर चले गए, ठीक बात है। लेकिन आप अच्छे इंसान हैं, आप एक अच्छे मिनिस्टर भी हैं। आपने कई साल मिनिस्ट्री में निकाले हैं, एम०पी० के रूप में भी आपने अच्छा काम किया है। तब मैंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप में भी आप अच्छा काम करते थे और अभी भी अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन इस विधेयक में और भी संशोधन होने की आवश्यकता है। मैं अपनी पार्टी की ओर से इस विधेयक का विरोध करता हूं, इस विधेयक को संशोधन के लिए स्टैंडिंग कमेटी में भेजना चाहिए, ताकि इसमें और सुधार हो सके।

[अनुवाद]

**सभापति महोदय :** माननीय सदस्यगण, श्री रूपचन्द पाल ने आज प्रात: 10.00 बजे भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक 2000 के संशोधन प्रस्तुत करने की सूचना दी।

नियम 79 के प्रावधान के अनुसार विधेयक के संशोधन की सूचना जिस दिन विधेयक पर सभा द्वारा विचार किया जाना हो, उससे एक दिन पूर्व दी जाती है।

दिनांक 24 फरवरी, 2000 को सदस्यों को विधेयक की प्रतियां परिचारित कर दी गई थीं। दिनांक 9 मार्च, 2000 को विधेयक सभा में पुर:स्थापित किया गया। सदस्यों को दिनांक 21 फरवरी, 2000 के बुलेटिन भाग-II के एक अनुच्छेद द्वारा सूचित किया गया था कि सदस्य विधेयक के संशोधन की सूचना सभा में उसके पुर:स्थापित किए जाने के बाद दे सकते हैं।

जैसा कि इस मामले में देखा जा सकता है, श्री रूपचन्द पाल के पास विधेयक के प्रावधान पढ़ने तथा उसके संशोधन की सूचना देने के पर्याप्त अवसर थे।

हालांकि, यह देखते हुए कि सदस्य ने संशोधन प्रस्तुत करने हेतु मौका दिए जाने का निवेदन किया है और सदन को भी मोटे तौर पर इसकी अनुमति प्रदान करने में कोई आपत्ति नहीं है, मैंने एक विशेष मामले के रूप में उन्हें संशोधन प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान करने का निर्णय लिया है।

तथापि इसे उदाहरण के रूप में ना माना जाए।

मैं बलपूर्वक कहना चाहूंगा कि यह सदस्यों के हित में है कि विधेयक के पुर:स्थापित किए जाने के बाद उसके कार्यसूची में सूचीबद्ध होने की प्रतीक्षा न करके वे पहले ही संशोधन की सूचना दे दें।

*[हिन्दी]*

**श्री राम विलास पासवान :** सभापति जी, मैं सभी माननीय सदस्यों को बहुत-बहुत धन्यवाद और मुबारकबाद देना चाहता हूं कि उन सभी ने इस महत्वपूर्ण डिबेट में भाग लिया और श्री बसुदेव आचार्य ने इस आर्डीनेन्स का विरोध करके सदन का ध्यान आकृष्ट किया, ताकि सरकार के ऊपर हमेशा लगाम लगी रहे और सरकार अपने रास्ते से भटकने का काम न करे। चूंकि जो पास्ट अनुभव है, उसके आधार पर आपका जजमैंट हुआ है। लेकिन हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि यह पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है।

सभापति महोदय, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में लोग पार्टी को चुनते हैं और सांसद प्रधान मंत्री को चुनते हैं और प्रधान मंत्री कैबीनेट को बना लेते हैं। यदि प्रधान मंत्री ईमानदार हैं, तो कैबीनेट ईमानदार रहेगी, यदि कैबीनेट ईमानदार है, तो अधिकारी ईमामदार रहेंगे। यदि प्रधान मंत्री की नीयत साफ नहीं है, तो वहां अच्छे आदमी टिक नहीं सकेंगे। मणि शंकर अय्यर जी को शायद कभी ऐसा मौका नहीं मिला है। मैं समझता

[श्री राम विलास पासवान]

हूं कि जिस प्रकार से आपने एक-एक चीज को रखा है और जिस तरह से आप इस विधेयक की गहराई में गए हैं, वह सराहनीय है और आपकी इस बात की सराहना मैं यहां हूं केवल इसलिए नहीं कर रहा हूं बल्कि जब मैं वहां था, तब भी करता था, वह अलग बात है कि मैं आपसे सहमत हूं या नहीं, लेकिन जिस तरह से आप हर चीज की गहराई में जाते हैं वह एप्रीशिएट करने वाली बात है और मैं उसे एप्रीशिएट करता हूं।

सभापति महोदय, सबसे पहले मैं मणि शंकर अय्यर जी से कहना चाहता हूं कि उन्होंने दूरसंचार पालिसी की आलोचना की और चार्ज लगाया कि हम देश को विदेशी या प्राइवेट लोगों के हाथ में बेचना चाहते हैं, मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी के लोगों को तो कम-से-कम ऐसा नहीं कहना चाहिए। यदि लैफ्ट पार्टीज के लोग कहते, तो मैं मान लेता क्योंकि उनकी शुरू से ही यह नीति रही है, लेकिन जिस पौधे को कांग्रेस ने रोपा और अब वह बड़ा होकर फल देने लगा है, तो आप उसको क्यों काटना चाहते हैं? यह हमारी क्रिएशन नहीं है, यह आपकी क्रिएशन है।

सभापति महोदय, 1984 में न तो युनाइटेड फ्रंट की सरकार थी और न नेशनल डेमोक्रेटिक एलाइंस की। उस समय कांग्रेस की सरकार थी और उस वक्त के संचार मंत्री ने घोषणा की थी कि एक संचार नीति बनाई जाएगी और उसके तहत टेलीफोन क्षेत्र में मैन्यूफैक्चरिंग का काम निजी क्षेत्र के लिए खोला गया, 1986 में एम०टी०एन०एल० बना, 1986 में ही वी०एस०एन०एल० कार्पोरेशन बना। 1985 में डाक और दूरसंचार विभाग अलग-अलग कर दिए गए। पहले राष्ट्रीय संचार नीति सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन जा रही थी, परंतु बाद में मंत्रालय का पुनर्गठन करके 1989 में टेलीकॉम कमीशन के गठन की बात फिर से शुरू कर दी गई। 1991 में केन्द्र सरकार बनने के बाद न्यू इकनौमिक पॉलिसी (एन०ई०पी०) पेश की गई जिसका उद्देश्य भी था—उदारीकरण, निजी पूंजी निवेश को बढ़ावा तथा विदेशी पूंजी निवेश को बढ़ावा देना। इसलिए मैं कह रहा हूं कि यह पालिसी 1991 में बनी जिसमें आपने तीन चीजें रखीं—1. उदारीकरण, 2. निजी पूंजी निवेश, और 3. विदेशी पूंजी निवेश को बढ़ाना। फिर उसके बाद टेलीफोन के क्षेत्र में सैलूलर, पेजर आदि सेवा को खोला गया। 1994 में नेशनल टेलीकाम पालिसी की घोषणा की गई थी। बेसिक टेलीफोन सेवाएं खोली गईं और प्राइवेट लोगों को देने का काम किया गया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि मणि शंकर अय्यर जी, जो चार्ज आप लगा रहे हैं, विदेशियों को बढ़ावा देने का या प्राइवेट को बढ़ावा देने का, मैं समझता हूं कि आप इस तरह की भाषा बोलकर स्व० श्री राजीव गांधी, पूर्व प्रधान मंत्री महोदय के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं।

सभापति जी, मैं श्री मणि शंकर अय्यर जी से कहना चाहता हूं कि यदि उसमें कोई त्रुटि हो, उसमें करप्शन के चार्जेज आएं, आपको लगे कि यह इसमें कोई गलती की गई है, तो आपको पूरा का पूरा अधिकार है इसको क्रिटीसाइज करने का और मैं चाहूंगा कि यदि ऐसा हो, तो आप क्रिटिसाइज करें। संसद में पारदर्शिता होनी चाहिए, इसमें दो मत नहीं हैं, लेकिन जब पालिसी की आलोचना करते हैं और कहते हैं कि यह विदेशियों को लुभाने और देश को गिरवी रखने के लिए है, मैं समझता हूं कि आपका ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि इसका बीजारोपण आपने किया था। जैसा मैंने शुरू में कहा, हम कंजर्वेटिव माइंड के नहीं हैं, हम दिमाग बंद करके नहीं चलते हैं बल्कि हम अपना दिमाग खुला रखकर चलते हैं।

सभापति महोदय, आज की जो आवश्यकताएं हैं, उनके अनुरूप काम करना चाहिए। मैं इसके लिए मूर्ति जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि कम से कम आंध्रप्रदेश में, वहां के मुख्य मंत्री चन्द्र बाबू नायडू इस बात के लिए एक उदाहरण हैं कि उन्होंने नई सूचना तकनीक का, नए इन्फ्रास्ट्रक्चर का, नए कम्युनिकेशन नैट का एक अच्छे तरीके से उपयोग करके स्टेट को आगे बढ़ाने का काम किया है। यह अपने आप नए सूचना तंत्र के अच्छे उपयोग का एक सुबूत है और मैं समझता हूं कि हर राज्य की सरकार को, हर राज्य के मुख्य मंत्री को और भारत सरकार के अन्य विभागों के लोगों को यह काम करना चाहिए, यह मेरी अपनी मान्यता है। कर्नाटक के बारे में भी मैं कह रहा हूं। मैं कहना चाहता हूं कि साउथ की स्टेट्स नॉर्थ की स्टेट्स के मुकाबले में अच्छा कार्य कर रही हैं। इसलिए मैंने टारगेट रखा है कि देश के साउथ के राज्यों को छोड़कर दूसरे राज्यों के हर गांव में टेलीफोन सुविधा सन् 2002 ई० तक पहुंचाने का काम करेंगे।

साउथ के लिए हमने 2001 तक का टारगेट रखा है। अभी रघुवंश बाबू ने कहा कि टेलीफोन खराब है। बिहार में कौन सी चीज अच्छी है? जब सब चीजें खराब हैं तो टेलीफोन को तो खराब रहना ही है। आपने ठीक कहा कि शाम के छह बजे टेलीफोन पर कोई नहीं रहता। कौन रहेगा? वहां टेलीफोन बैटरी उखाकर कोई ले जाता है। अगर डीजल का सेट लगा हो तो उसे कोई उखाकर ले जाता है। कोई बेचारा जा रहा हो तो उसका अपहरण करके ले जाएंगे।

**डा० रघुवंश प्रसाद सिंह :** आप खुद की गड़बड़ी को राज्य सरकार पर मत थोपिये।...*(व्यवधान)* टेलीफोन में राज्य सरकार का क्या है?...*(व्यवधान)* सारा चौपट तो आपके राज्य में है।...*(व्यवधान)*

**श्री राम विलास पासवान :** रघुवंश बाबू, मैंने राज्य सरकार का नाम कहां लिया है।...*(व्यवधान)*

**श्री रघुवंश प्रसाद सिंह :** आपने कहा कि बिहार में गड़बड़ है, इसे मैं सहन नहीं कर सकता।...*(व्यवधान)* बिहार को गड़बड़ी वाला राज्य कैसे कह देंगे।...*(व्यवधान)* वहां से आते हैं और वहां को खराब कहते हैं, यह खराब आचरण है।

**श्री राम विलास पासवान :** इसलिए मैंने कहा कि यह सारी चीजें हैं। पहली बात तो उन्होंने यह कही और दूसरी बात यह कही कि लांग टाईटल में सारी चीजें नहीं रखी गई हैं। सबसे बड़ा उल्लेख यूनीवर्सल सर्विसेस का और यूनीवर्सल एक्सेस का है। मणि शंकर अय्यर जी आप जानते हैं कि रामायण के सातों कांड लांग टाईटल में नहीं रखे गए। वहां रामायण ही लिखी जाएगी। सुंदरकांड, लंकाकांड, उत्तरकांड, बालकांड, अयोध्याकांड, किशकंधाकांड आदि सब नहीं लिखे जाएंगे लेकिन इसमें है। यदि आपने पढ़ा है तो आप पेज नंबर चार में हमारी जो एमेंडमेंट हैं उसके सब पैरा नाईन में देखिए। नाईन में लिखा है—

'सार्वभौम सेवा (यूनीवर्सल सर्विस) दायित्वों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करें।'

यूनीवर्सल सर्विस आब्लीगेशन जब तक आप नहीं बनाएंगे, बड़े-बड़े लोगों के ऊपर टैक्स नहीं लगाएंगे तब तक गांव में टेलीफोन कभी नहीं जा सकता। गांव में टेलीफोन क्यों नहीं जाता है, गांव में रेलवे क्यों नहीं जाती है, इसलिए नहीं जाती है कि गांव के लोगों को फायदा नहीं होता है। लेकिन जिस दिन हम कहेंगे कि आपको रेवन्यू शेयरिंग इतना देना है, उसका नाम हम यूनीवर्सल आब्लीगेशन नहीं रखना चाहते हैं। हमने कहा कि हम उसका नाम रूरल एरिया डेवलपमेंट फंड रखें, चाहे सर्विस प्रोवाइडर के रूप में काम करें या प्राइवेट सेक्टर के लोग काम करें, दोनों के ऊपर टैक्स लगा दिया जाए और गांव का जो घाटा होगा, वह उस टैक्स के माध्यम से दिया जाएगा। इसलिए हमने जो संचार ढाबा कहा है कि हम हर गांव में एक संचार ढाबा लगाएंगे, अभी सेलुलर टेलीफोन है लेकिन यह यूनीवर्सल एक्सेस है, इंडीविजुअल के पास है। उससे आम लोगों को कोई फायदा नहीं हो रहा है। आम लोगों को फायदा तभी होगा जब एक पंचायत में कम से कम एक जगह ऐसा हो जहां टेलीफोन हो, इंटरनेट हो, कम्प्यूटर आदि की सुविधा हो और वहां से वह टेलीफोन कर सके और वहां से उनको टेलीफोन आ सके। इसलिए मैंने कहा कि लांग टाइटल का सवाल है, वह लांग टाइटल में नहीं रखा गया है। लेकिन पेज चार में जो एमेंडमेंट पेश किया है, उमसें देखें तो उसमें हर चीज है। कोई चीज ऐसी नहीं है जो उसमें न हो। उसके ऊपर सब पैरा पांच में...

*[अनुवाद]*

(v) सेवा प्रदाताओं द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवा की क्वालिटी के मानक अधिकथित करना और सेवा की क्वालिटी सुनिश्चित करना तथा सेवा प्रदाताओं द्वारा उपलब्ध कराई गई ऐसी सेवा के आवधिक सर्वेक्षण करना जिससे कि दूरसंचार सेवा के उपभोक्ताओं के हितों को संरक्षित किया जा सके...

*[हिन्दी]*

इसमें यह है। इतना ही नहीं जिस दिन हम मंत्री बने हैं, हमने सभी संसद सदस्यों को पत्र भी लिखा है कि हमने तीन कमेटियां बनाई हैं। हमने कहा कि रूरल एरिया का मौनीटरिंग कभी नहीं होता है। हमने सीनियर डी०जी० की अध्यक्षता में रूरल एरिया की एक मौनीटरिंग कमेटी बनाई है जिसका काम यह रहेगा कि हमारा जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य की पूर्ति करें। जिस तरीके से हम रेलवे में हर माननीय सदस्यों को बुलाने का काम करते थे, हम चाहेंगे कि उसी तरीके से जितने भी स्टेट के मैंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, हम स्टेट के हैडक्वार्टर में भी जाएंगे, यहां भी बुलाएंगे और जो भी डिफीकल्टीज हैं, उसको दूर करेंगे। हमने जो लक्ष्य रखा है, वह पार्टी का या गवर्नमेंट का नहीं है, वह नेशनल इंटरेस्ट का मामला है और इसलिए मैं तीन चीजें कहना चाहता हूं। एक तो हमारा जो रूरल एरिया है, उस रूरल एरिया का डेवलपमेंट हो और हमने कहा कि हमारे पास फिगर है।

**श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज)** : आपको जानकारी नहीं है कि एक महीने से कोई आपके रूरल सैक्टर को, टी०डी०एम०ओ० को खत लिखता है तो आपका जवाब तो आ जाता है लेकिन उनका जवाब दो महीने तक नहीं आता है।

**श्री राम विलास पासवान** : आप ऐसे अफसर का नाम दीजिए। मैं आपको कहता हूं कि मैं अवश्य उस पर एक्शन लूंगा।

**श्री प्रियरंजन दासमुंशी** : उनका जवाब नहीं आता है। आपका जवाब आता है, तपन जी का जवाब आता है लेकिन डिस्ट्रिक्ट में जो अधिकारी है, उनका जवाब नहीं आता है।

*[अनुवाद]*

**सभापति महोदय** : आप सीधे उनसे प्रश्न न करें। आपको केवल पीठ को संबोधित करना चाहिए।

**श्री राम विलास पासवान** : मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि माननीय संसद सदस्य, चाहे सरकारी बैंच के हों या विरोधी बैंच के हों, संसद सर्वोपरि है। कोई भी अधिकारी, छोटा हो, बड़ा हो या मंत्री हो, उसे किसी भी माननीय सदस्य की अवहेलना और उपेक्षा करने का अधिकार नहीं है। आप हमको लिखकर दीजिए। यदि कोई अफसर इस तरह से करता है तो हम उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने का काम करेंगे। कृपया आप विस्तार में न जाएं।

*[अनुवाद]*

**श्री कोडीकुनील सुरेश (अडूर)** : मैं बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूं।

**श्री वैको** : आप उन्हें बोलने दें।

*[हिन्दी]*

**श्री राम विलास पासवान** : हमने कहा कि जहां हम प्राइवेट सेक्टर में रखेंगे, वहीं यह भी कहा कि जो शहरी इलाका है, उसमें वर्ल्ड की सबसे बैस्ट टेक्नोलॉजी को लाएंगे। आपने कहा कि टेलीफोन लाइन खराब है। मैं मानता हूं एक-दो खराब नहीं हैं। ये कम बताते हैं लेकिन मेरा पर्सनल अनुभव है, जो टावर खड़ा किया गया था, वह 30 प्रतिशत खराब पड़ा हुआ है। साउथ में थोड़ा कम है लेकिन कुल मिलाकर 30-40 प्रतिशत खराब पड़ा हुआ है। हमने उसके लिए अलग मकैनिज्म तैयार किया है। वायरलैस ऑन लूप लाइन की टैस्टिंग हो रही है और मैं समझता हूं कि अगले महीने तक उसकी टैस्टिंग हो जाएगी। वह सबसे लेटेस्ट इक्विपमेंट है। यदि वह टैस्टिंग हो जाती है तो उसे एक जगह पर लगाने से 25 किलोमीटर चारों तरफ न नीचे से केबल की जरूरत पड़ेगी, न ऊपर से केबल लाने की जरूरत पड़ेगी। उससे आप इलाका कवर कर सकते हैं चाहे वह रेगिस्तान का इलाका हो, फ्लड का इलाका हो या हिली एरिया हो। हमने वह टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की है। हमने हर अफसर का टारगेट बांधा है और यह भी कहा है कि यदि हम किसी भी अफसर का ट्रांसफर कर रहे हैं, हमारा यह क्राईटेरिया है कि जिस अफसर के जिम्मे काम दिया गया है, वह उस टारगेट को पूरा कर रहा है या नहीं। जो अफसर उस टारगेट को पूरा नहीं करेगा, हम उसकी पैरवी को सुनने वाले नहीं हैं और न ही आपको सुनने के लिए कहेंगे। जो लोग अपना काम ईमानदारीपूर्वक और लक्ष्य के मुताबिक करेंगे, हम उनको शाबाशी देने का काम भी करेंगे। टेलीफोन खराब रहता है, इसमें दो मत नहीं हैं। एक समय था जब पार्लियामेंट में टेलीफोन का मामला आता था तो हर माननीय सदस्य हल्ला करना शुरू कर देते थे कि मेरा टेलीफोन ठीक से काम नहीं कर रहा है। मेरे पास एक शिकायत बिलिंग की आती रहती है। लेकिन जहां तक टेलीफोन काम नहीं करने की बात है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उसमें काफी सुधार हुआ है। मैंने अभी भी हर माननीय सदस्य

[श्री राम विलास पासवान]

को चिट्ठी लिखी है। हमने अपनी मिनिस्ट्री के ग्रिवान्सेस सैल का इंचार्ज डा० लाल सिंह को बनाया है। हमने आपको स्पेशल नंबर दिया है। आप उस नंबर पर टेलीफोन कर सकते हैं। जहां बिल का मामला आता है कि बिल ज्यादा आ गया है, वहां हमको थोड़ी दिक्कत होती है। उस परिस्थिति में हम कोशिश करते हैं कि फिर से इन्क्वारी करवाएं। मंत्री की हैसियत से हमारे पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि हम सीधे माफ कर दें। हम उसे दुबारा जांच करवाने का काम करते हैं। हमारी टॉप प्रॉयरिटी है कि वर्ल्ड क्लास की सर्विसेस मिलें, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को लाया जाए। हमारा यह भी लक्ष्य है कि जो ग्रामीण इलाके हैं, उनमें 2002 ईस्वी तक न सिर्फ टेलीफोन लगे बल्कि उन्हें इंटरनेट से भी जोड़ने का काम करें। मैंने अपेन डिपार्टमेंट में टारगेट बनाया है कि जून 2000 ईस्वी तक कोई जिला हैडक्वार्डर नहीं रहेगा। जिले के हैडक्वार्टर को हम इंटरनेट से जोड़ने का काम करेंगे। इसकी हमने घोषणा की है और हम मौनीटरिंग कर रहे हैं। जून का मतलब जून होता है, जून का मतलब जुलाई नहीं होता है। जुलाई में जब हम मिलेंगे तो किसी सदस्य को भी मालूम हो कि उनके डिस्ट्रिक्ट में नहीं लगा है, तो हमें बताइए और जो भी संबंधित अधिकारी होगा, हम उसके खिलाफ कार्रवाई करने का काम करेंगे।

एक बात और कही गई कि ट्राई को कमजोर करने का काम हो रहा है। मैं इस बात को दूसरे रूप में रखना चाहता हूं। जब हमने दो बॉडी बना दी है--एक ट्राई और दूसरा ट्रिब्यूनल बना दिया है।

जब हमने ट्राई के डिस्टप्यूट सैटलमेंट के अधिकार को ट्रिब्यूनल को दे दिया है तो आपको देखने से तो लगेगा कि ट्राई कमजोर हुआ है, क्योंकि ट्रिब्यूनल का जो जज है, आपने कहा कि ट्रिब्यूनल के जज की नियुक्ति कौन करेगा, चेयरमैन की नियुक्ति कौन करेगा, जो ट्रिब्यूनल का जज है, जो ट्रिब्यूनल का चेयरमैन है या तो वह सुप्रीम कोर्ट का सिटिंग जज होगा या फोर्मर जज होगा या हाई कोर्ट की सिटिंग चीफ जस्टि होगा या फोर्मर चीफ जस्टि होगा और ट्रिब्यूनल का जो एपाइंटमेंट होगा, वह सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की कंसलटेशन के आधार पर होगा। वह सरकार का अधिकार नहीं है, क्योंकि वह बॉडी पावरफुल बॉडी है। दूसरे जो ट्राई है, जिसके जिम्मे मैंने कहा कि रेगुलेटरी पावर है, जिसके जिम्मे मैंने कहा कि रिकमेंडेटरी पावर है, जिसके जिम्मे मैंने कहा कि टैरिफ के पूरे अधिकार हैं। इसमें कंट्रोर्वसी हो सकती है और यह कंट्रोवर्सी जब होगी तो ट्रिब्यूनल के पास में जाएगा और उसमें समय नहीं लगे, ज्यादा समय की बर्बादी नहीं हो, इसलिए हाई कोर्ट का जो बीच में मामला था, उसको हटा दिया गया है और सीधे दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट में जाए।

रघुवंश बाबू ने कहा कि आपने तो लिखा है कि मैक्सिमम दो तो दो का मतलब जीरो भी हो सकता है। अभी माननीय सदस्य श्री बंसल जी ने इसमें संशोधन दिया है, इसमें इन्होंने कहा है कि पार्ट टाइम को खत्म कर दो। इसमें जो मैक्सिमम काम है, वह दो तरह का काम ट्राई के पास होगा। जो ट्राई के पास में काम है, वहां पांच मेंबर हैं, दो पार्टटाइम हैं और दो रेगुलर हैं और एक चेयरमैन है। जो दूसरा अपीलेट ट्रिब्यूनल है, उसके पास काम छंटकर जाएगा, उसके पास बहुत कम केस जाएगें और जब कम केस जाएंगे तो उसका जो काम है, वह काम नीचे के डिस्प्यूट का है, उकसो वह देखेगा। इसलिए उसको छोटी बॉडी के रूप में रखा गया है, उसमें तीन आदमी रखने का काम किया गया है।

*[अनुवाद]*

**श्री प्रियरंजन दासमुंशी :** जब उनके मन में सदस्यों के प्रति इतना सम्मान है तो वह इसे स्थायी समिति को क्यों नहीं भेज देते? स्थायी समिति के सदस्य इसे पढ़ सकते हैं...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री राम विलास पासवान :** यदि आप इसको डिले करना चाहते हैं तो कहिए।

**श्री बसुदेव आचार्य :** डिले नहीं, सबने सुझाव रखा है कि स्टैंडिंग कमेटी को रेफर कर दें।

**श्री राम विलास पासवान :** राजीव रूडी जी को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने दल से ऊपर उठकर जो सही फैक्चुअल चीज थी, उसको रखा है, उसका स्वागत किया है। रूपचन्द पाल जी ने सी०ए०जी० का सवाल उठाया है। मैंने अपने भाषण में भी कहा है कि सी०ए०जी० को क्यों रखा गया है। सी०ए०जी० को हर चीज में अलग नहीं रखा गया है, उनके सिर्फ कुछ चीजों में रखा गया है, रेगुलेटर का जो फंक्शन है, यदि उसके ऊपर तलवार चलेगी तो कौन सही ढंग से रेगुलेट करेगा। यदि आप टैरिफ के मामले में देखें तो हमेशा डिपार्टमेंट के ऊपर चार्ज लगता था कि डिपार्टमेंट अनाप-शनाप जब उसका मन होता है तो रेंट बढ़ा देता है, जब मन हुआ कॉल का चार्ज बढ़ा दिया, यह चार्ज हमेशा रहता है। इसलिए रेगुलेटर को बनाया गया है कि रेगुलेटर पब्लिक इंटरैस्ट को देखेगा, कंज्यूमर के इंटरेस्ट को देखेगा।

**श्री रूपचन्द पाल :** इन्कम टैक्स का कोई केस होता है, वह ट्रिब्यूनल में चला गया तो क्या वह सी०ए०जी० के पास स्क्रूटिनी के लिए नहीं जाता?

**श्री राम विलास पासवान :** मैं सोमनाथ दादा के मुताबिक कोई इकोनोमिक एक्सपर्ट तो हूं नहीं, लेकिन जो सैक्शन 23 है, यदि आप उसे देखेंगे तो सैक्शन 23 में ऑडिट के संबंध में है :

*[अनुवाद]*

धारा 23 निम्नवत है :

प्राधिकरण नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत सरकार के परामर्श से केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट रूप में उचित लेखे तथा अन्य सगत कागजात का रिकार्ड रखेगा तथा लेखों का वार्षिक विवरण तैयार करेगा।

*[हिन्दी]*

आप सैक्शन 23 को पढ़िए, उसमें पूरा का पूरा लिखा हुआ है। मैंने कहा कि सिर्फ जो उसको अलग रखा गया है, वह चार मुद्दे मैंने कहे हैं। उन चार मुद्दों को उससे अलग रखा गया है, लेकिन जहां तक एडमिनिस्ट्रेटिव मामला है, जहां तक फंड्स का मामला है, उसमें

सबको जाने का अधिकार है, लेकिन एक तरह से आप इंडिपेंडेंट बॉडी बनाएंगे तो दादा, आप तो चेयरमैन रहे हैं, अभी भी हैं। अब बताइए ...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**श्री सोमनाथ चटर्जी :** माननीय मंत्री जी के पास मेरे पत्र पढ़ने का भी समय नहीं है। मैं उन्हें बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर लिखता रहा हूं। वे अब बिहार के मामलों से खाली हैं। कृपया उन्हें पढ़ लें...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री राम विलास पासवान :** मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि ऑडिटर जनरल का जो इंस्टीट्यूशन है, उसको अपमानित करने की या उसकी उपेक्षा करने की कोई नीयत नहीं है लेकिन जब हम एक तरफ कहते हैं कि हम ट्राई को मजबूत करेंगे, उसको इंडिपेंडेंट बनाने का, उसको स्वतंत्र बनाने का काम करेंगे और दूसरी तरफ तलवार उठाने का काम भी करते रहेंगे तो यह उनके प्रति जस्टिस नहीं होगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ट्राई के गठन के बाद जो टेलीफोन के दामों में, रेंट वगैरह में बहुत ज्यादा नहीं तो बहुत हद तक उनमें सुधार जरूर हुआ है और उनमें हम सुधार लाने का काम करेंगे।...*(व्यवधान)*

**श्री रूपचन्द पाल :** आपने ट्रांसपेरेंसी की बात लिखी है लेकिन सी०ए०जी० के पास जाने में ट्रांसपेरेंसी को खतरा होगा।

**श्री राम विलास पासवान :** सी०ए०जी० के पास मैटर जाएगा।

*[अनुवाद]*

**श्री राजीव प्रताप रूडी :** महोदय, क्या आप इस तरह आपस में वार्तालाप करने की अनुमति दे रहे हैं?

**सभापति महोदय :** मैंने उन्हें अनुमति नहीं दी है। यह कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

*[हिन्दी]*

**श्री राम विलास पासवान :** मैं फिर कहना चाहता हूं कि जहां तक एक्सपेंडिचर का सवाल है, उसमें जांच करने का सी०ए०जी० का पूरा का पूरा अधिकार है। जहां डाइल्यूशन नहीं किया गया है, जहां रिकमेंडेटरी पॉवर, रेगुलेटरी पॉवर और जहां टैरिफ का अधिकार है, जहां सैटिलमेंट का अधिकार है, उसमें कोई आदमी एपीलैट कोर्ट में जा सकता है और वहां सी०ए०जी० के लिए उनके बारे में स्पष्ट किया गया है और मैं समझता हूं कि पूरा सदन इसमें साथ होगा तथा इसमें पूरी ट्रांसपेरेंसी रहेगी। सी०ए०जी० ने कहा कि सारे कर्मचारी भ्रष्ट हैं, मैं इस बात को नहीं मानता कि सारे कर्मचारी भ्रष्ट हैं। भ्रष्ट व्यक्ति हर जगह होते हैं। हर जगह पर अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, इसलिए सबको एक कलम से कहना कि सारे के सारे कर्मचारी और अधिकारी भ्रष्ट हैं, और राजनीतिज्ञ ईमानदार हैं तथा सरकार में काम करने वाले भ्रष्ट हैं तथा सारे प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले भ्रष्ट हैं, मैं समझता हूं कि यह मापदंड ठीक नहीं है। इसलिए हम लोगों ने भी मंत्रालय को चलाने का काम किया है। जितनी गवर्नमेंट की पोलिटिकल विल होती है, इसलिए मैं बार-बार कहता हूं कि नीति, नेता और नीयत। यदि सरकार की नीयत साफ हो तो जो अधिकारी हैं, उनको सरकार के मुताबिक काम करना पड़ता है। हमारे साथी बार-बार कह रहे हैं कि स्टैंडिंग कमेटी। मैं नहीं समझता कि पार्लियामेंट जब यहां बैठी हुई है और मैं कह रहा हूं कि यदि आप चाहते हैं कि उसमें जल्दबाजी हो।...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**श्री प्रियरंजन दासमुंशी :** महोदय, स्थायी समितियां बनाने की पूर्ण संकल्पना यही है कि वह सरकार के भी संवदेनशील नीतिगत बातों की जांच और निरीक्षण करे। अत: स्थायी समिति इसकी जांच करने में काफी सक्षम है। मंत्री जी बार-बार क्यों कह रहे हैं स्थायी समिति, स्थायी समिति?

*[हिन्दी]*

**श्री राम विलास पासवान :** ऑर्डिनेंस जल्दबाजी में लाया गया था। जल्दबाजी के लिए हमने ऑर्डिनेंस लाने का काम किया। स्टैंडिंग कमेटी, मैंने कहा कि यदि पारदर्शिता में कमी हुई तो उसको दुरुस्त करने को हम तैयार हैं लेकिन स्टैंडिंग कमेटी के नाम पर और किसी चीज के नाम पर अभी आप देख रहे हैं कि ट्राई को हम लोगों ने रिआर्गनाइज कर दिया। कोई बॉडी फंक्शन नहीं कर रही है, बड़े सारे निर्णय लिये जाने हैं और नई कमेटी फॉर्मेशन की स्टेट में चल रही है।...*(व्यवधान)* फिर क महीने, डेढ़ महीने से...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**श्री प्रियरंजन दासमुंशी :** सभापति महोदय, इस दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण से भी दो या तीन कम महत्वपूर्ण विधेयक हैं जो स्थायी समिति को भेजे जा चुके हैं। मंत्री जी क्यों बार-बार स्थायी समिति का नाम ले रहे हैं?

**सभापति महोदय :** श्री दासमुंशी आप पहले ही अपनी बात कह चुके हैं।

*[हिन्दी]*

**श्री राम विलास पासवान :** मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि देश का विकास हो और देश के विकास के लिए जो प्रधान मंत्री जी ने एक बार कहा था कि सारी मिनिस्ट्री आज की है और जो संचार मंत्रालय है, यह कल के लिए है, यह उसके भविष्य का है और संचार के क्षेत्र में जो क्रांति हो रही है, जैसा मैंने कहा कि अकेले सरकार के बलबूते के बाहर की चीज है। मणि शंकर जी को अपने नेता का धन्यवाद देना चाहिए कि जो पॉलिसी उन्होंने शुरू की थी, उसके कारण पिछले तीन साल में दो करोड़ पचास लाख टेलीफोन के लिए जो कनैक्शन है जिसमें से एक करोड़ तीस लाख टेलीफोन पिछले तीन साल में जो यह नयी इकोनॉमिक पॉलिसी उदारीकरण की नीति बनी है, उसके तहत गांव में गया है।

**सायं 6.00 बजे**

**एक माननीय सदस्य :** शहरों में।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**श्री राम विलास पासवान** : शहरों में ही गया, लेकिन पूरे देश में। मैंने पहले गलत कहा था कि यह 0.6 परसेंट है। 0.6 परसेंट रूरल एरियाज का है और पूरे देश का 2.5 परसेंट है। अन्यथा यदि मैं कहीं गलत कहूंगा तो उसे ठीक कर लें, हमारी कोई दूसरी दृष्टि नहीं है। मैं एक बार फिर आपसे आग्रह करूंगा और हमारा प्रयास है कि जब हम आगे विचार करेंगे...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**श्री प्रियरंजन दासमुंशी** : महोदय, उन्होंने स्व० श्री राजीव गांधी की नीति का समर्थन किया है। मुझे इसके लिए इनका धन्यवाद करना चाहिए...*(व्यवधान)* मैं केवल बधाई देना चाहता हूं।

**सभापति महोदय** : श्री दासमुंशी सभी फायदा उठा रहे हैं।

*[हिन्दी]*

**श्री राम विलास पासवान** : इसलिए जो लाइसेंस राज है, रेवेन्यु शेयरिंग है, इस पर हम विस्तार से विचार करेंगे और सारे फैक्ट्स को सामने रखने का काम करेंगे। अभी जो टी०आर०ए०आई० का मामला है, एन०टी०पी०, 99 का मामला है, इसमें सारे लक्ष्य रखे गए हैं। इसलिए मुंशी जी हम आपसे आग्रह करेंगे और साथ ही मणिशंकर अय्यर जी, पाल साहब और गोविन्दाचार्य जी से भी आग्रह करेंगे कि आपने जो...*(व्यवधान)* मैं बसुदेव आचार्य जी को पहले भी इसी नाम से बुलाता था। मैं आज ही नहीं, पहले भी कहता था।

*[अनुवाद]*

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : महोदय, क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूं?...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय** : अब छः बज चुके हैं। सभा की अनुमति से क्या मैं दूसरा विधेयक ले सकता हूं? यहां एक और विधेयक है। मैं सभा से समय बढ़ाने की अनुमति मांगता हूं।

**कई माननीय सदस्य** : जी, हां।

**सभापति महोदय** : ठीक है, तो हम इसे ले सकते हैं।

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : महोदय, मैं देशभर में यह आभास नहीं कराना चाहता कि मैं संचार संबंधी स्थायी समिति का अध्यक्ष हूं। मैं समझता हूं कि हमें इसे पढ़ लेना चाहिए, मैं माननीय मंत्री से यह उपेक्षा करता था कि वह कहेंगे कि अध्यादेश व्यपगत हो जाएगा इसलिए अब वह विधेयक पारित करने की मांग कर रहे हैं...*(व्यवधान)* यह कहने का प्रयास मत कीजिए कि स्थायी समिति को इस मामले को नहीं लेना चाहिए। आप कहते हैं अध्यादेश व्यपगत होगा। अतः इस मामले में आप स्थायी समिति से अनुरोध कर रहे हैं कि वह इसकी अनुमति दे। आप यह स्पष्टीकरण देते हैं। कृपया स्थायी समिति उसके कार्यकरण, संपूर्ण सभा इत्यादि पर व्याख्यान न दें। उस संदर्भ में तो स्थायी समिति व्यवस्था को ही समाप्त करना होगा। अतः आप कह रहे हैं चूंकि अध्यादेश व्यपगत हो रहा है अतः आप निवेदन कर रहे हैं। वास्तव में, यह निवेदन माननीय अध्यक्ष से किया जाना चाहिए था चूंकि सभी विधेयक समितियों को भेजे जाते हैं।

यहां समितियों के बहुत से अध्यक्ष हैं। श्री वैको इसे नहीं समझेंगे। यहां डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय हैं। अतः मैं उन्हें यह कहने का एक तरीका सुझा रहा हूं।

मैं सूचना देता हूं कि स्थायी समिति में हम इस भा०दू०सं०वि०प्रा० कानून को पढ़ेंगे।...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री राम विलास पासवान** : मैं दादा का बहुत शुक्रगुजार हूं और उनको धन्यवाद देता हूं। दादा, अगर आपके प्रति रिसपैक्ट नहीं होती, तो मैं अपने सहयोगी मंत्री को आपके पास क्यों भेजता। इसलिए बहुत सारी चीजें हैं। आप हमारे एल्डर हैं। आपने सही बात कही कि अगर यह आर्डिनेंस लैप्स कर जाता, तो बहुत सारे कान्सिक्वैन्सेस पैदा हो जाते। मैं आपकी बात से पूर्ण रूप से सहमत हूं। जब दादा ने कह दिया है, तो सदन को इस बिल को एकमत से पारित कर देना चाहिए।

*[अनुवाद]*

**श्री मदन लाल खुराना** (दिल्ली सदर) : 'बसुदेव' और गोविन्दाचार्य एक ही व्यक्ति हैं...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**श्री बसुदेव आचार्य** : महोदय, हमने मंत्री जी से पूछा था, इस आर्डिनेंस को लागू करने की क्या अरजेंसी थी? अभी 'ट्राई' चालू नहीं हुआ है, ट्रिब्युनल चालू नहीं हुआ है और आर्डिनेंस में भी गलतियां हैं। इसलिए जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है। संसद का यह अधिवेशन एक महीने बाद बुलाया जाने वाला था।

इस तरह के आर्डिनेंस के बारे में कई बार हाउस में अध्यक्ष महोदय ने इसके खिलाफ अपनी राय भी दी है। जब हाउस शुरू होने वाला है उस समय इस तरह के आर्डिनेंस लागू करना उचित नहीं है। मंत्री जी ने इसका कोई कारण, कोई अरजेंसी नहीं बताई कि क्यों इस तरह का आर्डिनेंस लाया गया, इसके पीछे क्या अरजेंसी थी। इसलिए हम इसे वापस नहीं ले रहे हैं।

हम फिर से आग्रह करेंगे कि इस बिल को मंत्री जी वापस ले लें, यह हमारे राष्ट्र के हित में नहीं है। इसलिए पूरे विरोधी पक्ष का सुझाव था कि सदन में लाने से पहले स्थाई समिति में इस पर विचार होना चाहिए। इसलिए हम इसे वापस नहीं ले रहे।

*[अनुवाद]*

**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 24 जनवरी, 2000 को प्रख्यापित भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (संशोधन) अध्यादेश, 2000 (2000 का संख्यांक 2) का निरनुमोदन करती है।"

*प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।*

**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

**सभापति महोदय** : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

*खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।*

*खंड 3—धारा 2 में संशोधन*

**सभापति महोदय :** श्री पवन कुमार बंसल खंड 3 में संशोधन प्रस्तुत करेंगे। श्री बंसल, क्या आप संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं?

**श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़) :** जी, हां।

महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि—

"पृष्ठ 2,—

पंक्ति 11 से 13 का लोप किया जाए" (1)

**सभापति महोदय :** अब, मैं संशोधन संख्या 1 सभा में मतदान के लिए रखूंगा।

"पृष्ठ 2,—

पंक्ति 11 से 13 का लोप किया जाए" (1)

संशोधन संख्या 1 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

**सभापति महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खंड 3 विधेयक का अंग बने।"

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

खंड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया।

*खंड 4—धारा 3 में संशोधन*

**सभापति महोदय :** श्री बंसल क्या आप संशोधन संख्या 2 प्रस्तुत कर रहे हैं?

**श्री पवन कुमार बंसल :** महोदय, मैं प्रस्ताव चाहता हूं कि :

पृष्ठ 2, पंक्ति 16 तथा 17—

"और 2 से अनधिक अंशकालिक सदस्यों," का लोप किया जाए, (2)

**सभापति महोदय :** अब मैं श्री पवन कुमार बंसल द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 2 को सभा में मतदान हेतु रखूंगा।

पृष्ठ 2, पंक्ति 16 और 17

"और 2 से अनधिक अंशकालिक सदस्यों," का लोप किया जाए, (2)

*संशोधन संख्या 2 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।*

**सभापति महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खंड 4 विधेयक का अंग बने।"

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

**खंड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया।**

**खंड 5 विधेयक में जोड़ दिया गया।**

*खंड 6—धारा 5 का संशोधन*

*[हिन्दी]*

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 2, पंक्ति 40 के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाए—

(कक) उपधारा (4) में—

(i) "सदस्य के रूप में उसका चयन" शब्दों के स्थान पर 'अध्यक्ष या पूर्णकालिक सदस्य के रूप में उसका चयन" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ii) "सदस्य के रूप में पद ग्रहण करने" शब्दों के स्थान पर "यथास्थिति, अध्यक्ष या पूर्णकालिक सदस्य के रूप में पद ग्रहण करने" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे। (13)

(श्री राम विलास पासवान)

*[अनुवाद]*

**सभापति महोदय :** श्री बंसल, क्या आप संशोधन संख्या 3 और 4 प्रस्तुत कर रहे हैं?

**श्री पवन कुमार बंसल :** महोदय, मै प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 3,—

पंक्ति 1 तथा 2 का लोप किया जाए। (3)

पृष्ठ 3,—

पंक्ति 3 से 5 का लोप किया जाए। (4)

**सभापति महोदय :** अब मैं, श्री पवन कुमार बंसल द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 3 और 4 को सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

पृष्ठ 2,—

पंक्ति 1 तथा 2 का लोप किया जाए। (3)

पृष्ठ 3,—

पंक्ति 3 से 5 का लोप किया जाए। (4)

संशोधन संख्या 3 और 4 मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए।

*[हिन्दी]*

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 3, पंक्ति 9 और 10 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए :

(i) प्रारंभिक भाग में, 'अन्य सदस्य' शब्दों के स्थान पर 'पूर्णकालिक सदस्य' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ii) खंड (ख) में, 'दो वर्ष' शब्दों के स्थान पर 'एक वर्ष' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।' (14)

(श्री राम विलास पासवान)

*[अनुवाद]*

**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड 6, यथासंशोधित, विधेयक का अंग बने।"

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

*खंड 6, यथासंशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया।*

*खंड 7 और 8 विधेयक में जोड़ दिए गए।*

*खंड 9—धारा 11 का संशोधन*

**सभापति महोदय** : श्री बंसल, क्या आप संशोधन संख्या 2 प्रस्तुत करेंगे?

**श्री पवन कुमार बंसल** : महोदय, मैं प्रस्ताव कर रहा हूं कि :

पृष्ठ 4, पंक्ति 4—

'जिससे कि' के स्थान पर 'और' प्रतिस्थापित किया जाए। (5)

**सभापति महोदय** : श्री रूपचन्द पाल क्या आप संशोधन संख्या 15 प्रस्तुत कर रहे हैं?

**श्री रूपचन्द पाल** : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 5 पर पंक्ति 8 के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किए जाएं :

(ङ) टैरिफ निर्धारण तथा लेखाओं सहित सभी कृत्य भारत के नियंत्रक-महोलखापरीक्षक की संवीक्षा के अध्याधीन होंगे;

(च) वित्त पोषण के मामले के संबंध में अपील अधिकरण के विनिर्णय भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के द्वारा लेखा परीक्षा के अध्यधीन होंगे। (15)

**सभापति महोदय** : श्री बंसल, क्या आप अपने संशोधन संख्या 6, 7 और 8 प्रस्तुत कर रहे हैं?

**श्री पवन कुमार बंसल** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 5, पंक्ति 15,—

'60' के स्थान पर '90' प्रतिस्थापित किया जाए। (6)

पृष्ठ 5—

पंक्ति 17 से 21 का लोप किया जाए। (7)

पृष्ठ 5,—

पंक्ति 34 से 36 के स्थान पर

निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए :

"(ख) उप-धारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा :

"(3) उप-धारा (1) अथवा उप-धारा (2) के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करते समय प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार अथवा नैतिकता के हितों के साथ कोई समझौता न हो अथवा ये संकटापन्न न हों।" (8)

*(व्यवधान)*

महोदय, एक मिनट का समय दीजिए।

**सभापति महोदय** : आप इन संशोधनों के बारे में पहले ही बोल चुके हैं।

**श्री पवन कुमार बंसल** : महोदय, जब मैं इन संशोधनों पर बोल रहा था तो मैंने अपना भाषण इस निवेदन के साथ संक्षिप्त किया था कि आप मुझे इन पर बाद में बोलने का अवसर देंगे।

**सभापति महोदय** : यदि आप चाहें तो मैं एक नियम उद्धृत कर सकता हूं। आप पहले ही बोल चुके हैं। जब एक सदस्य बोल चुका है तो उसे उसी विधेयक पर बोलने का दूसरा अवसर नहीं दिया जाएगा।

**श्री पवन कुमार बंसल** : जब मैं बोल रहा था उसी क्षण आपने मुझे बैठने को कहा था, मैं अपने भाषण को संक्षिप्त करता हुआ बैठ गया। मैंने यह विशेष अनुरोध इसलिए ही किया है।

**सभापति महोदय** : आप उस पर पुनः नहीं बोल सकते।

**श्री पवन कुमार बंसल** : मैं दूसरे किसी बिन्दु पर नहीं बोलूंगा।

**सभापति महोदय** : आप नियम जानते हैं, कृपया सहयोग दें।

**श्री पवन कुमार बंसल** : मैं जानता हूं, किंतु हमें बारीकियों में नहीं जाना चाहिए। महोदय, मैंने आपकी बात मान ली थी।

**सभापति महोदय** : यह एक बुरा पूर्वोदाहरण बन जाएगा।

**श्री पवन कुमार बंसल** : कृपया मुझे एक मिनट का समय दीजिए।

**सभापति महोदय** : आज तक ऐसा कोई पूर्वोदाहरण नहीं है। हम नया पूर्वोदाहरण क्यों स्थापित करें। ऐसा कोई पूर्वोदाहरण नहीं है।

*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय** : कोई सदस्य यदि एक बार वाद-विवाद में शामिल हो चुका है तो वह पुनः वाद-विवाद को नहीं आरंभ कर सकता।

**श्री पवन कुमार बंसल** : हमें बारीकियों में नहीं जाना चाहिए।

**श्री रूपचन्द पाल** : महोदय, पूर्वोदाहरण हैं।

**सभापति महोदय** : मैं पूर्व में अध्यक्ष रह चुका हूं।

**श्री रूपचन्द पाल** : महोदय, मुझे आपका संरक्षण चाहिए...*(व्यवधान)* टैरिफ के बारे में अभिलेखों की जांच अत्यंत आवश्यक है...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय** : अब मैं खंड संख्या 9 में संशोधन करने के लिए श्री पवन कुमार बंसल द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 5, 6, 7 और 8 तथा श्री रूपचन्द पाल द्वारा संशोधन संख्या 15 मतदान के लिए रखता हूं।

*संशोधन संख्या 5, 6, 7, 8 और 15 मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए।*

**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड 9 विधेयक का अंग बने"

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

खंड 9 विधेयक में जोड़ दिया गया।

**श्री रूपचन्द पाल** : महोदय, हम आपके विनिश्चय के विरोध में सभा से बाहर नहीं कर रहे हैं बल्कि सरकार के निर्णय के विरोध में हम सभा से बाहर जा रहे हैं क्योंकि यह भारत के महालेखापरीक्षक को वंचित कर देश को सबसे बड़ी हानि पहुंचा रही है...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**डा० रघुवंश प्रसाद सिंह** (वैशाली) : सभापति महोदय, ट्राई को सी०ए०जी० के जुरिस्डिक्शन से बाहर कर दिया गया है। इसलिए हम सदन का बहिंगमन करते हैं।

**सायं 6.16 बजे**

*(इस समय श्री रूपचन्द पाल, डा० रघुवंश प्रसाद सिंह और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा-भवन से बाहर चले गए)*

*खंड 10—धारा 13 में संशोधन*

*[अनुवाद]*

**श्री पवन कुमार बंसल** (चंडीगढ़) : महोदय, मैं अपना संशोधन पेश कर रहा हूं। मैंने कानून की कुछ खामियों को दूर करने का प्रयास किया है। क्योंकि दल द्वारा इसका प्रारूप जल्दबाजी में सरकार के दबाव में आकर किया गया है।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 5,—

पंक्ति 37 से 41 के स्थान पर

निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए :

"10. मूल के अधिनियम की धारा 13 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा :

"प्राधिकरण, सेवा प्रदाताओं के समुचित कार्यकरण अथवा इसके कृत्यों के निर्वहन के लिए धारा 11 की उपधारा (1) के खंड (ख) में विनिर्दिष्ट मामलों के संबंध में सेवा प्रदाताओं को समय-समय पर ऐसे निर्देश जारी कर सकेगा जो वह आवश्यक समझे।" (9)

**सभापति महोदय** : अब मैं खंड 10 में संशोधन करने के लिए श्री पवन कुमार बंसल द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 9 को मतदान के लिए रखता हूं।

*संशोधन संख्या 9 प्रस्तुत हुआ और अस्वीकृत हुआ।*

**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड 10 विधेयक का अंग बने।"

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

खंड 10 विधेयक में जोड़ दिया गया।

*खंड 11—अपीलीय अधिकरण की संरचना*

**श्री पवन कुमार बंसल** (चंडीगढ़) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 7, पंक्ति 22,—

'दो' के स्थान पर 'छह'

प्रतिस्थापित किया जाए। (10)

पृष्ठ 8, पंक्ति 7,—

'जिसने' के स्थान पर निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाए—

"जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है अथवा रहा है या जो इसके लिए पात्र है अथवा जिसने" (11)

**सभापति महोदय** : अब मैं श्री पवन कुमार बंसल द्वारा प्रस्तुत खंड 11 में संशोधन करने के लिए संशोधित संख्या 10 और 11 को मतदान के लिए रखता हूं।

*संशोधन संख्या 10 और 11 मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए।*

**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड 11 विधेयक का अंग बने।"

खंड 11 विधेयक के जोड़ दिया गया।

खंड 12 विधेयक में जोड़ दिया गया।

**श्री प्रियरंजन दासमुंशी** (रायगंज) : महोदय, सभी वकीलों को छोड़ा गया है...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय** : अब हम मतदान के स्तर पर।

**श्री मणि शंकर अय्यर** : वे सभी वकील विरोधी हैं...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय** : आपको मौका दिया गया है। यह कोई तरीका नहीं है।

**श्री पवन कुमार बंसल** : वकीलों को अलग रखने की प्रवृत्ति है...*(व्यवधान)*

खंड 13 *(धारा 35 में संशोधन)*

**श्री पवन कुमार बंसल** : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 12,

पंक्ति 14 से 16 का लोप किया जाए। (12)

**सभापति महोदय :** मैं श्री पवन कुमार बंसल द्वारा खंड 13 में संशोधन करने के लिए पेश किए गए संशोधन संख्या 12 को मतदान के लिए रखता हूं।

*संशोधन संख्या 12 मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुआ।*

**सभापति महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खंड-13 विधेयक का अंग बने।"

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

*खंड-13 विधेयक में जोड़ दिया गया।*

*खंड 14 और 15 विधेयक में जोड़ दिए गए।*

*खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिया गया।*

**श्री पवन कुमार बंसल :** महोदय, मैं कुछ शब्द बोलना चाहूंगा।

**सभापति महोदय :** मंत्री महोदय, प्रस्ताव करें कि संशोधित रूप में विधेयक को पारित किया जाए।

**श्री पवन कुमार बंसल :** महोदय, आप क्या कर रहे हैं? तीसरे वाचन के समय अनुमति प्रदान की गई है। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि तीसरे वाचन के समय आप एक सदस्य को बोलने की अनुमति नहीं दे रहे हैं।

**श्री राम विलास पासवान :** महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"यथासंशोधित रूप में विधेयक पारित किया जाए।"

**सभापति महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि यथासंशोधित रूप में विधेयक पारित किया जाए।"

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

**श्री पवन कुमार बंसल :** आप पूर्वोदाहरण की बातें कर रहे थे और अब आप इस प्रकार की बातें कर रहे हैं...*(व्यवधान)** ऐसा कभी नहीं हुआ कि तीसरे वाचन के समय किसी सदस्य को बोलने की अनुमति नहीं दी गई। यह न जानते हुए भी मैं क्या कहने जा रहा हूं, आपने मुझे बोलने की अनुमति प्रदान नहीं की। ऐसा कभी नहीं हुआ।

**सभापति महोदय :** सभा अब मद संख्या 24 और 25 को एक साथ लेगी। श्री विलास मुत्तेमवार–उपस्थित नहीं हैं।

**श्री प्रियरंजन दासमुंशी :** सभापति महोदय, मुझे समझाया गया था कि रेलवे बजट और सामान्य बजट पर, हम इस अतिमहत्वपूर्ण सरकारी कार्य पर चर्चा करने के लिए देर रात तक बैठेंगे। मैं नहीं जानता कि यह कार्य आज चलेगा अथवा नहीं।

**सभापति महोदय :** यह एक विधेयक है। मेरे विचार से कार्य मंत्रणा समिति में इस पर सहमति हुई थी।

**संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) :** माननीय सदस्य कृपया स्मरण करें कि किस बात पर सहमति हुई थी। यह निर्णय हुआ था कि हमारे पास केवल चार दिन बचे हैं और आप ये दो अध्यादेश पारित करके दूसरी सभा को भेजने हैं। कल का पूरा दिन और रात रेलवे बजट पर चर्चा करेंगे। परसों पूरा दिन आम बजट पर चर्चा करेंगे और अंतिम दिन राष्ट्रपति अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा आरंभ करेंगे।

**श्री प्रियरंजन दासमुंशी :** आज हम कितनी देर तक बैठेंगे?

**सभापति महोदय :** हम तब तक बैठेंगे जब तक यह विधेयक पारित नहीं हो जाता है।

**श्री प्रमोद महाजन :** यदि हमारे पास और समय है तो हम नियम 184 पर भी चर्चा कर सकते हैं।

**सभापति महोदय :** श्री वरकला राधाकृष्णन।

---

**अपराह्न 6.22 बजे**

## बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली (संशोधन) अध्यादेश का निरनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प

## और

## बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली (संशोधन) विधेयक

*[अनुवाद]*

**श्री वरकला राधाकृष्णन** (चिरायिंकिल) **:** मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा 17 जनवरी, 2000 को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली (संशोधन) अध्यादेश, 2000 (2000 का संख्यांक 1) का निरनुमोदन करती है।"

मैं सिद्धांततः विधेयक का विरोध नहीं करता हूं बल्कि मैं उस तरीके का विरोध करता हूं, जिस तरह यह लाया जा रहा है।

मूल अधिनियम, जो 1993 में पारित किया गया था, को दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा नियम विरुद्ध ठहराया गया था। अतः विधेयक के स्तर के संबंध में कानूनी स्थिति पांच वर्षों से अधिक से विद्यमान रहा है। अब, उस समय जब मूल विधेयक पारित किया गया था, तो सभा में आशंकाएं व्यक्त की गई थीं कि यह विधेयक कई तरीकों से दोषपूर्ण है। किंतु सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया। अंततः विधेयक पारित हो गया था और मामला याचिका के रूप में उच्च न्यायालय में गया था। दिल्ली उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि विधेयक कई तरीकों से नियम विरुद्ध है। अब यह मुद्दा पांच वर्षों से अधिक से सरकार के समक्ष लंबित पड़ा हुआ है। केन्द्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपील की है। अब अधिकरण उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं। वे भी गत 15 महीनों से अधिक से कार्य कर रहे हैं। केन्द्र सरकार द्वारा इस कानून को पारित करने के लिए कुछ नहीं किया गया है। उच्च न्यायालय

---

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

द्वारा इंगित खामियों पर विचार नहीं किया गया था। गत पांच वर्षों के दौरान इस सभा के समक्ष कोई संशोधन प्रस्तुत नहीं किया गया है। अब यहां तक कि गत सत्र में भी सरकार विधेयक प्रस्तुत कर सकती थी और पारित करवा सकती थी लेकिन ऐसा नहीं किया गया। उन्होंने समझा कि सभा तो एक तरह से रबड़ स्टाम्प की तरह है और वे किसी भी समय अध्यादेश लाकर इसे पारित करवा सकते हैं। यह कोई अच्छे संकेत नहीं हैं यह अच्छी संसदीय परिपाटी भी नहीं है। महोदय, आपको स्मरण होगा कि यहां तक कि उच्चतम न्यायालय ने भी स्पष्ट रूप से अध्यादेश जारी करने की प्रवृति को अनुचित ठहराया था। महोदय, जैसा कि आप जानते हैं कि अध्यादेश प्रतिबद्ध विधान का मामला है।

यदि अध्यादेश पहले ही जारी कर दिया गया हो तो भी ऐसे मामले पर अपने विचार खुलकर व्यक्त नहीं करते हैं। यहां तक कि सत्ता दल के सदस्यों को भी अपने विचार व्यक्त करने में कठिनाई होगी। अत: हम अध्यादेश जारी करने के सिद्धांत के साथ सदैव सहमत नहीं होते हैं। केन्द्र सरकार अनेक अवसर मिलने के बाद भी अधिनियम पारित करवाने में शीघ्रता नहीं करती है।

अब ऋणों की वसूली के मामले में मुझे कहना है कि यह नीति जन-विरोधी है। मान लीजिए कि एक गरीब आदमी ने किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से ऋण लिया। यदि एक निर्धन व्यक्ति एक राष्ट्रीयकृत बैंक से छोटा-सा ऋण लेता है और चूककर्ता बन जाता है, तो उसे पेनल्टी लगाई जाएगी। किंतु अब कुछ प्रेस रिपोर्टों के माध्यम से मुझे ज्ञात हुआ है कि सरकार ने राष्ट्रीयकृत बैंकों के कार्यकरण में दखल देने के लिए एक आयोग नियुक्त किया था। आयोग के सदस्य सबसे बड़े चूककर्ता थे। उन्होंने सरकार को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की कि राष्ट्रीयकृत बैंक घाटे में चल रहे हैं क्योंकि इसका सबसे साधारण कारण यह है कि वे स्वयं सबसे बड़े चूककर्ता हैं। यह स्थिति है।

सिद्धांत रूप में, मैं यूको बैंक के अनुभव का सुझाव दूंगा। उसका एक शीर्ष कार्यकारी अधिकारी सबसे बड़ा चूककर्ता है और उसने यूको बैंक के निजीकरण की सिफारिश की है। अत: इस तरीके से सरकार को निजीकरण संबंधी सिफारिश की जाती है।

इसी प्रकार, वसूली संबंधी नीति शीर्ष नौकरशाह और अमीर लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए है, जो दिन-दूनी रात चौगनी तरक्की कर रहे हैं और साथ ही निर्धन व्यक्ति को कोई ऋण नहीं दिया जा रहा है, निर्धन किसानों को ऋण नहीं मिल रहा है। यहां तक कि यदि वे ऋण लेने में सफल भी हो जाते हैं और यदि गलती से वे चूककर्ता बन जाते हैं—जैसा कि मैंने पहले कहा—वे मुसीबत में फंस जाते हैं, उनकी सम्पत्ति को जब्त कर लिया जाता है, और उसे भिखारी घोषित किए जाने से पहले न्यायालय भेजा जाएगा। महोदय, यह स्थिति है।

मेरे विद्वान मित्र, माननीय वित्त मंत्री हंस सकते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा कोई अनुभव नहीं है किंतु हमें अपना अनुभव है। अत: सरकार की मौजूदा ऋण वसूली संबंधी नीति इस प्रवृत्ति का ही परिणाम है। अन्यथा यदि सरकार गंभीर थी, यदि सरकार ऋण वसूली के मामले में ईमानदार थी, तो वह बहुत पहले एक अच्छा विधान बना लिया होता। किंतु ऐसा नहीं किया गया। और इन कारणों से, मैं अध्यादेश का विरोध करता हूं और मैं प्रस्ताव करता हूं कि कृपया निर्मुमोदन प्रस्ताव स्वीकार किया जाए।

**वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) :** महोदय, मैं प्रस्ताव* करता हूं :

**"कि बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"**

सभापति महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य श्री वरकला राधाकृष्णन द्वारा इंगित किया गया है कि बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम 27 अगस्त, 1993 को, शीघ्र निर्णय देने के लिए अधिकरणों की स्थापना करने और बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋणों की वसूली के लिए और इससे संबंधित अन्य मामलों अथवा ऐसे आकस्मिक मामलों के लिए बनाया गया था।

जुलाई, 1994 में दिल्ली उच्च न्यायालय बार ऐसोसिएशन ने डी आर टी अधिनियम की वैधता को चुनौती देते हुए दिल्ली के उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की थी। उच्च न्यायालय ने 10-3-1995 को अपने अधिनिर्णय में अधिनियम को असंवैधानिक और अमान्य घोषित किया था। सरकार ने उच्चतम न्यायालय में एक विशेष अनुमति याचिका दायर की और दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को स्थगित कर दिया गया था। सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष मामले की सुनवाई के दौरान कुछ टिप्पणियां की गई थीं, जिसने अन्य बातों के साथ-साथ निर्धारित प्रति-दावों को कायम रखना और चयन समिति का पुनर्गठन करना शामिल था, जिस पर सरकार ने विचार किया था।

**अपराह्न 6.29 बजे**

**[श्री के० येरननायडू** *पीठासीन हुए।*]

माननीय उच्चतम न्यायालय की टिप्पणियों और अधीनस्थ विधान संबंधी राज्य सभा समिति और आर बी आई द्वारा बनाए गए कार्यबल के सुझावों के आधार पर अधिनियम में 17-1-2000 को एक अध्यादेश के माध्यम से उचित रूप से संशोधन किए गए हैं।

मैं यहां यह उल्लेख करना चाहूंगा कि उच्चतम न्यायालय ने 3 नवंबर, 1998 को हमें 8 सप्ताहों का समय दिया था। उसके अनुपालन में मैंने मार्च, 1999 में लोक सभा में इस विधान में संशोधन करने का एक प्रस्ताव किया जो इस कारण व्यपगत हो गया था क्योंकि लोक सभा ही भंग हो गई थी। अब हमें सभा के समक्ष आने का पहला अवसर मिल रहा है। इसी दौरान, उच्चतम न्यायालय के निर्णय का आदर करने के लिए, हमने इस अध्यादेश का निर्मुमोदन करने का निर्णय लिया।

**श्री वरकला राधाकृष्णन :** पिछले सत्र में क्या हुआ था।

**श्री यशवन्त सिन्हा :** आप जानते हैं कि पिछले सत्र में कितनी भीड़ थी और हम कितनी मेहनत से दिन-प्रतिदिन कार्य कर रहे थे। दुर्भाग्य से, पिछले सत्र में इस विधान पर विचार करने का समय नहीं था। पिछले सत्र में यह हुआ था। अब यह कहना कतई सही नहीं है कि सरकार इस सभा के समक्ष इस विधान को लाने के बारे में काफी सुस्त अथवा उदासीन रही है। हम सबसे पहला अवसर ले रहे हैं और इस कारण हमें अध्यादेश के मार्ग के माध्यम से चलना चाहिए था।

---

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत।

[श्री यशवन्त सिन्हा]

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के सुझावों पर विचार किया जाना चाहिए था। हम ने उस अध्यादेश के माध्यम से किया है, जिसका जनवरी में निर्मुमोदन हो गया था। अब हम इस विधेयक के साथ सभा के समक्ष हैं, जो 17 जनवरी, 2000 के अध्यादेश को प्रतिस्थापित करता है।

यह कहना सही नहीं है कि जिस समिति ने तीन बैंकों को बंद करने की सिफारिश की थी, उसे सरकार द्वारा नियुक्त किया गया था। यह सर्वविदित है कि भारतीय उद्योग परिसंघ नामक एक संगठन है, जिसने उस समिति को नियुक्त किया था। उन्होंने एक रिपोर्ट पेश की है। मैंने अपने बजट भाषण में बहुत स्पष्ट रूप से कहा था कि सरकार किसी भी बैंक को बंद करने की इच्छा नहीं रखती है। अत: माननीय सदस्यों की आशंका पूर्णत: निराधार है और अत: मेरा सुझाव है कि विधेयक पर विचार किया जाए और इसे सभा द्वारा पारित किया जाए।

*[अनुवाद]*

**सभापति महोदय :** प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :

"कि यह सभा 17 जनवरी, 2000 को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली (संशोधन) अध्यादेश, 2000 (2000 का संख्यांक 1) का निरनुमोदन करती है।"

"कि बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम 1993 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

**अपराह्न 6.32 बजे**

**श्री प्रियरंजन दासमुंशी** (रायगंज) : सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी की इस अध्यादेश को 17 जनवरी को प्रस्तुत करने तथा इसे आज ही पारित करवाने के लिए प्रशंसा करता हूं क्योंकि इसे राज्य सभा को भेजा जाना अपरिहार्य था। मैं माननीय वित्त मंत्री जी को बजट भाषण की इस टिप्पणी के लिए धन्यवाद देता हूं कि सार्वजनिक क्षेत्र के किसी भी बैंक का निजीकरण नहीं किया जाएगा।

उन्हें याद होगा कि जब उन्होंने उद्योग परिसंघ में उनके द्वारा दिए गए कुछ सार्वजनिक भाषणों में लिखा गया था जिसमें बैंकों के निजीकरण का संकेत दिया था, उस संदर्भ में मैंने उन्हें गत सत्र के दौरान एक पत्र लिखा था। मैंने तभी उनका ध्यान इस ओर दिलाया था। शायद माननीय मंत्री जी ने इसका उत्तर देने पर विचार नहीं किया, क्योंकि उन्हें इसका स्पष्टीकरण बजट भाषण के दौरान देना था। इस प्रकार मुझे उत्तर नहीं मिला।

अब, श्री राधाकृष्णन ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात कही जिसका जवाब माननीय वित्त मंत्री जी संभवत: इस समय नहीं दे सकेंगे। वह अंत में इसका जवाब दे सकते हैं।

बैंकिंग ढांचे को किसने अस्थिर किया? 1971 में, जब श्रीमती इंदिरा गांधी ने निजी व्यक्तियों के अधीन बैंकों के राष्ट्रीयकरण के नये अभियान का सूत्रपात किया तब उन्होंने मुझमें और कई अन्य व्यक्तियों जो कि विद्यार्थी थे में यह आशा जगायी कि गरीब से गरीब व्यक्ति को न्याय मिलेगा और बेराजगारों को आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिलेगा। ऐसा ही हुआ। यदि हम इस संसद में बैंकों के राष्ट्रीयकरण पर दिए गए उनके भाषण को याद करें तो हम पाएंगे कि वे सचमुच चाहती थीं कि नये युग का पदार्पण हो।

चूंकि मैं कलकत्ता का रहने वाला हूं। मैं ऐसे तीन बैंक इलाहबाद बैंक, यूको बैंक और यूबीआई—बता सकता हूं, जिनकी गतिविधियों की मुझे नजदीकी जानकारी है। इनका कार्यकरण कैसा था? बोर्ड के आदेशानुसार किसी भी लेन-देन पर, चाहे यह इंजीनियरिंग उद्योग हो, जूट उद्योग हो अथवा चाय उद्योग हो किसी प्रकार की जवाबदेहिता नहीं थी। वर्षों से हो रही गलतियों के अनेक उदाहरण हैं। एक ही प्रबंधन अलग-अलग नामों को लेकर बोर्ड के पास आते हैं और उसी प्रकार की सहायता मिलती है जिससे बैंक रुग्ण हो जाते हैं। मैं आज उनका नाम नहीं बताना चाहता हूं। अभी उनका नाम बताना उचित नहीं है। लेकिन क्या यह सच नहीं है कि बैंकिंग उद्योग को चलाने के लिए हमारे पास दूरदर्शिता की कमी है? क्या इस दूरदर्शिता का अर्थ है कि हमें रेल विभाग, वित्त मंत्रालय अथवा कृषि मंत्रालय की तरह बैंकों को एककों के रूप में देखना चाहिए?

हम रेल विभाग, गृह मंत्रालय, कृषि मंत्रालय इत्यादि की भांति बैंकिंग क्षेत्र को एक एकक समझते हैं। कुछ अधिकारियों को बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया जाएगा, किसी को कार्यकारी निदेशक के पद पर नियुक्त कर दिया जाएगा, जो बोर्ड को चलाएंगे। हमने यह कभी नहीं माना कि बैंकिंग उद्योग और वित्तीय संस्थान हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। अध्यक्ष, कार्यकारी निदेशक तथा महाप्रबंधक के स्तर पर व्यवसायिक प्रबंधन अपेक्षित है।

व्यवसायिक प्रबंधन की पूरी संकल्पना की कमी है। मैं यहां कोई राजनीतिक लाभ प्राप्त करने का प्रयास नहीं कर रहा हूं। हमारे समय से ऐसा चल रहा है। यहां तक कि जब कांग्रेस सत्ता में थी तब भी बैंकिंग क्षेत्र में व्यसायिक प्रबंधन की पूरी संकल्पना की कमी थी। उन्होंने कभी यह समझने का प्रयास नहीं किया कि आज अथवा कल क्या होगा। उन्होंने उस समय देश में बाजार-स्थिति को चाहे यह चाय हो, कपास हो, चीनी अथवा जूट उद्योग हो, कभी समझने का प्रयास नहीं किया। उन्होंने कभी इस बात का मूल्यांकन करने की कोशिश नहीं की कि शेयर बाजार किस ओर जा रहा है। उन्होंने इस बात को समझने की कोशिश नहीं की कि निवेशित धनराशि अथवा लिए गए ऋण के लिए उत्पादन निगरानी क्षमता उस व्यवस्था में है भी या नहीं। वे यही केवल सोचते हैं कि उन्हें ऋणों की शर्तें चाहे वह जो भी हों, अनुसार धन वापस करना है।

आज, जब हम भारतीय उद्योग परिसंघ के बड़े-बड़े व्यक्तियों से सवाल करते हैं कि वे क्या हैं तो वे उत्तर देते हैं कि वे इस अथवा उस एकक की देखरेख कर रहे हैं। जब हम भारतीय उद्योग परिसंघ के किसी अन्य व्यक्तियों से यही सवाल करते हैं तो उनका कहना होता है कि वे किसी अन्य एकक की देखरेख कर रहे हैं। ये सभी व्यक्ति कभी भी यह नहीं कहते हैं कि उनके द्वारा उनके ही उपक्रमों में निवेश 40 प्रतिशत अथवा 30 प्रतिशत अथवा 20 प्रतिशत से कम है। यह जनता का धन है। इसलिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और वित्तीय संस्थान सारी कार्य व्यवस्था को देखते हैं, चाहे यह रोजगार में वृद्धि करना हो, जो वह करते ही नहीं हैं अथवा अन्य कुछ। उन्होंने उद्योग का

और विस्तार करने के लिए अर्जित किए हुए मुनाफे को पुनः निवेश करने की कभी भी कोशिश नहीं की। वे नये नाम के साथ बैंक में नया प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं तथा पहले की भांति धन प्राप्त कर लेते हैं। वे इस काम को कभी भी व्यवसायिक दृष्टिकोण से करने की कोशिश नहीं करते हैं।

जैसा कि मैंने कहा, मुझे कलकत्ता में एक ऐसे एकक का पता है जहां यह सब हो रहा है। उसने मुझे स्वयं बताया कि उसे जूट उद्योग के नाम पर इलाहाबाद बैंक से बहुत पैसा मिला है। जब इलाहबाद बैंक ने उसे नोटिस दिया तो वह चाय उद्योग के नाम से अपने बेटे के नाम पर एक नया प्रस्ताव लेकर गया तथा फिर उसे धन प्राप्त हो गया। उसने आगे बताया कि जब उसने वह धन भी इधर-उधर कर दिया तब वह फिर परिवहन व्यापार का एक प्रस्ताव लेकर गया और फिर धन प्राप्त हो गया। मुझे यह कहते हुए खेद होता है कि मैंने कुछ सेवानिवृत अधिकारियों को भी उसी बैंक के परामर्शदाताओं के रूप में कार्य करते हुए देखा। इस प्रकार, आपस की सांठगांठ से ही यह सब काम हो रहे हैं। बैंक में यह कुछ लोगों द्वारा किया जा रहा संपूर्ण विश्वासघात है।

श्री यशवन्त सिन्हा जी, मेरी सच्चे मन से तमन्ना है कि वित्त मंत्रालय में एक मेहनती और ईमानदार वित्त मंत्री होने के नाते आप यह काम अपनी दूरदर्शिता से कर सकते हैं तथा यह पता लगाने के लिए एक ऐसी स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं कि संबद्ध बैंकों में यह काम किन व्यक्तियों ने किया है। यदि आप इन व्यक्तियों को पकड़ सकते हैं, तो आप राष्ट्र की तथा भविष्य में बैंकिंग प्रबंधन की बहुत बड़ी सेवा करेंगे। यही सब दिन-रात हो रहा है। यूको बैंक में क्या होता है? हर्षद मेहता की घटना के बाद अब मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं। वित्त मंत्री जी आपको बेहतर पता है कि अन्य मामले के साथ क्या होता है। आपको सब बातों का पता है। इस सबके लिए आज मेरा क्या प्रस्ताव है?

मैं इस अध्यादेश का समर्थन करता हूं और मेरा प्रस्ताव बहुत ही आसान सा है। कोई भी वर्तमान बैंकिंग उद्योग को अनदेखा और इसकी उपेक्षा नहीं कर सकता है। इन बैंकों को फिर से अपनी स्थिति सुधारनी होगी तथा विकसित होते निजी वित्तीय संस्थानों को देखते हुए विदेशी बैंकों से प्रतिस्पर्धा करनी होगी। यह विश्वव्यापी स्थिति है। आप इस पर तकनीकी तथा सिद्धांत रूप में चर्चा कर सकते हैं। यह एक अलग बात है। लेकिन वर्तमान बैंकिंग प्रबंधन द्वारा इस चुनौती का सामना नहीं किया जा सकता है क्योंकि प्रबंधन उस दिन का इंतजार कर रहा जब कोई अध्यक्ष बने। उस दिन से कार्यकारी निदेशक समर्थन जुटाना शुरू करेगा तथा किसी भी व्यक्ति को पकड़ लेगा और वह अध्यक्ष बन जाएगा। इसके अतिरिक्त उसका काम कुछ भी नहीं होगा।

यह व्यवसायिक प्रबंधन नहीं है, यह जवाबदेहिता नहीं है और यह संस्थान के विकास में सहायक सिद्ध नहीं हो रहा है। मुझे यह सब कहते खेद हो रहा है। यदि मैं गलत कह रहा हूं तो माननीय मंत्री जी कह सकते हैं और मैं माफी मांग लूंगा। बात यह है कि चुनावों से पहले इलेक्ट्रोनिक मीडिया कंपनी, जैन टेलीविजन को एक सरकारी वित्तीय संस्थान हेतु पर्याप्त सहायता प्राप्त हुई। सभी को पता था कि उस समय जैन टी वी के पास इक्विटी नहीं थी। अनुग्रह और खराब निवेश के रूप में यह काम कैसे किया गया।

लेकिन उन्हें सहायता दी गई। कल यदि जैन टी वी बंद हो जाता है तो आप क्या करोगे? इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? आप आई डी बी आई, आई सी आई सी आई, आई आर बी आई और आई एफ सी आई इत्यादि के दस अथवा बारह वर्षों के आंकड़ों को देखो और जानो कि खराब निवेश, संदेहास्पद निवेश क्या होते हैं, तथा वे कैसे किए जाते हैं। अंत में, राष्ट्र और संपूर्ण बैंकिंग व्यवस्था को ही नुकसान होता है। इसके लिए कर्मचारियों पर दोष न लगाओ। मैं माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने बैंकों के निजीकरण की बात नहीं की। सभापति महोदय, उन्होंने एक वायदा किया था। लेकिन इसमें एक ऐसा शब्द है जिसने मुझे परेशान कर रखा है। उन्होंने यह भी कहा है कि वह पुनर्गठन पर विचार कर रहे हैं। यह अंग्रेजी का 'रिस्ट्रक्चरींग' शब्द खतरनाक है। यह प्रबंधन अथवा कर्मचारियों को प्रभावित कर सकता है। मैं केवल यही चाहता हूं कि उसका लक्ष्य कर्मचारी न बने। निःसंदेह कर्मचारियों को कर्जों से निपटने के लिए व्यवसायिक होना जरूरी है क्योंकि अंत में सारे काम उनके पास ही आते हैं। महत्वपूर्ण बात है प्रबंधन क्षेत्र। ये सब काम भिन्न-भिन्न कार्यक्रमों के महाप्रबंधक (अग्रिम), महाप्रबंधक (वसूली) तथा भिन्न-भिन्न समूहों इत्यादि के मंडल प्रबंधक के पास आते हैं।

मैं आपको चाय उद्योग का एक उदाहरण दे सकता हूं। हमारे देश में अधिकतर चाय का उत्पादन असम और बंगाल के दुवार्स में होता है। चालीस अथवा पचास साल पहले, चाय उद्योग फल-फूल रहा था। उन्हें जानबूझकर रुग्ण बनाया गया क्योंकि इनकी निगरानी की गई। बैंक बड़े-बड़े व्यक्तियों को फोन पर यह कहते हुए सूचित कर रहे हैं, देखिए, हम इस एकक को दूसरी फसल अग्रिम धनराशि नहीं देने वाले हैं क्योंकि यह और रुग्ण हो जाएगी। इसलिए तैयार रहिए। दो वर्षों के बाद हम भी आपकी तरह होंगे। बंगाल के दुवार्स में एक के बाद एक कितने ही प्रबंधनों को स्थानांतरित किया जा चुका है।

डा० नीतीश सेनगुप्ता एक प्रतिष्ठित सांसद हैं जिन्हें राजस्व क्षेत्र के बारे में बहुत ज्ञान है। वह पश्चिम बंगाल से संबंध रखते हैं। क्या वह इस सत्य से इनकार कर सकते हैं? सारे जलपाईगुड़ी और दुवार्स में एक के बाद एक प्रबंधनों बड़े-बड़े व्यक्तियों के लिए बदला जा चुका है। मानलो, मुझे फसल अवधि के दौरान अग्रिम धनराशि की जरूरत है। वे यही करेंगे कि वे उचित समय पर अग्रिम धनराशि दिए बिना मुझे रुग्ण बना देंगे और बड़े-बड़े लोगों तथा कंपनियों से यह कहेंगे 'देखो यदि उसकी यह फसल खराब हो जाती है तो अंत में उसका ब्याज 12 करोड़ से भी अधिक हो जाएगा और वह बैंक के आगे घुटने टेक देने के लिए बाध्य हो जाएगा। इसीलिए आप यहां आओ और बात करो, मैं इसका आपके पक्ष में निपटारा कर दूंगा।

ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। कुछ ने गत समय माननीय मंत्रियों का ध्यान भी आकर्षित किया है। इस समस्या का समाधान बैंकों के बोर्ड के पास ही है। मंत्री जी केवल हम राजनीतिज्ञों पर ही चाहे हम सत्ता पक्ष में हों, अथवा पक्ष में, दिन-प्रतिदिन आरोप लगाए जाते हैं और हमें ही गालियां दी जाती हैं कि हम ही बेईमान, हेर-फेर करने वाले व्यक्ति, हवाला वाले और कर-चोर हैं। इस संसद में बैठने के कारण सारा दोष हमारे ऊपर ही आएगा। लेकिन वो लोग जो अमेरिका में अपने परिवारों से मिलने के लिए यहां से आराम से खिसक जाते हैं, अथवा जो अभी भी बैंक में काम कर रहे हैं, लंदन या अमेरिका में

[श्री प्रियरंजन दासमुंशी]

अपने बच्चों को शिक्षित करके सही ढंग से उनका पालन-पोषण करते हैं, वे लोग निजी संचालकों की सांठ-गांठ से जनता का धन इधर-उधर कर देते हैं तथा इस देश में साफ-साफ बच निकलते हैं। जनता के सामने उनके कारनामों की पोल कभी नहीं खुलती है। कई बार ऐसे होता है कि यदि कोई संसद सदस्य किसी बैंक में जाता है तो जैसे ही वह बैंक से बाहर निकलता है, वैसे ही बैंक के लोग कहते हैं—इस देश में ऐसा हो रहा है। ये वाजिब मामले भी हैं। पैसे की वापसी आवश्यक है और न्यायाधिकरण भी एक आवश्यकता है। निवेश किया गया सार्वजनिक धन बेकार नहीं जाना चाहिए और वह वापिस लिया जाना चाहिए। सरकार को इसमें सख्ती से निपटना चाहिए। इस पर हम सरकार के साथ हैं। उसके बारे में कोई शंका नहीं है और उनके बारे में दो राय नहीं है। आपको व्यवस्था को भी पुनर्जीवित करना चाहिए। उदाहरण के लिए, मैं कह सकता हूं कि अध्यक्ष, देना बैंक किसी भी स्थान पर बैठे-बैठे, बिना कोई अन्य कार्य किए, किसी अन्य बैंक के कार्यकारी निदेशक से अनुरोध करता है कि चूंकि वह सेवा-निवृत्त हो रहा है, अत: उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह स्वयं उनके पास जाए ताकि उनके ग्राहकों, चाहे वह अम्बानी हो, गोयंका हो अथवा सिंघानिया हो, के सभी मामले निपटाए जाएं और उसे उनके लिए मुश्किलें पैदा नहीं करनी चाहिए। इस तरीके से यह प्रणाली काम कर रही है। अत: मैं व्यक्तिगत तौर पर यह महसूस करता हूं कि आप बैंकिंग उद्योग में व्यवसायिक प्रबंधन की नई अवधारणा के लिए इन्हें प्रेरित कीजिए, विशेषतौर पर सरकारी क्षेत्र में और प्रत्येक परियोजना और कार्यक्रम के लिए उन्हें जवाबदेह बनाएं।

श्री राधकृष्णन ने जो कहा है, वह बिल्कुल सही है, चाहे आपके अच्छा लगे या न लगे कि सी०आई०आई० के सदस्य हमें उपदेश दे रहे हैं और हमें हुक्म देते हैं कि कौन सा बैंक बंद किया जाना चाहिए जैसे कि यह सी०आई०आई० ही है जो प्रवेश की अनुमति दे सकता है या इसे बंद कर सकता हो। आप सी०आई०आई० के लोग इस देश से अधिकतम फायदा उठाया है। हरेक वित्त मंत्री को यह दोष दिया जाता है कि उन्होंने कर लगा दिया अथवा उन्होंने यह किया, वह किया, परंतु ये सी०आई०आई० के लोग ही इस देश में सबसे ज्यादा फायदा उठाते हैं और करते कुछ भी नहीं हैं। सामाजिक आधार-संरचना में उनका क्या योगदान है? वे अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए सैकड़ों करोड़ लेते हैं और यदि वे 1000 रोजगार के अवसरों का सृजन करने की गारंटी देते हैं तो अंत में 200 अवसरों का सृजन ही कर पाते हैं। उन्होंने अपने लाभ में से सामाजिक आधारभूत ढांचे के लिए कुछ योगदान नहीं किया है।

दो दिन पहले कार्यकर्ताओं के संघर्ष के उपरांत डनलप कंपनी खोली गई थी। इसका प्रबंधन क्या है? क्या आप इसके प्रबंधन के बारे में जानते हैं? ये प्रत्येक उद्योग से पैसा लेते हैं और विभिन्न प्रकार के बेकार लेने-देन में उसे लगा देते हैं, वे बैंक को अदायगी नहीं करते। वे मजदूरों पर अत्याचार करते हैं और अंत में आकर कहते हैं कि उन्होंने हमें बचा लिया। उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। अत:, न्यायाधिकरण आवश्यक है। मंत्री जी ने ठीक ही किया है। मैं श्री नरसिंह राव की सरकार को अगस्त, 1993 में यह विधान लाने का पहली बार विचार करने हेतु धन्यवाद देता हूं। उस समय इसे दिल्ली उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया था। वित्त मंत्री ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर इसे कार्यान्वित करने का प्रयास किया है। मैं इस महान कार्य के लिए मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। समय ने इसकी सुध ले ही ली।

इस प्रावधान के अनुसार, यदि कोई लघु उद्योग 10 लाख रुपये का ऋण लेता है और इसकी अदायगी करने में असफल रहता है तो छह महीने में उसे 20 नोटिस दिए जाएंगे। इस देश के बड़े-बड़े उद्योगपतियों को आपने कितने नोटिस जारी किए हैं। ये उन्हें याद दिलाने के लिए है। यह उनकी अपनी टिप्पणी है। उनका यह साम्राज्य, उनका निजी नहीं, अपितु लोगों का है। चाहे वह राहुल बजाज हो, गोयंका हो, रतन टाटा हो, धीरूभाई अम्बानी हो, मुकेश अम्बानी या सिंघानिया हो, यह धनराशि लोगों की है। उनका जो भी साम्राज्य है, वह सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं और बैंकों का योगदान है। ये पसीना बहाने वाले लोग ही हैं, जो सब कुछ देते करते हैं। यदि कोई रिक्शावाला अपनी दूसरी किश्त नहीं देता, तो उसे यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया द्वारा बख्शा नहीं जाता। मैं कलकत्ता के एक ऑटोरिक्शा वाले को जानता हूं। वह मुझे यह बताकर रो रहा था कि वह दो महीने तक रिक्शा नहीं चला सका क्योंकि पहले उसकी मां बीमार थी और बाद में वह स्वयं बीमार हो गया। उसने मुझे बताया कि वह बैंक को दूसरी किश्त अपनी बहन के गहने गिरवी रखकर देगा, जिसकी शादी अगले सप्ताह होने जा रही है और यदि वह ऐसा नहीं करता तो उसकी रिक्शा छीन ली जाएगी। मैंने ऐसे आंसू देखे हैं और सी०आई०आई० के ऐसे लोग भी देखे हैं जो बैंकों को अपनी शर्तों के अनुसार चलाते हैं और जैसा चाहते हैं, वैसा जीवन जीते हैं। आपको उनके साथ सख्ती से पेश आना होगा। इसीलिए मैं इस अध्यादेश का समर्थन करता हूं।

राधाकृष्णन जी ने एक प्रश्न उठाया है कि आप इसे पहले क्यों नहीं लाए क्योंकि यह एक अतिमहत्वपूर्ण मामला है, जो पहले लाया जाना चाहिए था। सभापति महोदय, अपनी बात समाप्त करने से पहले आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं में 31 दिसंबर, 1999 तक वास्तव में कितनी धनराशि जमा थी...*(व्यवधान)*

**श्री प्रकाश परांजपे (ठाणे) :** उन्हें नाम सहित ब्यौरा देना चाहिए।

**श्री प्रियरंजन दासमुंशी :** मैं नाम दे सकता हूं। ये हैं, रिलायंस-समूह, किर्लोस्कर, बिरला, गोयंका, राहुल बजाज, टाटा-समूह, मोदी-समूह इत्यादि। पी०एल०आई० और सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए उनका कुल संचित ऋण कितना था। मैं यह भी जानना चाहूंगा कि क्या बैंकिंग उद्योग उन्हें याद दिलाता है, यदि हां, तो कितने मामलों में अनुस्माकर भेजा गया है और उनका क्या जवाब रहा? संपूर्ण राष्ट्र यह जानना चाहेगा। हम हमेशा उन्हें टी०वी० पर उपदेश देते हुए देखते हैं कि यह करो, वह करो। राष्ट्र को भी जानने दीजिए कि वे किस तरह प्रत्युत्तर देते हैं और सरकारी क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के प्रति वचनबद्धता का कितना सम्मान करते हैं। वित्त मंत्री जी, आप ही उनका पर्दाफाश कर सकते हैं। आप ही उन पर यह नियंत्रण रख सकते हैं और उन्हें संदेश दे सकते हैं।

अंतत:, यदि आप इस पर विचार कर सकते, इस सत्र में न सही, बाद में ही सही, तो यह अच्छा होता। लघु उद्योग मुझसे शिकायत कर रहे हैं कि मध्यम और भारी उद्योगों द्वारा ब्याज अदायगी का समय और अवधि लघु उद्योगों के समान नहीं हो सकती।

यदि मेरे पास कोई लघु उद्योग है, तो जब तक मेरे उत्पाद बाजार में नहीं आ जाते तब तक आप ब्याज वसूल नहीं कर सकते। कम से कम आप मुझ पर इतनी मेहरबानी करें। इस देश के नवयुवकों को लाइसेंस लेने के लिए एक निगम से नागरिक निकाय, और भूस्वामियों के पास चक्कर लगाने पड़ते हैं। तभी वह उत्पादन शुरू करने में समर्थ हो सकेगा। इसमें छह महीने से वर्ष भर का समय लगता है। अतः, आप इनकी तुलना उनके साथ नहीं कर सकते, जिनके पास पहले से ही आधारभूत ढांचा है।

इन शब्दों के साथ, मैं माननीय वित्त मंत्री को संपूर्ण व्यवस्था पर पुनर्विचार करने का अनुरोध करता हूं।

**डा० बी०बी० रमैया** (एलूरू) : सभापति महोदय, ऋण वसूली अधिनियम 27 अगस्त, 1993 को पारित हुआ था। जैसाकि श्री दासमुंशी ने कहा है, बैंकिंग प्रणाली विभिन्न प्रकार से काम कर रही है। यह एक जारी करने वाली प्रक्रिया है और विभिन्न सरकारों ने इसके विभिन्न चरणों पर विचार किया है। उन्होंने यह बात स्पष्ट रूप से रखी है कि बैंकों को संचालित कर रहे निदेशक सरकार की ओर से नियुक्त अधिकारी और लोगों द्वारा नियुक्त अधिकारी बैंकों के कार्यनिष्पादन के लिए समान रूप से जिम्मेदार हैं। जैसाकि उन्होंने कहा है, उच्च न्यायालय ने इसे 1994 में रद्द कर दिया तथा और इसी वजह से वे सर्वोच्च न्यायालय में गए और सर्वोच्च न्यायालय ने समुचित दिशानिर्देश दिए, जिनके अंतर्गत यह वर्तमान विधेयक सभा के अनुमोदन को लाया गया है। इस प्रकार की चूक बैंक में क्यों की जा रही हैं? यदि आप बैंक में जाएं तो कुछ मदों के संबंध में यह कहा जाता है कि इन परिसंपत्तियों से वर्ष-दर-वर्ष कोई लाभ नहीं हो रहा है। यदि आप इन बैंकों के अलाभकारी परिसंपत्तियों के बारे में अधिक जानना चाहते हैं, तो आपको इनकी कार्यप्रणाली पर गहन रूप से विचार करना होगा। कुछ मदों पर वर्ष 1993 से विभिन्न चरणों में काम किया गया है। इसके कुछ कारण जिन पर हमें विचार करना है, वे निष्क्रियता, समय पर धनराशि न मिलना, दक्षता अथवा क्रमी और प्रौद्योगिकी संबंधी परिवर्तन है। हमें सरकारी नीति के ढंग पर भी विचार करना है, जिससे ऐसा हो रहा है। आप यह निश्चित रूप से कह सकते हैं कि सरकार की नीति इन बैंकों द्वारा इस परिसंपत्तियों के माध्यम से लाभ अर्जन न करने के लिए जिम्मेदार हैं। आप जब तक इन चीजों का अध्ययन नहीं करते और यह नहीं देखते कि हम उनमें सुधार कैसे कर सकते हैं, तब तक इसमें कोई मदद नहीं मिलेगी। यह बैंकिंग क्षेत्र और सरकार दोनों की संयुक्त जिम्मेदारी है। रिजर्व बैंक भी अक्सर जांच-पड़ताल करती हैं और यह देखने का प्रयास करता है कि इन बैंकों की अलाभकारी परिसंपतियों को बढ़ने से किस प्रकार रोका जा सकता है। जापान जैसे अन्य देशों में क्या होता है? दीर्घावधिक ऋणों के अंतर्गत बढ़ती हुई अलाभकारी परिसंपत्तियों के कारण जापान सरकार को इसका राष्ट्रीयकरण करना पड़ा। ऐसा क्यों होता है, इसका कारण यह है, जैसाकि मैंने पहले कहा, इन चीजों में काफी उतार-चढ़ाव होता है और बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा अक्सर निर्णय लिए जाते हैं। आज, हमारे पास बी०आई०एफ०आर० है, जो 5 प्रतिशत मामलों पर भी विचार नहीं कर रहा है, जितना कि अपेक्षित है। हमें ऐसी अधिक से अधिक संस्थाओं की आवश्यकता है ताकि उनका मूल्यांकन अक्सर किया जा सके। जिस क्षण कोई यूनिट उत्पादन, बाजार और गुणवत्ता की दृष्टि से कमजोरी का प्रदर्शन करती है, तो इनका वित्त पोषण करने वाले संबंधित अधिकारी अथवा विशेषज्ञों में इसका पता लगाने की सामर्थ्य होनी चाहिए और उन्हें तत्काल दूर किया जाना चाहिए। वे विलय करने पर विचार कर सकते हैं। यह जारी रहने वाली प्रक्रिया है और इसमें सुधार अपेक्षित है। मैं आपको अनेक मामले बता सकता हूं। ये न्यायाधिकरण, जो हम ऋण-वसूली के लिए गठित कर रहे हैं, उनसे कुछ हद तक मदद मिलेगी। रिजर्व बैंक द्वारा अक्सर निरीक्षण करना अतिमहत्वपूर्ण है। जैसाकि श्री दासमुंशी ने कहा है, कार्यनिष्पादन और योग्यता की दृष्टि से निदेशकों में भी सुधार अपेक्षित है। जब तक ऐसा नहीं होता उनके कार्यनिष्पादन में सुधार करना संभव नहीं है।

कृषि और लघु उद्योग क्षेत्र के लिए हमारे कुछ सामाजिक दायित्व हैं। यदि उनको सही ढंग से न संभाला जाए, तो वे रुग्ण हो जाते हैं। मैं ऐसे विभिन्न क्षेत्र जानता हूं, जहां हमारे विशेषज्ञ नहीं हैं। हम कोई भी वित्तीय संस्था, बैंक खोल देते हैं और समुचित विशेषज्ञता, नियंत्रण और प्रौद्योगिकीय मूल्यांकन के बिना उन्हें चलने देते हैं। इसीलिए माननीय वित्त मंत्री ने आज यह उपाय रखा है और हम सभी को इसका अनुमोदन करना है। यदि कहीं न कहीं हम ब्रेक नहीं रखेंगे, तो यह समस्या और जटिल हो जाएगी।

विभिन्न वित्तीय संस्थाओं और बैंकों में जनता का पैसा लगा हुआ है। सरकार ने गारंटी दी है और वह किसी बैंक को बंद नही होने देगी। वित्त मंत्री ने जो यह गारंटी दी है, वह अत्यधिक कीमती है। हमें सावधानीपूर्वक इनका अध्ययन करने और यथाक्रम यह अनुमान लगाने का प्रयास करना है कि बैंकिंग क्षेत्र बेहतर कार्यनिष्पादन करने में समर्थ है। जब तक हम ऐसा नहीं करते, हम वित्तीय सामर्थ्य सृजन उत्पादकता और इस देश की उन्नति को और अधिक लाभकारी बनाने में समर्थ नहीं होंगे। आज हमें सभी स्तरों पर ऐसे प्रयास की आवश्यकता है।

देखिए, सॉफ्टवेयर के मामले में क्या होता है? जब आप सॉफ्टवेयर सेक्टर पर नजर डालते हैं, तो पाते हैं कि परिसंपत्तियों और देनदारियों में कोई साम्य नहीं है। हमारे पास बहुत अधिक परिसंपत्तियां नहीं हैं। इसलिए बैंकों को अपना संपूर्ण पैटर्न बदलना पड़ा। यह निर्भर करता है कि जरूरतें किस प्रकार की हैं, प्रतिबंध किस प्रकार के हैं और यह किस प्रकार की प्रगति कर रहा है। चूंकि उन्होंने अग्रिमों सहित परिसंपत्तियों और देनदारियों में परिवर्तन किए हैं, इसलिए वे अपनी प्रगति कर पाने में सफल रहे हैं। जो प्रगति उन्होंने की है, वह उल्लेखनीय है। वे अपने लोगों की प्रतिभा का सदुपयोग कर पाने में सफल रहे हैं। विश्व में सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, भारत शीघ्र ही प्रभावी स्थिति में होगा। अगले पांच से दस साल में भारत विश्व में सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी के 50 प्रतिशत से अधिक भाग पर नियंत्रण करने में सफल हो जाएगा। हमारे पास प्रतिभा है। हमें उन क्षेत्रों को सुदृढ़ करना चाहिए जिनमें हमारे पास अच्छी योग्यताएं हैं और हम लाभ की स्थिति में हैं। इसलिए, हमें उन क्षेत्रों की पहचान करनी चाहिए जहां हमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। हमें बैंकिंग क्षेत्र को और अधिक परिसंपत्तियां देकर उसे और सुदृढ़ करना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय वित्त मंत्री इसकी गारंटी है और भारतीय रिजर्व बैंक को अच्छा प्रदर्शन करना है। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि इस क्षेत्र में प्रगति हो।

मुझे अत्यंत हर्ष है कि यह विधेयक सभा के समक्ष आ गया है और हम गुणवत्ता प्रतिबंध में भी कामयाब होंगे और एन०पी०ए० में भी, जहां तक संभव है, कमी लाने में कामयाब होंगे।

**श्री मोइनुल हसन** (मुर्शिदाबाद) : सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि सभा के समक्ष प्रस्तुत बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को देय ऋण की वसूली (संशोधन) विधेयक, 2000 एक महत्वपूर्ण विधान है। पूर्व में, वर्ष 1993 के अधिनियम जो संसद द्वारा पारित किया गया था में, और बाद में बनाए गए नियमों में अनेक खामियां थीं। मैंने इस बार उद्देश्यों और कारणों के कथन में देखा है कि उन विसंगतियों को दूर करने और वसूली अधिकरण को सुदृढ़ करने के लिए यह नया विधेयक लाया गया है। मैं समझता हूं कि मेरे विद्वान मित्र श्री प्रियरंजन दासमुंशी द्वारा उल्लेख किए गए कारणों को देखते हुए यह विधेयक भी अपर्याप्त है।

मैं इस विधेयक के प्रावधानों पर बाद में चर्चा करूंगा। उससे पूर्व, मैं आपके माध्यम से इस सभा के समक्ष हमारे देश पर इस समय ऋण की पूरी स्थिति को रखना चाहूंगा।

**सायं 7.00 बजे**

शायद, आपको ज्ञात है कि भारतीय जिर्व बैंक की रिपोर्ट के अनुरूप, वर्ष 1998-99 में निजी क्षेत्र के बैंकों की कुल अलाभकारी परिसंपत्तियां करीब 51,000 करोड़ थीं। यदि हम इस ऋण का वर्गीकरण करें तो हम पाते हैं कि इस ऋण का 43 प्रतिशत भाग प्राथमिकता वाले क्षेत्र में जा रहा है, 53 प्रतिशत गैर-प्राथमिकता वाले क्षेत्र में जा रहा है और मात्र 4 प्रतिशत सरकारी क्षेत्र में लगाया जा रहा है। जब 53 प्रतिशत गैर-प्राथमिकता वाले क्षेत्र में जा रहा है, तो इसका क्या अर्थ है। यह अधिकतर निगमित क्षेत्र है। जहां तक प्राथमिकता वाले क्षेत्र का संबंध है, तो इसे बार-बार परिवर्तित किया जाता है। आज, ग्रामीण क्षेत्रों में, आधारभूत ढांचे का विकास और निर्यातोन्मुखी कृषि प्राथमिकता वाले क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इस प्रकार, ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े किसान और कुलक (बड़े जमींदार) निजी क्षेत्र के बैंकों से सबसे अधिक उधार लेने वाले हैं। इन बैंकों में बकाया इतना अधिक क्यों है। यह दो कारणों से है। एक कारण का उल्लेख अंशत: मेरे मित्र श्री दासमुंशी ने किया है। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के बड़े अधिकारियों और बड़ी मात्रा में उधार लेने वालों के बीच सांठगांठ है। दूसरे, देश की कानूनी प्रणाली बड़ी मात्रा में रकम लेने वालों के पक्ष में रही है जिसका बेईमान चूककर्ताओं द्वारा पूरी तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है।

इस परिप्रेक्ष्य में, मैं एक बार फिर डी०आर०टी० पर चर्चा करना चाहूंगा, क्योंकि यह वसूली के लिए एक अतिमहत्वपूर्ण न्यायाधिकरण है। वर्ष 2000-2001 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुरूप, जिसे सभा के समक्ष भी रखा गया है, 31 मार्च, 1999 की अवधि तक डी०आर०टी० को स्थानांतरित किए गए कुल मामलों की संख्या 21,781 है और इनमें 17,921 करोड़ रुपयों की धनराशि संलिप्त है। अभी तक आज 3774 मामलों में निर्णय दिया गया है, जो मात्र 17.3 प्रतिशत है और कुल बकाया के मात्र 10 प्रतिशत ऋण की वसूली की गई है। 1993 के अधिनियम के बाद देश में कितनी निराशाजनक तस्वीर दिखाई पड़ती है। मेरा दृढ़तापूर्वक मानना है कि ऋण वसूली अधिकरण अर्थहीन है। यह महज दिखावे की वस्तु है। डी०आर०टी० बड़े कर्जदारों को बचाने के लिए है। अब हम वसूली पर चर्चा कर रहे हैं।

श्री दासमुंशी ने एक बात और बताई है कि हमारे बैंकिंग क्षेत्र को किसने अस्थिर किया? श्री राधकृष्णन ने इस सांविधिक पुस्तक को पेश करते हुए भी यह मसला उठाया था। अब धन की वसूली कैसे की जाए? बड़े उद्योगपति और व्यापारी इसमें इस प्रकार संलिप्त हैं कि यदि कोई प्रतिबद्धता नहीं होगी तो राष्ट्र की दौलत की वसूली करना बड़ा दुष्कर कार्य होगा। मेरा मानना है कि हमने बिना किसी प्रतिबद्धता के कानून बनाए हैं। मेरा यह दृढ़तापूर्वक मानना है कि बड़े व्यापारिक घरानों से सरकारी धन की वसूली के लिए कोई प्रतिबद्धता नहीं थी।

महोदय, मेरे पास 204 बड़े घरानों की सूची है जिसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उपलब्ध कराया गया है। मेरे पास एक बड़ा पेपर भी है जिसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उपलब्ध कराई गई सी०डी० से लिया गया है। महोदय, मैंने इस जानकारी का स्रोत आपको बता दिया है। इसलिए, आप मुझे दो-तीन कंपनियों के नामों का उल्लेख करने की अनुमति दें। इंडियन स्टीमशिप कंपनी पर भारतीय स्टेट बैंक का 51.71 करोड़ रुपया बकाया है।

इसके मुख्य निदेशक कौन हैं? श्री के०के०बिड़ला। मैसर्स मैंगलोर फर्टीलाइजरस् एंड केमीकल्स लि० पर अनेक बैंकों और वित्तीय संस्थाओं का लगभग 300 करोड़ रुपए की धनराशि बकाया है और इस कंपनी के मुख्य निदेशक कौन हैं? श्री विजय भास्कर। मैसर्स जे०के० सिंथेटिक्स लि० पर भारतीय स्टेट बैंक और आई०एफ०सी०आई० की करीब 250 करोड़ रुपए की धनराशि बकाया है और इसके मुख्य निदेशक कौन हैं? श्री सिंघानिया। मैसर्स बी०एस०टी० मैन्यूफक्चिरिंग पर पंजाब नेशनल बैंक का 74.61 करोड़ रुपया बकाया है। ये बड़े औद्योगिक घराने हैं। अनेक नाम हैं। ये लोग देश की दौलत, गरीबों के धन, लघु जमाकर्ताओं जिन्होंने निजी क्षेत्र के बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं में अपना धन जमा किया है, को लूट रहे हैं।

मैं इस सम्मानीय सभा के समक्ष 12वीं लोक सभा की प्राक्कथन समिति (1998-1999) की रिपोर्ट से दो-तीन वाक्य उद्धृत करना चाहूंगा। इस समिति के अध्यक्ष हमारे मित्र श्री मधुकर सरपोतदार थे। मैं उद्धृत करता हूं :

> "समिति, अनेक बैंकों जैसे बैंक ऑफ महाराष्ट्र, विजया बैंक पर इंडियन बैंक के मुख्य कार्यकारियों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया और प्रणाली का उल्लंघन कर अग्रिमों की मंजूरी देने में उनकी संदिग्ध भूमिका को देखकर दुखी है क्योंकि वही राशि के ये अग्रिम ही अशोध्य ऋणों में बदल गया है। समिति की राय में ऐसा बैंक की धनराशि को गलत ढंग से बांटने में भ्रष्टाचार और सांठगांठ के चलते ही हो सकता है। समिति ने यह भी इच्छा व्यक्त की कि इंडियन बैंक के पूर्व अध्यक्ष प्रबंध निदेशक और अन्य उच्च अधिकारियों के विरुद्ध मामलों को पूर्ण प्रभावी तरीके से अनुसरण किया जाए ताकि उन्हें सजा मिल सके।"

इस प्रकार, जनता का पैसा हमारी राष्ट्रीय संस्थाओं यानि सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं से गलत ढंग से निकाला जाता है।

मैं यहां बकाया ऋण के संबंध में एक और तथ्य का उल्लेख करना चाहूंगा। वर्ष 1998 में, 31 मार्च की तिथि के अनुसार, राष्ट्रीयकृत बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा 45,653 करोड़ रुपए के ऋण की वसूली नहीं हुई थी। एक वर्ष पश्चात्, यह धनराशि बढ़कर 51,710 करोड़ रुपए हो गई थी। यदि हम गैर-सरकारी वित्तीय संस्थाओं को

भी सम्मिलित करें, तो यह धनराशि 58,554 बैठती है। मैं नहीं जानता हूं कि कौन यह जानकर खुश होगा कि 58,554 करोड़ रुपए की धनराशि में से 30,000 करोड़ की धनराशि बड़े औद्योगिक घरानों के हाथ में है और इस 30,000 करोड़ की धनराशि में से 25,000 करोड़ की धनराशि सी०आई०आई० के सदस्यों के पास है। सी०आई०आई० के सदस्य देश के स्वयंभू संरक्षक हैं। वे लोग सरकारी क्षेत्र के बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं से राष्ट्रीय धन की लूट कर रहे हैं। वे अब सरकार को इन तीन बैंकों को बंद करने की सिफारिशें कर रहे हैं क्योंकि उनमें वे मुख्य चूककर्ता हैं।

मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय से इस संबंध में कुछ कहने का अनुरोध करूंगा। जहां तक इस विधेयक का संबंध है, तो मैं कहूंगा कि हम चाहते क्या हैं। हम चाहते हैं कि वसूली के कड़े नियम बनाए जाएं, और उन लोगों को कड़ी सजा दी जाए जिन्होंने आम आदमी की जमा धनराशि को लूटा है। इसमें कोई विसंगति नहीं आने दी जानी चाहिए।

मैं इस अनुरोध के साथ अपना भाषण समाप्त करना चाहूंगा कि इस प्रस्तावित विधेयक में मेरे निम्नलिखित वाक्य को उचित स्थान पर जोड़ दिया जाए। मैं इस मौखिक संशोधन को पेश करना चाहता हूं:

> "यदि किसी कंपनी समूह का कोई सदस्य/इसकी इकाई बैंक/वित्तीय संस्था को भुगतान करने में चूक करते हैं तो समूचे समूह को आगे से बैंक ऋण देने पर रोक लगाई जानी चाहिए।"

इस वाक्य को इस विधेयक में सम्मिलित किया जाना चाहिए। पुनश्च, मैं वित्त मंत्री से अनुरोध करूंगा कि उन्हें हमारे देश के धन को बचाने के लिए कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और इस महत्वपूर्ण कानून के माध्यम से राष्ट्र-निर्माण के लिए आगे कार्रवाई करनी चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

*[हिन्दी]*

**श्री किरीट सोमैया** (मुंबई उत्तर पूर्व) : महोदय, यहां पर जो बिल लाया गया है उसका मैं समर्थन करता हूं। बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को देय ऋण वसूली अधिनियम, 1993 इंट्रोड्यूस किया गया था और कहा गया था कि बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को ऋण वसूली में तेजी लाने और उससे जुड़े मामलों के लिए है। वास्तव में आज जो सुप्रीम कोर्ट के कारण जो बिल आया है और जो टोटल व्यवस्था कायम की गई है, निर्मित की गई है उसके ऊपर चर्चा करने का मौका मिला है। सम्माननीय सदस्य प्रियरंजन दासमुंशी जी ने जब इस विषय पर बहुत अच्छे शब्दों में सिस्टम का वर्णन किया। उनकी भावनाओं का मैं पूर्ण समर्थन करता हूं। मेरे सम्माननीय सदस्य ने इसके संबंध में कुछ आंकड़े सामने रखे हैं। रिजर्व बैंक के कोर ग्रुप ने एक स्टडी की थी और उन्होंने यह डैब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल का जो फंक्शन है, उसके बारे में एक पेपर इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने जिन 15 बैंकों की स्टडी की उससे पता चला कि एक करोड़ रुपए से ज्यादा जिन्होंने बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का कर्जा लिया है और वापस नहीं दिया है, ऐसे कुल मिलाकर 1993 से लेकर 2000 तक सिर्फ एक ही कंपनी के ऊपर जो अनेक केसेज हुए, उनमें एक ही कंपनी में निर्णय आया है। वास्तव में मुझे समझ में नहीं आता है कि यह कायदा 1993 में बनाया क्यों गया था? कानून इसलिए बनाया गया था कि सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट में जाना पड़ता है, अनेक प्रकार की बैंचेज के सामने जाना पड़ता है, उसके कारण रिकवरी में बहुत देरी हो रही थी, उसको दूर करने के लिए यह नयी व्यवस्था तैयार की गयी। लेकिन इस नयी व्यवस्था का क्या रूप आया है, मैं माननीय वित्त मंत्री जी से कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कारण आप एक टैम्प्रेरी मेजर ला रहे हैं। माननीय वित्त मंत्री जी अनेक प्रकार के नये-नये प्रयोग कर रहे हैं, उनसे मैं प्रार्थना करना चाहूंगा कि इस संबंध में उन्हें सोचना चाहिए। हाउस में इस संबंध में अधिक व्यवस्थित ढंग से चर्चा करने की आवश्यकता है। हमने नयी व्यवस्था का निर्माण किया, लेकिन किसके लिए किया—कुछेक अधिकारियों और सेवानिवृत्त अधिकारियों को समाहित करने के लिए अगर सात साल में यह नयी व्यवस्था एक भी केस का फैसला नहीं कर पाती है तो उस व्यवस्था की आवश्यकता क्या है? उसके बारे में भी यहां पर सोचने की आवश्यकता है। माननीय सदस्य ने अभी बताया और कहा कि 13 जून 1997 में 11,400 केसेज ट्रिब्यूनल के पास थे। 8,886 करोड़ रुपए की धनराशि संलिप्त थी। कुल 11,700 मामलों में से मात्र 1045 मामलों में निर्णय लिया गया था और 178 करोड़ रुपए की धनराशि वसूली गई थी। यह हमने व्यवस्था बनाई है। उसमें भी एक करोड़ से ज्यादा जिनके पास ड्यू था, ऐसा एक ही केस था। मेरी इन्फोर्मेशन थोड़ा आगे-पीछे हो सकती है, तो एक के बदले में 11 हो गई। क्या माननीय मंत्री महोदय इसमें अमेंडमेंट अभी नहीं तो क्या बाद में लाएंगे? जो मेजर एमाउंट बिग इंडस्ट्री या इंडस्ट्रियल सेक्टर में रहा वह लगभग 29 हजार करोड़ रुपए था जिसमें कुल अलाभकारी परिसंपत्तियां 51,000 करोड़ रुपए थी। जब इस प्रकार से सेक्टर में दिया गया उनके पास से फास्ट रिकवरी हो।

इसके थाउजन्ड ऑफ केसेज एक लाख दो लाख पांच लाख, दस लाख हुए, जैसा प्रियरंजन जी ने कहा कि रिक्शा वालों, स्माल स्केल इंडस्ट्री वालों को भी बाजू में रखो, हमें बड़े उद्योगपतियों, बड़े उद्योगों और बड़े चूककर्ताओं पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए। क्या मंत्री महोदय ऐसा बिल लाएंगे? इसमें 10 लाख से ऊपर वालों के लिए प्रावधान है। हमें एक करोड़ और इससे ऊपर ध्यान देना चाहिए। एक करोड़ से ऊपर जिनके ओवरड्यूज हैं, डाउटफुल डैटस है, बैंक डैट्स है, उनके ऊपर यह ट्रिब्यूनल कॉन्सेन्ट्रेट करेगा। मैं ऐसा ऑफिशियल अमेंडमेंट ला नहीं सकता लेकिन माननीय मंत्री महोदय सरकार की तरफ से जरूर ला सकते हैं और यह लाने की आवश्यकता है क्योंकि 10 लाख, 8 लाख, 2 लाख, 15 लाख, 14 लाख के ऊपर के केसेज में आप कॉन्ट्राडिक्ट करके थाउजन्ड ऑफ केसेज निर्माण करते हैं। आप इसका एक टाइम टेबल फिक्स कीजिए। एक करोड़ रुपए से ऊपर वालों का एक टाइम टेबल होना चाहिए और केसेज का फैसला होना चाहिए। जांच क्यों नहीं की जानी चाहिए थी, जवाबदेही क्यों नहीं तय की जानी चाहिए। क्या एकाउंटेबिल्टी दूसरों के लिए ही है, ट्रिब्यूनल के लिए नहीं है। ट्रिब्यूनल की रचना इसलिए की गई ताकि जल्दी से रिकवरी हो। हमारे यहां जैसी परिस्थिति निर्माण हुई, क्या आप इस प्रकार का अमेंडमेंट ला सकते हैं? 31 मार्च 1997 में एन०पी०ए० 43 थाउजन्ड करोड़ था, 1998 में 40 थाउजन्ड करोड़ हो गया और 1999 में 51 थाउजन्ड 790 करोड़ हुआ। उसमें बिग इंडस्ट्री के 29 थाउजन्ड 193 करोड़ हुए।

रिजर्व बैंक से बातचीत हुई उनको कुछ लोगों ने कहा कि जो बड़े-बड़े डिफाल्टर्स हैं, उनके नाम पब्लिश क्यों नहीं किए जाते? उन्होंने

[श्री किरीट सोमैया]

कहा, "अधिनियम में गोपनीयता का प्रावधान है।" सिक्रेसी की बात किसलिए की जाती है? ए०बी०सी०एल० कंपनी लोन ले लेकिन डिफाल्टर हो लेकिन फिर भी, यह एक स्टार कंपनी है। बड़े-बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेज और कंपनियां डिफाल्टर हो जाते हैं लेकिन उनकी सिस्टर कंपनियों को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बैंक कैसे लोन देते हैं? क्या हम एक संशोधन पेश कर सकते हैं? अगर कोई इस प्रकार से डिफाल्टर हों तो कोई उसकी सिस्टर कनसर्न में डायरेक्टर न बन सकें और न ही उनकी फैमिली का कोई मैंबर डायरेक्टर बन सके। ऐसी कंपनियों को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक जब्त कर सकता है। क्या हम इस प्रकार के रेडिकल चेंजेस लाए जा सकते हैं? मामूली अमेंडमेंट हम पास कर देंगे। 2-4 साल के बाद कोई फिर कहेगा तो फिर एक बार मंत्री या सरकार आएगी। इसमें बी०जे०पी० या कांग्रेस का कोई सवाल नहीं है। यह चीज दस साल से चल रही है और एन०पी०ए० बढ़ता जा रहा है। अब, हम उदारीकरण और निजीकरण की प्रक्रिया में शामिल हो चुके हैं। क्या परिस्थिति बन रही है? नए-नए प्राइवेट और फॉरेन बैंक आ रहे हैं। वे अच्छा क्रिमी बिजनेस लेकर जा रहे हैं। घाटा नेशनलाइज्ड बैंक के सिर पर पड़ रहा है। इसके कारण लॉसेज बढ़ते जा रहे हैं। मैं इसके लिए एक और अमेंडमेंट का सुझाव देना चाहता हूं। इस प्रकार का अगर कोई डिफॉल्टर हो, उनके डायरेक्टर्स के नाम घोषित करने के साथ क्या क्रिमिनल प्रोसीजर किए जा सकते हैं? इस पर विचार करने की आवश्यकता है। यहां अलग-अलग फीगर्स दिए जाते हैं। मेरे पास स्टैंडर्ड एंड पुअर जो कि बहुत बड़ी रैटिंग एजेंसी है, उसकी रिपोर्ट आई। उन्होंने कहा कि यदि हम गहराई में जाएं, तो कुछ कंपनियों का कुल एन०पी०ए० 70 प्रतिशत से अधिक तक जाता है। जिसका ग्रौस एन०पी०ए० 70 परसेंट होगा, उसका आगे क्या होगा?

सिक्योरिटी स्कैम हुआ। कितने हजार करोड़ रुपए का हुआ पता नहीं है? एन०बी०एफ०सी० स्कैम हुआ। सी०आर० भंसाली पैसा लेकर चला गया। इसके बाद अनेक केस एक के बाद एक चालू हैं। कितने पैसे रिकवर हुए? कैपटिल मार्किट में इतनी मार खाने के बाद फाइनेंशिल इंस्टीट्यूशन और बैंकों ने इतने बड़े पैमाने में शेयर ब्रोकर्स, ऑपरेटर्स और कंपनी प्रमोटर्स को पैसा दिया है। मैं एक छोटा उदाहरण देना चाहूंगा। 6 महीने पहले जिन शेयरों की कीमत 200 रुपए थी, चार महीने में उनका रिगिंग करके 1200 रुपए किया गया। बैंक 1200 रुपए के शेयर प्राइस के सामने 80-90 परसेंट लोन दे रहा है। इसका क्या होगा?

मेरे पास डिपाजिटरी एजेंसी के आंकड़े हैं जो उसने निकाले हैं कि जून, 1999 में जब सिक्यूरिटीज प्लेज किए गए थे, जिस पर 3 हजार करोड़ का लोन दिया गया था, 28 फरवरी में डिपौजिटरी के सामने जो लोन अमाउंट प्लेज किया गया, वह 3 हजार करोड़ से बढ़कर 15 हजार करोड़ हो गया। नये-नये पब्लिक ईश्यूज पर 90 परसेंट लोन दिया जा रहा है और बाद में ऐसा होगा कि वह कंपनी बैठ जाएगी और फिर वही हर्षद मेहता, सी०आर० भंसाली और फिर नये स्कैम होंगे। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि जब ऐसे विषय पर विचार करते हैं तो पूरी तरह से विचार करने की आवश्यकता है। अभी मैंने इसमें राष्ट्रीयकृत बैंकों के म्युचुअल फंड का पैसा नहीं जोड़ा है। अगर वह पैसा जोड़ा जाए तो केनरा बैंक, एल०आई०सी० और इंडियन बैंक में 16 हजार करोड़ रुपया म्युचुअल फंड में लॉसेस किए हुए हैं। इसलिए मैं इतना ही प्रार्थना करूंगा कि जो आपने यह विषय लिया है, उस पर विचार-मंथन करके एम०पी०ए० के बारे में व्यवस्थित ढंग से सोचा जाए। इसी प्रार्थना के साथ मैं इस बिल का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

*[अनुवाद]*

**श्री पी०एच० पांडियन (तिरुनेलवेली)** : सभापति महोदय, इस विधान के द्वारा मैं बैंकों को देय ऋणों की वसूली के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। बड़े ऋणी फायदे की स्थिति में रहेंगे। अब तक ऋण वसूली न्यायालय (डीआरटी) ऋणियों की सम्पत्ति सीधे ही जब्त करता है। जब तक विधान नहीं बनता, वे सम्पत्ति को जब्त, सम्पत्ति की कुर्की कर लेते हैं और बड़े ऋणियों को उन द्वारा अब तक लिए हुए ऋण के पुनर्भुगतान का समय देते हैं। लेकिन कल से इसके पारित होने के बाद वे वर्षों तक कार्यवाही को लटकाते रहेंगे। बड़े ऋणी, जो समाज में एक परजीवी, जोंक और अष्टपाद के समान हैं, वे इस कानून का लाभ उठाएंगे और ऋण वापिस नहीं लौटाएंगे। अब वह दिन भी आएगा।

मैं, वास्तव में कुछ बैंकों के मामले ऋण वसूली प्राधिकरण में देख रहा था। मैं एक मुकदमे के बारे में बताऊंगा जब मैं इंडियन बैंक की ओर से पेश हुआ। एक व्यवसायी ने इंडियन बैंक से 230 करोड़ रुपये का ऋण लिया और आज तक उसने एक पैसा भी वापिस नहीं लौटाया। यह मुकदमा ऋण वसूली प्राधिकरण में लम्बित है। दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले का लाभ उठाते हुए उसने मद्रास उच्च न्यायालय से यह कहते हुए स्थगन आदेश ले लिया कि पीठासीन अधिकारी समुचित रूप से योग्य नहीं था।

वास्तव में पहले इसे मेरा एक मित्र देख रहा था। बैंक के अध्यक्ष ने मुझे न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को चुनाव से पहले सम्पर्क करने के लिए कहा। मैं बैंक की ओर से उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सम्मुख प्रस्तुत हुआ। मैंने उनसे कहा कि उन्हें वेतन मिल रहा है और मुझे थोड़ा-सा शुल्क। उन्हें कड़ा होकर निर्णय देना चाहिए चूंकि मैं आक्रामक रूप से मुकदमा लड़ रहा था। यहां एक ऐसा व्यक्ति है जिसने 230 करोड़ रुपये का ऋण लिया है और अभी उसे मूल अथवा ब्याज की एक-एक पाई चुकानी है।

मैंने इसे एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है और फिर, औद्योगिक घराने होते हैं। ऋण लेते समय भी उनकी मंशा ठगने की होती है ना कि उसे वापिस करने की। मेरे मित्र, श्री दासमुंशी ने बड़े ऋणियों तथा कर्जा लेने वालों का उल्लेख किया। वे कर्जा लेने वाले नहीं हैं। वे बड़े ऋणी नहीं हैं। वे ठग हैं। वे अपराधी हैं। यदि उनकी मंशा ऋण चुकाने की होती तो वे ऋणी होते। यदि पैसा वापिस करने की उनकी नीयत साफ होती, यदि ऋण लेते समय उनके पास कोई स्रोत होता, तब वे कर्जदार होते। उन्हें कर्जदार अथवा ऋणी नहीं कहा जा सकता। वे अपराधी हैं। तभी मैंने कहा कि वे जोंक हैं, घुन के समान हैं और जनता को चूसने वाले हैं। अत: विधान का यह अंग उच्चतम न्यायालय के निदेश पर आधारित है ना कि निर्णय पर। यह सरकार द्वारा उच्चतम न्यायालय के निदेश के प्रति की गई वचनबद्धता पर आधारित है।

मैंने सीवीसी के समान बहुत से विधान बड़े गौर से पढ़े हैं और विधान के इस अंग को भी पढ़ा है। मैं कहना चाहूंगा कि यदि संसद हमेशा उच्चतम न्यायालय की आज्ञानुसार चलती रही तो इसका अर्थ हुआ कि आप अपने विवेक से नहीं चल रहे हैं। संसद की इच्छा कहां गई? संसद का विवेक कहां है? यदि संसद का विवेक है, तो वह बड़े कर्जदारों से पैसा वापिस लेने का होना चाहिए। इन सभी मामलों पर आप अपने आपको उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के समक्ष क्यों झुकाते हैं? यह वैधानिक अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत है। उच्चतम न्यायालय के कई निर्णय हैं जहां उन्होंने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय संसद को यह आज्ञा नहीं दे सकते कि वे कैसे कानून बनाएं। लेकिन आपका विधि विभाग उन निर्णयों को गौर से नहीं पढ़ता चूंकि शायद वे सर्वोच्च न्यायालय से डरते हों अथवा वे भविष्य में कोई और रोजगार का विकल्प ढूंढ रहे हों। इन मामलों में दुविधा बनी रहती है। हमारे पास विधानमंडल है, कार्यपालिका है और न्यायपालिका है। वे अलग हैं। लेकिन दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण विधेयक में आपने कहा है और विधेयक के अनुसार केवल एक न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है। क्या अन्य किसी कानून में कहीं भी कोई मंत्री अथवा कोई सांसद होता है? किसी को भी किसी मंच पर स्वीकार नहीं किया जाता। अत: यह ऐसे ही है। वहां आप सर्वोच्च न्यायालय के किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश अथवा उच्च न्यायालय के किसी मुख्य न्यायाधीश को फिर से नियुक्त करना चाहते थे। यहां, अब तक, ऋण वसूली प्राधिकरण भलीभांति काम कर रहा था। कल से, यह काम नहीं कर सकता। उद्देश्य और अनुच्छेद 4 के खंड 1 समंजन और प्रतिदावों के कारण उसे काम नहीं करने दिया जाएगा। आज तक कोई समंजन याचिका नहीं है। आज तक कोई भी प्रति दावा नहीं है। श्री बालू यह जानते हैं। आज तक हम प्रति दावे नहीं कर सकते। कर्जदार को स्वयं की ऋण वसूली प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। उसे सभी दस्तावेज प्रस्तुत करने होते हैं। उसे अपनी सम्पत्ति देनी होती है। वह चुनौती नहीं दे सकता। आज से वे चुनौती देंगे। वे प्रति दावों के लिए चार सप्ताह की मांग करेंगे। फिर वे पुन: चार सप्ताह का समय मागेंगे, फिर और तथा एक वर्ष बाद, यह कहा जाएगा, 'अंतत:', और फिर यह मामला लिया जाएगा। हालांकि यह विधान वैधिक और संवैधानिक रूप से सही है, यह सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर किया गया है। मैं कहना चाहूंगा कि संसद की प्रभुता गिरवी रखी गई है। संसद के प्रभुत्व की उपेक्षा की गई है। संसद की प्रभुसत्ता छोड़ दी गई है। यदि आपने सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय का ही अनुसरण करना है तो संसद की क्या आवश्यकता है? वह विधान बना सकते हैं। वे हमारे परामर्शदाता नहीं हैं। वे निर्णय दे सकते हैं। वे कहेंगे कि यह असंवैधानिक है। और यही सब कुछ है। यदि हम इसे नहीं मानते, तो वे हमें अवमानना के लिए घसीट कर नहीं ले जा सकते। यह आदेश नहीं है। पिछले सप्ताह सर्वोच्च न्यायालय की न्यायपीठ ने कहा है कि बड़े ऋणियों, जो अपराधी हैं उनका नाम उजागर करने में सरकार उनकी सहायता नहीं कर रही है। वह ऋण लेने वाले नहीं हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने खुली सुनवाई में कहा है कि सरकार उनकी मदद नहीं कर रही है। हम राष्ट्रीकृत बैंकों के बड़े कर्जदारों के नाम बताने में समर्थ नहीं हैं। मैं वित्त मंत्री से बड़े कर्जदारों के नाम इस सभा में बताने की अपील करता हूं।

जैसा कि श्री दासमुंशी ने कहा, उन लोगों के नाम लोगों को पता चलें। वे बेन्ज गाड़ी में जाते हैं, बड़े-बड़े घरों में रहते हैं और टेलीविजन पर बातें करते हैं...*(व्यवधान)*

**डा० गीतिका सेनगुप्ता (कोन्टाई) :** यह सभी चीजें किसी भी व्यक्ति के पास नहीं हैं...*(व्यवधान)*

**श्री पी०एच० पांडियन :** वे बड़े लोगों की तरह रहते हैं। उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही करनी चाहिए। ऐसे मामलों में 'नासा' लगानी चाहिए। ऐसे मामलों में 'टाडा' लगानी चाहिए। उन्हें 'टाडा' के अन्तर्गत हिरासत में लेना चाहिए। वे आर्थिक अपराधी हैं।

**श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) :** वे आर्थिक आतंकवादी हैं ...*(व्यवधान)*

**श्री पी०एच० पांडियन :** वे आर्थिक आतंकवादी हैं। वे ठग हैं। वे सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था को खराब कर रहे हैं। ऋण के कुछ मामलों में वे उम्मीदवारों का चयन कर लेते हैं। वस्तुत: मैं चाहता हूं कि उन लोगों को खुलेआम फांसी पर लटका देना चाहिए।

जैसा कि श्री दासमुंशी ने कहा, हम सांसद दूसरी परिस्थिति में हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी का कोई सदस्य, जो कर्ज में डूबा हुआ हो, वह उसके चुनाव में खड़ा नहीं हो सकता। लेकिन अन्य किसी भी संवैधानिक कार्यालय के लिए ऐसी कोई रोक नहीं है। सभी सांवैधानिक कर्मचारियों, चाहे वह उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो अथवा उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश अथवा कोई केन्द्रीय मंत्री हो यह घोषित करे कि वह राष्ट्रीयकृत बैंक से लिए हुए किसी भी कर्ज में नहीं डूबा। यदि उसे राष्ट्रीयकृत बैंकों का कर्ज लौटाना है और वह ऊंचे सांवैधानिक पद पर आसीन है, तो यह गलत है। मैं एक न्यायाधीश को जानता हूं जिसने एक राष्ट्रीयकृत बैंक से बहुत सारा ऋण लिया और वापिस नहीं किया।

मैं आपके मंत्रिमंडल के दो ऐसे मंत्रियों को जानता हूं जिन्हें कर्ज लौटाना है। उन्होंने स्वीकार भी किया है। आप जैन टी.वी. के बारे में बात कर रहे थे...*(व्यवधान)* मैं ऐसे टी.वी. चैनल के बारे में जानता हूं। सात वर्ष पहले उनकी सामान्य शेयर पूंजी क्या थी? सन टी.वी. को कर्ज लौटाना है।...*(अध्यपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया)*। *(व्यवधान)* उन्हें कर्ज लौटाना है...*(व्यवधान)*

**श्री एस०एस० पलानीमनिक्कम (तंजावूर) :** यह मुख्य भाषण से संबद्ध नहीं है...*(व्यवधान)*

**श्री पी०एच० पांडियन :** यह मेरे दादा का पैसा नहीं है। यदि आपको चाहिए, आप ले लें...*(व्यवधान)* यह मेरे दादा का पैसा नहीं है...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय :** कृपया बैठ जाइए। मैं केवल एक व्यक्ति को अनुमति दे रहा हूं। कृपया बैठ जाएं, आपका नेता बोल रहा है।

*(व्यवधान)*

**श्री पी०एच० पांडियन :** अब उन्होंने स्वीकार कर लिया है। ...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय :** श्री पांडियन कृपया बैठ जाएं। मैं आपको बाद में अनुमति दूंगा।

**श्री पी०एच० पांडियन :** क्या यह क और ख है...*(व्यवधान)*

**श्री एस०एस० पलानीमनिक्कम :** वे ऐसे व्यक्ति का उल्लेख कर रहे हैं जो सभा में मौजूद नहीं है...*(व्यवधान)* वे सक्षम हैं... *(व्यवधान)*

**सभापति महोदय :** मैं इसे कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दूंगा।

**श्री पी०एच० पांडियन :** इस मामले में, हम 60 करोड़ लोगों के बारे में नहीं तो 544 सदस्यों के बारे में बात कर सकते हैं। हम 60 करोड़ लोगों के बीच में नहीं लेकिन आपस में तो बात कर सकते हैं। मैं एक उदाहरण प्रतिपादित करना चाहता हूं।

कल मैंने देखा कि एक पूर्व मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद यादव पर 45 लाख रुपये की सम्पत्ति इकट्ठा करने का आरोप लगाया गया था। वे ऋण ले सकते थे और भ्रष्टाचार विरोधी अधिनियम के प्रावधानों की बैसाखियों से बच सकते थे। यह बहुत आसान है। वह ऋण ले सकते थे और कह सकते थे कि यह ऋण था। यदि आप 45 लाख रुपये की संपत्ति इकट्ठा करते हैं तो यह भ्रष्टाचार है अत: मैं इस प्रकार के सभी लोगों क, ख, ग का विश्लेषण करता हूं चाहे वह इस दल का हो या उस दल का? मुझे इससे भी फर्क नहीं पड़ता चाहे वह कोई भी सदस्य हो या मंत्री हो लेकिन यदि वे संसद में बने रहना चाहते हैं तो उन पर बकाया कर्ज नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान में केवल उन सदस्यों को गिरफ्तार किया गया था जिन पर बकाया था। उनकी सम्पत्तियां उसी दिन कुर्क कर ली गई थी। जैसे कि ऋण वसूली प्राधिकरण कल तक कर रहा था। कल से, मंत्री महोदय, जब यह विधेयक अधिनियम बन जाएगा तो इस निर्धन समाज को लूट कर खा रही उन जोंकों, परजीवियों और अष्टभुजों को बहुत फायदा होगा।

आप रिक्शावालों की बात करते हैं। रिक्शावाला ईमानदारी से भुगतान करता है। वह पुन: भुगतान भी करता है। एक आदमी जो 1000 रुपये का ऋण लेता है तो वह इसका भुगतान करेगा। यदि ऋण 10,000 रुपये का है तो भी वह भुगतान कर देगा। यदि ऋण एक लाख रुपये का है तो वह भुगतान नहीं करेगा। यदि ऋण की राशि एक करोड़ है तो वह बिलकुल नहीं देगा। मैं अभी तक बैंकों से हजारों-करोड़ों रुपये के मामलों को देख रहा हूं। इसलिए मुझे इसकी जानकारी है। अत: मैं वित्त मंत्री महोदय से माननीय प्रधानमंत्री जी को यह बताने की अपील करता हूं कि यह मामला सार्वजनिक हो गया है। यह अब सभा की सम्पत्ति है।

कृपया उन्हें बताएं कि भविष्य में आपका नाम...*(व्यवधान)* श्री बालू मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, उन्होंने उस दिन स्वीकार किया था ...*(व्यवधान)*

**पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) :** आप आरोप नहीं लगा सकते हैं। *(व्यवधान)*

**सभापति महोदय :** श्री बालू यहां हैं। वे उत्तर दे सकते हैं। आप अनावश्यक रूप से क्यों खड़े हैं?

*(व्यवधान)*

**श्री टी०आर० बालू :** आप मुझ पर आरोप नहीं लगा सकते हैं। आपको इसमें हस्तक्षेप करने का कोई हक नहीं है।...*(व्यवधान)*

**श्री पी०एच० पांडियन :** अब मैं आप पर आरोप लगा रहा हूं।...*(व्यवधान)*•

**सभापति महोदय :** श्री पांडियन, कृपया पीठ को सम्बोधित करें।

*(व्यवधान)*•

**सभापति महोदय :** इसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। कृपया पीठ के साथ सहयोग करें।

*(व्यवधान)*

**श्री पी०एच० पांडियन :** अब, मैं मंत्री जी पर आरोप लगा रहा हूं। वित्त मंत्री को उनसे धन की वसूली करनी चाहिए।... *(व्यवधान)*

**सभापति महोदय :** श्री पांडियन, आपको अपने विषय पर बोलना चाहिए।

*(व्यवधान)*

**श्री पी०एच० पांडियन :** *(व्यवधान)*•

**सायं 7.37 बजे**

*(इस समय, श्री एस०एस० पलानीमनिक्कम और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।)*

**सभापति महोदय :** पहले कृपया अपना-अपना स्थान ग्रहण करें।

*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय :** यह उचित नहीं है।

**सायं 7.37½ बजे**

*(इस समय, श्री एस०एस० पलानीमनिक्कम और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थानों पर वापस चले गए।)*

**सभापति महोदय :** श्री पांडियन, कृपया अपने विषय तक सीमित रहें।

*(व्यवधान)*

**श्री पी०एच० पांडियन :** महोदय, यह तरीका नहीं है। मुझे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 105 के अधीन मुझे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है।...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय :** कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं।

*(व्यवधान)*

**वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) :** महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है...*(व्यवधान)*

•कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

**सभापति महोदय** : माननीय वित्त मंत्री महोदय बोलने के लिए खड़े हैं। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं।

**श्री यशवन्त सिन्हा** : महोदय, सभा के एक माननीय सदस्य द्वारा एक दूसरे माननीय सदस्य के विरुद्ध आरोप लगाने के संबंध में सभा के सुस्थापित नियम हैं।

**श्री पी०एच० पांडियन** : वे सदस्य नहीं हैं, वे एक मंत्री हैं।

**सभापति महोदय** : पहले कृपया उन्हें सुनें।

*(व्यवधान)*

**श्री यशवन्त सिन्हा** : मुझे यह कहने का दुख है। माननीय सदस्य श्री पांडियन पूर्व अध्यक्ष भी हैं। अन्य किसी सदस्य से अधिक वे सभा के नियमों से परिचित हैं। यह बड़े दुख की बात है कि उन्होंने आरोप लगाने के लिए इस मंच को चुना है जो कि अनुचित है। अतएव, मैं सुझाव दूंगा कि इसे सभा की कार्यवाही से पूर्णतया निकाल दिया जाए। मैं नहीं चाहता कि वाद-विवाद का स्तर इतने नीचे तक गिर जाए।...*(व्यवधान)*

**श्री टी०आर० बालू** : महोदय, मुझे उत्तर देने की अनुमति दी जाए...*(व्यवधान)*

**सायं 7.38 बजे**

*(इस समय, श्री पी०एच० पांडियन आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।)*

**सभापति महोदय** : यह उचित नहीं है। कृपया पहले अपने स्थान पर वापस जाएं।

*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय** : यह आरोप लगाने का उचित तरीका नहीं है। यदि आपको कोई आरोप लगाना है तो पहले आप संबंधित मंत्री को सूचना दें।

*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय** : श्री पांडियन, कृपया पहले अपने स्थान पर वापस जाएं।

**सायं 7.38½ बजे**

*(इस समय, श्री पी०एच० पांडियन अपने स्थान पर वापस चले गए।)*

**श्री पी०एच० पांडियन** : महोदय, यह कोई आरोप नहीं है, यह तो तथ्य है...*(व्यवधान)*

**श्री टी०आर० बालू** : मैं उन्हें चुनौती देता हूं, महोदय, इसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित होने दें। *(व्यवधान)*

**सभापति महोदय** : आप चिंतित क्यों हैं? मैं किसी भी चीज के लिए अनुमति नहीं दे रहा हूं। श्री पांडियन यदि आप कोई आरोप लगाना चाहते हैं तो आपको संबंधित सदस्य या मंत्री को समुचित दस्तावेजों के साथ नोटिस देना चाहिए।

*(व्यवधान)*

**श्री टी०आर० बालू** : नहीं, मैं उत्तर दूंगा, महोदय...*(व्यवधान)*

**श्री पी०एच० पांडियन** : महोदय, मैं इस बात का उत्तर दूंगा ...*(व्यवधान)* यह मामला ऋण वसूली न्यायाधिकरण में लम्बित है। यदि इसे सुना जाता है तो उन्हें कल आकर बताना चाहिए...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय** : श्री पांडियन, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

*(व्यवधान)*

**श्री पी०एच० पांडियन** : यह कोई आरोप नहीं है। यह तो एक तथ्य है...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय** : मैं इसे देखूंगा।

*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय** : वो तमिलनाडु विधान सभा के अध्यक्ष थे।

*(व्यवधान)*

**श्री टी०आर० बालू** : महोदय, जो कुछ उन्होंने कहा है मैं उसे चुनौती देता हूं...*(व्यवधान)*

**श्री आदि शंकर** (कुड्डालोर) : महोदय, वे 'कोफेपोसा' में आरोपित व्यक्ति हैं...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय** : आप इतने चिंतित क्यों हैं? मैं किसी चीज के लिए अनुमति नहीं दे रहा हूं।

*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय** : श्री पांडियन, यदि आप कोई आरोप लगा रहे हैं तो आपको संबंधित सदस्य को नोटिस देना चाहिए।

**श्री पी०एच० पांडियन** : हां, महोदय, मैं ऐसा करूंगा... *(व्यवधान)* यदि यह असत्य है तो वे ऐसा सिद्ध करें। यह मामला डी.आर.टी. में लम्बित है...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय** : वे तमिलनाडु विधान सभा के अध्यक्ष थे।

*(व्यवधान)*

**श्री प्रियरंजन दासमुंशी** : सभापति महोदय, आठवीं लोक सभा में एक चयन के दौरान चुनौतियां दी गई थीं और प्रत्युत्तर में चुनौतियां दी गई थीं। *(व्यवधान)*

**श्री पी०एच० पांडियन** : हमें आपस में ही बातें करनी चाहिए। हमें आपस में बाते क्यों नहीं करनी चाहिए?...*(व्यवधान)*

**श्री एस०एस० पलानीमनिक्कम** : महोदय, वे मुख्य विषय पर नही बोल रहे हैं...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय** : श्री पलानीमनिक्कम, कृपया पहले आप अपने स्थान पर जाएं।

*(व्यवधान)*

**श्री पी०एच० पांडियन** : महोदय, माननीय वित्त मंत्री महोदय को इस मामले को देखना चाहिए...*(व्यवधान)**

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**सभापति महोदय** : कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय** : कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं। मैंने श्री दासमुंशी को अनुमति दी थी। मैं सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध कर रहा हूं कि वे अपने-अपने स्थानों पर बैठ जाएं।

*(व्यवधान)*

**श्री प्रियरंजन दासमुंशी** : सभापति महोदय, ...*(व्यवधान)*

**श्री टी०एम० सेल्वागनपति** (सेलम) : आप जस्टिस सरकारिया से पूछें। वे जानते होंगे कि भ्रष्ट कौन है।...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय** : श्री राधाकृष्णन, आप खड़े क्यों हैं? कृपया बैठ जाएं।

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० धनंजय कुमार)** : माननीय सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

**सभापति महोदय** : श्री धनंजय कुमार, मैं आपको बाद में अनुमति दूंगा।

*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय** : श्री पांडियन, कृपया अपनी बात समाप्त करें।

*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय** : श्री पलानीमनिक्कम, कृपया आप अपने स्थान पर वापस जाएं।

**श्री टी०आर० बालू** : विशेष अदालत द्वारा आप पर अभियोग लगाया गया है। आप यहां कैसे बात कर सकते हैं?...*(व्यवधान)* महोदय, जो कुछ वे कह रहे हैं मैं उसे चुनौती देता हूं। आप मुझे उत्तर देने की अनुमति दें।...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय** : श्री पांडियन, कृपया पीठ को सम्बोधित करें।

**श्री वी० धनंजय कुमार** : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मुझे सुना जाना चाहिए...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय** : मैं आपको अनुमति दूंगा।

**श्री पी०एच० पांडियन** : क्या आप उधार लेने वालों को बचाव चाहते हैं? यह क्या है?...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय** : आप कृपया बैठ जाएं।

**श्री वी० धनंजय कुमार** : महोदय, आप कृपया प्रक्रिया नियम का नियम 352 का अवलोकन करें...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय** : कृपया आप अपना स्थान ग्रहण करें। मैंने उन्हें एक अवसर दिया है।

**श्री पी०एच० पांडियन** : यह एक विवादास्पद बात है।

**श्री टी०आर० बालू** : मैं आदेश को चुनौती दूंगा।

**श्री वी० धनंजय कुमार** : महोदय, श्री पांडियन, जो कि तमिलनाडु विधान सभा के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, को कम से कम अध्यक्षपीठ का सम्मान करना चाहिए...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय** : श्री बालू, उन्होंने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया है। मैंने उन्हें बोलने का अवसर दिया है। हमें उन्हें सुनना चाहिए।

*(व्यवधान)*

**श्री वी० धनंजय कुमार** : श्री पांडियन, आपको सभा के नियम का सम्मान करना होगा। महोदय, नियम 352 के अनुसार :

"बोलते समय कोई सदस्य—

(i) किसी ऐसे तथ्य, विषय का निर्देश नहीं करेगा जिस पर न्यायिक विनिश्चय लम्बित हो;

(ii) सभा के किसी अन्य सदस्य पर कोई हेतु का लांछन लगाते हुए अभिकथन नहीं करेगा.....

दूसरा महत्वपूर्ण है...*(व्यवधान)*

**श्री पी०एच० पांडियन** : यह भ्रष्टाचार है...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय** : श्री सेल्वागनपति, कृपया बैठ जाइए।

*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय** : पांडियन जी, आप पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। मैंने श्री धनंजय कुमार को व्यवस्था का प्रश्न उठाने की अनुमति दी है। हमें उन्हें व्यवस्था का प्रश्न उठाने का अवसर देना चाहिए।

*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय** : पांडियन जी, क्या आपका यही बर्ताव है? श्री धनंजय कुमार, आप कृपया अध्यक्षपीठ को सम्बोधित करें। आप अनावश्यक मुद्दे क्यों खड़े करते हैं?

*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय** : आप क्यों चिल्ला रहे हैं?

*(व्यवधान)*

**श्री वी० धनंजय कुमार** : नियम 352(2) के अनुसार :

सभा के किसी अन्य सदस्य पर कोई हेतु का लांछन लगाते हुए अभिकथन नहीं करेगा या उसकी सद्भावना पर आपत्ति करके उसका वैयक्तिक निर्देश नहीं करेगा जब तक कि ऐसा निर्देश विचाराधीन प्रश्न या सुसंगत होने के कारण वाद-विवाद के प्रयोजनों के लिए अनिवार्यत: आवश्यक न हो।

महोदय, कोई भी सदस्य इस प्रकार का आरोप तब तक नहीं लगा सकता जब तक कि मुद्दा ना हो। नियम अत्यन्त स्पष्ट है।...*(व्यवधान)*

**श्री पी०एच० पांडियन** : मामला स्वत: एक मुद्दा है। ऋण वसूल न्यायाधिकरण...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय** : पांडियन जी, कृपया आसन ग्रहण करें।

*(व्यवधान)*

**श्री वी० धनंजय कुमार :** महोदय, इस क्षण...*(व्यवधान)*

**श्री पी०एच० पांडियन :** उन्हें मुझे शिक्षा देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं कि वह एक सदस्य नहीं वरन मंत्री हैं। मैं सदस्य पर आरोप नहीं लगा सकता। मैं श्री दासमुंशी पर आरोप नहीं लगा सकता किन्तु एक मंत्री पर आरोप लगा सकता हूं। मैं सरकार पर आरोप लगा रहा हूं...*(व्यवधान)*

**श्री वी० धनंजय कुमार :** इस समय हम चर्चा नहीं कर रहे हैं...*(व्यवधान)*

**श्री पी०एच० पांडियन :** मैं सरकार पर आरोप लगा रहा हूं ...*(व्यवधान)*

**श्री आदि शंकर :** न्यायालय का निर्णय इस बारे में है... *(व्यवधान)*

**श्री पी०एच० पांडियन :** उन्होंने मंत्रिमंडल में भारी-भरकम राशि उधार लेने वालों को शामिल किया है जिन्होंने धनराशि वापस नहीं की है। डी.आर.टी. में कार्यवाही लम्बित है।...*(व्यवधान)*

**श्री वी० धनंजय कुमार :** इस वक्त सभा यह चर्चा नहीं कर रही कि कोई, किसी वित्तीय संस्थान अथवा बैंक का कितना ऋणी है। हम विधेयक में संशोधन पर चर्चा कर रहे हैं...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय :** श्री सेल्वागनपति, आप अनावश्यक रूप से सदन की कार्यवाही में व्यवधान क्यों डाल रहे हैं।

*(व्यवधान)*

**श्री वी० धनंजय कुमार :** हम ऋण न लौटाने वालों की सूची पर चर्चा नहीं कर रहे हैं...*(व्यवधान)* इस चर्चा में कोई नाम नहीं उठाया जा सकता क्योंकि वह चर्चा का विषय ही नहीं है। चर्चा का विषय तो बैंकों को किस प्रकार मजबूत किया जा सकता है, यह है... *(व्यवधान)*

**श्री टी०एम० सेल्वागनपति :** वे ऋण वसूली किस प्रकार करेंगे। ...*(व्यवधान)*•

**श्री वी० धनंजय कुमार :** महोदय, इस हालात में सदस्य द्वारा लगाए गए आरोपों को कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल देना चाहिए... *(व्यवधान)* वह उनको शोभा नहीं देता। वह आरोप नहीं लगा सकते ...*(व्यवधान)*• वह सदन में आ रहे हैं और प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं...*(व्यवधान)*

**श्री टी०आर० बालू :** महोदय, मैं इसकी व्यवस्था करूंगा। कृपया मुझे अनुमति दें...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय :** श्री बालू, मैं आपको एक मौका दूंगा।

*(व्यवधान)*

**श्री टी०आर० बालू :** सदस्य पर विशेष न्यायालय द्वारा मुकदमा चलाया गया है और अब वे बातें बना रहे हैं। उन्हें इस प्रकार की बातें करना शोभा नहीं देता...*(व्यवधान)*

•कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

**श्री टी०एम० सेल्वागनपति :** हम सभी आपके नेता के बारे में जानते हैं...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय :** कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा। श्री पी०आर० दासमुंशी।

*(व्यवधान)*•

**सभापति महोदय :** कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा। किसी भी मंत्री अथवा किसी भी सदस्य के विरुद्ध बिना ठोस सबूत के लगाया गया आरोप कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं होगा।

*(व्यवधान)*•

**श्री पी०एच० पांडियन :** अब मैं सबूत दूंगा...*(व्यवधान)*

**श्री प्रियरंजन दासमुंशी :** इस महत्वपूर्ण वाद-विवाद में माननीय वित्त मंत्री को हस्तक्षेप का पूरा अधिकार है और उन्होंने हस्तक्षेप भी किया है। उनके प्रति पूर्ण सम्मान के साथ, मैं आपको इतिहासकार की एक घटना याद दिलवाना चाहूंगा जो कि 8वीं लोक सभा के दौरान सभा में घटी थी। जब मैं सत्ता पक्ष में वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री था, श्री के०पी० उन्नीकृष्णन विपक्ष में थे। उस समय बच्चन बंधुओं से संबंधित कांडला में मुक्त व्यापार क्षेत्र के बारे में इसी प्रकार का विवाद खड़ा हो गया था। अब आरोप लगाए जाएं तो मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंपा गया। अध्यक्षपीठ के अनुसार यह एक गंभीर प्रकृति का मामला था। मैं मात्र आपको याद दिला रहा हूं— मैं आरोपों के बारे में चर्चा नहीं कर रहा हूं—कि यदि कोई जिम्मेदार सदस्य अपने प्राधिकार से कोई शिकायत करता है तो आप इसकी अनदेखी नहीं कर सकते। आपको इसे विशेषाधिकार समिति को सौंपना चाहिए ताकि यह उसकी संपत्ति हो सके और वह इस मामले की जांच-पड़ताल कर सके। यह निर्णय दिया गया था।

**सभापति महोदय :** इसके लिए एक प्रक्रिया है और ऐसा नियमानुसार किया जाता है। अतः सदस्य, अथवा मंत्री और यहां तक कि अध्यक्ष को सूचना के बिना...

*(व्यवधान)*

**श्री प्रियरंजन दासमुंशी :** चर्चा के दौरान यह निर्णय दिया गया कि यदि कोई सदस्य ऐसा अनुरोध करता है और मंत्री ऐसा कहता है तो उन्हें विशेषाधिकार समिति के समक्ष इसे सिद्ध करने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए...*(व्यवधान)*

**श्री वी० धनंजय कुमार :** महोदय, मैंने नियम 352 और 353 का सन्दर्भ दिया है और मुझे इस पर आपका विनियम चाहिए।

**सभापति महोदय :** मैंने आपका व्यवस्था का प्रश्न सुना है। मैं बाद में अपना विनियम दूंगा। श्री पांडियन, भड़काऊ भाषण ना दें और कृपया अपने आपको विषय तक सीमित रखें।

**श्री पी०एच० पांडियन :** हम यहां 544 सदस्य हैं। हम यहां किसी बाहरी व्यक्ति के बारे में चर्चा नहीं कर सकते। फिर आपने

•कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री पी०एच० पांडियन]

बजाज व गोयनका के नाम की अनुमति कैसे दी? वह मेरे बारे में और मैं उनके बारे में बोल सकता हूं...*(व्यवधान)*

**श्री टी०एम० सेल्वागनपति** : मंत्री जी को मामले को विशेषाधिकार समिति को ले जाने दीजिए।

**श्री टी०आर० बालू** : महोदय, उन पर विशेष न्यायालय में मुकदमा चलाया गया, यह बात सच है अथवा झूठ...*(व्यवधान)*

**श्री टी०एम० सेल्वागनपति** : हां, उन्होंने आपको वैधानिक रूप से भ्रष्ट व्यक्ति ठहराया।

**श्री टी०आर० बालू** : आप किसी एक बात पर नहीं टिकते ...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय** : श्री पांडियन, कृपया भड़काएं ना और अपने आपको विषय तक सीमित रखें।

**श्री पी०एच० पांडियन** : महोदय, मेरा निर्वाचन तिरुनवेली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की जनता द्वारा किया गया। वहां इंडियन बैंक की लगभग एक सौ शाखाएं हैं...*(व्यवधान)*

**श्री आदि शंकर** : *

**श्री पी०एच० पांडियन** : मुझे इस ओर अथवा उस ओर की कोई चिन्ता नहीं है।

**श्री टी०आर० बालू** : महोदय, यदि वह सच नहीं बोल रहे हैं तो फिर मैं उनसे संसद में ही बात कर सकता हूं। वह कुछ असंगत बोल रहे हैं...*

**श्री पी०एच० पांडियन** : मुझे अपना अनुरोध रखना चाहिए। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं। यह सच है। यह मामला ऋण वसूली न्यायाधिकरण मद्रास में लंबित है, जिसमें 11 करोड़ रुपये की राशि शामिल है। उन्होंने इसे प्रेस के सामने स्वीकार किया है...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय** : जब एक सदस्य बोल रहा हो, तो इस प्रकार का व्यवहार उचित नहीं है। कृपया बैठ जाइए।

**श्री पी०एच० पांडियन** : पिछली बार, जब मैंने यह प्रश्न उठाया था, तो इसे स्वीकार कर लिया गया था...*(व्यवधान)*

**श्री वी० धनंजय कुमार** : वह इस प्रकार कैसे बोलते रह सकते हैं?...*(व्यवधान)*

**श्री पी०एच० पांडियन** : कल मैंने एक समाचार पत्र देखा था, जिसमें यह कहा गया था कि श्री लालू ने 45 लाख रुपये की संपत्ति का अर्जन किया है। इस बात ने मुझे यहां उत्तेजित किया है। श्री लालू के विरुद्ध केवल 45 लाख रुपये का आरोप है, जबकि यहां तो 1,000 करोड़ रुपये की राशि शामिल है। यह दावा किया गया है कि यह अधिक भी हो सकती है...*(व्यवधान)*

**श्री वी० धनंजय कुमार** : वह जैसा चाहें, वैसा बोलने की अनुमति उन्हें नहीं दी जा सकती।

**श्री आदि संकर** : वह बात नहीं कर रहे हैं...*(व्यवधान)*

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

**श्री पी०एच० पांडियन** : यह सच है कि...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय** : श्री शंकर, आप व्यवहार की सीमाएं पार कर रहे हैं। कृपया पहले अपने स्थान पर जाइए। आप हर समय अनावश्यक रूप से सभा के बीच में आ जाते हैं। श्री पांडियन, पहले मेरी बात सुनिए। आपके दल को इस विधेयक पर बोलने के लिए दो मिनट का समय आबंटित किया गया है। अब और अधिक समय नहीं बचा है, कृपया अपनी बात अपने विषय तक ही सीमित रखकर समाप्त कीजिए।

**श्री पी०एच० पांडियन** : जब मैं पीठासीन था, जब मैंने प्रत्येक सदस्य को 15 मिनट दिए थे...*(व्यवधान)* यह चर्चा इस स्तर तक पहुंची है क्योंकि...*(व्यवधान)*

**श्री टी०आर० बालू** : किस स्तर तक?

**श्री पी०एच० पांडियन** : चूंकि आप उधार लेने वाले हैं, इसलिए आप इस प्रकार बोल रहे हैं। आप एक सरकारी व्यक्ति हैं...*

**श्री टी०आर० बालू** : मेरे विचार से आप इसे हल्के ढंग से लेंगे।

**श्री पी०एच० पांडियन** : वित्त मंत्री जी, यदि इन दो मुद्दों पर मेरी बात गलत है, तो आप संसद भवन के सामने मुझे फांसी पर लटका दीजिए...*(व्यवधान)*

**श्री आदि शंकर** : ...*

**श्री पी०एच० पांडियन** : मुझे उसकी चिन्ता नहीं है। यदि मैं इन दो मुद्दों पर गलत हूं, तो मुझे संसद के सामने फांसी पर लटका दिया जाए...*(व्यवधान)*

**श्री टी०आर० बालू** : श्री सेल्वागनपति, आपका कोई स्पष्ट मत नहीं है। कृपया नीचे बैठ जाइए। आपकी बात को कोई समर्थन नहीं मिला है...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय** : इस प्रकार आपस में बातचीत मत कीजिए। कृपया श्री पांडियन को उत्तेजित मत कीजिए।

**श्री पी०एच० पांडियन** : वित्त मंत्री जी, उन्होंने जैन टी.वी. की बात की और इसी बात ने मुझे उत्तेजित किया।

महोदय, मैंने सन टी.वी. का प्रश्न उठाया था। सन टी.वी. प्रतिदिन एक करोड़ रुपये के सरकारी विज्ञापन प्राप्त कर रहा है। वे राज्य सरकार, केन्द्र सरकार और निजी कम्पनियों से भी 1 करोड़ रुपये के विज्ञापन प्राप्त कर रहे हैं। वह आपके मंत्रिमंडल में मंत्री हैं। वह एक करोड़ रुपये अर्जित कर रहे हैं और मैं केवल 400 रुपये प्रतिदिन अर्जित कर रहा हूं...*(व्यवधान)* दैनिक भत्ता...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय** : कृपया पीठासीन अधिकारी को संबोधित कीजिए। उन्हें उत्तेजित मत कीजिए।

**श्री पी०एच० पांडियन** : मैं परवाह नहीं करता। यदि वह सचमुच में सरकारी व्यक्ति हैं, तो उन्हें इन अभियोगों का सामना करने के लिए

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

तैयार रहना चाहिए...*(व्यवधान)* मैंने उस दिन वित्त मंत्री जी को बताया था कि आपके दो मंत्री ईमानदार नहीं हैं...*(व्यवधान)* बैंकों में उनकी धनराशि जमा है...*(व्यवधान)* अगले दिन, श्री टी०आर० बालू ने चेन्नई में एक प्रेस सम्मेलन आयोजित किया...*(व्यवधान)* संसद में नहीं... *(व्यवधान)* उन्होंने कहा...*(व्यवधान)*

**श्री टी०आर० बालू** : महोदय, उन्होंने मुझे बोलने का अवसर दिया है...*(व्यवधान)* कृपया बैठ जाइए...*(व्यवधान)*•

**सभापति महोदय** : मंत्री जी, मैं बाद में आपको बोलने का अवसर दूंगा।

*(व्यवधान)*

**श्री पी०एच० पांडियन** : महोदय, मेरा कहना सिर्फ इतना है कि...*(व्यवधान)* मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि इंडियन बैंक की संपत्ति मेरे दादा की संपत्ति नहीं है। यदि मैं उस बैंक के लिए 230 करोड़ रुपये वसूल करने में सफल रहता हूं तो भी मुझे कुछ नहीं मिलने वाला...*(व्यवधान)*

**श्री आदि शंकर** : हमें ऋण मिल रहा है और...

**श्री पी०एच० पांडियन** : •

**सभापति महोदय** : यह कोई तरीका नहीं है।

*(व्यवधान)*

**सायं 7.57 बजे**

*(इस समय, श्री आदि शंकर और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।)*

**सभापति महोदय** : माननीय सदस्यगण, आप कृपया अपने स्थानों पर जाइए।

*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय** : मैं सभी माननीय सदस्यगण से अपने स्थानों पर जाने का अनुरोध कर रहा हूं।

*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय** : मैं रिकार्ड का अध्ययन करूंगा और यदि कोई असंसदीय शब्द होगा, तो रिकार्ड से उसे हटा दूंगा। कृपया अपने स्थान ग्रहण कीजिए।

*(व्यवधान)*

**श्री पी०एच० पांडियन** : महोदय, मैं एक मिनट में अपनी बात रखूंगा।...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय** : माननीय सदस्यगण, मैं अपनी बात दोहरा रहा हूं। मैं रिकार्ड का अध्ययन करूंगा और यदि कुछ असंसदीय हुआ, तो मैं उन शब्दों को रिकार्ड से हटा दूंगा।

*(व्यवधान)*

•अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

**सभापति महोदय** : कृपया पीठासीन अधिकारी के साथ सहयोग कीजिए।

...*(व्यवधान)*

**सायं 7.58 बजे**

*(इस समय, श्री आदि शंकर और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने स्थान पर वापस चले गए।)*

**श्री पी०एच० पांडियन** : महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं...*(व्यवधान)* ऐसा इसलिए है क्योंकि...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय** : माननीय सदस्यगण, यदि उसमें कुछ असंसदीय है, तो मैं उसे कार्यवाही वृत्तान्त से हटा दूंगा।

*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय** : श्री पांडियन, मैं आपको इन शब्दों को वापिस लेने का सुझाव दे रहा हूं।

*(व्यवधान)*

**श्री एस०एस० पलानीमनिक्कम** : जी नहीं, महोदय, इसमें क्षमा मांगी जानी चाहिए...*(व्यवधान)* अन्यथा, आप इसे विशेषाधिकार समिति को भेज दीजिए।...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय** : श्री पांडियन, आपने किसी असंसदीय शब्द का इस्तेमाल किया है। कृपया उस शब्द को वापिस लीजिए।

*(व्यवधान)*

**श्री पी०एच० पांडियन** : मैंने क्या कहा? मैं नहीं जानता... *(व्यवधान)*

**सायं 7.59 बजे**

**[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]**

**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्यगण, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

**श्री पी०एच० पांडियन** : महोदय, मैं केवल एक मिनट में अपना भाषण समाप्त करूंगा...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : श्री पांडियन, मैं आपका भाषण देख रहा था, जब मैं अपने कक्ष में बैठा था।

*(व्यवधान)*

**श्री पी०एच० पांडियन** : महोदय, यदि मेरी बात गलत है, तो मुझे संसद भवन में फांसी पर लटका दिया जाए...*(व्यवधान)* मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : यह क्या है?

*(व्यवधान)*

**श्री पी०एच० पांडियन** : मैंने कुछ गलत नहीं किया है...*(व्यवधान)* मैंने सिर्फ सभा को सच्चाई का ज्ञान कराया है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप क्या कह रहे हैं। आप स्वयं विधान सभा के अध्यक्ष रह चुके हैं; लोक सभा में अध्यक्ष पैनल के एक सदस्य हो। कृपया अब अपने स्थान पर बैठिए।

श्री एस०एस० पलानीमणिक्कम : वह एक भयंकर भूल थी।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

*(व्यवधान)*

सायं 6.00 बजे

अध्यक्ष महोदय : श्री पांडियन, मैं आपका भाषण देख रहा था। यह अतिरेक पूर्ण है।

*(व्यवधान)*

श्री पी०एच० पांडियन : ऐसा कैसे हुआ, महोदय? क्या मैंने कुछ गलत कहा?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं आपके भाषण को सुन रहा हूं। हद हो गई है। कृपया एक मिनट में अपना भाषण समाप्त करें।

*(व्यवधान)*

श्री पी०एच० पांडियन : महोदय, मैंने कुछ नहीं किया है... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह सभा केवल दो राजनीतिक दलों के लिए ही नहीं है। कृपया इस बात को समझिए।

*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यदि सदस्यों का यही रुख है, तो मैं इन सदस्यों के विरुद्ध भी कार्यवाही करूंगा।

*(व्यवधान)*

श्री पी०एच० पांडियन : वे सदस्यों को बोलने से नहीं रोक सकते।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं।

श्री पी०एच० पांडियन : यदि मुझे बोलने का अधिकार नहीं है, यदि मुझे बोलने की स्वतन्त्रता नहीं है, तो मुझे सभा में उपस्थित रहने की आवश्यकता नहीं है...*(व्यवधान)* मुझे यहां क्यों आना चाहिए, यदि मुझे बोलने का अधिकार प्राप्त नहीं है...*(व्यवधान)* यह मेरा बोलने का अधिकार है...*(व्यवधान)*

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरी) : अध्यक्ष महोदय, यहां क्या चल रहा है...*(व्यवधान)*

श्री पी०एच० पांडियन : महोदय, मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : श्री पांडियन, मैं आपको एक बार पुनः बता रहा हूं कि सभा में आपका व्यवहार उचित नहीं है।

श्री पी०एच० पांडियन : कौन-सा व्यवहार, महोदय?

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

श्री पी०एच० पांडियन : मैंने इंडियन बैंक से ऋण नहीं लिया है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री पांडियन, यदि आपका यह व्यवहार है, तो आपके विरुद्ध कार्यवाही करूंगा।

*(व्यवधान)*

श्री पी०एच० पांडियन : *मुझे ऋण प्राप्त नहीं हुए हैं... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

*(व्यवधान)*

श्री पी०एच० पांडियन : अध्यक्ष महोदय, यह विधेयक भारी मात्रा में ऋण लेने वालों के फायदे के लिए है।

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : महोदय, सदस्य को उनके द्वारा प्रयोग किए गए शब्दों के लिए माफी मांगनी चाहिए...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री पांडियन, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

*(व्यवधान)*

श्री पी०एच० पांडियन : महोदय, मैं समाप्त कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : श्री पांडियन, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं।

श्री प्रमोद महाजन : महोदय, प्रश्न भाषण समाप्त करने अथवा अगले आधे घण्टे तक और जारी रखने का नहीं है। यदि आप रिकार्ड देखें, तो पायेंगे कि जो शब्द प्रयोग किए गए हैं वे केवल असंसदीय ही नहीं हैं। वह इस प्रकार के शब्दों के लिए बहुत छोटी अभिव्यक्ति है। महोदय, जब तक माननीय सदस्य, जिन्होंने इस प्रकार की टिप्पणियां की हैं, उन टिप्पणियों के लिए सभा से माफी नहीं मांगते, यहां बैठने का क्या लाभ है?...*(व्यवधान)*

श्री पी०एच० पांडियन : मैंने क्या टिप्पणी की है, कृपया वह बोलें...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री पांडियन, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं। यह क्या है?

श्री प्रमोद महाजन : महोदय, हम सभी सरकार की ओर से यह चाहते हैं कि जब तक वह माफी नहीं मांगते, हम इस तरह सभा नहीं चला सकते। हर बात को कहने की कोई सीमा होती है...*(व्यवधान)*

श्री पी०एच० पांडियन : कैसी माफी?...*(व्यवधान)* उन्हें ऋण के रूप में 11 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं...*(व्यवधान)*

श्री प्रमोद महाजन : माननीय सदस्य आरोप लगा सकते हैं। किन्तु कोई भी व्यक्ति ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करता, जैसे इन्होंने किए हैं, यहां तक कि गलियों में भी...*(व्यवधान)*

---

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

**श्री टी०एम० सेल्वागनपति** : महोदय, मैं उन शब्दों का जोरदार विरोध करता हूं, जो मंत्री महोदय प्रयोग कर रहे हैं...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : सभी अपमानजनक और असंसदीय शब्दों को रिकार्ड से निकाल दिया जाएगा।

*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : श्री पांडियन, कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

*(व्यवधान)*

**श्री पी०एच० पांडियन** : क्या मुझे एक मिनट बोलने का अधिकार नहीं है?

**अध्यक्ष महोदय** : श्री पांडियन, मैं आपको सलाह देता हूं कि ऐसे शब्दों का प्रयोग न करें।

**श्री पी०एच० पांडियन** : मैंने क्या शब्द प्रयोग किए हैं? मैं नहीं जानता। उन्हें कहने दीजिए कि वे क्या शब्द हैं, जो मैंने प्रयोग किए थे...*(व्यवधान)* वे बता नहीं पा रहे कि वे ऐसे कौन से शब्द हैं...*(व्यवधान)*

**श्री टी०आर० बालू** : महोदय, उन्हें उन शब्दों के लिए निश्चित रूप से माफी मांगनी चाहिए, जो उन्होंने प्रयोग किए हैं...*(व्यवधान)* वे एक वकील हैं...*(व्यवधान)* उन्हें पता होना चाहिए कि सभा में कैसे व्यवहार किया जाए...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : श्री पांडियन, आपको भविष्य में भी इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए।

*(व्यवधान)*

**श्री पी०एच० पांडियन** : मैंने कोई शब्द नहीं कहा...*(व्यवधान)* उन्हें कहने दीजिए, क्या शब्द है...*(व्यवधान)*

**श्री टी०आर० बालू** : हम उनकी तरह उन शब्दों को नहीं दोहरा सकते...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं।

**श्री पी०एच० पांडियन** : महोदय, मैं एक मिनट में बात समाप्त कर दूंगा...*(व्यवधान)*

**श्री टी०आर० बालू** : महोदय, इन्हें बोलने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

**अध्यक्ष महोदय** : हमने पहले ही उन टिप्पणियों को हटा दिया है...

*(व्यवधान)*

**श्री टी०आर० बालू** : यदि वे सच्चे सांसद हैं, तो उन्हें अपनी टिप्पणियां वापस ले लेनी चाहिएं।

**अध्यक्ष महोदय** : हमने पहले ही उन्हें रिकार्ड से निकाल दिया है। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए। अपने सदस्यों को भी अपने स्थान पर बैठने की सलाह दें।

**श्री टी०आर० बालू** : उन्होंने असभ्य तरीके से बोला था। उन्होंने गन्दी भाषा का प्रयोग किया था...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं और अपने सदस्यों को भी ऐसा ही करने की सलाह दें।

*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं।

*(व्यवधान)*

**श्री एस०एस० पलानीमनिक्कम** : महोदय, हमसे उन शब्दों के लिए माफी मांगी जानी चाहिए, जो उन्होंने प्रयोग किए हैं...*(व्यवधान)*

**श्री टी०आर० बालू** : महोदय, उन्होंने बहुत गन्दी भाषा का प्रयोग किया है...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री महोदय, ये पहले ही कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिए गए हैं।

*(व्यवधान)*

**श्री टी०आर० बालू** : महोदय, आपका क्या निर्णय है, उन्हें माफी मांगनी चाहिए...*(व्यवधान)*

**श्री प्रमोद महाजन** : महोदय, आदर सहित, हम आपके आदेशों का पालन करेंगे। किन्तु 'रिकार्ड से निकाल दिया जाना' ही ऐसे शब्दों के प्रयोग के लिए पर्याप्त नहीं है। सदस्य को खेद व्यक्त करना चाहिए। वहां समस्या क्या है? यदि मैं कोई गलती करता हूं मैं उसके लिए' खेद व्यक्त करूंगा...*(व्यवधान)*

**श्री पी०एच० पांडियन** : महोदय, अब मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। समंजन और प्रतिदायों के संबंध में अधिकरण द्वारा रिसीवरों, आयुक्त की नियुक्ति भारी भत्ता में ऋण लेने वालों के फायदे के लिए है।...*(व्यवधान)*

**रात्रि 8.06 बजे**

*(इस समय, श्री पलानीमनिक्कम और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।)*

**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्यगण, कृपया अपने स्थान पर वापिस चले जाएं।

*(व्यवधान)*

**श्री पी०एच० पांडियन** : महोदय, मैं वित्त मंत्री का पूर्णतः समर्थन करने में असमर्थ हूं क्योंकि संवैधानिक रूप से यह सही है...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्यगण, कृपया अपने स्थान पर चले जाएं।

*(व्यवधान)*

**श्री पी०एच० पांडियन** : महोदय, इसका प्रारूप उच्चतम न्यायालय के निदेश पर तैयार किया गया था। उच्चतम न्यायालय ने अनेक अवसरों पर कहा है...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : श्री एस०एस० पलानीमनिक्कम और अन्य माननीय सदस्य कृपया अपने स्थान पर चले जाएं।

*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्यगण, मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि कृपया अपने स्थान पर चले जाएं।

*(व्यवधान)*

**श्री पी०एच० पांडियन** : महोदय, इस विधेयक का उद्देश्य बड़े ऋण लेने वालों के हितों की रक्षा करना है। इसलिए, मैं इसका विरोध कर रहा हूं। 1969 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण का मामला उच्चतम न्यायालय के 9 न्यायाधीशों की खंडपीठ ने सुना था और उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया था कि यह राष्ट्रीय हित में था। 1969 में क्या राष्ट्रीय हित था?...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्यगण, कृपया अपने स्थान पर चले जाएं।

**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्यों, कृपया पहले अपने-अपने स्थान पर बैठ जाइए और फिर अपनी बात कहें।

*(व्यवधान)*

**श्री पी०एच० पांडियन** : महोदय, उच्चतम न्यायालय द्वारा जो 1969 में राष्ट्रहित था वही 2000 में राष्ट्र-विरोधी नहीं हो सकता है। सरकार द्वारा उच्चतम न्यायालय की 9 न्यायाधीशों की खंडपीठ के निर्णय को मानना चाहिए...*(व्यवधान)* वे उच्चतम न्यायालय के निर्णय का पालन नहीं कर रहे हैं...*(व्यवधान)*

**श्री टी०आर० बालू** : महोदय, इन्होंने एक आधारहीन आरोप लगाया है। इन्हें माफी मांगनी चाहिए...*(व्यवधान)* इन्होंने असंसदीय भाषा का प्रयोग किया है...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : श्री पी०एच० पांडियन के भाषण के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)*•

**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्यों, कृपया अपने-अपने स्थानों पर बैठ जाइए।

*(व्यवधान)*

**श्री पी०एच० पांडियन** : महोदय, मैं अपनी बात इतना कहकर समाप्त करूंगा कि मैंने किसी को नाराज किए बिना सोच-समझकर अपना भाषण दिया था। मैं अपने अंतःकरण से बोल रहा हूं। यदि कुछ गलत है तो मुझे बताइए। मैं इसे वापस लेने के लिए तैयार हूं ...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्यों, कृपया सबसे पहले अपना-अपना स्थान ग्रहण करें। जो कुछ भी आप कहना चाहते हैं, अपने-अपने स्थान पर बैठकर कहें।

*(व्यवधान)*

•कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

**श्री पी०एच० पांडियन** : महोदय, यदि कुछ गलत है, मैं इसे वापस लेने के लिए तैयार हूं। लेकिन यह एक आरोप नहीं है। यह तो सच्चाई है...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्यों, कृपया अपने-अपने स्थानों पर बैठ जाइए।

**रात्रि 8.08 बजे**

*(इस समय, श्री एस०एस० पलानीमनिक्कम और अन्य माननीय सदस्य अपने स्थानों पर वापस चले गए।)*

**श्री पी०एच० पांडियन** : महोदय, इस विधेयक का उद्देश्य बड़े कर्जदारों के हितों की रक्षा करना है। मैंने दो उदाहरण दिए। श्री प्रियरंजन दासमुंशी जी ने इसका जिक्र किया है कि जैन टी.वी. के ऊपर बकाया है। मैंने भी यही बात दोहराई थी।

मैं इस विधेयक का समर्थन इसलिए करता हूं क्योंकि यह संवैधानिक दृष्टि से ठीक है। मंत्री जी ने विधेयक को पेश करते हुए कहा है कि यह संवैधानिक दृष्टि से ठीक है लेकिन मैं इसका समर्थन नहीं कर पा रहा हूं। क्योंकि यह बड़े कर्जदारों के पक्ष में है। वह कल से ही कर्ज लौटाना शुरू नहीं कर देंगे।...*(व्यवधान)* यह तो समाचार-पत्रों में भी प्रकाशित किया जाएगा।...*(व्यवधान)*

**श्री टी०एम० सेल्वागनपति** : सरकार भी उन्हें बचा रही है ...*(व्यवधान)*

**श्री पी०एच० पांडियन** : हां, सरकार भी बड़े कर्जदारों का बचाव कर रही है, इसलिए बड़े कर्जदार एक के बाद एक स्थगन प्रस्ताव लाएंगे और कार्यवाही को लम्बा खींचने का प्रयास करेंगे।...*(व्यवधान)*

इन शब्दों के साथ मैं, आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैंने जो भी कहा दिल से कहा। लेकिन यदि कुछ गलत है तो अभी भी मैं कहता हूं...*(व्यवधान)*

**श्री टी०आर० बालू** : सब बातें गलत हैं...*(व्यवधान)*

**श्री पी०एच० पांडियन** : यदि कुछ गलत है तो मैं अभी भी कहता हूं कि मुझे संसद में फांसी दे दी जाए। मुझे यही कहना है। ...*(व्यवधान)*

**श्री प्रकाश परांजपे (ठाणे)** : अध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक के समर्थन में खड़ा हुआ हूं...*(व्यवधान)*

अनेक माननीय सदस्यों ने इस विधेयक के बारे में अपने विचार प्रकट किए हैं। जब मैं बैंक के उच्च अधिकारियों से बात कर रहा था तो एक अधिकारी ने कहा कि परांजपे जी जब आप 1 लाख रुपये बैंक से ऋण लें तो आप बैंक से डरते हैं लेकिन यदि आप यही ऋण 1 करोड़ रुपये का लेते हो तो बैंक आपसे डरेगा। यही स्थिति आंकड़ों से भी प्रतिबिंबित होती है। 59 करोड़ रुपये का ऋण बकाया है। लोग अपने नामों की घोषणा करने तथा वसूली संबंधी नियमों में कुछ परिवर्तनों को करने के लिए आग्रह कर रहे हैं।

मैं एक बहुत छोटा व्यक्ति हूं। मैं एक आसान से उदाहरण देना चाहता हूं। जल शुल्कों की वसूली करने के लिए एक निगम जल के

कनेक्शन को काट सकता है। महानगर टेलीफोन निगम लि. बिलों की बकाया धनराशि की वसूली के लिए आपके टेलीफोन को डिसकनेक्ट कर सकता है। महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड बिलों के भुगतान न होने की स्थिति में विद्युत आपूर्ति को बंद कर सकता है। लेकिन हजारों-करोड़ों रुपये के ऋणों की वसूली के लिए हम परिवर्तनों के लिए यदि, लेकिन, 'अथवा' इत्यादि शब्दों पर चर्चा कर रहे हैं। क्या संबंधित अधिकारी और इस सम्माननीय सभा के मनीषी-जन बैंकों को शक्तियां प्रदान करने संबंधी एक भी संशोधन ला सकते हैं? यह कर्जदार और बैंक के बीच एक समझौता है। क्या हम इस समझौते के भंग होने की स्थिति में उधारकर्ताओं की विद्युत, जल अथवा टेलीफोन कनेक्शनों को काट सकते हैं? क्या सरकार के लिए यह संभव है कि वह ऋणों की वसूली हेतु एक साधारण-सा संशोधन लाए? लेकिन हम केवल चर्चा कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं और आग्रह कर रहे हैं कि बड़े लोगों के नामों की घोषणा की जाए।

इस संशोधन में, एक भी ऐसा खंड नहीं है जिसमें संबंधित अधिकारी, निदेशक अथवा निदेशक मंडल को अपने कार्य अंजाम देने के बजाय ऋणों को वसूल न करने पर दंड देने की बात कही गई हो। जब वे ऋण मंजूर करते हैं तब संबंधित अधिकारी एक समझौते में शामिल हो जाता है। वह तीन वर्षों के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं तथा जिम्मेदारी आने वाले व्यक्ति पर पड़ जाती है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि वे इस कानून में कुछ ऐसे नियम बनाएं जिनसे मंजूर ऋणों के लिए जिम्मेदारी तय की जा सके। चाहे वे सेवानिवृत्त हो जाए उन्हें तब तक पेंशन और भविष्य निधि नहीं दी जानी चाहिए जब तक उनके कार्यकाल में मंजूर किए गए ऋणों की वसूली नहीं हो जाती।

मैं श्री प्रियरंजन दासमुंशी जी को बहुत धन्यवाद देता हूं। उन्होंने एक बहुत अच्छा सुझाव दिया था कि लघु उद्योगों पर तब तक कोई शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए जब तक उनका उत्पादन शुरू नहीं हो जाता। मैं एक साधारण-सा उदाहरण दूंगा। मेरे एक मित्र का बेटा एक कारखाना खोलना चाहता था। वह एक ऐसी मशीनरी का आयात करना चाहता था जो 1998 में खुला सामान्य लाइसेंस (ओ.जी.एल.) के अधीन था। वह औपचारिकताएं पूरी करने वाला ही था। लेकिन 1999 में इस मद को खुला सामान्य लाइसेंस (ओ.जी.एल.) से हटा दिया गया और इसलिए उसने लाइसेंस के लिए आवेदन किया। उसे इसे प्राप्त करने में नौ महीने लगे। उस मशीनरी के लिए लाइसेंस देने में नौ महीने लगे और उसने 28 अथवा 29 फरवरी को एल सी खुलवाया। लेकिन इस बजट में उस मशीनरी को खुला सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत लाया गया है। क्या इस नीति में कोई ठोस बात है? चूंकि कोई परिवर्तन चाहता है इसलिए हम इसमें परिवर्तन कर रहे हैं। गत वर्ष बजट वाद-विवाद में, मैंने कहा था कि हमारे देश को एक दीर्घकालिक औद्योगिक नीति और दीर्घकालिक कर-निर्धारण नीति की आवश्यकता है।

आप स्वयं ही इस बात की घोषणा करें कि आप कितने चरणों में ब्याज दरों में वृद्धि तथा कितने चरणों में सीमा शुल्क में कमी करने वाले हैं। आप इसमें प्रत्येक वर्ष परिवर्तन कर रहे हैं। अंत में लोगों को ही नुकसान होता है। 1998 में, मशीन खुले सामान्य लाइसेंस (ओ.जी.एल.) के अन्तर्गत थी। 1999 में, यह लाइसेंस कमेटी के अन्तर्गत हो गया। अब फिर 2000 में इसे खुला सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत लाया जा चुका है। अन्त में उस व्यक्ति को अपने लाइसेंस को लौटाने के लिए 2,70,000 रुपये खर्च करने पड़े। नुकसान किसका हुआ? चूंकि आप इस नीति में परिवर्तन कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि एक निर्धन उद्योगपति को 2,70,000 रुपये का नुकसान उठाना पड़ा। हम अनेक सुझाव दे सकते हैं। स्वयं अधिकारियों ने ऐसा सुझाव दिया है कि धनराशि को वसूल करने के लिए बैंककारी विनियमन अधिनियम में संशोधन किया जाना चाहिए। जब तक हम बैंकों की बंधक संपत्ति को बेचने की शक्तियां प्रदान नहीं करते हैं, तब तक कोई भी वसूली संभव नहीं। हमें बैंकों को पूर्ण शक्तियां देनी हैं। बैंक ऋण प्रदान करते हैं, लेकिन ऋण वसूलने के लिए बैंकों को अधिकरण में जाना पड़ता है। मैं इस तर्क को समझ पाने में असमर्थ हूं। संविदा भंग की स्थिति में तुरन्त कार्यवाही की जानी चाहिए। बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में कितने ही मनीषी-जन हैं। यह बहुत ही साधारण बात है। जब संविदा भंग होती है तो हम उन्हें न्यायालय जाने की अनुमति कैसे दे सकते हैं? उन्हें न्यायालयों में जाने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। छोटे लोगों को ही दंडित किया जाता है। यदि एक रिक्शेवाला धन वापस नहीं करता है तो उसके रिक्शे को जब्त कर लिया जाता है। बड़े-बड़े लोग करोड़ों का ऋण ले रहे हैं। लेकिन उन्हें दंड नहीं दिया जाता है। वे खुल्लमखुल्ला कहते हैं कि यह बैंक उनकी बायीं जेब में है और वह बैंक उनकी पीछे की जेब में है। सरकार वर्षों तक कोई भी कार्यवाही नहीं करती है। बैंकों को इतनी शक्तियां प्रदान की जाएं कि वे ऐसे व्यक्तियों के बिजली, पानी और टेलीफोन के कनेक्शनों को काट दें तथा इन लोगों की जिंदगियां दुखदायक बना दें। इन लोगों के साथ ऐसा ही किया जाना चाहिए क्योंकि ये लोग न केवल बैंकरों के साथ धोखा कर रहे हैं बल्कि उन आम जनता को भी धोखा दे रहे हैं जो 100 अथवा 150 रुपये जैसी छोटी धनराशि जमा करते हैं। आम जनता के इस धन को इन बड़े-बड़े लोगों को ऋण के रूप में प्रदान किया जाता है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि वे श्री दासमुंशी के इस सुझाव को स्वीकार करें कि लघु उद्योगों पर तब तक ब्याज न लगाएं जब तक उनका उत्पादन शुरू नहीं हो जाता है। कृपया संबंधित अधिकारियों को ऋण वसूली करने के लिए बल्कि इसे मंजूर करने हेतु जिम्मेदार बनाने के लिए एक उचित संशोधन लाए। ऐसा इसलिए क्योंकि स्वयं अधिकारी इन लोगों को भुगतान में देरी करने के तरीके सुझाते हैं।

*[हिन्दी]*

**डा० रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) :** अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली संशोधन विधेयक 2000 लाए हैं। इसमें शोध्य क्या है, यह हमें समझ में नहीं आता। केवल अंग्रेजी शब्द की हिन्दी करके शोध्य को जोड़ा गया है। यशवंत जी जानते हैं कि इसमें शोध्य किसलिए लिखा है? इसे लिखकर इस बिल को भयानक बना दिया है। वित्त मंत्री ने दावा किया है कि ऋण वसूली के लिए कानून बना था लेकिन हाई कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए दिशा निर्देश दिए। उसके अनुपालन के लिए यह विधेयक लाया गया है। अगर कोई बैंक ऋण देता है तो उसकी वसूली कड़ाई से हो। उसकी वसूली न होने से बैंक चौपट हो जायगा। माननीय सदस्य दासमुंशी जी और हसन जी जब इस विषय पर बोल रहे थे तब मेरी भी इस विषय पर बोलने की

[श्री रघुवंश प्रसाद सिंह]

रुचि हो गई। मेरा इस विषय पर पहले बोलने का मन नहीं था। कहा गया है कि 58 हजार करोड़ रुपया बैंकों का बकाया है। उसमें 25 हजार करोड़ रुपया सी.आई.आई. का बकाया है। हम पहले यह मानते थे कि सी.आई.आई. देश के गरीब लोगों की तरफ देखता है। माननीय वित्त मंत्री सी.आई.आई. में बराबर घूम-फिर कर जाते थे लेकिन हम आज भेद समझ पाए हैं। गरीब आदमी को बैंक से ऋण लेने में बड़ी परेशानी होती है। ऋण लेने में ही उसकी तबाही हो जाती है। वह इसकी पैरवी करते मर जाता है। उसे बिना घूस के ऋण नहीं मिलता है। फिर उसकी वसूली में उसको जेल या तुरन्त कार्यवाही। बड़े-बड़े लोग धन्ना सेठ सरकार को सुझाव देने वाले वही अर्थशास्त्री हैं जो बैंक का ज्यादा पैसा डुबोए हुए हैं। हमारे लिए तो यह भयावह स्थिति है कि किसलिए यह कानून लाए हैं। आपने कह दिया कि हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया तो सुप्रीम कोर्ट के कहने से लाए। यह बात असत्य है जिसे आप लागू नहीं कर रहे हैं बल्कि हमें दिखाने के लिए यह ला रहे हैं कि हम लोग ऋण वसूली को कड़ाई से लागू करने के लिए यह कानून बना रहे हैं। जैसा श्री दासमुंशी जी ने कहा और श्री मोइनुल हसन ने डांटा बताया कि 58 हजार करोड़ के ऋण में से 25 हजार करोड़ रुपया सी.आई.आई. के पास है, से कैसे वसूल करेंगे? लोग कहते हैं कि वित्त मंत्री जी सी.आई.आई. के नजदीक हैं लेकिन इन्होंने कानून कैसा बनाया है और उस पर कैसे कड़ाई से काम करेंगे? बैंक तो डूब जाएगा क्योंकि हम चाहते हैं कि जो भी कानून बने समान रूप से सबके लिए बने, जैसे गरीब के लिए वैसे ही धन्ना सेठ के लिए। ऐसे कानून बनने का क्या फायदा जिससे धन्ना सेठों के पास बैंकों का हजारों करोड़ रुपया डूबा रहे। गरीब आदमी तो जंगल में भागता रहे लेकिन पुलिस उसके पीछे पड़ी रहती है और उसके लिए उसकी कुर्की कर दी जाती है। तो हम चाहते हैं कि कानून समान रूप से लागू हो और ऐसा नहीं कि गरीब के साथ कड़ाई और अमीर के साथ ढिलाई। इन बड़े-बड़े लोगों तथा अर्थशास्त्रियों की सलाह पर चलेंगे तो इस देश का क्या होगा, यह इस बात से समझा जा सकता है कि गरीब कंगाल हो जाएगा लेकिन अमीर आदमी के कारण यह भयावह स्थिति पैदा हो जाएगी। मंत्री जी को एक स्पेसेफिक जवाब देना चाहिए बड़े लोग कर्जा लेकर बैंकों का रुपया डुबोए दे रहे हैं जबकि इस देश के करोड़ों लोगों पर तबाही आ जाती है। कैसे उन लोगों का भला होगा? जैसा श्री दासमुंशी ने बताया कि इस देश के 204 इंडस्ट्रियल हाउसेज पर 25 हजार करोड़ रुपये का लोन बाकी है। इससे हम चिन्ता में हैं और परेशान हैं कि इस देश का क्या होगा जबकि इस देश के मुट्ठीभर लोग बैंक का पैसा डुबो देंगे।

**वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा)** : मैं माननीय सदस्यों के प्रति आज सभा में जो विधेयक लेकर आया हूं उसको समर्थन देने पर आभारी हूं। दलगत भावना से ऊपर उठकर उन्होंने जब सामान्य चिन्ता वाले मुद्दे उठाए तब, उन्होंने महसूस किया कि यह विधान सभा के सामने लाया जाना चाहिए था। महोदय, मैंने उन कारणों की व्याख्या पहले ही कर दी है कि क्यों इसे अध्यादेश के माध्यम से लागू करना पड़ा। मैं इसे विस्तार से बताने में सभा का समय नहीं लूंगा।

श्रीमान, अर्थव्यवस्था में वित्तीय क्षेत्र अत्यन्त महत्वपूर्ण क्षेत्र है। हम में से जिन्होंने पूर्व एशिया के संकट का अध्ययन किया है वे इस तथ्य से परिचित हैं कि इस संकट का उद्‌गम वित्तीय क्षेत्र की कमजोरी थी। इसलिए, देश के वित्तीय क्षेत्र को न सिर्फ मजबूत बनाना है अपितु सर्वाधिक कठोर अन्तर्राष्ट्रीय विवेकशील मानदण्ड के समकक्ष लाना होगा। हम लोग वस्तुत: यही प्रयास कर रहे हैं।

श्रीमान, मुझे सभा को आपके माध्यम से स्मरण कराने दें कि 1992 से पहले हम लोग एनपीए का लेखा भी नहीं रखते थे। बैंकों में कोई लेखा नहीं था। 1992 में जब उदारीकरण की प्रकिया शुरू हुई तब पहली बार परिसम्पत्ति वर्गीकरण और आय पहचान के लिए मानदण्ड तय हुए। उसके पश्चात् बैंकों ने गैर निष्पादक परिसम्पत्तियों का लेखा तैयार करना शुरू किया। श्रीमान, मैं यहां पर उल्लेख करना चाहूंगा कि 1993 से और विशेषकर डीआरटी अधिनियम के जारी होने के बाद सकल एनपीए और कुल एनपीए लगातार प्रतिशत में नीचे आ रहा है।

यदि हम कुल संख्या को देखें तो ऐसा लग सकता है कि वे ऊपर जा रहे हैं। किन्तु बैंकों के कुल अग्रिम के प्रतिशत के रूप में ये नीचे आया है। मेरे पास यहां आंकड़े हैं। 1993 में बैंकों और वित्तीय संस्थाओं का एकल एनपीए 24.8 प्रतिशत था और 31 मार्च, 1999 को यह 15.89 प्रतिशत पर नीचे आ गया था। 31 मार्च, 1999 को कुल एनपीए 8.7 प्रतिशत तक आ गया। इसलिए प्रतिशत के रूप में यह नीचे आ रहा है। मैं यहां उल्लेख कर सकता हूं कि इन छह वर्षों की अवधि के दौरान सकल बैंक अग्रिम में 92 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है जबकि सकल एनपीए में वृद्धि को मात्र 31.7 प्रतिशत पर रोक दिया गया। मैं इन आंकड़ों का उल्लेख क्यों कर रहा हूं? मैं इस आंकड़े का उल्लेख इस उद्देश्य से कर रहा हूं कि हमें एनपीए की चिन्ता करनी होगी और एनपीए के स्तर को सह्य स्तर तक लाने के लिए–जो लगभग 4 प्रतिशत या 3 प्रतिशत है–और जो चिन्ताजनक नहीं है। हमें हर संभव कार्य करना होगा। एनपीए के स्तर को लेकर हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। हम गैर निष्पादक परिसम्पत्तियों की बात कर रहे हैं। लेकिन जो आंकड़े मैंने आपको बताए हैं, जिस प्रकार हम इन आंकड़ों को रखते हैं ये वास्तव में गैर निष्पादक ऋण हैं। यदि आप इनकी परिसम्पत्तियों से तुलना करेंगे तो ये आंकड़े और अधिक न्यून हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, हम सर्वोच्च विवेकशील मानदण्ड बनाना चाहते हैं जो अन्तर्राष्ट्रीय तौर पर मान्य हैं। यही कारण है कि हम एनपीए के इस स्तर से खुश नहीं हैं जो हमारे तन्त्र में है।

अब, यहां पर उल्लेख किया गया है कि 'डीआरटीए' ने उस प्रकार कार्य नहीं किया जितने अच्छे से उसे कार्य करना चाहिए, जो इस अर्थ में सत्य है कि जो अधिनियम 1993 में पारित हुआ और 1995 में खारिज हुआ उसमें कुछ विरूपताएं थीं। 1995 से आज तक डीआरटी उच्चतम न्यायालय से प्राप्त स्थगन आदेश के आधार पर कार्य करता रहा है जिसे हम उच्चतम न्यायालय से प्राप्त करने में सफल रहे थे। एक बार संसद द्वारा यह विधेयक पारित हो जाता है और कानून बन जाता है तब डीआरटी वस्तुत: मजबूत हो जाएगा। इन संशोधनों के परिणामस्वरूप हम और भी कई तरह से डीआरटी को मजबूत बना रहे हैं।

श्रीमान, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि दो बातें हैं। प्रथमत: वित्त मंत्रालय में एक स्वस्थ परम्परा है कि हम बैंकों के दैनिक कार्यकरण

में हस्तक्षेप नहीं करते। मैं दृढ़प्रतिज्ञ हूं कि इस स्वस्थ परम्परा को बनाए रखा जाए। मैं नार्थ ब्लाक में अपनी कुर्सी पर बैठकर आवेश में आकर यह निर्णय नहीं ले सकता कि बैंकों को क्या करना चाहिए—वे किसे ऋण दें और किसे ऋण नहीं दें। यह सरकार का काम नहीं है। साथ ही, बिना किसी अस्पष्टता के मुझे अपनी ओर से कहने दें कि हम जानबूझकर ऋण नहीं चुकाने वालों से सख्ती से निबटेंगे और ऐसा करने में यह विधान हमारी सहायता करेगा। हमारा इरादा उन लोगों को छोड़ने का नहीं है जिन्होंने बैंक को विश्वास से सौंपे गए रुपयों से बैंक को वंचित करने के लिए अपने किसी भी ग्राहक से बैंक को ठगने के लिए सांठ-गांठ की है, क्योंकि यह रुपये भारत के लोगों के हैं। इसलिए इन दो पहलुओं पर कोई भी संदेह नहीं रहना चाहिए। इस विधान को सभा के समक्ष लाने में यही सुनिश्चित करना मेरा उद्देश्य रहा है। हम दोषियों और जानबूझकर ऋण अदा नहीं करने वालों को पकड़ने में समर्थ होंगे।

**श्री रूपचन्द पाल :** अगर आप मौका दें, मैं कहना चाहता हूं कि हाल ही में केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त ने वेबसाईट पर भ्रष्ट अधिकारियों का नाम देना प्रारंभ कर दिया है। उन्होंने अनुरोध किया है कि बैंकिंग गोपनीयता खण्ड में परिवर्तन होना चाहिए। यह एक सतत् मांग है। इस गोपनीयता खण्ड के कारण दोषी और जानबूझकर ऋण अदा नहीं करने वालों के नाम प्रकाशित नहीं किए जा सकते।

यह अनुरोध विपक्ष की ओर से नहीं अपितु केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त श्री एन० विठ्ठल की ओर से है और कुछ हद तक भारतीय रिजर्व बैंक भी इससे सहमत हो गया है। स्पष्टीकरण के लिए क्या मैं एक बात जान सकता हूं? मैंने उच्चाधिकारियों से किसी अन्य हैसियत से पूछा था कि क्या जानबूझकर ऋण अदा नहीं करने वालों पर जो गोपनीयता खण्ड है वह जमाकर्ताओं या ऋणकर्ताओं के मामले में भी लागू होगा। इस विषय में अन्तर्राष्ट्रीय मानक क्या है?

**श्री यशवंत सिन्हा :** यदि श्री रूपचन्द पाल जी ने धैर्य रखा होता तो मैं इस बिन्दु पर आ रहा था। मैं निश्चित रूप से इस बिन्दु का उल्लेख अपने प्रत्युत्तर के क्रम में करता। हमारे पास जानबूझकर ऋण अदा नहीं करने वाले की कोई परिभाषा नहीं है। यह एक तथ्य है।

मुझे यह भी स्पष्ट करने दिया जाए कि यह राय भी नहीं बननी चाहिए कि जो यह कुल 51,700 करोड़ का आज एनपीए है, यह पिछले 24 महीनों में जमा हुआ है। ऐसा नहीं है। ये पहले से ही जमा होते आ रहे हैं। दुर्भाग्य से यह समस्या लम्बे समय से हमारी बैंकिंग प्रणाली के साथ है। हम इसे जान गए हैं, हम इसके प्रति जागरुक हो गए हैं और हम एनपीए को कम करने का प्रसास कर रहे हैं।

बैंकिंग उद्योग की परिभाषा क्या है? बैंकिंग उद्योग गैर निष्पादक परिसम्पत्तियों के आधार पर आगे बढ़ता है। घटिया परिसम्पत्तियां, संदेहास्पद परिसम्पत्तियां और घाटे वाली परिसम्पत्तियां—गैर निष्पादक परिसम्पत्तियां हैं। मैंने आंकड़े देखे हैं। मैं आपको बता सकता हूं कि मैं क्यों कह रहा हूं कि परेशानी या घबराने की कोई बात नहीं है। क्योंकि जब ऋण चुकाने की अवधि आ जाए और दो वर्ष से ऊपर की चूक हो तो वह घटिया परिसम्पत्ति हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति किसी खास किश्त या सूद को देने में 24 महीनों से कम की अवधि में चूक करता है तो वह घटिया परिसम्पत्ति बन जाती है। अधिकतर एनपीए इसी श्रेणी के हैं। बहुत कम मूल्य की घाटे वाली परिसम्पत्तियां हैं जो बैंकों का वास्तविक घाटा हैं और जिसके लिए हमारे पास प्रावधानिक मानदण्ड हैं। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि कुल एनपीए का लगभग 50 प्रतिशत बैंकों द्वारा बनाए गए प्रावधानों के अन्तर्गत आते हैं। इसलिए स्थिति चेतावनीपूर्ण नहीं है।

जैसा मैंने कहा है, एनपीए का हमारा मानक मानदण्ड दुनिया में तुलनात्मक दृष्टि से सर्वोत्तम है। अब बात यह है कि दो तरह के विचार हैं। एक यह कि हम आम लोगों को पकड़ रहे हैं, उनके पीछे पड़ रहे हैं और उन्हें जेल ले जा रहे हैं जबकि बड़े लोग—जैसा कि डा० रघुवंश प्रसाद सिंह जी कहेंगे कि मैं उन लोगों से मिला हुआ हूं—छूट रहे हैं। मैं पिछले 24 महीनों से वित्त मंत्री हूं। पिछले सारे वित्त मंत्री क्या कर रहे थे? वे भी उन लोगों से मिले हुए थे अन्यथा ये एनपीए नहीं होता और मुझे विरासत में 51,710 करोड़ का एनपीए नहीं मिलता। मैं डा० रघुवंश प्रसाद सिंह को बता दूं कि एक सांसद के रूप में मैंने जो सीआईआई की पहली बैठक में भाग लिया वह उनके नेता श्री लालू प्रसाद यादव के साथ लिया था। इसलिए, इस में हम नहीं जाएं। जो भी व्यक्ति पदासीन होता है उसे हर तरह के लोगों से व्यवहार करना पड़ता है इसमें सीआईआई या फिक्की या 'एसोचैम' या और कहीं के लोग भी शामिल हैं।

मैं जानबूझकर चूक करने की बात कर रहा हूं। प्रथमतः मैं यह स्पष्ट कर दूं कि 1993 में पारित हुआ यह अधिनियम अभी भी वैध है। 10 लाख रुपये से कम के बकाया ऋण इसके दायरे से बाहर हैं। यदि किसी व्यक्ति के विरुद्ध बकाया ऋण राशि 10 लाख रुपये से कम है तो उसे डीआरटी नहीं ले जाया जा सकता। इसलिए एक बात यह है कि यदि किसी को डीआरटी ले जाना है तो उसके विरुद्ध 10 लाख रुपये से अधिक का बकाया ऋण होना चाहिए। छोटे लेनदार इस प्रक्रिया के अन्तर्गत नहीं लाए गए हैं। यह प्रक्रिया केवल बड़े लोगों, बड़े लेनदारों के लिए बनी है।

श्री रूपचन्द पाल ने जो अभी कहा है उसके उत्तर में मैं कहूंगा कि वे इस तथ्य से परिचित हैं कि जब भी जानबूझकर चूक की जाती है, जब भी एक परिसम्पत्ति घटिया बन जाती है या एक बैंक इस नतीजे पर पहुंचता है कि उन्हें अपने बकाया के वसूली करने के लिए उपाय शुरू करने चाहिएं और वे ऐसा करते हैं तब प्रत्येक वर्ष उस वर्ष के 31 मार्च तक भारतीय रिजर्व बैंक इस प्रकार के चूककर्ताओं की सूची तैयार करता है जिन्हें डीआरटी के माध्यम में न्यायालय में खींचा गया है। संसदीय ग्रन्थालय में उन लोगों की एक सूची रखी हुई है जिनके विरुद्ध एक करोड़ या उससे अधिक की राशि बकाया ऋण के रूप में है।

इसलिए कोई गोपनीयता नहीं है। गोपनीयता कहां है? गोपनीयता केवल उन खातों के मामले में है जिनके विरुद्ध अभी कुछ नहीं किया गया है, और एक बात पर मैं सदन को विश्वास में लेना चाहूंगा। एक ओर हमारा इरादा किसी को बचाने का नहीं है वहीं हमारा इरादा यह भी नहीं होना चाहिए कि किसी व्यक्ति ने बैंक से कर्ज लिया है तो उसका नाम सबके सामने आए। यह मानदण्ड नहीं है। अन्तर्राष्ट्रीय मानदण्ड गोपनीयता बरतने का है। यह बैंक और व्यक्ति या फर्म के

[श्री यशवन्त सिन्हा]

बीच देनदार और लेनदार के रूप में एक अनुबंध है। जब तक अनुबंध टूटता नहीं तब तक हर लेन-देन को सार्वजनिक करने का कोई कारण नहीं है। और मैं इस पक्ष में हूं कि हमें ऋण वसूली के लिए हरसंभव प्रयास करना चाहिए, खासकर वे बकाया जो काफी समय से बकाया है और जहां साक्ष्य उपलब्ध हैं कि रुपये इधर-उधर किए जा रहे हैं या दूसरे मदों में लगाए जा रहे हैं और वह जानबूझकर नहीं लौटा रहा है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने जानबूझकर चूक करने वालों की परिभाषा बताई है। आरबीआई ने अक्तूबर 1999 में निर्देश भी जारी किया है कि अब बैंक एक समझौता करे और एक शर्त रखे कि यदि ऋण राशि और खाते में कोई चूक होती है तो ऋणकर्ता बैंक के कर्जे को नहीं रखेगा। अब हमारे पास यह करने की शक्ति आ गई है लेकिन साथ ही इससे किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी, निश्चित रूप से, इस देश की अर्थव्यवस्था के उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी।

यदि हम यह कहें कि बैंकों द्वारा कोई भी अग्रिम धनराशि नहीं दी जाएगी तथा बैंकों द्वारा दिए जाने वाली अग्रिम धनराशि को सार्वजनिक किया जाएगा। यह संसद के ऊपर निर्भर है कि वह क्या फैसला लेती है। लेकिन यदि आप मेरी राय जानना चाहते हैं तो मैं यही कहूंगा कि यह एक व्यवहारिक व्यवस्था नहीं है और यह चलेगी भी नहीं। इसलिए हमें तर्कसंगत और व्यवहारिक बनना चाहिए। हमें उन दोषी लोगों को पकड़ना चाहिए जिन्हें पकड़ा जाना चाहिए। हमें उन लोगों को दंड देना शुरू नहीं करना चाहिए जो दोषी नहीं हैं। आज बैंकों द्वारा दिए जाने वाले कुल अग्रिम धनराशि का 82 प्रतिशत मानक अग्रिम धनराशि है जिनमें चूक वाली कोई बात है। इसमें मुझे आशा है कि जिस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं इससे हमारे लिए संभव होगा कि हम इन चूकों को सम्पत्ति के स्तर पर ले आएं। यह अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य और चल रहा है। इसीलिए, महोदय हम इस विधेयक को लाए हैं।

दुर्भाग्यवश, मैं माननीय सदस्य, श्री पांडियन के इस कथन से सहमत नहीं हूं कि हम उच्चतम न्यायालय के आदेश पर चल रहे हैं। हमारे संविधान में स्पष्ट रूप से इस बात को परिभाषित किया गया है कि किसकी क्या जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी ने इस विभाजन के आधीन तथा न्यायपालिका को प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस कानून को उचित नहीं ठहराया। हम इस मामले को उच्चतम न्यायालय में ले गए जो अभी वहां लंबित पड़ा है। मुझे विश्वास है कि हमें उन सुधारों को अपना लेना चाहिए जिन्हें हम उच्चतम न्यायालय के कहने पर आवश्यक तौर पर नहीं कर रहे हैं। मैंने भारतीय रिजर्व बैंक में इसका अध्ययन किया है। दो समितियों ने इसका अध्ययन किया है और मैंने शुरू में ही इस बात का जिक्र किया था कि राज्य सभा की अधीनस्थ विधान संबंधी समिति ने इसका अध्ययन किया है। हम यह कानून भारतीय रिजर्व बैंक की विशेषज्ञता तथा राज्य सभा की बुद्धिमता के आधार पर लाए हैं। इसलिए किसी भी माननीय सदस्य में किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि हम किसी दबाव के अन्दर काम कर रहे हैं अथवा हम संसद की प्रभुसत्ता को न्यौछावर कर रहे हैं। संसद सर्वोच्च है तथा संसद को विधायी शक्ति प्राप्त है और हम इसी विधायी शक्ति के अन्तर्गत काम कर रहे हैं।

अत:, इस विधेयक में कुछ अत्यधिक महत्वपूर्ण संशोधन हैं। यह चर्चा केवल डीआरटी के बारे में है, जो वसूली प्रक्रिया को सुदृढ़ कर रहे हैं। यह चर्चा अन्य प्रश्नों के बारे में नहीं है, जो चर्चा के दौरान उठाए गए हैं। जब हम बजट पर चर्चा करेंगे, तब इन प्रश्नों पर विचार किया जाएगा। अनेक मुद्दे उठाए गए हैं, परन्तु इस विलंबित क्षण में, मैं सभा का समय इन प्रश्नों को हल करने में नहीं लगाना चाहता। मैं तो केवल यही सुझाव दूंगा कि यह पर्याप्त विचार-विमर्श के उपरांत लाया गया सुविचारित विधान है। मैं यह सुझाव दूंगा कि इस सभा को इस पर केवल विचार ही नहीं करना चाहिए अपितु इसे पारित भी करना चाहिए।

**श्री प्रियरंजन दासमुंशी :** अपने अनुभव एवं अन्तर्राष्ट्रीय विद्यमान मानदंडों के अनुभव के उपरांत बैंकिंग में व्यवसायिक प्रबंधन के बारे में आपका क्या विचार है?

**श्री यशवंत सिन्हा :** श्री प्रियरंजन दासमुंशी का आभारी हूं जिन्होंने न केवल वह मुद्दा उठाया अपितु हमें पुनः इसका स्मरण भी कराया है। प्रबंधन का व्यवसायीकरण करने के लिए जो कदम हम उठा रहे हैं उनमें से यह भी एक है ताकि ऋण-मूल्यांकन-मानदंड और भी अच्छे रूप में लागू किए जा सकें। एक कमजोरी जो हमने देखी है वह है, समुचित ऋण मूल्यांकन मानदंडों की अनुपस्थिति। आप 130 करोड़ रुपये अथवा अपर्याप्त मूल्यांकन के आधार पर जो भी राशि ऋण के रूप में देने के लिए सहमत होंगे और फिर यह शोध्य-ऋण बन जाता है। अब, बैंक कर्मचारियों, बैंक प्रबंधन में व्यवसायिक स्तर का उन्नयन करने में हम निरन्तर प्रयासरत हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि वे निरन्तर प्रशिक्षण-कार्यक्रमों में भाग लें। बैंकिंग अत्यधिक जटिल प्रक्रिया बन गई है और नए वित्तीय उपकरण बाजार में आ रहे हैं। अत:, इस क्षेत्र विशेष को व्यवसायिकता से नहीं बचाया जा सकता। आने वाले वर्षों में बैंक प्रबंधनों को और अधिक पेशेवर बनाने का हमारा सुनिश्चित प्रयास होगा।

**श्री वरकला राधाकृष्णन :** मेरा उद्देश्य बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के कारण ऋणों की वसूली में व्याप्त दोषों के संबंध में सभा का ध्यान केन्द्रित करना था। मैं संतुष्ट हूं कि इस पर समुचित चर्चा हुई। इस सन्दर्भ में मैं अपने प्रस्ताव पर और आग्रह करना नहीं चाहता।

**अध्यक्ष महोदय :** क्या सभा श्री वरकला राधाकृष्णन द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव को वापस लेने से सहमत है।

*प्रस्ताव सभा की अनुमति से वापस लिया गया।*

**अध्यक्ष महोदय :** अब मैं विधेयक पर चर्चा करने का प्रस्ताव सभा में मतदान के लिए रखता हूं :

**प्रश्न यह है :**

**"कि बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली (संशोधन) अधिनियम 1993 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।**

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

**अध्यक्ष महोदय :** अब सभा विधेयक पर खंड-वार विचार करेगी।

**प्रश्न यह है :**

**"कि खंड 2 से 8 विधेयक का अंग बने।"**

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

*खंड 2 से 8 विधेयक में जोड़ दिए गए*

**खंड—9** *धारा 19 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन*

**अध्यक्ष महोदय** : खंड 9 में संशोधन करने के लिए श्री ए०एफ० गुलाम उस्मानी का एक संशोधन है।

श्री ए०एफ० गुलाम उस्मानी जी क्या आप खंड 9 में संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं?

**श्री ए०एफ० गुलाम उस्मानी** : मेरी मंशा उस पहलू को माननीय वित्त मंत्री जी के ध्यान में लाना है जो कि कुछ सदस्यों विशेषकर श्री प्रियरंजन दासमुंशी जी ने उन लोगों के बारे में उठाया था जिन्होंने लघु उद्योग चलाने के लिए ऋण लिया था। उनको अन्य ऋण लेने वाले लोगों से अलग माना जाना चाहिए।

**अध्यक्ष महोदय** : क्या आप संशोधन पेश कर रहे हैं अथवा वापस ले रहे हैं?

**श्री ए०एफ० गुलाम उस्मानी** : मैं अपना संशोधन पेश कर रहा हूं।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ संख्या 5,—

पंक्ति 42 के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाए—

"20(क). अधिकरण, आवेदक और प्रतिवादी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, ऐसा अंतिम आदेश पारित कर सकेगा जिसमें प्रतिवादी द्वारा पूर्वोत्तर राज्यों में अपना कारबार स्थापित किए जाने की दशा में आवेदक द्वारा मूल रकम की वसूली के लिए प्रतिवादी द्वारा संदेय पूर्ण ब्याज के भुगतान से छूट दी गई हो।

20(ख). पूर्वोत्तर राज्यों से असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा राज्य अभिप्रेत हैं।" (1)

**अध्यक्ष महोदय** : अब मैं श्री ए०एफ० गुलाम उस्मानी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 1 को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

*संशोधन संख्या 1 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।*

**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड 9 विधेयक का अंग बने।"

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

*खंड 9 विधेयक में जोड़ दिया गया।*

*खंड 10 से 18 विधेयक में जोड़ दिए गए।*

*खंड 1, विधेयक का पूरा नाम और अधिनियमन सूत्र विधेयक में जोड़ दिया गया।*

**अध्यक्ष महोदय** : मंत्री महोदय विधेयक को पारित कराने वाले प्रस्ताव को पेश कर सकते हैं।

**श्री यशवंत सिन्हा** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा मंगलवार, 14 मार्च, 2000 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

**रात्रि 8.45 बजे**

*तत्पश्चात लोक सभा मंगलवार, 14 मार्च, 2000/24 फाल्गुन, 1921 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।*

---

लोक सभा वाद-विवाद (हिन्दी संस्करण)
सोमवार, 13 मार्च, 2000/23 फाल्गुन, 1921 (शक)
का
शुद्धि-पत्र
....

| कॉलम | पंक्ति | के स्थान पर | पढ़ें |
|---|---|---|---|
| 161 | नीचे से 2 | प्रश्न सं॰ 2683 | प्रश्न सं॰ 2682 |
| 236 | 5 | प्रश्न सं॰ 2754 | प्रश्न सं॰ 2751 |
| 236 | 10 | " और " का लोप करें । | |
| 236 | पंक्ति 10 के बाद "जोड़ें" | (ख) इस योजना को लागू करने में क्या बाधाएं आ रही हैं, और | |
| 265 | 26 | (क) से (च) | (क) से (घ) |
| 299 | 23 | (घ) | (घ) और (ङ) |
| 309 | 15 | प्रश्न स॰ 2815 | प्रश्न सं॰ 2816 |
| 408 | 9 | श्री अली मोहम्मद नयाक | श्री अली मोहम्मद नायक |

पी०एल०एस०-48/5/14/2000 (एन०)
280

© 2000 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (नौवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित
और इंडियन प्रेस, नई दिल्ली-110033 द्वारा मुद्रित।